वर्ल्ड सोशल फोरम

दुनिया की चौपाल

वर्ल्ड सोशल फोरम

दुनिया की चौपाल

फ्रांसिस्को 'चीको' व्हिटेकर फरेरा

अनुवाद : अभय कुमार दुबे

साउथ एशियन डॉयलॉगस् ऑन इकोलोजिकल डेमोक्रेसी
नई दिल्ली

दुनिया के उन सारे बच्चों को समर्पित जिन्हें मैं
अपने पोते-पोतियों, जूलिया, मारिया, लुकास, लुइज़,
पाब्लो, हेलेना और डेनियल में देखता हूँ, इस
उम्मीद के साथ कि जब वे अपने वक्त में हमारी लड़ाई के साथ
कंधे से कंधा मिला कर खड़े होंगे तो इस धरती के वासियों का कदम
'दूसरी मुमकिन दुनिया' की दहलीज पर पड़ चुका होगा।

Published by
South Asian Dialogues on Ecological Democracy (SADED)
(with financial support from Simenpuu Foundation, Finland)
383, II Floor, Bank Street
Munirka Village
New Delhi - 110067
Phone: 011-26101580
E-mail: info@saded.in
networkscommunication@gmail.com

प्रकाशक:
साउथ एशियन डॉयलॉगस् ऑन इकोलोजिकल डेमोक्रेसी
(सीमेनप्पू फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से)
383 द्वितीय तल, बैंक स्ट्रीट
मुनिरका, नई दिल्ली-110067

लेसरटाईपसेट: केपिटल क्रियेशंस्, नई दिल्ली
मुद्रण: ऑक्सिलियम प्रिंटिंग सर्वीसस, नई दिल्ली

अनुक्रम

आमुख ix

भूमिका : ओडिड ग्रेज्यू xi

प्राक्कथन xvii

परिचय xxi

सिद्धांतों का घोषणापत्र (चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स) xxxi

अध्याय-1 / शुरू के दिन 1

अध्याय-2 / सोशल फोरम : आयोजन के आधार बिंदु 13

अध्याय-3 / कुछ मुद्दे : कुछ बहसें 41

अध्याय-4 / नजरिए का सवाल 89

परिशिष्ट

1 / वर्ल्ड सोशल फोरम पर बहस के लिए नोट्स 125

2 / वर्ल्ड सोशल फोरम : उद्‌गम और उद्देश्य 143

3 / वर्ल्ड सोशल फोरम : सबक और नजरिया 149

4 / वर्ल्ड सोशल फोरम : तात्पर्य और नजरिया 152

5 / पोर्टो अलेगरे के सबक 159

6 / डब्ल्यूएसएफ-2003 : एक कदम और आगे 164

7 / क्या राजनीतिक कार्रवाई के लिहाज से वर्ल्ड सोशल फोरम में कोई नई बात है? 168
8 / स्थापित व्यवस्था के खिलाफ नागरिक विद्रोह 174
9 / वर्ल्ड सोशल फोरम के समक्ष तीन चुनौतियाँ 183
10 / मुंबई में भी समस्याएँ जारी रहीं! 192
11 / वर्ल्ड सोशल फोरम : मौजूदा मुकाम और आगे का रास्ता 198
12 / इंटरनेशनल स्टडी डेज़ का मूल्यांकन : इसे जारी रखना क्यों जरूरी है? 215

फ्रांसिस्को 'चीको' व्हिटेकर फरेरा : एक परिचय 237

आमुख

ब्राजील के पोर्तो एलेग्रे में 2001 में पहले 'विश्व सामाजिक मंच' के आयोजन में जितने कार्यक्रम आयोजित हुये तथा शामिल प्रतिभागियों की संख्या से आयोजक आश्चर्य चाकित थे। नागरिक समाज के विभिन्न समूहों के सपनों एवं मुद्दों के लिए एक चौपाल बनाने का विचार सहज स्वीकार हुआ। इसके बाद तुरन्त ही यह विचार स्थानीय स्तर पर भी नागरिक समूहों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से स्वीकार किया गया। और अब यह चौपालें पूरी दुनिया में गाँव स्तर से क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही हैं। इस दशक में दस लाख से अधिक लोगों ने दुनिया भर में आयोजित सामाजिक मंचों (चौपाल) में हिस्सा लिया है।

जनवरी 2004 में जब दुनिया की चौपाल (विश्व सामाजिक मंच) का जमावडा मुंबई में हुआ तो हम लोगों को महसूस हुआ कि स्थानीय आन्दोलन समूहों को बुलाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, इस पूरे आयोजन की तैयारी में 'इंडिया' की भागीदारी भरपूर थी लेकिन 'भारत' का प्रतिनिधित्व करने वाले आन्दोलन समूह, गैर दलीय राजनीति के संगठन, नागरिक समूहों के प्रतिनिधि लगभग दोयम दर्जे की हैसियत से इसमें शामिल थे।

विश्व सामाजिक मंच को संगठित करने की तैयारी के दोरान इसे हिंदी व अन्य स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त रूप में प्रचारित-प्रसारित नहीं किया जा सका। आन्दोलन समूहों, गैर दलीय राजनैतिक संगठन, ट्रेड युनियनों, माकगार संगठनों, महिला-आदिवासी-किसान, असंगठित् मजदूर संगठनों की भागीदारी के लिए व्यापक प्रयास किये गये।

इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप चौपाल का आयोजन स्थल अनेक रंग के राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों/उपस्थिति से भर गया, चार दिन तक चले इस आयोजन नें देश भर से सवा लाख से अधिक कार्यकर्ताओं बुद्धिजीवी, आन्दोलन समूहों की भागदारी ने उन तमाम लोगों को नयी उर्जा तथा सपने से भर दिया जो लगातार विश्व सामाजिक मंच की प्रक्रिया तथा आयोजनों से जुड़े रहे। इस आयोजन ने गांव स्तर से वैश्विक स्तर तक की विभिन्न प्रक्रियाओं, कार्यकर्ताओं, आन्दोलन समूहों, संगठनों को आपस में

मिलने तथा संवाद का मौका दिया, इस आयोजन के बाद चौपाल की प्रांसगिकता तथा बदलाव की गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रिया पर पुन: कार्यकर्ता समाज में बहस जारी है। भूमण्डलीयकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के दौर में चौपाल नयी उर्जा, नये विचार तथा संघर्षों की नयी जुबान के लिए खुले मंच के तौर पर स्थापित हो सके, इसकी संभावना आज भी भरपूर है।

आज पूरी दुनिया में बहुआयामी लोकतांत्रिकता लगातार सिमटती जा रही है। समता व न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जूझने वाले राजनैतिक दल वैचारिक और सांगठनिक उहा पोह में फंसे हैं ऐसे में लोकतन्त्र पर समग्र बहस तथा नई वैश्विक परिस्थितियों में इस चौपाल का टिके रहना महत्वपूर्ण हैं।

अपनी यात्रा के दसवें वर्ष में प्रवेश कर चुका मंच आज दक्षिण अमेरिका से निकल कर अफ्रिका, एशिया, यूरोप सहित दुनिया के हर कोने में मौजूद बदलाव की राजनीति करने वालों के बीच पहुँचने के लिए प्रयासरत है। इस यात्रा के दौरान हासिये पर ढ़केले गये समाजों ने अपने अस्तित्व से जुड़े सवालों के साथ 'नई दुनिया की संभावना' के गीत गाये, कार्यकर्ता समाज की भूमिका तथा दायरा स्थानीय से जागतिक होने लगा। अब वह नई दुनिया के निर्माण की कोशिशों से सीधे जुड़ना चाहता है।

विश्व सामाजिक मंच के दसवें वर्ष में प्रवेश के मौके पर हम लोग चीको विटेकर द्वारा लिखी किताब के हिंदी संस्करण का आमुख लिखते समय प्रसन्नता महसूस कर रहे है। चीको विटेकर विश्व सामाजिक मंच के स्थापक संगठनकर्ताओं में से एक हैं। हमारी उम्मीद है कि उनकी ये किताब समाज एवं राजनीति के सहभागी एवं लोकतांत्रिक बदलाव के लिए बहसों-चर्चाओं के खुले मंच/चौपाल के तौर पर हस्तक्षेप की पगडंडियां तलाशने में मील का पत्थर साबित होगी।

- वशुधैव कुटुम्बकम परिवार - उमा शंकरी, बी.आर. पाटिल,
शुभाष लोमटे, धनश्याम, मुकुल शर्मा, रितु प्रिया, शुधा रेड्डि,
रघुपति, मार्को उलविला, भुवन पाठक, विजय प्रताप

भूमिका

ओडिड ग्रेज्यू

अपनी किताब की भूमिका लिखने का आग्रह करके चीको व्हिटेकर ने मुझे बड़ी इज्जत बख्शी है। बेहतर होगा कि इस अवसर का फायदा उठा कर कुछ ऐसे विचार पेश किए जाएँ जिन्हें मैं वर्ल्ड सोशल फोरम से निकली प्रक्रिया के लिए महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। मुझे श्रेय दिया जाता है कि फरवरी, 2000 में यह फोरम शुरू करने का ख्याल सबसे पहले मेरे ही दिमाग में आया था।[1] मैं समझता हूँ कि इसमें कोई खास बात नहीं थी। जहाँ तक दिमाग में विचारों के आगमन का सवाल है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती। हम तो ज्यादा से ज्यादा उन विचारों को सतह पर लाने के हालात ही बना सकते हैं। मसलन, हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने दिमागों में भरे जहर की सफाई करते रहें, आराम के साथ खाली बैठ कर चिंतन-मनन की गुंजाइशें निकालें, अपनी दिलचस्पियों का दायरा नई-नई बातें जोड़ कर बढ़ाते रहें, दूसरी संस्कृतियों के साथ संपर्क बनाए रखें, दोस्ती और आत्मीयता परवान चढाएँ, आत्मा और स्नेह के सूत्र सँवारते रहें, खुद को फैंटेसी और सपनों के हवाले कर दें, और दिल व दिमाग के बीच संवाद के दरवाजे खोले रखें।

एक और तरीका है जिससे विचारों को सतह पर लाने में मदद मिल सकती है। हमें दो बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए : पहली, मनुष्य विकल्प चुनने की कुदरती क्षमता से सम्पन्न होता है; और दूसरी, अपनाने लायक रास्ता हमेशा एक ही नहीं होता। हर क्षण हमें उन संभावनाओं के बारे में सोचते रहना चाहिए जो हमारे सामने खुली हुई हैं, और फिर चुनना चाहिए कि हम क्या करें और क्या निर्णय करें। अक्सर होता यह है कि रोजाना की जिंदगी की तेज रफ्तार, समाज के दबाव और दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की आकांक्षाओं के कारण हम संभावनाओं और विकल्पों के बारे में सोचने की जहमत तक नहीं उठा पाते। नई

संभावनाओं की खोज करने की प्राथमिक शर्त यह है कि पहले हम खुद को बेहतर ढंग से जानें। खुद के बारे में हमारी कम जानकारी अक्सर हमें उन रास्तों पर ले जाती है जो दरअसल हमारे नहीं होते।

मेरी रणनीति यही रही है। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा फैंटेसियों और सपनों के लिए गुंजाइश रखी है। दूसरी संस्कृतियों और सोच-विचार के तरीकों के साथ अपने ताल्लुकात हमेशा बेहतर रखे हैं। मेरी पत्नी मारा के प्रेम, स्नेह और दोस्ती से मुझे ताकत मिली है। मैं हमेशा विकल्पों के बारे में सोचता रहा हूँ। इन्हीं वजहों से मेरे दिमाग में यह विचार आया था कि जब वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम हो सकता है, तो वर्ल्ड सोशल फोरम क्यों नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो हर किसी को दो विश्व-दृष्टिकोणों के बीच चुनने में सुविधा होगी। हर कोई चुनाव कर सकेगा कि वह लोगों को आर्थिक हितों का महज औजार बना देने वाले समाज में रहना चाहता है, या फिर वह ऐसे समाज में रहना चाहता है जहाँ अर्थव्यवस्था लोगों की खुशहाली के लिए काम करती हो, और लोगों को नागरिक समझा जाता हो। मैं चाहता था कि लोग प्रतियोगिता और एकजुटता के बीच चुनाव करें, युद्ध और शांति के बीच चुनाव करें। मुझे यकीन था और आज भी है कि वर्ल्ड सोशल फोरम लोगों का मानस बदल कर उन्हें भरोसा दिला सकता है कि हम उस मुकाम पर नहीं पहुँच गए हैं जिसे इतिहास का अंत कहा जाता है। विकल्पों का अंत नहीं हुआ है। थोड़े से लोगों को बहुत से लोगों का शोषण करने का मौका केवल इसीलिए मिला हुआ है कि ज्यादातर लोग न तो विकल्पों को कल्पित कर पा रहे हैं, न ही उनमें उनका यकीन है, न ही वे खुद को संगठित करके परिवर्तन के लिए एकजुट हो पा रहे हैं।

असली खूबी तो इस बात में है कि विचारों और सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाए। इसका श्रेय उन लोगों और संगठनों को जाता है जिन्होंने बहुत थोड़े से समय और बहुत थोड़े से संसाधनों में वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रक्रिया शुरू करके दिखा दिया है कि अगर विचार में भरोसा हो तो कड़े संकल्प, योग्यता, आदर्शवाद और रचनात्मकता के जरिए कुछ भी किया जा सकता है।

जनवरी, 2001 में फोरम के पहले आयोजन पर मिगेल रोजेटो ने कहा था : 'अब मैंने वर्ल्ड सोशल फोरम की स्थापना अपनी आँखों से देख ली और उसमें हिस्सेदारी भी कर ली। अब मैं खुशी से आखिरी साँस ले सकूँ गा।' इस वरिष्ठ राजनीतिक योद्धा और रियो ग्रांड डो सुल स्टेट के तत्कालीन वाइस-गवर्नर के दोस्त की इस टिप्पणी में शायद हमारी ये भावनाएँ सबसे अच्छी तरह झलक रही थीं।

आज जब वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रक्रिया सारी दुनिया में तेजी से फैलते हुए सुदृढ़

रूप ले रही है, तो हमारे सामने दो मुख्य चुनौतियाँ हैं। पहली तो यह है कि हमें उस चक्कर में फँ सने से बचना होगा जिसके कारण कई अच्छी पहलकदमियाँ बरबाद हो चुकी हैं। ऊँ चे आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध मुट्ठीभर आदर्शवादियों के हाथों कई संगठन शुरू किए जा चुके हैं, कई पहलकदमियाँ ली जा चुकी हैं। होता यह रहा है कि जैसे-जैसे ये प्रयास कामयाब हो कर विकसित हुए, और सामाजिक-राजनीतिक मंच पर उनकी भूमिका को महत्त्व मिलना शुरू हुआ, वैसे-वैसे लक्ष्य के लिए समर्पित रहने वाली उनकी ऊर्जा धीरे-धीरे उस संस्था को कायम रखने और उस प्रक्रिया पर कब्जे के लिए सत्ता संघर्ष में खर्च होने लगी। अगर ऐसा हुआ तो यह उसी दुनिया जैसा आचरण होगा जिसे हम बदलना चाहते हैं।

अगर हम वास्तव में एकजुटता पर आधारित दुनिया चाहते हैं; अगर हम चाहते हैं कि हमारा संसार विविधता, मानवाधिकारों को प्रोत्साहन और पर्यावरण की संरक्षा पर आधारित हो, तो हमें अपने निजी आचरण और राजनीतिक व्यवहार के जरिए मिसाल कायम करनी होगी। जो 'दूसरी दुनिया' हम बनाना चाहते हैं, उसकी रचना सबसे पहले हमारे भीतर और प्रत्येक संगठन के भीतर करनी होगी।

चाहे हमारी साख हो या एक-दूसरे को जोड़ने की क्षमता हो, या फिर नेतृत्व करने, समझा-बुझा कर अपना कायल करने और गोलबंद करने की योग्यता हो, ये सब बातें इस पर निर्भर करती हैं कि हमारे कार्यक्रम और विमर्श के बीच कितनी संगति है। सही मिसाल पेश करने से ज्यादा अच्छा सबक किसी और तरीके से नहीं मिल सकता। लेकिन, जनता के प्रति सम्मान की भावना न होने, दिए गए आश्वासनों को पूरा न करने और मूल्यों का उल्लंघन करने से ज्यादा नुकसानदेह कुछ और नहीं हो सकता। ध्यान रखने की बात यह है कि 'नई' और 'पुरानी' दुनिया का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हमें नव-उदारतावाद और समाजवाद के बीच चुनाव करना है, या महज तानाशाही और लोकतंत्र या युद्ध और शांति के बीच चुनाव करके रह जाना है। दरअसल, हमें अपने निकट के व्यक्तिगत और राजनीतिक हल्कों में एकजुटता और प्रतियोगिता के बीच, वफादारी और गद्दारी एवं परस्पर आदर और उपेक्षा के बीच भी चुनाव करना होगा।

सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, आध्यात्मिक और आर्थिक परिवर्तनों के लिए संघर्ष कर रहे संगठनों को बहुत से कार्यकर्त्ताओं, सहयोगियों और समर्थकों से काम लेना पड़ता है। उन्हें कई तरह की चीजें और सेवाएँ खरीदनी पड़ती हैं। टैक्स और तनख्वाहों का भुगतान करना पड़ता है। कुछ खास तरह की दुनियावी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। और, उन्हें प्रशासन और शासन की प्रक्रियाओं में जाना पड़ता है। अपनी विश्व-दृष्टि, अपने उसूलों और अपने मूल्यों को रोजमर्रा की गतिविधियों में लागू करने के

अवसरों का सदुपयोग करने का कर्तव्य पूरा करना पड़ता है।

हमारे सामने दूसरी चुनौती यह है कि हमें न केवल अपने विचारों, योजनाओं और आकांक्षाओं की पैरोकारी करने में अपनी ताकत खपानी है ताकि आंदोलन की चिंगारी सुलगती रहे, बल्कि उनका अमल हकीकत की जमीन पर करना होगा ताकि एक दूसरे तरह के भूमंडलीकरण और एक दूसरे तरह के समाज की रचना की जा सके। नाइंसाफी के खिलाफ अपने आक्रोश, उसकी भर्त्सना, विश्लेषण और चिंतन के साथ-साथ रणनीतियों का सूत्रीकरण करने, कार्य-योजनाएँ बनाने और उन्हें लागू करने की क्षमताएँ विकसित करना भी हमारे लिए बुनियादी महत्त्व की बात है। हम हमेशा केवल वही हो सकते हैं, जो हम करते हैं, न कि जो हम सोचते, कल्पना करते या कहते हैं। यह दुनिया जन-कार्रवाइयों का नतीजा है, और हमेशा रहेगी। यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, और लोग भी हमसे यही चाहते हैं और यही उम्मीद करते हैं।

मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि खूबी हमारे विचारों, सपनों और योजनाओं में ही नहीं है, बल्कि उन्हें हकीकत की जमीन पर उतारना बड़ी बात है। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रक्रिया ने चिंतकों, बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं को एक मंच पर जमा कर दिया है। विभिन्न संस्कृतियों ओर इतिहासों को मूर्तिमान करने वाली जनता और संगठनों के बीच एकता कायम की है। मुझे उम्मीद है कि चिंतन, नियोजन और जन-संपर्क का यह बेशकीमती आधार हमें कार्रवाई की तरफ ले जाएगा। अब यह पूरी तरह हमारे ऊपर है कि हम उन उम्मीदों और अपेक्षाओं को ठंडा न होने दें जो वर्ल्ड सोशल फोरम ने जगाईं हैं।

आखिर में मैं अच्छे साथियों की अहमियत पर जोर देना चाहूँगा। हमारी जिंदगी अच्छे साथियों के बिना नहीं गुजर सकती। ऐसे लोग हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत ही नहीं होते, बल्कि हमारी सार्थकता की खोज भी समृद्ध करते हैं। रास्ते भले ही अनजाने हों, पर हम उन पर चलना तो चाहते ही हैं। अच्छी सोहबत इन अनजाने रास्तों पर हमारा दिशा-बोध दुरुस्त करती रहती है। वर्ल्ड सोशल फोरम ऐसे ही अच्छे साथियों की वजह से है और उन्हीं की वजह से रहेगा। ऐसे ही लोगों के हाथों 'एक दूसरी दुनिया' बनेगी। चीको व्हिटेकर ऐसे ही लोगों की नुमाइंदगी करने वाला एक नाम है। उनका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और उनके प्रति मेरे हृदय में बड़ा स्नेह है। अपने राजनीतिक चिंतन, अपनी विश्व-दृष्टि, अपने निजी जीवन और आचरण के बीच संगति के आधार पर चीको ने अपने लिए अकूत विश्वसनीयता कमाई है। अगर कोई जानना चाहता है कि आखिर हम किस तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं, तो उसे चीको व्हिटेकर के जीवन और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर एक नजर डालना चाहिए। वहाँ उसे उस दूसरी दुनिया के कई घटक दिखाई देंगे। मुझे

अफसोस होता है कि चीको से मेरी मुलाकात इतनी देर से क्यों हुई, वरना मुझे उनकी जानकारियों और उनकी मिसाल से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता था। इस पुस्तक के पाठकों को चीको की नैतिक खूबियों, विचारों और राजनीतिक सक्रियता की सघनता में वर्ल्ड सोशल फोरम-प्रक्रिया के सच्चे विस्तार के दर्शन होंगे। इस पुस्तक से उस राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की क्रांतिकारी प्रकृति समझने में काफी मदद मिलेगी जो वर्ल्ड सोशल फोरम के माध्यम से सम्पन्न हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में निर्णयों और कार्रवाइयों के जरिए हम एक बेहतर दुनिया की तरफ कदम बढ़ा सकें, तो वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रक्रिया पर फिर से नजर डालना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है।

संदर्भ

1. वर्ल्ड सोशल फोरम आयोजित करने का विचार ओडिड ग्रेज्यू के दिमाग की उपज था। इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखें : परिशिष्ट-2, 'वर्ल्ड सोशल फोरम : उद्गम और उद्देश्य'। ओडिड सीआईवीईएस (ब्राज़ीलियन एसोशिएशन ऑव बिजनेस लीडर्स फार सिटीजनशिप) के सदस्य हैं। सन् 2000 से ही वे वर्ल्ड सोशल फोरम की संगठन समिति में इसी एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की इंटरनेशनल कौंसिल में भी वे इसी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्राक्कथन

वर्ल्ड सोशल फोरम का पहला आयोजन जनवरी, 2001 में पोर्टो अलेगरे, ब्राज़ील में हुआ था। शताब्दी के अवसान के साथ ही दुनिया के राजनीतिक मंच पर यह फोरम उन विरोध प्रदर्शनों और गोलबंदियों की लहर पर सवार हो कर छा गया जिन्होंने पिछले कुछ सालों में नव-उदारतावाद की स्वघोषित जीत को चुनौती दी थी। जैसे ही वर्ल्ड सोशल फोरम ने दावा किया कि 'एक और दुनिया मुमकिन है', वैसे ही उसकी पेशकश के पैर जमते चले गए। छोटी, बड़ी, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय मीटिंगों का एक सिलसिला चल निकला। पोर्टो अलेगरे में हुए फोरम की शैली में ही उनका आयोजन किया गया। उनमें भाग लेने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। ये सभी लोग पूँजी की चौधराहट से दबी हुई दुनिया के खिलाफ थे। उनकी चिंता यह थी कि पूँजीवाद के तर्क के मुताबिक मानव जगत में मची आत्मघाती आपाधापी कैसे रोकी जाए। इसीलिए, देखते ही देखते वर्ल्ड सोशल फोरम अपने समय की सर्वाधिक असाधारण राजनीतिक पहलकदमी बन गया।

आखिर फोरम इतना कामयाब क्यों हुआ? इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि फोरम की रचना और उसकी पेशकश समेत उसकी योजना सही समय पर बन गई थी। लेकिन, इसका एक अधिक गहरा कारण भी हो सकता है। हो सकता है कि फोरम इसलिए इतना कामयाब हुआ हो कि इसमें उन सभी राजनीतिक कार्यशैलियों का प्रयोग करने की गुंजाइश है जो एक समतामूलक और लोकतांत्रिक समाज की परिकल्पना के साथ फिट बैठती हैं। यह फोरम ताजा हवा के एक झोंके की तरह आया, जिससे नए क्षितिजों का उद्घाटन हुआ। संगठनों के नेटवर्कों और अन्य संरचनाओं के बीच वर्ल्ड सोशल फोरम ने क्षैतिज संबंध कायम करना पसंद किया और राजनीतिक कार्रवाई के दायरों को खोल दिया जिससे एक बार फिर हमारे भीतर यूटोपिया हासिल करने की तमन्ना जाग उठी और उत्साह फूट पड़ा।

अगर फोरम की लोकप्रियता और कामयाबी की यह व्याख्या सही है, तो फिर मानना होगा कि वर्ल्ड सोशल फोरम द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका काफी अहम है। सामाजिक

न्याय, एकजुटता और शांति का बोलबाला कायम करने में यह फोरम काफी योगदान करने वाला है।

चूँकि हमारा सम्पूर्ण भूमंडल पूँजी के प्रभुत्व के नीचे दबा हुआ है, इसलिए जरूरी है कि फोरम की पेशकश सारी दुनिया में फैले, हर जगह स्थानीय रूप से अपनी जड़ें जमाए और यह पूरी प्रक्रिया उसी बेताबी के साथ चलाई जाए जो मानवता के सामने मौजूद संकट का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। हर देश में राजनीतिक कार्रवाई को जितनी जल्दी हो सके बंधन मुक्त करके परिवर्तन के प्रभावी माध्यम में बदल देना चाहिए। केवल इसी तरीके से फौजीकरण और आतंकवाद (जिसकी हिंसा का मकसद साम्राज्यवादी प्रभुत्व से टकराना है) की तरफ बढ़ता हुआ रुझान रोका जा सकता है। केवल इसी तरीके से हम धरती पर जीवन की निरंतरता की गारंटी कर सकते हैं।

इन बातों से साफ है कि वर्ल्ड सोशल फोरम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उसने जो काम शुरू किया है उसे कैसे जारी रखा जाए। दुनिया की चौपाल के रूप में शुरू हुए फोरम का यही चरित्र आगे भी कैसे कायम रखा जाए?

* * *

इस पुस्तक के पृष्ठों में वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रक्रिया पर एक खास शैली में गौर किया गया है। यह विचार-दृष्टि उस राजनीतिक अंतर्ज्ञान से मेल खाती है जिसे पहले फोरम से ही इसके आयोजक ठोस रूप से कार्यान्वित करना चाहते हैं। इस सामूहिक उद्यम में शामिल बहुत से लोग किसी न किसी रूप में, पूरी तरह या अंशत: और कुछ कम या ज्यादा शिद्दत के साथ, इस विचार-दृष्टि में साझेदार हैं। लेकिन, इस विचार-दृष्टि के अलावा भी विचार-दृष्टियाँ संभव हैं। इसलिए इस बहस को आगे चलाते रहना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक इस प्रयास में योगदान करेगी।

मुझे यह भी उम्मीद है कि यह पुस्तक उन लोगों को भी वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में बताएगी जो अभी तक इसके बारे में नहीं जान पाए हैं। और, जो लोग इस महान मानवीय उद्यम में शामिल होना चाहते हैं और जिन्होंने तय कर लिया है कि वे भी इन पृष्ठों में वर्णित नजरिए को अपनाना चाहते हैं, उन्हें यह पुस्तक बता सकती है कि सोशल फोरमों के आयोजन का क्या तरीका हो सकता है।

* * *

वर्ल्ड सोशल फोरम-प्रक्रिया का यह ब्योरा एक तरह का साक्ष्य भी है। सभी साक्ष्यों की तरह मैंने इसे निजी हैसियत से ही दिया है। इन पृष्ठों पर छपी नयी या पुरानी सामग्री में मैंने अपना अनुभव ही वर्णित किया है। इनमें साक्षात्कारों के दौरान दिए गए मेरे जवाब दर्ज हैं और उन घटनाओं का ब्योरा है जो मेरी मौजूदगी में हुईं या जिनमें मैंने भी हिस्सा लिया। कहना न होगा कि फोरम के इतिहास में ऐसे प्रकरणों का भी योगदान है जो मेरी जानकारी के दायरे में नहीं आते। कहना न होगा कि जिन प्रकरणों का वर्णन मैंने किया है उनकी व्याख्या भिन्न तरीके से भी हो सकती है।

जाहिर है कि मेरा यह वृत्तांत आंशिक ही होगा। पोर्टो अलेगरे में हुए पहले फोरम के बाद इस प्रक्रिया की एक कहीं जटिल तस्वीर उभरी है जिसका चित्रण उन सभी साथियों के अनुभव जमा करके ही किया जा सकता है जिन्होंने इस मुहिम में भागीदारी की है। इसलिए मैं इस पुस्तक को ऐसे सभी निजी साक्ष्यों के लिए एक निमंत्रण की तरह भी देखता हूँ।

* * *

सभी रचनाएँ किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामूहिक प्रयास का नतीजा ही होती हैं। यह पुस्तक भी कई लोगों के चिंतन और योगदान का विस्तृत जोड़ है। लेखक के रूप में यह जरूरी है कि मैं इन सभी लोगों का खास तौर से शुक्रिया अदा करूँ। मैं स्टेला का शुक्रगुजार हूँ जो पिछले पचास साल से मेरी जीवन-सहचर हैं। उन्होंने मुझे यह किताब लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अनुवाद और संशोधन में मेरी मदद की, और इसे पठनीय बनाया। मैं अपने बच्चों, अपनी बहू और अपने दामाद का भी आभारी हूँ जो पुस्तक की विषयवस्तु पर सोच-विचार करते समय हमेशा मेरे साथ रहे और उन्होंने कम्प्यूटर पर काम करके मेरी मदद की। सेलिना और ओलिवियर ने हमें अपने घर में रहने दे कर पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करने का मौका दिया। फोरम आयोजित करते समय मेरा साथ देने वाले बहुत से दोस्तों और सहयोगियों का भी मैं कृतज्ञ हूँ। उनके साथ मैं तरह-तरह की चर्चाएँ करता रहा हूँ। मैं उन लोगों का भी आभारी हूँ जिन्होंने दस्तावेजों का अनुसंधान करने में मेरी मदद की। मुझे फंडाकाओ अविना को भी धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने पुस्तक लेखन के लिए मुझे आर्थिक सहायता दी। मैं फंडाकाओ परस्यू अब्रामो और इडिकोस लोयेला का आभारी हूँ कि उन्होंने सन् 2005 के वर्ल्ड सोशल फोरम के दौरान इस पुस्तक के विमोचन के लिए काफी कोशिशें कीं। मेरा विचार है कि इस पुस्तक के जरिए वर्ल्ड सोशल फोरम को समझने में हमें मदद मिलेगी जिससे हम एक बेहतर दुनिया बनाने की तरफ बढ़ पाएँगे।

परिचय

1. वर्ल्ड सोशल फोरम और दूसरी दुनिया के लिए जद्दोजहद

वर्ल्ड सोशल फोरम का परिचय उसके आयोजन की तारीख में ही निहित है।[1] जब वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम होता है, तो ठीक उसी तारीख को वर्ल्ड सोशल फोरम प्रति-सम्प्रेषण[2] की कार्रवाई की तरह आयोजित किया जाता है। इकॉनॉमिक फोरम अगर पूँजीवाद के विजयनाद के तहत सिर्फ 'एक तरह के सत्य' की दावेदारी का नाम है जिसके लिए दुनिया भर का मालिक वर्ग एक साथ दावोस में जमा होता है, तो वर्ल्ड सोशल फोरम उसका मुकाबला करने के लिए 'एक और दुनिया संभव है' जैसा यूटोपियायी ख्याल पेश करता है।

प्रति-सम्प्रेषण की कार्रवाई शुरू करते समय उसके आयोजकों ने एक कदम और आगे बढ़ कर प्रस्ताव किया था कि नव-उदारतावाद के इस विरोध को क्यों न उसके अपने प्रस्तावों पर केंद्रित किया जाए। जब इस विचार को धरती पर उतारने का मौका आया तो वे और आगे चले गए और वर्ल्ड सोशल फोरम आयोजित कर डाला। इस आयोजन का मतलब था उन राजनीतिक अंतर्दृष्टियों के एक सिलसिले पर अमल करना जो मानव जाति ने हर तरह की चौधराहट से पिंड छुड़ाने के अपने लंबे तजरुबे से हासिल की थीं (देखें परिशिष्ट-8 : 'स्थापित व्यवस्था के खिलाफ नागरिक विद्रोह')।

इस आयोजन की पहलकदमी ने सारी दुनिया से सामाजिक नेताओं, कार्यकर्ता-बुद्धिजीवियों और जमीनी स्तर पर काम कर रहे जुझारू तत्त्वों को अपनी ओर खींचा। इन सब की मिली-जुली कोशिशों से ये अंतर्दृष्टियाँ ज्यादा ठोस और सटीक बनती चली गईं। आज वर्ल्ड सोशल फोरम पर तरह-तरह की गतिविधियों की जिम्मेदारी है। चूँकि फोरम राजनीतिक पहलू पर खास तौर से जोर देता है, इसलिए इतने तरह की गतिविधियाँ चलाना उस जैसे सांगठनिक बंदोबस्त के बूते की ही बात है।[3]

पहली बात तो यह है कि वर्ल्ड सोशल फोरम एक नए राजनीतिक अभिनेता यानी नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) के लिए रास्ता साफ कर रहा है ताकि वह दुनिया के

स्तर पर हर देश में उभर कर सुदृढ़ हो सके। फोरमों की आयोजन-शैली कुछ इस किस्म की है जिससे नागरिक समाज को मजबूत करने के तौर-तरीकों की तरफ इशारा मिलता है। दरअसल, फोरम अपने सहभागी संगठनों के बीच स्तंभीय के बजाय एक क्षैतिज संबंध कायम करता है। ये संगठन एक-दूसरे को मान्यता देते हुए सीखने की प्रक्रिया में जाते हैं जहाँ प्रतियोगिता और वर्चस्व के संघर्ष के लिए बजाय सहयोग और परस्पर जुड़ने पर जोर होता है।

दूसरी बात यह है कि फोरम के जरिए हमें दुनिया बदलने के नए तरीकों का एहसास हो रहा है। दुनिया बदलना प्रतिरोध के जरिए सत्ता पर कब्जा करने का ही नाम नहीं है, बल्कि इसके लिए तरह-तरह की राजनीतिक कार्रवाइयों की जरूरत होती है। फोरम बताता है कि ये राजनीतिक कार्रवाइयाँ लाजमी तौर पर हर समाज में भीतर से बाहर की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ विकसित होनी चाहिए। इनमें समाज के हर सदस्य की शिरकत उसकी अपनी ठोस जरूरतों के आधार पर होनी जरूरी है।

फोरम के अनुभव से स्पष्ट है कि ऐसे परिवर्तनों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऊपर से प्रस्तावित या थोपे गए समाज के किसी संपूर्ण और आदर्श मॉडल[4] की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोरम इस मामले में साफ है कि ऐसा कोई परिवर्तन टिकाऊ नहीं हो सकता जिसमें भीतर से बाहर की तरफ समाज के प्रत्येक व्यक्ति की शिरकत के साथ आंतरिक परिवर्तन संपन्न न हुआ हो।

तीसरी बात यह है कि वर्ल्ड सोशल फोरम ऐसी गुंजाइशें प्रदान कर रहा है जिनमें लोग एक खास तरह की राजनीतिक कार्रवाई करना सीख सकते हैं। यह राजनीतिक कार्रवाई विविधता और बहुलता के आदर पर आधारित होगी। यह सत्ता की खातिर संघर्ष नहीं करेगी, बल्कि एक तरह की सेवा की तरह उभरेगी, इस यकीन के साथ कि हमारे साधनों के मुताबिक ही अंतत: हमारे साध्य की रचना होने वाली है। वर्ल्ड सोशल फोरम हमें याद दिलाता है कि पुरानी दुनिया में किए जाने वाले आचरण के आधार पर दूसरी दुनिया नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए एक नई राजनीतिक संस्कृति की रचना करना बहुत जरूरी है।

2. वर्ल्ड सोशल फोरम की मध्यवर्ती और सहायक प्रकृति

वर्ल्ड सोशल फोरम की इन गतिविधियों को फोरम द्वारा शुरू की गई एक प्रक्रिया की संज्ञा देना उचित होगा। इस प्रक्रिया से साफ पता चलता है कि जिस दूसरी दुनिया के निर्माण की बातें की जा रही हैं, उसे यह फोरम नहीं बनाएगा। फोरम नहीं, बल्कि समाज ही दुनिया बदलेगा। फोरम तो बदलाव के इस संघर्ष में एक मध्यवर्ती भूमिका ही निभाएगा। फोरम

का योगदान राजनीतिक कार्रवाई के अन्य औजारों से अलग खास किस्म का होगा ताकि हमें दुनिया बदलने का मकसद हासिल हो सके। यह भिन्न चरित्र ही फोरम को एक ऐसे औजार में बदल देता है जिसे राजनीतिक कार्रवाई में संलग्न अन्य शक्तियों के सहायक की भूमिका निभाना है।

दरअसल, फोरम की प्रकृति मध्यवर्ती और सहायक किस्म की माने बिना उसके वजूद की निरंतरता की गारंटी नहीं की जा सकती। फोरम इससे ज्यादा न तो कुछ हो सकता है, और न ही वह ऐसी जिम्मेदारियाँ उठा सकता है जो दरअसल उसके दायरे में नहीं आतीं। अगर फोरम को नव-उदारतावाद के मुकाबले खड़ी होने वाली बड़ी एक राजनीतिक ताकत में बदल दिया गया तो नतीजे के तौर पर उसे अपनी मौजूद गतिविधियाँ छोड़नी पड़ेंगी। उसका विस्तार और सारी दुनिया में जड़ जमाने का सिलसिला रुक जाएगा।

यही है वह परिप्रेक्ष्य जिसके तहत यह पुस्तक वर्ल्ड सोशल फोरम की चर्चा करती है। इसी परिप्रेक्ष्य के तहत उस भूमिका की चर्चा की गई है जो फोरम द्वारा व्यापक संघर्ष के अंग के रूप में निभाई जा रही है। यही वजह है कि इन पृष्ठों में दुनिया को अपने हितों का ताबेदार बनाने वाली ताकतों की रणनीतियों का ऐतिहासिक और परिस्थितिजन्य विश्लेषण नहीं किया गया है। न ही यह बताया गया है कि पूँजीवादी प्रणाली कैसे विकसित हुई। इन पन्नों में उसके प्रभुत्व के विस्तार की शर्तों की चर्चा भी नहीं मिलेगी। न ही अपने प्रभुत्व को कायम रखने और बढ़ाने के उसके तरीकों या उसके सामाजिक परिणामों पर कोई रोशनी डाली गई है। न ही इस पुस्तक की दिलचस्पी पूँजीवादी व्यवस्था का प्रतिरोध करने के रूपों पर गौर करने में है। न ही वह सूत्रीकरण के दौर से गुजर रहे विकल्पों की बात करती है। यह किताब उन किस्म-किस्म के प्रस्तावों के बारे में भी जानकारी नहीं देती जिन पर विभिन्न फोरमों में बहस की गई है या जो उससे जुड़ी पहलकदमियों की देन हैं।

यह पुस्तक तो केवल और सिर्फ केवल उन शर्तों पर विचार करती है जो ऐसे सभी प्रस्तावों और पहलों के लिए जरूरी हैं जिनके बिना फोरम की प्रक्रिया द्वारा स्वतंत्र और लोकतांत्रिक रूप से एक अलग तरह के विश्व की रचना नहीं की जा सकती।[5]

3. 'गुजरे जमाने के राजनीतिक रूपों से काम नहीं चलने वाला!'

इस पुस्तक की एक-एक पंक्ति आशावाद से धड़क रही है। इसलिए, पाठकों को लग सकता है कि वर्ल्ड सोशल फोरम का रास्ता आसान है। असल में फोरम के लिए अपनी निर्दिष्ट भूमिका निभाते रहना कतई आसान नहीं है। दिक्कत यह है कि पूँजी के राज्य को पराजित

करने के लिए पिछली सदी में और आज भी इस्तेमाल किए जाने वाले राजनीतिक जद्दोजहद के रूप[7] लोगों के दिलो-दिमाग और उनकी तकलीफों में अंकित हो चुके हैं। संघर्ष के इन रूपों को पुरानी दुनिया का राजनीतिक आचरण करार देना ऐसे बहुत से लोगों को अनादरपूर्ण लग सकता है जिन्होंने पूँजी का दानव नष्ट करने में अपना सारा जीवन खपा दिया और बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ दीं।

दरअसल, होता यह है कि जिस मेज पर कोहनियाँ टिका कर लोग वर्ल्ड सोशल फोरम आयोजित करने से जुड़े नए विचार सुन रहे होते हैं, उसी मेज के नीचे एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस छिपा रहता है। इसे पुरानी दुनिया के राजनीतिक आचरणों से पानी मिलता है। उसकी लंबी और मजबूत सूड़ें मेज के चारों तरफ लगातार प्रगट होती रहती हैं। उनकी कोशिश रहती है कि जो कुछ भी नया रचा जा रहा है, उसे कैसे खींच कर नीचे डाल दिया जाए। लगता है कि यह ऑक्टोपस ऐसे हर काम को रोकना चाहता है जो उसे बढ़ने और जीवित रहने से रोकने वाला हो। उसकी सूड़ें हर क्षण हजारों बार नए-नए भेस में वही पुरानी चाल चलते हुए कुलबुला कर निकलती रहती हैं।

हमें इस ऑक्टोपस के साथ रहना सीखना होगा। साथ ही इसकी भूख घटाने या इसे कम हमलावर बनाने की कोशिश करते रहनी होगी। पिछली सदी के लंबे संघर्ष के संदर्भ में जो भी अच्छा या बुरा कहा या किया गया है, उसके बारे में काफी-कुछ समझना अभी हमारे लिए बाकी है। लेकिन, अगर हमने सतर्कता त्याग कर ऐसी प्रवृत्तियों को यहाँ-वहाँ पनपने का मौका दिया तो यह ऑक्टोपस हर नए काम को मेज के नीचे खींच लेगा और उसे उस समय तक कमजोर करता रहेगा जब तक पूरा शीराजा नहीं बिखर जाता। अगर ऐसा हुआ तो हमें अपने कदम वापस खींचने होंगे।

मुझे उम्मीद है कि अतीत में अपनाए गए संघर्ष के इन रूपों के प्रति हमारी कृतघ्नता को शायद यह ऑक्टोपस माफ कर देगा। लेकिन, हमें उसके बार-बार उग आने वाले हाथों को काटना पड़ेगा जिस तरह गर्भनाल काटना लाजमी होता है। इस सदी का अंत न जाने कितनी निराशाओं और कुंठाओं के साथ हुआ है, और हम इस नाकामी के कारणों पर पार पाने के नैतिक दायित्व से बंधे हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि वर्ल्ड सोशल फोरम नई दुनिया की तरफ कदम बढ़ाने वाली राजनीतिक कार्रवाई को मजबूत करने और वास्तव में परिवर्तनकारी बनाने की भूमिका निभाए तो हमें उसे पुरानी दुनिया के इस ऑक्टोपस से उसकी हिफाजत करनी ही होगी।[8]

वर्ल्ड सोशल फोरम का भविष्य वास्तव में क्या है? एक भारतीय अखबार ने मुझसे दिसंबर, 2003 में यही सवाल पूछा था। इसके जवाब में मैंने कहा था :

> मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड सोशल फोरम का भविष्य क्या होने वाला है। पर मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि उसका प्रसार सारी दुनिया में हो। वह लोगों को अधिक से अधिक चेतना-सम्पन्न करे, और नई संस्कृति के अनुभव का विस्तार करता चला जाए। मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड सोशल फोरम दुनिया बदलने के मकसद से अधिक से अधिक गोलबंदी करे, ठोस पहलकदमियाँ ले, और नए-नए प्रस्ताव रखे।

मैं अपनी इस चर्चा को वाक्लाव हावेल के एक कथन से समाप्त करना चाहूँगा जिसमें उन्होंने कहा था : 'इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक परिवर्तन समाज की जागरूकता का कारण नहीं, बल्कि उसका अंतिम परिणाम होता है।'

4. इस पुस्तक के बारे में

यह पुस्तक लिखने के लिए मैंने पिछले पाँच सालों में छपे अपने लेखों और साक्षात्कारों की सामग्री का इस्तेमाल किया है। पहले मैं वर्ल्ड सोशल फोरम की आयोजन समिति का सदस्य था जो बाद में उसकी इंटरनेशनल कौंसिल के सचिवालय[9] में बदल गई। इस कौंसिल के सदस्य के तौर पर मैंने वर्ल्ड सोशल फोरम के सभी संस्करणों के आयोजनों को संगठित करने में शिरकत की। उससे जुड़े सभी राष्ट्रीय, क्षत्रीय और स्थानीय फोरमों के आयोजन में भी मेरी भूमिका रही।

मैंने पुस्तक की शुरुआत में ही वर्ल्ड सोशल फोरम के सिद्धांतों का घोषणापत्र दिया है, जो फोरम के पूरे संदर्भ को स्पष्ट कर देता है। इस चार्टर का मसविदा तैयार करने और उसके तात्पर्य के बारे में मैंने अध्याय 1:5 में चर्चा की है (देखें 'सिद्धांतों का घोषणापत्र'; अध्याय 3:6 भी देखें, 'सिद्धांतों का घोषणापत्र–प्रश्न और मुद्दे')। यह चार्टर वर्ल्ड सोशल फोरम का एक ऐसा बुनियादी दस्तावेज है जिसके साथ किसी भी स्तर पर आयोजित किए गए फोरम को अपनी संगति बैठानी ही होगी। चार्टर में दर्ज उसूलों पर तात्पर्य और शब्द के स्तर पर अमल उन शर्तों की गारंटी हो सकती है जो इस पुस्तक के शीर्षक से निकलने वाली चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी हैं।

पहले अध्याय ('शुरू के दिन') में वर्ल्ड सोशल फोरम के प्रथम आयोजन से पहले उठाए गए कदमों के बारे में ऐतिहासिक सूचनाएँ दी गई हैं। दूसरे अध्याय ('सोशल फोरम : आयोजन के आधार बिंदु') के शीर्षक से ही जाहिर है कि फोरमों के आयोजकों के सामने कौन-कौन से मुख्य विकल्प थे। मुझे उम्मीद है कि अगर कोई इस पुस्तक में पेश की गई विचार-दृष्टि के आधार पर कोई फोरम आयोजित करना चाहता है तो उसे ये संकेत उसके लिए मददगार हो सकते हैं।

तीसरे अध्याय ('कुछ मुद्दे : कुछ बहसें'), चौथे अध्याय ('नजरिए का सवाल') और पाद टिप्पणियों में मैंने उन ठोस परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी है जिनसे फोरमों की आयोजन प्रक्रिया के दौरान हमारा साबका पड़ता रहा है। मैंने उन कठिनाइयों के बारे में भी बताया है जिनका हमें सामना करना पड़ा। साथ ही फोरमों के आयोजनों से उपजे अवसरों का जिक्र भी किया गया है। पाठकों को दिखेगा कि इन दोनों अध्यायों और पाद टिप्पणियों में उन्हीं मुद्दों पर दोबारा निगाह दौड़ाई गई है जिन्हें पिछले अध्यायों में उठाया गया था। फिर भी मेरे ख्याल से पाठकगण इनकी उपयोगिता समझ सकेंगे। खास तौर से प्रकाशित साक्षात्कारों के अंश उन्हें आकर्षित करेंगे। इन उद्धरणों से पता लगता है कि उस समय उठे प्रश्नों और शंकाओं का समाधान किस तरह किया गया था।

परिशिष्टों में मेरे कुछ महत्त्वपूर्ण लेख उनके प्रकाशन की तारीख के हिसाब से पूर्णत: या अंशत: दिए गए हैं। इन्हें मैंने फोरमों की आयोजन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही समय-समय पर लिखा है। केवल पहला लेख 'वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में बहस से संबंधित कुछ नोट्स' अपवाद है। यह लेख फोरम के सामने खड़ी मुख्य चुनौतियों को समझने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण है।

पुस्तक का पहला संस्करण पुर्तगीज भाषा में प्रकाशित हुआ था। उसका यह संस्करण सन् 2005 के आखिर में आया। मैंने इसमें कुछ टिप्पणियाँ भी शामिल कर दी हैं जिनसे सन् 2005 में पोर्टो अलेगरे में हुए वर्ल्ड सोशल फोरम से संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं। सन् 2005 के वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में मैंने लंदन स्कूल ऑव इकॉनॉमिक्स की सन् 2005-2006 की इयर बुक के लिए एक लेख लिखा था। परिशिष्ट में इसे भी शामिल कर दिया गया है। इसका मकसद वर्ल्ड सोशल फोरम पर चल रही चर्चा के बारे में और ताजा जानकारी प्रदान करना है।

इस पुस्तक को पढ़ने जा रहे लोग अगर चाहें तो परिशिष्ट में दी गई सामग्री से शुरुआत कर सकते हैं। इन लेखों में उन तमाम मुद्दों पर विभिन्न रूपों में विचार किया गया है जिनकी चर्चा पुस्तक के मुख्य पाठ में है। यह पाठक की पसंद पर निर्भर करता है कि वह चाहता क्या है। अगर वह कार्रवाई के औजार के तौर पर किताब का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके लिए मुख्य पाठ उपयोगी होगा। अगर वह फोरम के बारे में जानना चाहता है तो उसके लिए परिशिष्ट ही काफी रहेगा।

बहरहाल, हर हालत में यह पूरी पुस्तक सिर्फ एक काम करती है, और वह है दुनिया बदलने के महान लक्ष्य को प्रभावी ढंग से और बिना देर किए हासिल करने हेतु चिंतन सामग्री प्रदान करना।

संदर्भ और टिप्पणियाँ

1. वर्ल्ड सोशल फोरम का सन् 2001, 2002 और 2003 में आयोजन ठीक उन्हीं तारीखों में किया गया जब दावोस में वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम की बैठक हो रही थी। सन् 2004 में भारत में हुए इसके आयोजन की तारीख दावोस की बैठक से कुछ दिन पहले रखी गई थी ताकि गणतंत्र दिवस की तारीख बीच में न आए। सन् 2005 में फोरम फिर दावोस वाली तारीख पर ही आयोजित किया गया। इसी तरह सन् 2006 में वेनेजुएला, माली और पाकिस्तान में एक साथ किए जाने वाले तीन फोरम दावोस वाली तारीख पर ही होंगे।
2. जुलाई 2003 को सल्वाडोर, बाहिया स्टेट, ब्राज़ील में कम्युनिकेशन पेस्टोरल ऑव दि ब्राज़ीलियन एपीस्कोपल कांफ्रेंस (सीएनबीबी) द्वारा आयोजित *मुट्रिडो नेशनल डि कम्युनिकैडोरस* नामक चर्चा में मैंने कहा था : 'एक ऐसे फोरम के आयोजन के लिए, जिसके केंद्र में मनुष्य होगा न कि बाजार, दावोस वाली ही तारीख चुनना एक सम्प्रेषण-रणनीति थी। जिस संख्या में लोगों ने वर्ल्ड सोशल फोरम में हिस्सा लिया (पिछले आयोजन में एक लाख लोगों की शिरकत रही), उससे साबित होता है कि यह सम्प्रेषण-रणनीति कितनी कामयाब रही।'
3. फोरम के आयोजक अपनी सीमाओं से वाकिफ थे। उन्हें उस बंदोबस्त की सीमाओं का भी एहसास था जो उन्होंने खड़ा किया था। भारत में वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजन समिति के सदस्य प्रबीर पुरकायस्थ और अमित सेन गुप्ता ने फोरम की आयोजन से पहले ही एक लेख में इस ओर इशारा किया था : 'यह किसी भी अर्थ में कोई संपूर्ण प्रक्रिया नहीं है। लेकिन अगर हम इंतजार करते रहे कि शायद संपूर्ण प्रक्रिया हमारे सामने परोस दी जाएगी, तो हमारी प्रतीक्षा व्यर्थ ही जाएगी। आइए, इस प्रक्रिया को अधिक समावेशी और साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम बनाने हेतु प्रयास करें।'
4. इन मॉडलों को आम तौर पर 'राजनीतिक परियोजनाओं' के साथ जोड़ कर देखा जाता है। पत्रकारगण इससे जुड़े सवाल अक्सर पूछते हैं। सन् 2003 के फोरम के दौरान भी ब्राज़ीली साप्ताहिक *कैरोस अमिगोस* ने मुझसे यही पूछा था : 'लेकिन, इसमें कोई राजनीतिक परियोजना तो दिखाई ही नहीं पड़ रही है?' इस पर मेरा जवाब था : 'देखिए, पत्रकारगण हमेशा जानना चाहते हैं कि इस प्रस्ताव में ठोस बात क्या है, और अंतिम दस्तावेज क्या होगा? वे यह नहीं देख पाते कि फोरम तो एक प्रक्रिया है जो सारी दुनिया में अन्य फोरमों के आयोजनों का रास्ता खोलती है। यह प्रक्रिया नेटवर्कों के आधार पर चल रहे आंदोलनों को आपस में जोड़ती है। आज यहाँ मौजूद एक लाख लोग इस बात के सबूत हैं कि यह सिलसिला विकसित होता ही चला जाएगा।'
5. सन् 2004 में फ्रांसीसी पत्रिका *क्लार्क* ने एक साक्षात्कार में मुझसे पूछा था : 'आप जिस दूसरी दुनिया की पेशकश कर रहे हैं, वह ठोस रूप में कैसी होगी?' इसके उत्तर में मुझे एक सरल सी लेकिन लंबी बात कहनी पड़ी : 'हम जिस तरह की नई दुनिया चाहते हैं, उसे कल्पित करना

कठिन नहीं है। यह दुनिया शांति की होगी, और इसीलिए युद्ध और हिंसा से मुक्त होगी। यह दुनिया लोगों के बीच दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा देगी। इसलिए इसमें ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं होगी जिसके लिए खून-खराबा करना पड़े। यह दुनिया प्रकृति का सम्मान करेगी, इसलिए इसमें ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जाएगी जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे और हमारे भूमंडल का भविष्य ही खतरे में पड़ जाए। इस दुनिया में राजनेताओं की जिम्मेदारी सामूहिक सम्पत्ति के हितों की सेवा करना होगी, न कि अपने निजी हितों की। इस दुनिया में मुट्ठी भर लोगों के पास ही नहीं, बल्कि सभी के पास रोज पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री होगी और कम से कम इतने साधन होंगे कि वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इस दुनिया में हमारे जीवन और हमारी जीवन-शैलियों पर न तो धन का प्रभुत्व होगा, और न ही उनकी डोर धन के हाथों में रहेगी। एक साधन के रूप में धन का आविष्कार मनुष्य ने ही किया था, पर अब वह अपने आविष्कारकर्ता पर ही हावी हो गया है। इस दुनिया में नस्ल, धर्म, संस्कृति और लिंग आदि पर आधारित दुराग्रह, अवमानना और पक्षपात नहीं होगा। यह एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें लोग ज्यादा और ज्यादा उपभोग करना और अधिक से अधिक चीजों का स्वामी बनना ही अपनी जिंदगी का मकसद नहीं मानेंगे। बजाय इसके वे गरिमा के साथ एक ऐसा बेहतर इनसान बनना पसंद करेंगे जो दूसरे की गरिमा का सम्मान करता हो। इस दुनिया में धनपति बनने के मौजूदा रवैये के बजाय भौतिक मूल्यों से परे जाने वाले आदर्श का अनुपालन करने की कोशिश की जाएगी। कुल मिला कर यह एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें हम बिना किसी डर के एक-दूसरे के प्रति प्रेमभाव के साथ रह पाएँगे। इस दुनिया में नागरिकों के पास पूरे अधिकार होंगे, और उनकी हस्ती को उनकी खरीद शक्ति के आधार पर उपभोक्ता के साँचे में ढालने की कोशिश नहीं होगी। जाहिर है कि यह दुनिया पूरी तरह एक यूटोपिया है। लेकिन, यह जानते हुए भी कि यह दुनिया व्यावहारिक रूप से हासिल नहीं की जा सकती, हम सभी इसका स्वप्न देखते हैं। अगर हमने उम्मीद कायम रखी, कम से कम इस दुनिया की तरफ बढ़ना जारी रखा, कदम-ब-कदम संरचनाओं और व्यवहार-शैलियों में तब्दीलियाँ लाते रहे (हम जानते हैं कि एकमुश्त परिवर्तन अंत में निष्प्रभावी साबित होते हैं), या टुकड़ों में, द्वीपों के रूप में अपने भीतर और अपने आस-पास यह नई दुनिया बनाते रहे, तो इसके नतीजे कल्याणकारी ही निकलेंगे। ये कोशिशें हमें खुशी देंगे, इन प्रयासों से हम अपने आस-पास की दुनिया भी थोड़ा खुशनुमा बनाएँगे, और धीरे-धीरे इस यूटोपिया के नजदीक पहुँचेंगे ...।'

6. मैं इस प्रक्रिया को 'लर्निंग टु अनलर्न' कहता हूँ। यह अभिव्यक्ति मैंने एलन बर्थो से ली है जिन्होंने यूरोपीय सोशल फोरम में भाग लिया था। बर्थो ने फ्रांस के सेंट डेनिस में हुए फोरम समेत स्थानीय सोशल फोरमों में भी शिरकत की है। वे सेंट डेनिस में ही रहते हैं। फ्रांस में ही बुरेस-सुर-यवीटे में हुए सोशल फोरम के एक वर्कशॉप में 7 फरवरी 2004 को उन्होंने इस अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया था। इससे पता लगता है कि इस प्रक्रिया में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए किस किस्म के दिमागी संशोधन की दरकार है। पिछली एक सदी से हमें राजनीति और राजनीतिक कार्रवाई के निश्चित तौर-तरीके की आदत पड़ गई है। पर, अब यह राजनीतिक शैली प्रश्नांकित की जाने लगी है। अगर नई दुनिया बनानी है तो हमें पुराने खाँचों और आदतों से मुक्त होना होगा। पहले के जमाने में सीखी गई बातों को दिमाग से निकालना सीखना होगा।

7. सन् 2004 के एजेंडा अमेरिकानो के लिए वर्ल्ड सोशल फोरम पर लिखे गए एक लेख में मैंने बर्थो द्वारा प्रस्तुत एक बिम्ब दोहराया था : 'इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेने का सीधा मतलब एक ऐसी राजनीतिक कार्रवाई में हिस्सा लेना है जो हमें नए सिरे से शिक्षित करती है, और वह सब भूलने में मदद करती है जो पिछली एक सदी से या उससे भी ज्यादा समय से हमें सिखाया गया है।' *एफएसई 2003* नामक पुस्तक के लिए सन् 2004 में लिखे गए एक लेख *क्रोनिका डि उम एनकोंट्रो सिडेडाओ* में मैंने और भी स्पष्टता से कहा था : 'इस फोरम में हमें दुनिया बदलने की खातिर अपनी पुन: शिक्षा के लिए निमंत्रण मिला है। हमें अपना व्यवहार बदलना है, और अपनी कार्रवाइयों की नियोजन-शैली में परिवर्तन लाना है। दूसरी दुनिया उस पुरानी दुनिया के तौर-तरीकों से नहीं बन सकती जिसके परे जाना हमारा मकसद है।'

8. राजनीतिक कार्रवाई के दौरान अक्सर यह भ्रम हो जाता है कि हमने सत्य पा लिया है। वर्ल्ड सोशल फोरम ने एक ऐसे जटिल सिलसिले को जन्म दिया है जिसे हमेशा समझ पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। भले ही हम सही रास्ते पर चल रहे हों, हमें चेक गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति वाक्लाव हावेल के शब्द नहीं भूलना चाहिए जो वे अक्सर कहा करते थे। उन्होंने यह बात उन लोगों के बारे में कही थी जो उनके देश में चले लंबे राजनीतिक नाटक के दौरान 'सत्य के दायरे के भीतर' बने रहने में कामयाब रहे और साथ में अपनी मानवीय गरिमा की रक्षा भी कर पाए। हावेल के मुताबिक 'यह जानना स्वाभाविक रूप से नामुमकिन होता है कि चौराहों से भरे हुए कब और किस अदृश्य रास्ते पर किसी यथार्थपरक कार्रवाई या अख्तियार की गई स्थिति के जरिए सत्य के कीटाणु क्रमश: आगे बढ़ते हुए 'असत्य के दायरों' का क्षय कर देते हैं।'

9. वर्ल्ड सोशल फोरम की इंटरनेशनल कौंसिल का सचिवालय सन् 2004 में उस समय अंतर्राष्ट्रीय चरित्र ग्रहण कर पाया जब ब्राज़ील की वर्ल्ड सोशल फोरम आयोजन समिति और मुंबई, भारत में उसी साल हुए वर्ल्ड सोशल फोरम की आयोजन समिति के सदस्य उसमें शामिल हुए। चूँकि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रक्रिया का विस्तार होता जा रहा है, इसलिए एक ऐसी संरचना बनाने का प्रयास है जो इस विस्तार को समझ सके और कौंसिल को आयोगों की शक्ल में सक्रिय कर सके।

सिद्धांतों का घोषणापत्र

सिद्धांतों का घोषणापत्र यानी चार्टर ऑव प्रिंसिपल
वर्ल्ड सोशल फोरम का बुनियादी दस्तावेज है।
प्रत्येक स्तर पर इस दस्तावेज के प्रस्तावों के मुताबिक
आयोजित होने वाले सभी तरह के फोरमों के लिए इसी
चार्टर को आधार बनाना आवश्यक है। फोरम की साइट
>डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.फोरमसोशलमुंडियल.ओआरजी.बीआर<
पर यह चार्टर ऑव प्रिंसिपल उपलब्ध है।

पोर्टो अलेगरे में 25 से 30 जनवरी 2001 तक पहला वर्ल्ड सोशल फोरम हुआ था। इसकी संकल्पना और आयोजन करने वाली ब्राज़ीलियन संगठनों की कमेटी ने इसके परिणामों और इससे निकली अपेक्षाओं का आकलन करने के बाद फोरम के सिद्धांतों का एक घोषणापत्र तैयार करने की आवश्यकता महसूस की ताकि यह पहल और आगे बढ़ाई जा सके।

वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रक्रिया में भाग लेने वालों और इसके अन्य संस्करणों का आयोजन करने वालों के लिए इस चार्टर में निर्दिष्ट सिद्धांतों पर चलना आवश्यक है। इन सिद्धांतों में उन निर्णयों को ठोस रूप दिया गया है जो पोर्टो अलेगरे में लिए गए थे और जिनके कारण इस आयोजन की सफलता सुनिश्चित हुई। ये सिद्धांत इन्हीं निर्णयों का विस्तार करते हुए अपने अंतर्निहित तर्क के आधार पर फोरम के रुझानों को परिभाषित करते हैं।

1. वर्ल्ड सोशल फोरम चिंतन-मनन, विचारपरक लोकतांत्रिक बहस, अनुभवों के उन्मुक्त आदान-प्रदान और प्रभावी कार्रवाई की अंत:संबद्धता के लिए शुरू किया गया उन समूहों और नागरिक समाज के आंदोलनों का खुला मिलन स्थल है जो नव-उदारतावाद, दुनिया पर पूँजी के प्रभुत्व और किसी भी किस्म के साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए ऐसा

भूमंडलीय समाज रचने के प्रति प्रतिबद्ध हैं जो मनुष्यों और मनुष्यों व पृथ्वी के बीच परस्पर लाभकारी संबंध पर आधारित होगा।

2. एक घटना के रूप में वर्ल्ड सोशल फोरम पोर्टो अलेगरे में घटित हुआ था। इसके बाद से पोर्टो अलेगरे में हुई उद्घोषणा 'एक और दुनिया मुमकिन है' ने एक स्थायी प्रक्रिया का रूप ले लिया है जो इसके समर्थन में किए गए आयोजनों तक ही सीमित न रह कर विकल्प खोजने और रचने का सिलसिला चलाती रहेगी।
3. वर्ल्ड सोशल फोरम एक वैश्विक प्रक्रिया है। इसके तहत की जाने वाली सभी बैठकें एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम से सम्पन्न होंगी।
4. वर्ल्ड सोशल फोरम में प्रस्तावित विकल्प भूमंडलीकरण की उस प्रक्रिया का विरोध करते हैं जो बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा चलाई जा रही है और जिसे राष्ट्रीय सरकारों की साठगाँठ के जरिए इन निगमों की सेवा में लगी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का समर्थन भी मिल रहा है। इन विकल्पों की रचना इस प्रकार की गई है ताकि जनता की एकजुटता का भूमंडलीकरण विश्व इतिहास के एक नए चरण की तरह स्वीकार किया जा सके। इन विकल्पों पर आधारित भूमंडलीकरण वैश्वीय मानवाधिकारों का सम्मान करेगा। वह स्त्री और पुरुषों समेत सभी नागरिकों, सभी राष्ट्रों और पर्यावरण के अधिकारों का सम्मान करेगा। वह सामाजिक न्याय, समता और जनता की संप्रभुता की सेवा करने वाली लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संस्थाओं पर आधारित होगा।
5. वर्ल्ड सोशल फोरम दुनिया के सभी देशों के नागरिक समाज आंदोलनों और संगठनों को एक साथ लाने और आपस में जोड़ने का काम तो करेगा, पर विश्व नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नहीं बनेगा।
6. वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठकों में होने वाला सोच-विचार एक संस्था के रूप में वर्ल्ड सोशल फोरम के नाम पर नहीं होगा। इसलिए फोरम के किसी भी संस्करण के नाम पर किसी को सभी सहभागियों की नुमाइंदगी का दावा करते हुए कोई अधिकारिक बयान देने का अधिकार नहीं होगा। फोरम के सहभागियों का आह्वान एक संस्था के रूप में कोई भी निर्णय लेने के लिए नहीं किया जाएगा, न वोट के जरिए और न ही किसी ध्वनिमत के जरिए। चाहे वह सभी के या बहुमत के समर्थन से की जाने वाली कोई उद्घोषणा हो या किसी कार्रवाई का प्रस्ताव हो या फोरम को एक संस्था के रूप में स्थापित करने वाला कोई प्रस्ताव हो। इस प्रकार फोरम सत्ता का ऐसा केंद्र नहीं बनेगा, जिसके लिए उसकी बैठकों में सहभागियों के बीच कोई विवाद हो सके। फोरम का इरादा अपने सहभागी

संगठनों और आंदोलनों की अंत:संबद्धता और कार्रवाई के लिए एकमात्र विकल्प बनने का भी नहीं है।

7. फोरम की बैठकों में शामिल होने वाले संगठनों या संगठन-समूहों को उद्घोषणाओं पर विचार करने और कार्रवाइयों के बारे में अकेले या अन्य सहभागियों के साथ निर्णय लेने का अधिकार होगा। इन निर्णयों का परिपत्र व्यापक तौर पर जारी करने की जिम्मेदारी वर्ल्ड सोशल फोरम की होगी। वह इन निर्णयों को न तो निर्देशित करेगा, न ही उनके साथ ऊँ च-नीच बरतेगा, न उन्हें सेंसर या सीमित करेगा, बल्कि उन्हें निर्णय लेने वाले संगठनों या संगठन-समूहों के विचार-विमर्श की ही तरह जारी करेगा।
8. वर्ल्ड सोशल फोरम एक ऐसा बहुलतावादी, विविधतामूलक, किसी स्व-घोषणा में यकीन न करने वाला, गैर-सरकारी और गैर-दलीय संदर्भ है जो दूसरी दुनिया बनाने के ठोस कार्यभार में लगे संगठनों और आंदोलनों को विकेंद्रीकृत शैली में अंत:संबंधित करता रहेगा।
9. वर्ल्ड सोशल फोरम के दरवाजे हमेशा बहुतलावाद और तरह-तरह की गतिविधियों के लिए खुले रहेंगे। वह ऐसे सभी संगठनों और आंदोलनों के तौर-तरीकों का स्वागत करेगा जो उसमें भाग लेना चाहते हैं। वह लैंगिक, जातीय, सांस्कृतिक, पीढ़ीगत और शारीरिक क्षमता संबंधी विविधताओं का भी स्वागत करेगा। बस शर्त यह होगी कि ये सभी संगठन या विविधताएँ उसके चार्टर का पालन करें। फोरम में पार्टी के प्रतिनिधियों और फौजी संगठनों के नुमांइदों को शिरकत नहीं करने दी जाएगी। खुद को चार्टर से प्रतिबद्ध बताने वाले सरकारी नेताओं और विधायिकाओं के सदस्यों को निजी हैसियत से शिरकत का निमंत्रण दिया जा सकता है।
10. वर्ल्ड सोशल फोरम सभी तरह के अधिनायकत्व का विरोध करता है। वह अर्थव्यवस्था, विकास और इतिहास से संबंधित सभी तरह के अवकरणवादी विचारों के खिलाफ है। वह राज्य द्वारा हिंसा के जरिए समाज पर नियंत्रण का विरोधी है। वह मानवाधिकारों का, वास्तविक सहभागी लोकतंत्र का और शांतिपूर्ण संबंधों का समर्थक है। वह लोगों, लिंगों और जातीयताओं के बीच सभी तरह की समता और एकजुटता का पैरोकार है। वह एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व थोपने और अधीनीकरण के सभी रूपों की भर्त्सना करता है।
11. बहस के एक फोरम के रूप में वर्ल्ड सोशल फोरम विचारों का एक आंदोलन है जो पूँजी के प्रभुत्व के तौर-तरीकों और उपकरणों के बारे में चिंतन-मनन को प्रोत्साहित करता है। फोरम उन समस्याओं का हल करने के विकल्पों पर चिंतन-मनन को भी

प्रोत्साहित करता है जो पूँजीवादी भूमंडलीकरण के नस्लवादी, पुरुषवादी, स्त्री विरोधी और पर्यावरण के लिए विनाशकारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयामों की देन हैं। फोरम इस चिंतन-मनन के परिणाम को पारदर्शी ढंग से प्रसारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

12. अनुभवों के आदान-प्रदान की संरचना के तौर पर वर्ल्ड सोशल फोरम अपने सहभागी संगठनों और आंदोलनों को आपसी समझ और आपसी मान्यता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फोरम इनके बीच आदान-प्रदान को खास तौर से मूल्यवान समझता है। विशेष तौर से ऐसे आदान-प्रदान पर उसका जोर अधिक होता है जो मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों के लिए लोगों की जरूरतें पूरी करने और प्रकृति का सम्मान करने पर केंद्रित आर्थिक गतिविधियों और राजनीतिक कार्रवाई पर केंद्रित होती हैं।
13. जहाँ तक अंत:संबंद्धता का सवाल है, वर्ल्ड सोशल फोरम समाज में सार्वजनिक जीवन के या निजी जीवन के संगठनों और आंदोलनों के बीच नए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूत्र बना कर उन्हें मजबूत करना चाहता है। इससे होगा यह कि दुनिया जिस अमानवीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है, उसका अहिंसक सामाजिक प्रतिकार करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इससे राज्य द्वारा की जाने वाली हिंसा का अहिंसक प्रतिकार बढ़ेगा और इन आंदोलनों और संगठनों द्वारा अपनाये जाने वाले मानवीकरण प्रोत्साहित करने वाले उपाय पुष्ट होंगे।
14. वर्ल्ड सोशल फोरम एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने सहभागी संगठनों और आंदोलनों को उनकी कार्रवाइयाँ स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक चलाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में सक्रिय शिरकत करने की तरफ ले जाता है, ताकि वे भूमंडलीय नागरिकता के सवालों के साथ जुड़ सकें। फोरम इन संगठनों और आंदोलनों द्वारा परस्पर एकजुटता के जरिए नई दुनिया बनाने के लिए किए जा रहे परिवर्तनकारी उपायों को ग्लोबल एजेंडे पर लाना चाहता है।

यह चार्टर 9 अप्रैल, 2001 को साओ पाओ में वर्ल्ड सोशल फोरम की आयोजन समिति में सहभागी संगठनों द्वारा पारित किया गया। 10 जून, 2001 को वर्ल्ड सोशल फोरम की इंटरनेशनल कौंसिल ने कुछ परिवर्तनों के साथ इसे स्वीकार किया।

1

शुरू के दिन

1. आयोजन की पेशकश

वे सन् 2000 के आखिरी महीने थे जब सारी दुनिया में यह खबर फैली कि अगले साल जनवरी में ब्राज़ील के पोर्टो अलेगरे में वर्ल्ड सोशल फोरम होने वाला है, और उसकी तारीखें दावोस में वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम के आयोजन वाली ही होंगी। उस समय तक कई संगठन वर्ल्ड सोशल फोरम में हिस्सा लेने की पुष्टि करने लगे थे, हालाँकि ज्यादातर पुष्टियाँ दिसंबर खत्म होते-होते और जनवरी में ही आने वाली थीं। लेकिन, बहुत से लोगों के दिमाग में यह सवाल भी बना हुआ था कि आखिर यह पहलकदमी है किस किस्म की? वर्ल्ड सोशल फोरम करने का विचार कहाँ से और कैसे टपक पड़ा? उन्हें यह आयोजन न तो सम्मेलन जैसा लग रहा था, न ही किसी सभा जैसा। न ही इस समागम में स्पष्ट रूप से परिभाषित राजनीतिक ताकतें भाग लेने वाली थीं।

इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए साओ पाओ, ब्राज़ील के *कोरीओ डा सिडाडानिया* नामक साप्ताहिक ने मुझसे एक लेख लिखने के लिए कहा जिसमें मुझे यह बताना था कि वर्ल्ड सोशल फोरम का विचार कैसे जन्मा और इसका मकसद क्या है।[1] यह लेख 'वर्ल्ड सोशल फोरम : उद्गम और उद्देश्य' इस पुस्तक के परिशिष्ट-2 में प्रकाशित किया गया है, और फोरम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। मेरे कहने का मतलब यह है कि दिसंबर, 2000 में छपा यह लेख फोरम के बारे में सबसे पहला प्रकाशन था। इससे जाहिर है कि फोरम के प्रथम आयोजन के पहले ही उसके आयोजकों के सामने स्पष्ट हो चुका था कि फोरम का बुनियादी रुझान क्या होगा। आयोजन के पहले ही मैंने भी आयोजकों का मंतव्य अपने लेख में साफ कर दिया था।

ये रुझान दरअसल उन तमाम राजनीतिक अंतर्दृष्टियों का नतीजा थे जो पिछले कई दशकों में हुए संघर्षों से हासिल की गई थीं। ये संघर्ष हर किस्म के प्रभुत्व से छुटकारा पाने के लिए किए गए थे (देखें : परिशिष्ट-8, 'स्थापित व्यवस्था के खिलाफ नागरिक विद्रोह')[2]। वर्ल्ड सोशल फोरम ने जिस तरह से आकार ग्रहण किया, उससे इन अंतर्दृष्टियों के मूल्यवान होने की पुष्टि हो गई। दरअसल, इन अंतर्दृष्टियों में ही वह ताजगी निहित थी जिसके बिना पूँजीवादी प्रभुत्व से टकराना नामुमकिन था।[3]

2. आयोजन कामयाब रहा![4]

पोर्टो अलेगरे में हुए वर्ल्ड सोशल फोरम की कामयाबी से उसके आयाजकों समेत सभी लोग हैरान रह गए। मुझे याद है कि पोर्टो अलेगरे फोरम की पूर्वसंध्या पर *टीवी एजुकेटिवा* पर हुई एक बहस में भाग लेने के बाद बहस के संचालक और पत्रकार जैराल्डो कनाली ने मुझसे कहा था कि 'सुबह अखबारों में जो छपेगा उसके लिए तैयार रहो। सभी अखबार लिखने वाले हैं कि फोरम बुरी तरह नाकाम होने वाला है, क्योंकि आपने नोम चोम्स्की, नेलसन मंडेला और ऐसे ही जिन लोगों को बुला रखा है, वे तो आए ही नहीं हैं।' बाद में अगले दिन मैंने इसी पत्रकार से कैथोलिक यूनीवर्सिटी के कन्वेंशन सेंटर में मुलाकात की जहाँ फोरम हो रहा था।[6] उस विशाल सेंटर के गलियारों में भीड़ उमड़ रही थी। बातचीत करना तकरीबन नामुमकिन था। इसके बावजूद कनाली को मुझसे इतना तो कहना ही पड़ा : 'मैंने कल जो कहा था, उसे भूल जाइए। इसे नाकामी कहने की जुर्रत कौन कर सकता है ...।'

वर्ल्ड सोशल फोरम का माहौल एक तरह के संक्रामक जोश की गिरफ्त में था। सफलता, आयोजकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि हर व्यक्ति एक बार फिर उत्साहित हो गया है। आयोजन की खामियाँ स्वीकार करने में उन्हें कोई हिचक नहीं थी।[7] पर, सभी को लग रहा था कि पहले वर्ल्ड सोशल फोरम में भाग लेने के लिए पोर्टो अलेगरे आ कर वे इस कामयाब जश्न में सहभागी बन गए हैं। लोगों की संख्या से भी ज्यादा असर इस माहौल का था जिसके कारण पत्रकारों को मेरे सामने स्वीकार करना पड़ा कि फोरम की जबरदस्त कामयाबी देखने लायक है।[8]

इस पुस्तक के परिशिष्ट में दो लेख और दिए गए हैं (परिशिष्ट-3 : 'वर्ल्ड सोशल फोरम : सबक और नजरिया' और परिशिष्ट-4 : 'वर्ल्ड सोशल फोरम : तात्पर्य और नजरिया')। पहले फोरम का समापन होते ही उसका आकलन करते हुए मैंने ये लेख लिखे थे। दोनों को पढ़ने से साफ हो जाता है कि आयोजकों के शुरुआती अंदाजे कितने सही साबित हुए।

इस कामयाबी की रोशनी में वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रक्रिया आगे बढ़नी ही थी। ब्राज़ील और दुनिया के दूसरे हिस्सों में इसे इस कदर हाथों-हाथ लिया गया कि फोरम के नए संस्करणों का आयोजन करना हमारे लिए बुनियादी महत्त्व का कार्यभार बन गया। नव-उदारतावाद के खिलाफ संघर्ष को फोरम के रूप में एक नया उपकरण मिल चुका था जिसमें लोगों को अपनी ओर खींचने और गोलबंद करने की जबरदस्त क्षमता थी।

3. फोरम विश्व स्तर तक पहुँचना ही था!

पहले फोरम के आयोजन का आह्वान करने वाली आठ संगठनों की आयोजन समिति[9] का विचार था कि इस प्रक्रिया को आगे ले जाना उसका कर्तव्य है।[10] इस मकसद से तैयार किए गए सारे प्रस्तावों में एक बात पर सहमति थी कि फोरम के अनुभव को सारी दुनिया में फैलाया जाना चाहिए। चूँकि पूँजीवादी व्यवस्था पूरे भूमंडल में फैली हुई है, इसलिए उसके खिलाफ संघर्ष करने वाली प्रक्रिया का एक देश में एक स्थान पर ही सीमित रहने का कोई मतलब नहीं हो सकता। इसके बाद यह सवाल उठना स्वाभिवक ही था कि आखिर फोरम का सारी दुनिया में प्रसार कैसे होगा?[11]

इस पर गौर करने के दौरान ही बात यह निकली कि पोर्टो अलेगरे में सन् 2002 का दूसरा वर्ल्ड सोशल फोरम आयोजित हो और साथ ही अन्य देशों में छोटे-छोटे फोरम करने को बढ़ावा दिया जाए। सभी की तारीख वही हो जो दावोस की होती है, ताकि वर्ल्ड सोशल फोरम की वैकल्पिक प्रकृति की आसानी से शिनाख्त हो सके। यह भी तय किया गया कि फोरम की पहल और दायित्व हमेशा नागरिक समाज के संगठनों के हाथों में रहना चाहिए। फैसला हुआ कि सन् 2002 में हुए फोरमों के हालात का आकलन करने के बाद तय किया जाएगा कि सन् 2003 का फोरम किस देश में आयोजित किया जाए।[12]

इस प्रकार 'वर्ल्ड सोशल फोरम-प्रक्रिया' की शुरुआत हुई। आयोजन समिति ने एक 'सूचना नोट' जारी किया। पहले फोरम के समापन सत्र में इस नोट में दर्ज फैसले पढ़ कर सुनाए गए। इस नोट को इस अध्याय के आखिर में भी दिया गया है।[13]

4. सहमति आधारित निर्णय के आग्रह से जुड़ी कठिनाइयाँ

आठ संगठनों की समिति को इन फैसलों पर पहुँचने के लिए बहुत लंबी बहस करनी पड़ी। काफी माथापच्ची के बाद वर्ल्ड सोशल फोरम-प्रक्रिया को विश्व स्तर पर ले जाने का निर्णय हो पाया। इन दिक्कतों की सबसे बड़ी वजह यह थी कि समिति ने एक सहमति आधारित निर्णय प्रक्रिया अपनायी थी। बाद में सहमति का यह नियम 'कार्यक्रमगत समझौते' में

बाकायदा दर्ज किया गया। दूसरे वर्ल्ड सोशल फोरम की तैयारी के दौरान आठों संगठनों ने इस समझौते पर अपने दस्तखत किए।

'समझौते' में सहमति का नियम इस प्रकार सूत्रीकृत किया गया था :

> आयोजन समिति के निर्णय हमेशा सहमति के आधार पर होंगे। अगर सहमति नहीं हो पाएगी तो बहुमत की इच्छा जानने के लिए वोट डाले जाएँगे। इस बात की पुष्टि फौरन कर ली जाएगी कि अल्पमत इस बहुमत आधारित फैसले को स्वीकार करना चाहता है या नहीं। अगर वह इनकार करता है तो तब तक चर्चा चलती रहेगी जब तक सहमति न हो जाए। या अल्पमत फैसले पर अपनी मुहर न लगा दे। समिति की बैठक में जिन सहभागियों की नुमाइंदगी उनके मुख्य प्रतिनिधियों या सहायकों द्वारा नहीं की जा रही होगी, उनकी राय टेलीफोन, फैक्स या ई-मेल के जरिए ली जाएगी। तीन दिन के भीतर उनकी लिखित पुष्टि मँगा ली जाएगी। समिति के नीति संबंधी फैसलों के संबंध में अगर बैठक में मौजूद सहभागी समझते हैं कि इतनी जल्दी किसी अनुपस्थित सहभागी की पुष्टि नहीं मिल सकती तो पुष्टि न आने को उनकी स्वीकृति माना जाएगा।[14]

देखा जाए तो सहमति आधारित फैसलों का यह नियम खासा कठोर है। यह उस बहुमत आधारित निर्णय पद्धति से अलग है जिसे आम तौर से संस्थाओं को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के लिए जरूरी माना जाता है। लेकिन, फोरम को आगे भी जारी रखने की वजह और तरीके पर फैसले की कोशिश करते समय, और इसके बाद कई निर्णय लेने के दौरान भी अनुभव किया गया कि केवल इसी तरीके से आठों संगठनों के विविध नजरियों, प्रकृति और गतिविधियों की भिन्नता का हर फैसले में ख्याल रखा जा सकता है। इसी तरीके से यह गारंटी की जा सकती है कि प्रत्येक फैसले की सभी संगठन बराबर जिम्मेदारी लेंगे, जहाँ जरूरत होगी वहाँ आपसी सहमति पर पहुँचने के लिए गुंजाइश देंगे ताकि उनका सामूहिक उद्देश्य पूरा हो सके। सहमति आधारित निर्णय का नियम वास्तव में अनेकता में एकता कायम करने वाला साबित हुआ (देखें अध्याय 3:5, 'आयोजकों के बीच एकता कायम करना')। इसके कारण आम तौर पर होने वाले भटकावों से बचा जा सका जिससे टूट, असंतोष और विच्छिन्नताएँ पैदा नहीं हुईं, वरना दुनिया भर में सोशल फोरम आयोजित करना नामुमकिन हो जाता। इसके लिए सीखने की एक लगातार, कठिन और कभी-कभी तकलीफदेह प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। कहना न होगा कि सीखने का यह क्रम दूसरी दुनिया बनाने का वह लक्ष्य वेधने के लिए मददगार ही साबित होने वाला था जिसे वर्ल्ड सोशल फोरम मूर्तिमान करता है (देखें अध्याय 4:5, 'इंटरनेशनल कौंसिल का इतिहास : पहचान और कार्यप्रणाली')।

5. सिद्धांतों का घोषणापत्र (चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स)

सन् 2001 के वर्ल्ड सोशल फोरम के आखिर में जब यह तय हो गया कि उसके नए संस्करण भी आयोजित किए जाएँगे, तो आयोजकों को लगा कि सफलता की गारंटी करने के लिए दुनिया में कहीं भी होने वाले भविष्य के आयोजनों के लिए पहले फोरम जैसे नियमों का सूत्रीकरण किया जाए। इसी लिहाज से समापन के समय 'सूचना नोट' जारी किया गया जिसमें आयोजकों ने 'सन् 2002 में फोरम करने के लिए सिद्धांतों और दिशा निर्देशों का एक चार्टर' बनाने की जिम्मेदारी ली। सन् 2001 के शुरुआती महीनों में यह चार्टर लिखा गया।[15] इसमें सन् 2001 के फोरम में अपनाए गए मुख्य सांगठनिक बंदोबस्त और लक्ष्यों को रेखांकित किया गया और इस तरह संपूर्ण प्रस्ताव में अंतर्निहित अंतर्दृष्टियों को अभिव्यक्ति मिली। 'वर्ल्ड सोशल फोरम चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स' नामक यह मसविदा फोरम का बुनियादी दस्तावेज बन गया (इसे पुस्तक की शुरुआत में ही अक्षरश: दिया गया है)। तय हुआ कि इसके बाद किसी भी स्तर पर जो भी फोरम आयोजित होंगे, उनका आधार यही दस्तावेज होगा।

शुरू में चार्टर का कुछ विरोध हुआ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी जरूरतों पर जोर दिया गया था जो राजनीतिक सक्रियता के मामले में एकदम नई थीं (देखें अध्याय 3:6, 'चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स : शंकाएँ ओर मुद्दे' एवं अध्याय 4:3, 'फोरम का विस्तार और दुनिया में उसके कदम जमना')। बहरहाल, दूसरी दुनिया बनाने के संघर्ष में लगी अन्य प्रक्रियाओं के मुकाबले यही वह पहलू था जो वर्ल्ड सोशल फोरम-प्रक्रिया को अलग साबित करता था। इसका प्रस्थान बिंदु यह फैसला था कि फोरम एक 'खुले स्पेस' के तौर पर ही आयोजित किया जाएगा। उसमें न कोई नेता होगा और न कोई अनुयायी। इस सवाल पर फोरम के आयोजकों और सहभागियों ने सबसे ज्यादा माथापच्ची की थी कि फोरम को एक स्पेस समझा जाए या आंदोलन (देखें अध्याय 3:1, 'वर्ल्ड सोशल फोरम : स्पेस या आंदोलन?)।

जहाँ तक एकमत होने का सवाल है, वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजक चार्टर के सवाल पर आज तक मतैक्य कायम नहीं कर पाए हैं।[16] यह जरूर है कि धीरे-धीरे हालात ऐसे बन रहे हैं कि चार्टर पर विवाद करना मुश्किल होता जा रहा है। इसका हवाला अब पहले से कहीं ज्यादा दिया जाने लगा है। लोगों को एहसास होता जा रहा है कि यह चार्टर ही भविष्य के फोरमों के लिए पहले जैसी कामयाबियों की गारंटी कर सकता है।

6. अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों का समूह

वर्ल्ड सोशल फोरम की आयोजन समिति को लगा कि अन्य देशों के संगठनों के सहयोग के

बिना वह इस प्रक्रिया को जारी रखने और विश्व स्तर पर ले जाने की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी। पहले फोरम के समापन पर जारी किए गए सूचना नोट में आयोजन समिति के इस इरादे का जिक्र किया गया था कि वह इस तरह का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समूह गठित करना चाहती है।

पहले डब्ल्यूएसएफ की एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बनाने का विचार था, जो बाद में इंटरनेशनल कौंसिल के प्रस्ताव में बदल गया, क्योंकि इस नयी संस्था को कार्यकारी संगठन की तरह काम नहीं करना था। प्रथम फोरम में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नेटवर्कों में से उनकी शिनाख्त की गई जो वर्ल्ड सोशल फोरम-प्रक्रिया को आवश्यक समर्थन दे सकते थे। उन्हें कोंसिल की पहली बैठक के लिए निमंत्रित किया गया जो 9-11 जून, 2001 को साओ पाओ में हुई। तीन दिन तक 45 संगठन इस बैठक में भाग लेते रहे। दस संगठन नहीं आ पाए, लेकिन कौंसिल में शामिल होने के लिए राजी हो गए। बैठक में फोरम-प्रक्रिया जारी रखने के लिए जरूरी समझी जाने वाली परिस्थितियों पर चर्चा की गई। पोर्टो अलेगरे में सन् 2002 में फोरम करने की योजनाओं पर बातचीत हुई। इस प्रक्रिया को विश्वव्यापी बनाने की संभावनाओं पर बहस की गई। छोटे-छोटे संशोधनों के साथ कौंसिल ने ब्राज़ीली आयोजन समिति द्वारा प्रस्तुत चार्टर ऑव प्रिंसिपल्स की पुष्टि कर दी।

कौंसिल ने यह भी तय किया कि वह अपनी अगली बैठक डकार, सेनेगल में करेगी ताकि फोरम अपनी मौजूदगी अफ्रीका में भी दर्ज करा सके।[17] समझा गया कि अगर कौंसिल ने अफ्रीकी महाद्वीप में बैठक की और उसमें अफ्रीकी संगठनों ने भाग लिया जो पोर्टो अलेगरे में नहीं आ पाए थे, तो फोरम-प्रक्रिया के अंतर्राष्ट्रीयकरण में मदद मिलेगी।[18] कौंसिल ने यह भी तय किया कि डकार के बाद उसकी तीसरी बैठक जनवरी, 2002 में पोर्टो अलेगरे में होगी। यानी फोरम से कुछ दिन पहले। फिर इस निर्णय ने एक परंपरा का रूप ले लिया। अब कौंसिल अपनी नियमित बैठकें फोरम से ठीक पहले या फौरन बाद करती है। उसकी असाधारण बैठकें जरूरत के मुताबिक की जाती हैं। कोशिश की जाती है कि जहाँ तक मुमकिन हो, ये बैठकें फोरम के आयोजन की तारीखों पर ही की जाएँ ताकि उनमें ज्यादा से ज्यादा सदस्य भाग ले सकें। नवंबर, 2002 में फ्लोरेंस, इटली में हुए यूरोपीय सोशल फोरम के समय इसी तरह की एक बैठक हो चुकी है।[19]

7. सही रास्ते पर

पार्तो अलगेरे में जनवरी, 2002 को हुए द्वितीय वर्ल्ड सोशल फोरम से साबित हो गया कि छ: महीने पहले लिखा गया चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स फोरम-प्रक्रिया के लिए कितना

लाभदायक है। दूसरा वर्ल्ड सोशल फोरम पहले से भी ज्यादा कामयाब हुआ। उसमें तकरीबन दोगुने लोगों ने शिरकत की।[20] अब आयोजकों के सामने जिम्मेदारी यह देखना थी कि इस सफलता से भविष्य के लिए क्या-क्या सबक सीखे जा सकते हैं। इसके साथ उन शंकाओं और तनावों को भी उभरते हुए देखा जा सकता था, जिनसे इस प्रक्रिया को आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई है।

द्वितीय फोरम के कुछ दिनों के बाद ही मैंने फरवरी, 2002 के आखिर में एक लेख लिखा : 'पोर्टो अलेगरे के सबक'। इस लेख का प्रकाशन कई देशों में हुआ। इनमें उन मुद्दों की चर्चा की गई थी जिनसे इस पुस्तक का शीर्षक समझने में आसानी हो सकती है। लेख के आखिर में मैंने कहा था :

> वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजकों के सामने बड़ी चुनौती यह नहीं है कि पहले से नए-नए और बेहतर विषयों की खोज कैसे की जाए ताकि ज्यादा ठोस प्रस्ताव तैयार किए जा सकें, बल्कि यह है कि फोरम को दिया गया आकार बिना किसी तब्दीली के कैसे जारी रखा जाए। दरअसल, यह अपनाए जाने वाले साधनों का प्रश्न है जिनके आधार पर ही अंतत: साध्य तय होगा।

सन् 2002 खत्म होते-होते फोरम वास्तव में एक वैश्विक प्रक्रिया बनने लगा। उम्मीद यह की जाने लगी कि सन् 2003 का फोरम और भी ज्यादा सहभागियों को आकर्षित करेगा। दिसंबर, 2002 में मैंने सन् 2003 के फोरम की घोषणा करते हुए एक लेख लिखा (देखें परिशिष्ट-6, 'डब्ल्यूएसएफ-2003 : एक कदम और आगे')। इस लेख में इन तमाम पहलुओं के बारे में चर्चा की गई थी और सन् 2004 में भारत में होने वाले फोरम का भी जिक्र था।

परिशिष्ट : सन् 2001 के फोरम में समापन सत्र के दौरान आयोजन समिति द्वारा जारी किया गया सूचना नोट

पोर्टो अलेगरे में हुए वर्ल्ड सोशल फोरम से हमने नव-उदारतावाद के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम शुरू कर दी है। अब इस मुहिम को सारी दुनिया में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए बहुत से अन्य देशों में भी वर्ल्ड सोशल फोरमों का आयोजन करके हमें इस प्रतिरोध को सारी दुनिया में ले जाना होगा। यह लक्ष्य वेधने के लिए पोर्टो अलेगरे में वर्ल्ड सोशल फोरम की आयोजन समिति प्रस्तावित करती है :

1. सोशल फोरम हर साल किए जाएँ।
2. इन फोरमों का आयोजन हमेशा उन्हीं तारीखों में किया जाए जब दावोस में वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम होता है।

3. आज समाप्त हो रहे इस फोरम से हुए अनुभव और सहभागियों से हुए विचार-विमर्श के आधार पर बनाए गए चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स और दिशा-निर्देशों के मुताबिक सन् 2002 में पोर्टो अलेगरे में ही एक और फोरम किया जाए। साथ ही दावोस वाली तारीख पर ही दुनिया में अन्य स्थानों पर भी फोरमों का आयोजन प्रोत्साहित किया जाए।
4. इस प्रक्रिया के दौरान वर्ल्ड सोशल फोरम की अंतर्राष्ट्रीय कौंसिल गठित की जाए।
5. सन् 2003 में होने वाला फोरम किसी और देश में हो, ऐसे देश में जहाँ इसके आयोजन के लायक सबसे अच्छी परिस्थितियाँ समझी जाएँ।
6. सन् 2004 में कई देशों में फोरमों का एक नया सिलसिला आयोजित किया जाए, और इसी तरह यह प्रक्रिया आगे चलाई जाए।

अप्रैल, 2001 तक पोर्टो अलेगरे में वर्ल्ड सोशल फोरम की आयोजन समिति तैयारी कर लेगी :

- सन् 2002 में फोरम आयोजित करने के लिए चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स और दिशा-निर्देशों की।
- पोर्टो अलेगरे में होने वाले फोरम समेत सन् 2002 में फोरम करने के इच्छुक स्थानों की सूची की।

आज समाप्त हो रहे वर्ल्ड सोशल फोरम के दस्तावेज, सम्मेलनों की सामग्री, उद्घोषणाएँ और सहभागियों के प्रस्ताव हर एक के लिए इंटरनेट वेबसाइट >डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.फोरमसोशलमुंडियल.ओआरजी.बीआर< और >डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.वर्ल्डसोशलफोरम.ओआरजी< पर उपलब्ध रहेंगे।

पोर्टो अलेगरे, 30 जनवरी, 2001

संदर्भ और टिप्पणियाँ

1. परिशिष्ट-10 में दिए गए लेख 'मुंबई में भी समस्याएँ जारी रहीं' में भी फोरम की पेशकश के उद्गम की चर्चा की गई है।
2. परिशिष्ट-8 के दस्तावेज 'स्थापित व्यवस्था के खिलाफ नागरिक विद्रोह' में मैंने सन् 2003 के फोरम के दौरान इसी शीर्षक से हुई एक संगोष्ठी में पेश ब्योरा दर्ज किया है। इसमें अस्सी और नब्बे के दशकों में हुए सामाजिक आंदोलनों का अधिक पूर्ण विवरण और सांगठनिक अनुभव दिया गया है।
3. वर्ल्ड सोशल फोरम में नए-नए रास्ते खोजने की कितनी क्षमता है, इसका एहसास फौरन तो हुआ ही नहीं, कुछ दिन बाद तक भी नहीं हो सका। इसलिए, जनवरी, 2003 में मुझे लगा कि एक लेख लिख कर फोरम के बारे में बताना जरूरी है। इसलिए मैंने फ्रांस की *ला वी* पत्रिका के विशेषांक और *ले मोंदे* अखबार के लिए तीसरे फोरम के लिए एक लेख लिखा। इस लेख में मैंने लिखा था : 'पोर्टो अलेगरे न तो 'ग्रासरूट्स संगठनों का शिखर अधिवेशन' है, और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का विश्व सम्मेलन है। यह तो एक संदर्भ मुक्त आयोजन है जिसका उद्देश्य सभी तरह की शख्सियतों का सम्मान करते हुए परस्पर मान्यता और एक-दूसरे से सीखने की प्रक्रिया संभव करना है। फोरम ऐसे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाता है जो सम्पत्ति-केंद्रित रवैये के बजाय मानव-केंद्रित विश्व बनाने के लिए प्रयासरत हैं। आज फोरम के आयोजकों को यकीन है कि वे सही रास्ते पर चल रहे हैं और उनकी कोशिशों से नागरिकों को शक्तिहीनता के एहसास से छुटकारा पाने में मदद मिल रही है।'
4. फोरम ने जो उम्मीदें जगाईं, उनसे पता लग सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उसके साथ क्यों जुड़े। इस संदर्भ में 'पोर्टो अलेगरे का वायदा' लेख उल्लेखनीय है जो जनवरी, 2001 में *ले मोंदे डिप्लोमेटीक* में छपा था जो पत्र के निदेशक इग्नेसियो रेमोनेट ने लिखा था। इसका पहला वाक्य खास तौर से दिलचस्प है : 'पोर्टो अलेगरे से एक नयी सदी की शुरुआत हो रही है।' लेख आगे कहता है : 'दुनिया के चारों कोनों से वर्ल्ड सोशल फोरम में भाग लेने के लिए आने वाले लोग 'महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों' के प्रतिनिधि होंगे। वे आर्थिक बर्बरता के मौजूदा माहौल के खिलाफ हैं। वे नव-उदारतावाद के मूल्यों को इनसानियत से बहुत दूर की चीज समझ कर खारिज करते हैं। एक नई चेतना जन्म ले रही है, जो नवीकरण की चेतना है। पोर्टो अलेगरे में जमा हुए लोग नव-उदारतावाद के खिलाफ प्रति-सत्ता का आधार खोजने की कोशिश करेंगे।' लेख के समापन में वांछित लक्ष्य की स्पष्ट घोषणा की गई है : 'लेकिन, नई सदी के इस शुरुआती बिंदु पर पोर्टो अलेगरे में जमा स्वप्नदर्शी हमें याद दिलाएँगे कि भूमंडलीकरण की पहुँच अर्थव्यवस्था से कहीं परे जाती है। पर्यावरण की रक्षा, सामाजिक विषमता और मानवाधिकारों की समस्या भी भूमंडलीय चिंता का विषय हैं। अब समय आ गया है कि दुनिया के नागरिक इन पर भी विचार करें।' यह लेख सारी दुनिया में प्रसारित हुआ और निश्चित रूप से इसके कारण भी फोरम में लोगों की शिरकत बढ़ी।
5. *टीवी एजुकेटिवा* के पत्रकार, पोर्टो अलेगरे।
6. *पोंटिफीसिया यूनिवर्सिडाडे केटोलिका* (पीयूसी) *डि पोर्टो अलेगरे,* जिसके कन्वेंशन सेंटर में फोरम आयोजित किया गया था।
7. सन् 2001 के वर्ल्ड सोशल फोरम ने ब्राज़ील वासियों को खास तौर से अपनी ओर खींचा। वे पोर्टो अलेगरे में उमड़ पड़े। हालाँकि 2002 के फोरम में उनकी संख्या करीब आधी ही रह गई।
8. *ओ एसपिरोटो दि पोर्टो अलेगरे* नामक पुस्तक में छपे एक इंटरव्यू में इन मुलाकातों के संदर्भ की तरफ इशारा किया है : 'इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि ब्राज़ील के लिए फोरम सही वक्त पर हुआ। उस समय हम एक जबरदस्त गिरावट के दौर से गुजर रहे थे। अचानक फोरम में लोग उत्साह के साथ एक-दूसरे को गले लगाते हुए दिखे। वे कह रहे थे : अरे, तुम भी आए हो? अभी तक वही जोश, वही उछाल? वाह! साथ मिल कर काम करने के माहौल से निकलने वाले इस

तरह के उत्साह से ही हमें संघर्ष की ऊर्जा मिलती है।'

9. वर्ल्ड सोशल फोरम की आयोजन समिति में शामिल आठ संगठन इस प्रकार हैं :

एबीओएनजी–ब्राज़ीलियन एसोसिएशन ऑफ नॉन-गवर्मेंटल ऑर्गनाइजेशंस

एटटीएसी–एसोसिएशन फॉर दि टेक्सेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस फॉर दि एड ऑफ सिटीजंस

सीबीजेपी–ब्राज़ीलियन जस्टिस एंड पीस कमीशन (नेशनल एपिस्कोपल कांफ्रेंस, सीएनबीबी)

सीआईवीइएस–ब्राज़ीलियन बिजनेस एसोसिएशन फॉर सिटीज़नशिप

सीयूटी–सेंट्रल ट्रेड यूनियन कांफेडरेशन

आईबीएसएसई–ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकॉनॉमिक स्टडीज

सीजेजी–सेंटर फॉर ग्लोबल जस्टिस

एमएसटी–मूवमेंट ऑफ दि लेंडलेस रूरल वर्कर्स

10. रोज जब फोरम की गतिविधियाँ खत्म हो जातीं तो आयोजन समिति रात भर बैठक करती। अलस्सुबह तक बड़ी गहरी और कभी-कभी बहुत दिक्कततलब बहसें चलती रहती थीं। फोरम के समापन के पहले वाली रात को हुई बैठक में ही वह सहमति बन पाई जिसके तहत तैयार किया गया 'सूचना नोट' इस अध्याय के आखिर में दिया गया है।

11. उस समय हमने जिन विकल्पों पर विचार किया, उनके बारे में बताने के लिए वह जानकारी देना उपयोगी रहेगा जो मैंने सन् 2001 में *क्रूरियर डि ला प्लेनेट* नामक पत्रिका को दी थी। पत्रिका ने पूछा था कि दूसरे फोरम के बारे में हमारी योजना कहाँ तक पहुँच चुकी है : 'पहले फोरम के समापन के समय हम एक बहुकेंद्रीय फोरम आयोजित करने के बारे में सोच रहे थे जिसका मतलब था कि कई फोरम एक साथ विभिन्न महाद्वीपों में एक साथ करना। लेकिन, हुआ यह कि पोर्टो अलेगरे एक बेहद प्रभावी संदर्भ बिंदु बन गया। ... बहुकेंद्रीय फोरम करने का जोखिम यह होता कि पोर्टो अलेगरे का मुख्य केंद्र के रूप में महत्त्व बहुत बढ़ जाता और अन्य क्षेत्रीय फोरमों पर लोगों का या तो ध्यान ही नहीं जा पाता या फिर वे पोर्टो अलेगरे के लिए महज तैयारी की तरह मान लिए जाते। इसलिए अब हम फोरम को दुनिया के पैमाने पर ले जाने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में सोच रहे हैं। ... हमारा अगला कदम अनिवार्यत: बहुध्रुवीयता हासिल करना होगा। हमारा ख्याल है कि पहले दो फोरमों के अप्रत्यक्ष प्रभावों के आधार पर हमें यह लक्ष्य वेधने की क्षमता हासिल हो जाएगी।'

12. अन्य देशों में भी वर्ल्ड सोशल फोरम करने के फैसले को समझना शुरू में मुश्किल साबित हुआ। दिसंबर, 2003 में वर्ल्ड सोशल फोरम के भारत में आयोजन के ठीक पहले भारतीय पत्रिका *लेबर फाइल* ने यही सवाल पूछा : 'ब्राज़ील से वर्ल्ड सोशल फोरम हटाने का फैसला क्यों लिया गया?' मैंने इसका जवाब इस तरह दिया : 'पहले वर्ल्ड सोशल फोरम के समय ही

यह स्पष्ट हो चुका था कि नव-उदारतावाद से लड़ने के लिए कार्रवाइयों का सारी दुनिया के पैमाने पर अंतर-सूत्रीकरण करना जरूरी होगा। दुनिया के सभी भागों में फोरम आयोजित करने के प्रस्ताव के पीछे यही जरुरत पूरा करने का इरादा है।' मार्च, 2003 में फ्रांसीसी प्रकाशन *फोइ डि डिवेलपमेंट* में लिखे गए एक लेख में भी मैंने यही तर्क दिया था : 'फोरम धीरे-धीरे एक अलग-थलग घटी घटना से विकसित हो कर एक विश्व प्रक्रिया में बदलता चला गया। उसके आयोजक अच्छी तरह जानते थे कि पूँजी के नेतृत्व में होने वाले भूमंडलीकरण का दबाव किसी एक देश की तरफ से ही नहीं पड़ने वाला है। इस भूमंडलीकरण को तो विश्वव्यापी होना ही था।'

13. जब फोरम के समापन पर सूचना नोट पढ़ा गया तो लोगों को अपने दिमाग में घूम रहे इस सवाल का जवाब मिल गया कि क्या आयोजन समिति इसी तरह के अन्य फोरम करने की जिम्मेदारी उठाएगी, और अगर उठाएगी तो वे फोरम कहाँ आयोजित किए जाएँगे। पीयूसी कन्वेंशन सेंटर के सबसे बड़े सभागार में ठसाठस भरे हुए सहभागियों ने सूचना नोट की जानकारियों का बड़े उत्साह से स्वागत किया। पोर्टो अलेगरे में रहने वाले या काम करने वाले लोगों का इस पर उत्साहित होना स्वाभाविक ही था। उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों के पास जा-जा कर यह आग्रह करना भी शुरू कर दिया कि सन् 2003 का फोरम भी उन्हीं के शहर में होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पर्चे भी बाँटे।

14. 8 जून, 2001 को हस्ताक्षरित 'वर्ल्ड सोशल फोरम के संस्थापन हेतु कार्यक्रम-समझौता' का अनुच्छेद 18 देखें।

15. आयोजन समिति ने वर्ल्ड सोशल फोरम चार्टर ऑव प्रिंसिपल्स को 9 अप्रैल, 2001 को स्वीकृति दी, और इंटरनेशनल कौंसिल ने उसी साल 10 जून को छोटे-मोटे संशोधनों के साथ उसकी पुष्टि कर दी। इससे जो अंतिम दस्तावेज निकला, वह वर्ल्ड सोशल फोरम-प्रक्रिया का आधार बन गया।

16. तीसरा यूरोपीय सोशल फोरम 15-17 अक्टूबर, 2004 को लंदन में हुआ। चार्टर के जघन्य उल्लंघन का यह सबसे बड़ा उदाहरण था। इसके आयोजन में एक राजनीतिक दल और एक काउंटी कौंसिल ने निर्णायक भूमिका अदा की थी। वर्ल्ड सोशल फोरम-प्रक्रिया की यूरोपीय संभावनाओं को इसके कारण हुए नुकसान का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है।

17. डकार बैठक सन् 2001 में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हुई।

18. इसी वजह से कौंसिल ने बैंकाक में बैठक रखी ताकि फोरम-प्रक्रिया का एशिया में प्रसार किया जा सके। इसके पीछे सोच यह था कि एक वर्ल्ड सोशल फोरम भारत में भी किया जाना चाहिए। बाद में इसी चिंता के तहत एक बैठक मियामी में रखी गई ताकि उत्तरी अमेरिकी उप-महाद्वीप में भी फोरम के प्रसार का रास्ता खुल सके।

19. डकार के बाद कौंसिल की बैठकें इस प्रकार हुईं : 28-29 जनवरी, 2002 को पोर्टो अलेगरे में;

13-15 अगस्त, 2002 को बैंकाक, थाइलैंड में; 11-13 नवंबर, 2002 को फ्लोरेंस, इटली में; 23-26 जून, 2003 को मियामी, अमेरिका में; 15, 22 और 23 जनवरी, 2004 को मुंबई, भारत में; और 5-7 अप्रैल, 2004 को पैसिग्नाटो, इटली में।

20. सन् 2001 में प्रतिनिधियों की संख्या 4,400 थी, जो सन् 2002 में बढ़ कर 12,000 हो गई। निजी हैसियत से अपना पंजीकरण कराने वाले सहभागियों की संख्या 15,000 से बढ़ कर 35,000 हो गई।

2

सोशल फोरम : आयोजन के आधार बिंदु

इस अध्याय में बताया गया है कि वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजकों ने अपनी योजना को ठोस रूप देने के लिए किन अंतर्दृष्टियों का इस्तेमाल किया। बिना इन अंतर्दृष्टियों के उस राजनीतिक व्यवहार को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता था जिससे फोरम को एक विलक्षण सांगठनिक स्वरूप प्राप्त हो सका।

1. फोरम : एक 'खुला स्पेस'

चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स का पहला अनुच्छेद साफ तौर से बताता है कि सोशल फोरमों के पीछे पहला और सर्वप्रमुख विचार उन्हें एक 'खुले स्पेस' की तरह आयोजित करना था। यह एक ऐसी अंतर्दृष्टि थी जो अंत में निर्णायक साबित हुई। इससे फोरमों को उनका विशिष्ट चरित्र मिला और उनके आयोजकों की भूमिका भी स्पष्ट हो गई। फोरमों का खुला स्पेस होना ही वह मुख्य कारण था जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ पाए। यही वह सांगठनिक विधि थी जिसकी वजह से फोरम विभिन्न सामाजिक आंदोलनों और नागरिक समाज के संगठनों को अपनी ओर खींच पाया और साथ ही यकीन दिला पाया कि एक दूसरी दुनिया बनाना मुमकिन है।

'खुला स्पेस' होने का मतलब था कि फोरमों पर न तो किसी की मिल्कियत होगी, न ही किसी किस्म का संकीर्णतावाद होगा और न ही कोई हुक्म चलाने वाला संगठन होगा। खुला स्पेस बनाने से ही यह भावना पैदा हुई कि सभी तरह के लोगों का बिना किसी निगरानी या *पुलिसिया नियंत्रण' के फोरमों में स्वागत है। फोरमों में शिरकत से उनकी स्वायत्तता पर भी कोई आँच नहीं आएगी और न ही किसी अन्य लक्ष्य के लिए उनका दोहन किया जाएगा।

जाहिर है कि इस तरह आयोजित किए जाने वाले फोरम की प्रकृति विचारात्मक बैठक जैसी नहीं हो सकती थी। उसे शुरू होते समय भी 'खुला' होना था और समापन के समय भी 'खुला' होना था। आयोजकों ने तो फोरम में शामिल होने वालों को बढ़ावा दिया कि वे फोरम के विभिन्न संस्करणों के बीच की अवधि में पहले से कहीं ज्यादा नेटवर्किंग करें और आपसी सहयोग बढ़ाएँ, ताकि प्रत्येक आयोजन एक निरंतर चलने वाले सिलसिले की एक कड़ी बन जाए जिसमें नई पहलकदमियाँ ली जाएँ और सहभागी संगठन एक-दूसरे के और नजदीक आ सकें। सन् 2005 के वर्ल्ड सोशल फोरम की तैयारी के दौरान इस तरह का प्रयास और सघन हुआ है (देखें अध्याय 4:, 'सन् 2005 का वर्ल्ड सोशल फोरम')। कुल मिला कर वर्ल्ड सोशल फोरम एक ऐसा आयोजन है जो स्पेस के तौर पर हमेशा खुला रहता है।

इस तरह कहा जा सकता है कि वर्ल्ड सोशल फोरम विभिन्न मसलों पर अपनी राय निर्धारित करने वाला कोई नया संगठन अथवा कोई संस्था नहीं है।[1] यह कोई सामाजिक आंदोलन भी नहीं है। वर्ल्ड सोशल फोरम की यह हकीकत बहुत सी संस्थाओं और समूहों को उलझन में डाल देती है। (देखें अध्याय 2:7, 'क्षैतिजता')। चूँकि यह कोई आंदोलन भी नहीं है इसलिए विभिन्न आंदोलनों के नेताओं को भी इसे समझने में दिक्कत होती है (देखें, अध्याय 3:1, 'वर्ल्ड सोशल फोरम : एक स्पेस या आंदोलन?)।

फोरम का चार्टर ऑव प्रिंसिपल्स इस स्पेस के खुले होने की एक सीमा जरूर तय करता है (देखें अध्याय 3:2, 'खुला स्पेस : पर किसके लिए?')। यह स्पेस राजनीतिक दलों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संस्थाओं की शिरकत के लिए खुला हुआ नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि वे अपने कार्यक्रम फोरम में नहीं कर सकते, हालाँकि उन्हें 'पर्यवेक्षक' के तौर पर जरूर भाग लेने दिया जाएगा। फोरम के सहभागियों के निमंत्रण पर वे बहस में भी हिस्सा ले सकते हैं। फौजी संगठन न तो फोरम में हिस्सा ले सकते हैं, और न ही उन्हें अपने प्रतिनिधि भेजने की इजाजत है (देखें अध्याय 2:14, 'हिंसा का अस्वीकार')। इन फैसलों के पीछे आयोजकों द्वारा फोरम को नागरिक समाज का एक स्पेस बनाने की मंशा थी (देखे अध्याय 2:11, 'वर्ल्ड सोशल फोरम : नागरिक समाज का स्पेस')।

2. जहाँ आयोजक केवल फेसिलिटेटर ही थे!

'फोरम' शब्द का मतलब है कुछ निश्चित मानकों के आधार पर होने वाली खुली मुलाकातें जिनका चरित्र विचारात्मक कतई न हो। आज सारी दुनिया में फोरमों का प्रसार होता जा रहा

है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की जबरदस्त कामयाबी के कारण भी कई तरह के आयोजनों को फोरम नाम दिया जाने लगा हो। सांसदों, स्थानीय अधिकारियों, मजिस्ट्रटों आदि के फोरम वर्ल्ड सोशल फोरम और क्षेत्रीय सोशल फोरमों के आयोजन के पहले, दौरान या बाद में होने लगे हैं।

इन फोरमों और वर्ल्ड सोशल फोरम के बीच काफी अंतर है। वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजक किसी तरह की निर्देशात्मक भूमिका नहीं निभाते। वे ऊपर बैठ कर कोई फैसला नहीं करते कि फोरम में किसे भाग लेना है किसे नहीं। उनकी भूमिका अन्य सम्मेलनों, बैठकों, सभाओं, अधिवेशनों और फोरमों के आयोजकों से अलग होती है। वे तो सिर्फ 'खुला स्पेस' बनाने का 'रास्ता साफ' करते हैं ताकि विश्व, क्षेत्र और स्थानीय स्तर पर लोगों की आपसी मुलाकात का एक विशाल दायरा बन सके जिसके दरवाजे सभी तरह के सामाजिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों, तरह-तरह की गैर-सरकारी एसोसिएशनों और सामाजिक संगठनों के लिए खुले रहें।

इस रोशनी में कहा जा सकता है कि वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजकों का काम तो केवल एक तरह की सेवा मुहैया कराना है। वे इस सामूहिक कार्यक्रम के नियंत्रक नहीं बनना चाहते। इस पहलकदमी का नेता बनने की कोशिश करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसी कारण से कोई जरूरी नहीं है कि वे नागरिक समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करें। आयोजकों और उनके संगठनों के लिए जरूरी केवल यह है कि उनकी पर्याप्त साख हो ताकि जब वे किसी को निमंत्रित करें तो उनके बुलाने की गंभीरता समझी जाए।[2]

प्रथम वर्ल्ड सोशल फोरम की आयोजन समिति ने अपने सोच[3] के हिसाब से इस विषय पर कुछ कांफ्रेंसों और बहसों का आयोजन जरूर किया था। उस समय तक किसी को नहीं पता था कि फोरम की तरफ कितने लोग आकर्षित होंगे[4], इसलिए आयोजकों ने सहभागियों को अपनी तरफ खींचने के लिए दुनिया भर के मशहूर बुद्धिजीवियों, कार्यकर्त्ताओं और आजीवन राजनीतिक संघर्ष के लिए प्रतिष्ठित लोगों को सम्मेलनों में 'अपने अनुभवों की जानकारी' देने के लिए निमंत्रित किया। आयोजकों ने उनका किराया-भाड़ा तक अदा किया ताकि उनकी शिरकत सुनिश्चित की जा सके। कहना न होगा कि ये सभी तौर-तरीके वैसे ही थे जैसे आम तौर पर फोरम आयोजित करने वाले अपनाते हैं।

लेकिन, इसके समानान्तर एक और गतिविधि चलती रही, जो पहला फोरम संगठित करने के संदर्भ में एकदम नई बात थी। आयोजकों ने संभावित सहभागियों से आग्रह किया कि वे खुद अपनी पहल पर 'स्व-आयोजित गतिविधियाँ' करें। सहभागियों से कहा गया कि फोरम में भाग लेने का निमंत्रण उनके अपने उद्देश्यों, गतिविधि की किस्म और स्तर किसी

भी तरह बाधित नहीं करता। वे अपने अनुभवों के आधार पर उन खतरों और जड़ताओं पर चर्चा करने और उनकी भर्त्सना करने के लिए आजाद होंगे जिनका सामना इस समय हमारी दुनिया कर रही है। 'दूसरी दुनिया' बनाने के लिए वे उन सभी विकल्पों को रख सकते हैं जिन पर वे वास्तव में अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूँजीवाद के परे जाने के लिए नई पहलकदमियाँ लेने हेतु वे अपने अनुभव और सोच का आदान-प्रदान कर सकते हैं, गैर-निर्देशात्मक संबंध बनाने और समन्वित करने की तरफ बढ़ सकते हैं।[5]

3. स्व-आयोजन और स्व-प्रबंधन

व्यवहार में हुआ यह कि ज्यादातर संगठनों को स्व-आयोजित गतिविधियाँ काफी दिलचस्प लगीं। कई संगठनों को फोरम के जरिए अपने काम और संघर्ष की ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देने का मौका मिला। शुरू में वर्कशॉप के नाम से जानी गई[6] ये स्व-आयोजित गतिविधियाँ सभागार में बैठे रहने वाले निष्क्रिय श्रोताओं के मुकाबले अधिक सक्रिय शिरकत की गारंटी करने वाली साबित हुईं। सम्मेलन में वक्ताओं द्वारा किए जाने वाले दोहराव-भरे विश्लेषण नहीं, बल्कि इस तरह की गतिविधियाँ ही बेहतर विचारों, प्रस्तावों और विचारों को सामने लाने का जरिया बनीं। नतीजा यह हुआ कि संगठनों की ऐसी स्व-आयोजित गतिविधियों में दिलचस्पी बढ़ती चली गई और पहले फोरम में हुई गोष्ठियों की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा निकली। फिर हर नए फोरम के साथ इनकी संख्या दूगनी होती चली गई।

पहले से चौथे फोरम के बीच उन विषयों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई जिन्हें आयोजकों ने अपने कार्यक्रमों का केंद्र बनाया था। ऐसे बहुत से विषयों पर वर्कशॉपों में चर्चा होने लगी जो शुरू में नहीं थे। आयोजकों ने नए तरह के कार्यक्रमों की पेशकश भी शुरू कर दी। विवादग्रस्त विषयों पर गोलमेज बहसें की जाने लगीं। लेकिन, ऊपर से लादे गए इन कार्यक्रमों का आयोजन जल्दी ही बंद कर दिया गया, क्योंकि इनकी वजह से स्व-आयोजित गतिविधियों पर पूर्वग्रह की छाया पड़ने लगी थी।

सहभागियों पर स्व-आयोजित गतिविधियों की जिम्मेदारी डाली गई। उनसे कहा गया कि वे अपने मेहमान वक्ताओं का हवाई किराया भी अदा करें। मुंबई, भारत में हुए चौथे फोरम तक आते-आते जो हालात बने, उन्हें वर्ल्ड सोशल फोरम के एक अंश के 'अति-विकास' की संज्ञा भी दी जा सकती है। इसमें पहले से चली आ रही कुछ गतिविधियाँ नहीं हुईं।[9] आयोजकों ने आम जनता के लिए न्यूनतम संख्या में सम्मेलनों और बहसों का आयोजन किया, और ज्यादा से ज्यादा स्पेस जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों की गतिविधियों के लिए छोड़ दिया।

इस तब्दीली का नतीजा यह हुआ कि मुंबई के फोरम में ग्रासरूट्स संगठनों को सबसे ज्यादा जगह मिली। फोरम के 'खुले स्पेस' में अनगिनत गतिविधियों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका मिला। (देखें अध्याय 4:1, 'मुंबई फोरम का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव')। दमित हितों की नुमाइंदगी करने वाले ग्रासरूट्स संगठनों को अपने संघर्षों के बारे में एक-दूसरे को और सारी दुनिया को जानकारी देने का मौका मिला। फोरम स्थल की इमारतों में जब कांफ्रेंसें, बहसें और वर्कशॉप चल रहे थे तो ये तमाम संगठन बाहर के खुले स्पेस पर कब्जा कर चुके थे।[10]

पोर्टो अलेगरे के फोरम में ही यह तय कर लिया गया था कि स्व-आयोजित गतिविधियों द्वारा पूरे कार्यक्रम पर अपना सिक्का जमाने लायक हालात बनाने के लिए रेडिकल कोशिशें की जाएँगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति में उस समय सहायता मिली जब सहभागियों ने स्वंय ही अपने कार्यक्रम तय किए,[11] और बाकी लोगों के लिए इसका रास्ता साफ करने हेतु 'फेसिलिटेटर' की भूमिका भी निभाई।

स्व-आयोजित गतिविधियों का सबसे ज्यादा उल्लेखनीय परिणाम यह निकला कि उनके जरिए संगठनों और लोगों को स्व-प्रबंधन के विचार पर अमल का मौका मिला। जिस नए समाज की रचना की कोशिश में फोरम जैसी गतिविधियाँ लगी हुई हैं, उसके भविष्य के लिए स्व-प्रबंधन का विचार और सिद्धांत बहुत अहम है। प्रभुत्व की संरचनाओं से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि पहले परनिर्भरता की आदतों से मुक्ति पाई जाए यानी स्वायत्तता और सह-दायित्व पर आधारित नागरिकता की भित्ति खड़ी की जाए। पूँजीवादी प्रणाली हमें बालकोचित बनाए रखना चाहती है, इसलिए उससे निकलने के लिए स्वायत्तता और स्व-प्रबंधन सीखना बहुत जरूरी है। किसी भी फोरम में कार्यक्रमों का स्व-प्रबंधन होना, उनमें तरह-तरह की विविधताओं द्वारा शिरकत करना और उस दौरान अलग-अलग लोगों द्वारा अपनी-अपनी रफ्तार से काम करना एक ऐसा अनुभव है जो वर्ल्ड सोशल फोरम को नागरिकता की शिक्षा देने के महान विद्यालय में बदल देता है।

4. सह-दायित्व

स्व-आयोजित गतिविधियों को दी गई ज्यादा अहमियत और पूरे आयोजन की गैर-निर्देशात्मक प्रकृति (देखें अध्याय 2:6, 'गैर-निर्देशात्मकता') ने पोर्टो अलेगरे के वर्ल्ड सोशल फोरम में सह-दायित्व की भावना का समावेश किया। यही भावना फोरम के सहभागियों और आयोजकों के बीच मुख्य सेतु बन गई। सन् 2003 के फोरम के लिए बनाए

गए कार्यक्रम के देर से प्रकाशन के पीछे यही भावना काम कर रही थी।

समस्या तब पैदा हुई जब एक हजार से ज्यादा स्व-आयोजित गतिविधियों के लिए कम्प्यूटर आधारित वितरण के मुताबिक स्थलों का आबंटन होना था। इसी के कारण छपा हुआ कार्यक्रम फोरम की शुरुआत से पहले बँट ही नहीं पाया। उद्घाटन के समय किसी को नहीं पता था कि कौन सा कार्यक्रम कहाँ होगा। ऐसे हालात से तकरीबन अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती थी। लेकिन, बजाय इसके कि सहभागी आयोजकों का घेराव करके कार्यक्रम बाँटने की माँग करते, उन्होंने उद्घाटन की पूर्वसंध्या पर इंटरनेट के जरिए खुद पता लगा लिया कि उनके कार्यक्रमों की जगह कहाँ है और यह जानकारी उन्हें भी दे दी जिन्हें इसकी जरूरत थी। कुछ ने तो अपने कार्यक्रमों का समय बदल कर उन्हें नए सिरे से संगठित कर लिया और पर्चे बाँट कर नए बंदोबस्त की सूचना भी दे दी।

सह-दायित्व का यह दिलचस्प अनुभव बताता है कि फोरम के जरिए उसके सहभागी परस्पर सहयोग का शुरुआती पाठ कैसे सीख सकते हैं। जाहिर है कि अगर इसी भाँति हर कोई फोरम की कामयाबी में अपने साधनों के मुताबिक योगदान करता रहा[12] तो फोरम को दूसरी दुनिया बनाने के संघर्ष में अपनी भूमिका निभाने से कोई नहीं रोक पाएगा। फोरम की ताकत बढ़ती ही चली जाएगी।

5. 'प्रतिनिधि' या निजी हैसियत से शिरकत?

स्व-आयोजन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने से पहले वर्ल्ड सोशल फोरम ने तय किया था कि शिरकत के लिए पंजीकरण केवल संगठनों के 'प्रतिनिधियों' का किया जाएगा। व्यक्तिगत स्तर पर शिरकत पंजीकृत नहीं की जाएगी। देखने में छोटा लगने वाला यह फैसला काफी जरूरी था।

इस नियम के कारण यह सुनिश्चित हो गया कि फोरम में सहभागिता हेतु पंजीकरण कराने वाले लोग किसी न किसी रूप में कार्यकर्त्ता ही होंगे।[13] इससे उन लोगों की शिरकत हतोत्साहित हुई जो अ-प्रतिबद्ध बुद्धिजीवियों के तौर पर या 'सोशल टूरिस्ट' के तौर पर थोड़ा बहुत दिशाबोध करने या केवल उत्सुकतावश आ सकते थे। चूँकि सभी सहभागी किसी न किसी संघर्ष में लगे हुए थे, इसलिए एक-दूसरे से मिलने और चर्चा करने का नतीजा यह हुआ कि वे विकल्पों और प्रतिबद्धताओं की ज्यादा गहराई से जाँच-पड़ताल कर पाए, उन्हें दुनिया बदलने के लक्ष्य की विराटता का पहले से कहीं ज्यादा एहसास हो पाया, दूसरे संगठनों से उनके संपर्क पहले से कहीं ज्यादा गहरे हुए और यह नेटवर्किंग विश्व स्तर तक पहुँच गई।[14] जाहिर है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर जागरूकता के साथ लौटे होंगे। इस

नियम का दूसरा फायदा यह था कि 'गैर-संगठित' व्यक्तियों की शिरकत के बजाय प्रतिनिधियों की शिरकत पर जोर देने से बहुत से भागीदार व्यक्तिगत स्तर पर घटित होने वाले कई तरह के जोखिमों से बच गए।

बहरहाल, फोरम का आकर्षण इतना ज्यादा था कि उसके लक्ष्यों में दिलचस्पी रखने वाले कई लोग व्यक्तिगत हैसियत से शिरकत करने के इच्छुक थे। एक फोरम से दूसरे तक प्रतिनिधियों की संख्या तो बढ़ी ही, जिससे फोरम के वांछित विकास की संभावना और बेहतर हुई, पर साथ में निजी हैसियत से भाग लेने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। हर बार प्रतिनिधियों के मुकाबले ऐसे सहभागी चार-पाँच गुना रहे। फोरम में जिन विचारों पर बहसें हुईं, उनके प्रचार-प्रसार के लिए यह एक सुविधाजनक स्थिति थी। इस तरह 'गैर-प्रतिनिधियों' की शिरकत सुनिश्चित करने का रास्ता भी ढूँढ़ लिया गया।[17]

'प्रतिनिधि' के तौर पर ही शिरकत के इस नियम का पालन अन्य फोरमों में लाजमी तौर पर नहीं किया गया।[18] अभी बहस जारी है कि इस सिलसिले में सर्वाधिक उपयुक्त रवैया क्या हो सकता है। अलग-अलग फोरमों में सहभागियों के पंजीकरण के लिए अपनाए गए तरीकों के अच्छे या बुरे नतीजों के हिसाब से इस बहस का नतीजा निकलेगा।

6. गैर-निर्देशात्मकता

चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स में एक ऐसा उसूल भी शामिल है जिसका फोरम के आयोजन पर सर्वाधिक संरचनागत असर पड़ा है। इस उसूल के मुताबिक फोरम एक ऐसा क्षैतिज स्पेस है जिसमें न कोई नेता है और न ही कोई अनुयायी। जैसा कि पहले ही साफ किया जा चुका है कि उसके आयोजकों की भूमिका केवल 'फेसिलिटेटर' की है। चार्टर का छठाँ अनुच्छेद स्पष्ट तौर पर कहता है : 'फोरम के किसी भी संस्करण के नाम पर किसी को यह अधिकार नहीं होगा कि सभी सहभागियों की नुमाइंदगी का दावा करते हुए कोई अधिकारिक बयान दे सके।' इस अनुच्छेद के अनुसार, 'इस प्रकार फोरम सत्ता का ऐसा केंद्र नहीं होगा जिसके लिए उसकी बैठकों में सहभागियों के बीच कोई विवाद हो सके।'

इस प्रकार फोरम एक ऐसा कार्यक्रम बन जाता है जिसकी अंतरनिहित गतिशीलता उसे किसी के नियंत्रण पर चलने वाला नहीं बनने देती। उसके लिए किसी ऐसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती सभी सहभागियों के लिए हिदायतें या चेतावनियाँ सूत्रीकृत करे। उसके लिए ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती जो शीर्ष से कार्यक्रम बनाए या राजनीतिक कार्रवाई की संरचनाएँ तय करे ताकि सब लोग उनका पालन कर सकें।

न केवल फोरम के सहभागियों के बीच कोई श्रेणीगत ऊँच-नीच होती है, न ही

संयोजकों और आयोजकों के बीच। स्व-आयोजित गतिविधियों में अपनी मर्जी के हिसाब से अंत:संबद्धता की इजाजत होती है। वर्ल्ड सोशल फोरम 'एक ऐसा बहुलतावादी, विविधतामूलक, किसी स्व-घोषणा में यकीन न करने वाला, गैर-सरकारी और गैर-दलीय संदर्भ है जो नई दुनिया बनाने के ठोस कार्यभार में लगे संगठनों और आंदोलनों को विकेंद्रीकृत शैली में अंत:संबंधित करता रहेगा' (चार्टर ऑव प्रिंसिपल्स का अनुच्छेद 8)। इस प्रकार सांगठनिक संरचनाओं को क्षैतिज बनाने का उसूल सुदृढ़ होता है। यह उसूल तकरीबन सभी तरह के सामाजिक संगठनों के पिरामिडनुमा सांगठनिक ढाँचे को पूरी तरह लोकतांत्रिक मानने से इनकार करता है (इस अंतर्दृष्टि के लिए देखें परिशिष्ट-8)।[19] यह उसूल फोरम को जीवंत नेटवर्किंग[20] के एक गहन क्षण में बदल देता है जिसका न कोई मुखिया होता है न कोई कमांडर।[21] एक ऐसे नेटवर्क में जिसमें प्रत्येक संगठन, आंदोलन या व्यक्ति को संपूर्ण स्वायत्तता की गारंटी होती है।[22]

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है फोरम की इस क्षैतिज नेटवर्क जैसी प्रकृति ने पिरामिड की तरह संगठित सरकारों, संस्थाओं और संगठनों को काफी उलझन में डाल रखा है। उन्हें तो ऐसे संगठनों से टकराने या उनकी चुनौतियों का सामना करने की आदत है जो पिरामिड की तरह हों, जिनके मुखियाओं से वे संवाद कर सकें[23] (देखें अध्याय 4:6, 'दावोस : पोर्टो अलेगरे')। दूसरी तरफ, फोरम से ऐसे आंदोलनों और संगठनों के नेता भी टकरा रहे हैं जिन्हें लगता है कि फोरम उन राजनीतिक ताकतों का आह्वान करके गोलबंदी कर लेता है जिनकी उन्हें उस समय जरूरत पड़ती है जब वे नव-उदारतावाद के खिलाफ जोरदार जमावड़ा करने की योजना बनाते हैं (देखें अध्याय 3:1, 'वर्ल्ड सोशल फोरम : स्पेस या आंदोलन?)।

7. क्षैतिज प्रकृति

फोरम की क्षैतिज प्रकृति का मतलब यह भी है कि किसी एक गतिविधि को किसी दूसरी गतिविधि के मुकाबले अहमियत नहीं दी जाएगी। ऐसा समय या स्थान किसी को आबंटित नहीं किया जाएगा जिससे उसे अपना चेहरा चमकाने का ज्यादा मौका मिले।

अर्थात दूसरी दुनिया बनाने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हों, उन्हें उनकी कार्रवाई के स्तर या दायरे की परवाह किए बिना उस कार्रवाई के लिए सक्रिय लोगों के बिना पर महत्त्वपूर्ण माना जाएगा। समय और स्थान का आबंटन आवेदक की जरूरतों व उनकी शिरकत को सुगम बनाने के मकसद से और उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

हर व्यक्ति या संगठन के लिए उसकी अपनी कार्रवाई सबसे ज्यादा अहम होती है।

पर, इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि वह अपने प्रस्ताव स्वीकार करने की अपेक्षा सभी से करने लगे। बजाय, इसके हर सहभागी से यह तय करने की अपेक्षा की जाती है कि वह कम या ज्यादा अहम के बीच अपने हिसाब से अंतर करेगा और उन कार्यक्रमों को चुनेगा जिनसे वह कुछ सीख सकता है या जिनसे जुड़ना उसके लिए लाभकारी है।

जैसा कि पहले स्व-आयोजनकारी गतिविधियों के संदर्भ में बताया जा चुका है कि किस तरह आयोजकों के कुछ निर्णयों से फोरम की क्षैतिज प्रकृति को ठेस लगी थी। उन्होंने कुछ ऐसे सम्मेलनों और बहसों के कार्यक्रम बना दिए थे जिनमें मशहूर राजनीतिक नेताओं और बुद्धिजीवियों की शिरकत होनी थी। इन कार्यक्रमों के लिए सबसे अच्छे और सबसे बड़े स्थान आबंटित किए गए। अपने विषयों के कारण ये कार्यक्रम फोरम के शो-केस बन गए थे और अन्य कार्यक्रमों की अहमियत कम सी हो गई थी (देखें, अध्याय-2:3, 'स्व-आयोजन और स्व-प्रबंधन)।

लेकिन, सन् 2004 में मुंबई में हुए फोरम में ऐसे कार्यक्रम काफी कम किए गए। यह इशारा था कि एक बार फिर फोरम की क्षैतिज प्रकृति का ख्याल रखा जा रहा है। सन् 2005 के फोरम में आयोजकों ने किसी बड़े कार्यक्रम की पेशकश नहीं की। बजाय इसके उन्होंने सहभागिता सुगम करने और अंत:संबद्धता प्रोत्साहित करने के लिए फोरम के संपूर्ण स्पेस को छोटे-छोटे स्पेसों में बाँट दिया। इन छोटे-छोटे स्पेसों का नामकरण उन मुद्दों और चुनौतियों के आधार पर किया गया जिनके बारे में उनके भीतर चर्चा होनी थी।

8. विविधता और बहुलता के लिए आदर

फोरम की भावना उसके जिस उसूल में सबसे ज्यादा झलकती है वह है विविधता के लिए सम्मान और उसी के फलितार्थों के रूप में बहुलता के लिए आदर। फोरम के प्रति इतने जबरदस्त आकर्षण का शायद सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कारण यही है। यह एक ऐसा मूल्य है जो न केवल फोरम के लिए बुनियादी महत्त्व की है, बल्कि उस समाज के लिए भी इसकी अहमियत बुनियादी है जो हम सब मिल कर बनाना चाहते हैं।

जाहिर है भेदभाव और असहिष्णुता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे रवैयों के लिए फोरम में कोई जगह नहीं है। दूसरी दुनिया बनाने के लिए किए जाने वाले संघर्ष का एक लक्ष्य यह भी है कि हर तरह के वहिर्वेशन, हाशियाकरण या उत्पीड़न पर जीत हासिल की जाए।

चार्टर ऑव प्रिंसिपल्स में विविधता के लिए आदर की जो चर्चा है, उसके तात्पर्य काफी व्यापक किस्म के हैं। उसमें सांस्कृतिक विभेदों का सम्मान करना तो निहित है ही,

राजनीतिक कार्रवाइयों के मामले में तरह-तरह के विकल्पों का आदर करना भी शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि फोरम के लिए विविधता का मतलब राजनीति के मामले में विविधता भी है। इसका एक मतलब यह भी होना चाहिए कि सामाजिक संघर्षों की सघनता और उनमें प्रगति की रफ्तार भी अलग-अलग होगी जिसका सम्मान करना भी आवश्यक है। सोशल फोरम केवल जुझारू तेवर के पैरोकारों का फोरम नहीं है। उसे ऐसे लोगों की शिरकत भी स्वीकार करनी होगी जो अभी तक राजनीतिक कार्रवाई के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए हैं। मसलन, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी फोरम में शिरकत करते हैं जिनकी हैसियत 'प्रतिनिधि' के बजाय 'व्यक्तिगत' होती है। इस किस्म-किस्म की विविधता के लिए आदर की भावना फोरम में आते समय भी होनी चाहिए, और फोरम खत्म करके जाते समय भी।

एक सोच यह है कि अगर साध्य प्राप्त हो गया, तो साधनों को जायज मान ही लिया जाएगा। पर, फोरम इस तरह नहीं सोचता। वह मानता है कि जो साधन अपनाए जाएँगे, साध्य भी उन्हीं के अनुसार बनेगा। यानी दूसरी दुनिया बनाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तय करेगी कि वह दुनिया कैसी होगी। इसलिए, जरूरी है कि फोरम एक ऐसे स्पेस के रूप में काम करे जो उन सभी लोगों के लिए खुला हो जो दूसरी दुनिया बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें लोगों को प्रेरित करने वाले सपनों, आकांक्षाओं, अनुभवों और लक्ष्यों की बहुलता और विविधता का लोकतांत्रिक ढंग से सम्मान करना सीखना होगा।

यह सीखने की एक प्रक्रिया है, जो जितना समझा जाता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। राजनीतिक कार्रवाई के मामले में यह दिक्कत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस मामले में राजनीतिक प्रेरणाएँ और राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएँ सत्ता के लिए संघर्ष और प्रभावकारिता के आग्रहों के साथ घुल-मिल जाती हैं। साथ काम करने और अत:संबद्धता की बात तो छोड़ ही दीजिए, स्वीकार करना खासा मुश्किल होता है कि जिसे हम सबसे ज्यादा अहम मानते हैं उसकी हैसियत दूसरे के लिए दोयम दर्जे की है। सन् 2003 के यूरोपीय सोशल फोरम[24] के दौरान एक संगोष्ठी में इस विषय पर चर्चा हो रही थी कि सोशल फोरम को एक ऐसा स्पेस माना जाए जिसमें विविधता का सम्मान किया जाता है। उस समय मैंने सुझाव दिया था कि इस चर्चा का विषय बदल कर इस तरह कर दिया जाना चाहिए : 'एक ऐसे स्पेस के रूप में सोशल फोरम जिसमें विविधता का आदर करने का तरीका सीखा जाता है'।[25] इस सुझाव के साथ ही मैंने यह विचार भी जोड़ दिया ; 'विविधता के लिए सम्मान ही इन फोरमों की सारी खूबियों का स्रोत है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हमें अपने गिरेबान में मुँह डाल कर करना है।'

9. पर्यावरण के लिए सम्मान

दूसरी दुनिया बनाने के लिए कार्यरत होने का मतलब यह है कि ऐसी गुंजाइशें खोलना जहाँ पहले से ही सोशल फोरमों के तर्ज पर नई दुनिया की रचना के दौर से गुजर रही हो। जाहिर है कि ऐसी हालत में सोशल फोरमों को मानवता के ऊपर आए सबसे बड़े खतरे के बारे में जरूर सोचना चाहिए। जब तक इस दुनिया पर पूँजीवाद का तर्क हावी रहेगा, तब तक हमारी धरती विनाश के अंदेशों की शिकार बनी रहेगी।

इस सिलसिले में सन् 2005 के फोरम में किए गए प्रयोग काफी अहम साबित हुए हैं। पर्यावरण बचाने के लिए संघर्ष कर रहे और धरती पर टिकाऊ जीवन की गारंटी करने की कोशिश में लगे संगठनों ने वहाँ माँग की कि फोरम में कुछ निश्चित शर्तों का पालन किया जाए, उपभोग और व्यवहार के कुछ निश्चित मानकों पर ख्याल रखा जाए और जहाँ भी जरूरी हो निश्चित तरह की सामग्री ही इस्तेमाल की जाए।

इसी लिहाज से जहाँ तक व्यावहारिक हो सका, आयोजन के लिए बहुत तरह के प्रस्तावों पर अमल किया गया। जैसे, किसी किस्म की बरबादी न करने और किसी किस्म का प्रदूषण न करने की गारंटी की गई। सहभागियों द्वारा फोरम के भीतर घूमने के लिए साइकिलें पार्क करने का बंदोबस्त किया गया। आहार और सेवाओं की आपूर्ति के लिए सोलिडेरिटी इकॉनॉमी और जैव खेती के आंदोलनों से काम लिया गया। पर्यावरण के अनुकूल सामग्री इस्तेमाल की गई। इन सभी में फोरम के भीतर तरह-तरह की नई जमीन तोड़ने की गुंजाइश थी।

10. फोरम के लिए खर्चे का इंतजाम

फोरम के लिए खर्चे का इंतजाम कैसे किया जाएगा, इस प्रश्न का सीधा ताल्लुक दूसरी दुनिया बनाने से है। जाहिर है कि इस संदर्भ में कोष के बेजा इस्तेमाल के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। सोशल फोरम के आयोजकों के सिलसिले में ऐसा मुद्दा उठना भी कल्पना से परे होना चाहिए। समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, दोनों तरह की सरकारों का स्तर गिरा देता है। ऐसा भ्रष्टाचार तो सोशल फोरमों को तबाह कर देगा। इसलिए, सोशल फोरमों का आयोजन पूरी तरह पारदर्शी हिसाब-किताब के आधार पर किया जाना ही श्रेयस्कर है।

कोष जुटाने के मामले में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि फोरमों को आयोजित करने के दायित्व में हाथ बँटाने वाले संगठन और आयोजक देश की सरकारें आयोजन के तौर-तरीकों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न कर सकें। अपनी बात कहने की सहभागियों

की आजादी या किसी पहलकदमी लेने की उनकी स्वतंत्रता किसी भी तरह से बाधित नहीं होनी चाहिए।

यह भी अपने आप में कमोबेश स्पष्ट ही है कि दूसरी दुनिया बनाने में दिलचस्पी न रखने वाले संगठनों से कोई भी रकम नहीं ली जानी चाहिए। ऐसा कोई भी संबंध सभी पक्षों के लिए नुकसानदेह साबित होगा।

11. वर्ल्ड सोशल फोरम : नागरिक समाज का स्पेस

हालाँकि बहुत से लोग वर्ल्ड सोशल फोरम को दूसरी दुनिया बनाने के उपकरण के रूप में देखते हैं, पर यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि दूसरी दुनिया बनाना फोरम का काम नहीं है। यह वक्तव्य लोगों को कुछ निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाला लग सकता है। पर, इस पुस्तक के प्राक्कथन में पहले ही कह दिया गया है कि फोरम दुनिया नहीं बदलेगा, बल्कि यह काम तो समाज ही करेगा। यह जरूर है कि फोरम को इस प्रयास में बहुत बड़ा योगदान करना है, पर इसके लिए आवश्यक राजनीतिक कार्रवाई में उसकी हैसियत केंद्रीय भी नहीं होगी। निर्देशात्मक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस किताब की पूरी दृष्टि यही है कि किस तरह फोरम की सहायक और मध्यवर्ती भूमिका पर जोर दिया जाए, उसे और उसके परिणामों को स्पष्ट रूप से स्वीकारा जाए।

यही कारण था कि पहले वर्ल्ड सोशल फोरम के ब्राज़ीलियन आयोजकों ने फोरम को एक ऐसे महान सम्मेलन के रूप में आयोजित करने की किसी भी संभावना से इनकार किया जिसमें दुनिया के बड़े-बड़े बुद्धिजीवी और नेता आते, एक विकल्प तैयार करते और फिर परिवर्तन के लिए दुनिया के स्तर पर एक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए निकल जाते। उन्होंने फोरम को जुझारू तत्त्वों के एक ऐसे महान प्रदर्शन या सभा में सीमित करने से भी परहेज किया जिससे भूमंडलीकरण के खिलाफ चल रही मुहिम में एक घटना और दर्ज हो जाती। बजाय इसके उनका फैसला यह था कि एक स्पेस तैयार किया जाए जिसमें नागरिक समाज के तत्त्व आपस में मिल सकें। एक ऐसा स्पेस जिसमें पिछले कुछ दशकों में उभरा नागरिक समाज नामक नया राजनीतिक अभिनेता परिवर्तन के लिए जूझ रहे अन्य तत्त्वों के साथ-साथ दुनिया के मंच पर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सके।[27]

'नागरिक समाज' का मतलब अपने-आप में पहले भी साफ था और आज भी है। इसका मतलब है गैर-सरकारी संस्थाएँ, एसोसिएशनें, आंदोलन और ट्रेड यूनियन संगठन। इन सबका ताल्लुक समाज के उस हिस्से से है जो कुछ विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए खुद को संगठित करते हैं, और इस तरह मोटे तौर पर समाज से अलग-थलग पड़ी हुई निजी

स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई से परे चले जाते हैं। पहले भी साफ किया जा चुका है कि नागरिक समाज की इस परिभाषा में राजनीतिक दल नहीं आते।[28] सरकारें, उनकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और फौजी संगठन भी उसमें शामिल नहीं हैं (इन्हें नागरिक समाज के दायरे से बाहर रखने की वजह पर हम आगे चर्चा करेंगे)। राजनीतिक दलों को इसलिए बाहर रखा गया है कि उनके, सरकारों के और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास पहले से ही तरह-तरह के फोरम और अन्य जमावड़े हैं जहाँ वे मिल सकते हैं और अतर-संबंधित हो सकते हैं।

कहना न होगा कि नागरिक समाज के कई संगठनों के पास पहले से ऐसे दायरे हैं जिनमें वे आपस में मिलते हैं, अपनी गतिविधियों में समन्वय करते हैं। यहाँ तक कि उनकी ये गतिविधियाँ विश्व स्तर तक चलती हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलनों के समय उनके समांतर होने वाली सेक्टर आधारित वैकल्पिक बैठकें भी शामिल हैं। लेकिन, वर्ल्ड सोशल फोरम होने से पहले नागरिक समाज के पास अपने संगठनों की समस्त बहुलता और विविधता के लिए एक साथ (न स्थानीय, न राष्ट्रीय, न क्षेत्रीय और न ही दुनिया के स्तर पर) फोरम जैसा कोई एक मिलन-स्थल उपलब्ध नहीं था। समाज के संगठित हिस्सों के पास समाज की असंगठित संरचनाओं के बीच से उभरने का कोई जरिया मौजूद नहीं था।

फोरम ने दुनिया के स्तर पर नागरिक समाज के संगठनों और आंदोलनों को जिस तरह आपस में जोड़ा है, उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं : 'राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक हैसियत प्राप्त करने के लिए नागरिक चेतना को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन, उसे एक वैश्विक आयाम जरूर मिल गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वास्तव में एक नए अभिनेता का जन्म हो रहा है, और यह अभिनेता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज।' फ्रांस में प्रकाशित अपने एक लेख में मैंने यही वक्तव्य दिया था।

12. नेटवर्किंग और कार्रवाई के लिए प्रोत्साहन

वर्ल्ड सोशल फोरम के चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स के 11, 12 और 13वें अनुच्छेदों के मुताबिक फोरम को तीन तरह के कामों के लिए एक साथ गुंजाइशें बनाना है। ये तीन काम हैं : बहस के लिए स्पेस मुहैया कराना, अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए स्पेस मुहैया कराना और नेटवर्किंग के लिए स्पेस तैयार करना। पहले तीन फोरमों में इन तीनों कामों पर अलग-अलग जोर दिया गया था। सन् 2001 के फोरम में नेटवर्किंग की नई प्रक्रिया शुरू हुई और दुनिया भर में चल रहे सरअंजाम पर बहस और उसकी भर्त्सना के रूप में अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ। लेकिन, कुल मिला कर इस पर नेटवर्किंग ही हावी रही। सन् 2002 के फोरम

में नव-उदारतावाद की भर्त्सना जारी रही, साथ में नेटवर्किंग भी होती रही, पर इस आयोजन में संगठनों ने आपस में एक-दूसरे को पहचानने और समझने का काम और गहराई से करना शुरू किया। सन् 2003 के फोरम की मुख्य बात रही नई अंत:संबद्धताओं का उदय। साथ ही लोगों को इस जरूरत का एहसास भी शुरू हुआ कि फोरम में कार्रवाई के मकसद से पेश किए जाने वाले प्रस्तावों को और सामने लाया जाना चाहिए। इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए इस फोरम ने पहला प्रयोग किया और कार्रवाई के लिए सहभागियों के प्रस्तावों की एक भित्ति तैयार की।[30]

केवल संगठनों से ही 'प्रतिनिधि' पंजीकृत करने के पीछे मकसद यही था कि पहले से ही ठोस कार्रवाई में लगे लोग फोरम में शिरकत करें (देखें अध्याय 2:5, 'प्रतिनिधि या निजी हैसियत से शिरकत')। ऐसे सहभागियों के लिए फोरम ठोस कार्रवाई की शुरुआत नहीं थी। फोरम से वे अपनी कार्रवाई की निरंतरता कहीं ऊँचे स्तर पर पहुँचा सकते थे। बहरहाल, फोरम में एक ऐसा अवसर निहित करने के लिए विशेष प्रयास करना जरूरी था जिसके तहत अंत:संबद्धता और कार्रवाई की गुंजाइशें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिल सकें। चार्टर के 13वें उसूल में कहा भी गया है :

> जहाँ तक अंत:संबंद्धता का सवाल है, वर्ल्ड सोशल फोरम समाज में सार्वजनिक जीवन के या निजी जीवन के संगठनों और आंदोलनों के बीच नए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेतु बना कर उन्हें मजबूत करना चाहता है। इससे यह होगा कि दुनिया जिस अमानवीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है, उसका अहिंसक सामाजिक प्रतिकार करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इससे राज्य द्वारा की जाने वाली हिंसा का अहिंसक प्रतिकार मजबूत होगा और इन आंदोलनों और संगठनों द्वारा अपनाये जाने वाले वे उपाय पुष्ट होंगे जिनसे मानवीकरण प्रोत्साहित होता है।

यह नजरिया चार्टर के पहले उसूल में भी मौजूद है। इसमें फोरम को 'प्रभावी कार्रवाई के लिए अंत:संबद्धता' हेतु एक खुले मिलन-स्थल के रूप में देखा गया है। मुंबई फोरम (16-21 जनवरी, 2004) द्वारा वर्ल्ड सोशल फोरम-प्रक्रिया पर डाले गए सांस्कृतिक प्रभाव के बाद (देखें अध्याय 4:1, 'मुंबई फोरम का सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव') कई सहभागियों ने महसूस किया कि अब ऐसा कदम उठाने का क्षण आ गया है। उन्हें अब ऐसी कार्रवाइयों की पेशकश शुरू कर देनी चाहिए जिनसे दुनिया में सभी स्तरों पर परिवर्तन लाए जा सकते हों। इससे अलग-अलग संगठनों द्वारा ली जा रही कार्रवाई की पहल को और अधिक विस्तृत दायरा मिल सकता था। इसके मुताबिक फोरम में होने वाले विचार-विमर्श का नतीजा कार्रवाई को बढ़ावा देने वाली ठोस सिफारिशों और योजनाओं में निकलना जरूरी

था। साथ में ये योजनाएँ फोरम से जुड़ी जबरदस्त विविधता के अनुकूल भी होनी आवश्यक थीं।

यह चिंता फोरम की इंटरनेशनल कौंसिल की मुंबई में 15, 22 और 23 जनवरी, 2004 को हुई बैठक में काफी शिद्दत के साथ व्यक्त की गई। इस बैठक में जरूरत महसूस की गई कि फोरमों को आयोजित करने का तरीका बदलना चाहिए ताकि प्रक्रिया में इस मकसद से और बेहतर प्रस्तावों को जन्म देने की क्षमता पैदा हो सके।[31] कौंसिल की यह चिंता चार्टर के पहले और तेरहवें उसूल में व्यक्त प्रवृत्तियों पर अधिक रेडिकल तरीके से अमल की इच्छा के ही अनुकूल थी।

5, 6 और 7 अप्रैल को पासिग्नानो, इटली में हुई कौंसिल की बैठक में एक पद्धति संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसके पीछे मुंबई फोरम द्वारा प्राप्त अनुभव को पद्धति और सारांश आयोगों के माध्यम से धरती पर उतारने का इरादा था। इसी प्रस्ताव ने सन् 2005 के फोरम-आयोजन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए। इसके तहत अपनाए गए कई नए तरीकों में फोरम होने के पहले ही संयुक्त प्रयासों को प्रोत्साहित करना और कार्रवाई योजनाएँ बनाना भी शामिल था। फोरम के दौरान सहभागियों को प्रत्येक दिन कुछ खाली समय देने का प्रावधान भी किया गया जिससे वे नेटवर्किंग और ठोस कार्रवाई योजनाओं के लिए आपस में चर्चा कर सकें।[32] चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स के अनुसार सभी योजनाओं की जिम्मेदारी सहभागियों को ही लेनी थी, न कि फोरम को। सन् 2003 में बनाई गई प्रस्तावों की भित्ति से प्रेरित हो कर इस फोरम में रखे गए बहुत से प्रस्तावों (352) को व्यापक पैमाने पर खोल कर रखा गया। ऐसा करने में किसी भी किस्म की प्राथमिकताओं और ऊँच-नीच का ख्याल नहीं किया गया। पोर्टो अलेगरे में हुए सन् 2005 के फोरम में सहभागियों के प्रस्तावों की एक भित्ति बनाई गई जिसे 'दूसरी दुनियाओं की रचना के लिए सहभागियों के प्रस्तावों की भित्ति' का नाम दिया गया।

13. राजनीतिक कार्रवाई : एक नहीं, अनेक रास्ते

दुनिया बदलने की प्रक्रिया राजनीतिक कार्रवाई की अनगिनत किस्मों पर निर्भर करती है। इन्हीं में से एक है राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयाँ जो निर्णायक साबित होती हैं क्योंकि उनकी वजह से कानून बनते हैं और सरकारें उन पर अमल करती हैं। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि हर किस्म की राजनीतिक कार्रवाई राजनीतिक दलों के जरिए ही की जा सकती है। पहले के जमानों में इस तरह की गलत धारणाएँ रही हैं। सड़कों पर किए जाने वाले प्रदर्शन भी राजनीतिक कार्रवाई का एक रूप हैं। आम तौर पर

सामाजिक आंदोलन, ट्रेड यूनियनें और पार्टियाँ इस तरह के प्रदर्शन आयोजित करती हैं। प्रदर्शनों के जरिए भर्त्सना, संघर्ष, प्रतिरोध और दबाव डालने का काम प्रभावी ढंग से किया जाता है। प्रदर्शन अपने सहभागियों और समाज के लिए जन-शिक्षक की भूमिका भी निभाते हैं। लेकिन, प्रदर्शनों का भी एक वक्त और स्थान होता है।

उत्पीड़नकारी सत्ता के प्रतिरोध और उस पर दबाव डालने का काम कई तरीकों से किया जा सकता है। कार्रवाइयाँ निजी हैसियत से भी की जा सकती हैं, जैसे सविनय अवज्ञा के जरिए। निजी हैसियत से किए गए प्रतिरोध के प्रयास केवल तभी प्रभावी हो सकते हैं जब उनके पीछे ठीक ढंग से बनाई गई सामूहिक योजना हो। आज कल कार्रवाई के प्रस्तावों का प्रसार करने के लिए जनसंचार माध्यमों का खूब इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इंटरनेट, फेक्स और सेल फोन जैसे संचार के क्षैतिज माध्यम मौजूद हैं जिनकी संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। इन साधनों के जरिए लोगों को कार्रवाई में उतारा जा सकता है। मसलन, उपभोक्ताओं का इन साधनों के माध्यम से आह्वान किया जा सकता है कि वे अमुक उत्पादों का बायकाट करें। केवल इन साधनों का इस्तेमाल करके या प्रदर्शनों के साथ जोड़ कर चलाई जाने वाली नागरिक मुहिमें बहुत कामयाब हो सकती हैं, यहाँ तक कि उनसे चुनावी फायदा तक हो सकता है।[33] जब इनसानों की निजी प्रवृत्तियों का संयोग आपस में मिल जाता है, तो अक्सर उसके नतीजे हैरान कर देने वाले निकलते हैं।

यही कारण है कि हमें फोरम के परिणामों का आकलन उसमें हुए विरोध प्रदर्शनों के फैसलों और फिर उनके आधार पर हुई कार्रवाइयों के बिना पर नहीं करना चाहिए। बहुत से सामाजिक आंदोलन इसी तर्ज पर सोचते हैं। राजनीतिक कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन करने के आग्रह में सीमित नहीं की जा सकती। न ही फोरमों को केवल इसलिए कामयाब समझा जा सकता कि उनकी वजह से सड़कें प्रदर्शन और रैलियों से भर जाती हैं। यह अलग बात है कि फोरमों की शुरुआत और समापन इसी तरह के कार्यक्रमों से होता है।

किसी भी फोरम या फिर वर्ल्ड सोशल फोरम-प्रक्रिया की वास्तविक कामयाबी का आकलन तो केवल वक्त के साथ ही हो सकता है। यह मानना उचित नहीं होगा कि जिस दिन हमें सत्ता मिलेगी, उसी दिन दूसरी दुनिया बननी शुरू होगी।[34] ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला है। दूसरी दुनिया बनने की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है। वह भीतर से बाहर की ओर और नीचे से ऊपर की ओर बन रही है। वह असंख्य कार्रवाइयों के जरिए पुरानी दुनिया से छीनी गई जमीन पर बन रही है। इन कार्रवाइयों से सांस्कृतिक परिस्थितियों समेत ऐसे हालात बन रहे हैं जिनके आधार पर एक खास मुकाम पर आ कर परिवर्तन की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सकता है, उन्हें ऊपर से नीचे तक स्थायित्व दिया जा सकता है।[35] परिवर्तन के

लिए की जाने वाली कार्रवाई फोरमों की शुरुआत से पहले भी हो रही थी, और उनके बाद भी जारी रहने वाली है। उसका विस्तार लगातार होते रहना जरूरी है। उसे और गहराई तक जाना चाहिए। फोरम की असली कामयाबी तो उसका राजनीतिक नतीजा है (देखें अध्याय 3:4, 'फोरम राजनीतिक रूप से प्रभावी कैसे बनाया जाए?)। फोरम की यह कामयाबी नापने का एक ही तरीका है कि परिवर्तन के लिए हो रही अलग-अलग किस्म की कार्रवाइयों के बीच सहयोग और अंत:संबद्धता का स्तर उठाने की फोरम की क्षमता क्या है। अर्थात फोरम की वजह से उन तरह-तरह के राजनीतिक अभिनेताओं के बीच सहयोग और परस्पर संबद्धता की स्थिति क्या है जिनकी कार्रवाई पर वास्तव में दुनिया बदलने की प्रक्रिया निर्भर करती है।

14. हिंसा का अस्वीकार

चार्टर ऑव प्रिंसिपल्स का सूत्रीकरण करने वाले फोरम की आयोजन समिति में शामिल संगठनों और चार्टर की पुष्टि करने वाले इंटरनेशनल कौंसिल में शामिल संगठनों ने हिंसा के इस्तेमाल के बारे में पूरी तरह साफ रवैया अपनाया। चार्टर के नवें उसूल से स्पष्ट है कि फोरम में फौजी संगठनों की शिरकत की इजाजत नहीं है। इसी अध्याय के बारहवें खंड में चार्टर के तेरहवें उसूल का जिक्र किया गया है जो कहता है कि फोरम आयोजन के दौरान बनी अंत:संबद्धताओं के जरिए 'सार्वजनिक जीवन के संगठनों या निजी जीवन के संगठनों और आंदोलनों के बीच नए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेतु बना कर उन्हें मजबूत करना चाहता है। इसका असर यह पड़ेगा कि दुनिया जिस अमानवीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है, उसका अहिंसक सामाजिक प्रतिकार करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इससे राज्य द्वारा की जाने वाली हिंसा का अहिंसक प्रतिकार मजबूत होगा और इन आंदोलनों और संगठनों द्वारा अपनाये जाने वाले वे उपाय पुष्ट होंगे जिनसे मानवीकरण प्रोत्साहित होता है।'[36]

चार्टर लिखे जाते समय एक प्रस्ताव यह भी आया था कि फोरम के 'खुले स्पेस' में ऐसे संगठनों को शिरकत का मौका नहीं देना चाहिए जो राजनीतिक कार्रवाई के तौर पर हिंसा को स्वीकृति देते हों। लेकिन, चर्चा के बाद यही तय हुआ कि केवल फौजी संगठनों की शिरकत पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

अपनाए गए साधनों के मुताबिक ही साध्य आकार लेता है, इस उसूल के तहत अहिंसा को दूसरी दुनिया बनाने के लिए अनिवार्य शर्त मानने के पक्ष में कई तर्क दिए जा सकते हैं। यहाँ उन तर्कों पर चर्चा करने के बजाय इतना कहना ही उचित होगा कि फोरम के सहभागियों ने अपना मकसद हासिल करने के लिए जो रास्ता चुना उसकी खास बात यह है

कि उसमें हिंसा का अस्वीकार भी शामिल था। जाहिर है कि फोरम अपने दायरे में राजनीतिक साधन के रूप में हिंसा के प्रचार की अनुमति नहीं देता, न ही इस तरह की चर्चा के लिए गुंजाइश देता है कि भविष्य में हिंसा को आवश्यक साधन माना जा सकता है या नहीं। अगर कोई सहभागी इस तरह की चर्चा करना चाहता है तो किसी दूसरे फोरम या किसी दूसरे आयोजन में कर सकता है। चूँकि फोरम विविधता का सम्मान करता है इसलिए इसके मुताबिक फोरम के दायरे में उन सहभागी संगठनों की इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए जो हिंसा के इस्तेमाल की संभावना तक पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं।[37]

साथ में यह भी स्पष्ट है कि अमेरिका की मौजूदा सरकार सारी दुनिया पर जिस तरह का फौजीकरण थोपने में लगी हुई है उसके जवाब में आतंकवाद का उभार हुआ है। यह एक ऐसा द्वंद्व है जो हिंसा जैसी परिघटना को हमारे लिए रोजमर्रा की शै में बदल देता है। इसे देखते रहने के अलावा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।[38] दूसरी दुनिया मुमकिन बनाने का प्रयास अगर सार्थक करना है तो एक शांतिपूर्ण विश्व की रचना के लिए संकल्प करना ही होगा। एक शांतिपूर्ण विश्व की आकांक्षा वर्ल्ड सोशल फोरम के दायित्वों में स्वाभाविक रूप से मूर्तिमान होना चाहिए।[39]

15. कोई अंतिम दस्तावेज नहीं!

वर्ल्ड सोशल फोरम आयोजित करने के इन आधार बिंदुओं में सबसे महत्त्वपूर्ण वह आग्रह है जिसके मुताबिक सोशल फोरम का समापन बिना किसी अंतिम उद्घोषणा या दस्तावेज के किया जाता है। अंतिम दस्तावेज जारी न करना फोरमों के आयोजनों का एक प्रधान पहलू बन गया है। इसे दरकिनार करने पर फोरमों का पूरा शीराजा ही ढह सकता है। शायद यही कारण है कि फोरम की यह विशेषता बदलने की कोशिशें सबसे ज्यादा हुई हैं। दरअसल, कुछ लोग यह समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि पूँजी के प्रभुत्व के खिलाफ फोरम की विशिष्ट भूमिका क्या है। या तो वे इस भूमिका से सहमत नहीं हैं, या फिर समझते हैं कि फोरम के लिए इसे निभाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यह विशेषता खत्म करने का प्रयास ऐसे लोगों द्वारा सबसे ज्यादा किया गया है। पुरानी दुनिया का ऑक्टोपस फोरम-आयोजन के इस आधारबिंदु से सबसे ज्यादा नाराज है।

अगर फोरम अपने समापन के समय 'अंतिम दस्तावेज' जारी करने की पद्धति से चिपका रहता तो संगठनात्मक दृष्टि से उसका अनूठापन खत्म हो जाता। वह गैर-निर्देशात्मक, क्षैतिज, 'खुला स्पेस', संघर्ष की विविधता और उसकी कामयाबी की दर का सम्मान करने वाला, एवं नेटवर्किंग करते हुए सहभागियों को सह-दायित्व देने वाला

आयोजन इसीलिए बन पाया है कि वह कोई अंतिम दस्तावेज जारी नहीं करता। अंतिम दस्तावेज जारी करने का मतलब होता, लोगों पर एक और 'अंतिम सत्य' थोपना। हम ज्यादा से ज्यादा यह कर पाते कि अपने ऊपर लदे हुए जिन अंतिम सत्यों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उनकी जगह एक नया अंतिम सत्य रख देते। इस तरह फोरम विभिन्न राजनीतिक स्थितियों के बीच संघर्ष में बदल जाता। अपना-अपना वर्चस्व थोपने की कोशिशें शुरू हो जातीं। असंतोष पैदा होता और फूट पड़ती चली जाती।

वैसे भी कोई अंतिम दस्तावेज तब तक नहीं लिखा सकता था जब तक सभी उसके लिए की जाने वाली चर्चा में शिरकत न करते। यानी फोरम का सारा समय इसी (बेकार की) बहस में गुजर जाता।[40] अंतिम दस्तावेज लिखने के लिए कुछ खास प्रतिनिधियों का चयन करना नामुमकिन तो होता ही, फोरम जैसे आयोजन की भावना के मुताबिक भी नहीं हो सकता था। बिना किसी चालबाजी के ऐसा दस्तावेज सभी की स्वीकृति या हजारों सहभागियों द्वारा ध्वनिमत से पास कराने के लिए पेश करना असंभव होता। दरअसल, आम तौर पर होता यह है कि ऐसे कथित अंतिम दस्तावेज असल में आयोजन के पहले ही लिख लिए जाते हैं।

जिस तरह फोरम का कोई नेता नहीं है, उसी तरह उसका कोई अंतिम दस्तावेज भी नहीं है। चूँकि यह फोरम दुनिया बदलने के लिए तरह-तरह की कार्रवाइयों पर चर्चा के लिए खुला हुआ है, इसलिए वह किसी एक दस्तावेज की निश्चित सीमाओं में हर बहस का सार-संकलन नहीं कर सकता। वैसे भी ऐसा दस्तावेज किसी काम का साबित नहीं होता, क्योंकि उसके साथ किसी की प्रतिबद्धता नहीं होती और बाद में उस पर कोई अमल नहीं करता। दूसरे, सभी लोगों को संतुष्ट कर सकने वाले दस्तावेज में सतही और मोटे तौर पर कही जाने वाली बातें ही हो सकती थीं।

अंतिम दस्तावेज का केवल एक ही उपयोग हो सकता था। उसके जरिए नेताओं को जरूर लगता कि वे वास्तव में नेता हैं और एक शानदार भविष्य के लिए इस दस्तावेज के जरिए जनता का आह्वान कर रहे हैं।[41] लेकिन, अगर ऐसा होता तो वर्ल्ड सोशल फोरम नेताओं के लिए एक उपकरण में बदल जाता, और फोरम -प्रक्रिया की तरफ आकर्षित हुई तमाम ताकतें उससे दूर हो जातीं। मीडिया के लिए यह समझना चाहे कितना भी दिक्कततलब क्यों न हो, फोरम का अंतिम दस्तावेज उन तमाम अंतिम दस्तावेजों का योगफल ही हो सकता है जो फोरम से निकली गतिविधियों और अंत:संबद्धताओं की देन हैं। इन बहुत से अंतिम दस्तावेजों में ही वे कार्रवाई-योजनाएँ दर्ज हैं जिनसे उनके लेखक प्रतिबद्ध महसूस करते हैं, और जाहिर है कि इसीलिए उन्हें धरती पर उतारने का प्रयास करेंगे।

संदर्भ और टिप्पणियाँ

1. फ्रांस की *क्लार्क* पत्रिका ने सन् 2004 में मुझसे पूछा था कि 'फोरम के विचारों' को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मेरा जवाब था : 'फोरम में जिन विचारों पर बहस हुई है वे 'फोरम के विचार' नहीं हैं। वे तो लोगों के विचार हैं जिन्हें पेश करने, जिन पर चर्चा करने और दूसरों के विचारों से उनकी तुलना करने के लिए वे फोरम में शामिल होते हैं ताकि उन्हें और प्रभावी बनाने के लिए साधनों और गठजोड़ों की उपलब्धि कर सकें।'
2. मार्च, 2003 को *कारोस एमिगोस* नामक पत्रिका ने एक साक्षात्कार के दौरान मुझसे पूछा था कि क्या आयोजन समिति का सदस्य होने के नाते मेरी बातों को अधिकारिक समझा जा सकता है? इस पर मेरा जवाब था : 'आयोजन समिति का कामकाज पूरी तरह से कार्यकारी है, प्रतिनिधिमूलक नहीं। हालाँकि मैं एक ऐसे संगठन का प्रतिनिधि हूँ जो सीएनबीबी से जुड़ा हुआ है, पर मैं समिति में चर्च की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक आयोजक हूँ। मेरी भूमिका फोरम में शामिल किसी भी ताकत का प्रतिनिधित्व करने की नहीं है।'
3. सम्मेलनों और बहसों का आयोजन करने के दौरान फोरम के आयोजकों ने 'दूसरी दुनिया मुमकिन है' के संदर्भ में किए जा सकने वाले कामों का मोटा-मोटा जायजा लेने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने उन 'आधारभूत विषयवस्तुओं' का भी सूत्रीकरण कर लिया जिन पर फोरम में चर्चा की जा सकती थी। वे तमाम मुद्दे इन्हीं विषयों के तहत आते थे जिन पर दूसरी दुनिया बनाने के मकसद से चर्चा की जानी थी। ये आधारभूत विषयवस्तुएँ थीं : सम्पत्ति का उत्पादन और सामाजिक पुनरुत्पादन, सम्पत्ति की सुलभता और टिकाऊपन, नागरिक समाज और सार्वजनिक क्षेत्र की दावेदारी, और नए समाज में राजनीतिक सत्ता और मूल्य प्रणाली।
4. ध्यान रहे कि पोर्टो अलेगरे को आयोजन स्थल के रूप में चुनने के पीछे एक कारण यह भी था कि इस नगर के शासन ने 'सहभागी बजट प्रणाली' की शुरुआत कर दी थी। राजनीतिक लोकतंत्र का यह प्रयोग ब्राज़ील के बाहर भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। इस प्रयोग को नजदीक से देखने की इच्छा भी बहुत से लोगों को फोरम की तरफ खींच कर ला सकती थी।
5. फोरम की इंटरनेशनल कौंसिल की बैठकों में अक्सर यह प्रस्ताव किया जाता है कि बैठक शुरू होने से पहले उसे मौजूदा हालात की समीक्षा करनी चाहिए। दरअसल, यह नेताओं की 'प्रवृत्ति' है, क्योंकि उन्हें अपने संगठन के हितों में परिस्थितिजन्य विश्लेषण करना पड़ता है ताकि वे कार्रवाई करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फैसले पर पहुँच सकें। इस तरह के विश्लेषण के नुकसान भी हैं, और फायदे भी। इस विश्लेषण से कौंसिल दबाव की शिकार हो सकती है और उसे वर्ल्ड सोशल फोरम-प्रक्रिया की गैर-निर्देशात्मक प्रकृति छोड़नी पड़ सकती है। दूसरी ओर, इस प्रकार के दबाव की गैरमौजूदगी में ऐसा विश्लेषण प्रक्रिया के 'फेसिलिटेटरों' के लिए बहुत उपयोगी भी हो सकता है। अति-आशावाद या अति-निराशावाद के बिना वे इस तरीके से अपने काम का बेहतर परिस्थितिजन्य आकलन कर सकते हैं। देखा जाए तो फोरम के आयोजकों के लिए फेसिलिटेटर के रूप में यह देखना जरूरी है कि दुनिया के पैमाने पर वे विभिन्न शक्तियों के सापेक्ष कहाँ खड़े हैं। आयोजकों के लिए यह देखना भी जरूरी है कि वास्तव में वे कितने आगे बढ़ सके हैं, और उन्हें कितना पीछे हटना पड़ा है।
6. बाद में ये गतिविधियाँ सेमिनारों, विवादों पर होने वाली गोलमेज बहसों और सम्मेलनों का रूप भी ले सकती हैं। मुंबई में और सन् 2005 के पोर्टो अलेगरे फोरम में ऐसा हो चुका है। इन दोनों जगहों पर पूरा फोरम ही स्व-आयोजित किस्म का था।
7. सन् 2001 को फोरम में आयोजकों को उम्मीद थी कि करीब अस्सी वर्कशॉप कार्यक्रम पंजीकृत होंगे। पर, यह संख्या 420 तक पहुँच गई। अगले साल यही संख्या 622 और उससे अगले साल 1,286 हो गई। मुंबई फोरम में 1,169 और सन् 2005 के फोरम में स्व-आयोजित गतिविधियों की संख्या 2,000 निकली।
8. हालाँकि फोरम के आयोजकों का आग्रह स्व-आयोजित गतिविधियों को बढ़ावा देना था, पर सन् 2003 के फोरम में आयोजकों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम हावी हो गई, जिससे इस प्रवृत्ति को नुकसान हुआ। इन कार्यक्रमों में मशहूर वक्ताओं, नेताओं और बुद्धिजीवियों को निमंत्रित किया गया था, जिससे इनमें श्रोताओं की संख्या उमड़ पड़ी। जहाँ 15,000 के बैठने की जगह थी, वहाँ 20,000 लोग पहुँच गए। इससे हुआ यह कि छोटे-छोटे वर्कशापों और बहसों का महत्त्व कम हो गया। इससे निश्चित रूप से नए विचारों और नए संबंधों की रचना में बाधा पड़ी होगी।
9. इस फोरम में हुई 1,182 गतिविधियों में आयोजकों ने केवल 13 का कार्यक्रम बनाया था।
10. मुंबई में फ्रांसीसी पत्रिका *नौवियो रिगार्ड्स* ने मुझसे सवाल किया था कि यहाँ हो रहे फोरम की नई बात क्या है? मेरा जवाब था : 'इस फोरम की नई बात भारत की विशेषताओं के मुताबिक ही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रासरुट्स आंदोलन यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। समझने की बात यह है कि ब्राज़ील में हम ऐसे आंदोलनों के प्रतिनिधियों को ही गोलबंद कर पाये थे। ये आंदोलन खुद वर्ल्ड सोशल फोरम में नहीं पहुँच पाए थे। मुंबई में स्थिति यह है कि आयोजन स्थल की सड़कों पर उन्हीं का बोलबाला है। साथ में वे अपनी संस्कृति भी लाए हैं। फोरम के हर कोने में प्रदर्शनियाँ हो रही हैं, कलाकार अपना काम दिखा रहे हैं। हम लोग जो भाषा नहीं जानते, उनके लिए ये सब केवल नाच-गाना और नाटक लग सकता है, पर जब कोई अनुवाद करके बता देता है तो लगता है कि इनकी बातें कितनी राजनीतिक हैं। मसलन, मैंने दलितों का एक कार्यक्रम देखा। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में दलितों का यहाँ होना भारत के लिए एक असाधारण घटना है। उन्होंने एक ऐसा गीत गाया जिसके पीछे ठीक वैसी ही प्रेरणा लगी जो उन्नीसवीं सदी के फ्रांसीसी कपड़ा मजदूरों के गीत *एन मास* में है। इस गीत का मतलब था कि तुम्हारे पास देवमूर्तियाँ हैं जिनकी तुम पूजा करते हो, पर इन्हें बनाते हम हैं पर हमें इन्हें छूने तक से प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक अन्य नाटक में दलित कहते हैं कि सावधान हो जाओ, अगला साल चुनावों का है। ऐसा लगता है कि ग्रासरूट्स आंदोलनों ने

फोरम को राजनीतिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले बहुत बड़ी प्रगति है। इस तरह की सहभागिता से आयोजन संबंधी नई समस्याएँ सामने आई हैं। तीन-चौथाई सहभागी अंग्रेजी नहीं बोलते। सभा कक्षों में जहाँ भी हो सका, अनुवाद की व्यवस्था भी की गई। पर सड़कों पर सम्प्रेषण की कोई समस्या नहीं थी।'

11. पिछले सभी फोरमों से पहले आयोजकों ने सहभागियों से सलाह-मश्विरा किया था कि किन मुद्दों, समस्याओं और चुनौतियों पर बहस की जानी चाहिए। और, वे किस किस्म की स्व-आयोजित गतिविधियाँ करना चाहेंगे।
12. कोष प्रदान करने वाली संस्थाएँ अधिक न्यायप्रद संसार बनाने के लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं। इस बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए फोरम का हिसाब-किताब उसकी दोनों वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
13. जनवरी, 2004 को फ्रांसीसी पत्रिका *मेसेंजिस* के लिए लिखे गए एक लेख में मैंने इस जरूरत की व्याख्या की है कि ठोस कार्रवाई के लिए प्रस्ताव रखने को फोरम ने अपना सांगठनिक आधार बिंदु क्यों बनाया। मेरा कहना था : 'वर्ल्ड सोशल फोरम में भाग ले रहा हर संगठन, हर समूह रोजाना की दर पर किसी न किसी ठोस कार्रवाई में लगा हुआ है। वर्ल्ड सोशल फोरम तो उन्हें ऐसा मौका प्रदान करता है कि वे इसी तरह की ठोस कार्रवाइयों में लगे दूसरे संगठनों को अपना परिचय दे सकें। कार्रवाई के बारे में तय करने और समान तजरुबों का फायदा उठाने के फोरम द्वारा खोजे गए ये तमाम तरीके पूरी तरह से नए किस्म के हैं।'
14. *ओ एस्पिरिटो डि पोर्टो अलेगरे* नामक पुस्तक में छपे एक इंटरव्यू में मैंने उदाहरण दिया है कि फोरम में शामिल होने का कार्यकर्त्ताओं के लिए क्या मतलब हो सकता है : 'सूसन जार्ज (फ्रांस में एटीटीएसी की उपाध्यक्ष) ने मुझसे हवाई अड्डे पर कहा कि मैं यहाँ से कम से कम अगले छ: महीने के लिए ऊर्जा ले कर जा रही हूँ। कार्यकर्त्ता यहाँ से इसी तरह ऊर्जस्वित हो कर जाते हैं।'
15. सन् 2001 में 4,700 प्रतिनिधियों का पंजीकरण हुआ। उम्मीद अधिकतम 2,500 की थी। सन् 2002 में 4,909 संगठनों का प्रतिनिधित्व 12,274 प्रतिनिधियों ने किया। सन् 2003 में 5,717 संगठनों का प्रतिनिधित्व 21,763 प्रतिनिधियों ने किया। मेरे पास मुंबई के आँकड़े नहीं हैं जहाँ पंजीकरण के नियम कुछ अलग किस्म के थे। न ही मेरे पास पोर्टो अलेगरे, 2005 के आँकड़े हैं।
16. सन् 2001 में गिनती की गई थी कि निजी हैसियत से भाग लेने वालों की संख्या 15,000 है। सन् 2002 में यह संख्या 35,000 और 2003 में 50,000 से ज्यादा हो गई।
17. निजी हैसियत से फोरम में भाग लेने के इच्छुक लोगों की तरफ से दबाव इतना ज्यादा था कि फोरम की शुरुआत के बात व्यक्तिगत पंजीकरणों की इजाजत देनी पड़ी ताकि ऐसे लोग 'दर्शकों' के रूप में कार्यक्रमों में शिरकत कर सकें। सन् 2002 और 2003 में भी ऐसा ही किया गया। सन् 2005 के फोरम के लिए दो तरह के पंजीकरणों का प्रावधान किया गया : 'प्रतिनिधि' और 'व्यक्तिगत सहभागी'।
18. फ्लोरेंस, इटली में हुआ यूरोपीय सोशल फोरम पहला प्रमुख क्षेत्रीय आयोजन था जिसमें इस नियम का इस्तेमाल नहीं किया गया और केवल निजी हैसियत से ही सहभागियों के पंजीकरण का प्रावधान रखा गया।
19. राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों और चर्चों के मामले में हमेशा पिरामिडनुमा सांगठनिक संरचना ही काम करती है। सरकारी संरचनाएँ तो पिरामिडनुमा होती ही हैं।
20. फ्रांसीसी प्रकाशन *फोई एट डिवेलपमेंट* के लिए लिखे गए एक लेख में मैंने फोरम के इस पहलू की तरफ ध्यान आकर्षित किया था : 'इस तरीके से वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजक बड़े-बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों, जिनमें दावोस का फोरम भी शामिल है, की पारंपरिक आयोजन शैली से परे चले गए। वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजकों ने क्षैतिज अंत:संचार, एक-दूसरे से सीखने और समन्यवय सुलभ करने के लिए एक ऐसा 'स्पेस' मुहैया कराया जिसे उसमें रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए खुला रहना होगा। आयोजन के इस पहलू ने आंदोलनों और नागरिक समाज के संगठनों को अलग-अलग करने वाली बाधाओं को दूर कर दिया। फोरम द्वारा दिए गए स्पेस में साथ-साथ आ कर उन्हें एक-दूसरे के संघर्षों को बल प्रदान करने की सुविधा मिली। इसका नतीजा यह हुआ कि फोरम की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से नेटवर्किंग की हो गई। उसमें तरह-तरह के संगठन और नेटवर्क आजादी से आपस में मिल सकते थे, नए नेटवर्क और गठजोड़ बनाए जा सकते थे। और, इस प्रक्रिया को चलाने के लिए न किन्हीं निर्देशों का पालन करने की जरूरत थी, न करिश्माई नेताओं की अगुआई की आवश्यकता थी। न ही 'प्रतिनिधियों' द्वारा किसी अंतिम दस्तावेज पर मुहर लगाई जानी थी, और न ही ऐसा कोई दस्तावेज सभी सहभागियों के सामने सत्ता के शिखरों पर बैठे लोगों द्वारा रखा जाना था।'
21. वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजन का यह पहलू निर्णायक था : 'उस समय तक हम अपने रास्ते पर नहीं बढ़ सकते जब तक हम क्षैतिज और गैर-निर्देशात्मक संबंधों के आधार पर नई राजनीतिक संस्कृति का आविष्कार नहीं कर लेते। ... मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन फोरमों के साथ ही हरावल दस्तों का जमाना चला गया है। नागरिक समाज स्थायी अभिनेता की भूमिका में आ गया है और उस परिवर्तन का शीराजा खड़ा कर रहा है जो इस समय दुनिया की जरूरत है।' (फ्रांसीसी पत्रिका *मूवमेंट्स* को दिया गया साक्षात्कार)
22. संघर्ष संगठित करने की आवश्यकता के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मैंने सन् 2004 में एक इतालवी पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार में कहा था : 'यह तो सीखने की वह प्रक्रिया है जिसे तरह-तरह के फोरम चला रहे हैं। मेरे विचार से लोगों द्वारा इस हकीकत को स्वीकारना ही अपने आप में एक बड़ी बात और नई जमीन तोड़ने के समान है कि दिशा केवल एक ही नहीं है। हमें विश्व स्तर पर राजनीतिक सहभागिता के इस नए विचार का अभ्यस्त बनना होगा कि अब शीर्ष से दिए गए आदेशों के आधार पर कुछ नहीं होगा। लोगों को सभी स्तरों

पर, स्थानीय से विश्व स्तर तक, अपनी ही जिम्मेदारी के आधार पर कार्रवाई करनी होगी। यह एक ऐसा सांस्कृतिक परिवर्तन है जो रातों-रात नहीं हो सकता।'

23. अक्सर फोरम के आयोजकों को कार्यक्रमों में वर्ल्ड सोशल फोरम के 'प्रतिनिधि' के तौर पर निमंत्रित किया जाता है, जैसे कि फोरम का अपने आप में अन्य संस्थाओं की तरह कोई संस्थागत वजूद हो। आयोजकों के लिए यह स्पष्ट करना अक्सर मुश्किल होता है कि वे फोरम को नहीं बल्कि खुद अपने आप का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस मुद्दे पर विशेष चर्चा के लिए देखें, अध्याय 4:6, 'दावोस--पोर्टो अलेगरे'।
24. यह संगोष्ठी नस्लवाद, लाइसिज्म और एकजुटता पर थी।
25. इसी संगोष्ठी में मैंने टिप्पणी की थी : 'विविधता के लिए आदर का सवाल वैसी ही चुनौतियों से घिरा हुआ है जिनका सामना एकजुटता का सवाल कर रहा है। विविधता का आदर करना सीखना पड़ेगा, उसे महसूस करना पड़ेगा, उसकी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक कार्रवाई के दौरान तो विविधता का सम्मान करना और भी मुश्किल हो जाता है।' फ्रांसीसी अखबार *ला क्रोइक्स* और पत्रिका *क्रोइरे ओजार्डहुई* को दिए गए मेरे साक्षात्कार का शीर्षक इस तरह के प्रयास का लाभकारी पहलू अभिव्यक्त करता है : 'सोशल फोरम : विविधता संबंधी शुरुआती प्रशिक्षण का बेहतरीन मौका'।
26. इस मुद्दे पर उस समय खासी लंबी बहस हुई जब भारत में वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजन की प्रक्रिया चल रही थी। इस देश में नागरिक समाज के संगठनों को विदेशी धन मिलने के सवाल पर काफी विवाद है। भारतीय आयोजकों ने इस किस्म की आपत्तियों का निबटारा करने के लिए यह तरीका निकाला था : संक्षेप में कहा जाए तो इस मसले पर हमारा विचार इस प्रकार है : एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होने के नाते इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से कोष प्राप्त करने से बचना मुमकिन नहीं है। लेकिन, यह सावधानी जरूर बरती जानी चाहिए कि कोष ऐसे स्रोतों से प्राप्त न किया जाए जो भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने वाली ताकतों से जुड़े हुए हैं। मुंबई में होने वाले वर्ल्ड सोशल फोरम के लिए जिन संस्थाओं से कोष नहीं लिया जाएगा उनमें डीएफआईडी (ब्रिटिश सरकार की फंडिंग एजेंसी), यूएसआईडी, और कारपोरेट जगत द्वारा नियंत्रित फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन जैसी फंडिंग एजेंसियाँ शामिल हैं। साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण से जुड़े हुए भारत के बड़े कारपोरेट घरानों से भी कोष नहीं लिया जाएगा। यह आयोजन सादगी से किया जाना चाहिए और किसी भी तरह की तड़क-भड़क नहीं अपनायी जानी चाहिए। कोशिश यह होनी चाहिए कि भूमंडलीकरण का विरोध कर रहे संगठनों समेत सोलिडरिटी फंडिंग का सहारा लिया जाए।'
27. *कूरियर डि ला प्लेनेट* को दिए गए एक इंटरव्यू में मैंने यह दिखाने की कोशिश की थी कि फोरम को नागरिक समाज के आईने में कैसे देखा जाना चाहिए : 'अपने चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स में हमने साफ तौर से कहा है कि हम नागरिक समाज के सबसे महत्त्वपूर्ण संगठन बनने का कोई

इरादा नहीं रखते। न ही हम उसका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। हम तो एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में दिखना चाहते हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुई है और जो फोरम के पहले से चल रही है।'

28. चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स राजनीतिक दलों को फोरम के आयोजन में भाग लेने से रोकता है, पर इसका यह सैद्धांतिक मतलब हरगिज नहीं निकाला जा सकता कि राजनीतिक दल नागरिक समाज के हिस्से नहीं हैं, या समाज के राजनीतिक रूप से संगठित आयाम के अंग नहीं हैं।
29. पार्टियों को बाहर रखने के साथ जुड़े स्थायी विवाद के संबंध में मैं ब्राज़ीलियन पत्रिका कैरोस अमिगोज को दिए गए एक साक्षात्कार के जवाब-सवाल यहाँ वैसे ही उद्धृत कर रहा हूँ :

    मारीना अमरल : चीको व्हिटेकर, जरा बताइए कि राजनेताओं को वर्ल्ड सोशल फोरम से अलग क्यों रखा गया है?

    व्हिटेकर : इसका मकसद यह गारंटी करना है कि फोरम का स्पेस नागरिक समाज का स्पेस ही बना रहे।

    अमरल : लेकिन, पार्टियाँ भी तो नागरिक समाज का हिस्सा हैं?

    व्हिटेकर : बिल्कुल हैं, पर पार्टियाँ सत्ताकांक्षी होती हैं। जिस तरह हम विचारधारात्मक गुटबाजी के आधार पर लोगों को विभाजित नहीं करना चाहते, उसी तरह हम राजनीतिक दलों को फोरम का सत्ता के लिए इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते। यह फोरम संगठिक नागरिक समाज का आयोजन है जो नव-उदारतावाद, युद्ध और बहिर्वेशन के खिलाफ संघर्षरत है। यह मानवता, गरिमा और समता की दावेदारी करता है। यह एक ऐसा स्पेस है जिसमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रयासरत संगठनों और सामाजिक आंदोलनों को चर्चा, अनुभवों के आदान-प्रदान और अंत:संबद्धता का मौका मिलता है।

30. इस भित्ति की स्थापना के उद्देश्य पूरे नहीं हो सके, क्योंकि इसे बनाने के लिए हमारे पास पूरा समय नहीं था। न ही लोगों को इसके बारे में ठीक से सूचना दी गई थी। बावजूद इसके फोरम खत्म होते-होते भित्ति पर दर्ज करने के लिए 150 कार्रवाई प्रस्ताव आ चुके थे। ये सभी स्तरों और तरह-तरह की सक्रियताओं की नुमाइंदगी कर रहे थे। धीरे-धीरे फोरम की वेबसाइट के जरिए इनका व्यापक प्रसार हुआ। लेकिन, सन् 2004 में भित्ति की स्थापना मुमकिन नहीं हो सकी। सन् 2005 में जा कर ही भित्ति के सबसे अच्छे इस्तेमाल के प्रयास हो सके।
31. मुंबई में एक सुझाव आया था और फिर उस पर पासिग्नानो, इटली में हुई कौंसिल की बैठक में भी चर्चा हुई कि पहले दो दिन फोरम में केवल बहसें और अनुभवों का आदान-प्रदान होना चाहिए। तीसरा दिन नेटवर्किंग और तालमेल के लिए सुरक्षित रखा जाए, और चौथा दिन कार्रवाई योजनाएँ विकसित करने के लिए हो।
32. पद्धति और सारवस्तु आयोग की बैठक इंटरनेशल कौंसिल और ब्राज़ीलियन आयोजन समिति के कार्यदलों के साथ 13-15 नवंबर, 2004 को पोर्टो अलेगरे, ब्राज़ील में हुई। इसमें पक्का फैसला किया गया कि नेटवर्किंग और कार्यवाई नियोजन के लिए एकदम अलग से समय रखा

जाए। इसी तरह सहभागियों की इच्छा के मुताबिक किसी भी तरह की मीटिंग के लिए भी अलग से समय रखा जाए ताकि उसका किसी अन्य कार्यक्रम गतिविधि के साथ टकराव या होड़ होने की नौबत न आने पाए।

33. इसका सबसे ताजा उदाहरण इंटरनेट और सेल फोन मुहिम है जिसका नतीजा स्पेन की उस सरकार की हार में निकला जो इराक युद्ध का समर्थन कर रही थी।

34. सन् 2005 के *एजेंडा लेटिन अमेरिकानो* के लिए लिखे गए एक लेख में मैंने कहा था : 'क्षैतिज संबंधों के आग्रह से जुड़े प्रस्ताव के पीछे हमारा यह यकीन निहित था कि परिवर्तन केवल सत्ता पर या राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर लेने से अपने-आप नहीं हो जाता। बात यह नहीं है कि राजा के महल पर हमला करके कब्जा कर लेने से समाज परिवर्तन हो जाता है। हो सकता है कि इस तरह के हमले करने पड़ें, पर प्रतिरोध संगठित करने और सामाजिक निगरानी और प्रति-सत्ता की स्थापना करने के साथ-साथ वास्तविक और स्थायी परिवर्तन के लिए नीचे से ऊपर की तरफ और भीतर से बाहर की तरफ काम करना भी जरूरी है। इसके लिए एकजुटता के साथ-साथ प्रकृति और मानव के प्रति आदर का नजरिया अपनाते हुए नए तौर-तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। यह काम सभी स्तरों पर और सभी किस्म की कार्रवाइयों में करना होगा। इस तरीके से हमें दूसरी दुनिया के ज्यादा से ज्यादा अंश प्राप्त हो सकेंगे, जो दरअसल हम पुरानी दुनिया की संरचना में से हासिल करना चाहते हैं।' फ्रांसीसी पत्रिका *क्लार्क* ने भी मुझसे सवाल पूछा था : क्या फोरम के आयोजन का ताल्लुक क्रांति लाने से नहीं है? मेरा जवाब था: 'निश्चित रूप से ऐसा ही है, अगर जिस विश्व क्रांति की बात की जा रही है उसका मकसद जीवन और सत्ता के बंदोबस्त में महत्त्वपूर्ण तब्दीलियाँ करना है। और, साथ ही अगर वह क्रांति ऐसे भ्रमों से ग्रस्त नहीं है कि राजनीतिक सत्ता हस्तगत करने, तख्ता उलटने और जन-प्रदर्शन करने से ऐसे परिवर्तन आ जाएँगे। महान परिवर्तन इस तरह से नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो उनमें कोई स्थायित्व नहीं होता। महान परिवर्तन तो तब होते हैं जब सामूहिक जीवन के नियमों में, लोगों के रोजमर्रा के व्यवहार और चेतना में छोटे-छोटे गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन संचित हो जाते हैं। और, यह भी ध्यान रखना होगा कि इस प्रक्रिया में कई तरह की विच्छिन्नताएँ भी पैदा हो सकती हैं।'

35. इस सिलसिले में *ओ डिरीटो अचाडो ना रुआ* (सड़क पर मिला कानून) जैसे पुस्तकीय शीर्षक का अर्थ समझा जा सकता है।

36. इस लेख की खास बात यह है कि उसमें पब्लिक स्फेयर और प्राइवेट स्फेयर, दोनों में हिंसा के लिए कोई जगह न होने पर रोशनी डाली गई है। दरअसल, दूसरी दुनिया बनाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों का संघर्ष केवल सामूहिक हितों से जुड़े राजनीतिक दायरे तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इस संघर्ष को इन्सानी रिश्तों के निजी दायरे तक जाना चाहिए। वरना होगा यह कि हम उसी पुरानी समस्या के शिकार हो कर रह जाएँगे जिसमें सार्वजनिक जीवन और निजी

जीवन दो अलग-अलग खानों में बँट कर रह जाता है। नेता लोग अपने सामाजिक अभियानों में लोकतंत्र का आह्वान करते हैं, और उनका आचरण लोकतांत्रिक होता भी है, पर अपने घर के भीतर वे, विशेष तौर से अपनी पत्नी या साथी के साथ, उत्पीड़नकारी व्यवहार करते हैं।

37. *फ्यूरजैस अरमाडास रिवोल्यूशनरियास डि कोलम्बिया* (एफएआरसी) नामक संगठन ने सन् 2001 के फोरम में भाग लेने के लिए नाकाम आवेदन किया था। उनके एक प्रतिनिधि ने बिना किसी इजाजत के अपनी पहल पर फोरम के प्रेस कक्ष में एफएआरसी की गतिविधियों के बारे में पत्रकार वार्ता बुला ली। हालाँकि इसका कोई बहुत बुरा असर नहीं हो पाया, पर गलतफहमी तो फैली ही। कुछ पत्रकारों ने इस प्रेस कांफ्रेंस की रिपोर्टिंग इस तरह की जैसे कि वह फोरम का ही एक कार्यक्रम हो, बावजूद इसके कि फोरम के आयोजकों ने साफ कर दिया था कि उन्हें इसके बारे में पहले से कुछ नहीं पता था। सन् 2002 के फोरम में कुछ संगठनों ने प्रतिनिधियों के जरिए कुछ सहभागियों द्वारा आयोजित संगोष्ठी में ऐसा ही करने की कोशिश की। लेकिन, इस बार फोरम के आयोजकों को पहले ही पता चल गया, और उन्होंने इसके आयोजकों को कार्यक्रम रद्द करने के लिए समझाने की कोशिश की। उन्होंने बात नहीं मानी और संगोष्ठी हुई। चूँकि इजाजत नहीं दी गई थी इसलिए उसके प्रायोजकों ने उसे फोरम स्थल के बाहर किया।

38. सन् 2003 में मैंने लिस्बन में वर्ल्ड सोशल फोरम पर बोलते हुए उस खतरे का जिक्र किया था जिसके तहत हम हिंसा के प्रति संवेदनहीन हो कर रह जाते हैं : 'युद्ध जैसी क्रूरताएँ अब हमारे ऊपर शायद ही कोई असर नहीं डालती हों। हाल ही मैंने एक युद्धप्रिय नेता का वक्तव्य पढ़ा है कि सभी युद्ध क्रूर होते हैं, और जो युद्ध जितना ज्यादा क्रूर होता है, उतनी ही जल्दी खत्म हो जाता है। हो सकता है कि ऐसा होता हो। पर, ऐसी बात केवल वही लोग कह सकते हैं जो भीतर से बहुत कठोर हो गए हों। इन लोगों को केवल लाशें गिनने से मतलब होता है। वे यह परवाह नहीं करते कि मरने वाले कौन थे, उनकी निजी जिंदगियाँ किस किस्म की थीं और उनके सपने किस तरह बीच में भी टूट गए। वे तो उन लाशों का आकलन शक्ति संतुलन में आई तब्दीली के रूप में ही करते हैं।' मैंने ब्राज़ीलियन फोटोग्राफर सेबास्टियो सलगाडो का अनुभव भी याद किया जिसमें बताया गया था कि लोगों की प्रवृत्तियाँ किस तरह युद्ध के प्रति संवेदनहीन हो जाती हैं : 'वहाँ लोग युद्ध का सामना कर रहे थे। जब मैं वहाँ दोबारा पहुँचा तो युद्ध जारी था, पर मुझे लगा कि जिन युद्धपीड़ित लोगों से मैं पहली बार मिला था, वे अब उन खतरों से उतने ज्यादा सहमे हुए नहीं हैं। ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें युद्ध के साथ जीने की आदत पड़ गई है।'

39. लिस्बन के इसी व्याख्यान में मैंने कहा था : शांति को भूमंडलीय स्वरूप देने के लिए केवल युद्धों को खत्म करना ही काफी नहीं होगा। दरअसल, इसका विकल्प तो टकराव की परिस्थितियों का हल निकालने में निहित है। संघर्ष हमेशा रहे हैं, और हमेशा रहेंगे। जहाँ भी चार लोग रहेंगे, संघर्ष रहेगा, चाहे वह घर हो, या काम की जगह हो। संघर्ष कई कारणों से पैदा होते हैं। विपरीत हितों और आकांक्षाओं के कारण, अलग-अलग विचारों, शख्सियतों और

राजनीतिक परियोजनाओं से जुड़े मतभेदों के कारण संघर्ष पैदा होते हैं। समस्या संघर्षों के होने की नहीं है, बल्कि इसकी है कि उन्हें हल कैसे किया जाए। इसका सबसे मानवीय तरीका तो संवाद है। सबसे आदिम तरीका हिंसा का इस्तेमाल है। हिंसा का प्रयोग करने पर होता यह कि सबसे ताकतवर जीत जरूर जाता है, पर टकराव का निबटारा टल जाता है। बाद में बचे हुए पराजित या उनकी जगह लेने वाले लोग उन्हीं आकांक्षाओं और हितों को उन्हीं हिंसक रास्तों से फिर हासिल करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि दरअसल हमें हिंसा की समस्या हल करनी है ताकि हर बार हम हिंसा की सामूहिक अभिव्यक्ति के रूप में युद्ध के नतीजों पर न पहुँच जाएँ। ... आज हर जगह मान लिया गया है कि बिना हिंसा के टकराव का हल प्राप्त नहीं हो सकता। ... हिंसा की संस्कृति इतनी पक्की हो चुकी है कि लोगों के दिलो दिमाग पर बुरी तरह हावी है।'

40. सन् 2003 के फोरम में *कैरोस अमिगोस* के एक पत्रकार को साक्षात्कार देते समय मैंने इस पहलू पर जोर देना जारी रखा : 'फोरम का चरित्र विचारात्मक नहीं है। वह कोई अंतिम दस्तावेज पास नहीं करेगा। वर्कशॉप और संगोष्ठियों के लिए अलग-अलग प्रस्ताव हैं। लेकिन, इस विविधता का सार-संकलन करके तरह-तरह के लोगों, उनके सरोकारों और उनके चिंतन को एक अंतिम दस्तावेज में सीमित नहीं किया जाएगा।' सन् 2004 के मुंबई फोरम में भी मुझे लगातार यही शिकायतें सुनने को मिलीं कि वर्ल्ड सोशल फोरम कोई अंतिम दस्तावेज क्यों नहीं पास करता। इन शिकायतों से कुछ परेशान हो कर मैंने एक स्पेनिश पत्रकार से कहा : 'ऐसा हुआ तो पागलपन होगा। जरा सोचिए कि ऐसा दस्तावेज जारी करने का क्या असर होगा। यहाँ एक लाख लोग शिरकत कर रहे हैं। दस्तावेज पर हजारों आपत्तियाँ आएँगी। उन पर चर्चा का समय कहाँ होगा। इस तरह की कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। विविधता का स्वागत करना चाहिए। फोरम के बाद अपने देश वापस जा कर हर व्यक्ति वही करेगा जो उसे करना ठीक लगेगा। अंतिम दस्तावेज एक क्यों हो, एक हजार अंतिम दस्तावेज क्यों न हों? तभी यह फोरम सच्चा फोरम बन सकेगा।'

41. फ्रांसीसी अखबार *ल' ह्यूमनाइट* से बात करते हुए मैंने कुछ लोगों और कुछ संगठनों द्वारा अंतिम दस्तावेज के लिए किए जाने वाले आग्रह का जवाब इस तरह दिया था : 'भले ही (15 जनवरी, 2003 को) युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लाखों लोग पूँजीवाद के खिलाफ इस तरह सड़कों पर दोबारा न उतरना चाहें, पर ये लोग वर्ल्ड सोशल फोरम द्वारा मुहैया कराए जाने वाले अवसर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि एक ऐसा घोर रेडिकल आंदोलन शुरू किया जा सके जिससे हुए फटाफट बदलाव के लिए धरती के मौजूदा मालिक हिल जाएँ और एक बार फिर राजा के महल पर हमला बोल दिया जाए। लेकिन, ऐसा करने के लिए उन्हें फोरम के चार्टर में उल्लिखित उसूलों का उल्लंघन करना होगा, तभी वे कड़ी भाषा और हिदायतों से भरा हुआ अंतिम दस्तावेज पास करा पाएँगे।'

3

कुछ मुद्दे : कुछ बहसें

1. वर्ल्ड सोशल फोरम : स्पेस या आंदोलन?

वर्ल्ड सोशल फोरम के चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स का पहला उसूल एक 'खुले स्पेस' के रूप में उसकी इस प्रकार व्याख्या करता है : वर्ल्ड सोशल फोरम चिंतन-मनन, विचारपरक लोकतांत्रिक बहस, अनुभवों के उन्मुक्त आदान-प्रदान और प्रभावी कार्रवाई की अंत:संबद्धता के लिए शुरू किया गया ... समूहों और नागरिक समाज के आंदोलनों का खुला मिलन स्थल है ...।' चूँकि राजनीतिक कार्रवाई का यह एक अनूठा तरीका था, इसलिए इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर उत्साह का संचार हुआ। पर, इसी उसूल के कारण बहुत से लोगों में इस आयोजन के प्रति शंकाएँ भी पैदा हुईं।

वर्ल्ड सोशल फोरम के भविष्य को लेकर चिंतित लोग अक्सर जिस तरह की बहसें चलाते हैं, उनकी जड़ में इसी से संबंधित शंकाएँ होती हैं। बहस इस प्रश्न के आस-पास गोलबंद होती है : फोरम एक स्पेस या एक आंदोलन है? सच तो यह है कि पिछले अध्याय में चर्चित वर्ल्ड सोशल फोरम आयोजन के आधार बिंदुओं पर गौर करते समय पहला बड़ा सवाल यही उठा था।

इसके जवाब का निर्णायक महत्त्व है। आयोजन चाहे विश्व स्तर को हो, क्षेत्रीय स्तर पर हो या फिर स्थानीय स्तर पर, हर स्थिति में फोरम-प्रक्रिया आयोजित करने की पद्धति ही नहीं बल्कि फोरम का भविष्य भी इसी प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है। फोरम को स्पेस के रूप में देखा जाए या आंदोलन के रूप में, दृष्टि के इसी चुनाव पर निर्भर करता है कि फोरम इस पुस्तक में चर्चित बुनियादी मुद्दों के संबंध में अपनी मौजूदा भूमिका निभाता रहेगा या नहीं। इसी कारण से जरूरी है कि इन दोनों नजरियों में से एक का चुनाव एकदम स्पष्टता से किया जाए।[1]

मार्च, 2003 में लिखे गए अपने लेख 'वर्ल्ड सोशल फोरम से संबंधित बहस के लिए कुछ नोट्स' में इस सवाल पर विस्तार से चर्चा की है। चूँकि यह पूरा लेख परिशिष्ट-1 में दिया गया है, इसलिए उसकी दलीलों को यहाँ दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। हालाँकि बाकी सभी परिशिष्टों का क्रम अपनी प्रकाशन की तारीखों के हिसाब से है, पर इस लेख को सबसे पहले इसीलिए दिया गया है कि इसका ताल्लुक फोरम के साथ जुड़ी बुनियादी समझ से है।

यह एक बहु-प्रचारित लेख है, खासकर फोरम के आयोजकों और डब्ल्यूएसएफ की इंटरनेशनल कौंसिल के सदस्यों के बीच तो यह खूब पढ़ा गया है। कई देशों की पत्रिकाओं और पुस्तकों में भी इसका प्रकाशन हुआ है।[2]

यद्यपि फोरम को स्पेस मानने का विचार उत्तरोत्तर प्रमुखता प्राप्त करता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसे आंदोलन में बदलने का खतरा कम करके नहीं आँका जा सकता। जब भी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर फोरमों के आयोजन पर बात होती है, यह मुद्दा बार-बार हर बहस में उठता है। यूरोप में तो इसकी सफाई देना और भी मुश्किल हो गया है। वहाँ यह समझना कठिन है कि 'भूमंडलीकरण विरोधी आंदोलन' के एक नए चरण के रूप में फोरम को 'अदर वर्ल्ड मूवमेंट' से किन शब्दों और किन धारणाओं का इस्तेमाल करके अलग ठहराया जाए। इस बात की पूरी संभावना है कि यूरोप में 'अदर वर्ल्ड' आंदोलन फोरम द्वारा 'अनदर वर्ल्ड' बनाने की दावेदारी से प्रभावित हो कर ही चलाया गया हो। इस आंदोलन के नेता उसे यूरोपीय सोशल फोरम जैसा तो मानते ही हैं। चूँकि इन नेताओं को लग रहा है कि उनके आंदोलन में गिरावट आ रही है, इसलिए उनके हिसाब से फोरम में भी गिरावट आना लाजमी है। परिणामस्वरूप ये नेता मानने लगे हैं कि फोरम की शक्ल-सूरत बदली जानी चाहिए ताकि वह गोलबंदी करने की अपनी क्षमता कायम रख सके।

असलियत यह है कि अगर वर्ल्ड सोशल फोरम कभी आंदोलन में बदला, और उसके कारण उसकी 'खुले स्पेस' वाली भूमिका खत्म हो गई, तो वह निश्चित रूप से कमजोर हो कर समाप्त हो जाएगा। यह मानना गलत होगा कि फोरम 'आंदोलनों का आंदोलन' बन जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फोरम बहुत से आंदोलनों की भाँति एक और आंदोलन होगा। ये सभी आंदोलन आपस में होड़ करते रहेंगे, और खुले स्पेस की तरह काम करने वाली फोरम की मौजूदा भूमिका के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। हमारे बीच पड़ी हुई दरारों को या तो और बल मिलेगा या वे और चौड़ी हो जाएँगी। दुनिया को अपनी जकड़ में लेता जा रहा हिंसा का शिकंजा हमें पछाड़ देगा।

* * *

इस पुस्तक के परिशिष्ट-9 में एक और लेख छपा है : 'वर्ल्ड सोशल फोरम के समक्ष तीन चुनौतियाँ'। मैं चाहता हूँ कि कुछ अन्य गौर करने लायक मुद्दों पर केंद्रित यह लेख परिशिष्ट-1 में छपे लेख की पूरक सामग्री के तौर पर पढ़ा जाए, हालाँकि इसका लेखन मैंने बहस से संबंधित लेख से कुछ पहले किया था।

इसी बहस के पूरक के तौर पर मैं यहाँ कुछ और सामग्री के अंश दे रहा हूँ। इनमें एक अंश एक साक्षात्कार में पूछे गए सवाल का जवाब है, दूसरा और तीसरा मेरे दो अन्य लेखों से लिया गया है, और चौथा वर्ल्ड सोशल फोरम की भारतीय आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा लिखे गए लेख से लिया गया है।

(अ) मुंबई फोरम के दौरान फ्रांसीसी पत्रिका ल'हेबडो डेस सोशलिस्टेस ने मुझसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मैंने इस तरह दिया था :

प्रश्न : इस मौजूदा बहस पर आपका क्या कहना है कि फोरम को एक आंदोलन में बदलने के लिए उसे कुछ इस तरह आयोजित किया जाना चाहिए ताकि उसमें से कोई अंतिम उद्घोषणा निकल सके। यह बहस फ्रांस में तो खास तौर से चल रही है।

उत्तर : फोरम अपनी स्थापना से ही जो बुनियादी और ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहा है, इस बहस में उसके सभी पहलू आ जाते हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो चाहते हैं कि फोरम 'आंदोलन' में बदल जाना चाहिए, ताकि अभी या कभी, उसके जरिए सत्ता के लिए संघर्ष किया जा सके। दूसरी तरफ मेरे जैसे लोग हैं जो फोरम को राजनीतिक कार्रवाई के पूर्णत: तरीके के रूप में देखते हैं। मेरे जैसे लोगों के लिए फोरम एक स्पेस, एक क्षैतिज संरचना और एक पद्धति है। पहले किस्म के लोगों को फोरम के असरदार होने को ले कर चिंता है, पर फोरम के सहभागियों ने पहले पोर्टो अलेगरे में और फिर अब मुंबई में दिखा दिया है कि किस तरह दुनिया पर उसका परिवर्तनकारी असर पड़ रहा है।

(ब) फ्रांसीसी प्रकाशन फोइ एट डिवेलपमेंट के लिखे गए एक लेख में मैंने बताया था कि आंदोलन बनने से बचने के लिए फोरम को क्या-क्या नहीं करना चाहिए :

कई ऐसे तरीके हैं जिनसे फोरम को एक स्पेस से आंदोलन में बदला जा सकता है। फोरम की डिजाइन कुछ इस तरह बनाई गई है जिससे वह स्पेस मुहैया कराने वाले उपकरण के तौर पर काम कर सके। इसे बदलने का सबसे सीधा तरीका यह है कि इसकी सांगठनिक शाखाओं को प्रक्रिया की संचालक संस्थाओं का रूप दे दिया जाए। इसके बाद ये नेतृत्वकारी संस्थाएँ फोरम के सभी सहभागियों के लिए मुश्तरका लक्ष्यों का सूत्रीकरण करने लगेंगी, दिशा-निर्देश देने वाले दस्तावेज और नारे तैयार किए

जाएँगे। इनके आधार पर ही सब लोग कार्रवाई करेंगे। फिर इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने की जरूरत पड़ेगी, कार्रवाइयों का नियोजन करने जैसी आवश्यकताओं पर सोचना पड़ेगा। फोरम को स्पेस से आंदोलन में बदलने का एक अप्रत्यक्ष रास्ता भी है। चूँकि फोरम में स्व-आयोजित गतिविधियों को भी उतनी ही जगह दी जाती है, जितनी आयोजकों द्वारा पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों को, इसलिए उसे स्पेस से आंदोलन में बदलने के लिए स्व-आयोजित गतिविधियों का महत्त्व कम कर देने का हथकंडा आजमाया जा सकता है। इससे राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए जुझारू तेवर की राजनीति करने वालों को मौका मिल जाएगा और वे अपने लिए वैधता के नए आधार तलाश सकेंगे। नए नेटवर्कों और आंदोलनों से जुड़ने में उन लोगों को आसानी होगी। इससे इन लोगों को आयोजक द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों को फोरम का शो-केस बनाने का भी मौका मिल जाएगा। इस तरीके से वे सारी बहस उन मुद्दों की तरफ जे जाने में कामयाब हो जाएँगे जो उनकी निगाह में सबके मानने लायक मुद्दे होने चाहिए। फिर उन्हीं की व्याख्याएँ, उन्हीं के रणनीतिक विकल्प, उन्हीं के मंच और उन्हीं का संघर्ष-कार्यक्रम लाजमी तौर पर सभी को अपनाना पड़ेगा। फिर सबके पास करने लायक केवल एक ही काम रह जाएगा : इस प्रक्रिया द्वारा खड़े किए गए नए आंदोलन का जुझारू कार्यकर्ता बन जाना।

ये दोनों रास्ते हर हालत में वर्ल्ड सोशल फोरम के विस्तार का सिलसिला भंग कर देंगे। फोरम के क्षैतिज, गैर-निर्देशात्मक, खुले और मुक्त रूप से विविधतामूलक चरित्र के कारण भाग लेने वाले बहुत से आंदोलन और नागरिक समाज के संगठन कदम वापस खींच लेंगे। उन्हें आंदोलननुमा फोरम में शिरकत नहीं भाएगी। दरअसल, फोरम के चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स के उसूलों पर न चलने का नतीजा यह होगा कि सहभागी ताकतें फोरम को कुछ खास तरह के विचारों और विकल्पों के प्रचार के उपकरण के रूप में देखने लगेंगी।

अगर फोरम में पार्टीगत या आंदोलनकारी नेताओं को भर दिया गया और वह इस या उस विकल्प का समर्थक हो गया (भले ही वह विकल्प नव-उदारतावाद के खिलाफ व्यापक लड़ाई का ही अंग क्यों न हो) तो न केवल फोरम के वे सहभागी अलग हो जाएँगे जो उस विकल्प से असहमत होंगे, बल्कि वे भी अपनी सहभागिता खत्म कर देंगे जो उस विकल्प से सहमत होते हुए भी उसके पैरोकार संगठनों या आंदोलनों के निर्देशों और हथकंडेबाजियों को नापसंद करते होंगे।

(स) फ्रांसीसी अखबार ल' ह्यूमेनाइट के लिए लिखे एक लेख का अंश :

यह सब एक नया रास्ता बनाने की जोरदार कोशिश है, जिसके लिए आवश्यक साहस की जरूरत पड़ सकती है। इसकी वजह यह है कि पिछली एक सदी से वामपंथी राजनीतिक कार्रवाई का मतलब रहा है : हरावल दस्ते, अनुशासन, प्रतिनिधित्व, स्तंभीय संरचना वाले सूचना तंत्र, केंद्रीय नारे और जनता। लंबे अरसे से चली आ रही इन राजनीतिक कार्यशैलियों के अभ्यस्त सहभागियों की तरफ से वर्ल्ड सोशल फोरम पर पुराना रास्ता अपनाने का दबाव पड़ना स्वाभाविक ही है। हो सकता है कि ये लोग फोरम की भूमिका न समझ पाएँ और इसलिए उसे एक आंदोलन या 'आंदोलनों के आंदोलन' में बदलना चाहें। इन लोगों की निगाह में अंतिम दस्तावेज के रूप में सबके लिए एक ही कार्यक्रम घोषित करने से फोरम मजबूत होगा। जाहिर है कि इन लोगों ने इतिहास से सबक नहीं सीखा है। वे 'उत्पीड़ितों' के बीच चेतना और संगठन के स्तर से वाकिफ नहीं है। उन्हें शक्तियों के आपसी संबंध का एहसास नहीं है।

(द) भारत में हुए वर्ल्ड सोशल फोरम की संगठन समिति के दो सदस्यों द्वारा लिखे गए इस लेख का अंश बताता है कि एक स्पेस के तौर पर फोरम किस तरह नव-उदारतावाद के खिलाफ एक बेहतरीन गतिशीलता का स्रोत है :

... वर्ल्ड सोशल फोरम की रचना सचेत रूप से एक स्पेस के रूप में ही की गई है ताकि आपसी मतभेदों के बावजूद आंदोलन आपस में जुड़ सकें। इस स्पेस में कुछ इस अंदाज में संवाद करने की सुविधा है कि न तो विचारधारात्मक मतभेद उसके आड़े आ सकते हैं और न ही ऐतिहासिक व भौगोलिक रूप से भिन्न पृष्ठभूमियाँ। अपने इसी विविधतामूलक चरित्र के कारण वर्ल्ड सोशल फोरम बड़ी संख्या में समूहों को अपनी ओर आकर्षित कर पाया है।

'खुले स्पेस' के तौर पर फोरम की संकल्पना शून्य में न हो कर साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण के प्रतिकार में हुई है। यूरोपीय सोशल फोरम ने युद्ध और फौजीकरण का प्रश्न उठा कर इसमें एक महत्त्वपूर्ण आयाम और जोड़ दिया है। इस प्रकार साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण के आर्थिक और फौजी घटक अगल-अलग नहीं रह गए हैं। अपने विविधतामूलक चरित्र के अंग के रूप में फोरम का दायरा विस्तृत होने से हो सकता है कि अब ऐसे समूह और संगठन भी उसमें आ जाएँ जिनकी मुख्य दिलचस्पी साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण के खिलाफ संघर्ष करने में नहीं है। बेहतर होगा कि ऐसे समूह और संगठन भी फोरम में आएँ और उसका मौजूदा विविधतामूलक चरित्र बना

रहे, बजाय इसके कि समान एजेंडे पर चलने वाला कोई एकाश्म प्रकृति का आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हो। ऐसा आंदोलन तो जल्दी ही विभिन्न कार्यसूचियों की आपसी होड़ में बदल जाएगा।

फोरम ने विकासमान संघर्षों को स्पेस मुहैया कराया है जिसमें वे आपसी गठजोड़ बना सकते हैं। ये ऐसे स्पेस हैं जिनमें फोरम के आयोजकों को प्राथमिकता नहीं दी जाती, बल्कि भूमंडलीकरण के खिलाफ ग्लोबल प्रतिरोध के नेता के तौर पर आंदोलनों और संघर्षों को आगे रखा जाता है। चाहे मुद्दा आधारित हों या विचारधारा आधारित बड़े-बड़े गठजोड़ हों, इनके दायरे में एक नहीं बल्कि तरह-तरह के प्रतिरोध और एक से अधिक गठजोड़ आ सकते हैं।

... कभी-कभी फोरम पर कोरी 'गोष्ठीबाजी' का आरोप भी लगाया जाता है कि इसमें से किसी तरह की ठोस 'कार्रवाई' नहीं निकलती। दिलचस्प बात यह है कि यह इल्जाम दोनों तरफ से आता है : भूमंडलीकरण के साथ खड़ी ताकतें भी यह आरोप लगाती हैं, और उसके कठोर आलोचक भी यही कहते हैं। दोनों प्रतिक्रियाओं का आधार असल में एक ही है : इतनी बड़ी संख्या में लोग बार-बार मिलते हैं, फिर भी इस कवायद से एक समान उद्घोषणा, एक कार्रवाई योजना और डब्ल्यूएसएफ जिस 'दूसरी दुनिया' की पैरोकारी करता है उसे बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट क्यों नहीं निकलता! यह सोच इसलिए गलत है कि इसके तहत फोरम को मताग्रही रूप में देखा गया है और उससे सारी दुनिया में साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण और उसके विभिन्न फलितार्थों के खिलाफ संघर्षों का नेतृत्व करने की उम्मीद की जाती है।

यह आधार इसलिए भी गलत है कि वर्ल्ड सोशल फोरम ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि उसके द्वारा मुहैया कराए गए खुले स्पेस द्वारा यही भूमिका निभाई जा रही है। इस प्रक्रिया का नतीजा एक नहीं बल्कि कई नतीजों के रूप में निकलता है। 'दूसरी दुनिया' बनाने के लिए नक्शा उभर रहा है, न केवल फोरम में होने वाली मुलाकातों और आपसी बातचीत के जरिए, बल्कि बहसों, विचार-विमर्शों और दुनिया के पैमाने पर होने वाले संघर्षों के जरिए। फोरम तो इन बहसों को समृद्ध करने के लिए गुंजाइश प्रदान कर रहा है, ताकि बड़ी संख्या में तरह-तरह के परिप्रेक्ष्य आएँ, जिनमें कुछ आपस में बहस करेंगे और कुछ परस्पर पूरक होंगे। इतना ही नहीं, फोरम संघर्षों के लिए समान रणनीति बनाने का मौका देता है और तरह-तरह की ऊर्जा जमा करके उन्हें सहक्रियात्मक धरातल पर ले आता है। ऐसी सहक्रियात्मकता में फोरम के सभी सहभागी शामिल नहीं होते, कई बार तो सहभागियों की बहुसंख्या भी उसके साथ नहीं होती, लेकिन ऐसी सहक्रियात्मकता की वहाँ रचना जरूर होती है।

2. 'खुला स्पेस' : पर किसके लिए?

वर्ल्ड सोशल फोरम की एक आलोचना यह भी हुई है कि यह उस तरह खुला हुआ नहीं है जैसा 'खुले स्पेस' होने की दावेदारी से प्रतीत होता है। इसमें राजनीतिक दलों, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और फौजी संगठनों को शिरकत की इजाजत नहीं है। नव-उदारतावाद के समर्थकों और ऐसे लोगों के लिए तो इसमें शिरकत की इजाजत और भी कम है जो भूमंडलीकरण के विरोधियों की भाँति उसे इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं मानते।

पिछले अध्याय में मैंने नागरिक समाज के स्पेस के तौर पर फोरम की चर्चा करते हुए (देखें, अध्याय 2:11, 'वर्ल्ड सोशल फोरम : नागरिक समाज के लिए स्पेस) उन कारणों के बारे में बताया था जिनके आधार पर फोरम का स्पेस नागरिक समाज के संगठनों के लिए आरक्षित रखा गया है और उसमें फौजी संगठनों के आने की इजाजत नहीं है (देखें, अध्याय 2:14, 'हिंसा के लिए कोई जगह नहीं')।

फोरम में राजनीतिक दलों, सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक तरह की सीमित सहभागिता की इजाजत है। वे इस स्पेस में स्व-आयोजित गतिविधियाँ नहीं कर सकते।[3] यह प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि ये संगठन फोरम में होड़ की भावना न पैदा कर सकें। राजनीतिक दल अगर फोरम में आ गए और उन्हें उसका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करने दिया गया तो जो हालात बनेंगे, वे फोरम की अंतर्निहित भावना के पूरी तरह खिलाफ होंगे।[4] इस तरह के आचरण से फोरम या तो जल्दी ही नष्ट हो जाएगा या ज्यादा से ज्यादा मध्यावधि तक ही चल पाएगा।

कहने का मतलब यह नहीं है कि फोरम में राजनीतिक पार्टियों को हिस्सा लेने की इजाजत कतई नहीं है। इस तरह के फैसले की कोई तुक भी नहीं हो सकती, क्योंकि फोरम में शिरकत करने वाले बहुत से लोग, यहाँ तक कि उसके आयोजक भी, किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। फोरम के दरवाजे उनके लिए पूरी तरह खुले हुए हैं, पर नागरिक समाज के संगठनों के सदस्यों के रूप में। बहुत से लोग पार्टियों के सदस्य होने के साथ-साथ नागरिक समाज के संगठनों से जुड़ कर भी काम करते हैं। बहरहाल, अगर वे यह शर्त पूरी नहीं भी करते, तो भी जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अन्य सहभागियों के निमंत्रण पर उन्हें फोरम में सहभागिता मिल सकती है। वे उन सहभागियों द्वारा की जाने वाली स्व-आयोजित गतिविधियों में होने वाली चर्चाओं में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा निजी हैसियत में या

अपनी सरकारों और पार्टियों के दूत के रूप में उन्हें शिरकत मिल सकती है। अंतर-सरकारी संगठनों द्वारा की जाने वाली शिरकत की माँग पूरी करने के लिए यह व्यावहारिक तरीका निकाला गया था। यही है वह शर्त जिस पर हरेक साल संसद सदस्यों और स्थानीय अधिकारियों को फोरम में शिरकत करने दी जाती है, और वे इस अवसर का लाभ उठा कर अपने समानांतर फोरम आयोजित करते हैं (देखें, अध्याय 2:2, 'जहाँ आयोजक केवल फेसिलिटेटर ही थे!')।

अब सवाल उठता है कि अगर फोरम एक 'खुला स्पेस' है तो फिर उसमें नव-उदारतावाद का साथ देने वालों को शामिल होने की इजाजत क्यों नहीं है? व्यवहार में देखा जाए तो ऐसे लोगों के लिए भी फोरम के दरवाजे खुले हुए हैं, हालाँकि बहुतों को यह बात कुछ अजीब सी लगेगी और नव-उदारतावाद का रेडिकल विरोध करने वालों को तो इससे हैरानी भी होगी। दरअसल, फोरम के लिए पंजीकरण करवाने के इच्छुक लोगों से ऐसी कोई भी गारंटी नहीं माँगी जाती कि वे फोरम द्वारा वांछित संघर्ष में ही लगे हुए हैं। फोरम के आयोजक किसी संगठन या किसी व्यक्ति के जीवन या राजनीति की कोई जाँच-पड़ताल नहीं करते। इसलिए जाहिर है कि नव-उदारतावाद के समर्थकों को फोरम में शामिल होने से रोकने का कोई तरीका नहीं है। अगर वे चाहें तो प्रेक्षक तो बन ही सकते हैं।[5]

यह तो अपने आप में स्पष्ट ही है कि फोरम की मीटिंगों को ऐसे अकादमीय कार्यक्रमों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए जिनसे किसी तरह की कार्रवाई के लिए प्रतिबद्धता नहीं निकलती। अगर किसी को सैद्धांतिक किस्म की बहसों और चर्चाओं में दिलचस्पी है तो उसके लिए विश्वविद्यालयों या सेमिनारों या अन्य फोरमों के कार्यक्रम ठीक रहेंगे।[6] फोरम तो एक ऐसा खुला स्पेस है जिसमें दूसरी दुनिया बनाने में दिलचस्पी रखने वाले और उसकी रचना के लिए राजनीतिक कार्रवाई करने में लगे हुए ज्यादा से ज्यादा लोग आपस में मिल सकते हैं। फोरम का वजूद है ही इसीलिए कि ऐसे लोग दूसरी दुनिया बनाने की तरफ अधिक आजादी से बढ़ सकें और नागरिक समाज के संगठनों द्वारा बनाई गई सामाजिक संरचनाएँ और सघन व मजबूत हो सकें।

हालाँकि फोरम के दरवाजे खुले रहते हैं, पर सभी लोगों की संगति उसके साथ नहीं बैठती। नव-उदारतावाद के हक में खड़े हुए लोगों को तय करना होगा कि क्या फोरम द्वारा मुहैया कराए गए स्पेस में नव-उदारतावाद के खिलाफ लड़ रहे लोगों से संघर्ष करना उनके लिए सुविधाजनक रहेगा? अगर वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर यह निर्णय उन्हें ही करना पड़ेगा।[7]

3. फोरम की पहचान : खुशनुमा माहौल और युवजन

वर्ल्ड सोशल फोरम का सबसे ज्यादा असाधारण पहलू है उसके सभी कार्यक्रमों का आयोजन उत्साह और खुशनुमा माहौल के बीच होना। पुस्तक में हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं।

पुस्तक के शुरू में ही मैंने कहा है कि ब्राज़ील में हुए पहले फोरम से सामाजिक कार्रवाई को एक नयी शुरुआत मिली (देखें, अध्याय 1:2, 'आयोजन कामयाब रहा')। उस समय सामाजिक आंदोलन काफी सुस्त पड़े हुए थे। संघर्षों में लगे हुए लोग जब आपस में मिले, तो उनमें खुशी और जोश का संचार हुआ। उसके बाद सभी फोरमों पर यही भावना छाई रही और एक तरह से इन आयोजनों की पहचान बन गई।

शायद खुशी के इस माहौल का गहरा कारण दूसरी दुनिया बनाने के साथ जुड़ी हुई सर्वव्यापी अनुभूति ही है। यह एक आह्लादकारी अनुभूति है जो प्रभुत्व और अन्याय के ऊपर मानवता की जीत का एहसास देती है।

आडिटाल न्यूज एजेंसी द्वारा फोरम के ठोस नतीजों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मैंने कहा था : 'फोरम का खुशनुमा माहौल उसकी पहचान बन चुका है। इसका कारण यह है कि शुरुआत में ही फोरम ने एक न्यायपूर्ण दुनिया के यूटोपिया की पुन: स्थापना कर दी थी।'

इस तरह की बात मैंने और भी कई बार कही है। मसलन, फ्रांस के *सोशल वीक्स* के दौरान एक वार्ता में मैंने कहा था :

> फोरम के आयोजन और उनकी तैयारियाँ अपने-आप में एक विराट विद्यालय बन गई हैं, एक ऐसा विद्यालय जिसमें लोग क्षैतिज संबंध बनाने और संपूर्णत: लोकतांत्रिक व्यवहार की दोबारा शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी विद्यालय में वे विकल्पों की विविधता का और दूसरी दुनिया की तरफ बढ़ते तरह-तरह की ताकतों के कदमों की अलग-अलग रफ्तार का आदर करना सीखते हैं। फोरम का प्रत्येक आयोजन इस नई नयी रचनाधर्मिता के एहसास का अवसर देता है। यही कारण है कि फोरम के सहभागी उत्सव और मस्ती के मूड में होते हैं।

सन् 2003 के यूरोपीय सोशल फोरम में एक गोल मेज चर्चा के दौरान भी मैंने फोरम के दौरान होने वाले नए तजरुबे की इस तरह व्याख्या की थी :

> जहाँ तक परिवर्तनकामी राजनीतिक कार्रवाई का सवाल है, उसके ऊपर वामपंथी रवैये का बोलबाला रहता आया है। खास बात यह है कि कार्रवाई के प्रभावी होने के बारे में खासे चिंतित रहने के बावजूद इस रवैये ने कोई विशेष सफलता हासिल नहीं कर पाई है। फोरम

जैसे जीवंत स्पेस और उसके आयोजन का अनुभव कुछ अलग तरह का है। इस स्पेस में न तो किसी का हुक्म चलता है, न ही उस पर किसी नारे का अधिपत्य रहता है। यह तो एक क्षैतिज स्पेस है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। एकजुटता हासिल करने की प्रक्रिया में कुछ उतार-चढ़ाव आता ही है, कदम आगे-पीछे होते ही हैं। लेकिन, बिना किसी शक के कहा जा सकता है कि फोरम द्वारा प्रदत्त अंतर्दृष्टियों से उम्मीद की लौ फिर से जल गई है। यही है वह कारण जो फोरम के आयोजनों को इस कदर खुशनुमा और मस्ती भरा बना देता है।

इस उत्सवनुमा माहौल के कारण कुछ लोगों को ऐसा कहने का मौका भी मिल जाता है कि फोरम वामपंथ के एक अराजक संस्करण के अलावा क्या है। फ्रांसीसी पत्रिका *आल्टरनेवि इकॉनॉमिकस* को दिए गए एक साक्षात्कार में मैंने इस तरह की बातों का जवाब दिया था :

हमारे ऊपर यह विचार हावी नहीं है कि सभी चीजें नीचे से ही आनी चाहिए और तभी वे श्रेयस्कर हो सकती हैं। फोरम वामपंथ का कोई अराजक जमावड़ा नहीं है। विविधता को अपने लक्ष्यों के लिए लाभकारी बनाने के लिए कुछ नियमों की जरूरत पड़ती है। फोरम के सहभागियों के एक बड़े हिस्से द्वारा ठोस कार्रवाई में दिलचस्पी दिखाना लाजमी है। ये लोग फोरम में राजनीतिक कार्य करने के लिए आते हैं। लेकिन, इसका मतलब यह तो नहीं हो सकता कि वे फोरम की सामूहिक उत्सवधर्मिता से खुद को अलग रखें।

युवजनों द्वारा भारी संख्या में शिरकत भी फोरमों की एक खूबी है। मौज-मस्ती के माहौल का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ क्षेत्रीय फोरमों, जैसे कि यूरोपीय सोशल फोरम के लिए तो यह पहलू बड़ा फायदेमंद साबित हुआ। वहाँ धारणा बन गई थी कि युवकों को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। अंतर्राष्ट्रीय युवजन शिविर फोरमों की विशेषता बनते जा रहे हैं। हजारों-हजार युवक फोरम-स्थल के दोनों तरफ अपने खेमे जमा लेते हैं। सन् 2005 में पोर्टो अलेगरे के फोरम में इन युवजन शिविरों को फोरम के आयोजन में केंद्रीय महत्त्व मिल गया था। उनमें सेमिनार, वर्कशॉप और अन्य गतिविधियाँ आयोजित हुई थीं।

युवकों द्वारा फोरम में बनाया गया सहज और हल्का माहौल ऐसे प्रेस फोटोग्राफरों के लिए काफी आकर्षक साबित हुआ जो फोरम के विचार की गहराई सम्प्रेषित करने में दिलचस्पी रखते थे। सहभागियों द्वारा स्व-आयोजित ये युवजन शिविर निश्चित रूप से एक नए अनुभव के वाहक साबित हुए कि कुल मिला कर फोरम का आयोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए।

युवजनों ने वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजन के एक अन्य केंद्रीय आयाम में अहम

भूमिका निभाई। उन्होंने आयोजन के प्रशासन में खासा हाथ बँटाया।

चूँकि फोरम के 'आयोजक' उन समूहों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जिन्होंने फोरमों के आयोजन का फैसला किया था, इसलिए वे बिना किसी वेतन के निर्णयकारी प्रक्रिया में नीतिगत भूमिका निभा पाते हैं। संगठनात्मक बैठकों और उनकी जिम्मेदारियों के निर्वाह में खर्च होने वाला समय फोरम में उसके सदस्य संगठनों का योगदान है। इन संगठनों के योगदान के बिना फोरम की परिकल्पना धरती पर नहीं उतारी जा सकती थी। यही कारण है कि आयोजकों को वेतनभोगी स्टाफ की जरूरत पड़ती है ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़े कई तरह के काम किए जा सकें। इनमें सूचनाओं का प्रसार, पत्र-व्यवहार, अनुवाद, उपकरणों और वेबसाइट्स का रखरखाव, फोरम करने के लिए जगहों की बुकिंग, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, रपटें तैयार करना, इत्यादि शामिल है।

फोरमों के विकास के साथ-साथ तकनीकी सहयोग की यह जरूरत बढ़ती चली गई है। इसमें युवजनों की भूमिका विशेषरूप से उल्लेखनीय है। वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किसी कर्मचारी या अधिकारी की तरह न करके एक जुझारू कार्यकर्त्ता की शैली में करते हैं। वे फोरम को जितना वक्त देते हैं, उसी से इसका सबूत मिल जाता है। जैसे-जैसे फोरम के आयोजन की तारीखें नजदीक आती हैं, प्रशासनिक काम भारी संख्या में स्वंयसेवकों को भी आकर्षित करता है। तकरीबन सारे स्वयंसेवक युवक ही होते हैं। कहना न होगा कि उपलब्धता और उदारता उस दुनिया की अनिवार्य विशेषता होगी जो हम सब मिल कर बनाना चाहते हैं। और, ये खूबियाँ युवजनों में पर्याप्त होती हैं। बिना इनके फोरम संभव नहीं हो सकते थे।

4. फोरम राजनीतिक रूप से प्रभावी कैसे बनाया जाए?

फोरम को स्पेस माना जाए या आंदोलन, इस सवाल पर अक्सर होने वाली बहस के पीछे फोरम को जानने-समझने वालों की यह चिंता होती है कि क्या फोरम वास्तव में राजनीतिक रूप से प्रभावी है?

यही है वह सवाल जो फोरम में रिपोर्टिंग करने आए[8] और मेरा साक्षात्कार लेने वाले [9] पत्रकार अक्सर पूछते हैं। दरअसल, इस सवाल में आम जनता की वह चिंता भी झलक रही होती है कि क्या फोरम से उम्मीद के अलावा भी कुछ ठोस निकलेगा। फ्रांसीसी पत्रिका *मेसेजिस* के इस सवाल का सार भी यही था : 'वर्ल्ड सोशल फोरम दावा करता है कि एक दूसरी दुनिया भी मुमकिन है। लेकिन, यह दूसरी दुनिया कब मुमकिन होगी?' [10]

परिवर्तन के लिए किए गए संघर्षों का ऐतिहासिक अनुभव भी इस प्रश्न की

प्रांसगिकता बढ़ा देता है। इसका एहसास फोरम के आयोजकों और सहभागियों, दोनों को है।

कहना न होगा कि पिछली सदी में पूँजीवाद के तर्क को समाजवाद के वैकल्पिक तर्क द्वारा प्रतिस्थापित करने में मिली नाकामी से बदलाव के इच्छुक लोगों को काफी निराशा और कुंठा हुई है। वैसी महान ऐतिहासिक छलांग लगाने के लिए कई दुनिया के सामने कई रास्तों की पेशकश की जा चुकी है और उन्हें आजमाया भी जा चुका है। कई बड़ी-बड़ी जीतें भी मिली हैं, पर वे टिकाऊ साबित नहीं हुईं। कई गलतियाँ हुईं जिनकी भारी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ी।[11] न जाने कितनी दुखांत पराजयों के दौर से गुजरना पड़ा। कितने जीवन नष्ट हो गए। न जाने कितने स्त्री-पुरुषों ने इस लक्ष्य के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। दूसरे, अक्सर लोकतांत्रिक रूप से किए गए परिवर्तनों को भीतर से उलट दिया गया क्योंकि उनके नेता दुनिया पर हावी आर्थिक प्रणाली की माँगों के सामने झुक गए।

नए मूल्यों और व्यवहार-शैलियों की स्थापना कर सकने वाली सांस्कृतिक क्रांतियाँ न होने के कारण पूँजीवाद को अपनी कमजोर होती हुई स्थिति सुधारने का मौका मिल गया। वह लोगों के दिमाग पर छा गया। यही कारण है कि आज सारी दुनिया पर भूमंडलीकृत नव-उदारतावाद के रूप में पूँजीवाद हावी हो चुका है। फौजी तौर पर भी उसी को बोलबाला है। नव-उदारतावाद के खिलाफ कठोर प्रतिक्रिया के रूप में केवल आतंकवाद का उभार हुआ है। अभी यह प्रतिक्रिया स्थानीय सीमाओं में है, पर जल्दी ही इसका प्रसार ग्लोबल हो जाएगा। दिक्कत यह है कि नव-उदारतावाद के खिलाफ खड़ी यह प्रतिक्रिया भी उतनी ही जघन्य है जितना पूँजीवाद जघन्य है।

जाहिर है कि ऐसे हालात में नए तरीकों पर विचार करना होगा, नई गुंजाइशों को आजमाना होगा जिनसे दुनिया के पूँजीवाद-उत्पीड़ित बहुसंख्यकों को मौका और आवाज मिल सके। वर्ल्ड सोशल फोरम का उदय इसी पृष्ठभूमि में हुआ है। इसी संदर्भ में उसने नई सहस्राब्दी के पहले वर्ष एक नए राजनीतिक 'आविष्कार' के रूप में उम्मीद का दिया जलाया है।[13]

फोरम की कामयाबी ने नई अपेक्षाओं को भी जन्म दिया है। कई लोगों को लग रहा है कि हमने अपनी कुंठाओं पर विजय पाने लायक रास्ता पा लिया है। हालत यह है कि फोरम से हर तरह की उम्मीद की जाने लगी है। मशहूर उत्तर अमेरिकी बुद्धिजीवी इमानुअल वालर्स्टीन के इस कथन में उन जिम्मेदारियों की झलक देखी जा सकती है जो फोरम से जोड़ी जा रही हैं : 'यो तो हमें वर्ल्ड सोशल फोरम कामयाब बनाना होगा, या फिर उसके साथ हम भी खत्म हो जाएँगे।'

सवाल यह है कि फोरम को वास्तव में प्रभावी बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं? वे

किस हद तक असर डालेंगे?

इन सवालों के जवाब के लिए हमें इस पुस्तक के परिचय के निम्न अंश पर गौर करना चाहिए :

> इन गतिविधियों को फोरम द्वारा शुरू की गई एक प्रक्रिया की संज्ञा देना उचित होगा। इस प्रक्रिया से साफ पता चलता है कि जिस दूसरी दुनिया के निर्माण की बातें की जा रही हैं, उसे यह फोरम नहीं बनाएगा। फोरम नहीं, बल्कि यह समाज ही दुनिया बदलेगा। फोरम तो बदलाव के इस संघर्ष में एक मध्यवर्ती भूमिका ही निभा सकता है। फोरम का योगदान राजनीतिक कार्रवाई के अन्य उपकरणों से अलग खास किस्म का होगा ताकि हमें दुनिया बदलने का मकसद हासिल हो सके। यह भिन्न चरित्र ही फोरम को एक ऐसे उपकरण में बदल देता है जो राजनीतिक कार्रवाई में संलग्न अन्य शक्तियों के सहायक की भूमिका निभाएगा।

इस कथन से जाहिर है कि फोरम का प्रभावी होना वास्तव में उतना ही मध्यवर्ती होगा जितना स्वयं फोरम का चरित्र मध्यवर्ती है। सबसे पहली बात तो यह है कि फोरम में शिरकत करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को परिस्थितियों के अधिक गहराई से विश्लेषण का मौका मिलता है। विकल्पों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है और नई पहलों की शुरुआत करने के लिए नए राजनीतिक तौर-तरीकों का प्रयोग करने का मौका मिलता है। इसका असर सहभागी संगठनों के भीतर दिखाई पड़ता है।

फोरम चूँकि व्यवहार और सिद्धांत में क्षैतिज संबंधों को अपना आधार बनाता है, इसलिए फोरम में शिरकत के बाद संगठन सोच सकते हैं कि पिरामिडनुमा संरचना के बजाय क्यों न वे भी अपने भीतर क्षैतिज संरचनाएँ अपनाएँ और कहीं अधिक संपूर्ण आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शी निर्णयकारी प्रक्रियाओं की स्थापना करें। वे यह भी सोच सकते हैं कि गैर-निर्देशात्मक नेटवर्क संरचनाएँ किस तरह सह-दायित्व, सृजनात्मकता और व्यापक सहभागिता का रास्ता खोल सकती हैं।

फोरम के आयोजनों में प्रत्येक व्यक्ति के पास वही काम करने की आजादी होती है जिसे वह अपनी निगाह में अहम समझता है। उसे न तो किसी के आदेशों का पालन करना पड़ता है. और न ही अपने लिए स्पेस हासिल करने के लिए किसी के साथ होड़ करनी पड़ती है। न ही कोई किसी की निगरानी करता है। न ही उन प्रस्तावों के साथ जुड़ना लाजमी होता है जिनसे असहमति हो। यह अनुभव सहभागी संगठनों को अपने भीतर काम करने की नई शैलियाँ अपनाने का साहस दे सकता है। वे अपने संगठनों में श्रेणीक्रम पर आधारित ऊँच-नीच के खिलाफ फैसला कर सकते हैं। उनके भीतर आपसी विश्वास और

ज्यादा हो सकता है, तनाव कम करके वे अधिक सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अपना सकते हैं। इससे होगा यह कि दूसरी दुनिया की खूबियाँ उनके भीतर पैदा होना शुरू हो जाएँगी। इस तरह पूँजीवादी आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली में अंतर्निहित सत्ता केंद्रित तर्क के विशाल समुद्र के बीच दूसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे-छोटे द्वीप बनते चले जाएँगे।

गैर-सरकारी संगठनों और आंदोलनों के भीतर इस तरह के परिवर्तन करने आसान हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन जैसे संगठनों की कड़े पिरामिडनुमा संरचना में भी इनके आधार पर बदलाव की कल्पना की जा सकती है। यहाँ तक कि चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स के उसूलों के मुताबिक फोरम में भाग ले सकने वाले राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को भी इस अनुभव का लाभ हो सकता है (देखें अध्याय 3:2, 'एक 'खुला स्पेस': पर किसके लिए?')। राजनीति का यह सबक नागरिक समाज के संगठन उन्हें सिखा सकते हैं। अपने आंतरिक कामकाज के लिए क्षैतिज नेटवर्कों को इजाजत देने वाली पार्टियों का उन दलों के मुकाबले तेजी से विकास हो सकता है जो निर्देशों और सूचनाओं के नीचे से ऊपर प्रसार के आधार पर किए जाने वाले अनुशासित नियंत्रण पर भरोसा करती हैं।

नव-उदारतावाद के खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई करने के मामले में फोरम के जरिए एक और उपलब्धि हासिल की जा सकती है। संगठनों के बीच संबंधों पर असर पड़ सकता है। दरअसल, ज्यादातर संगठन जिस पूँजीवादी व्यवस्था के परे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के बुनियादी तर्क यानी 'फूट डालो और राज करो' के जाल में खुद भी फँसे हुए हैं। सत्ता और वर्चस्व के लिए संगठनों में टूट का लंबा सिलसिला चलता है, और वे छोटे-छोटे गुटों में बँट जाते हैं। वामपंथियों ने अंतहीन फूट की प्रक्रिया में फँसे रहने की जो क्षमता प्रदर्शित की है, उससे पूँजीवाद का खुश होना स्वाभाविक ही है।[14]

वर्ल्ड सोशल फोरम में इस तरह के सांगठनिक विवादों की अनुमति नहीं है। लेकिन इसके लिए शीर्ष से कोई आदेश नहीं दिया जाता, क्योंकि फोरम में किसी तरह का प्रतिबंध ही प्रतिबंधित है। दरअसल, फोरम में खेल के नियम ही कुछ इस तरह के हैं, और उनका आयोजन ही इस शैली में किया जाता है कि इस प्रकार के विवादों पर अपने आप पाबंदी लग जाती है। विविधता का आदर करने का उसूल लोगों को इस एहसास की तरफ ले जाता है कि उनकी गतिविधियाँ उनकी निगाह में कितनी भी महत्त्वपूर्ण क्यों न हों, पर उन्हें फोरम के स्पेस में कमतर और सीमित किस्म के प्रस्तावों और पहलों के साझेदारी करनी होगी। फोरम में सबके लिए जगह है, और अपना नजरिया दूसरे पर थोपने का कोई तरीका उपलब्ध नहीं है।

वर्ल्ड सोशल फोरम के माहौल में संगठनों के बीच की दीवारें भी टूट जाती हैं।

अलग-अलग लक्ष्यों के लिए कार्यरत तरह-तरह के संगठन एक साथ फोरम में शिरकत करते हैं। मसलन, ट्रेड यूनियन संगठन कथित नागरिक समाज के साथ यानी विभिन्न एसोसिएशनों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ आते हैं। इन सब को एक-दूसरे को समझने, परस्पर मान्यता देने, पूर्वग्रह त्यागने, एकता के बिंदु तलाशने और संयुक्त कार्रवाई हेतु एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है।[15]

भले ही संगठन एक ही तरह के संघर्ष से जुड़े हों (जैसे कि ट्रेड यूनियनें), पर आपसी प्रतियोगिता उनके बीच दीवारें खड़ी कर देती है। एक ही लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे जुझारू तेवर वाले संगठन (जैसे नारीवादी आंदोलन) हों, या फिर फोरम की प्रक्रिया से निकले सोलिडेरिटी इकॉनॉमी जैसे आंदोलन हों, आपसी होड़ उन्हें एक-दूसरे के मुकाबले खड़ी कर देती है। मुश्तरका दुश्मन का सामना करने के लिए गठजोड़ों को मजबूत करना इतना कठिन हो गया है कि संगठन एक-दूसरे को नष्ट करने की हद तक चले जाते हैं।

लक्ष्यों, रणनीतियों और राजनीतिक विकल्पों के बारे में मतभेदों के कारण पैदा हुई दरारें भरना तो और भी कठिन है। इनमें बहुत से मतभेद तो आपसी जानकारी के अभाव से पैदा होते हैं। चूँकि फोरम का स्पेस क्षैतिज है जिसके कारण इसमें कोई संगठन श्रेष्ठता के एहसास से नहीं आता, इसलिए उसे दूसरे संगठनों के बारे में कुछ बेहतर समझ बनाने लायक माहौल मिलता है। सहयोग, एकजुटता और आपसी समर्थन के रास्ते पर चलने के लिए गुंजाइशें निकाल सकते हैं। अपने-अपने प्रयासों में अलग-अलग लगे रहने के मुकाबले इस तरह के माहौल में उन्हें नई कार्रवाइयों के बारे में सोचने और योजना बनाने का ज्यादा मौका मिलता है।

इस प्रकार फोरम ट्रेड यूनियनों, स्त्री आंदोलनों, सोलिडेरिटी इकॉनॉमी संगठनों, पारिस्थितिकी विशेषज्ञों, अध्यापकों, सरकारी कर्मचारियों, युवकों और रिटायर हो चुके लोगों के बीच पुल का काम करता है। यहाँ तक कि फोरम के जरिए पीढ़ी अंतराल तक भरा जा सकता है। यही वह प्रक्रिया है जो लोगों को बताती है कि देखने में कितना भी असंभव क्यों न लगता हो, पर साथ-साथ काम करना मुमकिन है, यद्यपि कई बार एकता कायम करने के लिए बड़े कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। पर, अगर एकता से हासिल होने वाली ताकत प्राप्त करनी है तो ऐसी कोशिशें करनी ही होंगी।

फोरम की गतिशीलता कुछ है ही ऐसी कि वहाँ पहुँच कर लोगों को एक साथ कई संघर्षों से जुड़ना मुमकिन लगने लगता है। मसलन, अगर कोई युवा स्त्री फोरम में मिली प्रेरणा के वशीभूत हो कर पारिस्थितिकीय संघर्ष से जुड़ने का फैसला करती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि युवजनों के संघर्षों या स्त्रियों के संघर्षों का हिस्सा नहीं बन सकती।

वह चाहे तो एक साथ ट्रेड यूनियन की सदस्यता ले सकती है, और किसी गैर-सरकारी संगठन के साथ काम भी कर सकती है। फोरम में बनने वाले अंत:संबंध एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि लोग किसी एक संगठन में होने के नाते बाकी संगठनों के साथ होड़ करने के बजाय एक साथ कई लक्ष्यों और कई संरचनाओं के अंग बन जाते हैं।

जाहिर है कि इन सब बातों में फोरम की भूमिका मध्यवर्ती किस्म की होती है, हालाँकि फोरम के अलावा यह भूमिका और कोई नहीं निभा सकता। यह भूमिका नागरिक समाज की संरचना और सघन बनाती है जिससे व्यापक समाज का यह संगठित हिस्सा एक ताकतवर राजनीतिक अभिनेता के रूप में उभरता है। फोरम के जरिए हमारे सामने यह हकीकत खुलती है कि भले ही हमारे बीच कितने भी मतभेद क्यों न हों, दरअसल दुनिया बदलने के काम में बहुत से लोग, बहुत सी ताकतें लगी हुई हैं, और हम जितना सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा मजबूत हो सकते हैं।

फोरम की राजनीतिक प्रभावकारिता के बारे में चिंतित लोग अगर चाहें तो ऊपर बताए गए इन आयामों की जानकारी पा कर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं।

5. आयोजकों के बीच एकता का सवाल

अभी तक हमने नव-उदारतावाद के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जरूरी एकता कायम करने के लिए फोरम द्वारा किए गए प्रयासों के फलितार्थों की चर्चा की है। हमने वामपंथ में लगातार होते रहने वाली टूटों पर गौर किया है। ऐसा लगता है कि जैसे फूट की यह प्रवृत्ति पूँजीवाद द्वारा दिए गए किसी शाप की देन हो। हमने यह भी चर्चा की है कि विविधता और क्षैतिजता का सम्मान करने के जरिए ही हम नए गठजोड़ बना सकते हैं, और नई ताकत प्राप्त कर सकते हैं।

लगता है कि इस तरह का असर सबसे ज्यादा खास तौर से फोरम के आयोजकों पर पड़ा है। चूँकि उन्हें क्षैतिजता और विविधता का सम्मान करने लायक हालात मुहैया कराने थे, इसलिए उन्हें राजनीतिक-सांगठनिक व्यवहार की पुरानी शैलियों को भूलना पड़ा। फोरमों से लौटे सहभागी पहले से अधिक अंत:संबद्ध होते हैं, और आयोजक पहले से कहीं अधिक एकताबद्ध।

कहना न होगा कि यह उपलब्धि कई तरह के उतार-चढ़ाव, आगमन-प्रत्यागमन और कई बार टूट की हद तक पहुँचा देने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद हुई है। लेकिन, चूँकि आयोजक अपनी इन जिम्मेदारियों के प्रति सजग हैं जो उन्होंने स्वयं उठाई हैं, इसलिए वे हर तरह की कोशिश करते हैं कि आपसी मतभेदों के कारण उनमें अलगाव और टूट न होने पाए।[16] इस काम में उनकी मदद सहमति के आधार पर फैसले करने वाले नियम ने काफी की है। इस नियम के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं (देखें अध्याय 1:4, 'सहमति आधारित निर्णय की मुश्किलें')। आयोजकों को अपनी जिम्मेदारी अंजाम देने के लिए न जाने कितनी बैठकें करनी पड़ती हैं। इन बैठकों को साझा अनुभव के आधार पर उनके बीच दोस्ती हो गई है, जो किसी कीमत पर नहीं हो सकती थी अगर अलग-अलग संगठनों में काम करने की मानसिकता हावी रहती।

यही अनुभव पहले तीन वर्ल्ड सोशल फोरमों का आयोजन करने वाली आठ संगठनों की समिति का भी रहा और भारत में सोशल फोरम करने वाली आयोजन समिति को भी ऐसा ही लगा। भारतीय आयोजन समिति के लिए एकता का यह अनुभव और भी गहन था, क्योंकि भारत ऐतिहासिक रूप से एक विभाजित देश है। यहाँ की जाति प्रथा, जाति के दायरे से बाहर रखे जाने वाले समुदाय, तरह-तरह की भाषाएँ, सामाजिक आंदोलनों के विविध लक्ष्य और कार्य-शैलियाँ, यहाँ की बुरी तरह टूटी हुई वामपंथी पार्टियाँ (साथ में उनके विभाजित मोर्चा संगठन और ट्रेड यूनियनें) मिल कर विभाजन का अभूतपूर्व नजारा बनाती हैं। भारत में हुए फोरम के सहभागी एकता के रास्ते पर हुई इस प्रगति के साक्षी हैं। इसका असर पूरे एशिया में होने वाले पूँजीवाद विरोधी संघर्षों पर पड़ना लाजमी है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि फोरम की जरूरत ऐसी कार्यप्रणालियाँ कायम करने की है जो ज्यादा से ज्यादा एकता पैदा करने के मकसद से बनाई गई हों। ऐसी एकता, जो विभिन्नता और स्वायत्तता के प्रति आदर रखती हो। दरअसल, यही है काम करने का वह तरीका जो दूसरी दुनिया बनाने के लिए आवश्यक होगा।

कई साक्षात्कारों में मुझे फोरम का यह पहलू साफ करने का मौका मिला। भारत में फ्रांसीसी पत्रिका *नोवेयू रिगार्ड्स* ने मुझसे सवाल पूछा था : 'हालाँकि अभी मुंबई सोशल फोरम जारी है, पर कुल मिला कर आपका विचार क्या बन रहा है?'

> पहली बात तो यह है कि इससे उस अंतर्दृष्टि की पुष्टि हुई है जिसके मुताबिक पोर्टो अलेगरे के तौर-तरीकों (क्षैतिज, गैर-निर्देशात्मक संबंध, विविधता के लिए आदर इत्यादि) का इस्तेमाल एक बेहद विविध और बुरी तरह विभाजित देश में भी किया जा सकता है।
>
> आज भारत के लोग हमसे कह रहे हैं कि उनके लिए यह फोरम कितना बड़ा ऐतिहासिक अनुभव है। जिन्होंने साथ-साथ कभी काम नहीं किया था, वे लोग पिछले एक साल से, या कहिए तो करीब दो साल से साथ-साथ काम कर रहे हैं। विभाजनों ने

केवल धर्म, जाति या विचारधारा के क्षेत्रों पर ही असर नहीं डाला है, बल्कि उन्होंने ग्रासरूट्स संगठनों, ट्रेड यूनियनों, गैर-सरकारी संगठनों, राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों पर भी असर डाला है। फोरम ने इन सभी को एक जगह आने का मौका दिया है। ... मुझे यह देख कर थोड़ा ताज्जुब होता है। जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ, वे बहुत अलग किस्म के हैं। पिछले साल से मैं कई बार भारत आ चुका हूँ और यहाँ के आयोजकों के साथ जुड़ कर मैंने काफी काम किया है। तनावों और टकरावों के बावजूद सभी लोग एक स्वर से यह कहते हैं कि एक हो कर काम करने में ही बरकत है। भारतीय संदर्भ में इसका एक ही मतलब हो सकता है– विविधता का आदर करना। उनके लिए इस प्रकार की एकता बहुत बड़ी प्रगति का द्योतक है।

फ्रांसीसी पत्रिका *क्रोइरे ऑजौर्दोहुई* से बातचीत करते हुए मैंने कहा था :

हाल ही मैंने भारतीय आयोजकों की एक बैठक में हिस्सा लिया। वे सभी बदलाव से प्रतिबद्ध पार्टियों से जुड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि फोरम के लिए की जा रही तैयारियों का उनके लिए क्या अर्थ है? उन सभी का जवाब था कि सभी का साथ-साथ काम करना ही एक बहुत बड़ी जीत है।

एफएसई 2003 के लिए लिखे गए एक लेख में मैंने यूरोपीय फोरम के अनुभव की चर्चा की थी :

यूरोपीय सोशल फोरम का आयोजन करने के दौरान एकता कायम करने की चुनौती का आयोजकों द्वारा बड़ी सफलता से सामना किया गया। इसमें दिक्कतें आना स्वाभाविक ही था, क्योंकि फोरम की कार्य-शैली राजनीतिक कार्रवाई के क्षेत्र में नई जमीन तोड़ने वाली है। लेकिन, अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। क्षैतिज नेटवर्किंग जारी रखनी है ताकि हम एक के बाद एक जीवंत अनुभवों से दो-चार होते रहें।

यही हैं वर्ल्ड सोशल फोरम-प्रक्रिया के वे आयाम जिन्हें अगर बनाए रखा गया तो आने वाले समय में राजनीतिक कार्रवाई के संदर्भ में उनके महत्त्वपूर्ण नतीजे निकलेंगे।

वर्ल्ड सोशल फोरम-प्रक्रिया के इस अनुभव का सांगठनिक इस्तेमाल राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर ज्यादा आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अगर इस अनुभव को दुनिया के पैमाने पर एक सांगठनिक प्रयोजन में इस्तेमाल किया जा सका तो वास्तव में 'एकता में ही शक्ति है' जैसा ध्येय वाक्य जमीन पर उतारा जा सकेगा।

6. चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स : शंकाएँ और मुद्दे

इस पुस्तक में कई बार कहा जा चुका है कि वर्ल्ड सोशल फोरम का चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स उसका बुनियादी दस्तावेज है। यह फोरम-प्रक्रिया का संविधान जैसा बन गया है। लेकिन, इतना कह देने भर से यह तय नहीं हो जाता कि यह दस्तावेज सभी ने स्वीकार कर लिया है और उसके रास्ते में किसी तरह की दिक्कतें नहीं रह गई हैं।

हालाँकि इस दस्तावेज को धीरे-धीरे लोग स्वीकार करते जा रहे हैं,[17] उसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह ग्रहण नहीं किया जा सका है। दुनिया के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाने वाले फोरमों में इस दस्तावेज के प्रति पूरी निष्ठा का दावा अभी नहीं किया जा सकता।

वस्तुस्थिति यह है कि इस दस्तावेज को साफ तौर पर सीधे या घुमा-फिरा कर दी गई चुनौतियाँ फोरम की राह में सबसे बड़ी बाधा हैं। इन्हीं बाधाओं के कारण फोरम को नव-उदारतावाद के खिलाफ अपनी भूमिका निभाने में कठिनाई महसूस होती है।

इस दस्तावेज के उसूलों पर वर्ल्ड सोशल फोरम के उन नियमों के संदर्भ में सबसे ज्यादा आपत्ति की जाती है जिनसे नई जमीन टूटती। मसलन, फोरम द्वारा अंतिम दस्तावेज पारित करने से लगातार इनकार करना। यह नियम फोरम की समूची संरचना का केंद्रीय रूप है[18] (देखें अध्याय 2:15, 'कोई अंतिम दस्तावेज नहीं')। आम तौर से होता है कि राजनीतिक कार्रवाई नियोजित करने के लिए आयोजित किए जाने वाले अन्य फोरमों का मकसद कुछ निश्चित लक्ष्यों के लिए समर्थकों का आह्वान करना होता है। आंदोलन और पार्टियों के नेता राजनीतिक कार्रवाई के लिए इन आह्वानों का सूत्रीकरण करते हैं।

फोरम के पहले आयोजन में गोलबंदी के लिए अपील नामक एक दस्तावेज जारी किया गया था। यह दस्तावेज कार्रवाई के लिए आह्वान की परंपरा के मुताबिक था। इसकी वजह से कई लोगों में भ्रम फैला। सन् 2001 के पोर्टो अलेगरे फोरम में आए एक हजार से ज्यादा प्रतिनिधियों के करीब सौ प्रतिनिधियों ने इस दस्तावेज पर दस्तखत किए थे।[19] इस अपील से उम्मीद थी कि उसे अंतिम दस्तावेज की हैसियत मिल जाएगी, और ऐसा तकरीबन हुआ भी। आयोजकों ने इस पर जरूरी ध्यान नहीं दिया और वेबसाइट पर चार भाषाओं में अनुवाद करके अपील दर्ज कर दी गई। आयोजकों का अधिकारिक 'सूचना नोट' बाद में आया, और उसे केवल दो भाषाओं में अनूदित करके ही वेबसाइट पर दर्ज किया गया (देखें अध्याय 1:3, 'फोरम को विश्व स्तर तक पहुँचना ही था!')। यह गलती सुधारने में करीब एक महीना लग गया।[20]

फोरम के अगले संस्करणों में उन्हीं संगठनों ने दूसरी 'अपीलें' जारी कीं जिनका आधार नव-उदारतावाद के खिलाफ संघर्षों के संदर्भ में प्राप्त परिस्थितिजन्य सूचना थी। इसके बात ये अपीलें कथित 'सामाजिक आंदोलनों की सभा' में पारित भी कर दी गईं (देखें, परिशिष्ट-1 : 'वर्ल्ड सोशल फोरम पर बहस के लिए नोट्स')। कुछ फोरमों के

आयोजक तो इस हद तक चले जाते हैं कि इन अपीलों के आधार पर ही फोरम में शिरकत तय की जाने लगती है। शायद वे समझते हैं कि ये अपीलें पिछले फोरम द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के परिणामस्वरूप जारी की गई हैं।

यूरोपीय सोशल फोरम का पहला आयोजन नवंबर, 2002 में फ्लोरेंस, इटली में होना था। उसकी तैयारी की पहली बैठक आयोजकों ने मार्च, 2002 में ब्रुसेल्स में की, और उसी साल जनवरी में जारी की गई 'सामाजिक आंदोलनों के लिए अपील' को एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर लिया। इन आयोजकों के लिए चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स दोयम दर्जे की हैसियत वाला दस्तावेज बन गया।[21]

इस वर्ष हुए कई फोरमों ने चार्टर को भी अपनाया, और साथ में इस अपील को भी। कुछ ने तो फैसला ही कर डाला कि फोरम में शिरकत करनी है तो दोनों दस्तावेजों को मानना होगा। सबसे पहले यह कारनामा मोरक्को सोशल फोरम ने किया। बाद में अपनी गलती के एहसास के बाद आयोजकों को निमंत्रण जारी करने से पहले उसके मसविदे में संशोधन करना पड़ा।

इसमें कोई शक नहीं कि 'कार्रवाई के लिए आह्वान' पर दिया गया जो फोरम की कामयाबी का ही नतीजा था। सफलता के गर्भ से यह उम्मीद पैदा हुई कि अब राजनीतिक संघर्ष की दिशा में बहुत बड़ी प्रगति की जा सकती है, इसलिए यह अवसर खोना नहीं चाहिए। सफलता के कारण ही यह ख्याल पैदा हुआ कि दुनिया के पैमाने पर पूँजीवादी प्रभुत्व के दोबारा उभार के खिलाफ लड़ने के लिए फोरम जैसी ताकत की ही जरूरत थी। कई लोगों ने समझा कि एक नया इंटरनेशनल उभर आया है जो पहले के सभी इंटरनेशनलों के मुकाबले व्यापक है और जिसमें पूँजीवाद विरोधी ताकतों की गोलबंदी की कहीं ज्यादा संभावनाएँ हैं। खास तौर से उसमें युवकों को आकर्षित करने की काफी क्षमता है। अब जरूरत इस बात की है कि ऐसी तमाम गोलबंदी नव-उदारतावादी सत्ता के साम्राज्यवादी आयाम उखाड़ फेंकने में लगाई जाए।

अगले कुछ वर्षों में युद्ध के साथ-साथ आतंकवाद व फौजीकरण के भीषण चक्र के खिलाफ प्रतिरोध की जरूरत जैसे-जैसे महसूस की गई, वैसे-वैसे फोरम के सहभागी इस बात से और नाखुश होते चले गए कि फोरम की ताकत इस काम में नहीं लगाई जा रही है। उनका ख्याल था कि फोरम को विद्रोही नारे गढ़ने चाहिए, ठोस लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए, प्राथमिकताएँ तय करनी चाहिए, राजनीतिक दलों से जुड़ना चाहिए और व्यापक पैमाने पर बहुत बड़ी संख्या में रैलियाँ व प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। फोरम को अपने सामने खड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए निर्देशात्मक

संस्थाएँ बनानी चाहिए ताकि सारी दुनिया को ऊँची आवाज में बताया जा सके कि 'एक दूसरी दुनिया भी मुमकिन है'।

इस तरह के विचार का नतीजा यह हुआ कि मियामी, अमेरिका में हुई इंटरनेशनल कौंसिल की बैठक में पहली अपील जारी करने वाली ताकतों की तरफ से टिप्पणी हुई कि चार्टर तो केवल एक अस्थायी दस्तावेज है। इस पर ब्राज़ीलियन राजनीतिक संस्कृति की छाप कुछ ज्यादा ही है। इसे पूँजीवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से बनाना होगा।

'पूँजीवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से' फोरम की पुन: संरचना का सीधा मतलब था कि ये लोग फोरम आयोजन के आधार बिंदुओं को पूरी तरह बदलने के मूड में थे। अगर ऐसा होता तो फोरम 'खुला स्पेस' नहीं रह जाता। कई लोगों का ख्याल था कि खुले स्पेस के रूप में फोरम गतिहीनता और दोहराव का शिकार है। ऐसा सोचने वाले यह हकीकत नजरअंदाज कर रहे थे कि इसी 'खुले स्पेस' की वजह से फोरम में काफी नेटवर्किंग हो सकी है, नागरिक समाज कार्रवाई की तरफ बढ़ पाया है और राजनीतिक पार्टियों को भी इसका लाभ पहुँचा है। इन लोगों का विचार था कि 'विश्वव्यापी राजनीतिक दल' तो बनाना संभव है नहीं, इसलिए क्यों न इस फोरम को ही नव-उदारतावाद के विश्वव्यापी प्रभुत्व के पैमाने पर ही बहुत बड़ा 'आंदोलनों का आंदोलन' बना दिया जाए।

फोरम के मौजूदा बंदोबस्त के आधार के रूप में चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स इन लोगों द्वारा वांछित परिवर्तन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था। ये लोग सबसे ज्यादा तो इस बात से नाराज थे कि इस चार्टर ने फोरम का मकसद सीमित कर दिया है। उन्हें लगता था कि चार्टर की वजह से ही राजनीतिक पार्टियों की शिरकत नहीं हो पाती, कोई अंतिम दस्तावेज जारी नहीं किया जाता और हिंसा को संघर्ष के एक रूप की तरह मानने पर पाबंदी लग जाती है। ये लोग चार्टर को पाबंदियाँ लगाने वाली संहिता के बजाय ज्यादा से ज्यादा संबंधवाचक बनाना चाहते थे।

देखा जाए तो चार्टर ने केवल एक काम किया था। उसने पिछले तीस साल में हुए सामाजिक आंदोलनों के अनुभवों और उनसे निकली अंतर्दृष्टियों को ही फिर से पेश किया था। चार्टर के उसूलों में साठ के दशक में, खासकर 1968 में हुई तरह-तरह की निरंकुशता विरोधी गोलबंदियों का ही निचोड़ था। उन दिनों राजनीतिक पार्टियाँ ही राजनीतिक कार्रवाई का एकमात्र जरिया थीं। इन पार्टियों द्वारा सत्ता पर कब्जा करके परिवर्तन लाने की संभावना दरअसल 1968 तक चुक गई थी। हमें धीरे-धीरे यह एहसास भी होता जा रहा था कि संघर्ष

में इस्तेमाल किए जाने वाले राजनीतिक तरीके भी पूँजीवाद जितने ही तानाशाहीपूर्ण हैं। दरअसल ये तरीके भी अपने 'निर्भूल चिंतन' को उसी तरह सभी को ऊपर थोपते थे जिस तरह दावोस का मताग्रह सभी को मानना पड़ता है। दरअसल, एक-दूसरे के खिलाफ संघर्ष करने का दावा करने वाले दोनों पक्षों का आधार-तर्क एक ही था। परिणामस्वरूप इस संघर्ष का कोई नतीजा नहीं निकल सका, ठीक उसी तरह जैसे आज फौजीकरण और आंतकवाद का संघर्ष एक तरह की जिच में फँस चुका है।

ऐसा एक बार फिर न हो जाए, इसीलिए यह फोरम बना है। इसीलिए इसे एक स्पेस का रूप दिया गया है ताकि नए किस्म के राजनीतिक तौर-तरीकों के प्रयोग किए जा सकें, बहुलवाद और विविधता का आदर किया जा सके, संपूर्ण लोकतंत्र और नागरिक जागरूकता से प्रतिबद्ध हुआ जा सके। चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स को चुनौती देने वाले और कोई नहीं, बल्कि पुरानी दुनिया के आक्टोपस की सूड़ें ही हैं जो समय-समय पर सामने आती रहती हैं। उनकी कोशिश रहती है कि फोरम के सहभागियों को यथार्थ की एकमात्र व्याख्या के आसपास गोलबंद करके किसी एक लक्ष्य के लिए खास किस्म की राजनीतिक कार्रवाई में उतारा जा सके।

मेरा ख्याल है कि ये कोशिशें नाकाम होने के लिए अभिशप्त हैं। मेरी उम्मीद का आधार वह कामयाबी है जो चार्टर के उसूलों के बिना पर फोरम की आयोजना को मिली है। इसने चार्टर के उसूलों की पुष्टि की है। 'खुला स्पेस' पद्धति को सुदृढ़ता प्रदान की है, उसका विस्तार किया है और उसमें सुधार किया है।[22]

7. नेटवर्क और पार्टियाँ

इस पुस्तक में मैं कई बार कह चुका हूँ कि वर्ल्ड सोशल फोरम के काम करने का तरीका नेटवर्क आधारित है। वह अपने सहभागी संगठनों का हितसाधन करता है, न कि उनके साथ प्रतियोगिता। उसका मकसद है कि पूँजीवाद के खिलाफ संघर्ष करने के लिए अधिक से अधिक संगठन खड़े करने की भूमिका निभाई जाए। उन संगठनों को ज्यादा से ज्यादा आपस में जोड़ा जाए ताकि सारी दुनिया में प्रतिरोध का जाल और सघन किया जा सके। ऐसे ठोस विकल्पों की पेशकश और रचना की जाए जो दुनिया भर में पूँजी और पूँजीपतियों की जगह ले सकें।

इसी तर्क के आधार पर काम करते हुए फोरम दुनिया में पूँजीवाद विरोधी अनपेक्षित ताकत निकालने और उसे मुक्त अभिव्यक्ति देने में कामयाब हो पाया है। 15 फरवरी, 2003 को हुई ऐतिहासिक शांति रैलियों की सच्चाई यही है। हम या तो फासीवादी सरकारों

द्वारा की जाने वाली विशाल रैलियों के, या फिर उनकी प्रतिक्रिया में पार्टियों या ट्रेड यूनियनों द्वारा की जाने वाली अनुशासित रैलियों के अभ्यस्त रहे हैं। सन् 2003 के प्रतिरोधों में भाग लेने वालों की संख्या देख कर उनके उत्साही समर्थक भी ताज्जुब में पड़ गए थे।

युद्ध के अंदेशे के खिलाफ किए जाने वाले किसी भी जन-प्रदर्शन के प्रस्ताव पर फोरम के सहभागियों की सहमति का ठप्पा लगवाने की कोई जरूरत नहीं हो सकती थी। न ही इस संबंध में कोई अंतिम उद्घोषणा पारित करने की आवश्यकता थी। इस संबंध में जो तरीका अपनाया गया वह गैर-निर्देशात्मक कार्रवाई की प्रभावकारिता का बेहतरीन नमूना था। नवंबर, 2002 में फ्लोरेंस के यूरोपीय सोशल फोरम में रखे गए कई प्रस्तावों में से एक यह भी था। फिर सन् 2003 में पोर्टो अलेगरे के फोरम में भी इसे रखा गया। फिर यह प्रस्ताव क्षैतिज गति के साथ सारी दुनिया में फैलता चला गया। किसी अलग से निभाई गई समन्वयकारी भूमिका के बिना अनगिनत नेटवर्कों और आपस में जुड़े हुए सामाजिक संगठनों के जरिए इस संदेश का प्रसार हुआ। परिणाम यह हुआ कि करीब डेढ़ करोड़ लोग सड़कों पर निकल आए।

फ्रांसीसी अखबार *ल'ह्यूमेनाटि* में मैंने लिखा था :

> सिएटल की कामयाबी साफ बताती है कि इस तरह के संबंधों का राजनीतिक असर कितना प्रभावी हो सकता है। वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन की वार्ता का विरोध करने के लिए विभिन्न देशों से हैरान कर देने वाली संख्या में लाखों-लाख लोग सिएटल (1999 में) पहुँच गए। उन पर किसी भी तरह की एकीकृत कमांड के जरिए कोई अनुशासन थोपने की जरूरत नहीं पड़ी।

ओ स्पिरिटो डि पोर्टो अलेगरे नामक पुस्तक में छपे एक इंटरव्यू में मेरा कहना था कि 'फोरम का आयोजन नेटवर्किंग की जीवंतता के सघन होने' का नतीजा था। इसके बाद मेरा कथन था :

> नेटवर्क के भीतर चीजें अपने अंतर्निहित तर्क के कारण टिकती हैं न कि उनकी पेशकश करने वाले किसी प्राधिकार के कारण। नेटवर्क से निकलने वाली कार्रवाई इसीलिए बुनियादी रूप से अलग होती है। वह इसलिए घटित नहीं होती कि किसी बड़े नेता ने उसे अंजाम देने का आदेश दिया है, बल्कि स्वयं में एक बेहतरीन प्रस्ताव होने के नाते होती है, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे स्वीकार किया गया है और जिसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोग उसे लागू करते हैं या नहीं।

उसी साक्षात्कार में मैंने आगे यह भी कहा था :

मेरा ख्याल है कि इसका मतलब एक प्रतिमानमूलक परिवर्तन से है। आज की दुनिया में राजनीतिक संघर्ष का चरित्र बदल गया है। अब उसके एकीकृत होने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। एकीकरण के लिए काफी व्यवस्था और समरूपता की जरूरत पड़ती है। आज तो संघर्ष की प्रकृति पंचमेल किस्म की है। यही कारण है कि पिरामिडनुमा के बजाय नेटवर्कनुमा संगठन ज्यादा मजबूत साबित होते हैं। दरअसल, नेटवर्कनुमा संगठनों का आधार उनके सदस्यों की अपनी इच्छा होती है। वे वही करते हैं जिस पर उनका यकीन होता है। इसलिए एकीकृत होने के बजाय वे सह-दायित्व के जरिए जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जमा करने लिए जरूरी है कि लोगों में प्रक्रिया के प्रति सजगता हो। वरना, हो सकता है कि लक्ष्य हासिल करने के बावजूद बाद में पराजय का सामना करना पड़े।

जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है, फरवरी, 2003 की कामयाबी ने नेटवर्क का तर्क स्थापित कर दिया है। उसने फोरम के आयोजकों और सहभागियों के बीच, जिनमें से कई नेटवर्कों से ही जुड़े हुए हैं, अपना सिक्का जमा लिया है। नागरिक समाज ने दिखा दिया है कि वह दुनिया के पैमाने पर कितना असरदार हो सकता है।

लेकिन, राजनीतिक दलों को फोरम के स्पेस में भाग लेने से रोकने के नियम को अभी नेटवर्क प्रकृति जैसी मान्यता नहीं मिली है। चार्टर के इस उसूल पर पार्टियां तो सवाल उठाती ही हैं, मीडिया भी प्रश्न करता है। मीडिया का तो ख्याल यह भी है कि इस नियम का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। फ्रांसीसी पत्रिका *मेसेजिस* से बातचीत में मैंने भी कहा था : 'इस प्रतिबंध के बावजूद फोरम में कुछ राजनीतिक दलों की उपस्थिति बढ़ती ही जा रही है ...।' दरअसल, मेरा कहना यह था :

एक बात तो तय है कि राजनीतिक दलों की सोशल फोरम में कोई जगह नहीं है। उन्हें बहसों में भाग लेने और अपने अनुभवों का विवरण देने के लिए निमंत्रण अवश्य दिया जा सकता है। लेकिन, वे फोरम में अपने कार्यक्रम नहीं कर सकते। इन दलों को लगता है कि फोरम उछाल पर है, इसलिए इसकी लगाम अपने हाथ में करने की उत्सुकता उनमें पैदा हो जाती है। इसे रोकना होगा, वरना यह नयी गतिशीलता ठंडी पड़ जाएगी। फोरम पार्टियों के हाथ का औजार बन कर रह जाएगा जिससे लोग सहभागी के रूप में आना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टियों द्वारा फोरम में हस्तक्षेप के खिलाफ प्रावधान करके चार्टर ने एक एंटी-वायरस प्रणाली लागू कर दी है ताकि फोरम का दोहन न किया जा सके।

ला वी पत्रिका ने मुझसे सवाल पूछा था : 'लेकिन, फोरम के दोहन का खतरा पूरी तरह टला नहीं है। आखिर उनकी कार्रवाई का आधार क्या है? क्या पोर्टो अलेगरे में

विकसित हुए विचार राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को माध्यम बनाए बिना यहाँ तक पहुँच सकते थे?' इस पर मेरा जवाब था :

दुनिया बदलने का मकसद हासिल करने के मामले में बेकार साबित हो चुके पुराने तौर-तरीकों और सिद्धांतों को पूरी तरह छोड़ना आसान नहीं है। राजनीतिक दलों को तो सत्ता हासिल करने के लिए कल्पित किया गया था। इसलिए परिवर्तन लाने के माध्यम के रूप में उनकी अहमियत घटानी ही होगी। यह उस समय तो और भी लाजमी हो जाता है जब पार्टियाँ खुद को समाज से और आपस में एक-दूसरे से दूर करके खुद को आपसी होड़ और वर्चस्व की प्रतियोगिता में फँसा लेती हैं। एक नई सहस्राब्दी की रचना के लिए हमें जबरदस्त परिवर्तनों की जरूरत है। समाज के स्तर पर एक सर्वथा नई रचना करनी होगी। शीर्ष से दिए गए आदेशों के आधार पर कोई परिवर्तन संभव नहीं रह गया है।

मेरे ऐसे कथनों के बावजूद *मूवमेंट* पत्रिका ने फिर यही सवाल दागा : 'और, राजनीतिक पार्टियों की क्या जगह होगी? इस पर काफी बहस लगती है ...।' मेरा जवाब था :

शुरू से ही हम पार्टियों को किसी भी तरह की सांगठनिक भूमिका देने से इनकार करते रहे। चूँकि हममें से कई लोग पीटी (वर्कर्स पार्टी) के सदस्य हैं इसीलिए अन्य वामपंथी पार्टियाँ इल्जाम लगाने लगीं कि हम पूरी प्रक्रिया को अपनी पार्टी के लिए हड़पना चाहते हैं। इस आरोप को गलत साबित करने में हमें कई महीने लगे। फोरम की शुरुआत वाले महीने तक हमें कोई अंदाजा नहीं था कि हमें किस तरह की कामयाबी मिलने जा रही है।

यह मुद्दा राजनीतिक दलों द्वारा भी बार-बार उठाया जाता है। मुंबई में फ्रांस की सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने मेरा साक्षात्कार लेते हुए पूछा : 'क्षैतिजता से कार्रवाई की तरफ जाने का क्या तरीका होगा? मध्यस्थता कैसे हासिल होगी? इस तरीके से किस तरह के राजनीतिक नतीजे हासिल होंगे?' मेरा जवाब था :

राजनीतिक कार्रवाई केवल पार्टियों की ठेकेदारी नहीं होती। सत्ताधारी बदलते रहने चाहिए और उनसे जवाबतलब करते रहना चाहिए। ऐसा करना ही राजनीतिक धरातल पर कार्रवाई करना है। जिनेवा समझौता इसकी एक मिसाल है कि इस दिशा में क्या किया जा सकता है।[24] यह नागरिक समाज से निकली एक स्वायत्त पहल थी जिससे साबित हुआ कि समझौता संभव है। अब संबंधित सरकारें इसे लेकर परेशान हैं कि इसका क्या किया जाए। संयुक्त राष्ट्र के सुधार के लिए भी हमें ऐसा ही करना चाहिए। जून खत्म होने से पहले-पहले हमें कोफी अन्नान के प्रस्तावों के विकल्प पेश कर देने चाहिए।

एफएसई 2003 नामक पुस्तक के लिए लिखे एक लेख में मैंने यह बताने की कोशिश की कि पार्टियों के संबंध में क्या रवैया होना चाहिए :

> जहाँ तक पार्टियों और राजनेताओं का सवाल है, उन्हें अभी तक सोशल फोरम के स्पेस की समझ नहीं बन पाई है। ... जाहिर है कि जिस गतिशीलता में इतने युवाओं की शिरकत हो, उसे अपने आगोश में लेने की कोशिश वे करना चाहेंगे ... लेकिन, अगर उन्होंने फोरम के स्पेस में पार्टियों की तरह भाग लेना शुरू कर दिया तो वे सत्ता के लिए की जाने वाली होड़ की भावना पैदा करके इसे प्राणहीन कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि इन लोगों से जम कर संवाद किया जाए, ताकि वे फोरम स्पेस के बारे में अपनी समझ सुधार सकें। उन्हें समझना होगा कि फोरम दुनिया बदलने में अपना योगदान तभी कर सकता है जब वह खुद को स्वायत्त रखे। इसे यह जानते हुए भी कायम रखना होगा कि इन पार्टियों के जुझारू समर्थक अपने संगठनों की तरफ से फोरम में लगातार शिरकत करते हैं।

आल्टरनेटिव इकॉनॉमिकस पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में मैं इस तरह के संवाद के कुछ लाभकारी प्रभावों की पहले ही चर्चा कर चुका था :

> फोरमों को नागरिक समाज के स्पेस के रूप में देखना चाहिए। उन्हें पार्टियों और सरकारों से स्वायत्त भी रहना चाहिए, और उन्हें प्रतिस्थापित करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। राजनीति के हमारे तरीके का पार्टियों के तौर-तरीकों पर असर पड़ने लगा है। भारत में मुंबई फोरम के कारण विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच संवाद शुरू हुआ। नवंबर, 2003 में यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के नए अध्यक्ष पाउल रासमुसेन की पहलकदमी पर हुए ग्लोबल प्रोग्रेसिव फोरम को एक सबूत के तौर पर देखा जाना चाहिए कि सोशल फोरम किस तरह एक मिसाल बन चुके हैं, क्योंकि इस फोरम के दरवाजे राजनीतिक दलों के अलावा अन्य राजनीतिक ताकतों के लिए खुले हुए हैं। लेकिन, अगर हमने अपने उसूलों के प्रति निष्ठा छोड़ दी तो हमारा यह प्रभाव बहुत दिनों तक नहीं रहेगा।

8. अनुवाद, संचार प्रौद्योगिकी और मीडिया

फोरमों के आयोजन में हर बार एक फौरी समस्या का सामना करना पड़ा, और वह समस्या थी अनुवाद की, हालाँकि मेरा मानना है कि यही समस्या आगे चल कर सृजनात्मकता और नवाचार की जननी बनेगी।

यह सभी अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की समस्या होती है कि लोग एक-दूसरे की भाषा समझे बिना आपस में स्वतंत्र रूप से बातचीत कैसे करें। फोरम की खबरें और सूचनाएँ

उसकी वेबसाइट पर प्रसारित करने के लिए और आयोजकों की तरफ से पत्राचार के रूप में चार 'अधिकारिक' भाषाओं में तैयार की जाती हैं। ये भाषाएँ हैं पुर्तगीज, स्पेनी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। बैठकों के दौरान आमतौर पर अनुवाद-विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जाती हैं, और पोर्टेबिल या फिक्स्ड बूथों और ट्रांसलेशन रिसीवरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर भारी खर्चा आता है।

यह सुविधा सभी गतिविधियों और उन कक्षों के लिए मुहैया नहीं कराई जा सकती जहाँ मीटिंगें होती हैं। सैकड़ों छोटे-बड़े समूह एक साथ अनगिनत जगहों पर अपने कार्यक्रम करते हैं। जैसे-जैसे फोरम में लोगों की शिरकत बढ़ी है, वैसे-वैसे बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या बढ़ गई है। चार अधिकारिक भाषाओं में से किसी एक में बातचीत कर सकने वाले लोगों की संख्या कम हुई है। भारत जैसे भाषाई विविधता वाले देश में तरह-तरह के ग्रासरूट्स समूहों की बढ़ती हुई शिरकत ने इस समस्या को और गंभीर कर दिया है।

लेकिन, दूसरी तरफ आयोजनों की प्रक्रिया में से ही ऐसे सहभागी निकलने लगे हैं जो अनुवाद के काम में बिना किसी शुल्क के मदद करने के लिए तैयार हैं। इन सहभागियों ने विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों में अनुवाद की सुविधा प्रदान करना शुरू कर दिया है, पर इस प्रक्रिया में उनकी समझ में यह भी आ रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच अनुवाद करना कितना कठिन है। कभी-कभी तो शब्द अनुवाद की जरूरतों का साथ देने से इनकार करने लगते हैं। फोरमों में इस समस्या पर काफी बहस हुई है, और सन् 2003 में पेरिस के सेंट डेनिस में हुए दूसरे यूरोपियन फोरम में खास तौर से इसी विषय पर हुआ एक सेमिनार लोगों को काफी दिलचस्प लगा। इस सेमिनार में उपस्थिति भी बहुत अच्छी थी।

आज स्वयंसेवी अनुवादकों की एक अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन का औपचिरक गठन हो चुका है जिसे बड़े दिलचस्प अंदाज में *बेबिल्स* के नाम से जाना जाता है। इस एसोसिएशन के पास कई देशों में अनुवादकों का नेटवर्क है। उसे डब्ल्यूएसएफ की इंटरनेशनल कौंसिल में अप्रैल, 2004 की बैठक से स्थान भी दिया गया है। वह कौंसिल की बैठक के लिए अनुवाद की सेवाएँ भी देती है।

इसी के समांतर दूसरे सहभागियों ने मँहगी प्रौद्योगिकी के बजाय अनुवाद के वैकल्पिक साधनों की तलाश शुरू कर दी है। सन् 2003 के पोर्टो अलेगरे फोरम और सन् 2004 के मुंबई फोरम ने पोर्टेबिल रेडियो का प्रयोग करके यह समस्या हल करने की कोशिश की थी। ये रेडियो बहुत कम लागत पर खरीदे जा सकते थे। दिलचस्प नाम वाली

एक और एसोसिएशन है। *नोमेड* नामक इस एसोसिएशन ने *बेबिल्स* के साथ मिल कर कुछ नए हल तलाशने की कोशिश की है। कुछ और प्रयोग किए गए हैं, हालाँकि सभी को कामयाबी नहीं मिली है। सन् 2005 के पोर्टो अलेगरे फोरम में इंटरनेट का इस्तेमाल करके यह कोशिश की गई थी कि सारी दुनिया में फोरम के कार्यक्रमों का आँखों देखा हाल पहुँच सके।

संचार के क्षेत्र में हुई इस प्रगति और उस पर अमल में ही फोरम की मीडिया संबंधी समस्याओं का हल निहित है। मीडिया संबंधी समस्याएँ भी बार-बार पैदा होती हैं। मुंबई में *डीआर!* पत्रिका ने एक साक्षात्कार के दौरान मुझसे पूछा : 'ब्राज़ीली मीडिया के प्रमुख हिस्से ने तो मुंबई फोरम को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?' मेरा जवाब था :

> यहाँ कितनी गतिविधियाँ चल रही हैं। मेरे पास यह देखने का समय ही नहीं है कि इंटरनेट पर क्या जारी किया जा रहा है या अखबारों में क्या छप रहा है। मुझे तो एक पत्रकार ने बताया है कि ब्राज़ील के मीडिया के लिए सबसे बड़ी खबर तो बलात्कार की वह अजीब सी वारदात है जो मुंबई के किसी होटल में हुई है। वह पत्रकार भी इस बात से बुरी तरह चौंका हुआ था। ... बहरहाल, हम समझ सकते हैं कि ब्राज़ीलियन अखबारों ने फोरम को क्यों नजरअंदाज किया होगा। दरअसल, डब्ल्यूएसएफ राजनीतिक कार्रवाई के रूढ़ तरीकों से एकदम अलग है और उससे वैसी खबरें नहीं निकलतीं जो समाज पर हावी हितों के अनुकूल हों।

बाद में मैंने अपने इसी कथन में यह भी जोड़ दिया :

> यह बात तब भी हमारे सामने आई थी कि पोर्टो अलेगरे के अखबारों ने फोरम की गतिविधियों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया था। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक स्थानीय टीवी चैनल *टीवी एजुकेटिवा* ने फोरम में चल रही वार्ताओं और सम्मेलनों का सीधा प्रसारण नहीं शुरू कर दिया। दरअसल, फोरम व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक है। व्यवस्था पूरी कोशिश करेगी कि उसकी अहमियत कम करके दिखाए और उसे बदनाम तक करे। फोरम तो नेटवर्क के तर्क पर चलता है और नव-उदारतावाद के लिए यह तर्क हजारों सिर वाले दैत्य सरीखा है। व्यवस्था इसका एक सिर काट सकती है, पर उसकी जगह दूसरा उग आता है।

सन् 2002 में फोरम के बाद जब मैं साओ पाओ लौटा तो पोर्टो अलेगरे के अखबारों के रवैये में आए परिवर्तन ने मेरा ध्यान खींचा। उस समय अखबारों के रवैये के प्रति मेरे मन में काफी क्षोभ था। उसी मानसिकता के तहत मैंने दैनिक *फोलहा जि एस. पाओ* में संभावित प्रकाशन के लिए यह लेख लिखा था :

वर्ल्ड सोशल फोरम के खत्म होने के अगले दिन लौटने के बाद मैंने पोर्टो अलेगरे के अखबार *ज़ेरा होरा* में फोरम के समापन समारोह के बारे में एक लेख पढ़ा। यह एक भावभीना लेख था। इसमें काफी जानकारियाँ थीं, यहाँ तक कि फोरम के प्रति हमदर्दी भी झलक रही थी। यह अखबार फोरम की हमेशा कड़ी आलोचना करता रहा था, लेकिन इस वर्ष उसका रवैया सच्चाई के अधिक नजदीक लग रहा था। चूँकि *टीवी एजुकेटिवा* ने लगातार छ: दिन तक फोरम की गतिविधियों का सीधा प्रसारण किया था, इसलिए इस अखबार के पाठक फोरम के बारे में अधिक जानकारियों से लैस थे। साओ पाओ आने पर जब मैंने *फोलहा* नामक अखबार पर नजर डाली तो सबसे पहले मुझे खूब आलोचना से भरा एक लेख दिखा। समापन समारोह पर छपी सामग्री में एक शीर्षक यह भी था : *सरामागो ने सारा मजा बिगाड़ दिया।* आलोचना करना किसी भी अखबार का हक है, पर मुझे ताज्जुब हुआ कि तथ्यों को इस हद तक भी तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है। और वह भी सरामागो द्वारा विशेष तौर से फोरम के लिए भेजे गए उस संदेश को जिसमें राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों की आलोचना थी। क्या *फोलहा* जैसे अखबार को यह नहीं पता था कि फोरम नागरिक समाज की ताकतों के लिए बनाया गया एक स्पेस है। इसका एक कारण यह भी है कि अब राजनीतिक पार्टियाँ और ट्रेड यूनियनें परिवर्तन की सामाजिक आकांक्षा के 'प्रतिनिधि' नहीं रह गई हैं? या फिर *फोलहा* को यह भी नहीं पता था कि राजनीतिक दलों को फोरम में सीधी शिरकत नहीं करने दी जाती, ताकि वे सत्ता संघर्ष का वह तर्क फोरम में भी न ले आएँ जो उन्हें स्वाभाविक लगता है?

फोलहा ने फोरम पर अपना हमला पहले ही शुरू कर दिया था। मेरा लेख नहीं छपा। मैंने इसमें लिखा था :

> पिछले हफ्ते *फोलहा* ने पूरे पेज का एक लेख इस शीर्षक से छापा : *वर्ल्ड सोशल फोरम की शुरुआत सत्ता संघर्ष से।* इस लेख का एक आधार तो फोरम के एक पुराने आलोचक की उद्घोषणाएँ थीं, और कुछ जानकारियाँ फ्रांस में टेलीफोनिक साक्षात्कार के जरिए जमा की गई थीं। बाद में साक्षात्कार देने वाले ने मुझसे कहा कि उसकी बातों को जिस तरह से पेश किया गया, उस पर उसे ताज्जुब है। *फोलहा* ने सभी बातों को गलत तरीके से लिया और बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर दिया। सवाल यह है कि यह अखबार क्या कहना चाहता है? क्या यह कि फोरम भी वामपंथियों की सभी गतिविधियों की ही तरह एक और खामख्याली है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा? लेकिन, फोरम शुरू होने के दो दिन पहले हुई इंटरनेशनल कौंसिल की बैठक में इन मतभेदों को उठाया तक नहीं गया था। मतभेदों पर चर्चा करने के बजाय इस मीटिंग में तो स्वाभाविक बहस-मुबाहिसे के बाद शांतिपूर्वक एक सहमति बनी जिसके नतीजे के तौर पर फोरम को एक प्रक्रिया के रूप में आगे भी चलाने के लिए नौ दिशा-निर्देश सामने आए। इनमें से एक

फैसला सन् 2004 में भारत में फोरम करने का भी था।[26]

अपने लेख में मैंने आगे लिखा था :

> लेकिन, *फोलहा* द्वारा छापी गई समापन समारोह की खबरों में बार-बार उन्हीं मतभेदों पर जोर दिया गया। उसके पहले पन्ने की सुर्खी दावा कर रही थी : *वर्ल्ड सोशल फोरम बिना किसी सर्वसम्मत समझौते के खत्म*। इसका आधार वह बैनर था जो फोरम खत्म होने के एक दिन पहले हुए मार्च में एक संगठन ने लगाया था। जाहिर है कि इस तरह के बैनर लगाने की आजादी देना फोरम की विशेषता है। इस बैनर पर जो लिखा था, वह मार्च में लगाए गए दूसरे बैनरों के खिलाफ जाता था। अजीब बात यह थी कि इस लेख में जो लिखा था, वह दिए गए शीर्षक के खिलाफ था। लेख का कहना था : 'उनके लक्ष्यों और तौर-तरीकों का औचित्य जो भी हो, लेकिन यह अपने आप में एक जीत ही मानी जाएगी कि वे सब एकजुटता की पैरोकारी करने, सैन्यवाद की भर्त्सना करने और सामाजिक न्याय के हक में सर्वाधिक व्यापक नेटवर्क बनाने के लिए जमा हुए थे।'

हम जानते हैं कि मुख्यधारा का मीडिया कैसे काम करता है। उसके मालिकों और उनके यहाँ काम करने वाले पत्रकारों का रवैया अलग-अलग होता है। इस पुस्तक के पहले अध्याय में मैंने एक घटना का जिक्र किया है (देखें अध्याय 1:2, 'आयोजन कामयाब रहा!'), जब एक पत्रकार ने पहले फोरम के दौरान मुझसे कहा था : 'सुबह अखबारों में जो छपेगा उसके लिए तैयार रहो। सभी अखबार लिखने वाले हैं कि फोरम बुरी तरह नाकाम हो जाएगा, क्योंकि आपने नोम चोम्स्की, नेलसन मंडेला और ऐसे ही जिन लोगों को बुला रखा है, वे तो आए ही नहीं हैं।'

कूरियर डि ला प्लेनेट पत्रिका से बातचीत करते हुए मैंने कहा था :

> ब्राज़ीलियन प्रेस यह मान कर चल रहा था कि पोर्टो अलेगरे का आयोजन भी पुराने किस्म के गैरलचीले वामपंथ जैसा ही कोई कार्यक्रम है। धीरे-धीरे जैसे फोरम की प्रक्रिया आगे बढ़ी, प्रेस ने इसमें शामिल लोगों और उनके प्रोजेक्टों को और जगह देनी शुरू की। वक्त गुजरने के साथ-साथ फोरम के आधारभूत मुद्दों और उनके फलितार्थों के बारे में छपने वाले लेखों की संख्या बढ़ने लगी। हालाँकि, अभी भी उतना नहीं छपता, जितना हम चाहते हैं कि छपे। अभी तक प्रेस फोरम की पहल में निहित नवाचार पर पूरा प्रकाश नहीं डाल पाया है। न ही प्रेस से उन अवसरों की जानकारी मिलती है जो फोरम से निकले हैं। बहरहाल, दूसरे फोरम की तैयारी करते हुए इस बार हम प्रेस की भी मदद लेने जा रहे हैं।

आडिटाल न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए मैंने इसी से संबंधित कुछ पूरक टिप्पणियाँ भी कीं :

> ब्राज़ील में भी सोशल फोरम की तरफ मीडिया के प्रमुख हिस्से में से किसी ने कम और किसी ने ज्यादा ध्यान दिया। दरअसल, यह बात तो उन्हें आसानी से दिख सकती थी कि हम विचारधारात्मक मुख्यधारा के खिलाफ तैर रहे हैं, पर फोरम के कार्यक्रमों को अपने प्रकाशनों में जगह देने के मामले में उनकी दिक्कत यह थी कि वे डब्ल्यूएसएफ का मतलब ठीक से समझने में नाकाम थे। आखिरकार, फोरम एक ऐसा स्पेस था जिसका न कोई नेता था, न ही कोई एक प्रवक्ता था, न ही कोई अंतिम दस्तावेज जारी किया जाना था। यह एक ऐसा स्पेस था जिसका स्वर्णिम नियम था विविधता का आदर करना। लेकिन, साफ दिख रहा है कि अब हमारे कार्यक्रमों की तरफ मीडिया का ध्यान लगातार बढ़ रहा है, और वह हमारे विकल्पों को भी अब ज्यादा समझ भी पा रहा है।[27] हमारे प्रति बेहतर रुझान रखने वाले मीडिया से लोगों तक फोरम का संदेश पहुँचाने में सुविधा होगी। मीडिया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फोरम का निमंत्रण पहुँचा सकता है कि वे आएँ और राजनीतिक कार्रवाई के नए अनुभव से दो-चार हों। लेकिन, इस जरूरत के बावजूद हम आगे बढ़ने के लिए मीडिया पर निर्भर नहीं हैं। पूर्वग्रहों से पार पाने के लिए और यह साबित करने के लिए कि हम प्रतिरोध कर रहे हैं और विकल्पों की तलाश में लगे हुए हैं, हमें हर स्तर पर ज्यादा से ज्यादा फोरम आयोजित करने होंगे। हमारे द्वारा वांछित दुनिया की रचना करने में लगी ताकतों के बीच नेटवर्क आधारित अंत:संबद्धता और समन्वय का सिलसिला जारी रखना होगा। इसी से यह तय होगा कि हम इस काम को कितना आवश्यक और कितना महत्त्वपूर्ण समझते हैं। ऐसा हर मीडिया जो पूँजी से आजाद होना चाहेगा, आखिर में हमारी कतारों में शामिल हो ही जाएगा।

मुझे पक्का यकीन है कि दुनिया भर में चल रहे नव-उदारतावाद विरोधी संघर्ष के दौरान मीडिया और संचार से संबंधित समस्याएँ जल्दी ही हल कर ली जाएँगी। *नोमेड* एसोसिएशन ने कई तरह का प्रौद्योगिकीय नवाचार करने में कामयाबी हासिल की है। ब्राज़ीलियन आयोजन समिति का कम्युनिकेशन वर्किंग ग्रुप तरह-तरह के नए प्रयोगों के जरिए वैकल्पिक मीडिया (अखबार, टीवी और रेडियो) के क्षेत्र में पहलकदमियाँ कर रहा है। इस वर्किंग ग्रुप के साथ फोरम का समर्थन करने वाले पत्रकारों के नेटवर्क जुड़े हुए हैं।

9. काम करने के नए-नए तरीकों की ओर

अगर हम समझते हैं कि फोरम की लोकप्रियता का कारण उसके आयोजन के नए ढंग में भी निहित है, और अगर हम समझते हैं कि फोरम के सहभागियों के बीच संबंधों के नए नियमों का भी फोरम की लोकप्रियता में हाथ है, तो हमें अपनी इस मौलिकता के प्रति सचेत रहना होगा। वरना होगा यह कि सारी दुनिया में नव-उदारतावादी प्रभुत्व के खिलाफ ली जा

रही पहलकदमियों के बीच फोरम की पहलकदमी भी खो जाएगी और उसकी नवीन संभावनाओं से कोई फायदा नहीं हो पाएगा।

इस सरोकार के तहत अक्टूबर, 2002 में तीसरे वर्ल्ड सोशल फोरम की तैयारी करते समय मुझ समेत फ्रांस और ब्राज़ील के कुछ सहभागियों के समूह ने एक प्रक्रिया शुरू करने की पहल की ताकि फोरम के बारे में ही कुछ चिंतन किया जा सके। इन सभी लोगों का ख्याल था कि हम जिस तरह से काम करना चाहते हैं, उसे अंजाम देने के लिए जरूरी है कि फोरम के आयोजक निजी तौर पर अपने भीतर एक के बाद एक कई तरह के परिवर्तन करें। यह एहसास दरअसल उन कठिनाइयों की देन था जिनका आयोजन कमेटी और इंटरनेशनल कौंसिल को सामना करना पड़ा था। इन कठिनाइयों के पीछे पुरानी दुनिया के उसी छिपे हुए ऑक्टोपस की सूड़ें होती हैं, जिसकी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं।

यह चिंतन प्रक्रिया प्रोत्साहित करने के लिए इन लोगों ने इंटरनेट पर एक चर्चा शुरू की जिसका सारगर्भित शीर्षक था 'डब्ल्यूएसएफ इटसेल्फ'। इस विषय में दिलचस्पी रखने वाला हर व्यक्ति इस चर्चा में अपने विचार व्यक्त कर सकता था, विश्लेषण का आदान-प्रदान कर सकता था। समान सरोकार वाले विभिन्न देशों से आए फोरम के कई सहभागियों और इंटरनेशनल कौंसिल के सदस्यों को इस चर्चा में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया गया।

इस पेशकश ने काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया, पर जो बहस हुई वह नाकाफी थी। बहरहाल, कुल मिला कर प्रयास उपयोगी रहा। इससे पता चला कि कितने लोग एक ही तरीके से सोच रहे हैं।

सन् 2003 के पोर्टो अलेगरे फोरम और सन् 2004 के मुंबई फोरम में इसी पहलकदमी के आधार पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पोर्टो अलेगरे में फ्रांसीसी संगठन *इंटरएक्शन* ने वर्कशॉप किया जिसकी विषयवस्तु थी : 'आपसी होड़ और सत्ता के लिए जद्दोजहद से कैसे बचा जाए : डब्ल्यूएसएफ की चुनौती'। मुंबई में इस मुद्दे पर श्रोताओं की बड़ी संख्या ध्यान में रख कर एक गोलमेज की गई। इसका विषय था : 'डब्ल्यूएसएफ का भविष्य'।[28]

पोर्टो अलेगरे में हुए वर्कशॉप की आयोजन पद्धति खास तौर से दिलचस्प थी। पिछले फोरमों के सभी सहभागियों के बीच *इंटरएक्शन* ने एक नोट वितरित किया जिसमें लिखा था :

> सन् 2003 पोर्टो अलेगरे वर्ल्ड सोशल फोरम के वर्कशॉप में 'आपसी होड़ और सत्ता के लिए जद्दोजहद से कैसे बचा जाए : डब्ल्यूएसएफ की चुनौती' जैसे विषय

पर मिल-जुल कर विचार करने के लिए हम कुछ प्रश्न प्रस्तावित कर रहे हैं ताकि इसमें रुचि रखने वालों को बहस आदि की सुविधा हो सके :

1. 'दूसरी दुनिया भी मुमकिन है' के आंदोलन से जुड़ी ताकतें अपनी बहुलता को ही अपनी शक्ति बना कर अविश्वास व फूट की समस्याओं से कैसे बच सकती हैं? युद्ध के वास्तविक अंदेशे देखते हुए यह सवाल और भी अहम हो जाता है कि नागरिक समाज की शक्तियों में शांति प्रक्रिया को जन्म देने की क्षमता कितनी है?

2. निजी और सामूहिक तौर पर हम 'प्रभुत्व के लिए सत्ता' के तर्क से 'सेवा के लिए सत्ता' के तर्क की तरफ कैसे जा सकते हैं?

3. अगर डब्ल्यूएसएफ-प्रक्रिया और उसे रचने वाले विभिन्न संगठनों पर भी पोर्टो अलेगरे में प्रस्तावित व्यापक प्रकृति के विचार लागू किए जाएँ, तो क्या वे इन संदर्भों में इतने प्रभावकारी नहीं साबित होंगे?

4. चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स में व्यक्त बहुलवाद, विविधता और लोकतंत्र के विचार डब्ल्यूएसएफ-प्रक्रिया के अलावा हमारे अपने निजी जीवन में कैसे लागू किए जा सकते हैं?

5. आपसी होड़ और सत्ता के लिए जद्दोजहद से पैदा होने वाली मुश्किलें स्पष्ट करने वाले अनुभव कौन-कौन से हैं? इसी बात को उलट कर भी कहा जा सकता है कि कौन सा अनुभव सहयोग के तर्क के कारण ज्यादा लाभकारी साबित हुआ है?

6. इन मुश्किलों से पार पाने के लिए कौन-कौन से विचार और संस्तुतियाँ प्रस्तावित की जा सकती हैं।

डब्ल्यूएसएफ-प्रक्रिया बेहतर बनाने के मकसद से इन प्रस्तावों को और विकसित करने हेतु इस वर्कशॉप के तकरीबन पचास सहभागियों ने पालो ऑल्टो, कैलिफोर्निया के एक अध्यापक पॉल वाट्ज्लाविक द्वारा प्रस्तावित प्रतिलोम पद्धित का इस्तेमाल किया। पॉल ने 'हाउ टु फेल मोस्ट सक्सेसफुली' जैसे सारगर्भित शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है।[29]

वर्कशॉप ने अपनी शुरुआत इस प्रकार से की :

> पूँजीवाद, साम्राज्यवाद, जी-7, बड़े-बड़े मीडिया समूह और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने बेतहाशा साधनों के बावजूद नाकाम हो चुके हैं। वे दुनिया के पैमाने पर नागरिक समाज का उभार नहीं रोक सके, और न ही पोर्टो अलेगरे में डब्ल्यूएसएफ द्वारा रचे गए स्पेस

में होने वाले सालाना जलसों की कामयाबी रोक सके हैं।

चूँकि महाद्वीपीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर होने वाले अन्य फोरम अपने ही कारणों से नाकाम हो जाते हैं, इसलिए भविष्य की दुनिया बनाने में नाकामी के लिए हमें अपने प्रयासों पर भरोसा करना होगा। जाहिर है कि हम क्यों न बहुलवाद, सृजनात्मकता, राजनीतिक पार्टियों से स्वायत्तता, पारदर्शिता और सहअस्तित्व की भावना के आधार पर आयोजित किए जाने वाले लोकतांत्रिक फोरम को सफल बनाने में जुट जाएँ। हालाँकि, यह काम थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि पहले तीन वर्ल्ड सोशल फोरमों की उपलब्धियाँ काफी संचित हो गई हैं। लेकिन, अगर हम नियोजित रूप से इनका बेजा इस्तेमाल करना जारी रखें तो सारी उम्मीदें झुठलाते हुए भविष्य में फोरम की प्रक्रिया नाकाम करने में कामयाब हो सकते हैं।

इस प्रतिलोम वक्तव्य के बाद वर्कशॉप में शामिल लोगों ने एक मसविदा लिखा कि वर्ल्ड सोशल फोरम की बरबादी के बेहतर से बेहतर प्रयास कैसे किए जा सकते हैं।

यह मसविदा लिखे जाने के बाद उन लोगों को लगा कि अगर इसे जारी किया गया तो लोग इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। गलतफहमियाँ फैल सकती हैं और वही खामियाँ फिर पैदा हो सकती हैं जिनका विश्लेषण करना इस प्रयास का मकसद है। खास तौर से बहुलवाद की आधारभूत भावना के तहत 'असहमतियाँ बनाने के प्रयास' का मतलब इस संबंध में 'गलत नीयत मान लेने' निकाला जा सकता है।

बहरहाल, पॉल वाट्ज्लाविक की प्रतिलोम पद्धति के साथ कुछ देर खेलने के बाद वर्कशॉप में एक ऐसा दस्तावेज लिखना तय किया गया जिसमें वर्कशॉप के सरोकार स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए हों और अपील की गई हो कि फोरम के मौजूदा और आने वाले सहभागी निम्न मुद्दों पर विचार करें :

1. सैकड़ों वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित करने के जरिए विभिन्न विषयों पर लोगों की अलग-अलग राय अपनी समस्त विविधता और सृजनात्मकता के साथ निकल कर आ सकती है। सभी तरह की ताकतों की शिरकत वाले सेमिनारों, संगोष्ठियों, गोलमेज चर्चाओं और प्लेनरी सत्रों का आयोजन करते समय हमारा आधार विचारों, संघर्षों, प्रस्तावों और अनुभवों की यही सृजनात्मक विविधता होनी चाहिए। इसी तरीके से हम विचारों के बिखराव और बहिर्वेशन के अंदेशों से बच सकते हैं। इसमें एक उलट प्रक्रिया चलने का खतरा जरूर है। हो सकता है कि विभिन्न संगठन कमोबेश प्रच्छन्न रूप से फोरम के मुख्य सम्मेलनों का स्पेस हड़पने की कोशिशें करें और इस चक्कर में वर्कशॉप और सेमिनारों का महत्त्व कम हो जाए।

2. कोई अंतिम उद्घोषणा पास न करना फोरम के खुलेपन, बहुलवाद और

विविधता की गारंटी है। यह नियम लगातार ऐसी उद्घोषणाओं द्वारा तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है जो 'सामाजिक आंदोलनों' द्वारा कथित रूप से जारी की जाती हैं और जिनकी हैसियत संदिग्ध होती है। हमें अपने-आप से पूछना चाहिए कि ऐसी उद्घोषणाएँ करने और स्व-घोषित नेताओं वाले ये आंदोलन वास्तव में किस हद तक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का दावा कर सकते हैं। लेकिन, इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि एक ऐसा स्वयंभू नेतृत्व उभर आया है जिसने फोरम को आगे बढ़ाने में तो मदद की है, पर उसमें फोरम की बुनियादी शर्त यानी विविधता के प्रति कोई आदर-भाव नहीं है। भले ही हम शब्दों में न कहते हों या हो सकता है कि हमें इसका एहसास तक न हो, पर सवाल यह है कि क्या हम हरावल दस्तों के आधार पर आगे बढ़ने के पुराने तर्क में फँसने जा रहे हैं, बावजूद इसके कि काम करने के इस तरीके की ऐतिहासिक नाकामी हमारी आँखों के सामने है?

3. चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स राजनीतिक दलों को फोरम के आयोजन में हिस्सेदारी की इजाजत नहीं देता, ताकि उसे सत्ता के खेल के लिए इस्तेमाल किए जाने से बचाया जा सके। इस बुनियादी नियम का भी ज्यादा से ज्यादा उल्लंघन किया जा रहा है। वर्ल्ड सोशल फोरम और महाद्वीपीय फोरमों की कामयाबी बुरी तरह गड़बड़ा जाएगी, अगर घुसपैठ और इस्तेमाल करने की पुरानी प्रवृत्तियाँ फिर से उभर आएँगी।

4. वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रक्रिया अपने बुनियादी रूप में लोकतांत्रिक है। इसका डिजाइन इस तर्ज पर बनाया गया है कि नागरिकों की बेहतर सहभागिता से लोकतंत्र के पारंपरिक रूप उन्नत हों, और वैश्विक लोकतंत्र व वैश्विक नागरिकता का उदय हो सके। सक्रिय नागरिकता की जरूरत पर जोर देने वाला सिविक फोरमों का तर्क सारी दुनिया में सही साबित हो चुका है, चाहे वह कम्युनिस्ट तानाशाहियों और साम्राज्य के खिलाफ चीन और पूर्वी यूरोप में किया गया लोकतंत्र-समर्थक संघर्ष हो या फिर सारी दुनिया को एक जिंस में बदल देने वाले अमेरिकी नेतृत्व वाले नव-उदारतावाद के खिलाफ लड़ाई हो। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रक्रिया के लिए किसी भी किस्म की अधिनायकवादी संस्कृति के फेर में फँसना घातक साबित होगा। ये प्रवृत्तियाँ आज भी बहुत से राष्ट्रवादों, बहुलतावादों और एकजुटताओं में प्रच्छन्न रूप से पाई जाती हैं।

5. अपनी शुरुआत से ही फोरम की सफलता के स्रोत बेहतरीन किस्म के संबंधों, हेल-मेल के रवैये और उनके उत्सवधर्मी आयामों में निहित रहे हैं। अगर साठ के दशक में प्रचलित घोर जुझारूपन की वापसी हो गई तो सफलता के इन स्रोतों को गंभीर नुकसान पहुँचेगा।

इन सभी पहलुओं पर चर्चा के साथ-साथ वर्कशॉप ने अन्य बहुत से पहलुओं की तरफ इंगित भी किया था। कहना न होगा कि फोरम-प्रक्रिया को नुकसान पहुँचा सकने वाले हानिकारक पहलू दुरुस्त करने वाले उपायों की कमी नहीं है। कई मामलों में तो चार्टर का

अक्षरश: पालन किए बिना और उसकी अंतरनिहित समझ पर कायम रहने से ही हानि के अंदेशे टाले जा सकते हैं और बेहतर लोकतंत्र और रिश्तों का वह सिलसिला कायम रखा जा सकता है जिसकी वजह से आज तक फोरम कामयाब होता रहा है। ऐसे हालात में इन समस्याओं पर खुली बहस जरूरी समझी जा सकती है।

इस मसविदे का उपसंहार इस तरह किया गया था : 'इस विषय में रुचि रखने वाले सभी लोगों को हम इस बहस में भाग लेने का निमंत्रण देते हैं। वे >डब्ल्यूएसएफइटसेल्फ@नो-लोग.ओआरजी< पर चर्चा करने वालों की सूची में शामिल हो सकते हैं।'

सन् 2003 में आयोजित फोरम के इस तजरुबे पर यह चर्चा मैं *डीआर!* पत्रिका को दिए गए एक उत्तर से करना चाहूँगा :

> मैं इस बात को लेकर खासा चिंतित हूँ कि फोरम की 'पद्धति' कैसे कायम रखी जाए। इसलिए यह देख कर मुझे खुशी होती है कि पहले से कहीं ज्यादा लोग इसी समस्या पर दिमाग खपा रहे हैं। वे भी इस सिलसिले को बिना भंग किए सुधारना चाहते हैं। मुंबई, 2004 में 300 से 400 लोगों की शिरकत वाला एक बड़ा प्लेनरी सत्र हुआ था। करीब सौ लोगों की शिरकत वाला एक सेमिनार भी हुआ था। इन दोनों कार्यक्रमों में चर्चा की गई थी कि एक खुले स्पेस के रूप में राजनीतिक कार्रवाई के दायरे में फोरम का नया योगदान क्या है। जबकि, सन् 2003 में हुए पोर्टो अलेगरे फोरम में इस विषय पर केवल एक वर्कशॉप हुआ था।

जो भी हो, उस छोटे से वर्कशॉप के नतीजे बहुत जोरदार निकले। हालाँकि इस वर्कशॉप में पचास से थोड़े ज्यादा लोगों ने ही भाग लिया होगा, और बहुत कम सहभागियों को इसकी जानकारी हो पाई होगी, पर इसकी चर्चा ने बहुत से सुराग छोड़ दिए थे। फोरम के आयोजनों द्वारा प्रवर्तित नए राजनीतिक तौर-तरीकों पर गहरी चर्चा करने के इच्छुक लोगों के लिए ये सुराग काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं।

10. जरूरत तो भीतर से बदलने की है!

सन् 2002 के पोर्ट अलेगरे फोरम की एक खास बात यह भी थी कि उसमें कई देशों से आए सहभागियों ने कई अलग-अलग मौकों पर साफ तौर से 'आंतरिक परिवर्तन' की जरूरत एक शर्त के तौर पर सामने रखी थी ताकि 'दूसरी दुनिया' बनाना मुमकिन हो सके।

इस प्रश्न पर कई नजरियों से गौर किया गया। 'रहस्य और क्रांति' जैसे विषय पर हुए वर्कशॉप में भी इस पर विचार हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इसी तरह

'सिद्धांत और मूल्य' नामक विषयवस्तु पर आयोजकों द्वारा किए गए सम्मेलन का हॉल तो दो हजार से भी ज्यादा लोगों द्वारा ठसाठस भर गया था। इसमें भी इस प्रश्न पर चर्चा की गई। साथ ही यह मुद्दा कुछ अन्य कार्यक्रमों के केंद्र में भी रहा जिनमें अच्छी खासी शिरकत हुई। परिवर्तन में धर्म की भूमिका जैसे विषय पर हुआ वर्कशॉप, निजी और सामूहिक परिवर्तनों के बीच हुए संबंधों पर हुआ सेमिनार, पोर्टो अलेगरे के समुद्र तट पर सनसेट स्क्वायर में सुबह होने वाली इक्यूमेनिकल सर्विस भी ऐसे कार्यक्रमों में शामिल थी। फोरम के समापन समारोह में कोलंबिया की देशज मूल की एक स्त्री ने 'आंतरिक परिवर्तन' अभिव्यक्ति का प्रत्यक्ष इस्तेमाल करते हुए इन दो शब्दों का उच्चारण एक इंडियन कर्मकांड की तरह धीमी गति से किया जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। कुल मिला कर समझने की बात यह है कि वर्ल्ड सोशल फोरम ने राजनीतिक कार्रवाई के नए प्रतिमानों की पेशकश इस तरह से की है कि उसका असर फोरम का आयोजन करने वालों और उसमें शिरकत करने वालों के 'आंतरिक परिवर्तन' की प्रक्रिया पर पड़े। इस पुस्तक में भी मैंने यही दिखाने का यत्न किया है।

दरअसल, विचार-विमर्श के इन सभी मौकों पर तरह-तरह से जिन बातों की अहमियत की तरफ इशारा किया गया, उनका ताल्लुक उन लोगों के निजी और आत्मगत रवैयों से है जो दूसरी दुनिया बनाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर वह दूसरी दुनिया कभी बनी तो यही लोग उसके नागरिक बनेंगे।

कहना न होगा कि आज टकराव की संस्कृति का बोलबाला है। इस संस्कृति के तहत लोग पराजित या विजयी होने के लिए अभिशप्त हैं। ऐसे हालात में फोरम उन लोगों के लिए एक ताजा हवा के झोंके की तरह आया है जो पिछले पचास साल से अपनी धार्मिक आस्थाओं के तहत ब्राज़ील में परिवर्तन की जरूरत ध्यान में रख कर राजनीति में शिरकत कर रहे हैं।[31] ऐसे लोगों के सामने एक दुविधा रही है : उन्हें समाज में संरचनागत तब्दीलियों के लिए काम करना चाहिए (क्योंकि संरचनाएँ ही जीवन-दशाएँ तय करती हैं और निजी रवैये बनाती हैं), या फिर उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतर आचरण करने के लिए तैयार करना चाहिए ताकि एकजुटता की व्यापकता के तहत समाज लाजमी तौर से परिवर्तन की तरफ जा सके?

सन् 2002 के सोशल फोरम से साफ हो गया कि उनका रास्ता क्या हो सकता है : हमारा संघर्ष इन दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ कर ही आगे बढ़ सकता है। हमें संरचनाएँ भी बदलनी होंगी, और हमें 'आंतरिक परिवर्तन' के लिए भी काम करना होगा।

ऐतिहासिक अनुभव बताता है कि एक-दूसरे से अलग हो कर राजनीतिक कार्रवाई

और निजी हैसियत से की जाने वाली अन्योन्यक्रिया अपर्याप्त साबित होती है। फोरम के जरिए हमें यह एहसास होना शुरू हुआ है कि नई संरचनाओं के लिए किये जाने वाले राजनीतिक संघर्ष और नई व्यवहार-शैलियों के लिए निजी स्तर पर किया जाने वाले प्रयास के संयोग का महत्त्व कितना है। सन् 2002 के फोरम में एक सेमिनार के आयोजकों ने निजी और सामूहिक परिवर्तन के बारे में एक मसविदा तैयार किया जिसमें इस संयोग के आधारभूत तर्क की व्याख्या की गई थी। यह मसविदा फोरम के पहले ही प्रकाशित किया गया था :

> हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूरे इतिहास में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए किए गए अधिकतर बड़े प्रयास राक्षसी किस्म के भटकावों, जिनमें अक्सर अधिनायकवादी रुझान शामिल होते हैं, के शिकार हो कर नाकाम हो गए या इधर-उधर भटक गए। क्या इसका कारण यह नहीं था कि उन प्रयासों में इनसानियत को उसकी उचित जगह नहीं दी गई थी, और निजी परिवर्तन का मुद्दा जरूरी गंभीरता ने नहीं लिया गया था?

बहरहाल, यह बात कहने में कितनी भी आसान लगे, पर उसे धरती पर उतारना बहुत कठिन है।

'आंतरिक परिवर्तन' के तीन आयाम हैं, और उन तीनों को कार्यान्वित करना बहुत कठिन है। पहला आयाम दूसरों से हमारे संबंधों का है। यह परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक यह हमारे भीतर न घटित हो, हमारी अपनी आत्मपरकता के आधार पर निर्मित न हो, हमारे भीतर से निकल कर बाहर न आए, हमारे हृदय और मन से न उद्‌भूत हो। केवल तभी रिश्तों की नई प्रवृत्तियों और तौर-तरीकों की रचना हो सकती है। दूसरा आयाम हमारी व्यावहारिक राजनीति करने के तरीकों का है। बिना इन तरीकों को बदले वास्तविक रूपांतरण नहीं हो सकता।[33] ये दोनों परिवर्तन उन लोगों के लिए खास तौर से मुश्किल हैं जो व्यावहारिक राजनीति में लगे हुए हैं, कारण यह कि राजनीति में आम तौर पर निजी महत्त्वाकांक्षाओं, अहंमन्यता और सत्ताकांक्षा का हमारे निर्णयों पर बहुत असर पड़ता है। तीसरा आयाम उन आदतों में परिवर्तन का है जिनके आधार पर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं, मसलन हमारा उपभोक्तावाद, और पर्यावरण से हमारा संबंध।

ये तीनों भीतरी किस्म के परिवर्तन हैं, और केवल तभी हो सकते हैं जब हम अपने 'पड़ोसियों' और अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ जुड़ कर रहना सीख जाएँ।[34] ऐसा करने के लिए जरूरी होगा व्यक्तिवाद, प्रतियोगिता और धन संचय की उस मुख्य धारा के

खिलाफ तैरना जिसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। जब से दुनिया में पूँजीवाद के सामने कोई चुनौती नहीं रह गई है, तब से इस धारा का रूप काफी प्रचंड हो गया है। अगर इन आत्मपरक परिवर्तनों को अंजाम देना है तो इनके लिए बड़े साहस की जरूरत होगी।

राजनीतिक तौर-तरीकों में अगर परिवर्तन करना है तो उन कथित 'सत्यों' का मुकाबला करना होगा जो कई दशकों से वामपंथी चिंतन पर अपनी चौधराहट जमाए हुए हैं और जिनकी वेदी पर न जाने कितनी जानें बलिदान हो चुकी हैं।

हमें केवल इस बात से संतुष्ट हो कर नहीं रह जाना चाहिए कि आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता हमने महसूस कर ली है, और अब दूसरी दुनिया बनाने के लिए जनता द्वारा सत्ता हस्तगत कर लेना और समाज के संचालन में संरचनागत परिवर्तन कर देने से काम चल जाएगा। इन परिवर्तनों को बड़ी गहराई में जाना होगा, उन्हें वास्तव में सुसंगत बनाना होगा, और अगर हम समझते हैं कि प्रभावी परिवर्तन के लिए इनका होना एक जरूरी शर्त है तो हमें उन्हें अपने जीवन में मूर्त रूप देना ही होगा।

आइए, चुनौती हमारे सामने है। नई राजनीतिक संस्कृति की रचना इसी बात पर निर्भर है कि हम इस चुनौती का सामना किस प्रकार करते हैं।

संदर्भ और टिप्पणियाँ

1. जहाँ तक इस प्रश्न की अहमियत समझने का सवाल है, मुझसे कई लोग सहमत हैं। मसलन, फिनिश नेटवर्क इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल डेमोक्रेटाइजेशन (एनआईजीडी) ने मुंबई फोरम में खास तौर से एक सेमिनार किया जिसका विषय था 'फोरम : एक खुला स्पेस'। मैंने इसमें वक्ता के तौर पर शिरकत की, और वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रक्रिया में दिमाग खपाने वाले की अन्य बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। इनमें एनिबाल क्विजानो, बोआवेंचुरा डि सोउसा सांतोस, इमानुएल वालर्स्टीन, जय सेन, मीना मेनन और वर्जीनिया वरगास भी शामिल थे।
2. दूसरे परिशिष्ट में उन किताबों और पत्रिकाओं की सूची दी गई है जिनमें इस लेख का प्रकाशन हुआ है।
3. वर्ल्ड सोशल फोरम के ब्राज़ीलियन आयोजकों ने इस नियम का और भी कड़ाई से पालन किया कि सरकार चलाने का काम करने वालों को तो फोरम के आयोजन में हिस्सा लेने योग्य एकदम नहीं मानना चाहिए। इसी के परिणामस्वरूप आयोजन समिति के दो सदस्यों ओडिड ग्रेज्यू (ब्राज़ीलियन बिजनेस एसोसिएशन फॉर सिटीजनशिप के प्रतिनिधि) और कजेल्ड जेकबसन (सेंट्रल वर्कर्स कांफेडरेशन के प्रतिनिधि) ने सदस्यता त्याग दी, क्योंकि वे दोनों, ग्रेज्यू ब्राज़ील

की संघीय सरकार में और जेकबसन ने साओ पाओ म्युनिसिपल गवर्नमेंट में, सरकारी पद लेने के लिए राजी हो गए थे। दोनों ने फोरम की इंटरनेशनल कौंसिल को औपचारिक सूचना दी और उसके कारणों के बारे में बताया। ग्रेज्यू बाद में फिर वर्ल्ड सोशल फोरम की आयोजन समिति में शामिल हो गए, क्योंकि उन्होंने सरकारी पद छोड़ दिया था।

4. अखबारों और टिप्पणीकारों ने लिखा था कि लंदन के मौजूदा मेयर ने अक्टूबर, 2004 में लंदन में ही हुए यूरोपियन सोशल फोरम को एक ऐसे मौके की तरह देखा जिसके जरिए इंग्लेंड की राजनीति में उनकी हैसियत सुधर सकती थी। इसीलिए, उन्होंने फोरम के आयोजन में हस्तक्षेप भी किया।
5. फोरम के पहले आयोजन के दौरान ऐसे कई पत्रकारों ने मेरा साक्षात्कार लिया जिन्होंने *दावोस न्यूजलेटर* प्रकाशित करने में हाथ बँटाया था।
6. विभिन्न समस्याओं के प्रति नजरियों के बीच संवाद कायम करने के लिए सारी दुनिया में कई तरह के फोरम आयोजित किये जाते रहते हैं। सन् 2000 में वाक्लाव हावेल ने, जिनका मैंने इस किताब में जिक्र भी किया है, प्राग में एक फोरम का आह्वान किया था। हावेल चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस फोरम का विषय था : *ब्रिजिंग ग्लोबल गैप्स*। इसमें एक-दूसरे से एकदम उलट विचार रखने वाले भी बुलाए गए थे।
7. सन् 2002 के फोरम-आयोजकों को इस सिलसिले में कुछ दिलचस्प अनुभव हुए : ब्राज़ील में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने अपने पंजीकरण के लिए आवेदन किया और इसके लिए संबंधित लोगों से बातचीत भी की। आयोजकों ने उन्हें बताया कि वे प्रेक्षक के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं, पर साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी कि फोरम के अधिकतर सहभागी आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ और विश्व बैंक को पूँजीवादी बोलबाले का मुख्य खलनायक मानने वाले होंगे। इसलिए, हो सकता है कि फोरम में शिरकत उनके लिए दिक्कततलब साबित हो। इस चेतावनी के बाद इन लोगों ने पंजीकरण नहीं कराया। लेकिन, जैसे ही मीडिया को यह बात पता चली, उसने छापा कि आयोजकों ने बैंक के अध्यक्ष को ही शिरकत से रोक दिया है। इसी फोरम में बेल्जियम के राष्ट्रपति भी अपने लिए स्पेस चाहते थे जहाँ से वे राज्याध्यक्ष के रूप में सारे प्रतिनिधियों को संबोधित कर सकें। आयोजक उन्हें यह समझाने में कामयाब रहे कि फोरम की प्रकृति ही ऐसी है जिसमें ऐसे किसी कार्यक्रम की गुंजाइश नहीं हो सकती। उन्हें प्रेक्षक के रूप में शामिल होने की राय देने का तो सवाल ही नहीं था। एक बार ऐसा भी हुआ कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति शावेज ने एलान किया कि वे फोरम में पहुँचने वाले हैं। उनसे भी कहा गया कि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उन्हें किसी विशेष रियायत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और, अगर वे आना ही चाहते हैं तो उनकी अगवानी स्थानीय अधिकारियों द्वारा ही की जाएगी। इसके बात शावेज ने अपना पोर्टो अलेगरे दौरा केवल एक दिन का ही कर दिया। इस दिन उन्होंने साक्षात्कार दिए और उन लोगों की मीटिंगों में शिरकत की जिन्होंने उनके प्रयासों में उनका

साथ दिया था। हाँ, यह जरूर है कि सन् 2003 के फोरम में राष्ट्रपति लुला का अपवादस्वरूप एक विशेष समारोह में स्वागत किया गया ताकि वे सहभागियों को संबोधित कर सकें। इसके पीछे तर्क यह था कि वे मेजबान देश के राष्ट्रपति हैं, और राज्य के गवर्नर और शहर के मेयर की तरह उन्हें भी सहभागियों को संबोधित करने का हक है। यह लचीलापन अख्त्यिार करना इसलिए भी जरूरी हो गया था कि पिछले फोरमों में लुला ने उस संस्था के सदस्य के तौर पर शिरकत की थी जिसके वे अध्यक्ष रह चुके हैं। फोरम की वजह से ही वह सामाजिक गोलबंदी हुई थी जिसका नतीजा उनकी चुनावी जीत में निकला था। अभी यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि फोरम को इस लचीलेपन की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। लुला को इस बात का एहसास था कि उन्हें अपवादस्वरूप ही बोलने का मौका दिया गया है, इसलिए इंटरनेशनल कौंसिल के सदस्यों ने जब उनसे पूछा कि क्या सन् 2004 के फोरम के लिए निमंत्रण मिला तो वे मुंबई जाएँगे, तो उनका जवाब था कि अगर संभव हुआ तो वे वहाँ ट्रेड यूनियन नेता की हैसियत से जाना पसंद करेंगे, न कि एक देश के राष्ट्रपति की भाँति। उन्होंने कौंसिल के सदस्यों को चेताया कि फोरम को राष्ट्राध्यक्षों की परेड में बदलने से परहेज की जानी चाहिए। पोर्टो अलेगरे से लुला दावोस के फोरम के लिए रवाना हो गए, जिसके कारण आयोजकों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी (देखें अध्याय 4:6, 'दावोस : पोर्टो अलेगरे)।

8. यहाँ मैं कुछ प्रश्न जस के तस उधृत कर रहा हूँ ताकि उन बातों का अंदाजा लगाया जा सके जो इस संबंध में अक्सर पूछे जाते हैं : *मेसेजिस* पत्रिका, फ्रांस : 'बहुत से लोग अभी तक वर्ल्ड सोशल फोरम और यूरोपीय सोशल फोरम के बारे में साफ नहीं हैं। वे चाहेंगे कि इन फोरमों से कुछ ठोस निकले, जैसे कि कोई कार्रवाई-योजना।'; *क्रोइर अजोर्ड'हुई* पत्रिका, फ्रांस : 'इस प्रयास के मुख्य फलितार्थ क्या हैं? क्या यह सीमित नहीं है?'; *लेबर फाइल*, भारत : 'आपके विचार में पोर्टो अलेगरे के आयोजन के मुख्य परिणाम क्या हैं?' ; *आडिटाल न्यूज एजेंसी*, ब्राज़ील : 'वर्ल्ड सोशल फोरम का पाचवाँ आयोजन होने जा रहा है। इन चार सालों में हुई ठोस उपलब्धि क्या है जो उन जरूरतों की पूर्ति करती हो जिनके कारण इस सामाजिक पैमाने का आयोजन करना पड़ा?'; *कैम्पेन सोलिडायर्स* पत्रिका, फ्रांस : 'क्या आप इससे परेशान नहीं हैं कि आपका प्रयास जो पहले केवल 'पहलकदमियों' के एक चक्र की तरह था, अंतत: चर्चा की एक ऐसी जगह बन कर रह जाएगी जिसका सामाजिक आंदोलनों से कोई वास्ता नहीं होगा?'; *बेलेसियोओ वेबसाइट*, इटली : 'इस प्रकार का फोरम समाज के ऐसे हिस्सों की कैसे मदद कर सकता है जो पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याओं से जूझ रही हैं?'; *क्लार्क* पत्रिका, फ्रांस : 'आखिर क्या ठोस परिवर्तन हुआ?'; *कैरोस अमिगोस* पत्रिका, ब्राज़ील : 'क्या इसमें एक राजनीतिक परियोजना का अभाव नहीं है?'
9. यहाँ मैंने अपने कुछ जवाब उद्धृत किए हैं जिनके जरिए मैंने फोरम की प्रभावकारिता पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है : 'दरअसल, हमेशा यह सवाल पूछा जाता है कि राजनीतिक

नतीजे क्या निकले। मेरा कहना है कि वर्ल्ड सोशल फोरम खुद में एक राजनीतिक नतीजा है।' *(नौविया रिगाड्र्स)*; 'फोरम में बहुत से लोगों का सोच है कि प्रभावकारी बनाने के लिए हमें कुछ विषयवस्तुएँ परिभाषित करनी होंगी, ठीक-ठीक तय करना होगा कि हमें क्या कार्रवाई करनी है और हमें खुद को कुछ बेहतर संगठित भी करना होगा। मेरा ख्याल है कि अगर हम यह सब करने के फेर में पड़े तो फोरम को बरबादी के रास्ते पर धकेल देंगे। इसे तो एक स्पेस ही बना रहना चाहिए, एक ऐसा स्पेस जहाँ प्रत्येक की प्रगति, उसकी रफ्तार और विचारों का सम्मान हो ... फोरम का एक बुनियादी लाभ उसकी पद्धति ही है। हमें लगता है कि हम राजनीति करने का एक नया तरीका सामने ला रहे हैं। राजनीति करने का मतलब अब नारे लगाना और किसी एक प्राधिकार के तहत सभी का एकजुट होना नहीं रह गया है। अब तो क्षैतिज, नेटवर्क आधारित राजनीतिक कार्रवाई का जमाना है जिससे शिरकत का विस्तार होता है।' *(क्रोइर अजोर्ड'हुई और ला क्रोइक्स)*; फोरमों की प्रभावकारिता का विचार आंदोलनों और पार्टियों सरीखे पारंपरिक राजनीतिक संगठनों की प्रभावकारिता से अलग है। ... फोरम में शिरकत करने वाले फोरम के नहीं बल्कि अपने-अपने संगठन के जुझारू कार्यकर्त्ता हैं।' *(एफएसई 2003)*; इसकी प्रभावशीलता किसी एक नेता की वजह से न हो कर कार्रवाइयों की विविधता के कारण है। ... फोरम की असली ताकत तो उसकी इस क्षमता में निहित है कि वह फोरम के रूप में एक ताकत होने से ही इनकार करता है। ... हम लोगों को समान आधार प्राप्त करने और नई पहलकदमियाँ लेने का मौका प्रदान करते हैं। इस छूट के कारण फोरम से बहुत बड़ी संख्या में प्रस्ताव उद्भूत होते हैं। अब कोई किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता।' (*सोलिडायर*); 'इस सवाल का जवाब देना वर्ल्ड सोशल फोरम की जिम्मेदारी नहीं है (कि लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी का सवाल कैसे हल होगा)। वर्ल्ड सोशल फोरम तो एक ऐसे स्पेस से ज्यादा कुछ नहीं है जिसमें विभिन्न संगठनों को अन्योन्यक्रिया करने का मौका मिल जाता है। अगर आंदोलन आगे बढ़ कर वर्ल्ड सोशल फोरम का खास तरीके से एक जबरदस्त अनुभव के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनमें आपसी सूत्र नहीं बनेंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा।' *(बेलेसियाओ)*; 'ये संगठन अलग तरह के हैं जो परस्पर मान्यता देने, परस्पर मदद करने और एक-दूसरे से रिश्ता कायम करना चाहते हैं ताकि इस तरीके से अधिक संपूर्णता से संघर्ष चलाते हुए असरदार बन सकें।' *(कैम्पेन सोलिडायरस)*; 'फोरम में शिरकत करते समय और उसके बाद तमाम संगठन आपस में एक-दूसरे को जो देते हैं, उनकी अत्यंत विविध गतिविधियाँ और पहलकदमियाँ एक-दूसरे से जिस तरह जुड़ती हैं, सीखती हैं, उससे उनकी सफलता बढ़ती चली जाती है और वे समाज को नीचे से ऊपर की तरफ और भीतर से बाहर की तरफ बदलते हैं। ... हम सह-दायित्व, सहयोग और क्षैतिज संबंधों के आधार पर एक नई राजनीतिक संस्कृति बना रहे हैं। इस संस्कृति ने राजनीतिक पार्टियों को भी स्पर्श करना शुरू कर दिया है। ... हमें लगने लगा है कि हमारा यह संघर्ष भूमंडलव्यापी हो सकता है। ... इसका

प्रभाव जल्दी ही बहुत से लोगों को हैरान कर देगा। ... फोरम आशावाद की नई हवा है जिसका असर दुनिया भर में बहुत से देशों में फैलता जा रहा है।' *(आडिटाल न्यूज एजेंसी)*; 'वर्ल्ड सोशल फोरम घटनाओं की रफ्तार बढ़ा देता है। नागरिक समाज की उपस्थिति और बढ़ती हुई ताकत दिखाती है कि राजनीतिक पार्टियाँ और सरकारें ही यह तय नहीं करेंगी कि क्या बदलना चाहिए, बल्कि स्वयं नागरिक करेंगे ... अगर 'सामाजिक आंदोलन' (जैसा कि उन्हें फ्रांस में कहा जाता है) यूरोपीय सोशल फोरम के समांतर कार्यक्रम करके इस साल के लिए कार्रवाई हेतु आह्वान कर सकते हैं, तो फिर यह उनकी कार्रवाई योजना होगी न कि फोरम की। हर संगठन जो चाहता है वह करता है, और फोरम में आ कर दूसरों के साथ अपने कार्य-अनुभव बाँटता है। यह काम करने के तरीके में हुआ संपूर्ण परिवर्तन है। हर एक को अपने निर्णयों के मुताबिक कार्रवाई करना चाहिए, न कि दूसरे के निर्णयों के मुताबिक।' *(मेसेजिस)*; 'एक और दिशा है जिसमें लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया है और उसके ठोस नतीजे भी जल्दी ही निकलने लगेंगे। यह है नागरिकों द्वारा एक उपभोक्ता के रूप में अपनी ताकत का इस्तेमाल। इस विषय पर फोरम की बैठकों में चर्चा शुरू होने वाली है। ... नई दुनिया तो बनने ही लगी है। ऐसी हर जगह नई दुनिया बनने लगी है जहाँ-जहाँ लोग प्रकृति का सम्मान करते हुए आपसी सहयोग से रहने लगे हैं और उन मूल्यों के मुताबिक जीवन गुजारने के लिए स्वयं को बदलने लगे हैं। ... वर्ल्ड सोशल फोरम की चुनौती यह है कि ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक दुनिया के सभी कोनों में पहुँचाई जाएँ, ताकि एक बार फिर उन्हें यूटोपिया पर यकीन हो जाए और उसे हासिल करने के लिए वे सामूहिक और निजी स्तर पर प्रयास करने लगें।' *(क्लार्क)*; 'अगर आप पोर्टो अलेगरे के प्रस्तावों पर निगाह डालेंगे तो पाएँगे कि उनकी संख्या हजारों में है, उनमें से कुछ काफी आगे के हैं, और कुछ कम आगे के, और खास बात यह है कि ये प्रस्ताव सभी स्तरों के हैं और सभी सरोकारों की नुमाइंदगी करते हैं।' *(फेम एट डिवेलपमेंट)*; 'मुझे यकीन है कि हमें, यानी फोरम के आयोजकों को, कम से कम एक बात निश्चित लगने लगी है : हमें वह सटीक फारमूला मिल गया है जिसके जरिए लोग अपने शक्तिहीनता के एहसास से पार पा सकते हैं और एक ऐसी ताकत के सामने खड़े हो सकते हैं जो अमानवीय और निर्वैयक्तिक है, न कोई सवाल सुनती है, न किसी भविष्य का आश्वासन देती है—वह तो 'इतिहास का अंत' है। ... वह लोगों को उनकी दैनंदिन जिंदगी की खातिर सुरक्षा का कोई आश्वासन नहीं देती।' *(ला वी)*; 'मेरे लिए पोर्टो अलेगरे आयोजन का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि उसके कारण लोग शांति, लोकतंत्र और समता के यूटोपिया में पुन: यकीन करने लगे हैं। उसके कारण उन्हें लगने लगा है कि उस यूटोपिया के लिए संघर्ष करने वालों की संख्या कम नहीं है।' *(लेबर फाइल)*।

10. अध्याय 2:13 में हम राजनीतिक कार्रवाइयों की अनिगनत किस्मों की चर्चा कर चुके हैं : 'किसी भी फोरम या फिर वर्ल्ड सोशल फोरम-प्रक्रिया की वास्तविक कामयाबी का आकलन

तो केवल वक्त के साथ ही हो सकता है। यह मानना उचित नहीं होगा कि जिस दिन हमें सत्ता मिलेगी, उसी दिन दूसरी दुनिया बननी शुरू होगी।[34] ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला है। दूसरी दुनिया बनने की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है। वह भीतर से बाहर की ओर और नीचे से ऊपर की ओर बन रही है। वह असंख्य कार्रवाइयों के जरिए पुरानी दुनिया से छीनी गई जमीन पर बन रही है। इन कार्रवाइयों से सांस्कृतिक परिस्थितियों समेत ऐसे हालात बन रहे हैं जिनके आधार पर एक खास मुकाम पर आ कर परिवर्तन की प्रक्रिया सुदृढ़ की जा सकती है, उन्हें ऊपर से नीचे तक स्थायित्व दिया जा सकता है।[35] परिवर्तन के लिए की जाने वाली कार्रवाई फोरमों की शुरुआत से पहले भी हो रही थी, और उनके बाद भी जारी रहने वाली है। उसका विस्तार लगातार होते रहना जरूरी है। उसे और गहराई तक जाना चाहिए। फोरम की असली कामयाबी तो उसका राजनीतिक नतीजा है।'

11. समाजवाद के लिए संघर्ष में स्तालिनवाद से पोल पोट तक अफसोस करने लायक बहुत कुछ है।
12. इस अभिव्यक्ति का श्रेय जोसे कोरिया लेटी की पुस्तक के सारगर्भित शीर्षक '*वर्ल्ड सोशल फोरम : दि स्टोरी ऑफ ए पॉलिटिकल इन्वेंशन*' को जाता है।
13. पहले फोरम के आयोजन वर्ष में ही आतंकवाद ने अपना सबसे बड़ा हमला किया, और वह भी ठीक साम्राज्य के मर्मस्थल पर। न्यूयार्क के जुड़वाँ टावर ढह गए और बड़े पैमाने पर लोगों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इस तरह की कार्रवाइयों से दुनिया हिंसा के भँवर में और फँ सती चली जाती है। अमेरिका को हम पर और ज्यादा फौजीकरण थोपने का मौका मिल जाता है। परिणामस्वरूप क्रिया-प्रतिक्रिया का एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होता है। बहरहाल, अच्छी बात यह रही कि अगले साल हम पोर्टो अलेगरे में एक और फोरम आयोजित कर पाए जो पहले फोरम से भी ज्यादा कामयाब था। इसके बाद वर्ल्ड सोशल फोरम करने के प्रस्ताव की उपयोगिता की पुष्टि बाद के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और विषयगत सोशल फोरमों से हो गई।
14. परिशिष्ट-12 में मैंने एक शोध परियोजना की चर्चा की है जिसका विषय था 'फॉर एन इवेलुएशन ऑव दि प्रोजेक्ट इंटरनेशल स्टडी डेज़ फॉर ए सोसाइटी ओवरकमिंग डोमिनेशन'। जब यह परियोजना विकेंद्रीकृत की गई तो ब्राज़ील स्थित इसे चलाने वाले सचिवालय ने 1982 में सेमिनारों का एक सिलसिला आयोजित किया जिसका विषय था : 'वामपंथियों में इतने विभाजन क्यों होते हैं?'
15. यहाँ भूमिहीन देहाती मजदूरों के आंदोलन (एमएसटी) का जिक्र करना प्रासंगिक होगा। यह संगठन फोरम की आयोजन समिति में भी शामिल है। मैंने इसके अनुभव का वर्णन फ्रांसीसी *कॉनफेडरेशन पायसाने* की पत्रिका *केंपेनस सोलिडाइरस* को दिए गए एक साक्षात्कार में किया है। मुझसे पूछा गया था कि क्या फोरम के भीतर एक खेती और खाद्य के मुद्दे पर अलग से

एक विशिष्ट फोरम बनने की संभावना है? मेरा जवाब था : यह फोरम का तरीका नहीं है। एमएसटी सन् 2002 के वर्ल्ड सोशल फोरम में इसका तजरुबा करके देख चुका है। उसने फोरम की गतिविधियों से अलग अपने जुझारू कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रमों का एक सिलसिला आयोजित किया था। बाद में आंदोलन ने इसका आकलन करके पाया कि यह एक गलती थी। इस चक्कर में उसके कार्यकर्ता दूसरी ताकतों का परिचय पाने के मौके से चूक गए। वे दूसरे संगठनों के प्रयासों, उनके अनुभवों की जानकारी नहीं ले पाए। नए गठजोड़ बनाने के लिए वे दूसरों को अपनी गतिविधियों के बारे में भी नहीं बता पाए कि एक आंदोलन के तौर पर दरअसल वे कर क्या रहे हैं। वैसे फोरम में खेती और खाद्य के मुद्दों पर सेमिनार, सम्मेलन, गोल मेज, वर्कशॉप और तरह-तरह के अन्य कार्यक्रम करने की कोई मनाही नहीं है। लेकिन, जो भी कार्यक्रम होगा, उसके दरवाजे सबके लिए खुले होंगे। वे फोरम के कार्यक्रम होंगे, उसकी कार्यक्रम-सूची में उसकी सूचना दर्ज होगी, वह फोरम के भीतर कोई विशेष फोरम नहीं होगा।'

16. इस तरह के प्रयास का एक सीधा उदाहरण देखिए : ब्राज़ीलियन आयोजन समिति के सदस्यों को बड़े स्वाभाविक तौर पर इस बात की फिक्र रहती है कि अपनी बैठकों में वे ऐसी कोई कार्यवाही न करें जिससे सदस्यों की निष्ठा भंग होने का खतरा पैदा हो जाए। किसी सदस्य के लिए संवेदनशील हो सकने वाले किसी विषय पर चर्चा करते समय ध्यान रखा जाता है कि उस समय वह सदस्य अवश्य मौजूद हो, वरना चर्चा रोक दी जाती है।
17. मुंबई फोरम में कुछ सहभागियों द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक का विमोचन किया गया जिसका शीर्षक था : '*वर्ल्ड सोशल फोरम : चैलेंजिंग इम्पायर्स*'। इसमें चार्टर के बारे में एक शंका उठाई गई थी। अपने लेख 'वर्ल्ड सोशल फोरम पर बहस के लिए नोट्स' के अंत में एक टिप्पणी में मैंने लिखा था : 'फोरम का चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स सबसे पहले वर्ल्ड सोशल फोरम की ब्राज़ीलियन आयोजन समिति के आठ सदस्य संगठनों (एबीओएनजी, एटीटीएसी, सीबीजेपी, सीआईवीएस, सीयूटी, आईबीएएसई, सीजेजी और एमएसटी) ने अप्रैल, 2001 में तैयार किया था। बाद में 'डब्ल्यूएसएफ इंटरनेशनल एडवायजरी कमेटी' ने कुछ परिवर्तनों के साथ इसकी पुष्टि कर दी। यह कमेटी बाद में जून, 2001 में इंटरनेशनल कौंसिल कहलाई (वर्ल्ड सोशल फोरम आयोजन समिति, जून, 2001)।' चर्चित पुस्तक में मेरे इस कथन का हवाला देते हुए कहा गया है : 'यहाँ व्हिटेकर चार्टर के जून, 2001 के संस्करण की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन, आठ संगठनों द्वारा लिखा गया अप्रैल, 2001 का संस्करण भी सारी दुनिया में कई अनुवादों के जरिए व्यापक तौर पर प्रसारित हो चुका है। इस पुस्तक के लेखकों ने चार्टर के अलग-अलग संस्करणों का हवाला दिया है। इसलिए मेहरबानी करके ध्यान रखें कि किस चार्टर की बात की जा रही है क्योंकि उन्हें अलग-अलग तारीखों से जाना जा सकता है। पुस्तक में संदर्भ के लिए दोनों संस्करण दिए जा रहे हैं।' इसी मुद्दे को बाद में बोआवेंचुरा डि साउसा

सांतोस ने एक और किताब में उठाया। सांतोस तो चार्टर के इन संस्करणों की तुलना एक तीसरे संस्करण से करते हुए दिखते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भारत में जारी किया गया था और जो चार्टर पर की गई टिप्पणियों का अंग है।

18. अगर ईंटों या पत्थरों से बने हुए किसी गुंबद का की-स्टोन या मुख्य पत्थर हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा ढाँचा ही गिर जाता है।
19. 'आगामी कार्रवाई के लिए पोर्टो अलेगरे का आह्वान' नामक दस्तावेज सन् 2001 में लिखा गया था। इसे सीयूटी, एमएसटी और एटीटीएसी के नेताओं ने प्रस्तावित किया था। इस विषय पर पुस्तक में कई जगह चर्चा की गई है।
20. जब इस गलती का पता चला जो सूचना नोट के मसविदे से जुड़ी हुई थी, तो ब्राज़ीलियन आयोजन समिति में संकट पैदा हो गया और वह बिखरते-बिखरते बची।
21. इसकी आलोचना के लिए देखें, बर्नार्ड कैसेन की रचना *टाउट ए कमेंसे ए पोर्टो अलेगरे*।
22. विशेष तौर से देखें उस मसविदे 'वर्ल्ड सोशल फोरम : स्पेस या आंदोलन?' का अंश जो वर्ल्ड सोशल फोरम की भारतीय आयोजन समिति के दो सदस्यों ने लिखा था। इसे अध्याय 3:1 के आखिर में उद्धृत किया गया है।
23. फ्रांसीसी पत्रिका *फेम एट डिवेलपमेंट* के लिए लिखे गए एक लेख में मैंने वर्ल्ड सोशल फोरम के नेटवर्क तर्क पर इस प्रकार प्रकाश डाला था : 'सामूहिक कार्रवाई की नई संस्कृति के मर्म में अगर कोई एक शब्द है तो वह है 'नेटवर्क'। नेटवर्क की परिभाषा इस केंद्रीय विचार के आधार पर की जा सकती है : एक पारंपरिक संगठन के विपरीत नेटवर्के के नाम पर कोई अपनी बात नहीं कह सकता। यह एक क्षैतिज संरचना है जिसके सदस्यों की किसी एक लक्ष्य या किसी चार्टर ऑफ वेल्यूज़ में साझेदारी होती है। चूँकि नेटवर्क में सत्ता को कोई केंद्र नहीं होता, इसलिए वह ऐसे संगठन की तरह काम नहीं करता जो अपने सदस्यों को कार्रवाई का निर्देश देता हो। उल्टे सदस्यों की कार्रवाई के तरीके के आधार पर नेटवर्क की संरचना बनती है। इस प्रकार वर्ल्ड सोशल फोरम नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। संगठन का यह रूप काफी-कुछ इंटरनेट वेब जैसा है। सारी सूचनाएँ एक केंद्रीय कम्प्यूटर में होती हैं जिससे हर कोई जुड़ा रहता है। वहाँ से सूचनाएँ कम्प्यूटर मेमोरी के एक समुच्चय और उन्हें इस्तेमाल करने वालों की इंटेलिजेंस के बीच वितरित होती हैं जहाँ से वे आपस में मुक्त रूप से अन्योन्यक्रिया करते हैं। यह कोई संयोग ही नहीं है कि संगठन का यह रूप इंटरनेट के जबरदस्त विकास के साथ-साथ ही विकसित हुआ है। दोनों का आधार एक ही तर्क है। इंटरनेट दुनिया के पैमाने पर नागरिकता के विस्तार का सर्वप्रमुख माध्यम है।'
24. जिनेवा समझौता एक इजराइली-फिलिस्तीनी संघर्ष खत्म करने के लिए बनाई गई एक शांति योजना थी जिसे करीब तीन साल तक दोनों देशों के नागरिक समाज के सदस्यों ने साथ-साथ काम करके तैयार करके दोनों सरकारों के सामने पेश किया था।

25. यह मसविदा कभी पूरी तरह नहीं लिखा गया।
26. ये नौ दिशा-निर्देश >डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.फोरमसोशलमुंडियल.ओआरजी.बीआर< पर देखे जा सकते हैं।
27. पहले तीन फोरमों में पंजीकरण कराने वाले पत्रकारों की संख्या बढ़ती गई है : सन् 2001 में 1,870, सन् 2002 में 3,356 और सन् 2003 में 4,094।
28. इस गोलमेज चर्चा में फोरम के भविष्य के बारे में मतभेद रखने वाले इंटरनेशनल कौंसिल के सदस्यों ने भाग लिया था। इसका संचालन करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी।
29. प्रकाशक ने यह पुस्तक इस प्रकार पेश की थी : 'अपनी बेस्ट सेलर पुस्तक *दि सिचुएशन इज सीरियस, बट नॉट होपलैस* में पॉल वाट्ज्लाविक ने बताया है कि दुख का विशेषज्ञ बनने का तरीका क्या है। अब इस नई किताब में उन्होंने समस्याओं के अति-समाधान की तरफ हमारा ध्यान खींचा है, उन अंतिम हलों की तरफ जो समस्याओं का ही नहीं बाकी सब कुछ का भी अंत कर सकते हैं। (सबसे सटीक अति-समाधान की मिसाल तो उस पुराने डॉक्टरी लतीफे से मिलती है जिसमें कहा गया है कि ऑपरेशन कामयाब रहा, बस केवल मरीज का दम निकल गया)। इस किताब में कई अति-समाधानों की जाँच की गई है और उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। उनका ताल्लुक पति-पत्नी के बीच के झगड़ों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक से है। अति-समाधान के खेल एक सहज नियम के आधार पर चलता है जिसे ज़ीरो सम गेम भी कहते हैं यानी जीत तभी हासिल की जा सकती है जब दूसरा पराजित हो जाए। दोनों के लिए जीतना नामुमकिन है, और आमतौर पर पराजय दोनों की ही होती है। पढ़ने-सुनने के जरिए हम इस तरह के अति-समाधानों का प्रभाव अपने और दूसरों के जीवन में देख सकते हैं, पर यह पुस्तक अति-समाधानों की कार्यप्रणाली की बारीक शल्यक्रिया करती हुई उन्हें हम सबके सामने बेनकाब कर देती है।'
30. यह सूची अभी भी है, पर बेकार पड़ी हुई है। इसके आयोजक अब इसे स्थानीय साइंस फोरमों के अनुभव पर चर्चा के लिए सक्रिय करना चाहते हैं।
31. *ओ स्पिरिटो डि पोर्टो अलेगरे* नामक पुस्तक में छपे साक्षात्कार में मैंने कहा था : 'आंतरिक परिवर्तन के विचार का मूल ईसाई आस्था में निहित है। इसका मतलब है अंतरण यानी लोगों का भीतर से परिवर्तन। पचास साल पहले ईसाई मिशनरी इस विचार को धरती पर उतारने में जुटे हुए थे। पर, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि संरचनाएँ बदलना कितना अहम है, क्योंकि संरचनाएँ लोगों की व्यवहार-शैली भी तय करती हैं। इसके बाद एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में आंतरिक परिवर्तन की अहमियत दोयम दर्जे की हो गई। लेकिन, इस फोरम में यह विचार संरचनाएँ बदलने की शर्त के रूप में दोबारा सामने आया है।'
32. फिलिप मरलेंट, 'कंस्ट्रक्शन डि सोई एट ट्रांसफोर्मेशन सोशियाले', *रिव्यू डि ला साइकॉलॉजी डि ला मोटिवेशन*, अंक-32, दिसंबर 2001, पेरिस।

33. '... ऐसे हालात बनाने के लिए जिनसे हमारी दुनिया उन बड़े-बड़े वांछित परिवर्तनों से गुजर सके, हमें निजी और भीतरी तौर से बदलने की कोशिश करनी होगी ताकि हम जहाँ जरूरत हो सेवा करने की क्षमता प्रदर्शित कर सकें। (फ्रांस में *सोशल वीक्स* के लिए दी गई वार्ता)।

34. सन् 2003 के यूरोपियन सोशल फोरम में नस्लवाद, लाइसिज्म और एकजुटता पर हुई गोल मेज चर्चा में मैंने एकजुटता के संदर्भ में कहा था : 'नस्लवाद विरोधी होना और सेकुलर होने का आदर करना एक ऐसी प्रवृत्ति है जो एक बार अपना लिए जाने के बाद कभी नहीं छूटती, बशर्ते उसे ठीक से हृदयंगम किया गया हो। यह हमें पूरी तरह, भीतर से बदल डालेगी। यहाँ तक कि नस्लवाद व अन्य अनागरिक किस्म के रवैयों से अनायास मुठभेड़ हो जाने पर भी हम नहीं डिगेंगे। यह प्रवृत्ति कायम रखना किसी भी अन्य प्रवृत्ति के मुकाबले सैकड़ों गुना कठिन है, साथ ही यह भी सच है कि इसके जरिए होने वाले आंतरिक परिवर्तन की भी कोई सीमा नहीं होती।'

35. 'हमें ध्यान रखना होगा कि दुनिया परिवर्तन की एक ही शैली से नहीं बदलती। उपभोक्तावाद और प्रतियोगिता के तर्कों ने हमें जकड़ रखा है। ... इन बंधनों को तोड़ना नामुमिकन है। ... लेकिन, दुनिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उससे उसका अपना विनाश निश्चित है। परिवर्तन तभी होगा जब 'दूसरी दुनिया मुमकिन है', जैसी चेतना जागेगी। लेकिन, इसे किसी आदेश से नहीं जगाया जा सकता। इसके लिए सांस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक है।' *(फ्रांस में प्रकाशित एक लेख का अंश)*।

4

नजरिए का सवाल

1. मुंबई फोरम का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव

चौथा वर्ल्ड सोशल फोरम भारत के महानगर मुंबई में आयोजित किया गया। पिछले फोरमों में शिरकत करने वालों या उनके आयोजन से जुड़े लोगों के लिए मुंबई फोरम का प्रभाव सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्तब्धकारी साबित हुआ। यह फोरम इनसानी गर्मजोशी के एक सैलाब की तरह था, जिससे गुजरने के फौरन बाद मैंने फ्रांसीसी पत्रिका *डीआर!* को एक साक्षात्कार दिया। इस बातचीत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फोरम के नए पहलुओं से हम किस कदर हैरान थे :

डीआर! : चीको ... उम्मीद है कि इस नाम से बुलाने पर आपको कोई ऐतराज नहीं होगा? जरा बताइए कि वर्ल्ड सोशल फोरम का क्या निचोड़ निकला? आप जैसी हस्ती ही यह आकलन कर सकती है जिसने सभी फोरमों के आयोजन में हाथ बँटाया, और जिसका उनसे देह और आत्मा का रिश्ता है।

चीको व्हिटेकर : देखिए, मुंबई फोरम में भाग न पाने वाले उन सब लोगों के लिए यह अफसोस का साल रहेगा, जिन्होंने पोर्टो अलेगरे के वर्ल्ड सोशल फोरम में हिस्सा लिया था और वहाँ से दूसरी दुनिया बनाने के लिए नई ऊर्जा ले कर लौटे थे। उन्हें अफसोस रहेगा कि वे इस विराट घटना में हिस्सा नहीं ले पाए जिसमें इतनी दिलचस्प अफरा-तफरी थी, जो खुशी से इस कदर सराबोर थी। हमारे समय की शैतानी ताकतों के बारे में इस फोरम में न जाने कितनी बातें कही गईं, न जाने कितने कार्यक्रम हुए और यह संभावना सामने आई कि केवल पूँजी पर नहीं, बल्कि इन्सान पर केंद्रित हो कर आयोजित किया जा सकता है। पहली बार सन् 2001 में जब वर्ल्ड सोशल फोरम

हुआ था तो यह देख कर हम स्तब्ध रह गए थे कि हमारे जैसे कितने लोग हैं जो दुनिया बदलना चाहते हैं। इसीलिए, सन् 2001 में ही वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजकों ने तय किया कि न केवल वे आयोजन का काम जारी रखेंगे, बल्कि फोरमों का सारी दुनिया में विस्तार किया जाएगा।

डीआर! : क्या भारत में फोरम करने से कोई नई उपलब्धि हुई?

व्हिटेकर : मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि इस साल वर्ल्ड सोशल फोरम भारत में होने से इस आयोजन की क्वालिटी में जबरदस्त उछाल आया है। जो लोग खुशकिस्मती से इसमें शिरकत कर पाए, वे एक बार फिर स्तब्ध रह गए हैं।

डीआर! : मुंबई फोरम में कितने ब्राज़ीलियनों ने हिस्सा लिया?

व्हिटेकर : करीब पाँच सौ ब्राज़ीलियन। यह अच्छी खासी संख्या है। सन् 2003 के पोर्टो अलेगरे फोरम में दुनिया के दूसरे छोर पर केवल सौ भारतीय पहुँच पाए थे।

डीआर! : आप बार-बार यह स्तब्ध रह जाने की बात क्यों कह रहे हैं?

व्हिटेकर : इसकी वजह है। सबसे पहले तो यहाँ की झुग्गियों को देखिए, चारों तरफ फैली हुई बेहताशा गरीबी देखिए। भारत में एक अरब से ज्यादा की आबादी है। जैसा कि किसी ने कहा भी कि शायद इस देश में दुख-तकलीफ खत्म करने का इरादा तक त्याग दिया गया है। ... मुंबई, जो एक करोड़ साठ लाख लोगों का महानगर है, के बाहरी इलाके में फोरम किया गया। फोरम स्थल यानी नेस्को ग्राउंड तक पहुँचने के लिए आपको पहले एक भीड़ भरी एकदम ठसाठस भरी ट्रेन में चढ़ना होगा। फिर, जहाँ हो सके, रिक्शा लेना होगा, जो एक मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल है, जिसमें तीन सवारियाँ चलती हैं। इसे शहर बीच के हिस्से में चलाने की मनाही है जिसकी रचना अंग्रेजी शैली में हुई है।

डीआर! : लेकिन, क्या फोरम अपने-आप में कामयाब रहा?

व्हिटेकर : इस फोरम की कामयाबी भी अपने आप में सन्न कर देने की एक और वजह है। इसमें एक लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। मुंबई फोरम ग्रासरूट्स संगठनों की उपस्थिति के मामले में ब्राज़ील से भी आगे निकल गया। पूरे चार दिनों तक दर्जनों और दर्जनों बड़े-छोटे प्रदर्शनों का ताँता लगा रहा। विरोध करते हुए, भर्त्सना करते हुए, माँगें करते हुए ये प्रदर्शन फोरम स्थल के पूरे स्पेस में मार्च करते रहे। एक बहुत बड़ी कंपनी के वेयरहाउस इलाके को बॉलीवुड वालों ने फिल्म शूटिंग की जगह में बदल दिया था। यहाँ और भी सम्मेलन किए जाते हैं। फोरम के लिए यही जगह चुनी गई थी। लोगों के कदमों से वहाँ धूल के गुबार उठते रहे। नंगी धरती पर

बाँस की फूस बिछाने से काम नहीं चला।

डीआर! : क्या माँगों का जोर किसी मुश्तरका मुद्दे पर था, या वे बहुत से मुद्दों के बारे में थीं?

व्हिटेकर : लोग ढोल बजा रहे थे। सभी तरह के नारे लग रहे थे। ये कई तरह के संघर्षों की अभिव्यक्ति थी। इनमें सबसे ज्यादा खास बात थी 20,000 से ज्यादा दलितों का प्रदर्शन। ये दलित भारत के जातिच्युत 'अछूत' हैं। सबसे ज्यादा उत्पीड़ित और दबे हुए। ऐसे अछूत इस देश में सत्रह करोड़ हैं। ... इसके अलावा ग्रासरूट्स स्तर से आए नृत्य और नाट्य कार्यक्रम हर कोने पर हो रहे थे। ये सभी राजनीतिक जागरूकता से लैस थे। उनमें हिंदी बोली जा रही थी जिसके अनुवाद से हमें उनकी इस खूबी का एहसास हुआ। पहले इस आयोजन स्थल पर कोई फैक्ट्री रही होगी, जिसका यह वेयरहाउस था। इसके भीतर और बाहर बम्बू और कपड़े की मदद से कमरे बनाए गए थे जिनमें दर्जनों वर्कशॉप और बैठकें हो रही थीं। तरह-तरह के भोजनों के मेले लगे हुए थे जिनमें सभी किस्म का एशियायी आहार मौजूद था। न जाने कितने तरह के स्टाल लगे हुए थे जिन पर किताबें, बनी-बनाई चीजें, राजनीतिक कार्यक्रमों के प्रकाशन, शैक्षिक और जागरूकता बढ़ाने वाली सामग्री मौजूद थी। एक पोर्टो अलेगरे मेमोरियल स्टेंड भी था। ब्राज़ील से आए लोग फोरम स्थल की विराटता के बीच अपनी मुलाकात यहीं करते थे। बहुत मुश्किल है इस सब का वर्णन करना। लेकिन, जरा उस आश्चर्य की कल्पना कीजिए जो फोरम को एक दूसरी संस्कृति, एक दूसरे इतिहास में ले जाने से पैदा हुआ।

डीआर! : वहाँ चर्चाएँ भी खूब हुई होंगी?

व्हिटेकर : बिल्कुल। जिस समय फोरम स्थल के रास्तों पर यह सब चल रहा था, विचार गोष्ठियाँ, गोलमेज चर्चाएँ और सम्मेलन भी हो रहे थे। उन सवालों और मुद्दों का विश्लेषण हो रहा था जिन्हें चर्चा के लिए प्रस्तावित किया गया था। ताज्जुब की बात है कि यह सब कामयाबी के साथ सम्पन्न हो गया।

बाद में फ्रांसीसी अखबार *ल मोंद* को दिए गए एक साक्षात्कार में मैंने अपने इन मुंबई फोरम की अपने ऊपर पड़ी इस छाप का सार-संकलन इस प्रकार किया :

चुनौती एक ऐसे देश में फोरम का आयोजन करने की थी जो संस्कृतियों और धर्मों की अत्यधिक विविधता और अपने राजनीतिक विभाजनों के लिए जाना जाता है। इस चुनौती का सामना करने में हम कामयाब रहे। फोरम के लिए हुई ग्रासरूट्स गोलबंदी जबरदस्त थी, और आयोजन के विचारधारात्मक आयाम हमारी कल्पना से भी बेहतर निकले। मुझे सबसे

ज्यादा ताज्जुब तो इस बात से हुआ कि जुझारू तेवर वाले एशियायी कार्यकर्ता अपने विभाजनों से परे जा कर खुद को सुसंगत रूप से संगठित कर सके। दूसरी नई बात यह थी कि दलितों (अछूतों), आदिवासियों, स्त्रियों और बच्चों ने अपनी समस्त पीड़ाओं के साथ फोरम में भारी संख्या में शिरकत की। साफ तौर से यह सब आने वाले फोरमों के लिए एक मॉडल पेश कर रहा था।

कैंपेनस सोलिडाइरस पत्रिका के लिए फोरम का मूल्यांकन करते हुए मैंने फोरम के आयोजन पर पड़े भारत की सामाजिक परिस्थिति के प्रभाव को फिर से रेखांकित किया : 'सबसे अहम बात तो यह थी कि मुंबई के वर्ल्ड सोशल फोरम में शिरकत करने वालों को यह देखने का मौका मिला कि पूँजीवादी प्रभुत्व एक समाज को दुखों की कितनी गहरी खाई में धकेल देता है।'

लेकिन, एक दूसरा प्रभाव भी था जिसका मैंने जिक्र किया। यह था मुंबई फोरम का सांस्कृतिक असर :

> पिछले फोरमों में राजनीतिक अभिव्यक्ति का तरीका एक ही था। वह था बौद्धिक विचार-विमर्श, जिसके हम लोग अभ्यस्त हो चुके हैं। लेकिन, मुंबई फोरम में एक नए तरह की राजनीतिक अभिव्यक्ति की समृद्धि और संभावना के दर्शन हुए। मुंबई में फोरम स्थल की सड़कें ग्रासरूट्स ग्रुपों और संगठनों द्वारा किए जाने वाले संगीतमय प्रदर्शनों, नृत्य कार्यक्रमों, खेल-कूदों, नाटक, आदि से भरी हुई थीं। वे अपने झंडों और प्रदर्शनों के साथ माँगें करते हुए पूँजीवादी व्यवस्था के प्रति अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे थे। जाहिर है कि यह अनुभव सन् 2005 में होने वाले पोर्टो अलेगरे के फोरम को भी बदल देगा।

वास्तव में ऐसा ही हुआ। सन् 2005 के वर्ल्ड सोशल फोरम के लिए गोलबंदी करने हेतु जारी किए गए आह्वान में ब्राज़ीलियन आयोजन समिति ने लिखा :

> चौथे वर्ल्ड सोशल फोरम में लोकप्रिय संस्कृति की अभूतपूर्व ताकत सामने आई। पूरे छ: दिन तक डेढ़ हजार से ज्यादा कलाकार, कवि, नाटककार और लेखक अपने कार्यक्रम पेश करते रहे। करीब डेढ़ सौ से ज्यादा नुक्कड़ नाटक किए गए। एक फिल्म महोत्सव भी हुआ जिसमें करीब चालीस देशों की 85 से ज्यादा फिल्में प्रदर्शित की गईं। भारत में हुए चौथे फोरम ने दिखाया कि नव-उदारतावाद के खिलाफ संघर्ष के अन्य रूपों की ही तरह सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्ति भी उतनी ही अहम है। उससे सांस्कृतिक प्रभुत्व का भी प्रतिकार होता है, और साथ में 'दूसरी दुनिया' मुमकिन बनाने के लिए लोगों के दिलों और दिमागों को भी प्रभावित किया जा सकता है।

नतीजा यह निकला कि पोर्टो अलेगरे में हुए पिछले फोरमों की भाँति कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने वाले फॉर्म पर केवल वर्कशॉपों, सेमिनारों, गोल मेज चर्चाओं आदि

का ही जिक्र नहीं था, उसमें नव-उदारतावाद के खिलाफ संघर्ष के सांस्कृतिक आयामों को भी दर्ज किया गया था। इसमें अभिव्यक्ति के अन्य रूपों के लिए निमंत्रण भी था, जैसे, प्लास्टिक आर्ट, अन्योन्यक्रियात्मक गतिविधियाँ, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम, मार्च, धरना, प्रदर्शन, सर्कस, थिएटर, कविता, पाठ, संगीत कार्यक्रम, रिकॉर्डिंग, आदि। यह सब वर्ल्ड सोशल फोरम-प्रक्रिया पर मुंबई का असर ही था।

2. सन् 2005 का वर्ल्ड सोशल फोरम

इस पुस्तक का लेखन खत्म करने से करीब दो महीने बाद ही सन् 2005 के वर्ल्ड सोशल फोरम का आयोजन होना था। इसकी तैयारियाँ उस समय जोरों पर चल रही थीं। इस पुस्तक में उन प्रमुख बातों का वर्णन किया गया है जो इस आयोजन की विशेषताएँ होने वाली थीं। इन्हीं को यहाँ संक्षेप में दिया जा रहा है :

पहले ही बताया जा चुका है कि पद्धति और विषयवस्तु आयोग की बैठक पोर्टो अलेगरे में 13 से 15 नवंबर, 2004 के बीच हुई। इसमें इंटरनेशलन कौंसिल और ब्राज़ीलियन आयोजन समिति कार्यदलों के कई सदस्यों ने शिरकत की। उनके फैसलों में राजनीतिक रूप से और पद्धति के लिहाज से दो नई बातें थीं :

– सन् 2005 के फोरम में होने वाली सभी गतिविधियाँ स्वयं सहभागियों द्वारा ही आयोजित होंगी। उनका रूप स्व-आयोजित गतिविधियों वाला होगा। यह तरीका सहभागिता के लिहाज से फोरम को ज्यादा रेडिकल बना देगा। सहभागियों के विचारानुसार फोरम में जिन मुद्दों, समस्याओं और चुनौतियों पर चर्चा होनी है और जिस तरह की स्व-आयोजित गतिविधियाँ वे फोरम में करना चाहते हैं, यह निर्णय उन पर पहले हो चुके विचार-विमर्श को ही आगे बढ़ाता है। मुंबई फोरम के बाद से इस दिशा में और जोश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश हुई है। मुंबई में आयोजकों ने वहाँ हुई कुल 1,182 गतिविधियों में से केवल 13 स्वयं आयोजित की थीं। इसका मतलब यह होगा कि सहभागियों को स्वयं ही अन्य सहभागियों के लिए 'फेसिलिटेटरों' की भूमिका भी निभानी होगी।

-- प्रत्येक दिन दोपहर के बाद दो घंटे का समय खाली रखा जाएगा जिसमें कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इस अवधि में सहभागी नेटवर्किंग कर सकेंगे, फोरम के बाद ठोस कार्रवाई शुरू करने या जारी रखने की योजनाएँ बना सकेंगे, और अगर चाहें तो अपनी सहभागिता का मूल्यांकन कर सकेंगे।

पुस्तक के अध्याय-2 'सोशल फोरम आयोजित करने के आधार बिंदु' में इन फैसलों

की वजह का विस्तार से जिक्र किया गया है।

सन् 2005 में प्रयुक्त आयोजन पद्धति की खास बात यह थी कि उसमें अन्य तौर-तरीकों का इस्तेमाल भी कहीं बेहतर ढंग से किया गया था, जैसे कि नेटवर्किंग करने और ठोस कार्रवाई-योजना बनाने के लिए प्रोत्साहन देना ताकि मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति मजबूत हो सके। इसके पीछे इरादा स्वायत्तता सम्पन्न और विभिन्न कार्रवाइयाँ अंजाम दे सकने लायक एकता कायम करने का था। भूमंडलीय नव-उदारतावाद का प्रभावी मुकाबला करने के लिए आवश्यक शक्ति अर्जित करने के लिए ऐसा करना जरूरी था।

अप्रैल, 2004 में पासिग्नानो, इटली में हुई इंटरनेशल कौंसिल की बैठक में यह आयोजन पद्धति प्रस्तावित की गई थी। तभी से फोरम-प्रक्रिया की कोशिश थी कि सहभागियों की एक-दूसरे के साथ काम करने की इच्छा या अनिच्छा का सम्मान करते हुए गतिविधियाँ किस तरह एक जगह लाई जाएँ ताकि अनावश्यक दोहराव से बचा जा सके। पोर्टो अलेगरे की नवंबर बैठक तक यह चिंता और भी प्रबल हो चुकी थी। अपने-अपने कार्यक्रम पंजीकृत करा चुकने वाले सहभागियों से अनुरोध कर दिया गया था कि वे डब्ल्यूएसएफ वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारियों पर नजर दौड़ाएँ और अगर हो सके तो दूसरों के साथ मिल कर अपने कार्यक्रम करने के मौकों का इस्तेमाल करें। सहभागियों को भेजे गए इस आशय के पत्र में चार तरह की नेटवर्किंग की संभावनाओं की तरफ इशारा किया गया था :

* अगर दो या दो से ज्यादा कार्यक्रम मिला कर एक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किए जा सकें तो कार्यक्रम में संशोधन करके उन्हें नए तरीके से अधिसूचित किया जा सकता है।

* भले ही गतिविधियाँ घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही रहें, पर उन्हें एक-दूसरे के साथ एक सिलसिले में कुछ इस तरह से आयोजित किया जा सकता है कि एक में सहभागिता करने वाला सभी में शिरकत कर सके।

* कार्यक्रम पूर्व-घोषित अधिसूचना की भाँति ही रहने के बावजूद हर कार्यक्रम के आयोजक दूसरे कार्यक्रमों में अपने अधिकारिक 'प्रतिनिधि' भेजें ताकि सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हुए संघर्ष साथ-साथ खड़ा किया जा सके।

* प्रत्येक दिन नेटवर्किंग के लिए दिए जाने वाले खाली समय में सभी कार्यक्रमों के आयोजक एक-दूसरे के साथ मुलाकातें तय करें ताकि विभिन्न संघर्षों के बीच आपसी संवाद और संयुक्त मूल्यांकन हो सके।

सन् 2005 के फोरम की तैयारियाँ करते समय एक कदम और उठाया गया ताकि

सहभागिता का अधिकतम स्तर हासिल किया जा सके। इसकी नाकाम कोशिश पिछले दो सालों में हुए आयोजनों में भी की गई थी। कार्यक्रमों का पंजीकरण कराने की आखिरी तारीख इतनी पीछे कर दी गई कि सहभागी पोर्टो अलेगरे में पहुँचें तो उन्हें पता हो कि हजार से ज्यादा कार्यक्रमों में से उनके पसंदीदा कार्यक्रम कौन-कौन से हैं।

सन् 2005 में सहभागियों के लिए आयोजन के स्पेस की संरचना और स्थानिकता सुगम करने के मामले में भी कुछ प्रगति हुई। पूरे फोरम के स्पेस को मुद्दों और चुनौतियों के आधार पर उप-स्पेसों में बाँट दिया गया।[1] फोरम-स्थल शहर के केंद्र के नजदीक रखा गया ताकि शहरवासी भी उसमें आसानी से शिरकत कर सकें। इंटरनेशलन यूथ कैम्प और फोरम-स्थल के बीच इस बार बेहतर तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश की गई।

विभिन्न प्रदूषणों, कूड़ा-कचरा कम करने और उसके प्रसंस्करण, उचित निर्माण सामग्री और उसके इस्तेमाल से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए। फोरम के सहभागियों के लिए चीजें और सेवाएँ मुहैया कराने का बंदोबस्त ग्रासरूट्स और सोलिडरिटी उद्यमों के हवाले किया गया। तैयारी का काम हो या फोरम की गतिविधियाँ हों, फ्री सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को सिद्धांत और व्यवहार में प्राथमिकता दी गई। इंटरनेट पर फोरम का आयोजन सभी के लिए मुफ्त प्रसारित करने का बंदोबस्त करने की योजना बनाई गई।

अंत में तय किया गया कि दूसरी दुनिया बनाने के मकसद से जारी किए गए कार्रवाई-प्रस्तावों की भित्ति खड़ी की जाएगी। उसकी तरफ वैकल्पिक मीडिया को खास तौर पर आकर्षित किया जाएगा ताकि फोरम से उद्भूत होने वाले तरह-तरह के अनगिनत प्रस्तावों को ठीक से प्रदर्शित किया जा सके। इस निर्णय के साथ यह ध्यान भी रखा गया कि इससे चार्टर के उस उसूल का उल्लंघन न होने पाए कि फोरम किसी तरह का अंतिम दस्तावेज जारी नहीं करेगा। सन् 2005 में इस भित्ति पर 352 प्रस्ताव प्रदर्शित किए गए थे। इस प्रकार फोरम में सहभागिता के लिए आते समय ही नहीं, बल्कि उसके समापन के बाद जाते समय भी विविधता का आदर करने का ध्यान रखा गया।

इस काम को एक चुनौती की तरह लिया गया कि सन् 2005 के फोरम के समापन और 2006 के फोरम के उद्घाटन के बीच सहभागियों की नेटवर्किंग और समन्वित कार्रवाई की निरंतरता किसी न किसी तरह कायम रहनी चाहिए।

3. फोरम का विस्तार और दुनिया भर में उसके कदम जमना

फ्रांसीसी पत्रिका *नौविया रिगाड्र्स* ने भारत में मुझसे फोरम के सारी दुनिया में प्रसार के बारे

में सवाल पूछा जिसके उत्तर में मैंने कहा था :

> ब्राज़ील में हम एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गए थे, जब हमें कहना पड़ा कि 'नव-उदारतावाद के खिलाफ संघर्ष का प्रसार सारी दुनिया में करना ही होगा। हम हमेशा केवल पोर्टो अलेगरे तक ही सीमित नहीं रह सकते।' इसे दूसरी जगहों पर, दूसरे देशों में जाना ही था ताकि यह साबित हो सके कि यह संघर्ष वहाँ भी कारगर है। मुंबई में इसके नतीजे देखे जा सकते हैं। संघर्ष यहाँ भी कारगर साबित हुआ। इससे सिद्ध हो जाता है कि हम और आगे बढ़ सकते हैं।

जैसे-जैसे फोरम के विचार का प्रसार होगा, संगठनों का एक जाल बनता चला जाएगा जो वास्तव में एक भूमंडलीय नागरिक समाज जैसा होगा। एक ऐसा नागरिक समाज जो अपनी सघनता के कारण भूमंडलीकृत नव-उदारतावाद के खिलाफ खड़े होने में कामयाब होगा। फोरम का विचार दो तरीके से जड़ पकड़ सकता है : दुनिया के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में वर्ल्ड सोशल फोरमों का आयोजन करने के जरिए; और स्थानीय फोरमों का अधिक से अधिक आयोजन करने के जरिए।

(अ) ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड सोशल फोरमों के आयोजन का फायदा :

जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि वर्ल्ड सोशल फोरम का आयोजन करने से संगठनों के बीच एकजुटता पैदा होती है। *मूवमेंट* पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए मैंने कहा था :

> भारतवासियों ने हमारा शुक्रिया अदा किया है कि हमने उन्हें एक ऐसे अनुभव से गुजरने का मौका दिया जिसे वे ऐतिहासिक मानते हैं और जिसके तहत उन्होंने विविधता कायम रखते हुए एक-दूसरे के साथ काम किया। हमें लगता है कि निश्चित रूप से धरती पर दूसरी जगहों पर भी ऐसा हो सकता है। अगर अफ्रीका में ऐसा हो सकता है तो मध्य-पूर्व और यहाँ तक कि पूर्वी यूरोप में क्यों नहीं हो सकता? शर्त केवल यह है कि फोरम के उसूलों का अनुपालन किया जाए और सत्ता के लिए किसी जद्दोजहद में पड़े बिना फोरम के आयोजन की तैयारियाँ की जाएँ।

इस सिलसिले में ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्ल्ड सोशल फोरमों का आयोजन अन्य परंपरागत फोरमों, जैसे कि दावोस में होने वाला वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, के आयोजन से एकदम अलग तरह की प्रक्रिया है। दावोस के फोरम के मुकाबले हमारा आयोजन तो प्रति-फोरम की भूमिका निभाता है।

दावोस जैसे फोरम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर करने का फैसला शीर्ष पर बैठे लोगों द्वारा लिया जाता है और उनके पीछे फोरम के हितों, प्राथमिकताओं, बाजार के अध्ययनों और आयोजन करने के लिए उपलब्ध कोष के तर्क होते हैं। इसके विपरीत सोशल फोरम क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर पर करने का फैसला निचले स्तर पर सक्रिय नागरिक समाज

के संगठनों द्वारा किया जाता है। फोरम-आयोजन के लिए कोई जगह चुनना कई बातों पर निर्भर करता है, पर सबसे ज्यादा अहम शर्त यह है कि वहाँ लोकतांत्रिक संरचनाएँ पर्याप्त रूप से सघन हों और नव-उदारतावाद के खिलाफ सामाजिक आंदोलन और संगठनों की सक्रियता होनी चाहिए। वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजकों द्वारा नियंत्रित किसी केंद्रीय स्रोत से धन माँगने के बजाय आयोजन के लिए कोष का बंदोबस्त करना इन्हीं संगठनों की जिम्मेदारी होती है। इस प्रक्रिया से इन संगठनों के आपसी रिश्ते और सघन होते हैं एवं कार्यक्रमों का नियोजन करने के उनके तौर-तरीकों की गुणवत्ता में सुधार आता है। खास तौर से तब जब इस संगठनों को एहसास होता है कि ऐसा आयोजन करके वे सारी दुनिया के नागरिक समाज का हित साधन कर रहे हैं।

अभी तक स्थिति यह है कि अभी तक सभी संगठनों के 'प्रतिनिधियों' की दुनिया के पैमाने पर आपसी मुलाकात कराने वाले कुछ आयोजन ही सम्पन्न हो पाए हैं। मल्लोकरा स्थानीय सोशल फोरम के आयोजकों को मैंने एक संदेश भेजा था ताकि वे अपने तीसरे फोरम की तैयारी हेतु किए जा रहे एक प्रकाशन में उसका इस्तेमाल भूमिका के तौर पर कर सकें। इसमें मैंने कहा था :

> ऐसा कोई तरीका नहीं है कि विश्वस्तर पर होने वाले फोरम, या महाद्वीपीय या राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले फोरम, साल में कम से कम एक बार ही सही, विभिन्न स्तरों पर संघर्ष में जुटे लोगों को एक मंच पर ला सकें। संगठनों की तरफ से तो इन फोरमों में केवल कुछ प्रतिनिधि ही भेजे जा सकते हैं। जाहिर है कि अन्य सदस्यों के ऊपर इन प्रतिनिधियों के लिए यह एक विशेष सुविधा जैसी ही होगी। विश्व स्तर पर तो यह सीमा और बढ़ जाती है। आयोजन स्थल से संगठन जितनी दूर होगा, ज्यादा लोगों के उसमें भाग लेने की संभावना और भी कम हो जाएगी।

इस सिलसिले में कुछ विकृतियाँ पैदा होने का अंदेशा भी रहता है। *मेसेजिस* पत्रिका ने इसी से संबंधित एक सवाल पूछा था : क्या इस प्रक्रिया से कुछ व्यक्तियों को सोशल फोरमों में भाग लेने वाले कुछ 'पेशेवर' सहभागी बनने का मौका नहीं मिल जाएगा? क्या वे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच फोरमों में शिरकत करते नहीं घूमेंगे? इस पर मेरा जवाब था कि हाँ, ऐसा जोखिम हो सकता है। बड़े-बड़े फोरमों में केवल वही लोग जा पाएँगे जो यात्राएँ कर सकते हैं, और उनका खर्चा उठा सकते हैं। यही पहलू ध्यान में रख कर मैंने मल्लोकरा के आयोजकों को भेजे संदेश में लिखा था :

> मध्यावधि तौर पर इसका नुकसानदेह असर होगा। पहला जोखिम तो यह हो सकता है कि हर बार फोरम में सहभागिता के लिए आने वाले प्रतिनिधि और नुमाइंदे एक से ही होंगे।

जो लोग एक बार फोरम में मिल चुके हैं, वे ही हर बार मिलेंगे और अपने कामकाज का मूल्यांकन करेंगे, उसे और सघन बनाएँगे। दूसरे आयोजनों में भी वे ऐसा कर सकते हैं, पर फोरम हमेशा ही इसके लिए बेहतर मौका देता है। इस तरह बीच-बीच में मिलते रहने वाले नेताओं का एक क्लब जैसा बन जाएगा। दूसरी तरफ उनके संगठनों के अन्य कार्यकर्ता फोरम के अनुभव से वंचित रह कर अपने पुराने राजनीतिक तौर-तरीकों से चिपके रहेंगे। उनमें आपसी पूर्वग्रहों के कारण फूट पड़ी रहेगी। संगठन पर अपनी-अपनी चौधराहट थोपने की होड़ होती रहेगी। इसका नतीजा यह होगा कि फोरम के प्रस्ताव संगठनों के दूसरे स्तरों पर जरूरी मान्यता कभी प्राप्त नहीं कर पाएँगे। इस विकृति के गर्भ से एक और विकृति निकलेगी और स्थानीय फोरमों में नेताओं के 'क्लब' के दोयम दर्जे पर ऐसे सहभागियों का बहुत बड़ा झुंड होगा जिसका काम केवल नेताओं के भाषण सुनना ही रह जाएगा। जिस तरह फोरमों में शिरकत करने वालों की संख्यात्मक सीमा का कोई इलाज नहीं है, इसी तरह लगता है कि इस तरह का कोटिक्रम बनने से रोकने का भी कोई तरीका नहीं है।

जाहिर है कि विश्व स्तर पर होने वाले आयोजनों की यह एक सीमा है। लेकिन, हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनके दूसरे फायदे भी हैं। ऐसे फोरम अपने आयोजन स्थलों पर लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर जमा करते हैं। ब्राज़ील में इसका तजरुबा तीन बार और भारत में एक बार हो चुका है। इन देशों में सोशल फोरमों के आयोजन से वहाँ के संघर्षों पर काफी असर पड़ा है। *मेसेंजिस* पत्रिका के साथ भारत में बातचीत करते हुए मैंने कहा भी था : 'जिन 75,000 सहभागियों के आने की उम्मीद है, उनमें से केवल 10,000 ऐसे हैं जो भारतीय नहीं हैं। ब्राज़ील में भी नब्बे फीसदी सहभागी या ब्राज़ील से आए थे, या फिर पड़ोसी देशों से।'

फोरम में मेजबान देश (या क्षेत्र) के संगठनों की संख्या मेहमान देशों के सहभागियों के मुकाबले हमेशा ज्यादा होती है। आयोजन से प्रभावित होने वाले लोग संख्या में और भी ज्यादा होते हैं। मेजबान देश या उसके आस-पास के क्षेत्र में आयोजकों की गतिविधियों की वजह से यह संख्या दूनी-तिगुनी होती चली जाती है। सन् 2005 के वर्ल्ड सोशल फोरम के लिए गोलबंदी करने वाले ब्राज़ीलियन मोबिलाइजेशन कमीशन के शुरुआती परिपत्र में दिए गए इस विवरण से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है :

> भारत में हुए वर्ल्ड सोशल फोरम में आबादी के सबसे गरीब और उपेक्षित तबकों की संख्या सबसे ज्यादा थी। यह सहभागिता अनायास ही नहीं हो गई थी, बल्कि इसके पीछे गोलबंदी की जोरदार मुहिम काम कर रही थी। प्रत्येक भारतीय राज्य में पहले अलग-अलग फोरम किए गए थे, और उनमें अपने-अपने तरह की बहसें हुई थीं। चौथे वर्ल्ड सोशल फोरम की भारतीय आयोजन समिति के सदस्य, पेशे से डॉक्टर और राजनीतिक कार्यकर्ता अमित सेन गुप्ता के अनुसार, 'वर्ल्ड सोशल फोरम के लिए बसें भर-भर कर आने वाले जुझारू कार्यकर्ता तो उस संख्या का एक छोटा सा हिस्सा भर थे जो राज्य स्तरीय फोरमों में पहले ही फोरम के बारे में चर्चा कर चुकी थी।' जिन 70,000 भारतीयों ने वर्ल्ड सोशल फोरम में हिस्सा लिया था, उनमें से 20,000 पहले से ही स्थानीय और राज्य स्तरीय आयोजनों में शिरकत कर चुके थे। मुंबई में समापन के बाद सहभागी अपने राज्यों में आगे और चर्चा करने के लिए लौटे। 'मुंबई के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि फोरम-प्रक्रिया भारत के हर क्षेत्र में कैसे जारी रखी जाए।' भारतीय आयोजक सन् 2005 के आखिर में होने वाले एक भारतीय सोशल फोरम के लिए तैयारियाँ करते हुए इस सिलसिले को बनाए रखे हुए हैं। जिन राज्यों में स्थानीय फोरमों का आयोजन नहीं हो पाया था, वहाँ राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के जत्थों के प्रदर्शनों के जरिए आस-पास के इलाकों में फोरम का संदेश फैलाया गया। अमित सेन गुप्ता का ख्याल है कि ऐसी प्रचारात्मक कार्रवाई के लिए 'अखबार, वीडियो और रेडियो आदि बहुत अहम होते हैं, पर मानवीय उपस्थिति से बेहतर संचार का साधन कोई और नहीं हो सकता।'

मुंबई फोरम के ठीक पहले मैंने भी एक ई-पत्रिका *आरईटीएस* से बातचीत करते हुए कहा था :

> हमने देखा है कि भारतीय सहभागियों की जबरदस्त गोलबंदी हुई है। दलित आंदोलन और संगठन सारे देश में मुंबई सोशल फोरम में पहुँचने के लिए चार जगहों से मार्च का आयोजन कर रहे हैं।

मल्लोकरा फोरम के लिए भेजे गए संदेश में ही मैंने लिखा था :

> मेजबान देश या उसके आस-पास के इलाकों से आए सहभागियों को फोरम एक अहम मौका देता है कि वे अन्य देशों से आए संघर्षशील लोगों और संगठनों को जान सकें, और विविधता कायम रखते हुए परस्पर सीखने, आदान-प्रदान करने और नेटवर्किंग कर सकें।

इन्हीं सब बातों की रोशनी में मैंने *नोविया रिगाड्र्स* पत्रिका के एक सवाल का जवाब स्पष्ट हाँ में दिया था। इस पत्रिका का प्रश्न था कि 'यद्यपि चार्टर ऑव प्रिंसिपल्स सोशल फोरम को किसी निर्णयकारी प्रक्रिया की तरह लेने के खिलाफ है, पर क्या वर्ल्ड सोशल फोरम मेजबान देश में सामाजिक आंदोलनों का रास्ता सुगम बनाने की भूमिका अदा कर सकता है।'

(ब) जितने सोशल फोरम होंगे, जड़ें उतनी ही मजबूत होंगी!

स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा सोशल फोरम आयोजित करके इस प्रक्रिया की जड़ें

मजबूत करने का एक नतीजा यहाँ उल्लेखनीय है। दरअसल, स्थानीय फोरमों के कारण ग्रासरूट्स स्तर पर सामाजिक समूह अपनी स्वायत्तता कायम रखते हुए, अधिक स्थायित्व के साथ और 'नेताओं' की राजनीतिक इच्छा से स्वतंत्र हो कर फोरम द्वारा प्रस्तावित 'राजनीतिक संस्कृति' से गुजरने का मौका प्राप्त कर पाते हैं।

यह एक तथ्य है कि दूसरे वर्ल्ड सोशल फोरम के बाद से ही स्वयं को स्थानीय सोशल फोरम कहने वाले आयोजनों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। यह परिघटना स्थानीय ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी देखी जा सकती है। दरअसल, अलग-अलग विषयों पर फोरम करने का यह प्रोत्साहन पोर्टो अलेगरे में हुए पहले फोरम के बाद ब्राज़ीलियन आयोजन समिति द्वारा जारी किए गए 'सूचना नोट' (देखें, अध्याय 1:3, 'फोरम विश्वस्तर तक पहुँचना ही था') और इंटरनेशनल कौंसिल से मिला है। कौंसिल के कुछ सदस्य संगठनों ने तो अपने अनुयायियों को ऐसे फोरमों का आह्वान करने का बढ़ावा देने तक का फैसला कर लिया। फ्रांसीसी संगठन एटीटीएसी भी इनमें शामिल था।[2] वर्ल्ड सोशल फोरम एक विकसित होता हुआ और फैलता हुआ आंदोलन है, जिसमें रोज नए से नए फोरमों के आयोजन की खबर आती है।

लेकिन, साथ में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कई फोरम चार्टर के उसूलों पर चलने में नाकाम भी हो रहे हैं। खास कर वे फोरम को 'खुला स्पेस' बनाने की गारंटी नहीं कर पाते। पहली बात तो यह है कि फोरमों में भाग लेने के इच्छुक लोगों में से कुछ को ही फोरम के होने की जानकारी हो पाती है। फिर उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो आयोजकों को सहभागियों से अलग करने वाली दीवार लाँघ कर उनकी संकीर्णता या चालबाजियों की आलोचना कर पाते हैं। ऐसे मामलों में होता यह है कि दूसरे सक्रिय हो पाएँ, इससे पहले ही फोरम के रूप में राजनीतिक गोलबंदी के रूप का दोहन करने के लिए कुछ पार्टियाँ या कुछ खास तरह के समूह पूरी प्रक्रिया पर कब्जा कर लेते हैं।

कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें फोरम आयोजित करने के लिए बने समूह बाद में खुद को ही फोरम कहना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि वे खुद को आयोजक होने तक ही सीमित रखते। नतीजतन, ये आयोजक 'अपने' फोरमों के नाम पर उनके प्रवक्ता की तरह काम करने लगते हैं। उनका यह रवैया भी चार्टर के खिलाफ जाता है। ऐसा तब देखने में ज्यादा आता है जब विभिन्न फोरमों के आयोजक अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए मिलते हैं। इन बैठकों में शिरकत करने वाले अपना परिचय कुछ इस तरह देते हैं कि जैसे वे खुद ही सोशल फोरम हों, न कि उसके आयोजक मात्र। वे खुद को सोशल फोरम नामक किसी नए संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर पेश करते हैं। सांगठनिक दृष्टि से देखें तो यह

पुराना सांगठनिक रवैया ही है जिसके तहत स्वयं को संगठनों का स्वयंभू प्रतिनिधि बताने की आदत पड़ जाती है। इंटरनेशनल कौंसिल की बैठकों तक में यह प्रवृत्ति देखी गई है। वहाँ राष्ट्रीय फोरम खुद को इस तरह पेश करते हैं कि जैसे वे एक संगठन हों और कौंसिल में अपना प्रतिनिधि भेजना उनका अधिकार हो। बहरहाल, जब भी ऐसी संदिग्ध परिस्थिति पैदा होती है, कौंसिल के अन्य सदस्य उसका परिष्कार करने की कोशिश करते हैं।

इस प्रकार के कई फोरमों ने अंतिम उद्घोषणाएँ जारी करके भी चार्टर का उल्लंघन किया है। कुछ का रवैया फोरम आयोजित करने की पुरानी परंपराओं के मुताबिक ही निकला। उन्होंने आयोजकों द्वारा निर्धारित बैठकें, सभाएँ और सेमिनार वगैरह तो किए, पर स्व-आयोजित गतिविधियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी। फ्लोरेंस में हुए यूरोपीय सोशल फोरम में यह रवैया खुल कर नहीं अपनाया गया, पर कार्यक्रम आबंटित करते समय स्व-आयोजित गतिविधियों को पूरी अहमियत नहीं दी गई, और उन्हें दोयम दर्जे का समझा गया। कार्यक्रमों का स्थान और समय तय करते समय उन गतिविधियों को प्रमुखता दी गई जिनमें बड़े-बड़े नेता बोलने वाले थे। इस यूरोपीय फोरम के आयोजकों ने स्व-आयोजित गतिविधियों को एक तरह के बोझ की तरह देखा, एक ऐसी कीमत की तरह जो वर्ल्ड सोशल फोरम के मूल आयोजकों के विचारों के कारण चुकानी पड़ रही थी।[3]

एफएसई 2003 पुस्तक के एक लेख में मैंने टिप्पणी की थी :

> इन स्थानीय सोशल फोरमों के लिए जरूरी है कि वे वर्ल्ड सोशल फोरम का चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स पूरी तरह मानें। फोरम की कामयाबी का यही रहस्य है। जो नई राजनीतिक संस्कृति हम रचना चाहते हैं, उसकी दिशा में बढ़ने के लिए यही चार्टर हमारा तुरुप का इक्का है। अगर ये फोरम नेताओं के कब्जे वाले छोटे-छोटे स्थानीय संगठनों में बदल गए और बातें फोरम जैसी ही करते रहे तो वे खुद को बरबाद कर डालेंगे।

बहरहाल, स्थानीय फोरमों में निहित अकूत संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मल्लोकरा फोरम के लिए दिए गए संदेश में मैंने अपनी टिप्पणी का उपसंहार इस तरह किया :

> स्थानीय फोरमों के आयोजन के जरिए फोरम-प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने का मौका मिलता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जनसम्पर्क के लिए अपेक्षाकृत कम फासला तय करना पड़ता है। स्थानीय फोरमों की संख्या बढ़ने से होगा यह कि पहले से कहीं ज्यादा लोग और संगठन वर्ल्ड सोशल फोरम द्वारा प्रस्तावित राजनीतिक कार्रवाई का नया रूप समझने की तरफ बढ़ेंगे, उस रूप को जो क्षैतिज, बहुलवादी और स्वायत्त है।
>
> स्थानीय फोरमों में एक संभावना और छिपी है। इसका संबंध उस प्रक्रिया से है जिसका

उत्तरोत्तर विकास वर्ल्ड सोशल फोरमों के आयोजन के तहत किया जा रहा है। यह प्रक्रिया एक के बाद एक फोरम करते जाने और क्षेत्रीय व राष्ट्रीय फोरमों की संख्या बढ़ाने से परे जाती है। इसका मकसद यह है कि फोरम के दौरान हुई नेटवर्किंग आयोजन के पहले ही शुरू हो जाए और आयोजन के बाद भंग न हो।

फोरम निजी स्तर पर अन्योन्यक्रिया का मौका देता है जिसके कारण सामाजिक नेटवर्कों में मानवीय सार का समावेश होता है। इस प्रकार फोरम-प्रक्रिया संगठनों को जोड़ने के एक सिलसिले के तौर पर प्रगति का रास्ता खोलती है। फोरमों का मतलब है, और ज्यादा नेटवर्क, और ज्यादा स्थायी नेटवर्क। इस रास्ते पर चलने से फोरमों के बिना भी नेटवर्किंग की यह प्रक्रिया घटित होने लग सकती है।

स्थानीय स्तर पर स्थायी प्रकृति के नेटवर्क निकालना अपेक्षाकृत आसान लगता है। फोरमों का आयोजन इस प्रकार के प्रयासों को तेज शुरुआत दे सकता है, और फिर संगठनों का आपसी सम्पर्क अपने आप आगे बढ़ता रह सकता है। फोरम के जरिए परस्पर नजदीक आ चुके लोग उसके बाद जरूरत के मुताबिक अक्सर जल्दी-जल्दी मिलते रह सकते हैं। सूचनाओं के आदान-प्रदान और संयुक्त कार्रवाइयों के लिए एक सभी के लिए समान स्थायी स्पेस भी बनाया जा सकता है। कुछ स्थानीय फोरमों के आयोजकों ने तो ऐसा स्पेस बना ही लिया है। विविधता, बहुलता और स्वायत्तता का सदैव सम्मान करने वाले ऐसे स्पेस संयुक्त कार्रवाई करने, अनुभवों के आदान-प्रदान, परस्पर सहायता और समर्थन देने का सिलसिला बढ़ाएँगे और सुदृढ़ करेंगे। इस प्रकार फोरम-आयोजनों से मौजूदा गठजोड़ों को मजबूती मिलेगी और संघर्ष के नए मोर्चे खुलेंगे।

अगर ठीक से आयोजित किए जाएँ तो अंत:संबंधित नागरिक समाज की रचना की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। नीचे से ऊपर तक एक सघन सामाजिक बुनावट बन सकती है। हम एक मजबूत भूमंडलीय नागरिक समाज की कल्पना कर सकते हैं, बशर्ते हर देश में स्थानीय फोरमों की संख्या बढ़ती चली जाए और उन्हें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और विश्व फोरमों से विषय और कार्रवाई प्रस्तावों के संबंध में जोड़े रखा जाए।

इसी परिप्रेक्ष्य के तहत मैंने डब्ल्यूएसएफ, 2005 के लिए तैयार किए गए ब्राज़ीलियन मोबिलाइजेशन कमेटी के शुरुआती परिपत्र के लिए सुझाव दिया था :

> वर्ल्ड सोशल फोरम-प्रक्रिया की जड़ें गहरी करने की जिम्मेदारी डब्ल्यूएसएफ समर्थक समितियों को उठानी चाहिए, और इसके लिए सभी नगरों में जहाँ भी संभव हो स्थानीय सोशल फोरम आयोजित करने चाहिए। डब्ल्यूएसएफ के लिए गोलबंदी करना उस तजरुबे के लिए जरूरी है जो इस सहभागिता से प्राप्त होता है, इसलिए अधिक से अधिक स्थानीय सोशल फोरम करना अनिवार्य है ताकि अधिक से अधिक लोग इस तजरुबे से गुजर सकें।
>
> स्थानीय स्तर पर नए किस्म की राजनीतिक कार्रवाई का यह एक ऐसा अनुभव होगा

जिसके सूत्र अन्य स्तरों पर होने वाली उसी तरह की राजनीतिक कार्रवाई से जुड़े होंगे।

समझने की बात यह है कि स्थानीय सोशल फोरम की आयोजन समिति द्वारा उसके 'मालिक' होने का दावा नहीं किया जा सकता। फोरम आयोजित करके तो वह समिति अपने नगर और अड़ोस-पड़ोस के लोगों और संगठनों की सेवा भर कर रही है। फोरम आयोजन की 'गैर-निर्देशात्मकता' सुनिश्चित करने के लिए उसे वर्ल्ड सोशल फोरम में अपनायी गई आयोजन पद्धति का ही प्रयोग करते हुए 'स्व-आयोजित गतिविधियों' को उसका सबसे अहम हिस्सा बनाना होगा।

आयोजन समिति का गठन जितना संभव हो सके विविधता और बहुलता के साथ होना चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए कि उसके सदस्यों के राजनीतिक मत भिन्न प्रकार के हों, उनकी गतिविधियों की किस्म और दायरा भी अलग-अलग हो। अगर ऐसा होगा तभी विविधता और बहुलता के प्रति आदर के माहौल में उस समिति की अपनी गतिविधियाँ चल पाएँगी, और तभी वह समिति फोरम के आयोजन में इन आयामों की गारंटी कर पाएगी।

इस सिलसिले में वर्ल्ड सोशल फोरम में अपनाये गए सहमति आधारित फैसले करने का नियम अपनाना उचित होगा। यह भी याद रखना जरूरी होगा कि स्थानीय सोशल फोरमों को विचारात्मक नहीं होना चाहिए। इसलिए उनमें समापन पर कोई अंतिम दस्तावेज पास नहीं किया जाएगा।

स्थानीय फोरम किसी भी बड़े फोरम के मुकाबले ज्यादा लोगों को गोलबंद करने की संभावना से लैस होते हैं, और उनके कारण कहीं ज्यादा लोगों को दूसरी दुनिया के यूटोपिया में फिर से यकीन दिलाया जा सकता है।

कैटोलिना के सबादेल नगर में दिए गए एक व्याख्यान में मैंने कहा था :

> डब्ल्यूएसएफ की शुरुआत दुनिया के पैमाने पर नीचे से ऊपर की तरफ विभिन्न समाजों द्वारा रोजाना किए जाने वाले संघर्षों के आधार पर हुई थी। अब इस प्रक्रिया ने स्थानीय पैमाने पर भी ठोस हकीकत बनना शुरू कर दिया है। स्थानीय सोशल फोरमों में नए तौर-तरीकों के साथ नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं। ये तमाम आयोजन विविधता के आदर और क्षैतिज संबंधों पर आधारित हैं। इनका विकास समाज में अपनी जड़ें जमाने की तरफ किया जा सकता है।

सन् 2004 के *एजेंडा लेटिनो-अमेरिकाना* में मैने लिखा था : 'वर्ल्ड सोशल फोरम का चार्टर अपने हाथ में लेकर हर जगह स्थानीय सोशल फोरम आयोजित करने के जरिए सारी दुनिया में उम्मीद का यह नेटवर्क फैलाने के कार्यभार में हाथ बँटाने के लिए सभी लोग आमंत्रित हैं।'

4. पूरक सूचना

सन् 2005 के बाद क्या वर्ल्ड सोशल फोरम
पोर्टो अलेगरे में फिर कभी होगा?

जब से वर्कर्स पार्टी (पार्टिडो डॉस ट्राबल हेडोरस, यानी पीटी) पोर्टो अलेगरे में 16 साल तक प्रशासन चलाने के बाद मेयर का चुनाव हारी है, तभी से ब्राज़ील और दूसरी जगहों पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या वर्ल्ड सोशल फोरम इस शहर में दोबारा हो पाएगा? दरअसल, ऐसा कोई भी निर्णय करना आयोजकों के बुनियादी सोच के ही खिलाफ जाता है, क्योंकि फोरम नागरिक समाज के लिए की गई नागरिक समाज की ही एक पहल है। उसके आयोजन का फैसला सरकारों और पार्टियों से स्वतंत्र होना चाहिए।

जो भी हो, इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से देना जरूरी हो गया है। वजह यह है कि इन चुनावों से कुछ दिन पहले हुई कुछ घटनाओं के कारण कुछ शंकाएँ पैदा हो गई हैं।

मतदान के दूसरे चक्र से गुजरते हुए सर्वेक्षण आधारित भविष्यवाणियों का कहना था कि नगर प्रशासन के लिए चुनाव लड़ रहा पीटी का उम्मीदवार शायद पराजित हो जाए। नतीजा भी यही हुआ। राज्य की सरकार दो साल पहले ही दूसरी पार्टी के हाथों में जा चुकी थी। चुनाव की पूर्व संध्या पर ब्राज़ीलियन आयोजन समिति के कुछ सदस्यों को लगा कि उन्हें पीटी के उम्मीदवार के पक्ष में खुल कर आ जाना चाहिए। पूरी चर्चा किए बिना इन सदस्यों ने इस मकसद से एक नोट लिखा। इस नोट पर जो चाहे वह दस्तखत कर सकता था। इसे निजी हैसियत से या दस्तखत करने वाले की पार्टी की हैसियत से जारी किया जाना था। इस प्रस्तावित मसविदे में पीटी के हार जाने की सूरत में फोरम का आयोजन पोर्टो अलेगरे में न किए जाने की संभावना की तरफ इशारा किया गया था। इसे समिति के सदस्यों के बीच वितरित किया गया, पर इसके ऊपर पर्याप्त बहस नहीं हुई क्योंकि इस पर फटाफट निर्णय लिया जाना जरूरी था। इसके बाद नोट जारी कर दिया गया। चूँकि इस पर खुद को फोरम आयोजन समिति का सदस्य बताने वालों के भी दस्तखत थे, इसलिए यह उद्घोषणा अस्पष्टताओं में फँ स गई।

पोर्टो अलेगरे और पूरे ब्राज़ील में प्रेस का जो हिस्सा फोरम और पीटी के खिलाफ था, इस उद्घोषणा को ले उड़ा। उसने इसका जम कर इस्तेमाल किया क्योंकि इससे फोरम का यह दावा गलत साबित होता था कि वह राजनीतिक दलों से स्वतंत्र है। दूसरे नगरों में पीटी की सरकारें निर्वाचित हो चुकी थीं, और उनके सामने सन् 2005 को फोरम करने का प्रस्ताव रखा जा चुका था। इन्हीं सब कारणों से चुनाव के तुरंत बाद, न कि पहले, कौंसिल के सचिवालय और आयोजन समिति ने और गलतफहमियों के जोखिम से बचने के लिए एक

अधिकारिक वक्तव्य जारी किया। जाहिर है कि इस प्रकरण से सचिवालय में मतभेद पैदा हो गए थे, पर इसके कारण निर्णय प्रक्रिया के बारे में फिर से चर्चा करने का मौका भी मिला। इसमें कोई शक नहीं कि विवादास्पद नोट संगठनों में राजनीतिक कामकाज करने के पुराने तरीके की पैदाइश ही था। इस तरीके के मुताबिक बैठकों के अंत में अफरा-तफरी में कुछ इस तरह फैसले किए जाते हैं कि जैसे कि फैसला न हुआ तो गजब हो जाएगा। कहना न होगा कि इस वक्तव्य के ऊपर कोई सहमति नहीं थी। सहमति आधारित फैसलों के नियम पर अमल का तो कोई सवाल ही नहीं था। बहरहाल, इसी उसूल के आधार पर राजनीतिक संघर्ष हुआ। हालात से निबटने का तरीका तय करने के सवाल पर वीटो का इस्तेमाल किया गया। आपसी विश्वास को ठेस जरूर लगी, लेकिन पिछले पाँच सालों के सामूहिक प्रयास की संचित पूँजी (देखें, अध्याय 1:4, 'सहमति आधारित निर्णय के आग्रह से जुड़ी कठिनाइयाँ' और अध्याय 3:5, 'आयोजकों के बीच एकता का सवाल') के दम पर हम इस संकट से निकलने में कामयाब हो गए।

कौंसिल के सचिवालय और आयोजन समिति द्वारा जारी किया गया वक्तव्य इस प्रकार था :

व्याख्यात्मक नोट : डब्ल्यूएसएफ 2005
पोर्टो अलेगरे में ही आयोजित होगा!

वर्ल्ड सोशल फोरम की इंटरनेशनल कौंसिल और पाँचवीं आयोजन समिति आश्वस्त करती है कि दूसरी दुनिया की रचना के लिए संघर्ष और व्यवहार में लगे लोगों का अगला महामिलन 26 से 31 जनवरी, 2005 के बीच पोर्टो अलेगरे में ही होगा। स्वतंत्रता एक ऐसा आग्रह है जिस पर वर्ल्ड सोशल फोरम मजबूती से जमे रहने में कामयाब हुआ है और यही उसकी सफलता का एक कारण भी है। पोर्टो अलेगरे में हुए पहले आयोजन के चार साल के भीतर ही सोशल फोरमों ने एक नई राजनीति के तौर पर अपने कदम जमा लिए हैं और वह सारी दुनिया में फैल गई है। अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के अलावा महाद्वीपीय, विषयगत, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर भी फोरम आयोजित किए गए हैं। हजारों-हजार लोगों ने इसमें शिरकत की है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें इसमें कोई राजनीति दाँव-पेच नहीं दिखाई पड़ा। इन आयोजनों में उनके सहभागियों को दूसरी दुनिया की रचना से जुड़े तरह-तरह के अभियानों, संघर्षों, परियोजनाओं का बिना किसी को विशेष अहमियत दिए बिना आपस में साझा करने का मौका मिला। सन् 2005 के बाद तो आयोजन के लिए अपनायी जाने वाली नई पद्धति कहीं अधिक आदान-प्रदान एवं मुश्तरका

कार्रवाई प्रोत्साहित करेगी, लेकिन इस पद्धति का अनुपालन लोगों की मर्जी पर ही निर्भर होगा। राजनीतिक संघर्ष के ये नए तौर-तरीके हर समाज को अपना भविष्य खुद बनाने का अधिकार देते हैं। यह प्रवृत्ति पहले से चली आ रही संस्थाओं के उस चुके हुए रवैये के विपरीत है जिसकी छवि अब लोकतांत्रिक नहीं रह गई है, और समझा जाता है कि इसने वित्तीय बाजारों के सामने घुटने टेक दिए हैं और वह नागरिकों के मत की परवाह नहीं करती। पोर्टो अलेगरे में तीन वर्ल्ड सोशल फोरम होने के कारण यह शहर दूसरी दुनिया की रचना के मामले में एक संदर्भ बिंदु बन गया है। पिछले कई दशकों के सामाजिक संघर्षों से एक ऐसा समाज जन्मा है जो आलोचना, संगठन, अधिकार-चेतना और कठिनाइयों पर विजय पाने की इच्छा से लैस है। इसके अलावा, जनता ने भी वर्ल्ड सोशल फोरम का गर्मजोशी से स्वागत किया है। शहर के सिटी हाल और राज्य की सरकार ने भी उसके प्रति उत्साह और समर्थन जताया है। किसी दूसरी सरकार के चुन जाने का मतलब यह हरगिज नहीं हो सकता कि संघर्ष की यह परंपरा मिट जाएगी, न ही इससे वर्ल्ड सोशल फोरम और पोर्टो अलेगरे के बीच बना संबंध खत्म हो सकता है। हमें उम्मीद है कि नव-निर्वाचित लोग अपना आश्वासन पूरा करेंगे। दो साल पहले जब सन् 2005 में वर्ल्ड सोशल फोरम पोर्टो अलेगरे में करने का फैसला किया गया था, उस समय इंटरनेशनल कौंसिल ने डब्ल्यूएसएफ के जन्मस्थल रियो ग्रांडे डो सुल स्टेट के साथ अपने बिरादराना संबंधों के प्रति पुन: आश्वस्त किया था। अगली जनवरी में ही पोर्टो अलेगरे में ही बैठक करके वर्ल्ड सोशल फोरम के अगले आयोजनों की जगह भी इंटरनेशनल कौंसिल द्वारा बिना किसी राजनीतिक दल या सरकार के दबाव में आय तय की जाएगी। कौंसिल का यह एक स्थायी लक्ष्य है कि वर्ल्ड सोशल फोरम एक विश्वव्यापी प्रकरण में बदला जाए, और इसी के मुताबिक यह फैसला किया जा चुका है कि सन् 2007 का फोरम किसी अफ्रीकी देश में होगा। अब तीन महीने से भी कम समय रह गया है जब गुआइबा नदी के किनारे वैकल्पिक राजनीति के लिए संघर्षरत लोगों का एक और महामिलन सम्पन्न होगा।

साओ पाओ, 3 नवंबर 2005

डब्ल्यूएसएफ अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय

ब्राज़ीलियन आयोजन समिति

5. अंतिम दस्तावेज जारी करने का प्रलोभन

इस पुस्तक के दूसरे अध्याय के आखिर में मैंने समझाने की कोशिश की है कि फोरम कोई अंतिम दस्तावेज जारी करने के खिलाफ क्यों है और चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स में यह पाबंदी क्यों लगाई गई है। चूँकि यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण उसूल है इसलिए इस पर और विचार करते हुए उन मिसालों की चर्चा जरूरी है जिनसे पता लगता है कि चार्टर के इस प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए क्या-क्या किया गया।

मैं फिर से जोर दे कर कहना चाहता हूँ कि अगर फोरमों के आयोजनों के आखिर में उसके सहभागियों के नाम पर कोई अंतिम दस्तावेज जारी किया गया तो यह पूरी प्रक्रिया ही नष्ट हो जाएगी।

वर्ल्ड सोशल फोरम एक अलग तरह की प्रक्रिया है। वह आम तौर से होने वाली सभाओं, बैठकों और अन्य फोरमों से भिन्न है। इन आयोजनों के कर्ताधर्ता आम तौर पर मान कर चलते हैं कि आखिर में सारी बहस का सार-संकलन करने वाला एक दस्तावेज जारी करना अनिवार्य है ताकि व्यापक रूप से आयोजन में हुई चर्चा की जानकारी सभी को मिल सके।

वर्ल्ड सोशल फोरम द्वारा अपनाये गए 'कोई अंतिम दस्तावेज नहीं' जैसे उसूल ने मीडिया को सबसे ज्यादा परेशान किया है। जनता की निगाहों में फोरम को ना कुछ करार देने वाले समझते हैं कि किसी अंतिम दस्तावेज के न होने से वे यह साबित कर सकते हैं कि इस फोरम से कुछ नहीं निकलेगा और इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। फोरमों के आयोजन के बाद अखबार अक्सर सुर्खियाँ लगाते हैं कि 'बिना किसी अंतिम दस्तावेज के फोरम खत्म'। जैसे कि यह फोरम की नाकामी की निशानी हो, या उसके सहभागी इतने विभाजित हों कि कोई अंतिम दस्तावेज संभव ही न हो पाया हो। मीडिया की परेशानी और फोरम के इस बुनियादी नियम को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का एक सबब यह भी है कि उन्हें कोई ऐसा नेता नहीं दिखता जिसका वे फोरम के नाम पर इंटरव्यू ले सकें और जो फोरम के इरादों का प्रतिनिधित्व कर सके।

दूसरी तरफ, स्थापित व्यवस्था भी हैरान है कि एक बिल्कुल नए किस्म की ताकत उसे चुनौती दे रही है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे किसका मुकाबला करना है, किसका सिर काटना है ताकि प्रतिरोध कुचला जा सके। आम तौर पर होता है कि सत्ताधारियों पर दबाव पड़ते ही वे अपने प्रभुत्व के खिलाफ खड़े लोगों के 'प्रतिनिधियों' से मुलाकात करते हैं और समझौता वार्ता चलती है। व्यवस्था पिरामिड की भाँति होती है, और उसे अपने खिलाफ खड़ी पिरामिड जैसी संरचनाओं से ही निबटने का अभ्यास है। एक

पिरामिड का शीर्ष दूसरे पिरामिड के शीर्ष से बात करना पसंद करता है। इस तरह दोनों समझौते पर पहुँच जाते हैं, दबाव घट जाता है, दोनों पक्ष एक-दूसरे के लिए कुछ गुंजाइश छोड़ते हैं, और कुल मिला कर प्रभुत्व की संरचना जारी रहती है। बशर्ते, पिरामिड शीर्षों की इस शिखर वार्ता में किए गए फैसले पर दोनों पक्षों के उन लोगों की तरफ से कोई ऐतराज न आए जिनका प्रतिनिधित्व करने का दावा किया जाता है। लेकिन, अगर सामाजिक संघर्षों के दायरे में भी 'छापामार तौर-तरीके' अख्तियार किए जाएँ, तो यह बंदोबस्त अस्थिर हो जाता है, क्योंकि ये तौर-तरीके 'बहु-शीर्ष' सिद्धांत अपनाते हैं। किसी एक शीर्ष या किसी एक कमांडर को गिरफ्तार करके या खत्म करके पूरे संघर्ष को बिखेर देने में कामयाब हो जाने वाली अभ्यस्त व्यवस्था इस छापामार रवैये से परेशान हो जाती है।

हम पहले यह उल्लेख भी कर चुके हैं कि चार्टर के उसूलों के मुताबिक अंतिम दस्तावेज न जारी करने से उन लोगों को भी सबसे ज्यादा निराशा होती है जो फोरम को एक आंदोलन में बदलना चाहते हैं। वे पूछते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर हुई गोलबंदी बिना किसी ऐसे अंतिम दस्तावेज के कैसे खत्म हो सकती है जो सभी सहभागियों के लिए दिशा-निर्देश का काम करता हो? आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बिना किसी कार्रवाई योजना, बिना किसी हिदायत और बिना किसी नारे के वापस कैसे जाने दिया जा सकता है? ऐसे लोग पूछते हैं कि हमें मीडिया के आग्रह को क्यों नहीं मान लेना चाहिए और यह दावा क्यों नहीं करना चाहिए कि हम न केवल मजबूत हैं, बल्कि हमें इस ताकत का एहसास भी हो रहा है? हमें नव-उदारतावाद और पूँजी के प्रभुत्व के खिलाफ की जाने वाली गोलबंदी की अपनी योजनाओं का मुजाहिरा क्यों नहीं करना चाहिए? हमें फोरम में की गई चर्चाओं, आलोचनाओं, भर्त्सनाओं और विकल्प के प्रस्तावों को फक्र से बुलंद क्यों नहीं करना चाहिए?

दरअसल, ऐसा सोच रखने वाले तत्त्व ही उस 'एसेम्बली ऑफ सोशल मूवमेंट्स' के पीछे हैं जिसने पहले फोरम के आखिर में 'कार्रवाई के लिए आह्वान' जारी किया था (देखें, अध्याय 3:6, 'चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स : शंकाएँ और मुद्दे')। फोरम विश्व स्तर का हो, या फिर क्षेत्रीय स्तर का, यह एसेम्बली हर फोरम के बाद ऐसे आह्वान जारी करती जा रही है।[5] जुझारू कार्यकर्ताओं के छोटे या बड़े जमावड़े के बाद जारी किए जाने वाले ऐसे आह्वानों के तर्ज पर फोरम में शिरकत कर रहे कुछ बड़े संगठनों के नेताओं ने समझा कि फोरम की जबरदस्त कामयाबी तब तक श्रेयस्कर नहीं मानी जा सकती जब तक एक अंतिम आह्वान जारी न कर दिया जाए। उस समय कोई चार्टर भी नहीं था, जिसने बाद में इस तरह की संभावना की वैधता मानने से इनकार कर दिया। पहले फोरम में तो आयोजकों की

सिफारिशों की ही चली जिनके तहत पहले फोरम को गैर-विचारात्मक ही रखा गया।[6]

अगर देखा जाए तो चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स बहुलवादी अर्थों में 'अंतिम दस्तावेजों' के जारी करने पर पाबंदी नहीं लगाता। वह तो फोरम में शिरकत करने वाले सभी सहभागियों को प्रोत्साहित करता है कि वे अपने-अपने उन विकल्पों, ठोस कार्रवाई योजनाओं और नई पहलकदमियों को बुलंद करें जिनका उन्होंने फोरम में बनी आपसी समझ के आधार पर सूत्रीकरण किया है। चार्टर तो फोरम के आयोजकों पर जिम्मेदारी डालता है कि वे इन प्रस्तावों को जितना हो सके, उतना प्रचारित करें। इस प्रकार मीडिया की इच्छा पूरी करते हुए कोई एक अंतिम दस्तावेज जारी करने के बजाय फोरम कई अंतिम दस्तावेज जारी करता है। किसी एक विसर्जनवादी और सरलीकृत दस्तावेज[7] के मुकाबले इन दस्तावेजों से फोरम और नागरिक समाज की विविधता और दायरे का बेहतर प्रतिनिधित्व हो पाता है।

कुछ संगठनों की यह चिंता मुंबई फोरम के दौरान भी देखी जा सकती थी। वे चाहते थे कि यह फोरम किसी एक दस्तावेज के साथ ही खत्म होना चाहिए। इसी के मुताबिक 'एसेम्बली ऑव सोशल मूवमेंट्स' ने अमेरिकी हमले की पहली बरसी के मौके पर इराक युद्ध के खिलाफ विश्वव्यापी मुहिम का आह्वान करने वाला एक दस्तावेज लिख मारा और उसे फोरम के समापन समारोह में पढ़ने में कामयाबी भी हासिल कर ली। एक बड़ी समाचार एजेंसी ने इस पहलकदमी की खबर प्रसारित कर दी। नतीजा यह निकला कि बाद के दिनों में हुई इंटरनेशनल कौंसिल की बैठक को इन समापन समारोहों की प्रकृति पर विस्तार से चर्चा करनी पड़ी। यह जरूरी समझा गया कि इस तरह के समारोहों में किन्हीं खास प्रस्तावों को अहमियत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर अन्य प्रस्तावों के महत्त्व पर आँच आती है और फोरम प्रभुत्व के लिए होड़ की समस्या का शिकार हो जाता है और फूट का अंदेशा पैदा हो जाता है। यह साफ कर देना भी जरूरी समझा गया कि फोरम में शिरकत करने वाले किसी संगठन को चार्टर का उल्लंघन करते हुए 'डब्ल्यूएसएफ में अधिकृत निर्णयकारी संस्था' होने का दावा करने का अधिकार नहीं है। समाचार एजेंसी की खबर में ऐसा ही प्रसारित किया गया था।

इस पूरे प्रकरण में समझने लायक बात यह है कि किस तरह से एक विकृत कार्यप्रणाली ने प्रेस को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फोरम की प्रकृति के बारे में कम समझ रखने वाले पत्रकारों ने ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जो उसकी राजनीतिक विशेषता का उल्लंघन करती थीं और फोरम को उस दिशा में धकेलती थीं जहाँ वह अपनी भूमिका निभाने में विफलता के लिए अभिशप्त हो जाता। इस समाचार एजेंसी की रपट का शीर्षक ही डब्ल्यूएसएफ-2004 की बुनियादी प्रकृति के खिलाफ जाता था : 'इराक :

डब्ल्यूएसएफ द्वारा 20 अगस्त को दुनिया भर में प्रदर्शनों का आह्वान'। इस शीर्षक में साफ तौर से वर्ल्ड सोशल फोरम को एक संस्था के रूप में देखा गया था जो अपने जुझारू समर्थकों को निर्देश दे रही थी। खबर के तीन पैरे खास तौर से उल्लेखनीय थे :

'इस बुधवार को वर्ल्ड सोशल फोरम की निर्णयकारी संस्था एसेम्बली ऑफ सोशल मूवमेंट्स ने मुंबई फोरम के समापन समारोह के दौरान इराक युद्ध की बरसी पर 20 मार्च को 'सभी देशों में' प्रदर्शनों का आह्वान किया है।

जेनोआ फोरम के आयोजन के लिए जिम्मेदार और वर्ल्ड सोशल फोरम की इंटरनेशनल कौंसिल के सदस्य विट्टोरिओ एग्नोलेट्टो ने एलान किया है कि एसेम्बली ने अमेरिकन युद्ध विरोधियों की अपील के उत्तर में 20 मार्च को सारी दुनिया में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय किया है।

एसेम्बली ऑफ सोशल मूवमेंट्स वर्ल्ड सोशल फोरम की अधिकारिक निर्णयकारी संस्था है। वर्ल्ड सोशल फोरम कोई अंतिम दस्तावेज जारी नहीं करता।'

असलियत यह है कि वर्ल्ड सोशल फोरम एकदम अलग तरह के सिद्धांत पर काम करता है। उसका सिद्धांत नेटवर्किंग का सिद्धांत है जिसका आधार सह-उत्तरदायित्व, स्वायत्तता और अपने सदस्यों की स्वतंत्रता है। यह सिद्धांत उस रेडिकल लोकतांत्रिक समाज की संरचना के मुताबिक है जो हम सब मिल कर बनाना चाहते हैं। यह सिद्धांत प्रभुत्व के खिलाफ लड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम भी है, क्योंकि नेटवर्कों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। उसके सदस्य किसी भी जगह प्रकट और पुन: प्रगट हो सकते हैं।

6. इंटरनेशनल कौंसिल का इतिहास : पहचान और कार्यप्रणाली

वर्ल्ड सोशल फोरम की इंटरनेशनल कौंसिल फोरम-प्रक्रिया के भीतर पहचान और कार्यप्रणाली हासिल करने के अनंत संघर्ष में लगी हुई है। उसकी तलाश आज भी पूरी नहीं हुई है। उसके सदस्य अक्सर उसकी बैठकों से असंतुष्ट हो कर ही जाते हैं। कौंसिल अपनी कार्यावधि के विभिन्न चरणों में छोटी-बड़ी कठिनाइयों से घिरी रही है।[8] इस दिक्कत के बावजूद उसे एक ऐसी संस्था के रूप में देखा जाने लगा है जो पूरी प्रक्रिया की सेवा में लगी हुई है। चूँकि फोरम-प्रक्रिया गैर-निर्देशात्मक, क्षैतिज, लोकतांत्रिक और विविधता की स्वीकारोक्ति पर निर्भर है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि विभिन्न तौर-तरीकों और पद्धतियों की समीक्षा का एक स्थायी बंदोबस्त किया जाए। कौंसिल के कई सदस्यों का राजनीतिक जीवन पार्टियों में बीता है और वे वर्चस्व की जद्दोजहद के अभ्यस्त हैं। पार्टी-पॉलिटिक्स की

संस्कृति परस्पर अविश्वास और प्रतिद्वंद्विता को जन्म देती है। इसके परे जाना और प्रभावी सहयोग की संस्कृति से इसे प्रतिस्थापित करना आसान काम नहीं है।[9]

ब्राज़ीलियन आयोजन समिति पिछले पाँच सालों से लगातार काम कर रही है और उसे भी इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है (अध्याय 4:3 में पोर्टो अलेगरे में फोरम करने से संबंधित जानकारी देखें) और इन मुश्किलों की आज भी इति नहीं हुई है (देखें अध्याय 3:5, 'आयोजकों के बीच एकता का सवाल')। इस कमेटी की रचना कुल आठ संगठनों के 12 से 15 लोगों द्वारा हुई है। यही लोग बार-बार बैठकें करते हैं और साथ-साथ काम करते हुए कई तरह के काम निबटाते हैं।[10] कल्पना की जा सकती है कि इंटरनेशनल कौंसिल में क्या होता होगा, जहाँ सौ से ज्यादा लोग होते हैं, जो साल में एक-दो बार ही बैठक करते हैं और जिन पर अपने-अपने संगठन की भिन्न प्रक्रिया का प्रभाव होता है। इन बैठकों में अक्सर एक सदस्य दूसरे की खिंचाई करते हुए कहता नजर आता है कि 'इस तरह से काम किया तो बन चुकी दूसरी दुनिया!'

सबसे ज्यादा जिस नियम पर अमल पर दिक्कतें आती हैं वह है सहमति आधारित फैसलों का नियम। कौंसिल ने यह नियम ब्राज़ीलियन आयोजन समिति के तजरुबे के आधार पर स्वीकार किया था (देखें अध्याय 1:4, 'सहमति आधारित निर्णय के आग्रह से जुड़ी कठिनाइयाँ')। इस नियम को स्वीकार करने का एक कारण यह भी था कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं दिख रहा था।[11] फोरम की कार्यवाही जिस तरह चली है उससे साबित हो जाता है कि इस तरह के आयोजन के लिए सहमति आधारित निर्णय प्रक्रिया ही सबसे अनुकूल है। वैसे, सहमति कायम करने के लिए अक्सर बहुत लंबी बहस करनी पड़ती है जिसका जरूरी नहीं कि कोई नतीजा निकले ही। कौंसिल कई बार इस तरह की परिस्थिति से गुजर चुकी है। मसलन, जनवरी 2003 की बैठक में यह फैसला लेते समय भी ऐसा ही हुआ था कि सन् 2004 का फोरम भारत में किया जाए। दरअसल, आपसी संबंधों का यह अनुभव खास तरह का है जो लोकतांत्रिक समझे जाने वाले उस तरीके से अलग जाता जिसके तहत मतदान के जरिए बहुमत की इच्छा सर्वोपरि मान ली जाती है। यही कारण है कि कौंसिल की कार्यवाही में वोट के जरिए फैसला करने की संभावना बार-बार पैदा होती रहती है।

कौंसिल के कामकाज में दूसरी दिक्कत यह आती है कि उसे बार-बार नव-उदारतावाद के खिलाफ चलने वाले विश्वव्यापी आंदोलन की संचालन समिति में बदलने की कोशिश की जाती है। कई बार यह प्रस्ताव रखा जा चुका है कि कार्यवाही के संचालन या समन्वय के लिए एक संचालन समिति चुन ली जानी चाहिए। इसके पीछे मुख्य तर्क

हमेशा यह दिया जाता है कि छोटी कमेटी के लिए बैठकें करना और निर्णयों पर पहुँचना आसान होगा। लेकिन, अगर ऐसा हुआ तो इस संचालन समिति के सदस्य जल्दी ही फोरम के समन्वयकों की हैसियत प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार फोरम के एक बुनियादी उसूल का उल्लंघन हो जाएगा कि उसका कोई नेता, प्रवक्ता या प्रतिनिधि नहीं होगा। चूँकि इस तरह की कमेटी बनाने पर कभी कोई सहमति नहीं हो पाई इसलिए इसे स्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। पर, यह मानना पड़ेगा कि यह पुरानी दुनिया के ऑक्टोपस की ऐसी सूँड़ है जो बार-बार वर्ल्ड सोशल फोरम के स्पेस का अतिक्रमण करती रहती है।

वर्ल्ड सोशल फोरम की इंटरनेशलन कौंसिल का गठन प्रतिनिधित्व के किसी सुनिश्चित उसूल के बिना ही हुआ है। इसकी संरचना उसमें भाग लेने वाले देशों, क्षेत्रों और कार्रवाई के दायरों के लिहाज से संतुलित नहीं है। उसके सदस्य कौंसिल की इस खामी से वाकिफ है। साथ ही वे उसका सारी दुनिया में और सभी क्षेत्रों में शनै:-शनै: प्रसार भी करना चाहते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि कौंसिल के ऐसे प्रसार की कोई सीमा नहीं होगी। तब कौंसिल की बैठकें करना और संतोषजनक निर्णयप्रक्रिया चलाना और भी कठिन हो जाएगा। इसी समस्या को ध्यान में रख कर फैसला किया गया था कि केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ही कौंसिल का सदस्य बनाया जाए। लेकिन, इस फैसले की भी अपनी समस्याएँ थीं। दो साल तक सदस्यता के आवेदनों पर विचार स्थगित रहा, फिर अप्रैल, 2004 में पासिग्नानो, इटली में हुई बैठक में नए सदस्यों की भरती का फैसला हुआ।[12] कौंसिल के विस्तार की पद्धति और कसौटियों पर चर्चा आज भी जारी है।

इन तमाम दिक्कतों के साथ-साथ एक बड़ी परेशानी यह भी रहती है कि कौंसिल की बैठकों की कार्यवाही कैसे चलाई जाए। एक तो कौंसिल के सदस्यों की संख्या काफी है, दूसरे सदस्यों की समझ और संवेदनशीलता के बीच काफी फर्क है। बारसिलोना का बैठक में कौंसिल ने कुछ खास विषयों पर कार्यदल गठित करने का फैसला किया। इनमें एक कार्यदल को जिम्मेदारी कौंसिल की कार्यवाही चलाने की विधि बनाने का जिम्मा भी सौंपा गया।[14] इसी बैठक में यह भी तय किया गया कि ब्राज़ीलियन आयोजन समिति वर्ल्ड सोशल फोरम के सचिवालय की तरह भी काम करेगी।

कार्यवाही के नियम बनाने वाले कार्यदल ने पहले एक मसविदा तैयार किया जिस पर बैंकाक, थाइलैंड की बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में दिए गए सुझावों के मुताबिक कार्यदल ने मसविदे में संशोधन किए और इंटरनेट के जरिए सलाह-मशविरे का एक सिलसिला भी चलाया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। फिर फ्लोरेंस, इटली में हुई बैठक का भी कोई परिणाम नहीं हुआ, और न ही सन् 2003 के वर्ल्ड सोशल फोरम के पहले पोर्टो

अलेगरे में हुई बैठक का। छ: महीने बाद मियामी में हुई बैठक में फिर यही मुद्दा उठा।[15] इस बार सभी सदस्य यह काम खत्म करने के पक्के इरादे के साथ आए थे।

लेकिन, उस बैठक में यह बहस नई दिशा में चली गई। कौंसिल ने कार्यदल द्वारा रखा गया एक प्रस्ताव पास किया जिसके मुताबिक कार्यविधि संबंधी नियम न्यूनतम रखने का निर्णय हुआ ताकि कौंसिल के कामकाज को नौकरशाहाना रवैये से बचाया जा सके। इसके पीछे समझ यह थी कि फोरम-प्रक्रिया के विस्तार और गहनता के लिए काम कर रही संस्था के लिए किसी भी तरह का गैर-लचीला रवैया नुकसानदेह होगा। आखिरकार, कौंसिल खुद ही नए-नए रास्ते खोजने के तजरुबों से गुजर रही है।

बहरहाल, इस बैठक में पारित कार्यदल के मसविदे में एक नई बात भी शामिल की गई थी। सभी कौंसिल सदस्यों को छ: आयोगों में बाँट दिया गया जिसमें हर सदस्य को एक से ज्यादा आयोगों में काम करना था। इन आयोगों को कौंसिल के कामकाज के दौरान उठे मुद्दों को निबटाना था।[16] बाद में देखा गया कि काम का यह बंदोबस्त ज्यादा प्रभावी साबित हुआ और इसके कारण कौंसिल की असाधारण बैठकें बार-बार आहूत करने की जरूरत नहीं रह गई। ये आयोग कार्यदलों के मुकाबले काफी बड़े आकार के थे। ये अपने-अपने मुद्दे पर बैठकें करके काम निबटाने लगे।

कुछ आयोग अभी भी अपने काम करने का उचित तरीका टटोल रहे हैं, और कुछ ने कुशलता से काम शुरू कर दिया है। सक्रिय आयोगों में पद्धति और सारवस्तु आयोग के अलावा विषयवस्तु संबंधी आयोग भी शामिल है। सन् 2004 और 2005 के फोरमों की तैयारियों के लिए इन दोनों आयोगों को आपस में जोड़ दिया गया था। इन आयोगों में न होते हुए भी कई कौंसिल सदस्यों ने इनकी बैठकों में भाग लेने की दिलचस्पी दिखाई। वैसे भी इन बैठकों के दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं। पोर्टो अलेगरे में हुई बैठक का नजारा भी ऐसा ही था। यह बैठक सन् 2005 के वर्ल्ड सोशल फोरम की तैयारियों को और कसने के लिए बुलाई गई थी।[17] इसमें अस्सी लोगों ने भाग लिया जिनमें कौंसिल के सदस्य और ब्राज़ीलियन आयोजन समिति के कार्यदल के सदस्य भी शामिल थे।

यह है इंटरनेशनल कौंसिल का इतिहास, जिसकी रचना आज भी जारी है।

7. दावोस : पोर्टो अलेगरे

सन् 2002 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राज़ीलिया में एक व्याख्यान दिया था जिसके कुछ अंश इस प्रकार थे :

'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम का आयोजन एक प्रतीकात्मक क्षण था जब पूँजी के 'बड़े-बड़े

खिलाड़ियों' ने अपनी गतिविधियाँ एक जगह केंद्रित करनी शुरू कीं। स्कीइंग के लिए मशहूर दावोस, स्विट्जरलैंड की एक आरामगाह में पिछले तीस वर्ष से यह फोरम किया जाता है। एक बड़ी और कामयाब ईवेंट एजेंसी की पहलकदमी पर हुआ यह आयोजन दुनिया की बड़ी-बड़ी हस्तियों को एक जगह अनौपचारिक रूप से मिलने का अवसर प्रदान करता है। इसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था गठित करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, और न ही इसकी बैठकों में संयुक्त राष्ट्र या अन्य अधिकृत संस्थाओं की तरह बहुत गंभीर विचार-विमर्श होता है। यह एक मुक्त स्पेस की तरह है जिसका इस्तेमाल धंधे के फायदे के लिए भी किया जा सकता है। चूँकि आयोजन की लागत काफी थी, इसलिए आयोजक कंपनी ने इसमें शिरकत करके मेहमान हस्तियों को सुनने के इच्छुक लोगों से भारी-भरकम शुल्क वसूलने का फैसला किया। संक्षेप में कहें तो यह एक विराट आयोजन और व्यापार का एक ऐसा उत्तम अवसर साबित हुआ जिससे अन्य अवसरों के लिए रास्ता खुलता था। सारी दुनिया में पूँजी की प्रभुता के विस्तार और उसकी मजबूती के लिए यह फोरम महत्त्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि पूँजी के नियंताओं को इसमें शिरकत करने से प्रतिष्ठा ही नहीं मिली, बल्कि उनकी आपसी समझ भी गहन हुई।

'दावोस के फोरम ने पत्रकारों को भी बड़ी संख्या में आकर्षित किया, क्योंकि वहाँ ऐसे लोगों से साक्षात्कार करने का मौका था जिनसे मुलाकात करने में उन्हें अन्यथा महीनों लग जाते थे। यह फोरम जी-7 के देशों की बैठकों से अलग तरह का था। जी-7 में अमीर देशों की सरकारों के मुखिया शिखर वार्ता के जरिए निर्णय करते हैं। पर, दावोस का फोरम विश्व पूँजीवाद का शिखर सम्मेलन बन गया जैसे कि वहाँ दुनिया का भविष्य तय किया जाता हो। हालाँकि यह फोरम एक मुक्त स्पेस की तरह काम करता है, पर पत्रकार उसकी कार्यवाही इस तरह पेश करते हैं कि देखो, दुनिया के मालिक हमारे लिए क्या तय कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस फोरम के लिए गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक आंदोलनों के लिए भी हमेशा निमंत्रण भेजा जाता है, ताकि इस आयोजन को वैधता प्राप्त हो सके और आयोजक कह सकें कि वे जनता की बात भी सुनते हैं।

'इसी फोरम को देखते-देखते एक ब्राज़ीलियन के दिमाग में एक ऐसा सेमिनार करने का विचार आया जिसमें होने वाली चर्चा मनुष्य केंद्रित हो, न कि पूँजी केंद्रित। यह थी वर्ल्ड सोशल फोरम की शुरुआत। पूँजी की प्रभुता, जिसे आज हम नव-उदारतावाद कहते हैं, के खिलाफ संघर्ष कर रहे, प्रदर्शन कर रहे लोगों और ताकतों को एक जगह लाना इस फोरम का उद्देश्य था। इस आयोजन की प्रकृति भी दावोस के फोरम जैसी ही थी। अर्थात, यह भी गैर-विचारात्मक होना था। इसमें ऐसे लोग जमा होने थे जो वैकल्पिक दुनिया के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। इसमें ऐसी बातों पर विचार होना था कि वह दुनिया कैसी होगी जिस पर पूँजी की चौधराहट नहीं होगी, और जिस पर महाशक्तियों का वर्चस्व नहीं होगा।'

जाहिर है कि अपने इस व्याख्यान में मैंने अपने लेख 'वर्ल्ड सोशल फोरम : उद्गम और उद्देश्य' (देखें परिशिष्ट-2) के मुकाबले कुछ ज्यादा विस्तार से बताने की कोशिश की है कि वर्ल्ड सोशल फोरम का विचार कहाँ से आया।

सन् 2002 में ब्राज़ीलियन पत्रिका *फेमिलिया क्रस्टॉ* ने मुझसे पूछा था कि 'इकॉनॉमिक फोरम में शिरकत करने वाले पेरू के राष्ट्रपति अलेजांड्रो टोलेडो ने कहा है कि अगले साल दोनों फोरमों के बीच एक संवाद होना चाहिए। क्या आपके ख्याल से यह संभव है?' मेरा जवाब था :

> 'ये दोनों आयोजन अलग-अलग मकसदों के लिए किए जाते हैं। हम अपने फोरम में दुनिया का भविष्य तय नहीं करते, पर वे अपने फोरम में करते हैं। जरा सोचिए कि हम किसी साझा समझ पर कैसे पहुँच सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो उस प्रक्रिया में कौन पीछे हटेगा? हमारी आयोजन समिति तो केवल एक फेसिलिटेटर की भूमिका निभाती है। वह न तो नेतृत्व देती है, और न ही प्रक्रिया निर्देशित करती है। हमारे चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स के मुताबिक फोरम का कोई प्रवक्ता नहीं हो सकता। हमारे फोरम में भाग लेने वाला कोई भी संगठन दूसरे किसी भी फोरम में भाग लेने वाले किसी संगठन के साथ संवाद कर सकता है। लेकिन, ऐसी दो संस्थाओं का अस्तित्व नहीं है, जिनमें एक सामाजिक और एक आर्थिक हो और जिनके बीच संवाद हो सके। इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता।'

सन् 2002 में भी *फेम एट डिवेलपमेंट* नामक पत्रिका में छपे एक लेख में भी मैंने कहा था :

> दावोस फोरम के आयोजकों ने कई बार कोशिश की कि हमें एक ऐसे संबंध में खींच लिया जाए जिसके तहत दोनों फोरमों के बीच संवाद हो सके। इसके जरिए एक तरफ तो वे अपनी वैधता का नवीकरण करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वे हमारे आयोजन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। दरअसल, न तो इकॉनॉमिक फोरम के पास और न ही सोशल फोरम के पास आपसी वार्ता करने का जनादेश है।

सन् 2004 में इंटरनेट प्रकाशन *लॉस वेर्डेस जि एंडालूसिया* ने इसी से जुड़ा सवाल मेरे सामने रखा था : 'वर्ल्ड सोशल फोरम और दावोस के बीच क्या सूत्र है?' मेरा जवाब था :

> कोई सूत्र नहीं है। वे कई बार संवाद करने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन, यह नामुमकिन है। वे अपना आयोजन करते हैं, हम अपना। उनकी कोशिश है कि एक से सोच-विचार वाली दुनिया बनाई जाए जिसमें हर समस्या का हल बाजार के जरिए हो। जबकि हम दुनिया से कहते हैं कि असलियत ऐसी नहीं है और उनका यह दावा गलत है। देखना यह

है कि लोगों के दिल-दिमाग आखिर में कौन जीतता है।

पोर्टो अलेगरे-दावोस बहस 28 जनवरी, 2001 को पहले फोरम के दौरान टेलिकान्फ्रेंस के जरिए हुई थी। इसकी याद किसी को भूली नहीं है। बहस के आयोजकों के सामने पहली दिक्कत यह आई थी कि दोनों फोरमों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? दावोस की तरफ से हमें यह जानकारी मिली थी कि उनके फोरम का कोई 'प्रतिनिधि' नहीं होगा। हाँ, यह जरूर है कि उस फोरम के कुछ सहभागी बहस-स्थल पर आने के लिए तैयार थे। टेलिकान्फ्रेंस के जरिए बहस के लिए एक इवांजिलिकल चर्च जगह देने के लिए तैयार हो गया था। कुछ पत्रकारों ने इसके लिए पहलकदमी ली थी। पोर्टो अलेगरे की तरफ से बहस के आयोजकों ने उन पत्रकारों के साथ अपने मानकों के हिसाब से बहस में भाग लेने वालों का चुनाव किया। इसमें फोरम की आयोजन समिति का कोई हस्तक्षेप नहीं था। पोर्टो अलेगरे की तरफ से बहस में शिरकत करने का यह विशेष मौका पाने वालों की संख्या सौ से थोड़ी सी ही कम थी। ये लोग टेलिकान्फ्रेंस के लिए फोरम के आयोजन-स्थल यानी कैथोलिक यूनिवर्सिटी के एक कमरे में जमा हुए।

उस समय तक चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं बना था। अगर चार्टर होता तो दावोस के साथ किसी को बहस करने से रोका जा सकता था। यह अलग बात है कि इस बहस के तजरुबे के बाद ऐसी 'बहसें' दोबारा होने की नौबत नहीं आई, बावजूद इसके कि इसके आयोजकों द्वारा लगातार अनुरोध किया जाता रहा।

पहले फोरम में एक अप्रत्यक्ष संवाद जरूर हुआ था। फ्रांसीसी अखबार *लिबरेशन* ने आमने-सामने के पृष्ठों पर दो लेख छापे। इनमें दोनों आयोजनों के एक-एक सहभागी के अपने-अपने फोरमों में गुजारे गए दिनों का विवरण था। दावोस की तरफ से विवेंडी नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ ज्याँ-मेरी मेसियर का कार्यक्रम दिया गया था, और पोर्टो अलेगरे की तरफ से उसके एक आयोजक यानी मेरी व्यस्तता का विवरण था।[18] एक लेख बताता था कि ज्याँ-मेरी किस तरह एक छोटे से जेट विमान में शुक्रवार को दावोस पहुँचे। मंगलवार को न्यूयार्क लौटने तक उन्होंने एक व्याख्यान दिया और कई अच्छे व्यापारिक समझौते करने में कामयाब रहे।[19] मेरी व्यस्तताओं के विवरण से जाहिर था कि हम आयोजक पहले फोरम में शिरकत करने वालों की भीड़ से चकित हो कर उससे पैदा होने वाली समस्याओं को निबटाने में लगे रहे।

लिबरेशन ने मुंबई फोरम में यही कवायद फिर से की। भारत में उसने मेरा इंटरव्यू लिया और दावोस में इकॉनॉमिक फोरम के कार्यकारी चेयरमेन क्लॉस श्वाब से साक्षात्कार किया।[29] पत्रकारों ने हमसे सिलसिलेवार कई सवाल पूछे और हमारे

जबावों को अगल-बगल छापा।

इनमें एक सवाल वही था : दोनों फोरमों के बीच संवाद की संभावना का सवाल। इसका जवाब मैंने सीधे इनकार में दिया। मेरा तर्क वही था जिसका मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। मेरा कहना था : 'मुद्दा तो यह है कि दावोस में शिरकत करने वालों से बातचीत की जा सकती है या नहीं। उसके आयोजकों से क्या बातचीत करना, वह तो उनके लिए धंधा है।' श्वाब ने इस सवाल का जवाब काफी होशियारी से दिया, 'मुद्दा यह नहीं है कि दोनों फोरमों के बीच संवाद को संस्थागत रूप दिया जा सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सच्चा संवाद कैसे स्थापित किया जाए।' इससे जाहिर है कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, दुनिया की सभी समस्याओं को अकेले हल नहीं कर सकता।

हकीकत यह है कि सारी दुनिया में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संवाद स्थापित करने की कोशिशें कई तरफ से हो रही हैं। लेकिन, जहाँ तक इन दोनों फोरमों का सवाल है, पोर्टो अलेगरे और दावोस के बीच कोई संवाद स्थापित नहीं हो सकता।

8. प्रतिमानों में परिवर्तन का समय

प्रश्न : आज आपके द्वारा प्रस्तावित पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि परिवर्तन घटित होने लगा है?

उत्तर : एक अलग तरह की दुनिया कौन नहीं चाहता? आखिर आतंकवाद से कौन नहीं डरता? आतंकवाद के खतरे के खिलाफ कुछ सरकारों ने जो प्रतिक्रिया की है, उसके नतीजे के तौर पर आतंकवाद और तेजी से उभर रहा है। इन सरकारों द्वारा कुछ व्यक्तियों को निशाना बना कर उनकी हत्या करने की योजनाओं से कौन सहमत हो सकता है? अगर लोगों को लगने लगा है कि दूसरी दुनिया मुमकिन है, उसकी रचना आवश्यक है और उसमें अब कोई देर नहीं की जानी चाहिए, तो समझ लेना चाहिए कि हम लोग परिवर्तन की राह पर हैं। पर, यह राह लंबी है।

प्रश्न : फोरम के आप जैसे सहभागियों की निगाह में अगले कुछ सालों में आने वाला सबसे बड़ा खतरा क्या है?

उत्तर : सबसे बड़ा खतरा उस आशाहीनता में निहित है जो दूसरी दुनिया की संभावना के खिलाफ जाती है। यही है वह खतरा जो हमें निष्क्रिय कर देता है।

प्रश्न : अगर आपको उम्मीद का कोई संदेश देना हो, तो क्या संदेश देना पसंद करेंगे?

उत्तर : मैं कहूँगा कि उम्मीद का दामन मत छोड़ो। जहाँ भी हो सके अपने साधनों की

मदद से अपने स्तर पर कार्रवाई में हिस्सा लो। अपनी कार्रवाई को जितना हो सके दूसरों से जोड़ना कभी मत भूलो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिवर्तन के लिए किए जा रहे संघर्ष से जोड़ो।

(फ्रांसीसी पत्रिका *क्लार्क* को दिए गए एक इंटरव्यू का अंश)

* * *

मुंबई में हुए चौथे वर्ल्ड सोशल फोरम में हिस्सा लेते हुए साओ पाओ की पत्रिका *डीआर!* ने मुझसे पूछा था : 'इस तरह के आयोजन में आपको सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करने वाली बात क्या लगती है?' मेरा जवाब था : 'इस आयोजन की खास बात है इसका खुशनुमापन। इससे लगता है कि उम्मीद अभी मरी नहीं है। इसी से फ्रांसीसी कवि पेगी का वह कथन भी चरितार्थ होता है कि ईश्वर को भी हैरान कर देने वाली उम्मीद असल में एक छोटी सी लड़की है जो किसी की परवाह नहीं करती, पर जो अमर है।'

* * *

सब कुछ समय की बात है। क्या वास्तव में वह घड़ी आ गई है जब राजनीतिक कार्रवाई के प्रतिमान बदल जाएँगे? क्या वर्ल्ड सोशल फोरम में वही प्रक्रिया चल रही है?

ध्यान रखिए, परिस्थिति के पूरी तरह गलत आकलन का खतरा हमेशा बना हुआ है। अपनी कुल्हाड़ी से ही अपना पैर काटा जा सकता है। लालच में आ कर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की गरदन मरोड़ी जा सकती है।

तीसरे अध्याय के नवें हिस्से में 'काम करने के नए-नए तरीकों की ओर' शीर्षक के तहत उस वर्कशॉप का जिक्र है जिसमें फोरम के भविष्य के बारे में प्रतिलोम पद्धति का इस्तेमाल करते हुए कुछ मजाकिया ढंग से सत्य तक पहुँचने की कोशिश की गई है। इस वर्कशॉप से इशारा मिलता है कि प्रतिमान परिवर्तन की यह प्रक्रिया विफल होने से कैसे बचाई जा सकती है :

> चूँकि महाद्वीपीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर होने वाले अन्य फोरम अपने ही कारणों से नाकाम हो जाते हैं इसलिए भविष्य की दुनिया बनाने में नाकामी के लिए हमें अपने प्रयासों पर भरोसा करना होगा। जाहिर है कि हम क्यों न बहुलवाद, सृजनात्मकता, राजनीतिक पार्टियों से स्वायत्तता, पारदर्शिता और सहअस्तित्व की भावना के आधार पर आयोजित किए जाने वाले लोकतांत्रिक फोरम विफल बनाने में जुट जाएँ। हालाँकि, यह काम थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि पहले तीन वर्ल्ड सोशल फोरमों की उपलब्धियाँ काफी संचित हो गई हैं। लेकिन, अगर हम नियोजित रूप से इनका बेजा इस्तेमाल करना जारी रखें तो सारी उम्मीद झुठलाते हुए भविष्य में फोरम की प्रक्रिया नाकाम करने में कामयाब हो सकते हैं।

सन् 1968 के संघर्षों से पैदा हुआ ख्याल बहुत से देशों की जनता के लिए पिछले तीस साल से प्रेरणा का स्रोत रहा है। राजनीतिक कार्रवाई आयोजित करने के नए-नए तरीके खोजे जाते रहे हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि साथ-साथ मिल कर काम करने वाले समूहों द्वारा किए क्षैतिज सांगठनिक संरचना के सामाजिक आंदोलन भी इनमें से एक थे (देखें, परिशिष्ट-8 : 'स्थापित व्यवस्था के खिलाफ नागरिकों विद्रोह')।

वर्ल्ड सोशल फोरम का उदय एक ऐसे समय में हुआ है जब राजनीतिक कार्रवाई के पारंपरिक औजार अपर्याप्त साबित हो चुके हैं और उस अपर्याप्तता के कारण हताशा और कुंठा पैदा हो रही है।

फोरम एक नई राजनीतिक संस्कृति रचना चाहता है। अगर उसके विरोधियों ने उसे नई राजनीति रचने से रोक दिया, तो फिर हमारे सामने मानने लायक एक ही सच्चाई रह जाएगी : जो हो रहा है, उसे होने दो।

संदर्भ और टिप्पणियाँ

1. फोरम 11 विषयगत क्षेत्रों में इस प्रकार बाँटा गया था :
   - धरती और जन-सम्पत्ति की संरक्षा की गारंटी : जिंसीकरण और बहुराष्ट्रीय नियंत्रण के विकल्प का विकल्प
   - संचार : प्रति-वर्चस्व के तौर-तरीके, अधिकार और विकल्प
   - विविधता, बहुलता और अस्मिताओं की रक्षा
   - एक न्यायपूर्ण और समतामूलक दुनिया के लिए मानवाधिकार और गरिमा
   - जनता के लिए और जनता द्वारा संप्रभु अर्थव्यवस्थाएँ : नव-उदारतावादी पूँजीवाद के खिलाफ
   - नैतिकताएँ, विश्वदृष्टियाँ और आध्यात्मिकताएँ : नई दुनिया के लिए प्रतिरोध और चुनौतियाँ
   - सामाजिक संघर्ष और लोकतांत्रिक विकल्प : नव-उदारतावादी प्रभुत्व के खिलाफ
   - युद्ध, मुक्त व्यापार और ऋण के खिलाफ शांति, असैन्यीकरण और संघर्ष
   - स्वायत्त चिंतन, एवं ज्ञान व प्रौद्योगिकियों का पुन: विनियोग और समाजीकरण
   - अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और जन-एकता की रचना

इन 11 विषयगत क्षेत्रों के आर-पार पाँच और क्षेत्र तय किए गए थे :

- सामाजिक मुक्ति और संघर्ष के राजनीतिक आयाम
- पितृसत्तात्मक पूँजीवाद के खिलाफ संघर्ष
- नस्लवाद और वंश आधारित वहिर्वेशन के अन्य रूपों के खिलाफ संघर्ष
- जेंडर
- विविधता

2. एटीटीएसी ने तो *फोरम्स सोशियाक्स लोकॉस : मोड डि एम्प्लाइ* शीर्षक से एक प्रकाशन तक जारी कर दिया था।
3. फोरमों के भीतर सत्ता और प्रभुत्व के पिरामिड खड़े करने की प्रवृत्ति का ही नतीजा था कि एक राष्ट्रीय फोरम ने तो अपना एक 'अध्यक्ष' तक चुन लिया था।
4. उदाहरण के लिए, वर्ल्ड सोशल फोरम के समांतर किए जाने वाले स्थानीय अधिकारियों और सांसदों के सभी फोरमों ने अंतिम उद्घोषणाएँ जारी कीं। पोर्टो अलेगरे के पहले वर्ल्ड सोशल फोरम के अंत में हुआ एक प्रकरण इस सिलसिले में उल्लेखनीय है। दोपहर के भोजन पर सांगठनिक मसलों के बारे में होने वाली एक बैठक में शहर के मेयर टार्सो जेनरो ने आयोजकों को सूचना दी कि उसी दिन स्थानीय अधिकारियों के एक फोरम द्वारा 'पोर्टो अलेगरे की उद्घोषणा' जारी की जाने वाली है। यह फोरम शहर प्रशासन ने प्रायोजित किया था। इस प्रकार की उद्घोषणा से काफी गलतफहमी फैल सकती थी, क्योंकि इसे फोरम के सहभागियों की उद्घोषणा समझा जा सकता था जबकि वर्ल्ड सोशल फोरम किसी भी तरह की अंतिम उद्घोषणा जारी करने के खिलाफ था। इसी अंदेशे से चौकन्ने हो कर मेयर ने अपने साथियों से कहा कि वे इस उद्घोषणा की शीर्षक बदल कर 'पोर्टो अलेगरे में हुई स्थानीय अधिकारियों की बैठक द्वारा जारी कई गई उद्घोषणा' कर ।
5. इन आह्वानों का पूरा पाठ बर्नार्ड कैसेन की पुस्तक *टाउट ए कमेंसे ए पोर्टो अलेगरे* देखें।
6. इस पुस्तक के परिशिष्ट-2 में 'वर्ल्ड सोशल फोरम : उद्गम और उद्देश्य' देखें।
7. 25 से 30 जुलाई, 2004 के बीच क्विटा, इक्वेडोर में अमेरिकी फोरम हुआ। फोरम की विविधता पर हुई एक संगोष्ठी में मैंने भी हिस्सा लिया। वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि देशज लोगों के दूसरे महाद्वीपीय शिखर सम्मेलन में जारी करने के लिए जिस अंतिम दस्तावेज पर गौर किया गया वह साठ पृष्ठ लंबा था क्योंकि उसमें सभी सहभागियों की बातें जोड़नी पड़ी थीं।
8. इनमें से एक कठिनाई तो उन शंकाओं से जुड़ी थी जो कौंसिल की बैठक की तैयारी करते समय ब्राज़ीलियन आयोजन समिति के 'असली इरादों' के संबंध में बार-बार उठाई जाती थीं। कुछ लोग यह मान कर चल रहे थे कि यह कमेटी (जो अब वर्ल्ड सोशल फोरम के सचिवालय में बदल गई है) फोरम की पूरी प्रक्रिया अपने अँगूठे तले रखना चाहती है। इन गलतफहमियों पर

पार पाना इसलिए संभव हो सका कि कई ऐसे कौंसिल सदस्य भी थे जो मानते थे कि यह सचिवालय ही फोरम की मूल समझ धरती पर उतार कर उसे निरंतरता देने में सक्षम है।

9. इन परिवर्तनों के बारे में जानने के लिए देखें, वर्कशॉप 'होड़ और सत्ता के रवैये पर पार पाने की कोशिश' का अनुभव। यह वर्कशॉप सन् 2003 के वर्ल्ड सोशल फोरम में हुआ था। देखें, अध्याय 3:9 'नए ढंग से काम करने के तरीकों की ओर'। अध्याय 3:4 भी देखें, 'आयोजकों के बीच एकता कायम करने का सवाल'।
10. सन् 2005 के फोरम के लिए तैयारी करते समय ब्राज़ीलियन आयोजन कमेटी के सदस्यों की संख्या बढ़ गई जिससे ये कठिनाइयाँ दोबारा परेशान करने लगीं। चूँकि इस वर्ल्ड सोशल फोरम के पोर्टो अलेगरे में आयोजन की जिम्मेदारी बहुत विकट थी, इसलिए 22 संगठनों को समिति का सदस्य बनाना पड़ा। ये 14 नए सदस्य उन ब्राज़ीलियन संगठनों से लिए गए थे जो इंटरनेशनल कौंसिल के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हिस्से थे।
11. सहमति आधारित निर्णय प्रक्रिया वोट के आधार पर फैसले लेने की प्रचलित प्रक्रिया से एकदम अलग होती है। मतदान आधारित प्रक्रिया कई बातों पर आधारित होती है। जैसे, गठजोड़ बनाने और वोटों की जुगाड़ करने की क्षमता, क्रियाविधि संबंधी नियमों पर महारत और उन्हें फटाफट कार्यान्वित करने की क्षमता। इन आधारों पर ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर हो सकता है कि सहभागियों को स्वाकार्य न हों। सहमति आधारित फैसलों में एक सहभागी अपना वीटो इस्तेमाल करके पूरी बहस रोक सकता है। जिनके पास ज्यादा ताकत होती है, वे आमतौर पर वीटो का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, बहस को नुकसान पहुँचाए बिना वीटो का इस्तेमाल करने के लिए पारदर्शिता की जरूरत पड़ती है और असहमति के बावजूद वे फैसले स्वीकार करने पड़ते हैं जिन्हें कुल मिला कर लाभदायक माना जा सकता है।
12. आज इसमें 131 संगठन हैं।
13. 18 से 30 अप्रैल, 2002 के बीच बारसिलोना में कौंसिल की बैठक हुई।
14. इसमें तीन कार्यदल गठित किए गए : संचार संबंधी कार्यदल, इंटरनेशनल कौंसिल की सदस्यता के लिए नियम और मानक बनाने के लिए कार्यदल, और पद्धति व विषय संबंधी कार्यदल।
15. कौंसिल की बैठक बैंकाक में 13-15 अगस्त, 2002 को, फ्लोरेंस में 11-12 नवंबर, 2002 को सम्पन्न हुई। कौंसिल की छठी बैठक पोर्टो अलेगरे में 21-22 जनवरी, 2003 को हुई। मियामी बैठक की तारीख 23-26 जून, 2003 थी।
16. मियामी की बैठक में गठित किए गए कौंसिल के आयोग थे : रणनीति संबंधी आयोग, सारवस्तु संबंधी आयोग, पद्धति संबंधी आयोग, विस्तार संबंधी आयोग, संचार संबंधी और वित्त संबंधी आयोग।

17. पोर्टो अलेगरे में 13-15 नवंबर, 2004 को पद्धति, सार और विषयवस्तु संबंधी आयोगों की बैठक हुई।
18. *लिबरेशन* में ये दोनों लेख 1 फरवरी, 2001 को प्रकाशित हुए।
19. दिलचस्प बात यह है कि विवेंडी के इस सीईओ का उपनाम पहले जे2एम था, जो बाद में जे4एम हो गया जिसका मतलब था : ज्याँ-मेरी मेसियर, लॉर्ड ऑव दि वर्ल्ड। लेकिन, 2003 में अपनी कंपनी के प्रबंधन में गड़बड़ी करने के आरोपों के तहत वे औकात पर आ गए और उन्हें इस जोरदार खिताब से हाथ धोना पड़ा।
20. ये इंटरव्यू *लिबरेशन* में 21 जनवरी, 2004 को प्रकाशित हुए थे।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

वर्ल्ड सोशल फोरम पर बहस के लिए नोट्स

ये नोट्स मार्च, 2003 में लिखे गए थे। इनका केंद्रीय विषय है 'वर्ल्ड सोशल फोरम : स्पेस या आंदोलन?' इसका प्रकाशन कई देशों में हो चुका है। विशेषकर फोरम के आयोजकों और डब्ल्यूएसएफ इंटरनेशल कौंसिल के सदस्यों के बीच इसका प्रसार खास तौर से हुआ है।[1] इस लेख में चर्चित विषय पर फिनलैंड के नेटवर्क इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल डेमोक्रेटाइजेशन (एनआईजीडी) ने सन् 2004 के मुंबई फोरम में एक सेमिनार भी किया था।[2] विषय का महत्त्व देखते हुए इसे पुस्तक के परिशिष्टों में पहला परिशिष्ट बनाया गया है। बाकी सभी परिशिष्ट अपने प्रकाशन की तारीख के क्रम में हैं। इस लेख में चर्चित अधिकतर मुद्दों पर पुस्तक में विचार किया जा चुका है। यह मुख्यत: फोरम के भविष्य से संबंधित शंकाओं पर गौर करता है।[3]

पोर्टो अलेगरे में सन् 2003 में हुए वर्ल्ड सोशल फोरम की कामयाबी और सन् 2002 के दौरान हुए इस प्रक्रिया के भूमंडलीकरण से इसकी निरंतरता के बारे में कई तरह के सवालों का जन्म हुआ है। कई तरह के मूल्यांकन किए जा चुके हैं जो विभिन्न दिशाओं की तरफ इशारा करते हैं। इसके साथ ही सन् 2003, 2004 और 2005 के आयोजनों के लिए तरह-तरह के नए प्रस्ताव भी पेश किए जा चुके हैं। दरअसल, फोरम के लिए यह एक सकारात्मक संकट है, जिसे हम विकास का संकट कह सकते हैं। यह संकट माँग करता है कि फोरम के चार्टर ऑव प्रिंसिपल्स ने जिन मुद्दों पर टिप्पणियाँ की हैं, उन पर एक गहरी निगाह डाली जाए। इससे पहले कि यह फोरम ठोस शक्ल ग्रहण करने की तरफ अंतिम रूप से बढ़ जाए, उसकी संभावनाएँ नष्ट होने से बचाने के लिए कुछ अस्पष्टताओं का निराकरण आवश्यक

है। डब्ल्यूएसएफ इंटरनेशनल कौंसिल की अगली बैठक जून, 2003 में होने वाली है। पिछली बैठकों के मुकाबले यह बेहतर तैयारी के साथ और ज्यादा लंबी भी होगी। इस बहस के लिए यह अच्छा मौका होगा।

यह लेख भी इसी बहस में योगदान करना चाहता है। इसके लिए वह तीन प्रश्नों के आसपास अपनी बात केंद्रित करेगा जो फोरम-प्रक्रिया की निरंतरता के लिए बुनियादी हैं :

1. फोरम को स्पेस समझा जाए या आंदोलन?

2. फोरम के आयोजन के दौरान सहभागियों द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों और आयोजकों द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों का सापेक्षिक महत्त्व और उनकी प्रकृति का प्रश्न?

3. फोरम आयोजित करने वाली समितियों की भूमिका क्या होनी चाहिए?

जैसे ही बाद के दो प्रश्नों के लिए चुने गए विकल्पों से भिन्न उत्तर निकलेंगे, वैसे ही पहले प्रश्न का अंतिम उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एक और, यानी चौथे प्रश्न पर भी गौर किया जाना चाहिए कि फोरम का राजनीतिक दलों से क्या संबंध हो। लेकिन, इन नोट्स में मैं पहले तीन विषयों पर ही चर्चा करूँगा।

फोरम : स्पेस या आंदोलन?

फोरम-प्रक्रिया आज जिस मुकाम तक पहुँच चुकी है, वहाँ यह सवाल बुनियादी और प्राथमिक महत्त्व का बन गया है कि फोरम को एक स्पेस के रूप में देखा जाए या आंदोलन के रूप में। इस सवाल को स्पष्टता से रखना जरूरी है, वरना जवाब भी ठीक से नहीं मिलेगा और साथ में नई समस्याएँ भी पैदा हो जाएँगी।

फोरम का चार्टर इसे स्पष्ट रूप से एक स्पेस की तरह परिभाषित करता है। इसके बावजूद हर किसी के सोच-विचार और कार्रवाई में फोरम का ख्याल सिर्फ एक स्पेस एक स्पेस के रूप में ही नहीं उभरता।

कई लोग इसे एक ऐसे स्पेस की तरह देखते हैं जिसमें कुछ-कुछ आंदोलन का तत्त्व भी है। यानी इन लोगों की निगाह में फोरम एक बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है और उसे बनना भी चाहिए। कुछ पत्रकारों ने तो उसे 'आंदोलनों के आंदोलन' का नाम तक दे दिया है। सारी दुनिया में युद्ध के खिलाफ किए गए 15 फरवरी के आह्वान की जबरदस्त कामयाबी को भी कई उत्साही साथी फोरम से जोड़ कर देखते हैं जिसके कारण फोरम को आंदोलन बनाने की जरूरत पर उन्हें और भी यकीन हो गया है। उन्हें लगता है कि अन्य सभी आंदोलनों की तरह फोरम को भी गोलबंदी के काम में लग जाना चाहिए।

सबसे पहले यह साफ होना चाहिए कि आंदोलन और स्पेस दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। बिना किसी सरलीकरण के यह कहा जा सकता है कि कोई संरचना या स्पेस हो सकती है या फिर आंदोलन। इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों का सहअस्तित्व संभव नहीं है। ये दोनों एक-दूसरे के खिलाफ भी नहीं होते यानी ये एक-दूसरे को बेअसर नहीं करते। यहाँ तक कि वे एक-दूसरे के साथी के रूप में भी काम कर सकते हैं। लेकिन, एक ही में दोनों का फायदा नहीं मिल सकता। यानी थोड़े-थोड़े दोनों नहीं हो सकते। ऐसा होगा तो या आंदोलन को नुकसान होगा या फिर स्पेस की हानि होगी। आंदोलन और स्पेस अपनी-अपनी अलग-अलग भूमिकाओं के साथ एक ही उद्देश्य के लिए भी काम करते रह सकते हैं। लेकिन, दोनों के काम करने का अपना तरीका अलग-अलग होता है और दोनों अलग-अलग विशिष्ट उद्देश्यों को लक्ष्य बनाते हैं।

इस तरह बहस का असली मुद्दा यह निकलता है : फोरम-प्रक्रिया के आगे बढ़ने के साथ अभी या आगे कभी क्या वर्ल्ड सोशल फोरम को एक आंदोलन में बदलना एक बेहतर रणनीति होगी? क्या इससे सभी सहभागियों को आपस में जोड़ कर नव-उदारतावाद की पराजय और 'एक दूसरी मुमकिन दुनिया' रचने के मकसद में कामयाबी मिल सकेगी? अथवा, क्या इसी प्रश्न को उलट कर यूँ भी कहा जा सकता है कि दूसरी दुनिया बनाने का मकसद हासिल करने के लिए फोरम-प्रक्रिया इस समय और अपने विकास के साथ-साथ उन स्पेसों पर भरोसा कर सकती है, जो वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजन द्वारा बनाए गए हैं?

जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे तो इस बारे में कोई संदेह ही नहीं है कि अगर यह प्रक्रिया जारी रखनी है तो फोरम को एक स्पेस के रूप में ही चलाते रहना होगा, और उसे न आज और न कभी एक आंदोलन में बदलने की गलती करने से बचते रहना होगा। अगर हमने इसे एक स्पेस के तौर पर बनाए रखा तो यह फोरम बहुत से आंदोलनों की रचना न रोकेगा और न ही उनके विकास में बाधा डालेगा। वह तो उनके लिए रास्ता साफ करता नजर आएगा। लेकिन, अगर हमने इसे एक आंदोलन में बदलने की कोशिश की, तो यह एक स्पेस नहीं रह जाएगा और स्पेस के रूप में इसकी सारी संभावनाएँ नष्ट हो जाएँगी।

इसके अलावा, अगर हमने इसे आंदोलन में बदला तो संघर्ष के एक ताकतवर औजार को खो देंगे और हमारी इस नाकामी की जिम्मेदारी हमारे दुश्मनों की भी नहीं होगी। यह एक ऐसा औजार है जो हमने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण राजनीतिक खोज के जरिए हासिल किया है। यह खोज है मुक्त और क्षैतिज अभिव्यक्ति की ताकत। पोर्टो अलेगरे की कामयाबी हो, या सिएटल की या फिर 15 फरवरी के युद्ध विरोधी आंदोलन की कामयाबी हो, सभी के

पीछे बुनियादी वजह यही खोज है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर क्षैतिज सामाजिक अभिव्यक्ति हमारे संघर्ष में इतना योगदान कर सकती है, तो अपनी वांछित दुनिया बनाने के लिए भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी।

फोरम फिलहाल एक स्पेस की तरह काम कर रहा है। मेरा यह यकीन इसी से प्राप्त अनुभव और फोरम को आंदोलन में बदलने के संभावित नतीजों के तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित है।

आंदोलन और स्पेस में फर्क क्या है?

आंदोलन की खास बात यह होती है कि वह लोगों को संघबद्ध करता है। वह अपने जुझारू समर्थकों को एक पार्टी के जुझारू समर्थकों की तरह कुछ खास उद्देश्यों की सामूहिक प्राप्ति के लिए संगठित करता है। उसकी रचना और वजूद के लिए जरूरी है कि रणनीतियाँ परिभाषित की जाएँ, कार्रवाई योजना बनाई जाए और उसके सदस्यों के बीच जिम्मेदारियों का बँटवारा हो जिनमें आंदोलन की दिशा से जुड़ी हुई जिम्मेदारियाँ भी शामिल होती हैं। यह सब काम कर सकने वाला ही आंदोलन के जुझारू सदस्यों का नेतृत्व करता है। चाहे निरंकुश तौर-तरीके अपनाए जाएँ या लोकतांत्रिक, यह नेता किसी न किसी प्रकार आंदोलन के संस्थापकों द्वारा दिए गए विचार के मुताबिक समर्थकों पर सामूहिक कार्रवाई का दायित्व डालता है। आंदोलन की सांगठनिक संरचना पिरामिड जैसी होनी लाजमी है, भले ही उसकी आंतरिक निर्णय प्रक्रिया कितनी भी लोकतांत्रिक क्यों न हो, और विभिन्न स्तरों पर उसका बंदोबस्त करने वाले पदाधिकारियों को चुनने के लिए कोई भी तरीका क्यों न अपनाया जाए। इस आंदोलन की सक्षमता हर हाल में उसके वांछित विशिष्ट उद्देश्यों की स्पष्टता और सटीकता पर निर्भर होगी। यह एक ऐसा आयाम है जो दिक् और काल में उसकी सीमाओं का निर्धारण कर देगा।

इसके उलट स्पेस का कोई नेता नहीं होता। वह तो केवल एक स्थान होता है, बुनियादी तौर पर क्षैतिज, पृथ्वी की सतह की तरह। हाँ, उसमें कुछ उतार-चढ़ाव जरूर हो सकते हैं। स्पेस एक ऐसे मैदान की तरह होता है जिसका कोई मालिक नहीं होता। अगर इस्तेमाल करने वालों के अलावा भी मैदान का कोई मालिक हुआ तो वह किसी की निजी जमीन में बदल जाएगा। वैसे, मैदान आमतौर पर ऐसे खुले क्षेत्र होते हैं जिनमें उन्हें इस्तेमाल करने में दिलचस्पी रखने वाला कोई भी व्यक्ति आ सकता है। यह उन स्क्वायरों की ही तरह होता है जो अपने दायरे में आने वालों को एक खास तरह की सेवा मुहैया कराते हैं। जितने ज्यादा दिन वे मैदानों की भाँति रहेंगे, उतना ही वे उन लोगों के लिए उपयोगी हो पाएँगे जो

उनका अलग-अलग मकसदों से इस्तेमाल करने आते हैं।

एक मैदान में भले ही पेड़ और छोटी-छोटी पहाड़ियाँ क्यों न हों, रहेगा वह एक स्पेस ही। अगर कोई पहाड़ियों और पेड़ों पर चढ़ जाए, तो भी उस मैदान में सक्रिय लोगों के कामों को ऊपर बैठ कर न तो पूरी तरह और न ही आंशिक रूप से नियंत्रित कर पाएगा। जो ऊपर चढ़ने वाला है उसे कम से कम मैदान में सक्रिय लोगों का उपहास तो झेलना ही पड़ेगा। अगर वह ज्यादा जिदबाजी पर उतर आएगा, या दिक्कतें पैदा करना शुरू कर देगा, तो अकेला पड़ जाएगा क्योंकि लोग मैदान छोड़ कर या तो चले जाएँगे या फिर 'सरकारी अधिकारियों' को बुला लाएँगे ताकि उसे ऊपर बैठ कर उपदेश वर्षा करने से रोका जा सके और वह शांति कायम की जा सके जो सार्वजिनक मैदानों की विशेषता होती है।

आंदोलन पैदा करने की क्षमता और स्पेस के रूप में फोरम

फोरम का चार्टर उसके भीतर किसी भी तरह की निर्देशात्मकता या नेतृत्व के सख्त खिलाफ है। उसके मुताबिक फोरम के नाम पर कोई नहीं बोल सकता। किसी स्पेस के नाम या उसके सहभागियों के नाम पर बोलने की तुक हो ही क्या सकती है। फोरम के सहभागियों के रूप में व्यक्तियों और संगठनों को अपनी बात आजादी के साथ कहने और कार्रवाई करने का पूरा हक होता है। फोरम के बाद भी वे अपने-अपने यकीन के मुताबिक काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उनके लिए फोरम के प्रस्तावों और मतों का पालन करना कतई जरूरी नहीं होता। कुल मिला कर वे जो भी करेंगे वह फोरम के नाम पर या उसके सभी सहभागियों के नाम पर तो नहीं ही होगा।

फोरम का चार्टर साफ करता है कि मैदान की ही तरह वह भी एक खुला स्पेस है। लेकिन, सार्वजनिक मैदानों की तरह वह एक तटस्थ स्पेस नहीं है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर फोरम का आयोजन एक खास उद्देश्य के लिए होता है : वह जितने हो सके उतने ज्यादा लोगों, संगठनों और आंदोलनों को नव-उदारतावाद के खिलाफ अपनी मर्जी से जमा होने का मौका देता है ताकि वे एक-दूसरे को सुन सकें, एक-दूसरे के अनुभवों और संघर्षों से सीख सकें, कार्रवाई योजनाओं पर विचार कर सकें, और कुल मिला कर इस प्रकार के नए नेटवर्कों और संगठनों में एक-दूसरे से जुड़ सकें जिनका मकसद बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों और वित्तीय हितों की चौधराहट में चल रही भूमंडलीकरण की मौजूदा प्रक्रिया को पराजित करना है। इस प्रकार फोरम एक ऐसा स्पेस है जो उसमें आए सभी लोगों के समान मकसद की प्राप्ति के लिए एक सार्वजनिक मैदान की तरह क्षैतिज सक्रियता रखता है, और जिसकी आंतरिक संरचना में न तो नेता होते हैं और न ही सत्ता के पिरामिड। फोरम में

शिरकत के लिए आए सभी लोग उसकी ये शर्तें स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। जाहिर है कि इस 'मैदान' में सक्रिय होने के लिए इसके चार्टर ऑव प्रिंसिपल्स से सहमत होना आवश्यक है।

दरअसल, फोरम 'विचारों के एक कारखाने' या विचारों के एक उद्‌भावन स्थल की तरह काम करता है। उसमें से बहुत सी नई पहलकदमियाँ निकलती हैं जिनमें उस दूसरी दुनिया की रचना की संभावनाएँ होती हैं जो हमारी सबकी निगाह में बनाई जा सकती है, जिसकी रचना आवश्यक है और जिसमें अब देर नहीं की जानी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि फोरम में से बहुत से बड़े या छोटे, कमोबेश जुझारू, अलग-अलग विशिष्ट उद्देश्यों से सम्पन्न और एक ऐसे समान संघर्ष में अपनी-अपनी भूमिकाएँ निभाने वाले आंदोलन निकलने चाहिए जिसे चलाना उस क्षैतिज स्पेस का प्रमुख लक्ष्य है।

फोरम-स्पेस की सबसे बड़ी संभावना यही है : ऐसे आंदोलन खड़े करना जो संघर्ष को कई गुना बढ़ा दें। इसके उलट, जब कोई आंदोलन आंदोलनों को जन्म देता है तो यह प्रक्रिया अनिच्छा से चलती है और आंतरिक टूट का परिणाम होती है। फोरम अगर आंदोलन बन गया तो ऐसा ही होगा।

आंदोलन के विपरीत फोरम-स्पेस से निकली नई पहलकदमियों में बहुत स्पष्टता नहीं होती। कुछ पहलकदमियाँ तो काफी-काफी अरसे तक पैदा होने की प्रक्रिया से गुजरती रहती हैं, उद्‌भावन स्थल के रूप में फोरम उनके अंडे सेता रहता है। इन प्रक्रियाओं को परिपक्व होने के लिए समय की दरकार होती है। समस्त मानवता से जुड़ कर एक दूसरी दुनिया बनाने के समान संघर्ष में लगी हुई ताकतों से फोरम विकास के अपने कम या ज्यादा स्तर के मुताबिक योगदान की उम्मीद करता है। इसके उलट आंदोलन में सहभागी एक-दूसरे से समान अपेक्षाएँ करते हैं।

अंतिम दस्तावेज जारी न करने के फायदे

फोरम का चार्टर 'अंतिम दस्तावेज' के सवाल पर इस परिप्रेक्ष्य की और भी दृढ़ता से पुष्टि करता है। हालाँकि 'अंतिम दस्तावेज' अधिकांशत: अतिसरलीकृत या संकीर्ण होते हैं, पर अगर ऐसा न भी हो तो भी फोरम अपनी प्रकृति के मुताबिक किसी अंतिम दस्तावेज की इजाजत नहीं देता। इसका मतलब यह नहीं है कि नव-उदारतावाद के खिलाफ संघर्ष के लिए जरूरी गोलबंदी करने के लिए प्रतिबद्धता में कोई कमी है। फोरम को आंदोलन में बदलने के लिए बेचैन ताकतें ऐसा नतीजा निकाल सकती हैं। हकीकत यह है कि 'मैदान' उद्‌घोषणाएँ नहीं करते। मैदान के भीतर सक्रिय लोग ऐसा नहीं कर सकते। वर्ल्ड सोशल

फोरम में शिरकत करने वाले अपने-अपने हिसाब से अंतिम उद्‌घोषणाएँ जारी कर सकते हैं, और उनका पूरा स्वागत है। लेकिन, वे फोरम की उद्‌घोषणाएँ नहीं होंगी। सबके लिए समान स्पेस के नाम पर ये उद्‌घोषणाएँ नहीं बोलेंगी। यह स्पेस बोलेगा, और बहुत ज्यादा बोलेगा, लेकिन अपने सहभागियों के मुख से। जब ज्यादा से ज्यादा लोग और संगठन नव-उदारतावाद की पराजय के तरीके ढूँढ़ने के लिए एक जगह जमा होंगे, तो यह अपने आप में एक काफी मुखर राजनीतिक हकीकत होगी। इसलिए फोरम के नाम पर किसी के बोलने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी।

फोरम में प्रस्तावित प्रत्येक दस्तावेज या उद्‌घोषणा उन लोगों की अभिव्यक्ति होगी जो हर तरह की आजादी के साथ बिना किसी दबाव या नियंत्रण के उसमें भाग लेंगे। इसीलिए फोरम का चार्टर साफ कर देता है कि किसी भी उद्‌घोषणा या प्रस्ताव को फोरम के सहभागियों द्वारा मतदान के जरिए या किसी ध्वनिमत के जरिए पारित नहीं किया जा सकता। उसे 'मैदान' में आने वाले सभी लोगों की अभिव्यक्ति करार नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा किया जाएगा तो कई लोग फोरम-स्पेस छोड़ कर चले जाने के लिए मजबूर हो जाएँगे। वे मैदान की बेतुकी पहाड़ियों और वृक्षों के शीर्ष पर बैठ कर संचालन करने की इच्छा रखने वाले नेताओं से असहमत हो जाएँगे, उन्हें अस्वीकार कर देंगे।

पोर्टो अलेगरे में हुए ताजे फोरम के ज्यादातर सहभागियों ने यह बात अच्छी तरह समझ ली, और इसीलिए किसी एक प्रस्ताव के बजाय 'सन् 2003 के फोरम में पारित किए गए कार्रवाई-प्रस्ताव' एक 'पैनल' के रूप में सामने आए। इन प्रस्तावों के जरिए न केवल हर एक को अपनी बात आजादी से कहने का मौका मिला, बल्कि जब इन प्रस्तावों या उद्‌घोषणाओं को अंतिम शक्ल दी गई तो इनमें सहभागियों की विविधता और वैचारिक समृद्धि व्यक्त हो रही थी। अगर कोई चाहे तो ये प्रस्ताव फोरम की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। लेकिन, इस वर्ष फोरम में रखे गए प्रस्ताव और सहभागियों के अन्य निर्णय वेबसाइट पर नहीं दिखाए जा सके, क्योंकि इस बार 'पैनल' का प्रकाशन खराब तरीके से किया गया था।

जो भी हो, इंटरनेट के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि प्रस्तावों के लेखकों से कैसे संपर्क किया जाए। इससे कुछ और परिप्रेक्ष्य खुलते हैं : नए संपर्कों और नए रिश्तों से फोरम के दौरान रखे गए प्रस्तावों के इर्द-गिर्द की जाने वाली अभिव्यक्तियों का विस्तार हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि फोरम का मैदान स्थायी रूप से खुल गया है, वह अपने दिक् और काल की सीमाओं से परे जा कर पोर्टो अलेगरे में हुए पाँच दिवसीय कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं रह गया है। ये संपर्क कई गुना बढ़ कर और अधिक ठोस कार्रवाइयों की तरफ

ले जा सकते हैं। इंटरनेट के कारण ये संभावनाएँ असीमित हो गई हैं। अन्य आयोजनों में बने 'प्रस्तावों के पैनल' के साथ भी ऐसा ही घटित हो सकता है।

लेकिन, फोरम-स्पेस के लाभों की सीमा केवल यहीं तक नहीं है।

विविधता

किसी भी आंदोलन के विपरीत एक खुले स्पेस के रूप में फोरम के भीतर विविधता का आदर सुनिश्चित करने की संभावनाएँ रहती हैं। चार्टर द्वारा स्वीकृत इस उसूल की अहमियत कहीं गहरी है। इसके पीछे बुनियादी यकीन यह है कि हम जो 'दूसरी दुनिया' मुमकिन करना चाहते हैं उसकी रचना विविधता के प्रति आदर के आधार पर ही हो सकती है।

इसी उसूल के परिणामस्वरूप फोरम सार्वजनिक मैदानों की तटस्थता का शिकार हुए बिना हर एक को आजादी के साथ अपना कार्यक्षेत्र या अपना धरातल चुनने की आजादी देता है ताकि मौजूदा यथार्थ परिवर्तित किया जा सके। हो सकता है कि किसी की कार्रवाई बहुत व्यापक और विस्तृत हो, हो सकता है कि बहुत सीमित किस्म की हो। वह कार्रवाई दुनिया की समस्याओं के गहन कारणों में हस्तक्षेपकारी भी हो सकती है, और उसका वास्ता उसके सतही प्रभावों तक भी सीमित रह सकता है। फोरम में चर्चा के विषय किस्म के लिहाज से असीमित होते हैं। उन चर्चाओं के उद्देश्य बहुत विस्तृत हो सकते हैं। मसलन, इन चर्चाओं में दूसरी दुनिया रचने के लिए जरूरी परिवर्तनों की किस्मों पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन, फोरम में किसी को यह अधिकार नहीं होता कि अमुक कार्रवाई या प्रस्ताव दूसरे प्रस्तावों या कार्रवाइयों से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। किसी के पास यह अधिकार नहीं होता कि अपने प्रस्तावों के लिए अधिक दृश्यमानता की माँग करे और इस तरह उस स्पेस को अपने लिए हड़प ले जो दरअसल सबके लिए है।

मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर कुछ और गंभीरता और सावधानी से गौर करने की जरूरत है। यह जरूरत उस समय और मुखर हो जाती है जब 'मार्चों' और जन-प्रदर्शनों में की गई माँगें फोरम के नतीजे के तौर पर सामने रखने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। होना यह चाहिए कि जो भी झंडा बुलंद किया जाए, वह सबका झंडा हो, उस विविधता की अंतिम दृश्यमान अभिव्यक्ति हो जिससे विविध प्रस्ताव निकले हैं। किसी इस या उस संघर्ष को विशेष महत्त्व देना, मार्च में किसी को आगे रहने का मौका देना, मार्च के समापन के समय अचानक कुछ वक्ताओं को बोलने का मौका दे देना विविधता का आदर करने के उसूल के खिलाफ जाता है। ऐसी कार्रवाइयों से फोरम-स्पेस के बजाय फोरम-आंदोलन का नजारा सामने आता है। इस समस्या पर विचार करना भी आवश्यक है।

फोरम की ये सभी खूबियाँ उसके आयोजन की बेहतर स्वीकारोक्ति, आकर्षण और सफलता के पीछे हैं। फोरम में शिरकत करने वालों को लगता है कि उनका सम्मान उनके अपने विचारों, उनके काम करने की गति और कार्रवाई के स्तर के कारण हो रहा है। कुछ लोग फोरम में अपने आंदोलन के जुझारू समर्थकों की तरह आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने संगठनों के आदेश का पालन करने के लिए उसमें शिरकत नहीं करते। वे इस आस्था के साथ फोरम में आते हैं कि उनका आना, अनुभवों का आदान-प्रदान करना, दूसरों से जुड़ना और सीखना एवं शिरकत से पहले, उसके दौरान और बाद में अपनी आजादी कायम रख पाना एक अहम बात है। ये सहभागी जानते हैं कि फोरम में उन्हें न तो किसी को आदेश देना है, न ही किसी का आदेश मानना है, न ही अपनी निष्ठा और अनुशासन का सबूत देना है, न ही उन्हें इसके लिए कहीं से निष्कासित किया जाएगा। लेकिन, अगर वे किसी संगठित आंदोलन की मीटिंग में आते तो उन्हें इस सब के दौर से गुजरना पड़ सकता था।

खुशनुमा माहौल और सह-दायित्व

मैं तो कहूँगा कि फोरम में पाए जाने वाले खुशनुमा और एक विशाल मेले जैसे माहौल के पीछे यही कारण है। यहाँ तक कि फोरम स्थल की सड़कों और अन्य खुले हिस्सों में होने वाली सांस्कृतिक और राजनीतिक अभिव्यक्तियों में व्याप्त मौज-मजे की भावना भी यहीं से फूटती है। फोरम में कोई इस चिंता से पीड़ित नहीं दिखता कि उसे अपने विचारों की दूसरों पर बढ़तरी साबित करने के लिए संघर्ष करना है। न कोई इस बात से चिंतित होता है कि उनके ऊपर लगाम कसने, उन्हें दिशा देने या उनके लिए आचरण संहिताएँ बनाने पर तुले लोगों से उन्हें भिड़ना है। न ही उन्हें उन प्रतिनिधिमंडलों की तरह आचरण करना है जो अनुशासित आंदोलनों या पार्टियों के प्रतिनिधियों की भाँति आकलन करने, निर्णय करने और जिम्मेदारियाँ बाँटने के लिए बार-बार बैठक करते हैं। ऐसी बैठकें हो सकती हैं, पर उन्हें करना अनिवार्य नहीं होता, खासकर उन लोगों के लिए जो इस या उस आंदोलन के जुझारू कार्यकर्ता नहीं हैं। लेकिन, जो इस मौके का लाभ उठा कर ऐसी बैठकें करना चाहते हैं, उन्हें यह करने की इजाजत भी होती है बशर्ते वे अपनी गोलबंदी केवल अपने जुझारू समर्थकों तक ही सीमित रखें।

अगर इस आयोजन की मेले जैसी खुशनुमा प्रकृति समाप्त हो गई तो यह निहायत ही अफसोस की बात होगी। अगर यह स्पेस 'मैदान' जैसा न रहा तो ऐसा ही होगा। यही है वह खुशी जो हम सब चाहेंगे कि उस 'दूसरी मुमकिन दुनिया' में भी रहे जिसे हम बनाना चाहते हैं। यही है वह खुशी जो सबको प्रभावित करती है, सबको जीवन और प्रेरणा देती है। यह

खुशी फोरम की एक और उपलब्धि है और इसी खुशी के कारण एक ही दुश्मन के खिलाफ होने के बावजूद संघर्षों के बीच की फूट खत्म करती है, वह फूट जो आंदोलनों की वजह से पैदा हुई है। खुले स्पेस में विभिन्न आंदोलनों के जुझारू समर्थक आपस में मिलते हैं, एक-दूसरे को मान्यता देते हैं। चाहे स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले आंदोलन हों, शहरी और देहाती मजदूरों के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलन हों, पर्यावरण के लिए और बच्चों के लिए माँगें करने वाले आंदोलन हों, घरेलू स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए आर्थिक संबंधों की स्थापना के लिए जद्दोजहद करने वाले आंदोलन हों या फिर मनुष्य के आध्यात्मिक आयाम से सरोकार रखने वाले आंदोलन हों, यानी हर तरह के आंदोलन फोरम के स्पेस में अन्योन्यक्रिया कर सकते हैं।

इतने सारे संघर्षों में जूझ रहे लोग लंबे अरसे से विचारधारात्मक और राजनीतिक मतभेदों के कारण अलग-अलग काम करते रहने के बावजूद फोरम में एक-दूसरे को जानने का अभूतपूर्व अवसर प्राप्त करते हैं। अगर संभव होता है तो फोरम का लाभ उठा कर वे पार्टियों द्वारा पैदा की गई खाई लाँघ कर नजदीक भी आते हैं। यही कारण है कि जब कार्यकर्ताओं ने फोरम में 'पुराने दोस्तों' को देखा तो हैरत में रह गए, उन्हें बड़ी खुशी हुई और उन्होंने आखिर में पाया कि उनमें तो एका है।

अगर मान भी लें कि फोरम एकबारगी 'आंदोलनों का आंदोलन' ही बन जाता है तो समझ लेना चाहिए कि कोई आंदोलन ऐसे स्पेस की स्थापना नहीं कर पाएगा, और विभिन्न ताकतें बिना शर्त उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाएँगी। पुराने दोस्तों का पुनर्मिलन उनकी एकता कराने के लिए बनी एक नई संरचना की मातहती के कारण उतना प्रभावी नहीं रह पाएगा। इसके नियमों का मकसद होगा सभी को एक बात पर राजी करना। और फिर, इस संरचना के भीतर एक बार फिर प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। स्पेस हड़पने और दूसरों को अपनी दिशा में चलाने की जद्दोजहद शुरू हो जाएगी। नए आंदोलन के उद्देश्य परिभाषित करने पर भी विवाद होने लगेगा।

फोरम-स्पेस की एक आखिरी खूबी यह भी है कि वह सह-उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देता है। यह भावना उसके आयोजनों में व्याप्त देखी जा सकती है। चूँकि यह स्पेस एक ऐसा मैदान है जिसका कोई मालिक नहीं है, इसलिए यह भावना अपने-आप आसानी से पैदा हो जाती है। लेकिन, आंदोलन की स्थिति में इस भावना को विकसित करने का प्रयास करना पड़ता है। फोरम में कोई किसी के खिलाफ नहीं होता, न ही कोई किसी की प्रतिबद्धता की निगरानी कर रहा होता है। यहाँ तक कि आयोजकों की गलतियाँ भी स्वीकार करके सहभागियों की सृजनात्मकता और पहल के जरिए दुरुस्त की जाती हैं। आयोजन की

विशालता के कारण ऐसी गलतियों की संख्या कम नहीं होती। सन् 2003 के वर्ल्ड सोशल फोरम में आयोजकों ने अनजाने में एक ऐसी गंभीर गलती कर दी थी जो पूरे आयोजन को बरबाद कर सकती थी। उन्होंने उसके दुष्प्रभाव कम करने के लिए काफी प्रयास किए। हुआ यह था कि वर्कशॉपों का कार्यक्रम दूसरे दिन ही प्रकाशित हो पाया था। लेकिन, सहभागियों ने इस गलती की भरपाई करने के तरीके खोज निकाले। यहाँ तक कि इसे सुधारने में 'बाहर' से मदद भी मिली। आयोजन शुरू होने के ठीक पहले कार्यक्रम का इंटरनेट पर प्रकाशन कर दिया गया।

मौजूदा जोखिम

जाहिर है कि फोरम की विशेषताएँ हर कीमत पर कायम रखनी चाहिए और शायद इसका सबसे अच्छा तरीका है उसे एक स्पेस बनाए रखना। बढ़ा-चढ़ा कहने से बचते हुए भी हम कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि फोरम को आंदोलन में बदलने की इच्छा रखने वाले अगर कामयाब हो गए तो हम अपना मुश्तरका मकसद हासिल नहीं कर पाएँगे। इससे कई फर्क नहीं पड़ता कि फोरम को आंदोलन में बदलने का प्रयास करने वालों को इस नतीजे का एहसास है या नहीं। यह कोशिश करने वाले आंदोलन हों या राजनीतिक दल, वे कितने भी महत्त्वपूर्ण क्यों न हों और उनके उद्देश्य रणनीतिक लिहाज से कितने ही वैध और फौरी कार्रवाई की माँग करने वाले क्यों न हों, उनकी कोशिशें उनके और हम सब के खिलाफ ही जाएँगी। ये लोग फोरम की जीवनीशक्ति के उस प्रवाह में बाधा डाल देंगे जो स्वयं उसी में निहित है और फोरम से निकली अभिव्यक्तियों और पहलकदमियों की ही देन है। वे वह जबरदस्त औजार नष्ट कर देंगे जो संघर्ष में उन्हीं की उपस्थिति का विस्तार कर रहा था।

अपने आप को 'सामाजिक आंदोलन' कहने वाले कुछ आंदोलनों की पहल इसी तरफ इशारा करती हुई लग रही है। नव-उदारतावाद के खिलाफ लोकप्रिय गोलबंदी करने का उनका सरोकार सही है, पर वे गोलबंदी की इस प्रक्रिया में फोरम को भी समेट लेना चाहते हैं ताकि उनके अपने उद्देश्य हल हो सकें।

महत्त्वपूर्ण संगठनों द्वारा संचालित इन आंदोलनों को पता है कि वे हर कार्यक्रम के सभी सहभागियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, फिर भी वे चाहते हैं कि उनका अंतिम दस्तावेज वहाँ पेश किया जाए और उसे फोरम का अंतिम दस्तावेज समझा जाए। सन् 2001 के फोरम में ली गई ऐसी ही पहल आयोजन के बाद कई तरह के तनावों और गलतफहमियों को जन्म दे चुकी है। इसके बावजूद बाद के फोरमों में वैसा ही फिर से करने का दबाव लगातार डाला जाता रहा। सन् 2003 के फोरम के बाद भी यह जारी है, हालाँकि अब यह उतना आसान

नहीं रह गया है। इन लोगों द्वारा किए गए आखिरी प्रयास ने तो 'कार्रवाई-प्रस्तावों के पैनल' द्वारा गोलबंदी का प्रभाव तकरीबन बेअसर कर ही दिया था।

हाल ही में इन आंदोलनों की समन्वय समिति ने और भी आगे बढ़ कर कार्यक्रमों की आयोजन समितियों के सदस्यों के रूप में आग्रह किया कि फोरम के अंतिम दिन के कार्यक्रम में उनकी अंतिम मीटिंग भी शामिल कर ली जाए। हर हालत में यह मीटिंग एकतरफा ही हो सकती है और मीडिया की निगाह तो इसे फोरम की ही समापन मीटिंग मान कर चलेगी। अगर यह आग्रह मान लिया गया तो इससे एक नया तनाव पैदा होगा। तब हर कोई चाहने लगेगा कि इस समापन मीटिंग में उसे भी अपनी गतिविधियों का नतीजा रखने की इजाजत मिलनी चाहिए ताकि एक सुसंगठित आंदोलन की भाँति फैसलों को जमीन पर उतारे जा सकने की गारंटी हो जाए। जाहिर है कि वे फोरम के अंत में अपनी जिस मीटिंग की ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं उसमें फोरम के सभी सहभागी कभी हिस्सा नहीं लेंगे। यह मीटिंग फोरम में आए अन्य कार्रवाई प्रस्तावों को या तो दरकिनार कर देगी या उनका निरादर करेगी। अथवा यह मीटिंग 'प्रतिनिधित्व' की जरूरत पैदा कर देगी यानी फोरम का रूपांतरण करके उसे पिरामिड की शक्ल दे देगी और फिर वह क्षैतिज 'मैदान' होने के आनंद से वंचित हो जाएगा।

मेरा ख्याल है कि फोरम-प्रक्रिया इसी तरह चलाते रहना एक महान चुनौती है ताकि वह उद्‌भावन कक्ष की भूमिका निभाती रह सके, यानी उसके गर्भ से तरह-तरह के आंदोलन निकलते रहें, नयी पहलकदमियों का जन्म होता रहे, इसी तरह के स्पेस सारी दुनिया में दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ते रहें। ये स्पेस वास्तव में मुक्त और खुले हुए हों, और उनका मकसद किन्हीं खास प्रस्तावों पर ही जोर देने का न हो। हमें यह उम्मीद भी करनी चाहिए कि जाने या अनजाने कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करेगा जिससे फोरम-प्रक्रिया एक खुला स्पेस न रह कर अपने समापन की तरफ चली जाए।

कुल मिला कर अपना रास्ता हमें ही चुनना है। इस साल के आयोजन की तैयारियों में संलग्न लोग और संगठन या अगले आयोजनों की तैयारियाँ करने वाले लोग और संगठन ही वर्ल्ड सोशल फोरम-प्रक्रिया के भीतर यह चुनाव करेंगे। फोरम की मौजूदा इंटरनेशनल कौंसिल के सदस्य और जून में जिसकी बैठक होगी, उस विस्तारित कौंसिल के सदस्य फैसला करेंगे कि कथित 'सामाजिक आंदोलनों' द्वारा प्रस्तावित दिशा अपनाई जाए या नहीं। यह फैसला हो कर रहेगा। इसे कोई नहीं रो सकता। इस चुनाव के बाद फोरम का प्रत्येक सहभागी तय करेगा कि उसे फोरम में अपनी शिरकत जारी रखनी है या नहीं। ध्यान रखना होगा कि फोरम अभी तक आंदोलन नहीं बना है। आंदोलन जैसे नियम उस पर लागू नहीं होते। उस पर बहुमत आधारित फैसलों का नियम लागू नहीं होता, भले ही उसे कितना भी लोकतांत्रिक क्यों न माना जाता हो। इस सवाल पर हमें बिना किसी हिचक और अस्पष्टता के चर्चा करनी ही होगी, ताकि इस तरह के फैसले से जुड़े फलितार्थों के प्रति हम पूरी तरह सचेत हो सकें।

स्व-आयोजित गतिविधियाँ बनाम आयोजकों के कार्यक्रम

इस मसले पर चर्चा भी बहुत जरूरी है। एक तरफ तो कुछ सहभागियों द्वारा वर्ल्ड सोशल फोरम को आंदोलन में बदलने का दबाव है, और दूसरी तरफ अगर आयोजन के मौजूदा तौर-तरीके जारी रहे तो लगता है कि आयोजक भी इसी रास्ते पर चले जाएँगे। स्पेस के रूप में फोरम बनाम आंदोलन के रूप में फोरम के बीच फैसला इस मुद्दे के आसपास हो सकता है।

अगर फोरम स्पेस रहेगा तो उसमें स्व-आयोजित गतिविधियों को प्राथमिकता मिलेगी। इसके आयोजकों के दिमाग में यह धारणा रहेगी तो फोरम स्पेस के रूप में और स्पष्टता से काम कर पाएगा। लेकिन, हमने इस तथ्य की पुष्टि की है कि फोरम में आयोजकों द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों का महत्त्व जरूरत से ज्यादा समझा जाता है, और उसकी कीमत सहभागियों द्वारा आयोजित मीटिंगों और सेमिनारों को चुकानी पड़ती है। फोरम के मर्म का निर्माण करने वाली स्व-आयोजित गतिविधियाँ उपेक्षा की शिकार हो जाती हैं। उन्हें दोयम दर्जे का और कमतर माना जाता है। उनके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार होता है कि जैसे सन् 2001 के फोरम के बाद प्रचलित हुआ गतिविधियाँ करने का यह तरीका एक तरह का बोझ हो जिसे आयोजक मजबूरी में ढो रहे हैं।

आयोजकों का अधिकतर समय यह तय करने में ही गुजरता है कि फोरम में किस तरह के व्याख्यान होने चाहिए, किस तरह के सम्मेलन और विचार गोष्ठियाँ आयोजित की जानी चाहिए। इंटरनेशल कौंसिल की बैठकों में ज्यादातर इन्हीं बातों पर विचार-विमर्श होता रहता है। पोर्टो अलेगरे के फोरम की तैयारी के लिए हुई बैंकाक और फ्लोरेंस की बैठकों में भी सारे समय इसी पहलू पर चर्चा होती रही। दरअसल, इन बैठकों की अवधि तय कार्यक्रम से भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। बैंकाक और फ्लोरेंस के बीच ब्राज़ील में हुई मुख्य विषय वस्तुओं का संयोजन करने वाले कार्यदल की बैठक भी बहुत लंबी खिंच गई। जाहिर है कि ऐसी बैठकों पर बहुत खर्चा आता है। वस्तुत: व्याख्यानों और चर्चा योग्य विषय वस्तुओं के बारे में फैसले का सवाल इस बात से जुड़ गया है कि फोरम का शो-केस कैसा बनेगा। यानी फोरम सार्वजनिक रूप से यह कैसे दिखाएगा कि वह किन विषयों में दिलचस्पी रखता है

और उसका मत दरअसल क्या है। ऐसी ही प्रवृत्ति दावोस के फोरम में भी है। दावोस में कोई स्व-आयोजित गतिविधि नहीं होती। वहाँ आयोजक ही बड़ी सावधानी के साथ अपने कार्यक्रमों की केंद्रीय विषयवस्तु चुनते हैं।

जहाँ तक सहभागियों के स्व-आयोजित कार्यक्रमों का सवाल है, वर्ल्ड सोशल फोरम की विशेषता होने के बावजूद उनके बारे में आयोजकों द्वारा तकरीबन प्रशासनिक किस्म का और एक तरह से नौकरशाहाना रवैया ही अपनाया जाता है। सेमिनार और वर्कशॉप करने के आवेदन के लिए एक अंतिम तारीख तय कर दी जाती है। इस तिथि के बाद चार्टर ऑव प्रिंसिपल्स के आधार पर उन आवेदनों का विश्लेषण किया जाता है जिन्हें खारिज किया जाना है। चूँकि आयोजकों के पास यह करने के लिए बहुत कम समय होता है इसलिए यह प्रक्रिया अपर्याप्त ही रह जाती है। ध्यान रहे कि चार्टर के लिहाज से तो केवल स्वयं-घोषित पार्टियों और फौजी संगठनों को ही सहभागिता से वंचित किया जा सकता है। फिर प्रशासकीय शैली में ही स्वीकृत आवेदनों के लिए तारीखों और स्थानों का आबंटन शुरू होता है। एक सूची छापी जाती है जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम उसके करने वाले, तारीख और स्थान के साथ दर्ज किया जाता है। इस सूची में अंतिम समय तक हमेशा कुछ न कुछ संशोधन किए जाते रहते हैं, पर सभी सहभागियों को इन परिवर्तनों की सूचना नहीं मिल पाती।

स्व-आयोजित कार्यक्रमों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। सिर्फ कुछ को ही केंद्रीय आयोजन स्थल पर होने का मौका मिल पाता है। बाकी को हर तरह के अन्य उपलब्ध स्थानों में वितरित कर दिया जाता है। कभी-कभी तो उन्हें शहर के ऐसे हिस्सों तक में आयोजन स्थल नसीब होता है जहाँ पहुँचना मुश्किल ही होता है। इन दिक्कतों के साथ-साथ एक परेशानी यह भी होती है कि वर्कशॉप और सेमिनारों की सूची पहले दिन उस समय ही दी जाती है जब सहभागियों का पंजीकरण हो रहा होता है। उनके परिचय पत्र भी तभी या कभी-कभी उसके बाद तक बाँटे जाते हैं। सन् 2003 के पोर्टो अलेगरे आयोजन में ऐसा ही दुर्भाग्यपूर्ण बंदोबस्त किया गया था। यह सारी बदइंतजामी स्व-आयोजित गतिविधियों के आयोजकों और उनमें अपनी पहल से भाग लेने वाले सहभागियों को झेलनी पड़ती है। ऐन मौके तक यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि किस कार्यक्रम में जाना चाहिए, और किसमें नहीं।

यह परिस्थिति उस समय और भी बिगड़ जाती है जब आयोजकों द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों में विख्यात हस्तियों को बोलना होता है। ठीक उसी समय बहुत सी स्व-आयोजित गतिविधियाँ भी हो रही होती हैं। पोर्टो अलेगरे, 2003 में तो ऐसे हालात काफी बने थे। ज्यादातर सहभागी बड़ी-बड़ी गोष्ठियों और सम्मेलनों की ओर खिंच गए, और स्व-

आयोजित गतिविधियों के लिए उतने ही लोग रह गए जो उनमें भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध थे। इस चर्चा के परिप्रेक्ष्य में जरूरी हो जाता है कि बड़े-बड़े सम्मेलनों और संगोष्ठियों की भूमिका और प्रभाव पर फिर से एक निगाह डाली जानी चाहिए।

इन हालात से बचने के लिए कई सावधानियाँ बरती जा सकती हैं। मसलन, सेमिनारों और संगोष्ठियों के पंजीकरण के लिए अंतिम तारीख मुख्य आयोजन के कम से कम दो महीने पहले की होनी चाहिए। इससे होगा यह कि इन प्रस्तावों का इंटरनेट द्वारा प्रसार हो सकेगा। वर्कशॉपों के आयोजन और स्थानों के आबंटन के साथ सूत्र बनाया जा सकेगा। सहभागी इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे। फोरम में आते समय उन्हें पता होगा कि उन्हें किस कार्यक्रम में भाग लेना है।

दूसरी और इतनी ही अहम सावधानी स्व-आयोजित गतिविधियों के लिए स्थानों के आबंटन के संबंध में बरती जा सकती है। उन्हें मुख्य आयोजन स्थल में जगह दी जा सकती है, बेहतर सुविधाएँ दी जा सकती हैं, ताकि उनमें भाग लेने के इच्छुक लोग वहाँ आसानी से पहुँच सकें और उन्हें उनके बारे में ठीक से सूचना रहे। पोर्टो अलगेरे, 2003 जैसे हालात फिर नहीं बनने चाहिए कि कई आयोजन एक ही समय पर होने के कारण सहभागियों के पास उनमें शिरकत के विकल्प सीमित ही रह जाएँ, और लोगों को यह कहने का मौका भी मिले कि फोरम को तो विख्यात हस्तियों के कार्यक्रम ले उड़े।

इसमें कोई शक नहीं कि स्व-आयोजित गतिविधियों को प्राथमिकता दे कर ही फोरम आंदोलन के बजाय स्पेस के रूप में अपनी गतिविधियाँ बरकरार रख सकता है। उसके चार्टर में भी इसी ओर इंगित किया गया है। इस लेख के शुरू में ही हम कह चुके हैं कि फोरम अपने खुले स्पेस में जितने हो सके उतने ज्यादा लोगों, संगठनों और आंदोलनों को नव-उदारतावाद के खिलाफ अपनी मर्जी से जमा होने का मौका देता है ताकि वे एक-दूसरे को सुन सकें, एक-दूसरे के अनुभवों और संघर्षों से सीख सकें, कार्रवाई योजनाओं पर विचार कर सकें, और कुल मिला कर इस प्रकार के नए नेटवर्कों और संगठनों में एक-दूसरे से जुड़ सकें जिनका मकसद बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों और वित्तीय हितों की चौधराहट में चल रही भूमंडलीकरण की मौजूदा प्रक्रिया को पराजित करना है। केवल स्व-आयोजित गतिविधियों के जरिए ही इन शर्तों को पूरा किया जा सकता है, न कि परंपरागत रूप से होने वाली बड़ी-बड़ी मीटिंगों और सम्मेलनों के जरिए, जिनमें श्रोतागण निष्चेष्ट भाव से विख्यात हस्तियों के उपदेश सुनते हैं, और कभी-कभी किस्मत से उन्हें एक-आध सवाल पूछने का मौका भी मिल जाता है।

आयोजन समितियाँ : फेसिलिटेटर या निर्देशक?

अगर फोरम आंदोलन बन गया तो उसकी प्रक्रिया पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। वह भीतर से नष्ट होती चली जाएगी, क्योंकि उसमें सत्ता संबंधी विवाद शुरू हो जाएँगे। चार्टर साफ कहता है कि वर्ल्ड सोशल फोरम सत्ता के लिए होड़ करने की जगह नहीं है। कहा जा सकता है कि कम से कम अभी तक तो फोरम एक क्षैतिज और खुले स्पेस का चरित्र ग्रहण किए हुए है। इसी के कारण वह सत्ता संबंधी विवादों से बचा हुआ है। लेकिन, यह मान लेना उचित नहीं होगा कि फोरम के सामने इस तरह के खतरे हैं ही नहीं।

फोरम को आंदोलन का चरित्र मिलते ही होगा यह कि उसे 'राजनीतिक' दिशा की जरूरत पड़ेगी, यानी उसमें भाग लेने वाली राजनीतिक ताकतों के लिए वह रणनीतिक हो जाएगा और उसके फैसलों को प्रभावित करने के लिए उन्हें फोरम-प्रक्रिया के साथ उसकी आयोजन समितियाँ सांगठनिक रूप से जोड़ देनी पड़ेंगी। फिर फोरम के भीतर आ चुके और उस पर 'कब्जा' कर चुके लोगों एवं फोरम के बाहर खड़े और 'बहिष्कृत' महसूस कर रहे लोगों के बीच तनाव पैदा होगा क्योंकि वे भी भीतर आ कर फोरम की दिशा में चलने के इच्छुक होंगे।

इस प्रकार का विवाद ब्राज़ीलियन आयोजन समिति, जो अब फोरम के सचिवालय की तरह काम कर रही है, के भीतर भी लाया गया था। इंटरनेशलन कौंसिल में भी यह विवाद उठ चुका है। विवाद उठाने वालों का तर्क था कि आयोजन समिति की मौजूदा संरचना 'प्रतिनिधित्वमूलक' नहीं है। उसमें उन सभी ताकतों या राजनीतिक प्रवृत्तियों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व का ध्यान नहीं रखा गया है जिन्हें फोरम-प्रक्रिया की दिशा का अंग होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि इंटरनेशलन कौंसिल कुछ व्यक्तियों द्वारा 'संचालित' नहीं की जानी चाहिए यानी उसे भी एक प्रतिनिधित्व आधारित समूह में सीमित कर देना चाहिए।

अगर फोरम एक आंदोलन होता तो ये प्रस्ताव ठीक कहे जा सकते थे। लेकिन, एक स्पेस या एक 'मैदान' होने के कारण राजनीतिक दिशा और प्रतिनिधित्व का आग्रह उसके लिए ठीक नहीं है। स्पेस के तौर पर तो फोरम की माँग यह है कि उसके आयोजक अपने कार्यक्रम करने के इच्छुक लोगों और संगठनों का रास्ता साफ करें और उस प्रक्रिया में उनकी इच्छित विषय वस्तुओं में कोई हस्तक्षेप न करें, न ही उनकी आजादी में कोई बाधा डालें। अर्थात, इस स्पेस की आयोजन समिति अपने कार्यकारी अस्तित्व के लिए उन लोगों और संगठनों पर निर्भर करती है जो 'दूसरी दुनिया' बनाने के संघर्ष में लगे लोगों को एक जगह जमा करने के मकसद से अपना समय और संसाधन लगाना चाहते हैं।

जाहिर है कि ऐसी आयोजन समिति की संरचना में फोरम-स्पेस की विविधता झलकनी ही चाहिए। लेकिन, इसके लिए विविधता के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। न ही सहभागी आंदोलनों को उनकी अहमियत के लिहाज से प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। आखिर, फोरम में कोई किसी को आदेश देने या किसी का आदेश लेने तो आता नहीं। विविधता से भी ज्यादा अहम अगर कोई चीज है तो वह है आयोजन समिति के लोगों और संगठनों की साख। उन्हें सहभागियों को इस प्रकार निमंत्रित करना है कि किसी के मन में उनके इरादों के प्रति शंका न रहे। न ही शिरकत के इच्छुक लोगों को यह शक होना चाहिए कि उनकी सहभागिता का आयोजकों द्वारा अपने लक्ष्यों के लिए दोहन कर लिया जाएगा, जैसा कि आम तौर पर राजनीतिक दल इस प्रकार के आयोजनों का कर लेते हैं।

इस रोशनी में देखने पर यह नतीजा निकालना मुश्किल नहीं है कि फोरम-स्पेस हालात में आयोजन समिति की भूमिका 'फेसिलिटेटर' की होनी चाहिए। फेसिलिटेटर कमांड नहीं करते, वे तो मौजूदा और आने वाले आंदोलनों की प्रगति सुगम बनाते हैं। फेसिलिटेटर आंदोलनों और कार्रवाइयों के उद्भावन कक्षों के रूप में फोरमों के जन्मदाता होते हैं। वे 'क्षैतिज मैदानों' और 'विचारों के कारखानों' की रचना करते हैं। वे दुनिया बदलने के विकल्पों पर चर्चा करते समय न तो आपसी टकराव मोल लेते हैं, न ही अपने विचार और प्रस्ताव एक-दूसरे पर थोपते हैं। फेसिलिटेटर एक समान परिप्रेक्ष्य के दायरे में रहते हुए आयोजन प्रक्रिया इस तरह चलाने पर जोर देते हैं कि फोरम के उद्देश्य पूरे हो सकें। उन्हें हर बार आयोजन करते समय राजनीतिक हालात का ख्याल करते हुए समय और स्पेस का बंदोबस्त कुछ इस तरह करना होता है कि विकल्पों और कार्रवाई योजनाओं पर चर्चा के लिए 'क्षैतिज मैदान' में जमा हुए लोगों के अधिक से अधिक सुविधा हो सके।

कहना न होगा कि आयोजन के अन्य स्तर भी होते हैं। मसलन, फोरम-प्रक्रिया और पेशकशों का मूल्यांकन करने वाली समितियाँ, बड़ी कमेटियाँ, कौंसिलें, सभाएँ आदि। इनके जरिए दूसरी दुनिया की रचना के काम में और भी ज्यादा संगठनों को खींचा जा सकता है। लेकिन, हर हालत में आयोजन समिति के साथ काम कर रही इन अन्य कमेटियों को फोरम-स्पेस के निर्देशन की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। उनका काम तो केवल ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोरम-स्पेसों की रचना करना और उस काम को सुमग बनाना ही होना चाहिए।

ध्यान रखिए, राजनीतिक नेतृत्व में 'नायकत्व' का एहसास शामिल होता है, पर फोरम-स्पेस आयोजित करने में ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक उछाल नहीं मिल सकता। यह एक

कठिन काम है। इसकी कठिनाई और चमक-दमक विहीनता के कारण आयोजन प्रक्रिया में शिरकत के प्रति दिलचस्पी कम हो जाती है। कोशिश यह करनी चाहिए कि फोरम के दौरान जुड़ाव, नेटवर्किंग और अभिव्यक्तियाँ आसान करने और उनकी मात्रा बढ़ाने में भी समय और शक्ति खर्च की जाए।

अगर हम चाहते हैं कि हमारे संघर्ष के मौजूदा मुकाम पर आपसी फूट खत्म हो, अगर हम चाहते हैं कि नव-उदारतावाद के खिलाफ आवाज सारी दुनिया में बुलंद हो, अगर हम चाहते हैं कि आंदोलनों, नेटवर्कों और पहलकदमियों की संख्या और बढ़े ताकि पूँजीवाद के खिलाफ जद्दोजहद और गहन हो सके, तो हमें फोरम-स्पेस की जगह-जगह स्थापना के कार्यभार को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। समान लक्ष्य वेधने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए इस कार्यभार का महत्त्व कम करके नहीं आँका जा सकता, और न ही कोई दूसरा काम इसकी जगह ले सकता है।

(17 मार्च, 2003)

संदर्भ और टिप्पणियाँ

1. एटीटीए-फ्रांस की वेब साइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.फ्रांस.एटीटीए.ओआरजी) पर संपूर्ण पाठ उपलब्ध; देखें, ईटीईए, स्पेन का प्रकाशन *रिविस्टा डि फोमेंटो सोशल*, अंक-233, खंड-59, जनवरी-मार्च, 2004; देखें, जय सेन, अनिता आनंद, आर्टुरो एस्कोबार, पीटर वाटरमेन (आयोजक) द्वारा संपादित पुस्तक *चेलैंजिंग इम्पायर्स*, विवेको फाउंडेशन, जनवरी, 2004। इसका जर्मन अनुवाद अक्टूबर, 2004 में कार्लडीश वेर्लुग, बर्लिन ने प्रकाशित किया है। हाल ही में इसका इतालवी में भी प्रकाशन हुआ है। *ट्रांसफॉर्म* नामक संगठन (प्रातिशे कांस्टीटुएंटी, 2005-डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.ट्रांसफॉर्म.इट) ने इसका प्रकाशन किया है ।
2. मैंने इस सेमिनार में कुछ अन्य वक्ताओं के साथ शिरकत की थी। फोरम-प्रक्रिया के बारे में सोचने वाले इन बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं में एनिबार क्विजानो, बोआवेंचुरा डि सोजा सांतोस, इमानुएल वालर्स्टीन, जय सेन, मीना मेनन और वर्जीनिया वरगास भी शामिल थे।
3. परिशिष्ट-9 के रूप में इस लेख से कुछ पहले लिखा गया एक और लेख शामिल किया गया है जिसमें कुछ अन्य मुद्दे उठाए गए हैं। इसका शीर्षक है : 'वर्ल्ड सोशल फोरम के समक्ष तीन चुनौतियाँ'।

परिशिष्ट-2

वर्ल्ड सोशल फोरम : उद्‌गम और उद्देश्य

फोरम के बारे में ब्राज़ील में प्रकाशित यह पहला लेख है। इसे सन् 2000 के उत्तरार्ध में *कोरियो डा सिडेडानिया* अखबार के निदेशक के आग्रह पर लिखा गया था। साओ पाओ के प्लिनियो डि आरुडा सम्पाओ (पीटी के पूर्व कांग्रेस सदस्य) का विचार था कि उनके पाठक जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड सोशल फोरम दरअसल है क्या चीज। यह एक ऐसा समय था जब यूरोप और अमेरिका में जीत के मद में चूर नव-उदारतावाद के खिलाफ विरोध की लहर आई हुई थी, लेकिन ब्राज़ील में सामाजिक-राजनीतिक गोलबंदी उतार पर थी। इसलिए, फोरम के प्रस्तावों को हकीकत के आईने में देख पाना और भी मुश्किल था।

सन् 1998 की शुरुआत में निवेश संबंधी बहुपक्षीय समझौते (एमएआई) का प्रस्ताव सार्वजनिक किया गया। पहले इस पर दुनिया के सबसे अमीर देशों को दस्तखत करने थे, और फिर इसे बाकी देशों के लिए 'प्रस्तावित' किया जाना था। व्यवहार में इसका अर्थ था पूरी दुनिया पर यह समझौता थोपना। ओईसीडी देशों ने समझौते पर खुफिया तौर पर चर्चा कर ली थी। उनका इरादा इसे पूँजी का विश्व संविधान बना देने का था। इसके आधार पर पूँजी बिना किसी दायित्व के हर तरह के अधिकार का उपभोग कर सकती थी। खास तौर से तीसरी दुनिया के देशों के संदर्भ में तो यह बात और भी सच थी। इन्हीं देशों में 'निवेश' किए जाने थे। फ्रांस के अखबार *ले मोंडे डिप्लोमेटीक* ने सबसे पहले इसकी पोल खोली। इसके पीछे अमेरिका के 'पब्लिक सिटीज़ंस' आंदोलन का हाथ था जिसका नेतृत्व राल्फ नाडार कर रहे थे। समझौते का पर्दा फाश करने वाला लेख आंदोलन के वकील लौरी वालेश ने लिखा था। समझौते के बेतुकेपन के खिलाफ आक्रोश से विरोध के एक सामाजिक आंदोलन का जन्म हुआ जिसके कारण सन् 1998 के आखिर में फ्रांस समझौते पर बातचीत से अलग हो गया। नतीजे के तौर पर समझौते पर आखिर में दस्तखत नहीं हो सके।

विरोध में की गई यह गोलबंदी को आगे बढ़ाने वाले संगठनों में एक संगठन एटीटीएसी भी था। शुरू में इसका नाम था एसोसिएशन फॉर दि टोबिन टेक्स फॉर दि एड ऑव सिटीजंस, जो बाद में बदल कर एसोसिएशन फॉर टेक्सेशन ऑव फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस फॉर दि एड ऑव सिटीजंस हो गया। उस समय *ले मोंड डिप्लोमेटीक* के एक प्रस्ताव के आधार पर फ्रांस में उसकी शक्ल-सूरत बननी शुरू ही हुई थी। आज पूरे फ्रांस में इस एसोसिएशन के करीब 20,000 समर्थक हैं। ब्राज़ील समेत दूसरे देशों में भी इसकी शाखाएँ सक्रिय हो गई हैं। यह संगठन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स टोबिन द्वारा सट्टेबाज पूँजी का बेरोकटोक आवागमन संयमित करने के लिए प्रस्तावित टेक्स को कार्यरूप देने के लिए काम कर रहा है। हम जानते हैं कि अगर इस पूँजी पर संयम नहीं लगाया गया तो इसके नतीजे कितने खराब हो सकते हैं।

इन घटनाओं ने उन लोगों को अपनी ओर खींचा जो सारी दुनिया को पूँजी की मातहती में जाते देखने के लिए तैयार नहीं थे। देखते-देखते सभी जगह तरह-तरह के विरोध आयोजित होने लगे। मीडिया में मिले प्रचार के कारण सबसे ज्यादा मशहूरी मिली सिएटल में डब्ल्यूटीओ के खिलाफ हुए प्रदर्शन को। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के खिलाफ वाशिंगटन में हुए विरोध प्रदर्शनों की भी सारी दुनिया में चर्चा रही। हाल ही में प्राग में हुए प्रदर्शनों के कारण तो सरकारों के प्रतिनिधियों को अपनी बैठक एक दिन पहले ही खत्म कर देनी पड़ी।

पूरे बीस साल से खुद को दुनिया का मालिक समझने वाले लोग हर साल स्विट्जरलैंड की एक स्कीइंग के लिए मशहूर सैरगाह दावोस में एक फोरम आयोजित करते हैं। वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम नामक इस आयोजन ने अपनी क्षेत्रीय बैठकें भी करनी शुरू कर दी हैं। आयोजन करने वाला समूह अब एक बड़े कारपोरेशन में विकसित हो चुका है। इस फोरम में उन लोगों को जमा किया जाता है जो बीस हजार डॉलर खर्च करके पूँजी की सेवा में लगे हुए दुनिया के प्रमुख चिंतकों को सुनना और उनसे बातचीत करना चाहते हैं। इसमें भूमंडलीकरण के कुछ आलोचकों को भी मेहमान बनाया जाता है ताकि उसे वैधता प्राप्त हो सके। दावोस में सारी दुनिया के प्रमुख अखबारों के पत्रकार जाते हैं जिनमें हमारे मित्र क्लोवस रोसी[1] का नाम भी शामिल है। दावोस का फोरम ही वह आयोजन है जहाँ पूँजी के विश्व प्रभुत्व का सिद्धांत नव-उदारतावाद के मानकों के मुताबिक गढ़ा जाता है और फिर उसे व्यवहार में उतारने का नंबर आता है।

दावोस के इस आयोजन की रोशनी में कुछ ब्राज़ीलवासियों ने तय किया कि क्यों न सारी दुनिया पर हावी इस पूँजीवादी विचार के खिलाफ प्रतिरोध का नया चरण शुरू किया

जाए। उन्हें लग रहा था कि प्रदर्शनों और रैलियों के अलावा और उनसे परे जाते हुए 'दूसरी दुनिया' की रचना करने की चुनौतियों के जवाब में कुछ निश्चित प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। इस 'दूसरी दुनिया' में अर्थव्यवस्था को इनसान की सेवा करनी थी, न कि इनसान को अर्थव्यवस्था की। नव-उदारतावाद का विरोध करने वाले अर्थशास्त्री और अन्य अकादमीशियन यूरोप में दावोस विरोधी मीटिंगें पहले ही कर रहे थे। ब्राज़ीलवासियों का इरादा इस पहलकदमी से भी परे जाने का था। वे चाहते थे कि जन-प्रदर्शनों में पहले से ही नेटवर्किंग कर रहे संगठनों की शिरकत के साथ दुनिया के पैमाने पर एक और फोरम किया जाए जिसके केंद्र में समाज हो। यानी वर्ल्ड सोशल फोरम का आयोजन हो। इस आयोजन को एक नए युग का प्रतीकात्मक प्रारंभ बनाने के लिए तय किया गया कि इसकी तारीख ठीक वही हो जब पूँजी के सरबराह दावोस में मिलते हैं।

सवाल यह है कि यह महान विचार पहली बार किसके दिमाग में आया? यह विचार मेरे दोस्त ओडिड ग्रेज्यू के दिमाग की उपज था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसकी चर्चा पहले किसी और के साथ की थी या नहीं। पर, मैं इतना जानता हूँ कि इस साल फरवरी में जब फ्रांस में उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे इसकी जानकारी दी। हम दोनों मिल कर इसे *ले मोंडे डिप्लोमेटीक* के निदेशक और फ्रांस में एटीटीएसी के अध्यक्ष बर्नार्ड कैसेन के पास ले गए ताकि यह अंदाजा लग सके कि फ्रांस के बाहर इस विचार को किस तरह ग्रहण किया जाएगा।

कैसेन इसे सुन कर उत्साहित हुए। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि फोरम ब्राज़ील में किया जाए। उनका ख्याल था कि इसे तीसरी दुनिया के ही किसी देश में होना चाहिए। इसका असर प्रतीकात्मक पड़ेगा। फिर ब्राज़ील तीसरी दुनिया का एक ऐसा देश था जिसकी स्थिति ऐसा फोरम करने के लिहाज से बेहतर भी थी। कैसेन भी चाहते थे कि फोरम पोर्टो अलेगरे में ही हो, क्योंकि यह शहर एक ऐसे प्रांत की राजधानी थी जो सारी दुनिया में अपने लोकतांत्रिक प्रयोगों और नव-उदारतावाद विरोधी प्रयासों के लिए मशहूर होता जा रहा था। इस पेशकश के बाद कैसेन ने हमारे सामने एक चुनौती पेश की : अगर हम फोरम आयोजित करने में सफल रहे तो उनका अखबार तो उसका समर्थन करेगा ही, लेकिन क्या सारी दुनिया में पूँजी की प्रभुता के खिलाफ खड़े होते जा रहे संगठन भी समर्थन में आ जाएँगे?

ब्राज़ील लौट कर हमने पता लगाना शुरू किया कि यह चुनौती स्वीकार करने और यह कठिन कार्यभार सँभालने के लिए कौन-कौन से संगठन तैयार हैं। 28 फरवरी को साओ पाओ में आठ संगठनों की एक बैठक हुई जिसमें वर्ल्ड सोशल फोरम करने के लिए एक 'सहयोग समझौते' पर दस्तखत हुए। तय पाया गया कि फोरम का पहला आयोजन 25 से

30 जनवरी, 2001 को पोर्टो अलेगरे में होगा। ये आठ संगठन थे : ब्राज़ीलियन एसोसिएशन ऑव नॉन-गवर्मेंटल ऑर्गनाइजेशंस (एबीओएनजी), एसोसिएशन फॉर दि टेक्सेशन ऑव फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस फॉर दि एड ऑव सिटीजंस (एटीटीएसी), ब्राज़ीलियन जस्टिस एंड पीस कमीशन (सीबीजेपी), ब्राज़ीलियन बिजनेस एसोसिएशन फॉर सिटीजनशिप (सीआईवीईएस), सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन (सीयूटी), ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट फॉर दि सोशल एंड इकॉनॉमिक स्टडीज (आईबीएएसई), सेंटर फॉर दि ग्लोबल जस्टिस (सीजेजी) और लेंडलेस रूरल वर्कर्स मूवमेंट (एमएसटी)।

मार्च में इन संगठनों ने पोर्टो अलेगरे के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जिसने ओलिवियो डुट्रा और राउल पोंट से मश्विरा किया कि क्या प्रांत और नगर की सरकारें फोरम की मेजबानी करने के लिए तैयार हो सकती हैं, बशर्ते आयोजन इन सरकारों द्वारा प्रायोजित न हो कर नागरिक समाज के उन संगठनों द्वारा प्रायोजित हो जो उसके प्रस्तावों के पक्ष में हैं। जैसे ही गवर्नर और मेयर ने अपनी स्वीकृति दी, वैसे ही आयोजन का काम जल्दी से शुरू कर दिया गया ताकि विश्व स्तर का यह कार्यक्रम धरती पर उतारा जा सके। फिर फोरम के समर्थन के लिए एक ब्राज़ीलियन कमेटी गठित करने के लिए नागरिक समाज के अन्य संगठनों को भी निमंत्रण दिया गया।

कैसेन के सुझाव के अनुसार संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल जून के आखिर में जिनेवा गया। वहाँ संयुक्त राष्ट्र के 'कोपेनहेगन-5' शिखर सम्मेलन के समांतर एक वैकल्पिक शिखर सम्मेलन किया जा रहा था जिसमें सारी दुनिया में नव-उदारतावाद के खिलाफ नेटवर्किंग कर रहे संगठन भाग ले रहे थे। इस वैकल्पिक कार्यक्रम में गुंजाइश निकाली गई कि यह प्रतिनिधिमंडल भी अपनी बात कह सके। श्रोताओं को हमारा प्रस्ताव काफी पसंद आया। रियो ग्रांड डो सुल स्टेट के डिप्टी गवर्नर मिगेल रोज़ेटो भी साथ में जिनेवा गए थे ताकि पुष्टि कर सकें कि प्रांतीय सरकार फोरम की मेजबान बनने के लिए तैयार है। उसी समय फोरम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति गठित की गई।

उसी के बाद से हम सब दुनिया-भर से सहभागियों की शिरकत सुनिश्चित करने के लिए घड़ी के मुकाबले भाग रहे हैं। हर महाद्वीप के लिए और हर तरह की गतिविधियों के लिए सहभागियों के कोटे तय कर दिए गए हैं। फोरम के लिए बनाए गए कार्यक्रम से दो तरह की प्रक्रियाएँ निकलती हैं। एक प्रक्रिया के तहत सुबह के वक्त चार संगोष्ठियाँ होंगी जो चारों दिन एक साथ चलती रहेंगी। इसमें पूँजीवाद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रमुख नामों में छाँटे गए चार-चार लोग बोलेंगे। दोपहर के फौरन बाद दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिसके तहत स्वयं सहभागियों द्वारा समन्वित वर्कशॉप होंगे जिनमें आपसी अनुभवों का आदान-

प्रदान और चर्चा होगी। शाम के समय नेटवर्किंग के लिए बैठकें की जाएँगी। विभिन्न संघर्षों में शामिल लोगों के साक्ष्य सुनने के लिए भी सत्र आयोजित किए जाएँगे। चूँकि फोरम में केवल सामाजिक संगठनों द्वारा भेजे गए और पंजीकृत हुए लोगों को ही भाग लेने की इजाजत होगी, इसलिए बाद में फोरम में सीधी शिरकत न कर पाने वालों के लिए पोर्टो अलेगरे शहर में एक विशाल समांतर कार्यक्रम होगा।

फोरम की प्रकृति विचारात्मक नहीं होगी और अंतिम दस्तावेज के मसविदे पर चर्चा करने में समय बरबाद नहीं किया जाएगा। सुबह की संगोष्ठियों में चर्चित चार विषयों पर दुनिया के पैमाने पर साथ-साथ सोचने की यह शुरुआत होगी। ये चार विषय हैं : सम्पत्ति का उत्पादन और सामाजिक पुनरुत्पादन, सम्पत्ति की सुलभता और टिकाऊपन, नागरिक समाज को अधिकारसम्पन्न करना और सार्वजनिक क्षेत्र, एवं नए समाज में राजसत्ता और नैतिक मूल्य। इनमें से चारों विषयवस्तुओं के आधार पर प्रश्नों का सूत्रीकरण किया जाएगा जिनके उत्तर हमें खोजने होंगे और हर प्रश्न के लिए मुद्दों का एक सिलसिला होगा जिन पर हमें सोचना होगा।

इसके पीछे इरादा यह है कि 'भूमंडलीकृत' आधार पर ही मिल-जुल सोचा जाए और हर साल गहराई में जाने की कोशिश की जाए तथा दुनिया पर हावी पूँजीवाद के मॉडल का विकल्प खोजने की गुंजाइशें निकाली जाएँ। दरअसल, वर्ल्ड सोशल फोरम, 2001 इस दिशा में केवल एक पहला, पर पूरी तरह नया कदम होगा। इसकी गूँज पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। हमें उम्मीद है कि यह गूँज पूँजी के हितों के तले इनसान के दब जाने के खिलाफ संघर्ष का एक नया आगाज होगी।

बृहत्तर संदर्भ में :

यहाँ मैं यूनिवर्सिटी ऑव ब्राज़ीलिया में 24 अप्रैल, 2002 को मानवाधिकारों और नागरिकता पर एक कोर्स के समापन के अवसर पर दिया गया एक व्याख्यान उधृत कर रहा हूँ। बाद में यही व्याख्यान कोर्स के बाकी पाठों के साथ पुस्तक के रूप में छापा गया।[2] इससे उस अवधि की विश्व-परिस्थिति के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है जब वर्ल्ड सोशल फोरम की पेशकश की गई थी।

भूमंडलीकरण के मौजूदा दौर पर एक वर्चस्वी ताकत हावी है। ऐसा लगता है कि उसके पास दुनिया पर अपनी इच्छा थोपने का कोई भी परिप्रेक्ष्य नहीं रह गया है। भूमंडलीकरण के इस चरण की खास बात है प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए कदम, खासकर सूचना और परिवहन के क्षेत्र

में। इस समय हालत यह है कि सारी दुनिया में किसी उत्पाद के विभिन्न हिस्से बनाए जा सकते हैं और जहाँ चाहे उन्हें जोड़ कर एक अंतिम उत्पाद तैयार किया जा सकता है। यानी उसके हिस्सों का उत्पादन वहाँ किया जाता है जहाँ कच्चा माल और अन्य लागत कम से कम है, और अंतिम रूप वहाँ दिया जाता है जहाँ उसके लायक उपभोक्ता बाजार है और जहाँ उसे जोड़ने की लागत सबसे कम बैठती है। यह उत्पादन प्रक्रिया इसलिए संभव हो पाई है कि जिंसें एक जगह से दूसरी जगह तक फटाफट आसानी के साथ और सस्ती दर पर ले जाई जा सकती हैं। इसी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के कारण एक जगह से दूसरी जगह तक बेतहाशा रफ्तार से सूचना और फैसले पहुँचाना मुमकिन हो गया है। अब कोई सीईओ दुनिया के दूरस्थ कोनों तक अपना आदेश भेज सकता है, और उन कोनों से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

इस भूमंडलीकरण ने सारी दुनिया में आर्थिक विनिमय पर धन का प्रभुत्व कायम कर दिया है। धन की रचना विनिमय सुलभ करने के की गई थी, पर वह अब स्वयं में एक जिंस बन गया है। लोग धन के मूल्य पर सट्टा लगा कर धन से धन कमाते हैं। इसके परिणामस्वरूप धन का निहित मूल्य और अधिक धन संचय की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि उस पर ब्याज मिलता है और इस प्रकार होने वाली आमदनी मूल जिंस के मूल्य से कई गुना ज्यादा हो जाती है। दरअसल, धन का वस्तुओं और सेवाओं के रूप में उत्पादित उन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं रह गया है जिनकी उसे नुमाइंदगी करनी चाहिए।

इस भूमंडलीकरण की खास बात यह है कि यह वित्तीय पूँजी के इशारों पर चल रहा है। यह पूँजी एक निर्वैयक्तिक पूँजी है जिसका इनसानों से कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया में अपने आवागमन की प्रक्रिया में यह पूँजी अर्थव्यवस्थाओं और देशों को तबाह कर देती है। इस पर लगाम लगाने की कोशिशें यहाँ-वहाँ हुई हैं, पर वह आज भी अपना तांडव करने के लिए आजाद है।

संदर्भ और टिप्पणियाँ

1. एक विख्यात ब्राज़ीलियन पत्रकार और ब्राज़ील के सबसे ज्यादा प्रसार संख्या वाले अखबार *फोलहा डि एस पाउलो* के राजनीतिक संपादक।
2. *एडुकांडो पारा एज़ डिरीटोस ह्यूमनान – पोटास पेडागोगिकास पारा ए सिडेडानिया ना यूनिवर्सिडाडे*, देखें, सोसा जू. जोसे (समन्वय), पोर्टो अलेगरे, सिंटेस, 2004, पृष्ठ 127-134

परिशिष्ट-3

वर्ल्ड सोशल फोरम : सबक और नजरिया

पहला वर्ल्ड सोशल फोरम खत्म होने के फौरन बाद लिखा गया यह लेख *कोरियो डा सिडाडानिया* (अंक-230, साओ पाओ, 3-10 फरवरी, 2001) में प्रकाशित हुआ था। *कोरियो डा सिडाडानिया* के निदेशक का यह दूसरा आग्रह था। वे फोरम की शुरुआत से पहले भी मुझसे एक लेख लिखवा चुके थे।

पोर्टो अलेगरे में हुए वर्ल्ड सोशल फोरम की सफलता निश्चित रूप से बड़ी जबरदस्त रही। अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि नव-उदारतावाद की विश्व प्रभुता के खिलाफ एक नया ताकतवर अवरोध बनना शुरू हो गया है। अब यह साफ हो गया है कि 'इतिहास का अंत' एक विभ्रम के सिवा कुछ और नहीं है, और कोई एक 'सही विचार' अकेले सारी दुनिया पर हावी नहीं हो सकता। पूँजी संचय के क्रूर और विकृत तर्क के खिलाफ नागरिक समाज का संघर्ष भूमंडलीकृत हो गया है।

इस ऐतिहासिक घटना से हुए लाभ-हानि का तखमीना लगाना बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि दुनिया के सौ से ज्यादा देशों के हजारों लोग पोर्टो अलेगरे में क्यों जमा हुए थे? आयोजकों का अनुमान था कि करीब 2,500 लोग आएँगे, पर प्रतिनिधियों के रूप में ही 4,000 लोग पहुँचे और 6,000 अन्य लोग भी आ गए जिन्होंने वर्कशॉपों में हिस्सा लिया। करीब इतने ही लोग फोरम के अन्य कार्यक्रमों, सभाओं और प्रदर्शनों में बिखरे हुए थे। सारी दुनिया से आए 2,000 पत्रकार फोटो खींच रहे थे और सहभागियों से बातचीत कर रहे थे। फोरम की गतिविधियों में इस स्तर की ऊर्जा स्पंदित होने का क्या कारण हो सकता है? छः दिन तक पूरी शिद्दत के साथ मिल-जुल कर गतिविधियाँ करने के बाद लोग जिस संक्रामक उत्साह से लौटे, उसका कारण क्या हो सकता है?

यह नया संघर्ष अब परिपक्व हो चुका है और अगर इसकी प्रेरणा कायम रखनी है तो इस आयोजन से सीखे जा सकने वाले सबक साफ होने जरूरी हैं। धन की सेवा में लगे हुए भूमंडलीकरण के खिलाफ प्रतिरोध का अब दुनिया के पैमाने पर नेटवर्क और तालमेल बन गया है। एक ऐसे संसार की रचना के लिए विकल्पों का सूत्रीकरण किया जा रहा है जिसके केंद्र में जनता होगी।

इस कामयाबी का पहला कारण तो यह है कि फोरम करने का आह्वान एकदम ठीक समय पर किया गया। पिछले तीन साल से बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनकी सेवा में लगी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं के निर्णयों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। दुनिया के पैमाने पर इन विरोध-प्रदर्शनों में एक गुणात्मक उछाल लाने का यह सही मौका था। ठीक उसी दिन जब दावोस में खुद को दुनिया का मालिक मानने वाले लोग हर साल मिलते हैं, हमने न केवल विरोध करने के लिए बल्कि पहले से ही चल रही वैकल्पिक तैयारियों के आधार पर दूसरी दुनिया की रचना के बारे में चर्चा करने के लिए मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस आयोजन में ब्राज़ीलवासियों द्वारा इतनी बड़ी संख्या में शिरकत इस बात की सबूत थी कि विपक्ष को कोई महत्त्व न देने वाले रिपब्लिक ऑव ब्राज़ील के तत्कालीन राष्ट्रपति फर्नांडो हेनरीक कर्डोसो के धृष्टतापूर्ण विमर्श की हवा निकल चुकी है। इससे जाहिर होता था कि अब अंतर्राष्ट्रीय पूँजी के सामने ब्राज़ील द्वारा घुटने टेकने के खिलाफ जोरदार प्रतिक्रिया करने का समय आ गया है।

फोरम में गंभीर बहसें सुनिश्चित करने के लिए सहभागिता पर एक शर्त लगाई गई : वही लोग प्रतिनिधि बनेंगे जिनका पंजीकरण उनके संगठनों और आंदोलनों द्वारा कराया जाएगा। नतीजे के तौर पर पोर्टो अलेगरे में उन संगठनों के प्रतिनिधि ही आए जो पहले से ही तरह-तरह के संघर्षों में लगे हुए थे। फोरम में लोगों की दिलचस्पी की हालत यह थी कि निजी हैसियत से सहभागिता के लिए भी वर्कशॉप्स के दरवाजे खोलने पड़े। इन सहभागियों को नाममात्र का शुल्क अदा करना पड़ा। बड़े कार्यक्रम तो सभी की शिरकत के लिए खुले हुए थे ही।

फोरम की कामयाबी का एक और कारण उसकी आयोजन पद्धति थी। फोरम की विषय-वस्तुएँ मनुष्य-केंद्रित संसार रचने के लिए जरूरी चिंतन के सभी पहलुओं को स्पर्श करती थीं। प्रत्येक विषयवस्तु की दिशा में प्रश्नों का सूत्रीकरण किया गया था ताकि हम किसी एक 'सही चिंतन' को किसी दूसरे तैयारशुदा 'एकल सत्य' से प्रतिस्थापित करने के चक्कर में फँसने के बजाय विविधता और बहुलतामूलक खोज प्रक्रिया में उतरें। फोरम में हर सुबह इन्हीं विषयवस्तुओं पर संगोष्ठी आधारित बहसें होती थीं जिनमें विभिन्न देशों और

महाद्वीपों से आए वे लोग भाग लेते थे जो दूसरी दुनिया बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं और उसी दिशा में सोच रहे हैं। दोपहर के बाद यह प्रक्रिया उलट जाती थी और सहभागी ही तय करते थे कि उन्हें क्या चर्चा करनी है। इस दौरान उन्हीं के द्वारा प्रस्तावित और आयोजित वर्कशॉप होते थे। चार सौ से ज्यादा वर्कशॉप करने के लिए तय किए गए कक्ष सहभागियों से ठसाठस भर जाते थे। शाम के करीब पहुँचते-पहुँचते निजी अनुभवों के साक्ष्यों की सुनवाई होने लगती थी। यहाँ भी श्रोताओं की संख्या का कोई ठिकाना नहीं रहता था। दिन भर की गतिविधियों के बाद रात में खुले आसमान के नीचे उत्सव के माहौल में कार्यक्रम किए जाते थे।

आयोजकों ने पहले ही तय कर लिया था कि फोरम में कोई अंतिम दस्तावेज पारित नहीं किया जाएगा। न ही इसका चरित्र विचारात्मक होगा, न ही गोलबंदी की जोरदार अपीलें की जाएँगी। सहभागियों द्वारा प्रस्तावित वर्कशॉपों के दौरान हुए अनुभवों के आदान-प्रदान और आपसी जुड़ाव के आधार पर ही तय होता था कि उनका अगला कदम क्या होगा। इन सभी फैसलों को किसी एक दस्तावेज में सीमित कर देना उनकी समृद्धि के साथ अन्याय ही होता। अनुभव बताता है कि वर्कशॉपों में चर्चित प्रस्तावों को उनके मूल रूप, उनकी विविधता, उनकी समृद्धि में कायम रखना कितना जरूरी है। दरअसल, ये सारे प्रस्ताव, दिशा-निर्देश, कार्यक्रम और प्रतिबद्धताएँ आपस में मिल कर ही वर्ल्ड सोशल फोरम का अंतिम दस्तावेज बनाते हैं जिसे इंटरनेट पर जारी किया जाएगा। ये सब एक हजार से ज्यादा सहभागी संगठनों के प्रतिनिधियों की उपज हैं। फोरम ने इन संगठनों को अपने आपसी संबंध अधिक सघन बनाने और समान संघर्ष में अधिक लोकतांत्रिक एकता के आधार पर विस्तृत नेटवर्किंग के जरिए कार्रवाई करने का मौका दिया है।

सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? सम संख्या वाले वर्ष बहुकेंद्रीय होंगे। इन वर्षों में सारी दुनिया में दावोस की तारीख पर ही आपस में जुड़े हुए बहुत से फोरमों का सिलसिला चलेगा। विषम संख्या वाले वर्षों में एक बड़ा एकल विश्व फोरम होगा। नव-उदारतावाद के लिए चिंतित होने के दिन आ गए हैं। पोर्टो अलेगरे में उसके प्रभुत्व के खिलाफ एक नई लहर उफन पड़ी है। अब ऐसा लगने लगा है कि 'दूसरी दुनिया मुमकिन है'।

परिशिष्ट-4

वर्ल्ड सोशल फोरम : तात्पर्य और नजरिया

पीयूसी वीवा (अंक-12, अप्रैल-जून, 2001) में प्रकाशित इस लेख का रचनाकाल भी पिछले लेख (परिशिष्ट-3) के आस-पास का है। पिछले लेख की तरह इसमें भी फोरम के आयोजन के फौरन बाद उसका मूल्यांकन किया गया है, पर थोड़े विस्तार के साथ। मैंने यह मूल्यांकन ब्राज़ीलियन जस्टिस एंड पीस कमीशन के कार्यकारी सचिव की हैसियत से 21 फरवरी, 2001 को हुई एपिस्कोपल पेस्टोरल कमीशन ऑव दि ब्राज़ीलियन एपिस्कोपल कांफ्रेंस के एक सत्र में बिशपों की बैठक में पेश किया गया था। वर्ल्ड सोशल फोरम की आयोजन समिति में मैं जस्टिस एंड पीस कमीशन के प्रतिनिधि की हैसियत से ही शामिल हूँ। इसके बाद इस लेख का प्रकाशन *पीयूसी वीवा* में हुआ।

पोर्टो अलेगरे में हुए वर्ल्ड सोशल फोरम, जिसकी आयोजन समिति में ब्राज़ीलियन जस्टिस एंड पीस कमीशन का एक प्रतिनिधि भी शामिल है, का मूल्यांकन करते समय एक बात पर गौर करना जरूरी है। इस फोरम ने कम से कम इतना बड़ा रूप तो ले ही लिया है कि अब वह उन्हीं तारीखों में दावोस, स्विट्जरलैंड में होने वाले वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम के बरक्स उसके विकल्प की तरह खड़ा हो सकता है। दावोस की खबर देने वाला मीडिया ब्राज़ील में और बाकी जगहों पर पोर्टो अलेगरे को भी जगह देने पर मजबूर हुआ। यहाँ तक कि वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम के आयोजकों को अपने भाषणों में वर्ल्ड सोशल फोरम का जिक्र करना पड़ा। इकॉनॉमिक फोरम के दौरान प्रकाशित होने वाले *फोरम न्यूज डेली* ने पोर्टो अलेगरे में अपना संवाददाता भेजा ताकि सोशल फोरम की खबरें प्रकाशित की जा सकें। दुनिया के ज्यादातर टीवी चैनलों पर एक घंटे से ज्यादा की एक टेलिकान्फ्रेंस प्रसारित की गई जिसमें दोनों फोरमों के सहभागी आमने-सामने थे।

लेकिन, वर्ल्ड सोशल फोरम को फासले से देखने वालों के मुकाबले उसमें शिरकत करने वाले लोग उसका मूल्यांकन अलग तरीके से करेंगे। सहभागियों के लिए वर्ल्ड सोशल फोरम एक जबरदस्त कामयाबी थी। यह एक ऐसा आयोजन था जिसकी रगों से संक्रामक उत्साह फूट-फूट कर बह रहा था। इकॉनॉमिक फोरम उत्साह के मामले में सोशल फोरम का पासंग भी नहीं कहा जा सकता। फोरम में भाग न ले सकने वालों के सामने वहाँ के माहौल का वर्णन करने पर उन्हें ऐसा ही अनुभव होता है।

यह मूल्यांकन करने के बाद अब एक सवाल उठता है कि जनवरी, 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम में फूटी ऊर्जा उसके सहभागियों से परे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाई जा सकती है? मीडिया न तो इस ऊर्जा का सम्प्रेषण कर पाया और न ही उसकी ऐसी कोई इच्छा ही दिखती है। वह तो इस आयोजन के सार और परिप्रेक्ष्य के सरलीकरण में लगा रहा या फिर सतही विवरणों या सनसनीखेज लगने वाले तथ्यों को परोसता रहा। अगर मीडिया यह दिखाने में नाकाम रहा कि वर्ल्ड सोशल फोरम के रूप में कुछ नया घटा है, तो फोरम के आयोजकों को गौर करना चाहिए कि वे मीडिया को इन नई घटना का यकीन क्यों नहीं दिला पाए। फोरम के बारे में चर्चा करने से बचने में नाकाम मीडिया अगर उसके नएपन पर रोशनी डालने के लिए तैयार नहीं था तो इसका एक मतलब यह भी था कि वर्ल्ड सोशल फोरम दुनिया पर हावी व्यवस्था के लिए खतरा बन चुका है।

यह कोई संयोग ही नहीं है कि सबसे ज्यादा बिकने वाली एक ब्राज़ीलियन पत्रिका ने अमेरिका का झंडा जलाते हुए एक चित्र इस अंदाज में छापा जैसे कि वह फोरम का उद्घाटन समारोह हो। असलियत यह थी कि यह प्रकरण फोरम के दो दिन पहले का था। रियो ग्रांड डो सुल स्टेट में बैंक कर्मचारियों ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान यह झंडा जलाया था। इस बात पर भी कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मीडिया ने फोरम के समापन समारोह को जोसे बोवी की हरकतों से जुड़े प्रकरणों में ही सीमित करने की कोशिश की। बोवी के ब्राज़ील से निष्कासन के आग्रह से सनसनीखेज पत्रकारिता को और पानी मिला। जैसा कि अंदेशा था, प्रेस ने फोरम को ब्राज़ील वर्कर्स पार्टी (पीटी) की राष्ट्रीय और रियो ग्राड डो सुल स्टेट स्तर की पहलकदमी के तौर पर पेश करने की कोशिश की ताकि फोरम के बारे में कम जानकारी रखने वाले लोग उससे कतरा जाएँ। पहले तो फोरम की खबरों के प्रसारित न करने और फिर ब्राज़ील व सारी दुनिया में उन्हें विकृत ढंग से प्रसारित करने से स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया के मालिकों से गठजोड़ करने वाले ब्राज़ील के सत्ताधारी कितने चिंतित हो चुके हैं। जहाँ तक आकार का सवाल है, फोरम अपने आयोजकों की अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा सफल रहा। कुछ ढाई हजार सहभागियों के आने की उम्मीद थी, पर दुनिया भर के सौ देशों से एक

हजार से भी ज्यादा संगठनों के 4,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शिरकत करने आए। ब्राज़ील और अन्य देशों से 500 सांसदों और मेयरों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें ब्राज़ील के कुछ प्रांतीय गवर्नर भी शामिल थे। इसके अलावा फोरम में हो रहे वर्कशापों में छ: हजार लोगों ने हिस्सा लिया। पोर्टो अलेगरे में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों, बैठकों और प्रदशनों में करीब इतने लोग ही और शिरकत कर रहे थे। दुनिया भर से करीब एक हजार पत्रकार इन सभी गतिविधियों के चित्र उतार रहे थे, और सहभागियों से बातचीत कर रहे थे।

जैसे-जैसे फोरम की तारीख नजदीक आई और उसके प्रस्तावों की लोगों को जानकारी हुई, सहभागियों की यह बाढ़ उमड़ती चली गई। इसका सीधा कारण यह था कि फोरम का आह्वान एकदम सही समय पर किया गया था। पिछले तीन साल से बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनकी सेवा में लगी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं के निर्णयों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। दुनिया के पैमाने पर इन विरोध-प्रदर्शनों में एक गुणात्मक उछाल लाने का यह सही मौका था। ठीक उसी दिन जब दावोस में खुद को दुनिया का मालिक मानने वाले लोग हर साल मिलते हैं, हमने न केवल विरोध करने के लिए बल्कि पहले से ही चल रही वैकल्पिक तैयारियों के आधार पर दूसरी दुनिया की रचना करने पर चर्चा करने के लिए मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस आयोजन में ब्राज़ीलवासियों द्वारा इतनी बड़ी संख्या में शिरकत इस बात की सबूत थी कि विपक्ष को कोई महत्त्व न देने वाली ब्राज़ील की सरकार के धृष्टतापूर्ण विमर्श की हवा निकल चुकी है। इससे जाहिर होता था कि अब अंतर्राष्ट्रीय पूँजी के सामने ब्राज़ील द्वारा घुटने टेकने के खिलाफ जोरदार प्रतिक्रिया करने का समय आ गया है।

गुणात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि पोर्टो अलेगरे के बाद मानवता का भविष्य अब 'इतिहास का अंत' घोषित कर देने वाले किसी एकल 'निर्भूल चिंतन' द्वारा परिभाषित होने नहीं जा रहा है। वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजन ने सोच-विचार का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया है जो यह बताता है कि धन के तर्क पर आधारित दुनिया के बजाय अगर वैकल्पिक दुनिया मनुष्य आधारित हुई तो कैसी होगी। यह दूसरी दुनिया मुमकिन है, और इसे बनाने के लिए हमें मानवता द्वारा किए गए गुजरे जमाने के तजुरबों से सीखना होगा। इनमें से कुछ तजुरबे तकलीफदेह भी हो सकते हैं। लेकिन, इन तजुरबों के केंद्र में होगा सम्पत्ति के उत्पादन और बँटवारे के समाज आधारित सरोकार। दरअसल, फोरम के कार्यक्रमों में सम्पत्ति की अवधारणा पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया और इस तरह सर्वथा नए मानवीय उद्यम की गुंजाइश खुल गई।

फोरम के अन्य प्रश्नों के साथ-साथ इस प्रकार के गहरी खोजबीन करने वाले सवाल

सुबह के वक्त सहभागियों के बीच होने वाले विचार-विमर्श की देन थे। इसके लिए फोरम के आयोजकों ने एक व्यापक विषयगत एजेंडा बनाया था जिसकी चार दिशाएँ थीं। पहली दिशा थी कि इनसान सम्पत्ति कैसे पैदा करता है, और वह सभी लोगों को बिना किसी विच्छिन्नता का जोखिम उठाए कैसे सुलभ हो सकती है। दूसरी दिशा नागरिक समाज की भूमिका के बारे में थी, तीसरी दिशा समाज के संगठन में सार्वजनिक जीवन की भूमिका के संबंध में थी, और चौथी दिशा राजसत्ता और मूल्यप्रणाली पर विचार करती थी कि राजसत्ता का उपभोग किस तरह किया जाना चाहिए। प्रत्येक दिशा के लिए चार-चार मुद्दे तय किए गए थे जिनकी पृष्ठभूमि में भूमंडलीकरण के कारण उत्तरोत्तर छोटे होते जा रहे विश्व के मौजूदा यथार्थ से बनी थी। इन मुद्दों को कई उप-विषयों के साथ दुनिया भर से आए चुनिंदा मेहमान वक्ताओं के सामने पेश किया गया था। वक्ताओं का चुनाव इन प्रश्नों पर सक्रियता और विद्वत्ता के लिए विख्यात हस्तियों में से हुआ था।

प्रत्येक दिन होने वाले चार प्लेनरी सत्रों में मेहमानों के व्याख्यान होते थे। इनमें अक्सर हजार से भी ज्यादा श्रोता होते थे। इन वक्ताओं से अपेक्षा यह नहीं थी कि वे हर प्रश्न की निश्चित व्याख्याएँ या गोलबंदी की अपीलें करेंगे। वक्तागण इन सवालों का अपने तरीके से उत्तर देने के लिए आजाद थे। फोरम के इन कार्यक्रमों से सीखने लायक सबसे बड़ा सबक यह था कि इस समय ही नहीं बल्कि शायद हमेशा हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल रहेंगे। हमें यह सोचते रहना होगा कि इनसानी सभ्यता के सामने मौजूद चुनौतियों के हल कैसे खोजे जाएँ। और यह कि हममें से किसी को परम सत्यों का वाहक होने का दंभ नहीं पालना चाहिए।

मेहमान वक्ताओं के व्याख्यानों के कार्यक्रमों में कुछ भावुक क्षण भी आए जब उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपनी कहानी भी कहें जो उनके अपने जीवन-अनुभवों और चिंतन-मनन की प्रक्रिया से बनी हो। इन आत्मकथ्यों को सुनने के लिए सभा कक्षों में इतने श्रोता उमड़ पड़े कि व्यवस्था करना नामुमकिन हो गया।

इनसान के सीखने की प्रक्रिया में एक नया आयाम उस समय जुड़ा जब फोरम के दौरान आकांक्षाओं, उद्देश्यों और सपनों की विविधता और बहुलता का लोकतांत्रिक आदर करने के बारे में गहन चिंतन किया गया। पोर्टो अलेगरे ने दिखाया कि विविधता के साथ जीवित रहना जरूरी भी है और संभव भी। दोपहर बाद सहभागियों द्वारा सुझाए गए स्व-आयोजित वर्कशॉपों की शुरुआत हुई। आयोजन स्थल यानी पोर्टो अलेगरे कैथोलिक यूनिवर्सिटी में उपलब्ध सभी कमरे न केवल चार सौ से ज्यादा वर्कशॉपों से भर गए, बल्कि बाकी को रियो ग्रांड डि सोल फेडरल विश्वविद्यालय में स्थानांतरित करना पड़ा। हर संगठन

ने अपने वर्कशॉप का आयोजन अपने ढंग से किया था, अपने पसंदीदा वक्ता बुलाए थे और बाद में होने वाली गतिविधियों का नियोजन भी अपने हिसाब से किया था। इन संगठनों ने इस मौके का लाभ उठा कर अपने नए नेटवर्क बनाए, जरूरत के मुताबिक नए वायदे किए, अपनी उद्घोषणाएँ जारी कीं और अपने सहभागियों से उनके प्रति सहमति माँगी।

वर्ल्ड सोशल फोरम का खुला स्पेस सुबह के सम्मेलनों से भी ज्यादा समृद्ध और आश्वस्त करने वाला था। इसकी वजह थी अनुभवों का आदान-प्रदान और नए अंतरसंबंधों का निर्माण जिनके आधार पर वर्कशॉपों में शिरकत करने वाले समूहों और संगठनों को अपनी परिवर्तनकामी कार्रवाइयाँ चलाते रहने में और सुविधा होगी। यह एक दोतरफा सबक था। इसमें एक तरफ तो विविधता का वास्तविक सम्मान हो रहा था। और, दूसरी तरफ उस आदर के लाभों को ठोस रूप भी दिया जा रहा था क्योंकि उसके तहत हर व्यक्ति अपने जीवन-विकल्पों के आधार पर निर्णय करने के लिए आजाद था, और क्योंकि मानवीय संबंधों को पारदर्शिता के साथ विनियमित करने के लिए लोकतंत्र एक अनिवार्य शर्त मान कर चला जा रहा था।

फोरम से सीखा गया तीसरा सबक यह था कि उसका समापन किसी अंतिम दस्तावेज से नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा कोई दस्तावेज जारी नहीं किया जाना चाहिए जिसमें फोरम में चर्चित सभी बातें कुछ वक्तव्यों की शक्ल में समाहित हों और जिससे सभी सहभागियों को एक दिशा में चलने का निर्देश मिले। ऐसा दस्तावेज तो एक 'निर्भूल चिंतन' को उस निर्भूल चिंतन की जगह रख देगा जिसके खिलाफ फोरम संघर्ष कर रहा है। फोरम की तैयारी के समय ही आयोजक तय कर चुके थे कि आखिरी दस्तावेज जारी नहीं किया जाएगा। फोरम से निकले तजरुबे से यह निर्णय और पुष्ट हुआ है। भला चार सौ से ज्यादा वर्कशॉपों में हुए विश्लेषण और रखे गए कार्रवाई प्रस्तावों की समृद्धि और विविधता एक दस्तावेज में कैसे समाहित की जा सकती थी। इसके अलावा, न केवल यह फोरम में हुई चर्चाओं की समृद्धि को नष्ट कर देगा, बल्कि उस अधिकार के भी खिलाफ चला जाएगा जिसके तहत हर किसी को फोरम में अपनी बात कहने का और कार्रवाई के लिए अपने हिसाब से निर्णय लेने का हक है। वस्तुत:, फोरम का अंतिम दस्तावेज उसके सहभागियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों का ही मिला-जुला रूप होगा। ये तमाम दस्तावेज इंटरनेट और किसी अन्य प्रकाशन द्वारा उन संगठनों को उपलब्ध कराए जाएँगे। इन्हीं के जरिए उन सहभागियों को अपनी कार्रवाइयाँ चलाते रहने का मौका मिलेगा।

फोरम ने शिरकत के लिए उन्हीं के पंजीकरण स्वीकार किए जो किसी न किसी समूह, संगठन या आंदोलन से जुड़े हुए थे। पोर्टो अलेगरे में पहुँचे सभी लोग नव-उदारतावाद के

खिलाफ किसी न किसी प्रकार संघर्ष में लगे हुए थे। अगर फोरम में हुई चर्चाओं और उनसे निकले अनुभवों से इन लोगों की बहुआयामी मानवीय गतिशीलता को सुदृढ़ और पुष्ट करने के बजाय निर्देशित करने की कोशिश की गई तो न केवल यह एक तरह की शेखीखोरी साबित होगी, बल्कि उनकी ताकत बढ़ाने में बाधा का काम भी करेगी।

फोरम से प्रवाहित होने वाले उत्साह और ऊर्जा के कारण यही थे। ऐसा लग रहा था कि उसके सहभागी एक लंबी नींद और आलस्य से जाग कर खुशी और उम्मीद में एक जगह जमा हुए हों। यही कारण था कि वे सभी उत्साह से सराबोर थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि फोरम के जरिए दुनिया पर हावी नव-उदारतावादी प्रभुता के खिलाफ एक ताकतवर मोर्चा खड़ा किया जा रहा है। नागरिक समाज पूँजी संचय के क्रूर और विकृत तर्क के खिलाफ अपनी जद्दोजहद का भूमंडलीकरण करने की प्रक्रिया में ऐसी ताकत हासिल कर रहा है जैसी उसे पहले कभी नहीं मिली थी। एक ऐसा जोड़ उभर रहा है जिसमें एक तरफ तो धन की सेवा में लगे हुए भूमंडलीकरण के खिलाफ प्रतिरोध का विश्वव्यापी समन्वित नेटवर्क सामने आ रहा है, और दूसरी तरफ उसके साथ जनोन्मुख विश्व रचने के वैकल्पिक प्रस्ताव भी जुड़े हुए हैं। यह सचमुच एक ऐतिहासिक घटना थी। वर्ल्ड सोशल फोरम होने के एक महीने पहले *ले मोंडे डिप्लोमेटीक* में इनासियो रेमोनेट ने ठीक ही लिखा था कि 'इक्कीसवीं सदी की शुरुआत पोर्टो अलेगरे में ही होगी।'

फोरम को एक फासले से देखने वाले लोगों को इन बातों का पूरा एहसास नहीं हो पाया। ब्राज़ील में तो ऐसे लोग कम थे ही, दुनिया में दूसरी जगहों पर तो उनकी संख्या और भी कम थी जिन्हें फोरम से निकलने वाली ताजा हवाओं का स्पर्श मिला हो। यूरोपीय देशों और पड़ोस के देशों से आने वाले प्रतिनिधिमंडलों की संख्या काफी थी, पर ज्यादातर देशों के एक या दो प्रतिनिधि ही आ पाए थे। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोरम के तात्पर्य की जानकारी दें और बताएँ कि पोर्टो अलेगरे में क्या हुआ था। हम लोगों के बीच में तो यह प्रक्रिया चलने ही लगी है। फोरम होने के दो हफ्तों में ही मैं इस तरह की कई बैठकों में हिस्सा ले चुका हूँ। अन्य देशों में हो रही इसी तरह की बैठकों की खबरें हमें मिल रही हैं। इस प्रयास को और तेज करना होगा। फोरम के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए उन लोगों के जीवंत अनुभवों पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करना होगा जो पोर्टो अलेगरे में मौजूद थे। फोरम की निरंतरता जारी रखना तो और भी जरूरी है।

फोरम के समापन समारोह में आयोजकों ने पेशकश की थी कि इस नव-उदारतावाद विरोधी लहर को और प्रोत्साहित किया जाए। इसी लहर में दूसरी दुनिया बनाने के प्रस्ताव भी निहित हैं और इसका प्रसार सारी दुनिया में होता जा रहा है। निर्णय किया गया है कि अन्य

देशों में भी पोर्टो अलेगरे जैसे ही फोरम किए जाएँ। उम्मीदों से भरी इस प्रतिरोध लहर का सभी देशों में पहुँचना जरूरी है ताकि इन देशों और उनके पड़ोसी इलाकों के ज्यादा से ज्यादा लोग नव-उदारतावाद विरोधी संघर्ष से जुड़ सकें, ठीक उसी तरह जैसे पोर्टो अलेगरे के फोरम का असर ब्राज़ील और उसके पड़ोसी इलाकों पर हुआ है।

सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? सम संख्या वाले वर्ष बहुकेंद्रीय होंगे। इन वर्षों में सारी दुनिया में दावोस की तारीख पर ही आपस में जुड़े हुए बहुत से फोरमों का सिलसिला चलेगा। विषम संख्या वाले वर्षों में एक बड़ा एकल विश्व फोरम होगा। नव-उदारतावाद के लिए चिंतित होने के दिन आ गए हैं। पोर्टो अलेगरे में उसके प्रभुत्व के खिलाफ एक नई लहर उफन पड़ी है। अब ऐसा लगने लगा है कि 'दूसरी दुनिया मुमकिन है'।

परिशिष्ट-5

पोर्टो अलेगरे के सबक

वर्ल्ड सोशल फोरम, 2002 के फौरन बाद रिकॉर्ड किए गए पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम 'टीवी कल्चर' के एक कार्यक्रम 'रोडा वीवा' में बोआवेंचुरा डि सोजा सांतोस से एक सवाल पूछा गया : क्या आपको नहीं लगता कि वर्कर्स पार्टी (पीटी) ने फोरम का अपने हितों के लिए दोहन लिया? फोरम में एक मशहूर हस्ती की तरह मौजूद रहने वाले इस पुर्तगाली समाजशास्त्री का जवाब था कि ऐसा करने के लिए पीटी की हैसियत बहुत छोटी है। इसी मौके पर *फोलहा डि साओ पाओ* नामक अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में पोर्टो अलेगरे के मेयर टारसो जेनरो का दावा था कि सारी दुनिया की वामपंथी पार्टियाँ भी अगर मिल कर कोशिश करें तो भी वर्ल्ड सोशल फोरम जैसा आयोजन नहीं कर सकतीं।

अगर सिर्फ सहभागियों की संख्या ही ले ली जाए, तो भी फोरम की सफलता निर्विवाद है। बोवेंचुरा और टारसो के वक्तव्य का आधार यही था, पर उनकी बातों में फोरम की कामयाबी के कारणों का हवाला भी शामिल था।

वर्ल्ड सोशल फोरम के पहले आयोजन से दूसरे के बीच सहभागियों की संख्या में दर्शनीय बढ़ोतरी हुई है। सन् 2001 में 20,000 लोगों की शिरकत हुई थी जो सन् 2002 में बढ़ कर 50,000 हो गई। पोर्टो अलेगरे से, ब्राज़ील की अन्य जगहों से और सीमाई देशों से करीब 35,000 लोग लंबी-लंबी बस यात्राएँ करके वहाँ पहुँचे। ये श्रोता उन हस्तियों को निजी रूप से देखना और सुनना चाहते थे जिनके वे प्रशंसक थे, साथ ही दुनिया के पैमाने पर हो रही उस विशाल बैठक का आनंद लेना भी उनका मकसद था।

लेकिन, यह बढ़ोतरी उस समय और भी अर्थगर्भित लगने लगती है जब हम फोरम में नागरिक समाज के समूहों और आंदोलनों द्वारा पंजीकृत कराए गए प्रतिनिधियों की संख्या

में हुई बढ़ोतरी पर नजर डालते हैं। सन् 2001 में यह संख्या 4,000 थी जो सन् 2002 में 15,000 हो गई। 131 देशों के 4,909 संगठनों ने इन प्रतिनिधियों को भेजा था। दरअसल, फोरम का सर्वथा नवीन चरित्र इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों को अपनी ओर खींचने की वजह बना। फोरम बहुलवादी और गैर-निर्देशात्मक था। विविधता का आदर करते हुए उसके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। केवल सरकारों, राजनीतिक दलों और फौजी संगठनों के नुमाइंदों को उसमें भाग लेने की इजाजत नहीं थी। यह फोरम नागरिक समाज द्वारा नागरिक समाज के लिए की गई पहलकदमी थी जिसने दुनिया में पहले और शायद अपने तरह के अकेले और एकदम नए सम्मिलन स्थल को जन्म दे दिया था। इस सम्मिलन स्थल पर राजनीतिक सत्ता के लिए होड़ करने वाली किसी सरकार, आंदोलन, पार्टी, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का नियंत्रण नहीं था।

वस्तुतः, प्रतिनिधियों के लिए फोरम ठीक वैसा ही साबित हुआ जैसा उसके आयोजक उसे बनाना चाहते थे : एक क्षैतिज स्पेस जिसमें प्रतिनिधि खुल कर अपने प्रस्तावों और संघर्षों की पेशकश कर सकते थे। बिना इस बात की चिंता किए हुए कि कौन सा मुद्दा किससे अधिक महत्त्वपूर्ण है और कौन किस पर अपने विचार और काम करने की रफ्तार थोप रहा है। प्रतिनिधिगण बेफिक्र हो कर अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकते थे। दूसरों के संघर्षों, उम्मीदों और प्रस्तावों से सीख सकते थे। अपनी कार्रवाई के दायरे में उभरने वाले मुद्दों के बारे में अपनी समझ गहन कर सकते थे ताकि राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर विश्व स्तर पर अपनी बात कह सकें। अर्थात फोरम में सहभागिता के जरिए उनके लिए सामाजिक रूपांतरण के रास्ते पर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना मुमकिन था। अगर उन्हें किसी से आदेश लेने होते, अगर उनके विकल्पों पर किसी का नियंत्रण होता, अगर उन्हें अनुशासित कार्रवाइयों और गोलबंदी की तरफ धकेला जाता, अगर उन्हें वक्तव्यों, प्रस्तावों और सामूहिक मतों पर अपनी मुहर लगानी होती, तो शायद फोरम में शिरकत के प्रति उनमें इतनी दिलचस्पी न रह जाती। यही कारण है कि फोरम के आयोजकों ने अपने चार्टर में लिख दिया था कि फोरम अपने नाम पर कोई मत निर्धारित नहीं करेगा। न ही फोरम के नाम पर कोई बोलेगा। न ही फोरम का समय किसी 'अंतिम दस्तावेज' पर बहस करने में बरबाद किया जाएगा।

फोरम का चार्टर साफ तौर से कहता है कि वर्ल्ड सोशल फोरम का चरित्र विचारात्मक नहीं होगा। यह फोरम दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम के विकल्प के तौर पर प्रस्तावित हुआ है और दावोस का फोरम भी गैर-विचारात्मक है। सोशल फोरम का यही पहलू उभारने के लिए उसे दावोस की तारीखों पर ही किया जाता है। फोरम के सभी

सहभागियों के लिए आयोजन एक ऐसे मौके की तरह है जब वे अपनी प्रतिबद्धताओं और अभिव्यक्तियों को दुनिया के पैमाने पर और गहन कर सकते हैं। फोरम एक ऐसे दायरे में घटता है जो पहले से ही मौजूद है और जिसकी मौजूदगी फोरम के बाद भी कायम रहती है। दावोस के फोरम के साथ कुछ समानताओं के साथ-साथ सोशल फोरम कई तरीके से उससे भिन्न भी है। दावोस में शिरकत करने वाले संपूर्ण मानवता पर पूँजी की प्रभुता कायम रखना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग अपने निजी व्यवसाय के विस्तार की फिराक में रहते हैं। जबकि, पोर्टो अलेगरे में शिरकत करने वाले पूँजी के हितों की चौधराहट में हो रहे भूमंडलीकरण के खिलाफ चारों तरफ बढ़ते जा रहे विरोध से ताकत प्राप्त करते हैं। ये लोग एक ऐसी दूसरी दुनिया बनाने की तरफ बढ़ना चाहते हैं जो मानव-केंद्रित होगी और प्रकृति का सम्मान करेगी। यह एक ऐसी दुनिया होगी जिसे न केवल मुमकिन समझा जा रहा है, वरन् यह भी माना जा रहा है कि उसे बनाना आवश्यक है और उसमें अब कोई देर नहीं की जानी चाहिए। एक तरह से सोशल फोरम के सहभागी इस दुनिया की रचना की शुरुआत अपनी व्यावहारिक कार्रवाइयों के जरिए कर ही चुके हैं।

उद्देश्यों और विषयवस्तु के बीच फर्क होने के कारण दोनों फोरमों की आयोजन पद्धति भी अलग-अलग हो गई है। दावोस में मुख्य गतिविधियाँ पहले से तय मुद्दों पर होने वाले सम्मेलनों और बहसों के रूप में होती हैं। इनमें भाग लेने के लिए आयोजकों द्वारा नव-उदारतावादी एकाश्म विचार के बड़े-बड़े बौद्धिक प्रतिनिधियों को निमंत्रित किया जाता है। ताकतवर देशों के ताकतवर राजनेता और दैत्याकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक या अधिकारी आते हैं। जहाँ तक पोर्टो अलेगरे के फोरम का सवाल है, वहाँ भी सम्मेलनों और बहसों के लिए काफी गुंजाइश छोड़ी जाती है, और साथ में ऐसे लोगों के आत्मकथ्य भी सुने जाते हैं जिनके पास कुछ खास तरह के अनुभव या चिंतन की थाती है। इसके लिए दावोस की ही भाँति पोर्टो अलेगरे में भी चर्चित मुद्दों के बारे में पहले से ही सोच-विचार कर रहे या उन पर पहले से ही सक्रिय लोगों को बुलाया जाता है, हालाँकि सन् 2002 में पोर्टो अलेगरे के सम्मेलनों का संचालन कुछ व्यक्तियों के हाथों में न हो कर दुनिया के बड़े-बड़े नेटवर्कों के हाथ में था। लेकिन, वर्ल्ड सोशल फोरम की सबसे लाभकारी गतिविधि उन वर्कशॉपों और सेमिनारों के रूप में होती है जो स्वयं सहभागियों द्वारा मुक्त रूप से प्रस्तावित और आयोजित किए जाते हैं। सन् 2001 में इनकी संख्या 400 थी, और सन् 2002 में 750। दरअसल, इन्हीं वर्कशॉपों और सेमिनारों के आसपास उत्साह और खुशी का वह माहौल बनता है जो पोर्टो अलेगरे को दावोस से एकदम अलग कर देता है। फोरम स्थल के गलियारों और बगीचों में तरह-तरह के रंगों और ध्वनियों का मुजाहिरा देखने को मिलता है। जोशीले

विरोध प्रदर्शन होते हैं, और कार्रवाई प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। यह एक ऐसा माहौल होता है जिसमें अनपेक्षित कार्यक्रम और प्रदर्शन कभी भी घटित हो सकते हैं। दावोस का सुनियोजित और धुला-पुछा माहौल इसका ठीक उल्टा है। कहना न होगा कि वर्ल्ड सोशल फोरम की इस आयोजन पद्धति ने तरह-तरह की गलतफहमियों, दबावों, भटकावों और यहाँ तक कि पूरे फोरम का दोहन कर लेने की कोशिशों तक का सामना किया। वर्ल्ड सोशल फोरम का बहुत बड़ा आकार प्रलोभन पैदा करता है कि इसका राजनीतिक फायदा कैसे उठाया जाए। पर, इसकी क्षैतिज प्रकृति उन लोगों को दिक्कत में डाल देती है जो आनन-फानन में दुनिया बदल देना चाहते हैं और जो राजनीतिक कार्रवाई के पुराने प्रतिमानों के अभ्यस्त हो चुके हैं।

मसलन, यह बात ज्यादातर पत्रकारों के पल्ले नहीं पड़ती कि वर्ल्ड सोशल फोरम का कोई 'अंतिम दस्तावेज' या उसके ठोस प्रस्ताव क्यों जारी नहीं किए जाते। उनकी यह उलझन उन खबरों में भी झलकती है जो वे फोरम के बारे में छापते हैं। ये पत्रकार फोरम में नेताओं और राजनीतिक पंडितों के इंटरव्यू लेने के इरादे से ही आते हैं। या फिर वे चाहते हैं कि उन्हें सत्ता संघर्ष की कोई घटना छापने का मौका मिल जाए। खास बात यह है कि वे ये माँगें दावोस के फोरम से नहीं करते, पर पोर्टो अलेगरे से उनकी यही अपेक्षाएँ होती हैं। उन्हें यह समझने में बहुत दिक्कत होती है कि वर्ल्ड सोशल फोरम कोई शिखर सम्मेलन नहीं है। इसका आधार तो सामाजिक आंदोलन है। अपने विकास के लिए यह फोरम शिखर सम्मेलन नहीं कर सकता, न ही उसके शीर्ष पर कुछ नेता बैठे हो सकते हैं। पाँच दिन तक चलने के बाद 15 से 50,000 लोगों के कामकाज के 'अंतिम संश्लेषण' का मतलब होगा फोरम की चर्चा को उसकी समस्त समृद्धि से वंचित कर देना। ऐसा दस्तावेज बिना हथकंडेबाजी के पारित कराया ही नहीं जा सकता। ऐसे दस्तावेज में अपनी-अपनी बातें शामिल कराने के लिए हर सहभागी को एक-एक पंक्ति पर जूझना होगा।

समझने की बात यह है कि फोरम में सैकड़ों ठोस प्रस्ताव रखे जाते हैं, विशेष तरह की गोलबंदी की पेशकश भी की जाती है (जैसी इस वर्ष एफटीटीए के खिलाफ की गई), और नए तरह का आत्म-चिंतन भी होता है (जैसे कि इस बार दुनिया बदलने की इच्छा रखने वालों के लिए भीतर से बदलने की जरूरत पर जोर देना)। कई वर्कशॉपों और सेमिनारों में चर्चा होने के बाद इस मुद्दे पर एक सम्मेलन किया गया जिसमें 2,000 लोगों ने भाग लिया। लेकिन, इनमें से कोई प्रस्ताव या आत्म-चिंतन फोरम की अभिव्यक्ति के तौर पर नहीं लिया जाता। ये अपने प्रस्तावकों और पारित करने वालों की ही जिम्मेदारी होते हैं। इनका समर्थन करने वाले भी या तो समूहों की हैसियत से ऐसा करते हैं या फिर व्यक्तियों की हैसियत से।

फोरम की हैसियत से नहीं।

स्वाभाविक तौर पर फोरम के आयोजकों और उनकी मदद करने वालों को भी किसी न किसी तनाव से गुजरना पड़ता है। इन्हीं में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो चाहते हैं कि फोरम की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार कौंसिल नव-उदारतावाद के खिलाफ संघर्ष दुनिया के पैमाने पर निर्देशित करने वाली संस्था बन जाए और इस प्रक्रिया का नियंत्रण अपने हाथ में ले ले। लेकिन, फोरम की निरंतरता कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध आयोजकों का परिप्रेक्ष्य फोरम के चार्टर ऑव प्रिंसिपल्स द्वारा मान्य आयोजन पद्धति की पुष्टि करते हुए दूसरी दिशा में संकेत कर रहा है। अब यह उत्तरोत्तर स्वीकार होता जा रहा है कि फोरम एक प्रक्रिया है, न कि कोई एक घटना या अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस पर किसी नेता का नियंत्रण नहीं है, और न ही यह नव-उदारतावादी एकाश्म विचार को किसी दूसरे एकाश्म विचार से प्रतिस्थापित करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो यह फोरम के लिए घातक होगा। इसीलिए यह सुनिश्चित करना भी जरूरी हो गया है कि फोरम के सम्मेलन किसी निर्देशक दस्तावेज के साथ खत्म न हों, उन दस्तावेजों को श्रोताओं द्वारा वोट डालने के जरिए पास न किया जाए, और कुल मिला कर वे वर्कशॉपों पर हावी न हो जाएँ। इसी के साथ आयोजकों द्वारा किए गए निर्णयों का एक मकसद यह भी है कि ब्राज़ील में हुई गोलबंदी के आकर्षण का इस्तेमाल करके दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी गोलबंदियाँ की जाएँ। संभवत: पोर्टो अलेगरे में होने वाले सन् 2003 के फोरम से पहले दुनिया के अलग-अलग इलाकों में करीब दस क्षेत्रीय और विषयगत फोरमों के आयोजन होंगे। ये कार्यक्रम सितंबर से दिसंबर, 2002 के बीच में किए जाएँगे। संभावना यह है कि सन् 2004 का वर्ल्ड सोशल फोरम भारत में किया जाएगा।

वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजकों के सामने बड़ी चुनौती यह नहीं है कि पहले से नए-नए और बेहतर विषयों की खोज कैसे की जाए ताकि ज्यादा ठोस प्रस्ताव तैयार किए जा सकें, बल्कि यह है कि फोरम को दिया गया आकार बिना किसी तब्दीली के कैसे जारी रखा जाए। दरअसल, यह अपनाए जाने वाले साधनों का प्रश्न है जिनके आधार पर ही अंतत: साध्य तय होगा। फोरम की सामग्री उसी प्रक्रिया से स्वाभाविक रूप से निकलेगी। दूसरी दुनिया बनाने के लिए मानव जाति के संघर्ष की अग्रगति के साथ ही फोरम के विभिन्न संस्करण बढ़ते चले जाएँगे। इनकी विषयवस्तु सबके लिए समान भी होगी, और उन इलाकों के लिए विशिष्ट भी होगी जहाँ फोरम किए जा रहे होंगे। अहम बात यह है कि वर्ल्ड सोशल फोरम द्वारा दिया राजनीतिक रूपांतरण का नया प्रतिमान कहीं 'पुराने मॉडलों' की भेंट न चढ़ जाए।

(21 फरवरी, 2002)

परिशिष्ट-6

डब्ल्यूएसएफ-2003 : एक कदम और आगे

दिसंबर, 2002 में लिखा गया यह लेख उन उम्मीदों की चर्चा करता है जो तीसरे वर्ल्ड सोशल फोरम से लगाई गई थीं। तीसरे फोरम ने इन सभी अपेक्षाओं को पूरा किया और इस प्रकार फोरम के आयोजकों के मूल विचार की एक बार फिर पुष्टि हो गई। एक लाख लोगों की शिरकत की भविष्यवाणी पूरी ही नहीं हुई, फोरम में इससे भी ज्यादा लोगों ने सहभागिता की। यह लेख उस 'व्याख्यात्मक नोट' में निहित आश्वासन पर सन् 2002 के दौरान अमल की घोषणा भी करता है जो पहले फोरम के आखिर में जारी किया गया था। इस नोट में फोरम-प्रक्रिया विश्व स्तर पर ले जाने के लिए अन्य देशों में भी छोटे-छोटे फोरम करने का कार्यक्रम बनाया गया था। इस लेख में सन् 2004 का फोरम भारत में किए जाने और सन् 2005 का फोरम फिर से ब्राज़ील में किए जाने का भी जिक्र है। हम जानते हैं कि ये दोनों आयोजन इसी प्रकार हुए भी।

वर्ल्ड सोशल फोरम का तीसरा आयोजन पोर्टो अलेगरे में 23 से 28 जनवरी, 2003 के बीच होगा। फोरम के लिए पंजीकृत प्रतिनिधियों और गोष्ठियों की संख्या हर फोरम के साथ ही उसी अनुपात में बढ़ रही है। पहले के मुकाबले यह संख्या दूसरे फोरम में दोगुनी हुई। इस बार सहभागियों की संख्या बढ़ कर एक लाख तक पहुँच सकती है। यह एक जबरदस्त कामयाबी है। फोरम को दुनिया के पैमाने पर ले जाने की प्रक्रिया के लिहाज से देखा जाए तो इस कामयाबी की अहमियत और बढ़ जाती है। पूँजी के प्रभुत्व के भूमंडलीकरण की ही तरह आयोजकों का जोर सोशल फोरम-प्रक्रिया के भूमंडलीकरण पर रहा है। इसी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों पर ब्यूनस आयरस, अर्जेंटीना में फोरम किया गया। बेलेम डो पारा में पैन-अमेज़न फोरम आयोजित हुआ। रामल्लाह, फिलिस्तीन में हुए

फोरम में युद्ध और शांति पर चर्चा हुई। हैदराबाद, भारत में एशियायी फोरम किया गया। मोरोक्को और इथियोपिया में अफ्रीकी फोरम हुए। फ्लोरेंस, इटली में हुए यूरोपीय फोरम में करीब 60,000 लोगों ने शिरकत की। सन् 2003 में भी ऐसे कई फोरम किए जाएँगे।

अब सवाल पूछा जाना स्वाभाविक ही है कि फोरम-प्रक्रिया आखिर इतनी कामयाब क्यों है?

इसके दो कारण तो हैं ही। पहला, फोरम का आह्वान सही वक्त पर किया गया। नव-उदारतावाद की विश्व चौधराहट के खिलाफ जिस समय सारी दुनिया में विरोध की लहर उठ रही थी, उस समय महसूस किया गया कि अब 'भूमंडलीकरण विरोध' से आगे बढ़ कर 'वैकल्पिक भूमंडलीकरण' की तरफ जाना होगा। इसी ख्याल से वर्ल्ड सोशल फोरम का केंद्रीय नारा 'एक और दुनिया मुमकिन है' निकला। दूसरा, फोरम का विचार आम तौर पर आयोजित की जाने वाली सभाओं, सम्मेलनों, बैठकों और अधिवेशनों से अलग किस्म का है। फोरम तो केवल एक खुला स्पेस है जिसमें एक मूल्य के रूप में विविधता का पूर्ण सम्मान किया जाता है। इस स्पेस में सभी लोग अपने अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। चाहे वे सामाजिक धरातल पर काम कर रहे ग्रासरूट्स समूह हों, या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बदलने के लिए जद्दोजहद कर रहे ग्लोबल संगठन हों। फोरम में सभी के पास एक-दूसरे से सीखने का मौका होता है, सभी अपना-अपना अलगाव तोड़ सकते हैं, अलग-अलग क्षेत्रों के बीच बँटी कार्रवाई के बीच की दीवारें गिर सकती हैं, राष्ट्रीय और भूमंडलीय स्तर पर नेटवर्किंग हो सकती है। यह सब करने के लिए फोरम न तो किसी शिखर सम्मेलन का रूप लेता है, न ही पीछे से कोई नेता निकल कर 'अंतिम दस्तावेज' मतदान या किसी और तरीके से थोपने की कोशिश करता है, न ही एकताबद्ध मार्च के आदेश जारी किए जाते हैं। फोरम अगर ऐसा करता तो यह भी एक 'निर्भूल चिंतन' की जगह किसी दूसरा 'निर्भूल चिंतन' स्थापित कर देना ही होता।

इन्हीं दोनों कारणों से फोरम उन सभी लोगों को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो गया जिन्हें लग रहा था कि अब अपनी बात कहने का वक्त आ गया है। साथ ही फोरम ने लोगों को यह भरोसा भी दिया कि उसके खुले स्पेस में उनके विचारों, विकल्पों और काम करने के तौर-तरीकों की पूरी कीमत समझी जाएगी।

चूँकि फोरम का खुशनुमा माहौल किसी मेले-महोत्सव की याद दिला देता है, इसलिए इच्छुक सहभागियों की रुचि उसमें केवल बढ़ ही सकती है। हकीकत तो यह है कि दुनिया बदलने की परियोजना में अपने-अपने स्तर पर बहुत बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं। इन लोगों और इन संगठनों को लग रहा है कि फोरम में पूरी आजादी के साथ अपने वर्कशॉप

करके और दूसरों के वर्कशॉपों में शिरकत करके वे अपने विचार और कार्यक्रम और विकसित कर सकते हैं। फोरम के पाँच दिन लंबे कार्यक्रम के दौरान उन्हें न जाने कितनी सूचनाएँ मिल सकती हैं, वे न जाने कितनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए, फोरम में आने वाले संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। फोरम में उन्हें अपना काम दिखाने का मौका मिलता है, अपने जैसा ही काम कर रहे दूसरे लोगों से विचार-विमर्श करने और नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है, और परिवर्तन की जद्दोजहद में लगी दूसरे क्षेत्रों में कार्यरत ताकतों से जुड़ने का अवसर मिलता है। फोरम की असली सम्पत्ति तो उसके सहभागियों द्वारा किए जाने वाले वर्कशॉप ही बन गए हैं। सन् 2003 में ऐसे वर्कशॉपों की संख्या 1,700 होने वाली है। इनका आयोजन फोरम के आयोजकों द्वारा प्रस्तावित सम्मेलनों और संगोष्ठियों के समांतर चलता रहेगा। आयोजकों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों में दुनिया के प्रमुख बुद्धिजीवी बोलने के लिए बुलाए गए हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि सहभागियों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों की अहमियत कम समझी जाएगी। फोरम की निगाह में वे भी उतने ही महत्त्वपूर्ण रहेंगे।

इस प्रकार फोरम अधिक व्यापकता और गहनता के साथ परिवर्तन अंजाम देने के लिए कार्रवाई की एक नई क्षैतिज और नेटवर्क आधारित शैली की नुमाइंदगी करता है। चूँकि यह राजनीतिक कार्रवाई के परंपरागत रूप से भिन्न है इसलिए इसे आसानी से स्वीकार करना और समझना मुश्किल होता है। मसलन, मीडिया हमेशा इस फिराक में रहता है कि फोरम के नेता कौन हैं और पाँच दिन की इस कवायद के परिणामस्वरूप क्या चीज सामने आने वाली है। वह नहीं समझ पाता कि फोरम के सभी सहभागी जो पहले से करते रहे हैं वही करते रहेंगे। फर्क यह होगा कि फोरम में शिरकत के बाद वे अपना काम अधिक ऊर्जा और बेहतर नेटवर्किंग के साथ करेंगे।

राजनीतिक पार्टियाँ क्षैतिज नेटवर्क आधारित कार्रवाई का मर्म नहीं समझ पातीं। उन्हें अंदेशा रहता है कि कहीं उनकी राजनीतिक इजारेदारी पर आँच न आ जाए। कहना न होगा कि उनके इरादे नेक भी हो सकते हैं। पर उनकी चिंता यह होती है कि फोरम के प्रस्ताव सरकारी नीतियों के क्षेत्र पर न असर डालने लगें जिसे वे अपना स्वाभाविक कार्यक्षेत्र मानती हैं। इस परेशानी के बावजूद अब धीरे-धीरे पार्टियों की समझ में आ रहा है कि अगर वे इस विशाल सामाजिक आंदोलन को निर्देशित करने की कोशिश न करके उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगी तो उन्हें अधिक शक्ति और वैधता प्राप्त होगी। फोरम के कार्यक्रम से उन्हें अपने कार्यक्रमों में कई नई बातें जोड़ने का मौका मिल सकता है। अगर वे यह समझ लें तो और भी बेहतर होगा कि दुनिया में परिवर्तन की धारा शीर्ष से नीचे की ओर नहीं बहेगी, बल्कि

नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। परिवर्तन तभी होगा जब सारे नागरिक परिवर्तन करना अपनी जिम्मेदारी समझेंगे।

योजना यह है कि सन् 2004 का वर्ल्ड सोशल फोरम भारत में आयोजित किया जाए, ताकि फोरम द्वारा की जाने वाली सामाजिक गोलबंदी दुनिया के दूसरे इलाकों में भी पहुँचे। सन् 2005 में शायद यह फोरम फिर से ब्राज़ील में ही होगा और उसके बाद फिर उसे किसी अन्य महाद्वीप में ले जाया जाएगा ताकि यह परिवर्तनकारी ऊर्जा सारी दुनिया में फैल सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके भीतर दूसरी दुनिया का निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है। हम सभी लोग पोर्टो अलेगरे या किसी और जगह चलने वाली फोरम की इस ताजगी भरी प्रक्रिया में अपने-अपने स्तर पर शिरकत करते रहेंगे।

(13 दिसंबर, 2002)

परिशिष्ट-7

क्या राजनीतिक कार्रवाई के लिहाज से वर्ल्ड सोशल फोरम में कोई नई बात है?

फोरम के काम करने के तौर-तरीके से राजनीतिक कार्रवाई की संरचना में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कार्रवाई में लगे लोगों के व्यवहार और रवैये को तो प्रभावित करते ही हैं, राजनीतिक कार्रवाई की समझ पर भी असर डालते हैं। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक कार्रवाई केवल पेशेवर राजनेताओं और राजनीतिक दलों के सदस्यों की ठेकेदारी है? अथवा, यह एक ऐसी मानवीय क्रिया है जो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की जीवन-स्थितियों को प्रभावित करती है?

इन सवालों के जवाबों पर ही निर्भर है कि 'राजनीतिक संस्कृति' का स्वरूप कैसा होगा? इस लेख की विषयवस्तु यही है। यह आईबीएएसई की पत्रिका *डेमोक्रेसिया वीवा* के द्विभाषी संस्करण (अंक-14, जनवरी 2003) में प्रकाशित हुआ था।

डब्ल्यूएसएफ राजनीतिक कार्रवाई का जो तरीका स्थापित करना चाहता है, उससे सामाजिक रूपांतरण की वह प्रक्रिया और क्षमतावान होगी जो पिछले कुछ दशकों से कई देशों में चलाई जा रही है। स्थापना की यह कोशिश अभी जारी है और हो सकता है कि इसमें हमें धक्के का सामना भी करना पड़े। सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि फोरम-प्रक्रिया में आए नए तनावों का हल किस प्रकार किया जा जाता है। अगर कुछ *नया* घटित होना है तो राजनीतिक परिदृश्य के मुख्य अभिनेताओं, राजनीतिक दलों और उनके साथ जुड़े लोगों को अपने भीतर परिवर्तन करना होगा। लेकिन, दिक्कत यह है कि जो *पुराना* है उसके दिमाग और कार्यशैली में आज भी वर्चस्व कायम करने की इच्छा भरी हुई है।

लंबे अरसे से *राजनीतिक कार्रवाई* ऐसे लोगों की गतिविधि समझी जाती रही है जो राजनीति के प्रति *पेशेवर रूप से* समर्पित हैं, पूरे समय राजनीति ही करते हैं और जिनका पारिश्रमिक समाज देता है। दो संकटों के कारण यह समझ और विस्तृत करने की जरूरत महसूस हुई है : लोकतंत्र का कामकाज चलाने के लिए जरूरी समझी जाने वाली प्रतिनिधित्वमूलक प्रणाली का संकट, और राजनीतिक दलों का संकट जिनके जरिए लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। पहला संकट जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच बढ़ते हुए अंतराल की उपज है। इसके कारण प्रतिनिधियों की साख पर बुरा असर पड़ा है। पार्टियों का संकट उनके अंतरमुखी होते चले जाने की देन जिसके कारण वे चुनावी विवादों और सत्ता संघर्ष में ही फँसी रहती हैं।

समाज के साथ संवाद में कमी आने और आंतरिक सत्ता संघर्ष का बुरा असर उन प्रतिनिधित्वमूलक संरचनाओं पर भी हुआ है जिनकी गिनती राजनीतिक संरचनाओं के रूप में नहीं होती, जैसे कि मजदूर यूनियनें।

इसके कारण पैदा हुई राजनीतिक अक्षमता ने नीचे से ऊपर तक समाज के कई क्षेत्रों को मजबूर कर दिया है कि वे राजनीतिक इरादे से की गई कार्रवाई के अन्य रूपों की तरफ बढ़ें। ये नए रूप प्रतिनिधि चुनने के लिए पार्टियों, यूनियनों और चुनाव प्रणाली से कतरा कर निकल जाते हैं। कार्रवाई के इन नए रूपों को *नागरिक आंदोलनों* के नाम से जाना जाता है। ये आंदोलन पारिस्थितिकी और मानवाधिकार सरीखे मुद्दों पर माँगों के लिए संघर्ष करते हैं। गरीब देशों में चलने वाले लोकप्रिय आंदोलन एवं अमीर देशों में मजदूरों और छात्रों के परस्पर संबद्ध और स्वतंत्र गोलबंदी राजनीतिक कार्रवाई के नए रूपों के स्पष्ट उदाहरण हैं।

इन राजनीतिक पहलकदमियों का सांगठनिक चरित्र भी अलग तरह का है। फ्रांस में मई, 1968 को हुए आंदोलन की विरासत से सम्पन्न ये आंदोलन राजनीतिक नारों, पार्टी अनुशासन, करिश्माई नेताओं आदि की अंधी मातहती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। कुल मिला कर वे किसी भी किस्म का अधिनायकत्व बर्दाश्त नहीं करते। वामपंथियों या दक्षिणपंथियों द्वारा की जाने वाली गोलबंदियों के विपरीत जब इन पहलकदमियों के तहत लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरते हैं तो प्रस्तावित संघर्षों के प्रति अपनी-अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। उनके नेता बाद में किसी पार्टी या किसी यूनियन की सत्ता-संरचना का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त नहीं करते। पिरामिडनुमा सांगठनिक संरचनाओं की जगह सामूहिक तालमेल करके बनाई गई कमेटियाँ और नेटवर्कों के रूप में फैलने वाले आपसी सूत्र ले लेते हैं। नतीजे के तौर पर तीसरी दुनिया में इन नए राजनीतिक अभिनेताओं ने बहुत से ग्रासरूट्स आंदोलनों को बढ़ावा दिया है।

ब्राज़ील में भी ऐसा ही हुआ है। वहाँ कैथोलिक चर्च और ईसाइयों के समुदायों ने उन पार्टी संरचनाओं से स्वतंत्र हो कर पहलकदमियाँ कीं जो उस समय दमन के मुकाबले घुटने टेक चुकी थीं।

यही है वह प्रक्रिया जिसके तहत लोगों को पता लगता है कि राजनीतिक कार्रवाई केवल पेशेवर राजनीतिक कार्यकर्ताओं या पार्टी काडरों की ही ठेकेदारी नहीं है। इससे साफ हो जाता है कि सभी तरह की इनसानी क्रियाओं में एक राजनीतिक घटक समाहित रहता है, क्योंकि उनका ताल्लुक दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले असर से भी होता है। हालत यह है कि राजनीतिक सक्रियता की गैर-मौजूदगी भी अपने आप में राजनीतिक सहभागिता का एक रूप है। शीर्ष से किए गए फैसलों को स्वीकार कर लेना या चीजों को उनके हाल पर छोड़ देने का मतलब यही होता है। किसी पार्टी से जुड़े हुए हों या न हों, किसी यूनियन के सदस्य हों या न हों, राजनीतिक काम का पारिश्रमिक मिलता हो या न मिलता हो, इस प्रक्रिया में आने पर लोगों को नागरिक की तरह सोचने और क्रिया करने की संभावना और जरूरत का एहसास होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि सभी लोगों की जिंदगी का रंग-रूप तय करने वाले राजनीतिक फैसलों में वे शिरकत कर सकते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए।

चूँकि दुनिया सूचना, संचार और परिवहन के जबरदस्त भूमंडलीकरण से गुजर रही है जिसके कारण किसी भी कोने में कैसी भी नाइंसाफी की सीधी जानकारी सारी दुनिया-भर को मिलना मुमकिन हो गया है, इसलिए नागरिक चेतना अब बहुसंख्यक लोगों तक ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में हर जगह पहुँच सकती है। इससे निकलने वाली एकजुटता सहभागिता के इच्छुक लोगों की संख्या बढ़ा देती है। न केवल उनके अपने देशों में, बल्कि नागरिक स्तर पर होने वाली नए किस्म की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कार्रवाई में शिरकत करने वालों की संख्या बढ़ जाती है।

दुनिया भर में जिस समय नव-उतारतावादी चौधराहट के खिलाफ नागरिक आंदोलन उफन रहे थे और उनके नेटवर्कों का तेजी से प्रसार हो रहा था, उस समय इसी गतिशीलता की रोशनी में वर्ल्ड सोशल फोरम की पेशकश की गई। यह फोरम इन आंदोलनों की तरफ से किया गया एक राजनीतिक हस्तक्षेप था। यह उस आर्थिक मॉडल के विरोध में खड़ा हुआ था जिसने हर चीज को जिंस में बदल दिया था, जिसके कारण राजनीतिक प्रक्रिया बाजार की मातहती में चली गई थी और जिसकी वजह से विभिन्न देशों के बीच विषमताएँ बढ़ती चली जा रही थीं। फोरम के विचार को मिली व्यापक स्वीकृत बता रही थी कि अब पार्टियों के सापेक्ष और पार्टी आधारित कार्रवाई के विकल्प के रूप में नागरिक समाज की स्वायत्त राजनीतिक कार्रवाई संगठित और सुदृढ़ करने का समय आ गया है। यही वह वक्त था जब

फोरम ने एक नया राजनीतिक अभिनेता पैदा कर दिया। यह है *भूमंडलीय नागरिक समाज*, जिसके आयाम और अभिव्यक्ति आज की वर्चस्वी उदारतावादी प्रणाली जितने ही व्यापक हैं।

वर्ल्ड सोशल फोरम के पहले आयोजन की कामयाबी के बाद जब आयोजकों ने फोरम का चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स लिखा तो क्षैतिज संगठन की मूल संकल्पना से प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने फोरम को नव-उदारतावाद के खिलाफ संघर्ष चलाने वाले किसी विश्व स्तरीय कमांड केंद्र में बदलने से इनकार कर दिया। उन्होंने वर्ल्ड सोशल फोरम को विभिन्न संघर्षरत ताकतों की आपसी मान्यता के व्यापक और खुले स्पेस की तरह ही मजबूत किया। इस स्पेस का आधार था विविधता के लिए आदर, अलग-अलग लोगों व संगठनों के काम करने की अलग-अलग गतियों के लिए आदर, अभी तक अलग-थलग पड़ी पहलकदमियों के बीच उनकी शक्तियों और समृद्धि को आपस में गूँथ कर होने वाली अन्योन्यक्रिया। यह स्पेस संघर्षों के तरह-तरह के नए भूमंडलीय मोर्चे खोलने का जरिया बनता है। इसकी कोशिश होती है कि प्रत्येक सहभागी की राजनीतिक कार्यशैली के जरिए एक ऐसी आर्थिक-सामाजिक प्रणाली की तरफ बढ़ा जाए जिसके केंद्र में इनसान हो, न कि पूँजी।

राजनीतिक कार्रवाई के इस रूप की मजबूती का एक और नतीजा निकला : बड़े-बड़े प्रदर्शनों (नेटवर्किंग प्रक्रिया से निकले सिएटल के प्रदर्शनों को इसके उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है) से आगे बढ़ कर राजनीतिक कार्रवाई विकल्प रचना की जबरदस्त प्रक्रिया में बदल गई। यह विकल्प रचना दुनिया में पहले से हो रही परिवर्तनकामी कार्रवाइयों पर ही आधारित थी।

इस परिप्रेक्ष्य का फोरम के आयोजन पर भी असर पड़ा। दो परस्पर पूरक कार्यक्रमों के जरिए वह उत्तरोत्तर एक प्रक्रिया का रूप लेता चला गया। इसमें एक था आयोजकों द्वारा प्रस्तावित बहसों और नेटवर्किंग का कार्यक्रम, और दूसरा था सहभागियों द्वारा स्वतंत्र रुप से प्रस्तावित कार्यक्रमों का सिलसिला। पहले के लिए वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजक इंटरनेशल कौंसिल पर निर्भर थे। यह कौंसिल भी कमांड केंद्र बनने के चक्कर में नहीं फँसती। वह तो दुनिया के पैमाने पर किए जाने वाले आयोजनों के लिए ज्यादा से ज्यादा नेटवर्कों और आंदोलनों की सहभागिता प्रोत्साहित करती है। कौंसिल फोरम के लिए विषयवस्तुओं और संगोष्ठियों में भाग लेने वाले वक्ताओं को चुनती है। ऐसा करने की प्रक्रिया में कौंसिल जहाँ तक हो सकता है, कारपोरेट दबाव और स्पेस के लिए की जाने वाली मारामारी के दबाव से निबटने की कोशिश करती है। जहाँ तक सहभागियों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों का सवाल है, उनकी संख्या हर नए वर्ल्ड सोशल फोरम के साथ दूनी होती जा रही

है। इन कार्यक्रमों में हर स्तर के विकल्पों पर चर्चा होती है और उनसे सीखने की कोशिश की जाती है। ये विकल्प लोगों के दैनिक जीवन से भी ताल्लुक रखते हैं, और नई अंतर्राष्ट्रीय संरचनाएँ खोजने की प्रक्रिया से भी। इसी दौरान क्षैतिज नेटवर्किंग भी मजबूत होती चलती है।

सवाल यह है कि इस पूरे सिलसिले को कौन-कौन से तनाव परेशान कर रहे हैं? दरअसल, ये तनाव अभी और बढ़ेंगे, जैसे-जैसे फोरम और कामयाब होगा और दुनिया के नए-नए क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा। इन तनावों का स्रोत होंगी राजनीतिक पार्टियाँ और इनका जन्म होगा इनसान के काम करने के तरीके से।

मई, 1968 के आंदोलन में ही इस तरह की राजनीतिक कार्रवाई से पार्टियों और यूनियनों को डर सताने लगा था कि कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर उनकी इजारेदारी हाथ से न फिसल जाए। इस बार फोरम-प्रक्रिया के साथ यूनियनें तो यह सोच कर जुड़ गई हैं कि सामाजिक आंदोलनों का साथ देना उनके लिए बेहतर होगा, न कि समाज का प्रतिनिधित्व करने के सवाल पर उनसे होड़ करना। यानी, यूनियनें नटेवर्किंग और गोलबंदी में शिरकत कर रही हैं। लेकिन, पार्टियों का अभी भी दावा है कि नागरिक आंदोलनों का नेतृत्व तो वे ही करेंगी। वे सामाजिक आंदोलनों को *पार्टीगत* बना कर अपनी *राजनीति* फिर से स्थापित करना चाहती हैं।

हो सकता है कि रूपांतरणकारी क्षमता के लिहाज से पार्टियों का यह सरोकार ठीक हो। पार्टियों का काम राजसत्ता हासिल करना होता है ताकि सरकार द्वारा वे समाज की आकांक्षाएँ धरती पर उतार सकें। लेकिन, पार्टियों को यह भी समझना चाहिए कि फोरम-प्रक्रिया की खूबी और आकर्षण किसी और बात में निहित है। फोरम-प्रक्रिया की खूबी यह है कि उसमें कोई नेतृत्वकारी संस्था नहीं होती, वर्ल्ड सोशल फोरम के नाम पर कोई प्रवक्ता की भूमिका अदा नहीं करता, और इसके अंत में केंद्रीय नारे नहीं दिए जाते। वर्ल्ड सोशल फोरम की यह नई खूबी समझने में मीडिया को भी दिक्कत होती है।

पार्टियाँ अगर फोरम के सहभागियों को पार्टी कार्यकर्ताओं में बदलने या उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगी तो यह पूरी पहलकदमी ही गड़बड़ा जाएगी। इसके बजाय पार्टियों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए कि कथित नागरिक समाज क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। वर्ल्ड सोशल फोरम दुनिया के पैमाने पर जिन नए कार्यक्रमों, नई आकांक्षाओं और अनुभवों की अभिव्यक्त कर रहा है, उनसे काफी-कुछ ले कर पार्टियाँ अपने कार्यक्रम और कार्रवाइयाँ समृद्ध कर सकती हैं। फोरम का चार्टर ऐसे किसी भी राजनेता को अपने आयोजन में शिरकत करने की गुंजाइश देता है जिसके पास *लोकप्रिय जनादेश* है।

इससे यह बात भी समझी जा सकती है कि समाज में होने वाले वास्तविक परिवर्तन केवल सरकारों द्वारा शीर्ष से किए जाने वाले फैसलों से ही नहीं होते। ये तमाम परिवर्तन इस बात पर निर्भर करते हैं कि बदलाव की जरूरत पर यकीन करने के बाद नागरिकों का सोच क्या होता है और वे क्या करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसे परिवर्तनों के पैर हमेशा कमजोर रहेंगे।

फोरम की एक सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि *दूसरी दुनिया* बनाने के मकसद से इनसानों की कार्यशैली और रवैये में कैसे तब्दीली लाई जाए। यह मुद्दा आंशिक रूप से आंतरिक विवादों से संबंधित है। इस पर चर्चा करने के लिए एक और लेख लिखना पड़ेगा। लेकिन, इस मसले पर सोच-विचार जारी है। जिन्हें इस चर्चा में दिलचस्पी है वे वर्ल्ड सोशल फोरम के वर्कशॉप 'प्रतिद्वंद्विता और सत्ता संघर्ष के रवैए से कैसे छुटकारा पाएँ : वर्ल्ड सोशल फोरम के लिए चुनौती' में भाग ले सकते हैं। यह वर्कशॉप उन व्यक्तियों और संगठनों ने प्रायोजित किया है जो निजी और सामूहिक परिवर्तन के बीच संबंधों की समझ बढ़ाना चाहते हैं। फ्रांस में यह कोशिश कुछ दिनों से चल रही है।

हर हालत में अगर हमने इन दो समस्याओं का हल नहीं निकाला तो फोरम कमजोर हो सकता है, यहाँ तक कि उसका अंत तक हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यह होगा कि वर्ल्ड सोशल फोरम अपने वक्त से पहले घटित हो गया है। मानवता के लिए यह अच्छा नहीं होगा। आइए, मिल-जुल कर कोशिश करें कि ऐसा न हो सके।

परिशिष्ट-8

स्थापित व्यवस्था के खिलाफ नागरिक विद्रोह

सन् 2003 का वर्ल्ड सोशल फोरम चार विषयगत क्षेत्रों में बाँटा गया था, जिनमें एक क्षेत्र था 'राजसत्ता, नागरिक समाज और लोकतंत्र'। इसी विषय पर हुई संगोष्ठी में बोलते हुए लेखक ने यह वक्तव्य दिया था। इसमें उस ऐतिहासिक अनुभव का जिक्र है जिसे फोरम-आयोजकों के मूल विचार का उद्गम होने का श्रेय है।[1]

'स्थापित व्यवस्था के खिलाफ नागरिक विद्रोह' का जिक्र होते ही दिमाग में सत्ताधारियों के खिलाफ कई तरह के जन-विरोधों की तस्वीर उभरने लगती है। ऐसे चित्र दिखने लगते हैं कि लोग अपने उत्पीड़कों के खिलाफ तब तक सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं जब तक वे सिंहासन से उतार नहीं दिए जाते। लेकिन, कुछ दूसरी तरह की सत्ताएँ भी होती हैं, जिनके खिलाफ दूसरे किस्म के विद्रोह किए जाते हैं।

आम तौर पर विद्रोह की नौबत तब आती है जब सत्ताधारियों द्वारा हम पर थोपी जा रही सत्ता की सीमा हमारी अपेक्षा से अधिक हो जाती है। सत्ता किसी भी किस्म की हो सकती है। वह माता-पिता की सत्ता हो सकती है, सरकारों की हो सकती है, सामाजिक संस्थाओं की हो सकती है और साम्राज्यवाद की हो सकती है। कभी-कभी हमें उन राजनीतिक औजारों के खिलाफ भी विद्रोह करना पड़ता है जो दरअसल विद्रोह की माध्यम समझी जाती हैं, जैसे पार्टियाँ और ट्रेड यूनियनें।

विद्रोह किसी भी किस्म का हो, उसकी चाह एक ही होती है : कम निरंकुशता, ज्यादा लोकतंत्र, निर्णय प्रक्रिया में अधिक सहभागिता और लिए गए निर्णयों के फलितार्थ भुगतने वालों के प्रति अधिक आदर की भावना। हम विद्रोह तब करते हैं जब हमें लगने लगता है कि सत्ता की ज्यादतियाँ असहनीय हो गई हैं और अब उसके खिलाफ प्रतिक्रिया करनी ही होगी। ऐसा होने पर असंतोष आक्रोश में बदल जाता है। जैसे ही हम शक्तिहीनता के एहसास पर विजय पाते हैं, जैसे ही हुक्मरानों को बदलने के लिए खड़े होते हैं, समझ लीजिए कि हम अगला कदम ले चुके हैं यानी विद्रोह की शुरुआत कर चुके हैं। विद्रोह का मतलब होता है कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना जिससे पूरी तरह अस्वीकार्य परिस्थितियों का हल निकल सके।

प्रभुता की शक्तियों पर जैसे ही सवाल उठाया जाता है, वैसे ही वे हम पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिशों में जुट जाती हैं। थोड़ी बहुत रियायतें दी जाती हैं ताकि सत्ता पर कब्जा बना रहे, प्रोपेगंडे के जरिए हथकंडेबाजी की जाती है, बहला-फुसला कर या अन्य तरीकों से विरोधियों को फोड़ा जाता है, इसके अलावा हथियारों और हिंसा के अन्य रूपों का इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसी स्थिति भी आती है, जब आक्रोश की तीव्रता धीमी होने लगती है क्योंकि लोग उन हालात के आदी होने लगते हैं जिनके कारण रोष पैदा हुआ था। ऐसे में वे खुद को उन हालात के रहमो-करम पर छोड़ देते हैं जो उन्हें अस्वीकार्य लग रहे थे। ऐसा खास तौर से तब होता है जब उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिक्रिया एक-दूसरे से कट कर अलगाव में की जाती है।

लेकिन, जब सत्ताधारी किसी भी तरह की गुंजाइश देने से इनकार कर देते हैं, और लोग आक्रोश में भर कर प्रतिक्रिया करते हुए उनके खिलाफ जुड़ना और स्वयं को संगठित करना शुरू कर देते हैं तो इस प्रक्रिया का नतीजा तख्ता उलटने में निकल सकता है। पुराने सत्ताधारियों की जगह उन्हें मिलती है जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे सत्ता का स्वीकारोग्य और वैध इस्तेमाल ही करेंगे। इसे क्रांति कहते हैं, और यह घर के भीतर हो सकती है, एक संस्थान में हो सकती है, एक देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हो सकती है। जहाँ तक दुनिया में नव-उदारतावाद के खिलाफ संघर्ष के सवाल है, संभवत: इस प्रकार की क्रांति होने की शुरुआत हो चुकी है।

जो अस्वाकीर्य है उसके खिलाफ प्रतिरोध, और सत्ता का विरोध विभिन्न स्तरों पर रेडिकल हो सकता है और उसमें कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं। प्रतिरोध के तरीकों में लेखन और भाषणों से किए जाने वाले बौद्धिक विरोध से लेकर सड़कों पर होने वाले जन-प्रदर्शन तक (जैसे कि अर्जेंटीना में डी ला रुआ के खिलाफ हुए) तक शामिल हो सकते हैं। नागरिक अवज्ञा यानी शांतिपूर्ण सत्याग्रह से लेकर क्रांतियों में अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला सत्ताधारियों को बेदखल करने के लिए सशस्त्र विद्रोह का तरीका तक आजमाया जा सकता है। ब्राज़ील में इस तरह की दो मिसालें मिलती हैं : कॉलर से सत्ता छिनना और लुला का चुनाव जीतना। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों में रोष किस सीमा तक है और वे किस हद तक विद्रोह करना चाहते हैं। रुष्ट जनता की

जागरूकता और विद्रोह के विभिन्न रूपों के फलितार्थों पर निर्भर करता है कि विद्रोह के वांछित नतीजे निकलेंगे या नहीं।

विद्रोह की विधि उसे कामयाब बनाने के मामले में निर्णायक साबित हो सकती है। अक्सर होता यह है कि विद्रोह से एक निरंकुशता की जगह दूसरी निरंकुशता आ जाती है, एक ताकत की प्रभुता की जगह दूसरी आ जाती है, और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक एक बार फिर अस्वीकार्य परिस्थितियाँ नहीं बन जातीं। मसलन, सशस्त्र क्रांतियों में होने वाली हिंसा का नतीजा यह निकलता है कि नए सत्ताधारी वही अधिनायकवादी शासन जारी रखते हैं जिसे उन्होंने स्थापित किया था। जरूरी नहीं कि संघर्ष के दौरान बन गई आदत के तौर पर ही ऐसा होता हो, दरअसल बेदखल दुश्मनों से अपनी हुकूमत की रक्षा के लिए भी उन्हें ऐसा करना पड़ता है। कभी-कभी यह भी होता है कि आक्रोश की अधिकता के कारण किसी विकल्प का प्रस्ताव या रचना किए बिना सत्ता की मौजूदा संरचनाएँ नष्ट करने की इच्छा बलवती हो जाती है। ऐसे हालात में एक शून्य पैदा हो जाता है जिसमें आम तौर पर जल्दी ही और भी निकृष्ट अधिनायकत्व अपने कदम जमा लेता है।

विद्रोह की इन्हीं तमाम किस्मों और संभावनाओं की रोशनी में हमें पार्टो अलेगरे में होने वाले वर्ल्ड सोशल फोरम को नव-उदारतावाद के खिलाफ नागरिकों के विद्रोह के एक रूप की अभिव्यक्ति के तौर पर देखना चाहिए। सारी दुनिया में नागरिक विद्रोह का यह रूप विकसित होता जा रहा है। इस प्रक्रिया में फोरम का योगदान यह है कि वह अधिक स्थायी परिणाम देने वाला परिवर्तन अंजाम देने लायक विधियों को प्रभावी बनाता है और उन्हें मूर्त रूप देने में मदद करता है। फोरम हमें इसलिए निमंत्रित नहीं करता कि हम उन्हीं ताकतों की अनुकृति बन कर रह जाएँ जिनके खिलाफ संघर्ष किया जा रहा है, बल्कि वह हमारा आह्वान करता है कि हम अपने भीतर उतरें, निजी व्यक्तित्व में झाँकें, अपने संगठन की आंतरिक विवेचना करें ताकि हमारी कार्यशैली बदले, हमारा व्यवहार बदले, दूसरों के साथ हमारे रिश्ते बदलें, संगठनों के बीच संबंध परिवर्तित हों। ऐसा होना इसलिए जरूरी है कि अगर परिवर्तन इतना गहन न हुआ तो 'दूसरी मुमकिन दुनिया' का शीराजा खड़ा नहीं हो पाएगा।

वर्ल्ड सोशल फोरम के रूप में सामने आया अनुभव कोई अचानक ही घटित नहीं हो गया है। जिन विचारों के परिणामस्वरूप यह जन्मा है उनके पीछे सारी दुनिया में बहुत लोगों का चिंतन-मनन रहा है। पाउलो फ्रियेर से लेकर रोजर्स की गैर-निर्देशात्मकता तक, इलिच से ले कर मार्क्यूज और यूरोपियन अराजकतावादियों और मुक्तिवादियों तक बहुत से लोगों ने इनमें अपना योगदान दिया है। साठ के दशक के आखिर में इन विचारों को व्यापक रूप से अधिक ठोस रूप दिया गया। यह उस जमाने की बात है जब तरह-तरह के अधिनायकवादों

के खिलाफ एक ही समय दुनिया के कई देशों में रोष और विद्रोह की लहर चल रही थी। ब्राज़ील में उस समय तानाशाही के खिलाफ संघर्ष हो रहा था। इसी विद्रोह के कारण बहुत बड़ी संख्या में युवजन सड़कों पर निकल पड़े थे। उनकी एक ही चाह थी जिसे फ्रांस में मई, 1968 के आंदोलन के दौरान बनाया गया एक फिकरा बड़ी अच्छी तरह व्यक्त करता है। इस फिकरे का मतलब था कि किसी भी तरह का निषेध थोपने की प्रक्रिया ही निषिद्ध कर देनी चाहिए।

इसके बाद अगले दशक की घटनाओं ने दिखाया कि राजनीतिक संगठन की अब तक इस्तेमाल विधियों के मुकाबले कुछ दूसरे अधिक प्रभावकारी तरीके भी मुमकिन हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि संगठन का रूप पिरामिडनुमा, स्तंभीय, अनुशासन और शीर्ष से दिए गए आदेशों के पालन पर ही आधारित हो। संगठन का रूप नेटवर्कनुमा, क्षैतिज और सह-उत्तरदायित्व पर आधारित भी हो सकता है। सत्तर के दशक में जगह-जगह पहले से कहीं ज्यादा संख्या में नेटवर्क बनने शुरू हो गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक मिसाल 'इंटरनेशनल स्टडी डेज़ फॉर ए सोसाइटी ओवरकमिंग डोमिनेशन' नामक नेटवर्क के रूप में देखी जा सकती है। ब्राज़ील के कैथोलिक चर्च ने इसका प्रायोजन 1976 से 1978 के बीच किया था। इसके पीछे पाउलो फ्रियेर और लिबरेशन थियोलॅजी की प्रेरणाएँ थीं। फ्रांस स्थित स्टडी डेज़ के दफ्तर से दुनिया भर के सैकड़ों देशों में विभिन्न उत्पीड़नों के खिलाफ चल रहे हजारों प्रयासों के बीच क्षैतिज सूत्र कायम किया जाता था। आज इंटरनेट ने उस तरह का भूमंडलव्यापी क्षैतिज-अंत:संचार बहुत आसान कर दिया है।

अस्सी और नब्बे के दशक में वामपंथी राजनीतिक कार्रवाई के दायरे में पैदा हुए दो संकटों के कारण इसी दिशा में दो नए प्रयोग किए गए। ये दो संकट थे : लोकतंत्र का कामकाज चलाने के लिए जरूरी समझी जाने वाली प्रतिनिधित्वमूलक प्रणाली का संकट, और राजनीतिक दलों का संकट जिनके जरिए लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं।

पहला संकट जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच बढ़ते हुए अंतराल की उपज था। इसके कारण प्रतिनिधियों की साख पर बुरा असर पड़ा। पार्टियों का संकट उनके अंतरमुखी होते चले जाने की देन था जिसके कारण वे चुनावी विवादों और सत्ता संघर्ष में ही फँ स कर रह गईं। समाज के साथ संवाद में कमी आने और आंतरिक सत्ता संघर्ष का बुरा असर उन प्रतिनिधित्वमूलक संरचनाओं पर भी हुआ जिनकी गिनती राजनीतिक संरचनाओं के रूप में नहीं होती, जैसे कि मजदूर यूनियनें।

इसके कारण पैदा हुई राजनीतिक अक्षमता ने नीचे से ऊपर तक समाज के कई क्षेत्रों को मजबूर कर दिया कि वे राजनीतिक इरादे से की गई कार्रवाई के अन्य रूपों की तरफ

बढ़ें। ये नए रूप प्रतिनिधि चुनने के लिए पार्टियों, यूनियनों और चुनाव प्रणाली से कतरा कर निकल गए। कार्रवाई के इन नए रूपों को *नागरिक आंदोलनों* का नाम मिला। ये आंदोलन पारिस्थितिकी और मानवाधिकार सरीखे मुद्दों पर माँगों के लिए संघर्ष कर रहे थे। गरीब देशों में चलने वाले लोकप्रिय आंदोलन एवं अमीर देशों में मजदूरों और छात्रों की आपस में संबद्ध और स्वतंत्र गोलबंदी राजनीतिक कार्रवाई के नए रूपों के स्पष्ट उदाहरण बन कर उभरे। वस्तुत:, कार्रवाई के ये रूप राजनीतिक कार्रवाई के उन औजारों के खिलाफ विद्रोह की तरह थे जो बेअसर साबित होते जा रहे थे और जिनके कारण वास्तविक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पा रहा था।

इन नई राजनीतिक पहलकदमियों का सांगठनिक चरित्र भी अलग तरह का था। ये आंदोलन राजनीतिक नारों, पार्टी अनुशासन, करिश्माई नेताओं आदि की अंधी मातहती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। कुल मिला कर वे किसी भी किस्म के अधिनायकत्व के विरोध में खड़े थे। वामपंथियों या दक्षिणपंथियों द्वारा की जाने वाली गोलबंदियों के विपरीत जब इन पहलकदमियों के तहत लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे तो उनके भीतर प्रस्तावित संघर्षों के प्रति अपनी-अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उनके नेताओं ने भी बाद में किसी पार्टी या किसी यूनियन की सत्ता-संरचना का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त नहीं की। पिरामिडनुमा सांगठनिक संरचनाओं की जगह सामूहिक तालमेल करके बनाई गई कमेटियाँ और नेटवर्कों के रूप में फैलने वाले आपसी सूत्रों ने ले ली।

यही है वह प्रक्रिया जिसके तहत लोगों को पता लगा कि राजनीतिक कार्रवाई केवल पेशेवर राजनीतिक कार्यकर्ताओं या पार्टी काडरों की ही ठेकेदारी नहीं होती। इससे साफ हो गया कि सभी तरह की इनसानी क्रियाओं में एक राजनीतिक घटक समाहित रहता है, क्योंकि उनका ताल्लुक दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले असर से भी होता है। राजनीतिक सक्रियता की गैर-मौजूदगी भी अपने आप में राजनीतिक सहभागिता का एक रूप है। स्पष्ट था कि किसी पार्टी से जुड़े हुए हों या न हों, किसी यूनियन के सदस्य हों या न हों, राजनीतिक काम का पारिश्रमिक मिलता हो या न मिलता हो, इस प्रक्रिया में आने पर लोगों को नागरिक की तरह सोचने और क्रिया करने की संभावना और जरूरत का एहसास होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि सभी लोगों की जिंदगी का रंग-रूप तय करने वाले राजनीतिक फैसलों में वे शिरकत कर सकते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए। चूँकि दुनिया सूचना, संचार और परिवहन के जबरदस्त भूमंडलीकरण से गुजर रही है जिसके कारण किसी भी कोने में और कैसी भी नाइंसाफी की सीधी जानकारी सारी दुनिया में होना मुमकिन हो गया है, इसलिए

नागरिक चेतना भले ही बहुसंख्यक लोगों तक पहुँचने का वक्त न आया हो, पर उसका स्वरूप विश्वव्यापी जरूर हो गया। इससे निकलने वाली एकजुटता सहभागिता के इच्छुक लोगों की संख्या बढ़ा देती है।

दुनिया भर में जिस समय नव-उतारतावादी चौधराहट के खिलाफ नागरिक आंदोलन उफन रहे थे और उनके नेटवर्कों का तेजी से प्रसार हो रहा था, उस समय इसी गतिशीलता की रोशनी में वर्ल्ड सोशल फोरम (डब्ल्यूएसएफ) की पेशकश की गई। इस गोलबंदी में निहित विद्रोह का रवैया अपनाते हुए फोरम ने वही किया जो ग्रासरूट्स संगठन और नागरिक आंदोलन पहले से कर रहे थे। उसने शीर्ष से दिए गए आदेशों के अनुसार काम करने वाली राजनीतिक संस्कृति की मुख्य धार में बहने से इनकार कर दिया। फोरम के खुले स्पेस को सत्ता संघर्ष में नहीं बदलने दिया गया। न ही नव-उदारतावाद के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व का दावा करने वाले किसी नेतृत्व को हावी होने दिया गया। फोरम का आयोजन क्षैतिज कार्यक्रम के रूप में हुआ जिससे न तो कोई अंतिम निर्देश निकलता था, और जिसका न ही कोई एकीकृत कमांड केंद्र था। नेटवर्किंग प्रक्रिया से निकले सिएटल के प्रदर्शनों को इसके उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। इस तरह वर्ल्ड सोशल फोरम विभिन्न संघर्षरत ताकतों की आपसी मान्यता के व्यापक और खुले स्पेस की तरह ही हुआ। इस स्पेस का आधार था विविधता के लिए आदर, अलग-अलग लोगों व संगठनों के काम करने की अलग-अलग गतियों के लिए आदर, अभी तक अलग-थलग पड़ी पहलकदमियों के बीच उनकी शक्तियों और समृद्धि को आपस में गूँथ कर होने वाली अन्योन्यक्रिया। यह स्पेस संघर्षों के नए तरह-तरह के भूमंडलीय मोर्चे खोलने का जरिया बनता है। इसकी कोशिश होती है कि प्रत्येक सहभागी की राजनीतिक कार्यशैली के जरिए एक ऐसी आर्थिक-सामाजिक प्रणाली की तरफ बढ़ा जाए जिसके केंद्र में इनसान हो, न कि पूँजी।

अनुभव बताता है कि फोरम का ख्याल लोगों को पसंद आ चुका है। अहम बात यह है कि फोरम का प्रसार कितने 'स्वाभाविक' ढंग से हो रहा है। सारी दुनिया में फोरम के चार्टर के मुताबिक सोशल फोरमों की संख्या बढ़ती जा रही है। भले ही चार्टर के कुछ उसूलों को अभी तक पूरी तरह आत्मसात न किया गया हो, फोरम के विचार को मिली व्यापक स्वीकृत बता रही है कि अब पार्टियों के सापेक्ष और पार्टी आधारित कार्रवाई के विकल्प के रूप में नागरिक समाज की स्वायत्त राजनीतिक कार्रवाई संगठित और सुदृढ़ करने का समय आ गया है। फोरम ने एक नया राजनीतिक अभिनेता पैदा कर दिया। यह है *भूमंडलीय नागरिक समाज*, जिसके आयाम और अभिव्यक्ति आज की वर्चस्वी उतारदावादी प्रणाली जितने ही व्यापक हैं।

फोरम की कामयाबी का पता सहभागियों की बढ़ती हुई संख्या से भी ज्यादा इस बात से चलता है कि उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हर फोरम में यह संख्या दूनी हो जाती है। सन् 2003 के फोरम में उनकी यह संख्या 1,700 होगी। चार्टर के मुताबिक किए जाने वाले इन कार्यक्रमों का आयोजन फोरम के आयोजकों द्वारा प्रस्तावित सम्मेलनों और संगोष्ठियों के समांतर चलता रहता है। आयोजकों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के विषय उसी तरह पहले से चुन लिए जाते हैं जिस तरह पारंपरिक आयोजनों में होता है। फोरम की असली सम्पत्ति तो उसके सहभागियों द्वारा किए जाने वाले वर्कशॉप ही बन गए हैं। इन कार्यक्रमों में हर स्तर के विकल्पों पर चर्चा होती है और उनसे सीखने की कोशिश की जाती है। ये विकल्प लोगों के दैनिक जीवन से भी ताल्लुक रखते हैं, और नई अंतर्राष्ट्रीय संरचनाएँ खोजने की प्रक्रिया से भी। इसी दौरान क्षैतिज नेटवर्किंग भी मजबूत होती चलती है।

हालाँकि नव-उदारतावाद के खिलाफ विद्रोह करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, पर स्तंभीय संबंधों पर आधारित राजनीतिक संस्कृति की मुख्य धार के खिलाफ चल रही बगावत के कदम अभी ठीक से नहीं जम पाए हैं। राजनीति करने का यह नया तरीका वामपंथियों के बीच पूरी तरह स्वीकृत होने की प्रक्रिया में है। यद्यपि व्यापार के क्षेत्र को क्षैतिज संगठन के फायदों का एहसास हो चुका है, और एक सीमा के भीतर वहाँ उन पर अमल भी किया जा रहा है।

मई, 1968 के आंदोलन में ही इस तरह की राजनीतिक कार्रवाई से पार्टियों और यूनियनों को डर सताने लगा था कि कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर उनकी इजारेदारी उनके हाथ से न फिसल जाए। इस बार फोरम-प्रक्रिया के साथ यूनियनें तो यह सोच कर जुड़ गई हैं कि सामाजिक आंदोलनों का साथ देना उनके लिए बेहतर होगा, न कि समाज का प्रतिनिधित्व करने के सवाल पर उनसे होड़ करना। यानी, यूनियनें नटेवर्किंग और गोलबंदी में शिरकत कर रही हैं। लेकिन, ब्राज़ील के बाहर बाकी सभी जगहों पर पार्टियों का अभी भी दावा है कि नागरिक आंदोलनों का नेतृत्व तो वे ही करेंगी।

वे सामाजिक आंदोलनों को पार्टी-पॉलिटिक्स का अंग बना कर अपनी *राजनीति* को फिर से स्थापित करना चाहती हैं। वे यह नहीं समझ पा रही हैं कि समाज में होने वाले वास्तविक परिवर्तन केवल सरकारों द्वारा शीर्ष से किए जाने वाले फैसलों से ही नहीं होते। ये तमाम परिवर्तन इस बात पर निर्भर करते हैं कि बदलाव की जरूरत पर यकीन करने के बाद नागरिकों का सोच क्या होता है और वे क्या करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसे परिवर्तनों के पैर हमेशा कमजोर रहेंगे। पार्टियों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए कि कथित

नागरिक समाज क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। वर्ल्ड सोशल फोरम दुनिया के पैमाने पर जिन नए कार्यक्रमों, नई आकांक्षाओं और अनुभवों की अभिव्यक्ति कर रहा है, उनसे काफी-कुछ ले कर पार्टियाँ अपने कार्यक्रमों और कार्रवाइयों को समृद्ध कर सकती हैं।

दरअसल, फोरम के प्रति पार्टियों का रवैया नकारात्मक ही कहा जा सकता है। एक तरफ इस नकारात्मक रणनीति का दबाव और दूसरी तरफ नव-उदारतावाद के खिलाफ जुझारू तेवर अपनाने वाले कार्यकर्ताओं का दबाव ब्राज़ील के भीतर और बाहर कोशिश कर रहा है कि फोरम किसी बड़े आंदोलन की संचालन समिति की तरह काम करने लगे। फोरम अगर संचालन करने लगा तो यह अपने आप में एक गलती होगी, क्योंकि उसके लिए उसे वही अलोकतांत्रिक तौर-तरीके अपनाने पड़ेंगे जो जिसके खिलाफ नागरिकगण विद्रोह कर रहे हैं। संचालक की भूमिका फोरम की समितियों और कौंसिलों से उनकी वे जिम्मेदारियाँ छीन लेगी, जिन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए वे निभा रही हैं। एक स्वायत्त राजनीतिक स्पेस बनाने और उसे नागरिक समाज को सौंपने के लिए इन समितियों और कौंसिलों को काफी परिश्रम करना पड़ा है। दूसरी तरफ, चूँकि चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स किसी भी तरह के 'अंतिम दस्तावेज' पारित करने के खिलाफ है, इसलिए इसी काम को घुमा फिरा कर करने की कोशिश भी की जा रही है। समापन समारोह में कुछ ताकतवर संगठन अपने प्रस्तावों और विचारों को कुछ इस तरह पेश करते हैं जैसे कि उन पर फोरम में शिरकत करने वाले सभी प्रतिनिधियों की सहमति हो।

असल में पार्टियाँ और उनके जुझारू समर्थक यह देखने के लिए तैयार नहीं हैं कि अगर फोरम की क्षैतिज प्रक्रिया के तहत नागरिक समाज को पूरी स्वायत्तता दी जा सकी तो उससे विचारों, प्रस्तावों और कार्रवाई योजनाओं की कितनी समृद्धि पैदा होगी। न ही वे यह समझने के लिए तैयार हैं कि फोरम का आकर्षण उसके संचालन समिति की तरह काम करने में नहीं है और न ही उसका ताल्लुक इस बात है कि उसका प्रवक्ता कौन है। फोरम की अहमियत तो इस वजह से है कि वह कोई केंद्रीय नारा नहीं देता, न ही कोई केंद्रीय आह्वान करता है। यह एक राजनीतिक नवाचार है जो अभी तक मीडिया के भी पल्ले नहीं पड़ा है। लेकिन, ज्यादा गंभीर बात यह है कि पार्टियाँ और नव-उदारातावाद विरोधी जुझारू कार्यकर्ता अपनी नासमझी में अपने ही उद्देश्यों के खिलाफ वर्ल्ड सोशल फोरम द्वारा शुरू की गई लामबंदी की इस जबरदस्त प्रक्रिया को भीतर ही भीतर भारी नुकसान पहुँचा सकते हैं जिसका अंत फोरम के खात्मे में भी हो सकता है।

सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि फोरम-प्रक्रिया के भीतर का यह संकट किस तरह हल किया जाता है। हमारे सामने जोखिम यह है कि कहीं नव-उदारतावाद के खिलाफ

विद्रोह का सिलसिला राजनीतिक कार्रवाई के उन्हीं रूपों में फँस कर न रह जाए जिनकी सीमा हमारे सामने जाहिर हो चुकी है।'दूसरी दुनिया' की रचना-प्रक्रिया माँग करती है कि राजनीतिक अभिनेताओं के दिलों, दिमागों और कार्यशैलियों के भीतर कुछ परिवर्तन आने चाहिए। लेकिन, 'पुरानी दुनिया' उनकी चेतना पर अभी तक हावी है। अगर हमें कदम वापस खींचने पड़े तो इसका मतलब होगा कि शायद कदम बढ़ाने का वक्त अभी नहीं आया था। एसा हुआ तो इनसानियत के लिए बहुत बुरा होगा। आइए, हम सब मिल कर कोशिश करें ताकि ऐसा न हो सके।

(18 दिसंबर, 2002)

परिशिष्ट-9

वर्ल्ड सोशल फोरम के समक्ष तीन चुनौतियाँ

वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में जिन प्रश्नों को लेकर बहस होती रहती है, उनमें सबसे ज्यादा बार उठने वाला सवाल यह है कि उसका भविष्य क्या होगा। इसमें पहली बात यह पूछी जाती है कि हम जा कहाँ रहे हैं? इस पुस्तक के पहले परिशिष्ट 'वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में बहस पर कुछ नोट्स' में यह साफ करने की कोशिश की गई है कि फोरम का भविष्य उसे स्पेस या आंदोलन मानने पर निर्भर करता है। प्रस्तुत लेख नोट्स के कुछ पहले लिखा गया था। इसे पूरक सामग्री के तौर पर तो पढ़ा ही जा सकता है, साथ ही यह कुछ और विशिष्ट प्रश्नों पर रोशनी डालता है।

वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में अब एक मजबूत समझ बनती जा रही है कि वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 'फोरम' के नाम से कुछ कार्यक्रमों के आयोजन की संकेंद्रित गतिविधियाँ होती हैं। जो लोग फोरम में भाग नहीं ले पाए हैं, उन्हें ये गतिविधियाँ अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और जो लोग भाग ले चुके हैं, उनके लिए एक संदर्भ बिंदु बन जाती हैं।

फोरम-प्रक्रिया की विशेषताएँ और भूमिका डब्ल्यूएसएफ के चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स में दर्ज उसूलों के मुताबिक हैं। इसी के अनुसार फोरम नव-उदारतावाद के खिलाफ संघर्ष का प्रसार दुनिया के पैमाने पर करने की कोशिश में लगा हुआ है। यह चार्टर उन दिशा-निर्देशों की संकेंद्रित अभिव्यक्ति है जिनके कारण सन् 2001 में पोर्टो अलेगरे में हुआ वर्ल्ड सोशल फोरम कामयाब हुआ था। इस चार्टर उन बुनियादी विचारों पर आधारित है जो फोरम की शुरुआत करने वालों ने इस पहलकदमी के लिए अपनाए थे।

एक प्रक्रिया होने के नाते नए-नए सवालों का सामना करना स्वाभाविक ही है। उनके कारण कुछ नए नियम बनाने की जरूरत भी पड़ सकती है जो या तो चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स

की संगति में ही होने चाहिए, या फिर मौजूदा नियमों को और स्पष्ट और सटीक बना कर यह जरूरत पूरी की जानी चाहिए।

यह लेख ऐसे ही प्रश्नों पर बहस में योगदान करने के लिए लिखा गया है। इसमें कोशिश की गई है कि सवालों के कुछ उत्तर दिए जाएँ। पहला सवाल यह है कि फोरम-प्रक्रिया उन पहलकदमियों के साथ क्या संबंध रखती है जो उसके गर्भ से निकली हैं? दूसरा सवाल यह है कि इसका संबंध पार्टी-पॉलिटिक्स की प्रक्रिया से क्या है? तीसरा सवाल फोरम के आयोजन की संरचना को लेकर है।

तीनों सवालों का उद्‌गम एक ही है : फोरम की कामयाबी और सारी दुनिया में उसके प्रसार ने उसमें शिरकत करने वालों और उसके समर्थकों के बीच उसकी प्रभावकारिता को लेकर चिंता पैदा कर दी है। वे चाहते हैं कि फोरम को ज्यादा से ज्यादा असरदार बनाया जाना चाहिए। इनमें से कई लोगों का विचार है कि ऐसा करने के लिए फोरम को अपने भीतर होने वाली गतिविधियों की विषयवस्तु का 'निर्देशन' करना चाहिए, उन्हें पिरामिडनुमा संरचना में ढाल कर संगठन के पारंपरिक मॉडल के आधार पर उस प्रक्रिया की बागडोर अपने हाथ में रखनी चाहिए। इसके लिए राजनीतिक कार्रवाई और गोलबंदी के सभी प्रचलित रूप अपनाए जाने चाहिए।

मुश्किल यह है कि अगर हमने इन आग्रहों को मान लिया तो फोरम-प्रक्रिया की बुनियादी प्रकृति और चरित्र में ही तब्दीली आ जाएगी। साथ में मेरे ख्याल से इसमें एक और जोखिम होगा : फोरम भीतर से नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन मुद्दों पर सावधानी से चर्चा और गहराई से ध्यान देने की जरूरत है ताकि ऐसी अनुक्रियाओं को रोका जा सके जिनका नतीजा फोरम-प्रक्रिया को नुकसान पहुँचाने में ही निकलेगा।

1. डब्ल्यूएसएफ प्रक्रिया का अपने भीतर से उपजने वाली पहलकदमियों से संबंध : फोरम का चार्टर ऐसी कोई ठोस कार्ययोजना पेश नहीं करता जिसमें संघर्ष के सभी विशिष्ट लक्ष्यों को साफ तौर पर दर्ज किया गया हो और जिनके आधार पर नव-उदारतावाद को पराजित करके 'दूसरी मुमकिन दुनिया' बनाई जा सके। चार्टर तो सिर्फ एक कार्यप्रणाली पेश करता है जिससे इन लक्ष्यों की तरफ बढ़ने के लिए मौजूदा परिस्थिति की ठोस चुनौतियों के आधार पर कुछ विकल्प खोजने का प्रयास किया जा सके।

इस कार्यप्रणाली की मुख्य बात यह है कि यह क्षैतिज अंतर-संचार के लिए स्पेस स्थापित करती है। फोरम के आयोजन के दौरान भी और उसके बाद बनने वाले अंतर-संबंधों के लिए भी। इसके लिए यह कार्यप्रणाली नागरिक समाज और संगठनों को बाँटने

वाली बाधाओं को हटाती है ताकि वे एकजुट हो कर अपने लक्ष्यों की तरफ और तेजी से बढ़ सकें। इस प्रक्रिया से पैदा हुए किसी भी आंदोलन और किसी भी नेटवर्क का उन सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए जो समझते हैं कि नव-उदारतावाद की ताकत किस तरह सारी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़े हुए है।

फोरम की कार्यप्रणाली का एक बहुत अहम नया योगदान यह है कि वह स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और विशेषकर भूमंडलीय स्तर पर उन आंदोलनों और संगठनों के बीच अंत:संबंध कायम करता है जो अलग-अलग कार्ययोजनाओं पर अमल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फोरम की कार्यप्रणाली विविधता और उसकी ठोस हकीकतों का पूर्ण सम्मान करने के जरिए संगठनों और आंदोलनों के बीच किसी भी तरह की प्रतियोगिता और सत्ता-संघर्ष को हतोत्साहित करती है ताकि उनके बीच आपसी फूट डालने वाले झगड़े न हों।

वर्ल्ड सोशल फोरम के दुनिया भर में होने वाले आयोजनों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रत्येक आयोजन के साथ उसमें शिरकत करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। नतीजे के तौर पर ज्यादा से ज्यादा नए अंत:संबंध बन रहे हैं और मौजूदा अंत:संबंध सुदृढ़ होते जा रहे हैं। यह तमाम कोशिश सिफर में बदल जाएगी अगर इन अंत:संबंधों की रचना करने वालों ने अपने विचारों और प्रस्तावों को फोरम में शिरकत करने वाले सभी लोगों के विचारों और प्रस्तावों के प्रतिनिधि की तरह पेश करने की कोशिश की। या वर्ल्ड सोशल फोरम को सिर्फ अपने विचारों तक ही सीमित करने का प्रयास किया।

जाहिर है कि फोरमों की संख्या बढ़ने का सिलसिला भंग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे हालात बनाए जाने चाहिए कि नागरिक समाज के आंदोलन और संगठन उसमें ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें। लेकिन, फोरम में होने वाली सारी बहसों का सारतत्त्व होने का दावा करने वाले और नए नेटवर्क या आंदोलन खड़े नहीं किए जाने चाहिए, चाहे वे कितने भी ताकतवर और प्रतिनिधिमूलक क्यों न हों। जहाँ तक फोरम का सवाल है, उसे अपनी व्याख्याओं, रणनीतिक पसंद-नापसंद, मंचों या प्रस्तावों को सभी सहभागियों के नाम से या उनके द्वारा पारित के रूप में पेश करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए।

फोरम का चार्टर उसकी प्रकृति एक ऐसे खुले स्पेस की तरह परिभाषित करता है जो हमेशा विविधता का सम्मान करेगा और जिसमें फोरम के नाम पर किसी को वक्तव्य देने का अधिकार नहीं होगा। चार्टर के नियमों के उल्लंघन से भ्रम फैलेगा और फोरम के संपर्क में आने वाली नई शक्तियों को लगेगा कि यह भी कुछ निश्चित विचारों और विकल्पों का ही माध्यम है। फोरम में आने के इच्छुक संगठन अपनी सहभागिता के सवाल पर दोबारा सोचने लगेंगे क्योंकि जरूरी नहीं कि वे इन विचारों और विकल्पों के समर्थक हों और उनके

आधार पर किसी से दिशा-निर्देश लेने के लिए तैयार हों।

फोरम के आयोजकों और फोरम-प्रक्रिया से निकले किसी भी नए आंदोलन या नेटवर्क के नेताओं के बीच किसी भी तरह की गलतफहमी या तनाव टालने से बचने के लिए जरूरी है कि उनके बीच के संबंध सह-उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित हों। आयोजकों को यह गारंटी करनी होगी कि नए नेटेवर्कों और आंदोलनों के प्रस्तावों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, और नेटवर्कों और संगठनों को अपनी तरफ से किसी भी तरह की अस्पष्टता से बचने की भरसक कोशिश करनी होगी।

वर्ल्ड सोशल फोरम के भीतर बेहतर स्पेस पाने के लिए हथकंडेबाजी करने या किसी खामी का सहारा लेकर अपने प्रस्तावों को 'अंतिम दस्तावेज' में बदलने के पुराने अवसरवादी रवैये पर चलने से केवल अनावश्यक तनाव ही पैदा हो सकते हैं। इससे फोरम-प्रक्रिया को नुकसान ही हो सकता है।

इस सिलसिले में 'सामाजिक आंदोलनों' के नाम से हो रही समन्वित पहलकदमियों के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। प्रथम वर्ल्ड सोशल फोरम के समय ऐसे ही एक समूह के बारे में कुछ शुरुआती गलतफहमियाँ पैदा हुई थीं। वर्ल्ड सोशल फोरम की वेब साइट पर इन्हें मिली प्रधानता के कारण हुआ यह कि उनके द्वारा जारी किया गया कार्रवाई आह्वान कई लोगों ने वर्ल्ड सोशल फोरम का आह्वान ही मान लिया। तब से यह समूह और मजबूत हुआ है, उसके प्रयास और बढ़े हैं। नव-उदारतावाद के खिलाफ संघर्ष में उसका स्वागत ही किया जा सकता है। दिक्कत यह है कि इसकी वजह से वर्ल्ड सोशल फोरम के प्रत्येक नए आयोजन में वही अस्पष्टता बार-बार उभर आती है। चूँकि फोरम खुद कोई अंतिम दस्तावेज जारी नहीं कर सकता, इसलिए कुछ 'सामाजिक आंदोलनों और संगठनों' को लगता है कि यह कमी उन्हें पूरी कर देनी चाहिए, और नव-उदारतावाद के खिलाफ विश्वव्यापी गोलबंदी करने के लिए नेतृत्व और निर्देश देने की जिम्मेदारी निबाहनी चाहिए।

अगर ऐसा रवैया हावी हो गया तो यह अफसोस की बात होगी। यह फोरम को एक खुले स्पेस से प्रत्यक्ष आंदोलन में बदल देगा। इससे होगा यह कि फोरम-प्रक्रिया से निकले कई छोटे-छोटे समन्वित प्रयास और आंदोलन महसूस करने लगेंगे कि उनकी अहमियत कम हो गई है। इसका नतीजा फोरम-प्रक्रिया को भीतर से खत्म करने में निकलेगा। इससे बचने के लिए जरूरी है कि सह-उत्तरदायित्व के नजरिए को स्पष्ट किया जाए। इसके लिए फोरम के समापन के मौके पर ऐसे स्पेस कायम करने के बारे में सोचा जा सकता है जिनमें सभी तरह के प्रस्तावों और संयुक्त उद्यमों बिना किसी को विशेष प्रधानता दिए उभारा जा सके।

इस मुकाम पर यह साफ कर देना जरूरी है कि किसी भी फोरम की आयोजना खत्म हो जाने पर गोलबंदी को लेकर की जाने वाली चिंताएँ पूरी तरह जायज होती हैं। समझने की बात यह है कि फोरम के बाद किसी जन-कार्रवाई की संभावना 'अंतिम दस्तावेज' के निर्देशों की मोहताज नहीं होनी चाहिए। उसे तो जन-कार्रवाई में लोगों की सहभागिता के रूप पर निर्भर होना चाहिए।

पोर्टो अलेगरे के फोरमों के सहभागी अलग-थलग पड़े हुए या किसी आह्वान पर कूच के लिए चल पड़ने वाले लोग लोग नहीं थे, हालाँकि ऐसे लोगों के लिए भी फोरम का स्पेस खुला हुआ था। दरअसल, फोरम में शिरकत के लिए ऐसे 'प्रतिनिधियों' की ही पंजीकरण किया गया था जो किसी न किसी आंदोलन या संगठन से आए हों, और फोरम में आने के पहले से किसी कार्रवाई में लगे हों और फोरम से जाने के बाद भी उसे आगे बढ़ाने वाले हों। फोरम तो इन प्रतिनिधियों को दूसरे संगठनों और आंदोलनों के साथ सूत्र कायम करने, अनुभवों का आदान-प्रदान करने और एक-दूसरे से सीखने का मौका देता है। यह उन्हें खुद तय करना होता कि कौन सा प्रस्ताव उन्हें पसंद है और कौन सा नहीं। अर्थात, उम्मीद की जाती है कि फोरम से वापस जाते समय उनके पास नव-उतारदावाद के खिलाफ संघर्ष की बेहतर समझ और बेहतर परिप्रेक्ष्य होगा। तब वे कोई नई कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे, बल्कि पहले से चल रही कार्रवाई को और बेहतर ढंग से जारी रखेंगे।

यही है वह विशेषता जो फोरम को अलग-अलग संघर्ष चला रहे आंदोलनों और संगठनों के कार्यक्रमों से अलग करती है। उसे एक मुक्त स्पेस के रूप में स्थापित करती है जिसमें न किसी को कोई निर्देश देता है और न ही किसी की विविधता की उपेक्षा होती है।

2. डब्ल्यूएसएफ प्रक्रिया का राजनीतिक पार्टियों से संबंध : कई लोगों की चिंता है कि फोरम केवल बहसबाजी का अड्डा बन कर ही न रह जाए, और उसके ठोस नतीजे निकलें, इसलिए वे तर्क देते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को भी फोरम में शिरकत करनी चाहिए। आखिर पार्टियाँ ही तो राजनीतिक सत्ता हासिल करके ऐसे प्रस्तावों को धरती पर उतारती हैं।

चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स में ऐसा कुछ नहीं है जो बहुमत का जनादेश लेकर आए नेताओं को निजी हैसियत से वर्ल्ड सोशल फोरम में शिरकत से रोकता हो। हाँ, यह जरूर है कि राजनीतिक दल फोरम में सम्मेलन या वर्कशॉप करने, प्रतिनिधिमंडल भेजने या पार्टियों के रूप में कोई राय व्यक्त करने की इजाजत नहीं है।

यह दिशा-निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि फोरम 'नागरिक समाज' के संगठनों, आंदोलनों और समूहों का स्पेस बना रहे। नागरिक समाज के पास अभी

तक ऐसा कोई संगठित स्पेस नहीं था जिसमें वह तालमेल करके स्वयं को व्यक्त कर सके।

इस नियम का दूसरा मकसद है फोरम को आपसी प्रतियोगिता और सत्ता की खींचातानी से बचाना। राजनीतिक पार्टियों के लिए इस तरह का अंत:संघर्ष आम बात है। वे इसी तरह से काम करती हैं। लेकिन, अगर उनके इस रवैये ने फोरम में भी घुसपैठ कर ली तो वह भी वर्चस्व स्थापित करने और राजनीतिक विवादों का अखाड़ा बन कर रह जाएगा।

कहना न होगा कि अगर किसी पार्टी को फोरम पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का मौका मिल गया तो वे तमाम लोग उससे कट जाएँगे जो उस पार्टी के समर्थक नहीं हैं। तब वह केवल सिद्धांत की भाषा में ही खुला फोरम रह जाएगा, व्यवहार में उसके दरवाजे अन्य ताकतों के लिए बंद हो जाएँगे।

चूँकि फोरम ने साबित कर दिया है कि उसमें राजनीतिक संघर्ष के लिए बड़ी संख्या में लोगों और संगठनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता है, इसलिए पार्टियों को उस पर कब्जा करने का प्रलोभन सताना स्वाभाविक ही है। लेकिन, यह उनके लिए अधिक उपयोगी रहेगा यदि वे फोरम पर लगाम कसने की कोशिश के बजाय उसे नागरिक समाज के क्षैतिज और स्वायत्त स्पेस के रूप में ही बनाए रखें। उनके जुझारू समर्थक, सदस्य और नेता बिना लोकप्रिय जनादेश के ही फोरम में भाग ले सकते हैं, बशर्ते उसे अपनी पार्टी की दिशा में खींचने की कोशिश न करें। फोरम का सबसे अच्छा इस्तेमाल उनके लिए यही हो सकता है कि वे नागरिक समाज के इस स्पेस के प्रति आदरभाव रखें और उनके विचारों और कार्यक्रमों से अपने पार्टी कार्यक्रम को समृद्ध करें। जमीनी स्तर पर काम कर रहे संगठिक नागरिक समाज के प्रति यही रवैया ठीक होगा और इसके जरिए उन्हें अपना नजरिया विस्तृत करने में मदद मिलेगी।

चाहे फोरम-प्रक्रिया से निकले नए नेटवर्क या आंदोलन हों, या फिर कोई राजनीतिक दल हो, अपने हित में फोरम का दोहन करने की कोई भी कोशिश इस प्रक्रिया को भीतर से नष्ट कर देगी।

किसी भी तरह के तनाव से बचने और फोरम को स्पेस के रूप में विस्तृत होते जाने के लिए पार्टियों और फोरम के आयाजकों के बीच आपसी सह-उत्तरदायित्व पर आधारित समझ बनना जरूरी है।

3. कार्यक्रमों की सांगठनिक संरचना : पोर्टो अलेगरे में हुए पहले फोरम के बाद से ही फोरम का आयोजन मुख्यत: दो धुरियों के आस-पास होता रहा है : आयोजकों द्वारा तय किए

गए कार्यक्रम के अनुसार होने वाले सम्मेलन और बहसें, एवं फोरम के पंजीकृत 'प्रतिनिधियों' द्वारा मुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाले सेमिनार और वर्कशॉप।

अक्सर यह कहा जाता है कि फोरम की सबसे बड़ी उपलब्धि यही सेमिनार और वर्कशॉप हैं। विविध विषयों और किस्म-किस्म के संघर्षों पर आयोजित किए जाने वाले ये कार्यक्रम 'दूसरी दुनिया' के लिए की जाने वाली जद्दोजहद को और समृद्ध करते हैं। सन् 2004 में ऐसे वर्कशॉपों की संख्या केवल चार सौ थी, जो सन् 2002 में बढ़ कर आठ सौ हुई और जो सन् 2003 में इनकी संख्या 1,700 हो चुकी है। फोरम के सहभागियों के बीच यह ख्याल जोर पकड़ता जा रहा है कि इन्हीं वर्कशॉपों में उन्हें प्रयासों का मूल्यांकन करने का मौका मिलता है। यही वह जगह है जहाँ नए गठजोड़ बनते हैं जिससे वे अपनी गतिविधियाँ और प्रभावी बना पाते हैं।

लेकिन, व्यवहार में हो यह रहा है कि वर्कशॉपों के मुकाबले आयोजकों द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इनके लिए विषय और वक्ता चुनने हेतु लंबी-लंबी बैठकें होती हैं। इस चक्कर में नेटवर्कों और संगठनों के बीच विवाद होते हैं। फोरम की इंटरनेशनल कौंसिल केवल पोर्टो अलेगरे में हुए फोरमों के लिए किए गए इन निर्णयों में काफी समय और शक्ति खर्च कर चुकी है। वह भी तनावों से नहीं बच पाई है।

एक तरफ तो यह कहा जाता है कि 'अंतिम दस्तावेज' जारी न करने का नियम बना कर फोरम कई तरह के सत्ता संघर्षों से कतरा कर बरबाद होने से बच गया, पर दूसरी तरफ फोरम के शो-केस का दर्जा प्राप्त करते जा रहे विषय-वस्तु आधारित कार्यक्रम और सम्मेलन उसी तरह के विवादों का स्रोत बनते जा रहे हैं। जबकि बजाय इनके 'दूसरी दुनिया' रचना में बेहतर योगदान करने वाले और अनुभवों की समृद्धि को सामने लाने वाले स्व-आयोजित सेमिनारों और वर्कशॉपों पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। दरअसल, शो-केसों की विषयवस्तु तय करने की प्रक्रिया में हम प्रच्छन्न रूप से एक तरह का 'अंतिम दस्तावेज' बनाने की ही तरफ चले जाते हैं। ये शो-केस नुमा कार्यक्रम आयोजकों द्वारा प्रायोजित विचार की अभिव्यक्ति करते हैं। छवि यह बनती है कि ये कार्यक्रम ही फोरम के केंद्रीय कार्यक्रम हैं।

अनुभव बताता है कि शो-केसों के बारे में फैसले लेने वाली यह प्रक्रिया कुछ दूसरे तरह तनावों को भी जन्म देती है। वर्ल्ड फोरम, क्षेत्रीय फोरम और किसी खास विषयवस्तु पर किए जाने वाले फोरमों के अनुभव से साफ है कि सम्मेलनों का विषय और वक्ता चुनने में जिनकी चलती है और जिनकी उपेक्षा हो जाती है, उनके बीच तनाव पैदा हो जाता है। हालाँकि आयोजकों का काम केवल खुला स्पेस संभव बनाना है और उनकी ज्यादातर

कार्रवाइयों का चरित्र कामचलाऊ किस्म का ही होता है, फिर भी इन्हीं निर्णयों के चलते उनकी छवि कुछ ऐसी बन जाती है कि वे ही फोरम के मालिक हों। उन पर इलजाम लगते हैं कि वे दूसरों पर अपने निर्णय अलोकतांत्रिक ढंग से थोप रहे हैं। निर्णयकारी आयोजकों के समूह का सदस्य होना ही अपने आप में होड़ का सबब बन जाता है। जिनकी नहीं मानी जाती है, उनका दावा यह होता है कि जिन्हें वे महत्त्वपूर्ण समझते हैं उन्हें विषयवस्तु के रूप में नहीं चुना जा रहा है।

क्षेत्रीय फोरमों में एक और हानिकारक रुझान देखने में आया है। फोरम स्थल की प्रमुख सुविधाएँ सम्मेलनों और संगोष्ठियों को आबंटित कर दी जाती हैं, और वर्कशॉपों को बाकी बची हुई जगहों पर बाँट दिया जाता है। कुछ तो ऐसी जगह डाल दिए जाते हैं जो फोरम के केंद्रीय स्थल से बहुत दूर होती है और वहाँ पहुँचना भी कठिन होता है। ऐन मौके पर इन आबंटनों के बदलने की सूचना भी नहीं दी जाती जिससे इन वर्कशॉपों का कार्यक्रम और भी गड़बड़ा जाता है।

मसला यह है कि दोनों धुरियों के आस-पास होने वाले कार्यक्रमों के बीच महत्त्व और दृश्यमानता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। स्व-आयोजित गतिविधियों के तहत होने वाले कार्यक्रमों को कुल मिला कर अहमियत देने का मुद्दा भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं कार्यक्रमों में विविधता को पूरी इज्जत मिल पाती है और इन्हीं जगहों पर अंत:संबंध पनप पाते हैं।

इसका एक तरीका यह हो सकता है कि फोरम-प्रक्रिया के शो-केस बनते जा रहे सम्मेलनों को फोरम स्थल के बाहर शहर में किया जाए जहाँ ऐसे लोग उनमें आसानी से भाग ले सकें जो फोरम में प्रतिनिधि के तौर पर पंजीकृत नहीं होते। बृहत्तर समाज के अंग के रूप में ये लोग भी नव-उदारतावाद और साम्राज्यवाद के तहत हो रहे भूमंडलीकरण के प्रभावों के प्रति जागरूक होना चाहते हैं। इस तरीके से होगा यह कि इन सम्मेलनों में राजनीतिक लाइन की दावेदारियाँ कम होंगी। स्थानीय आयोजकों को तय करना होगा कि भारी संख्या में मौजूद श्रोताओं को क्या संदेश दिया जाना है और कौन यह काम बखूबी कर सकता है।

सन् 2003 के वर्ल्ड सोशल फोरम के लिए आयोजक कोशिश कर रहे हैं कि स्व-आयोजित वर्कशॉपों और सेमिनारों को केंद्र में रखने वाली आयोजन पद्धति अपनाई जाए। आने वाले फोरमों में सबसे ज्यादा नया तरीका तो शायद यह अपनाया जाएगा कि वर्कशॉपों और सेमिनारों को प्रस्तावित करने की अंतिम तारीख पर्याप्त रूप से पीछे कर दी जाएगी। इस समय होता यह है कि यह तारीख फोरम शुरू होने से एक दिन पहले की होती है। इसके

कारण आयोजकों को समय और स्थान के आबंटन में ऐन मौके पर दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं।

कहना न होगा कि ये वर्कशॉप और सेमिनार फोरम की पहचान बनते जा रहे हैं। हर शिरकत करने वाला जानता है कि वह स्व-आयोजित गतिविधि प्रस्तावित कर सकता है। अगर इन्हें प्रस्तावित करने वाली तारीख पीछे कर दी जाएगी तो आयोजक स्थान, तारीख और समय का वितरण ठीक से कर पाएँगे और ऐसे कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधाएँ जुटाई जा सकेंगी।

इस नई आयोजन विधि का एक और फायदा होगा कि स्व-आयोजित कार्यक्रमों की सूची पहले ही सार्वजनिक कर दी जाएगी, जिससे शिरकत करने वाले फोरम में आने से पहले ही दिमाग बना कर आ सकेंगे कि उन्हें किस गतिविधि में भाग लेना है। इससे आयोजकगण उन लोगों के आरोपों से भी बच जाएँगे जो फोरम में दावत के मूड में आते हैं और खुद को किसी भी दायित्व से मुक्त मानते हैं। इन लोगों का शुरू से ही मानना रहा है कि फोरम का कार्यक्रम समय से जारी न होना आयोजकों की बड़ी भारी खामी है। कार्यक्रम पहले से जारी हो जाने से आंदोलनों और संगठनों को सुविधा होगी और वे अपने प्रतिनिधियों को पूरी तैयारी के साथ विभिन्न सम्मेलनों, चर्चाओं और सेमिनारों में उपयोगिता के हिसाब से वितरित कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधिगण अपने प्रस्ताव बेहतर ढंग से रख सकेंगे, सूचनाएँ जमा करने में उन्हें आसानी होगी, नेटवर्किंग करना उनके लिए अधिक सुगम हो जाएगा। इसके फलस्वरूप फोरम के बाद वहाँ शिरकत करने के लाभों की विवेचना और मूल्यांकन करना उनके लिए और सुविधाजनक होगा।

परिशिष्ट-10

मुंबई में भी समस्याएँ जारी रहीं!

इस लेख में बर्नार्ड कैसेन के लेख 'इट आल स्टार्टिड इन पोर्टो अलेगरे ...' पर टिप्पणी की गई है, साथ ही 12 जनवरी, 2004 के *लिबरेशन* अखबार में प्रकाशित उनके एक और लेख 'रिथिंकिंग सोशल फोरम' पर चर्चा है। इस लेख में मैंने एक अप्रकाशित पाद टिप्पणी भी शामिल कर दी है जो वर्ल्ड सोशल फोरम के 'पितृत्व' पर चर्चा के संबंध में है। चूँकि यह मसला बार-बार उठता है, इसलिए एक ऐतिहासिक सच्चाई स्थापित करने के मकसद से यह टिप्पणी दी गई है।

बर्नार्ड कैसेन ने अपनी किताब प्रथम पुरुष में लिखने का जोखिम उठाया है। कहना न होगा कि वर्ल्ड सोशल फोरम के तात्पर्य के बारे में अकाट्य विचारों से भरी इस पुस्तक का पाठ अपनी शैली के कारण सहज नहीं रह गया है। इस दिक्कत के बावजूद यह एक बेहद लाभदायक रचना है। इसकी बेहतरीन सामग्री बताती है कि फोरम-प्रक्रिया से संबंधित किन मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, और इसके तहत कौन-कौन से तनावों का सामना करना पड़ा है।

कैसेन ने विश्लेषण किया है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रक्रिया किस तरह नव-उदारतावाद के खिलाफ बढ़ते जा रहे संघर्ष, राजनीतिक दलों, राजनेताओं या फोरम के चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स से संबंधित है। वे इस संबंध को पूरी तरह स्पष्ट करते हुए कहते है : 'यह एक स्पेस और प्रक्रिया है। यह किसी भी तरह से कोई संस्था नहीं है।' कैसेन कहते हैं कि फोरम-प्रक्रिया ने हमें एक 'ऐतिहासिक चौराहे' पर ला कर खड़ा कर दिया है। मैं कैसेन की किताब द्वारा उठाए गए दो मुद्दों पर टिप्पणी करूँगा। दूसरा मुद्दा उनके नए लेख में भी आया है।

पहला मुद्दा उस खतरे के बारे में है जिससे बचना जरूरी है, और मुबई फोरम के बाद से तो वह और साफ हो कर उभर आया है। वर्ल्ड सोशल फोरम के चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स में दर्ज उसूलों, पद्धति और भावना का उल्लंघन करते हुए 'एसेम्बली ऑव सोशल मूवमेंट्स' नामक हरावल दस्ते की आड़ में फोरम-प्रक्रिया को राजनीतिक दिशा देने की कोशिश हो रही है। (कैसेन ने टिप्पणी की है कि इस समूह को चाहिए कि वह खुद को 'कुछ' सामाजिक आंदोलनों की एसेम्बली कहे, न कि सामाजिक आंदोलनों की एसेम्बली)। सामाजिक आंदोलनों का यह समूह सन् 2001 के वर्ल्ड सोशल फोरम की देन है। उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने का पूरा अधिकार है। वर्ल्ड सोशल फोरम का उद्देश्य इस तरह के संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा देना भी है। लेकिन, इसे फोरम के आंतरिक तर्क को उलटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह एसेम्बली अपना सबसे जोरदार हथकंडा मुंबई फोरम में आजामाने में कामयाब रही। उसने भारतीय आयोजकों को किसी तरह यकीन दिला दिया कि सभी फोरमों की परंपरा के अनुसार उसके प्रतिनिधि समापन समारोह में माइक पर आ कर अपना आह्वान जारी करेंगे। इस प्रकार फोरम से निकली समस्त विविधता और समृद्धि सिर्फ एक प्रस्ताव में सिमट कर रह गई। इस एक प्रस्ताव से हम सब सहमत भी हो सकते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं निकाला जा सकता कि यह फोरम का एकमात्र निष्कर्ष है। न ही इस आह्वान को फोरम की प्राथमिकता समझा जा सकता है। एसेम्बली के इसी हथकंडे के कारण एजेंसी फ्रांस-प्रेस को समापन समारोह के बारे में जारी की गई अपनी खबर में कहने का मौका मिल गया कि यह 'एसेम्बली वर्ल्ड सोशल फोरम' की निर्णयकारी संस्था है, और इस तरह 'उसे फोरम, जिसने कभी कोई 'अंतिम उद्घोषणा' जारी नहीं की, के नाम पर फैसले लेने का अधिकार प्राप्त है।'

बहरहाल, सौभाग्य से इस प्रकरण के कारण वर्ल्ड सोशल फोरम की इंटरनेशनल कौंसिल ने अगले दिन ही बैठक करके पिछले सभी फोरमों के समापन समारोहों की विस्तार से समीक्षा करके ऐसे कार्यक्रमों का मकसद, रूप और उपयोगिता स्पष्टता से परिभाषित की ताकि इस तरह की उलझन दोबारा पैदा न हो। यह अलग बात है कि इसके बावजूद आयोजकों द्वारा फोरम के साथ नए जुड़ने वालों को इस प्रक्रिया की सच्ची प्रकृति की जानकारी देने का प्रयास करते रहना होगा।

कैसेन ने अपनी किताब में दूसरा मुद्दा भी उठाया है। इसका ताल्लुक 'फोरम के राजनीतिक नतीजों' से है। पहले फोरम की कामयाबी के बाद से ही यह मुद्दा बार-बार उठता रहा है। पुस्तक में कैसेन अपना सरोकार कुछ इस प्रकार व्यक्त करते हैं :'दूसरी मुमकिन दुनिया की रचना करने के लिए की जाने वाली जरूरी कार्रवाई का प्रश्न अभी भी कायम है,

और इससे जो कुंठा पैदा होती है उसे आधारहीन नहीं कहा जा सकता।'

इस मुद्दे पर भी इंटरनेशनल कौंसिल ने मुंबई में फैसला लिया। लेकिन, इस प्रश्न पर किताब और लेख में कुछ अस्पष्टता है। कुल मिला कर 'एसेम्बली ऑफ सोशल मूवमेंट्स' (जिसकी खुद कैसेन ने आलोचना की है) की माँग भी तो आखिर में यही है। एसेम्बली यही तो चाहती है कि आयोजन में हुई सारी गतिविधि फोरम के अपने दिशा-निर्देश के तहत गोलबंदी के कुछ आह्वानों में समेट दी जाए। बहुत से पत्रकार भी यही माँग करते हुए दिखते हैं। उन्हें आदत पड़ी हुई है कि फोरम जैसे कार्यक्रमों के समापन पर उनके हाथ में अक्सर 'अंतिम दस्तावेज' थमा दिया जाता है। अपने लेख के अंत में कैसेन लिखते हैं : 'हम सब को यह बताने में काफी दिक्कत हुई कि आखिर फोरम का नतीजा क्या हुआ।' कैसेन के इस विचार के विपरीत असलियत यह थी कि हममें से कई को इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने बेहिचक कहा कि फोरम का कोई 'एक' अंतिम दस्तावेज नहीं है। उसके अंतिम दस्तावेज तो सैकड़ों हैं जो फोरम में हुई गतिविधियों में बनी तरह-तरह की नई प्रतिबद्धताओं की देन हैं।

इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि कैसेन ने अपनी पुस्तक और अपने लेख में एक ऐसा नया विचार पेश किया है जिससे इस विषय पर और भी भ्रम फैला है। कैसेन ने 'वाशिंगटन सहमति' के मुकाबले 'पोर्टो अलेगरे सहमति' के सूत्रीकरण की चर्चा की है। उनका कहना है कि इस सहमति के मुताबिक एक दर्जन रणनीतिक लक्ष्य बनाए जाने चाहिए ताकि फोरम-प्रक्रिया के सभी सहभागी अपनी कार्रवाइयाँ उनके आसपास गोलबंद कर सकें। इस तरह के विचार पर अमल की दिक्कत यह है कि इसका मतलब कुल मिला कर एक 'अंतिम दस्तावेज' जारी करना हो जाएगा, भले ही हर कोई कहता रहे कि वह अंतिम दस्तावेज नहीं चाहता। इसी से मिलता-जुलता विचार मुंबई फोरम की तैयारी करते हुए सन् 2005 के फोरम के निगाह में रख कर उठा था कि क्यों न कुछ मुश्तरका मुद्दे और प्राथमिकता वाली विषयवस्तुएँ तय कर ली जाएँ। मुंबई फोरम में शिरकत करने वाले एक नटेवर्क ने 'दूसरी दुनिया मुमकिन बनाने के लिए तीस प्रस्ताव' जारी भी कर दिए थे। मैं पूछता हूँ कि क्या ये तीस प्रस्ताव कथित 'पोर्टो अलेगरे सहमति' के दस या पंद्रह प्रस्तावों के साथ जोड़े जाएँगे? दूसरा सवाल यह है कि खुद को वर्ल्ड सोशल फोरम की संचालन समिति बनाए बिना दोनों प्रस्तावों को जोड़ने का काम कौन करेगा? जाहिर है कि फोरम से कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे लोग इस जुड़े हुए दस्तावेज को अंतिम उद्घोषणा के रूप में ही लेंगे। फिर, उन फोरम में आए अन्य कार्रवाई प्रस्तावों का क्या होगा जो इस प्रस्ताव में शामिल होने से रह जाएँगे? आखिर इन प्रस्तावों के प्रस्तावकों को इन्हें नव-उदारतावाद के खिलाफ संघर्ष के लिए

कम महत्त्वपूर्ण क्यों समझना चाहिए? मैं बार-बार कहता रहा हूँ कि विविधता के लिए आदरभाव केवल फोरम की शुरुआत में ही नहीं उसके समापन के समय भी दिखना चाहिए। फोरम का समापन भी विविधता के समरूपीकरण की किसी भी कोशिश के बिना ही कोशिश होना चाहिए। समरूपीकरण का मतलब होगा फोरम की समृद्धि और विविधता खो देना।

अपने-अपने सार-संकलन करने, प्राथमिकताएँ तय करने और मुश्तरका मुद्दे तय करने का अधिकार सभी को है। इनमें जो बेहतर होगा, उससे सहमत लोग उसका पालन करेंगे। पर, किसी को अपना निष्कर्ष दूसरे पर थोपने या दूसरों के नाम पर वक्तव्य जारी करने की हक नहीं होगा। मुंबई में मैंने कैसेन से बात की और वे इस बात पर राजी हो गए कि उनके प्रस्ताव का नाम 'दूसरी दुनिया के लिए सहमति' होना चाहिए, वरना काफी भ्रम फैलेगा। 'पोर्टो अलेगरे सहमति' जैसा फिकरा मीडिया बड़ी आसानी से पकड़ लेता और फिर निश्चित रूप से कहता कि देखिए, आखिरकार उन्होंने अंतिम दस्तावेज जारी कर ही दिया। इसका असर यह पड़ता कि फोरम के सहभागियों में फूट पड़ जाती।

मुंबई में कई लोगों का जोर इस बात पर था कि कार्रवाई के ठोस प्रस्ताव फोरम से निकलने चाहिए। कथित 'बौद्धिक' चर्चाओं और बहसों से परे जाना चाहिए। फोरम पर छाया हुआ उत्सव जैसा माहौल तो बहुत से जुझारू कार्यकर्ताओं की निगाह में प्रतिबद्धता की कमी का द्योतक था। मुंबई के फोरम स्थल में हो रहे अनगिनत प्रदर्शनों तक से परे जाने की माँग हुई। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजन की पद्धति में लगातार सुधार की जरूरत है। इस पद्धति से संबंधित चिंताएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए मुंबई फोरम में एक पूरा प्लेनरी सत्र और एक बड़ा सेमिनार इसी विषय पर किया गया था। मैं इस आयोजन को एक बड़ी अग्रगति का दर्जा दूँगा क्योंकि सन् 2003 में यह चर्चा केवल एक छोटे से वर्कशॉप तक ही सीमित थी।

जहाँ तक ठोस कार्रवाई-प्रस्तावों के आग्रह का सवाल है, मेरे ख्याल से यह माँग फोरम-प्रक्रिया की समझ से जुड़ी हुई है। हर फोरम के साथ सहभागियों की समझ बदलती जाती है। हर बार वे नई बातें जान कर, सजग हो कर और नई ताकतों से जुड़ कर फोरम से वापस जाते हैं। हर बार वे फोरम से पहले की जा रही अपनी कार्रवाइयों को ही फोरम के बाद नए अनुभवों की रोशनी में जारी रखते हैं। हर फोरम कुछ नई पहलकदमियों को भी जन्म देता है जिनके नतीजे के तौर पर सैकड़ों 'अंतिम दस्तावेज' पैदा होते हैं। दरअसल, हम इस पूरी प्रक्रिया को उतना उभार कर सामने नहीं ला पाए हैं जितना लाना चाहिए था। फोरम के प्रेक्षकों के बीच प्रक्रिया के परिणाम संबंधी चिंताएँ बढ़ने का यही कारण है।

एक बात जरूर है कि फोरमों के आयोजन से इस दिशा में आगे बढ़ने के अवसर

जरूर मिलते हैं, यद्यपि इन अवसरों का अभी तक पूरा संधान नहीं किया जा सका है। जिस तरह फुटबाल के खेल में जीतने वाली टीम नहीं बदली जाती, उसी तरह अभी तक फोरम को कामयाबी दिलाने वाली यह पद्धति नहीं बदली गई है। दरअसल, एक स्पेस के तौर पर फोरमों की भूमिका की जगह कोई और नहीं ले सकता। इसी पद्धति के कारण शिरकत करने वाले संगठनों के लिए यह मुमकिन हो पाया है कि अपने-अपने संघर्षों को अलग-अलग जारी रखने के बजाय अपनी समस्त विविधता कायम रखते हुए अपनी ताकत अधिक व्यापक दायरे में नई दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। जिस तरह नव-उदारतावाद की प्रभुता भूमंडल व्यापी है, उसी तरह वर्ल्ड सोशल फोरम उसके खिलाफ भूमंडल व्यापी स्तर पर कार्रवाई का मौका प्रदान करता है। यह संयुक्त कार्रवाई क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय पैमाने पर की जा सकती है। एक 'खुले स्पेस' के रूप में फोरमों का यह विशेष योगदान है कि उनके कारण नव-उदारतावाद के खिलाफ जद्दोजहद गहन भी होती है, और विस्तृत भी। सवाल यह है कि यह सिलसिला किस तरह आगे बढ़ाया जाए कि ये कार्रवाइयाँ अपने आप में फोरम के भीतर ही ठोस रूप ले लें?

इसी प्रश्न की रोशनी में ओडिड ग्रेज्यू ने, जिन्हें वर्ल्ड सोशल फोरम के मूल विचार को जन्म देने का श्रेय जाता है, इंटरनेशनल कौंसिल के सामने नया विचार रखा ताकि सन् 2005 के फोरम में उस पर विचार किया जा सके। ग्रेज्यू ने कहा कि वर्ल्ड सोशल फोरम का कार्यक्रम तीन खंडों के एक क्रम में आयोजित किया जो सकता है। जैसा कि होता आया है, पहले दो दिन वर्कशॉपों और सेमिनारों को समर्पित किए जाने चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए कि इनकी प्रकृति अधिक से अधिक स्व-आयोजित किस्म की हो। तीसरे दिन से दूसरा खंड शुरू हो जिसमें सहभागी आपस में मुलाकातें करके संयुक्त कार्रवाइयाँ आगे बढ़ाने के मकसद से अपनी शक्तियाँ एक जगह लाने का प्रयास करें। जरूरी नहीं कि इस प्रयास का आधार पहले दो दिन में हुए विचार-विमर्श से ही लिया जाए। तीसरे दिन का एक हिस्सा और चौथा दिन इन आपसी समझदारियों के आधार पर कार्रवाई योजनाएँ बनाने में खर्च किया जाए।

ऐसा लगता है कि इस फारमूले के आधार पर और इंटरनेशनल कौंसिल के अन्य निर्देशों के मुताबिक (स्व-आयोजित गतिविधियों और खास मुद्दों पर संयुक्त उपक्रमों के प्रस्तावों के पंजीकरण की आखिरी तारीख पीछे लाना, एवं पंजीकरण के समय ही स्व-आयोजित गतिविधियों के उद्देश्यों का खुलासा कर देना) वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजक उन माँगों को अधिक सृजनात्मकता के साथ पूरा कर पाएँगे जो कैसेन ने अपने लेख में सोशल फोरमों पर पुनर्विचार करते हुए पेश की हैं।

अप्रकाशित पाद टिप्पणी इस प्रकार है :

पिरांडेलो ने कहा है कि 'हममें से हर एक के पास अपना-अपना सत्य है।' कैसेन, ओडिड ग्रेज्यू और मेरे बीच रू क्लॉड बर्नार्ड में हुई चिंतन-बैठक का जो ब्योरा कैसेन ने पेश किया है उससे मैं और ग्रेज्यू सहमत नहीं हैं।

वर्ल्ड सोशल फोरम ठीक उन्हीं तारीखों में करने का विचार ग्रेज्यू के दिमाग की उपज था ताकि उसे दावोस के फोरम के विकल्प की तरह उभारा जा सके। ग्रेज्यू को यह उम्मीद भी थी कि वर्ल्ड सोशल फोरम केवल नव-उदारतावाद के खिलाफ प्रतिरोध करके ही नहीं रह जाएगा, बल्कि एक दूसरी दुनिया बनाने का प्रस्ताव भी रखेगा। आपस में सलाह करने के बाद हम अपनी-अपनी पत्नियों के साथ कैसेन से बात करने गए गए। हमारा मकसद यह पता लगाना था कि क्या ऐसी कोई पहलकदमी *ल मोंडे डिप्लोमेटीक* अखबार से मदद की उम्मीद कर सकती है। कैसेन उस समय भी इस अखबार के निदेशक थे और आज भी हैं। हम यह भी जानना चाहते थे कि सिएटल में हुए प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले नेटवर्क इस पहल को अपनी स्वीकृति देंगे। इन प्रदर्शनों में एटीटीएसी ने भी हिस्सा लिया था जिसके अध्यक्ष कैसेन ही थे।

कैसेन का यह दावा तो ठीक है कि उन्होंने ही फोरम ब्राज़ील और पोर्टो अलेगरे में करने का सुझाव दिया था, पर फोरम के मूल विचार का जनक होने की उनकी दावेदारी सही नहीं है। अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि फोरम का विचार उनके छोटे से दफ्तर में ही पैदा हुआ। न ही उनकी यह बात ठीक है कि मैं और ओडिड तो 'दावोस को डुबा देने' का अपेक्षाकृत तुच्छ मकसद लेकर उनसे मिलने आए थे।

वर्ल्ड सोशल फोरम के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जैसे लोगों की गवाहियाँ सुनना भी जरूरी है। दिसंबर, 2000 में प्रकाशित वर्ल्ड सोशल फोरम के उद्गम और उद्देश्यों पर लिखा गया मेरा लेख फोरम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संदर्भ और टिप्पणियाँ

1. *टाउट ए कमेंसे ए पोर्टो अलेगरे ... मिले फोरम्स सोसियाक्स!*, मिले एट उने नुइट्स, अक्टूबर 2003

परिशिष्ट-11

वर्ल्ड सोशल फोरम : मौजूदा मुकाम और आगे का रास्ता[1]

यह लेख लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स की इयरबुक 2005/2006 में प्रकाशित हुआ था। सन् 2005 के वर्ल्ड सोशल फोरम के बाद लिखा गया यह लेख उस आयोजन के बारे में ताजा जानकारियाँ उपलब्ध कराता है जो इस पुस्तक के पहले पुर्तगीज संस्करण के प्रकाशन के बाद हुआ था। इयरबुक संपादकों के अनुरोध पर इस लेख में फोरम में ली गई एक विवादास्पद पहल पर विशेष ध्यान दिया गया है। फोरम में 'मेनिफेस्टो ऑफ पोर्टो अलेगरे' जारी किया गया था। इयर बुक में दो और भी लेख प्रकाशित हुए थे। इनमें एक बोआवेंचुरा डि सोजा सांतोस का लिखा हुआ था जो मेनिफेस्टो पर दस्तखत करने वालों में से एक थे। दूसरा लेख बर्नार्ड कैसेन का था जो मेनिफेस्टो के संयोजकों में शामिल थे।

परिचय

आज वर्ल्ड सोशल फोरम (डब्ल्यूडब्ल्यू.फोरमसोशलमुंडियल.ओआरजी.बीआर) की प्रक्रिया किस मुकाम पर खड़ी हुई है? सन् 2005 के फोरम में करीब डेढ़ लाख लोगों ने शिरकत की। इस कामयाबी के बाद फोरम के आयोजकों में से कई इसी चिंता से ग्रस्त हैं कि आखिर यह प्रक्रिया किस दिशा में जा रही है? वर्ल्ड सोशल फोरम आखिरकार क्या हासिल करना चाहता है? आवश्यक राजनीतिक परिवर्तन करने के मामले में यह फोरम कितना प्रभावकारी है? क्या इस फोरम की ऊर्जा समाप्त होने जा रही है? क्या ऐसा तो नहीं है कि 'दूसरी दुनिया मुमकिन है' जैसा नारा दे कर इस फोरम ने जबरदस्त कुंठा और उसके परिणामस्वरूप होने वाले कुप्रभावों का जोखिम पैदा कर दिया हो? क्या इस नारे से परवान

चढ़ीं उम्मीदें पूरा करना एक ऐसे वक्त में बहुत मुश्किल नहीं है जब युद्ध और आतंकवाद का खतरा पुन: उभर आया हो, और पारिस्थितिकीय विनाश रोकने की कोई संभावना न दिखाई दे रही हो?

मेरा भी विचार है कि फोरम की प्रक्रिया का विश्लेषण बिना देर-दार किए गहराई से किया जाना चाहिए। इसी कारण से मार्च, 2005 के आखिरी दिनों में उट्रेख्ट, नीदरलैंड्स में हुई इंटरनेशनल कौंसिल की बैठक में तय किया गया था कि जून, 2005 में हुई बारसिलोना की बैठक में इसी विषय पर विचार के लिए पूरा डेढ़ दिन अलग से रखा जाएगा। इस बैठक में विश्व के ताजे घटनाक्रम पर गौर किया जाएगा, दूसरी मुमकिन दुनिया की तरफ बढ़ने के मामले में हुई प्रगति और अवनति पर विचार होगा और संपूर्ण संदर्भ में फोरम की भूमिका की जाँच की जाएगी।

वर्ल्ड सोशल फोरम की भूमिका और प्रकृति पर कुछ विचार

फोरम की भूमिका और प्रकृति पर सामूहिक विचार की कोशिश अक्टूबर, 2002 में 'डब्ल्यूएसएफइटसेल्फ' नामक ई-मेल चर्चा-सूची की स्थापना के साथ शुरू हुई। इसका प्रस्ताव ब्राज़ीली और फ्रांसीसी सहभागियों ने किया था। दूसरे फोरम की कामयाबी के बाद इन लोगों को दिखने लगा था कि फोरम का काफी विकास हो सकता है इसलिए इस समूचे उद्यम के तात्पर्यों को स्पष्ट करना जरूरी है। सन् 2003 के फोरम में इसी चर्चा-सूची के आधार पर एक वर्कशॉप किया गया जिसमें फोरम-आयोजन के आधारभूत रूपों और सिद्धांतों में प्रस्तावित नई बातों पर बहस की गई थी। सन् 2004 में मुंबई फोरम के दौरान इस सिलसिले में उल्लेखनीय दो कार्यक्रम हुए : 'फोरम : खुला स्पेस?' विषय पर एक सेमिनार हुआ और वर्ल्ड सोशल फोरम के भविष्य को लेकर एक प्लेनरी सत्र आयोजित किया गया। मुंबई में निबंधों के एक संकलन 'चैलेंज टु दि इम्पायर्स' (सेन वगैरह, 2004) का लोकार्पण भी हुआ। सन् 2005 में विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से इसी मुद्दे पर कई कार्यक्रम हुए और दो पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं (डि सोजा सांतोस, 2005; और व्हिटेकर, 2005)।

बहरहाल, दुनिया के मौजूदा शक्ति-संतुलन के संदर्भ में फोरम की प्रकृति और भूमिका पर सोच-विचार करने से कुछ विचारोत्तेजक प्रश्न पैदा होते हैं जिनसे फोरम की मौजूदा आयोजन पद्धति प्रभावित होती है। एक जोरदार दावा यह किया जा रहा है कि नई सदी में विजय दुंदुभि बजा रहे नव-उदारतावाद के खिलाफ संघर्ष प्रभावी बनाने के लिए गुजरी सदी में प्रचलित रहे राजनीतिक कार्रवाई के प्रतिमानों के परे जाने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। सवाल यह है कि क्या इस तरह का प्रतिमान परिवर्तन वास्तव में

आवश्यक है? अगर है, तो क्या फोरम आयोजनों का मौजूदा तौर-तरीका ऐसे परिवर्तन सम्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका समझा जाना चाहिए?

क्षैतिज नेटवर्क आधारित संगठन

फोरम करने के लिए आज तक अपनाई जा रही पद्धति की विशेषता यह है कि इसके जरिए आयोजकों और सहभागियों को राजनीतिक दृष्टि से आयोजन करने और क्रियाशील होने के नए प्रयोग करने का मौका मिलता है। फोरम के आयोजक शुरू से खुद को 'फेसिलिटेटर' कहते रहे हैं। खुद को नेता बताने का तो सवाल ही नहीं, उन्होंने अपने लिए कभी 'संयोजक' अभिव्यक्ति तक का इस्तेमाल नहीं किया। इस शब्दावली पर ध्यान देना काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि फोरम के आयोजक क्षैतिज संबंधों की एक नई राजनीतिक संस्कृति की स्थापना करना चाहते हैं, जो स्तंभीय संबंधों की राजनीतिक संस्कृति की जगह लेगी। स्तंभीय संबंधों की राजनीतिक संस्कृति पूँजीवादी अधिनायकत्व और पश्चिमी नौकरशाहाना संस्कृति पर तो हावी है ही, वह उनका विरोध कर रहे वामपंथियों की कार्रवाइयों का आधार भी है।

क्षैतिज संबंधों में कार्यकर्ता नेटवर्कों में संगठित रहते हैं। स्तंभीय और पिरामिडनुमा संबंधों के मुकाबले क्षैतिज संबंधों के जरिए सामूहिक शक्ति की रचना करना, दायित्व में साझेदारी करना और नतीजे के तौर पर मजबूत होते जाना अधिक संभव होता है। नेटवर्क इसलिए काम नहीं करता कि किसी ने उसे आदेश दिया है, बल्कि इसलिए काम करता है कि लोग कार्रवाई की जरूरत समझ कर खुद सक्रिय कर्ताओं की भूमिका अपना लेते हैं। पिरामिडनुमा सांगठनिक संरचनाओं में हिदायतें हमेशा नीचे तक नहीं पहुँच पातीं। सांगठनिक प्रबंधकों को हमेशा इस बात की जानकारी नहीं रहती कि उनके अनुयायियों के बीच क्या घटित हो रहा है। इस वजह से नेताओं और अनुयायियों के बीच दीवार बन जाती है। ऊपर से, सत्ता पिरामिड के विभिन्न स्तरों में संकेंद्रित रहती है, इसलिए सदस्यों के बीच सत्ता पर नियंत्रण का संघर्ष शुरू हो जाता है जिसका परिणाम एकता के बजाय फूट और कमजोरी में निकलता है।

इस प्रयोग की प्रकृति अनिवार्यत: सहभागी किस्म की है। लेकिन, यह कोई नया प्रयोग नहीं है। सन् 1968 की अधिनायकवाद विरोधी गोलबंदियों से इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम का प्रयोग उन्हीं सामाजिक संबंधों की परंपरा दुनिया के पैमाने पर पुन: स्थापित कर रहा है। साठ के दशक के बाद ही नेटवर्क बनने और मजबूत होने का सिलसिला शुरू हो गया था। ये अलग किस्म की सांगठनिक संरचनाएँ थीं जिन्होंने कई राजनीतिक

उपक्रम किए और राजनीतिक संघर्ष करने के नए-नए तरीके खोज निकाले। मलसन, कुछ लोगों ने राजनीतिक दिशा की सामूहिक संरचना का आविष्कार कर डाला। इस सिलसिले में बीसवीं सदी के अंत में हुआ एक प्रकरण उल्लेखनीय है, जब सन् 1999 में सिएटल में हुए विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन के दौरान जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए। यह प्रथम वर्ल्ड सोशल फोरम से पहले की घटना थी। ये विरोध प्रदर्शन इतने विशाल और प्रभावकारी साबित हुए कि डब्ल्यूटीओ में लिए जाने वाले अलोकतांत्रिक उपायों पर रोक लग गई। इनकी सफलता से वे लोग भी चकित रह गए जिन्होंने अपनी समस्त विविधताओं के साथ स्वयं को इस आंदोलन में झोंक दिया था।

फोरम का चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स

पहले फोरम की कामयाबी के फौरन बाद एक चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स का मसविदा बनाया गया, जिसमें साफ तौर से क्षैतिज संबंध अपनाने पर ही जोर दिया गया था। आयोजकों को यकीन था कि ऐसे क्षैतिज संबंधों की वजह से पहला फोरम कामयाब हुआ है। वे गारंटी करना चाहते थे कि यह प्रयोग विश्व या क्षेत्र के पैमाने पर होने वाले अन्य आयोजनों में भी जारी रहे। चार्टर में दिए गए दिशा-निर्देश प्रचलित राजनीतिक कार्यशैली से एकदम अलग थे। चार्टर फोरमों के आखिर में अंतिम दस्तावेज जारी करने पर रोक लगाता था। वह सुनिश्चित करता था कि सहभागियों को फोरम में अपनी गतिविधियाँ स्वयं आयोजित करने की पूरी छूट मिले।[2] चार्टर शपथ लेता था कि आयोजक न तो इन गतिविधियों को निर्देशित करने की कोशिश करेंगे, न ही उनके साथ जुड़ कर आयोजन में भाग लेने की कोशिश करेंगे और न ही फोरम का कोई प्रवक्ता नियुक्त किया जाएगा।

चार्टर के मुताबिक फोरम का बुनियादी चरित्र एक खुले स्पेस का होना था जिसमें सहभागी अपने ठोस अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकेंगे, और उन्हें एक दूसरे से संबंध बनाने की सुविधा मिलेगी। इसी का ख्याल करके आयोजकों ने चार्टर में कुछ नियम शामिल किए। ध्यान रहे कि ये नाम के न हो कर वास्तविक नियम थे। इन नियमों के तहत विविधता के प्रति आदरभाव रखना था। फोरम की तैयारियों और आयोजन की प्रक्रिया में पूरी तरह लोकतांत्रिक रवैया अख्तियार किया जाना था ताकि उन बाधाओं और पूर्वग्रहों से परे जाने में कामयाबी हासिल हो सके जिनके कारण 'दूसरी दुनिया मुमकिन है' में विश्वास करने वाले संगठनों और विभिन्न हलकों के बीच फूट पड़ी रहती है। इस प्रकार विविधता का आदर केवल आयोजन प्रक्रिया से ही जुड़ा न रह कर वर्ल्ड सोशल फोरम का केंद्रीय सिद्धांत बन गया। इसके पीछे यह आधारभूत आस्था थी कि दूसरी मुमकिन दुनिया या दुनियाओं की

रचना में भी यही बुनियादी उसूल काम करेगा।

तीसरे वर्ल्ड सोशल फोरम के बाद चार्टर के आधार पर विश्वव्यापी गोलबंदी का सिएटल जैसा ही प्रभावशाली प्रकरण हुआ जिसके पीछे नेटवर्क का तर्क काम कर रहा था। 15 फरवरी, 2003 को बहुत से देशों में डेढ़ करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए। ये लोग इराक युद्ध का विरोध कर रहे थे। ये लोग शांति के पक्ष में थे। इन प्रदर्शनों का प्रस्ताव नवंबर, 2002 (फ्लोरेंस, इटली के यूरोपीय सोशल फोरम) और जनवरी, 2003 (पोर्टो अलेगरे में हुए वर्ल्ड सोशल फोरम) के आयोजनों में रखा गया था, और वहीं उन पर चर्चा हुई थी। चूँकि अपने चार्टर के मुताबिक फोरम एक संगठन न हो कर सिर्फ एक स्पेस है, उसका कोई नेता नहीं हो सकता और वह कोई आह्वान नहीं कर सकता, इसलिए 15 फरवरी के प्रदर्शनों का संयोजन फोरम में शिरकत करने वाले बहुत से नेटवर्कों ने किया था। सिएटल की भाँति इन नेटवर्कों ने इस बार भी क्षैतिज संचार के बेहद शक्तिशाली औजार इंटरनेट का जम कर इस्तेमाल किया। इन प्रदर्शनों के लिए किए गए आह्वान की कामयाबी फोरम द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई आयोजित करने की क्षमताओं से भी बहुत बड़ी साबित हुई। कुल मिला कर इसमें फोरम की भूमिका निर्णायक थी, क्योंकि फोरम के खुले स्पेस ने ही इस तरह के प्रस्ताव पेश करने, उन पर चर्चा करने, उनके लिए तालमेल नेटवर्किंग करना सुगम किया था।

इन प्रदर्शनों की कामयाबी के बावजूद ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि वर्ल्ड सोशल फोरम एक नए राजनीतिक अभिनेता की तरह व्यवहार करना शुरू करे। खुद पहलकदमी करे और गोलबंदी के आह्वान करे। इस इच्छा के पीछे फोरम के चरित्र से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न मौजूद है जिस पर लगातार बहस होती रहती है : फोरम एक स्पेस है या एक आंदोलन? इस सवाल का जवाब जिस तरह दिया जाएगा, उसी पर निर्भर होगा कि फोरम की आयोजन-प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी और उसका भविष्य क्या होगा। एक बहुप्रकाशित लेख में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि फोरम के लिए आंदोलन के बजाय स्पेस की अवधारणा क्यों उचित रहेगी, और किस तरह कुछ लोग आंदोलन बनाने पर तुले हुए हैं।

स्पेस और आंदोलन में क्या अंतर है?[3]

सबसे पहले यह साफ होना चाहिए कि आंदोलन और स्पेस दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। बिना किसी सरलीकरण के यह कहा जा सकता है कि कोई संरचना या स्पेस हा सकती है या फिर आंदोलन। इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों का सहअस्तित्व

संभव नहीं है। ये दोनों एक-दूसरे के खिलाफ भी नहीं होते यानी ये एक-दूसरे को बेअसर नहीं करते। यहाँ तक कि वे एक-दूसरे के साथी के रूप में भी काम कर सकते हैं। लेकिन, एक ही में दोनों का फायदा नहीं मिल सकता। यानी थोड़े-थोड़े दोनों नहीं हो सकते। ऐसा होगा तो या आंदोलन को नुकसान होगा या फिर स्पेस की हानि होगी। आंदोलन और स्पेस अपनी-अपनी अलग-अलग भूमिकाओं के साथ एक ही उद्देश्य के लिए भी काम करते रह सकते हैं। लेकिन, दोनों के काम करने का अपना तरीका अलग का होता है ओर दोनों अलग-अलग विशिष्ट उद्देश्यों को लक्ष्य बनाते हैं।

आंदोलन की खास बात यह होती है कि वह लोगों को संघबद्ध करता है। वह अपने जुझारू समर्थकों को एक पार्टी के जुझारू समर्थकों की तरह कुछ खास उद्देश्यों की सामूहिक प्राप्ति के लिए संगठित करता है। उसकी रचना और वजूद के लिए जरूरी है कि रणनीतियाँ परिभाषित की जाएँ, कार्रवाई योजना बनाई जाए और उसके सदस्यों के बीच जिम्मेदारियों का बँटवारा हो जिनमें आंदोलन की दिशा से जुड़ी हुई जिम्मेदारियाँ भी शामिल होती हैं। यह सब काम कर सकने वाला ही आंदोलन के जुझारू सदस्यों का नेतृत्व करता है। चाहे निरंकुश तौर-तरीके अपनाए जाएँ या लोकतांत्रिक, यह नेता किसी न किसी प्रकार आंदोलन के संस्थापकों द्वारा दिए गए विचार के मुताबिक समर्थकों पर सामूहिक कार्रवाई का दायित्व डालता है। आंदोलन की सांगठनिक संरचना पिरामिड जैसी होनी लाजमी है, भले ही उसकी आंतरिक निर्णय प्रक्रिया कितनी भी लोकतांत्रिक क्यों न हो, और विभिन्न स्तरों पर उसका बंदोबस्त करने वाले पदाधिकारियों को चुनने के लिए कोई भी तरीका क्यों न अपनाया जाए। इस आंदोलन की सक्षमता हर हाल में उसके वांछित विशिष्ट उद्देश्यों की स्पष्टता और सटीकता पर निर्भर होगी। यह एक ऐसा आयाम है जो दिक् और काल में उसकी सीमाओं का निर्धारण कर देगा।

इसके उलट स्पेस का कोई नेता नहीं होता। वह तो केवल एक स्थान होता है, बुनियादी तौर पर क्षैतिज, पृथ्वी की सतह की तरह। हाँ, उसमें कुछ उतार-चढ़ाव जरूर हो सकते हैं। स्पेस एक ऐसे मैदान की तरह होता है जिसका कोई मालिक नहीं होता। अगर इस्तेमाल करने वालों के अलावा भी मैदान का कोई मालिक हुआ तो वह किसी की निजी जमीन में बदल जाएगा। वैसे, मैदान आमतौर पर ऐसे खुले क्षेत्र होते हैं जिनमें उन्हें इस्तेमाल करने में दिलचस्पी रखने वाला कोई भी व्यक्ति आ सकता है। यह उन स्क्वायरों की ही तरह होता है जो अपने दायरे में आने वालों को एक खास तरह की सेवा मुहैया कराते हैं। जितने ज्यादा दिन वे मैदानों की भाँति रहेंगे, उतना ही वे उन लोगों के लिए उपयोगी हो पाएँगे जो उनका अलग-अलग मकसदों से इस्तेमाल करने आते हैं।

एक मैदान में भले ही पेड़ और छोटी-छोटी पहाड़ियाँ क्यों न हों, रहेगा वह एक स्पेस ही। अगर कोई पहाड़ियों और पेड़ों पर चढ़ जाए, तो भी उस मैदान में सक्रिय लोगों के कामों को ऊपर बैठ कर न तो पूरी तरह और न ही आंशिक रूप से नियंत्रित कर पाएगा। जो ऊपर चढ़ने वाला है उसे कम से कम मैदान में सक्रिय लोगों का उपहास तो झेलना ही पड़ेगा। अगर वह ज्यादा जिदबाजी पर उतर आएगा, या दिक्कतें पैदा करना शुरू कर देगा, तो अकेला पड़ जाएगा क्योंकि लोग मैदान छोड़ कर या तो चले जाएँगे या फिर 'सरकारी अधिकारियों' को बुला लाएँगे ताकि उसे ऊपर बैठ कर उपदेश वर्षा करने से रोका जा सके और वह शांति कायम की जा सके जो सार्वजिनक मैदानों की विशेषता होती है।

फोरम का चार्टर साफ करता है कि मैदान की ही तरह वह भी एक खुला स्पेस है। लेकिन, सार्वजनिक मैदानों की तरह वह एक तटस्थ स्पेस नहीं है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर फोरम का आयोजन एक खास उद्देश्य के लिए होता है : वह जितने हो सके उतने ज्यादा लोगों, संगठनों और आंदोलनों को नव-उदारतावाद के खिलाफ अपनी मर्जी से जमा होने का मौका देता है ताकि वे एक-दूसरे को सुन सकें, एक-दूसरे के अनुभवों और संघर्षों से सीख सकें, कार्रवाई योजनाओं पर विचार कर सकें, और कुल मिला कर इस प्रकार के नए नेटवर्कों और संगठनों में एक-दूसरे से जुड़ सकें जिनका मकसद बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों और वित्तीय हितों की चौधराहट में चल रही भूमंडलीकरण की मौजूदा प्रक्रिया को पराजित करना है। इस प्रकार फोरम एक ऐसा स्पेस है जो उसमें आए सभी लोगों के समान मकसद की प्राप्ति के लिए एक सार्वजनिक मैदान की तरह क्षैतिज सक्रियता रखता है, और जिसकी आंतरिक संरचना में न तो नेता होते हैं और न ही सत्ता के पिरामिड। फोरम में शिरकत के लिए आए सभी लोग उसकी ये शर्तें स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। जाहिर है कि इस 'मैदान' में सक्रिय होने के लिए इसके चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स से सहमत होना आवश्यक है।

दरअसल, फोरम 'विचारों के एक कारखाने' या विचारों के एक उद्भावन स्थल की तरह काम करता है। उसमें से बहुत सी नई पहलकदमियाँ निकलती हैं जिनमें उस दूसरी दुनिया की रचना की संभावनाएँ होती हैं जो हमारी सबकी निगाह में बनाई जा सकती है, जिसकी रचना आवश्यक है और जिसमें अब देर नहीं की जानी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि फोरम में से बहुत से बड़े या छोटे, कमोबेश जुझारू, अलग-अलग विशिष्ट उद्देश्यों से सम्पन्न और एक ऐसे समान संघर्ष में अपनी-अपनी भूमिकाएँ निभाने वाले आंदोलन निकलने चाहिए जिसे चलाना उस क्षैतिज स्पेस का प्रमुख लक्ष्य है।

सांस्कृतिक परिवर्तन की धीमी रफ्तार

फोरम को एक आंदोलन के बजाय स्पेस मानने की धारणा इस विचार पर आधारित है कि दुनिया बदलने का काम फोरम नहीं करेगा, बल्कि संघर्षरत सामाजिक आंदोलन और संगठन करेंगे।

लेकिन, नव-उदारतावाद के खिलाफ संघर्ष प्रभावी बनाने के लिए फोरम ने जो नई गुंजाइशें पैदा की हैं, उनसे दो समस्याएँ पैदा हुई हैं। पहली समस्या की वजह तो यह है कि सभी तरह के सांस्कृतिक परिवर्तनों की ही तरह प्रतिमान परिवर्तन की प्रक्रिया भी बहुत धीमी होती है। पूरी बीसवीं सदी वामपंथी ताकतें हरावल दस्ते के नेतृत्व में संघर्ष चलाने के प्रतिमान के तहत सक्रिय रही हैं। जबकि, फोरम इसी रुझान पर सवालिया निशान लगा रहा है। दूसरी समस्या यह है कि नया प्रतिमान लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व की बुनियादी अवधारणाओं के साथ-साथ तमाम विचारों, आचरणओं और मूल्यों में संशोधन की माँग करता है। परिवर्तन की प्रक्रिया उस समय और जटिल हो जाती है जब वह हमसे हमारे निजी व्यवहार और प्रवृत्तियों में तब्दीली की माँग करती है। जाहिर है कि परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया के ठोस राजनीतिक नतीजे निकलने में अभी देर लगेगी।

परिवर्तन की इस धीमी रफ्तार से पैदा होने वाली चिंता उस समय और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि दुनिया की हालत में कितनी तेजी से गिरावट आ रही है और उसकी माँग तो तुरंत कार्रवाई की है। कहना न होगा कि हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा लोग भोजन, दवाई और बुनियादी स्वच्छता की कमी के कारण मर रहे हैं। दूसरी तरफ अमीर और गरीब देशों में हर कीमत पर मुनाफा कमाने की ललक आर्थिक गतिविधियों पर छाई हुई है। अमेरिका की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपने युद्ध से क्रिया और प्रतिक्रिया का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया है जिससे असुरक्षा की भावना विश्वव्यापी हो गई है। हालात इस बात से और भी गंभीर हो गए हैं कि अमेरिका की यह सरकार जगह-जगह पेशबंदी के लिए युद्ध छेड़ देने की धमकी तक ही सीमित न रह कर चीन को फौजी अड्डों से घेरने की कोशिश कर रही है। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए किस दुश्मन से मोर्चा लेने की तैयारी कर रहा है। पारिस्थितिकीय जोखिम घटाने के लिए किए जा सकने वाले उपाय बेहद धीमी रफ्तार से लिए जा रहे हैं। व्यावसायिक क्षेत्रों और सरकारों की सामाजिक गैर-जिम्मेदारी का आलम यह है कि कई तरह के आर्थिक उत्पादन और गतिविधियों के नुकसानदेह पर्यावरणीय प्रभाव कम करने की कोशिशें न के बराबर ही की जा रही हैं। कुल मिला कर आज हम डरावने हालात का सामना कर रहे हैं।

सवाल उठता है कि इन हालात में क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ रचा जाने वाला

राजनीतिक कार्रवाई का प्रतिमान कैसे प्रभावी हो पाएगा? मुख्यधार की बड़ी-बड़ी राजनीतिक ताकतों और करिश्माई नेताओं को खारिज करने की जरूरत क्या है? क्या वे हमें दूसरी दुनिया की रचना की तरफ नहीं ले जा सकते?

इन सवालों के कारण फोरम के आयोजकों और सहभागियों के बीच बहस काफी तनावग्रस्त हो गई है। चूँकि हमारे राजनीतिक दिमाग की रचना सत्ता के स्तंभीय उपभोग, जुझारू अनुशासन, वर्चस्व के लिए संघर्ष करने वाली राजनीति के आधार पर हुई है, इसलिए इन पुरानी आदतों से खुद को मुक्त करने में हमें बहुत दिक्कत आती है। हमने पिछले सौ साल में जो सीखा है, उसे भूलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए फोरम-प्रक्रिया में किया गया क्षैतिज और गैर-निर्देशात्मक स्वतंत्रता का साझा अनुभव हम इतनी आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते। फोरम द्वारा प्रदर्शित राजनीतिक गोलबंदी की जबरदस्त क्षमता हममें से कई में यह प्रलोभन पैदा कर देती है कि क्यों न इसे जल्दी से जल्दी एक नए ताकतवर आंदोलन या 'आंदोलनों के आंदोलन' में बदल देना चाहिए जो पूँजीवादी दैत्य का मानमर्दन कर सके। हममें से कई खुद को इस आंदोलन के नेता के रूप में देखने लगते हैं।

लेकिन, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर फोरम 'आंदोलनों का आंदोलन' बन गया तो तमाम आंदोलन इस स्पेस को खोलने की स्थिति में नहीं रह जाएँगे, और न ही दूसरी ताकतें इसका निमंत्रण बिना संकोच और बिना शर्त स्वीकार करेंगी। अपने सभी संभव नियम-कानूनों के साथ एकताबद्ध संगठन बनाने का आग्रह ज्यादा से ज्यादा ताकतों को जोड़ने के खिलाफ चला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा स्पेस पर कब्जा करने, दिशा-निर्देश बनाने और नए आंदोलन के उद्देश्य परिभाषित करने की प्रक्रिया होड़ और फूट को जन्म देगी।

स्पेस को आंदोलन बनाने में लगी हस्तियाँ

सन् 2005 के फोरम में कुछ बड़ी हस्तियों, जिनमें दो नोबेल पुरस्कार विजेता भी शामिल थे, ने मिल कर वर्ल्ड सोशल फोरम को आंदोलन बनाने की कोशिश की। उनकी यह पहलकदमी ऊपर वर्णित प्रलोभन का ठोस उदाहरण है। दुनिया के कुछ मशहूर बुद्धिजीवियों ने एक मेनिफेस्टो प्रकाशित किया जिसमें संघर्ष के 12 आधार दर्ज थे। इन लोगों का ख्याल था कि फोरम में शिरकत करने वाले सभी लोग इन पर राजी हो जाएँगे। इसे 'वाशिंगटन सहमति' की तर्ज पर 'पोर्टो अलेगरे सहमति' कहा गया। व्यवहार में पूँजीवादी साम्राज्यवाद द्वारा प्रचलित 'निर्भूल चिंतन' की तरह यह भी एक नया 'निर्भूल चिंतन' ही था। इन हस्तियों ने पोर्टो अलेगरे में एक प्रेस सम्मेलन करके यह मेनिफेस्टो जारी किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रेस की खासी उपस्थिति थी। हाँ, इन लोगों यह जरूर कहा कि इसे फोरम का 'अंतिम दस्तावेज' नहीं समझा जाना चाहिए। अगर वे ऐसा न करते तो उनकी कार्रवाई चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स के खिलाफ चली जाती। बहरहाल, इस सफाई के बावजूद कुछ अस्पष्टता बाकी रह गई। आखिरकार, यह फोरम की गतिविधियों का संश्लेषण करके एक सहमतिमूलक निष्कर्ष निकालने को कोशिश तो थी ही। ऊपर से इस मेनिफेस्टो पर दस्तखत करने वालों की प्रतिष्ठा और इससे समारोहपूर्वक जारी करने के पहलू भी इस अस्पष्टता में योगदान कर रहे थे।

यह अलग बात है कि मेनिफेस्टो का वह असर नहीं पड़ा, जो उसके प्रायोजक चाहते थे। फोरम के डेढ़ लाख सहभागियों ने उसे अपने एकमात्र झंडे के रूप में स्वीकार नहीं किया। पत्रकारों के अलावा बहुत कम लोगों ने फोरम स्थल के बाहर किए गए इस समारोह में शिरकत की। यह कार्यक्रम शहर के सबसे बड़े होटल के प्रेस कक्ष में किया गया था। ज्यादातर सहभागियों को इस मेनिफेस्टो का पता अगले दिन अखबारों से लगा। जाहिर है कि बारह आधार निर्धारित करने के लिए सहभागियों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया था। स्वाभाविक ही था कि इस मेनिफेस्टों की अपूर्णता, उसके सूत्रीकरण, शीर्ष से ली गई और फोरम की प्रकृति पर ही सवालिया निशान लगा देने वाली पहलकदमी के रूप में उसकी जम कर आलोचना होती।

जब पत्रकारों ने फोरम के आयोजकों से पूछा तो उन्हें कहना पड़ा कि यह मेनिफेस्टो भी उन 352 कार्रवाई-प्रस्तावों में से एक है जो फोरम में पेश किए गए हैं। इस अवसर का लाभ उठा कर फोरम के आयोजकों ने एक बार फिर साफ किया कि चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स किसी भी तरह का 'अंतिम' दस्तावेज जारी करने के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा हर दस्तावेज एक सीमित और दरिद्र दस्तावेज ही होगा। बजाय इसके फोरम से सैकड़ों-हजारों अंतिम दस्तावेज निकलने चाहिए, फोरम में होने वाली हर गतिविधि से एक दस्तावेज पैदा होना चाहिए जिन पर दस्तखत करने वाले स्वाभाविक तौर से उसके समर्थक होंगे ही।

बड़ी हस्तियों द्वारा जारी किया गया मेनिफेस्टो फोरम के भीतर उसी प्रचलित परंपरा की नुमाइंदगी कर रहा था जिसके मुताबिक महान नेता जनता को अपने नेतृत्व से आज तक नवाजते रहे हैं। फोरम की ताकत का कुछ विशेष लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए[4] जारी किया गया यह मेनिफेस्टो हमारे सामने एक चुनौती रखता है कि हम अपने राजनीतिक व्यवहार में तब्दीली लाने के लिए फोरम को नई राजनीति के विद्यालय के रूप में कैसे विकसित करें।

राजनीतिक दलों की शिरकत का सवाल

फोरम में राजनीतिक दलों की शिरकत के प्रश्न पर चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स के प्रावधानों पर सबसे ज्यादा आपत्ति की जाती है। चार्टर के मुताबिक राजनीतिक दल नागरिक समाज के आंदोलनों और संगठनों की तरह फोरम में अपने कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते। ऐसी ही पाबंदी सरकारों और फौजी संगठनों पर भी लगाई गई है जिसे स्वीकार करने में लोगों को खास दिक्कत नहीं होती। इसकी वजह यह है कि फोरम खुद को सरकारों से स्वतंत्र नागरिक समाज का स्पेस कहता है और उसके सहभागी राजनीतिक कार्रवाई की विधि के रूप में हिंसा को पूरी तरह खारिज करते हैं। लेकिन, राजनीतिक पार्टियों पर लगे प्रतिबंध पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से पार्टियों को ही राजनीतिक कार्रवाई का माध्यम समझा जाता रहा है। इस पाबंदी के पीछे इरादा यह है कि फोरम को पार्टियों के भीतर चलने वाली कलह की छूत न लग जाए, जबकि पार्टियों राजनीतिक सत्ता हासिल करने की प्रक्रिया में इस कलह से स्वाभाविक तौर पर गुजरती रहती हैं। पार्टियाँ अपने लक्ष्यों के लिए फोरम पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकती हैं, उसे गोलबंदी के नए औजार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकती हैं।

राजनीतिक दलों के सदस्यों को फोरम में भाग लेने की मनाही नहीं है। वे निजी हैसियत से और किसी अन्य संगठन के सदस्य के तौर पर शिरकत कर सकते हैं। पार्टियों के सदस्यों की अलग से शिनाख्त करना और उन्हें सहभागिता से रोकना व्यावहारिक नहीं होगा। फोरम के कई आयोजक भी राजनीतिक दलों के सदस्य हैं। उम्मीद है कि कोई फोरम-स्पेस को दलगत लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेगा। उम्मीद यह भी है कि पार्टियाँ फोरम से सहभागियों के बीच से अपने समर्थक बनाने की कोशिश करने के बजाय उसके प्रस्ताव ध्यान से सुनेंगी। बाद में अपनी मीटिंगों में वे फोरम से प्राप्त विचारों पर चर्चा कर सकती हैं। चाहें तो वे इनमें से कुछ विचारों को अपने कार्यक्रमों में भी शामिल कर सकती हैं, और अगर ठीक समझें तो सहभागियों द्वारा प्रस्तावित संघर्षों के साथ तालमेल कर सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इससे उन्हें अपनी वह भूमिका ठीक से निभाने में मदद ही मिल सकती है जो नागरिक समाज की भूमिका से भिन्न है। इस तरीके से वे जमीनी ताकतों के साथ अपने ताल्लुकात फिर से दुरुस्त कर सकती हैं।

राजनीतिक दल ग्रासरूट्स यानी जमीनी संघर्ष से कटते जा रहे हैं। फोरम के जरिए उनके पास मौका है उन गतिविधियों के साथ एक बार फिर जुड़ने का, जो महज दलगत राजनीति के मुकाबले अधिक व्यापक हैं। दरअसल, यह पार्टियों के हित में ही है कि फोरम

जैसा है, वैसा ही बना रहे। बजाय इसके कि वे उसे अपने स्वाभाविक अंतर्विरोधों में फँसा कर नष्ट कर डालें, फोरम को पार्टियों और सरकारों से स्वतंत्र रहना ही श्रेयस्कर है।

अधिक लचीला चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स?

फोरम के आयोजकों और सहभागियों के बीच एक सवाल और उठता रहता है : क्या फोरम की शुरुआत करने वालों और फोरम को एक स्पेस के रूप में देखने वाले उनके समर्थकों के लिए इतना कड़ा रवैया अख्तिया करना उचित होगा? क्या हमें एक अधिक लचीले चार्टर की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? चार्टर में निहित उसूलों की संगति और तर्क देखते हुए इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। सवाल यह है कि लचीलापन किस जगह अपनाया जाना चाहिए?

व्यवहार में विभिन्न फोरमों का आयोजन करने वाले कई समूह नतीजों की चिंता किए बिना चार्टर पर लचीले ढंग से ही चल रहे हैं। चार्टर पर कड़ाई से अमल केवल वर्ल्ड फोरमों के आयोजन के दौरान ही किया जाता है। क्षेत्रीय, स्थानीय या राष्ट्रीय फोरमों में ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा कई बार हो चुका है कि कुछ फोरमों में अंतिम उद्घोषणा जारी की गई, फोरमों को संगठनों की तरह पेश किया गया, उनके प्रवक्ता या संयोजक नियुक्त किए गए। कुछ फोरम खुले स्पेस की तरह नहीं किए गए, बल्कि उन पर राजनीतिक ताकतों ने कब्जा कर लिया। कुछ फोरमों को शीर्ष से नीचे की तरफ आयोजित किया गया जैसे कि वे महज सेमिनार हों। चार्टर के प्रावधानों का सबसे बड़ा उल्लंघन तो पार्टियों और सरकारों की शिरकत के संबंध में हुआ है। शिरकत करने वाले बताते हैं कि मार्च, 2005 को लंदन में हुए यूरोपियीय सोशल फोरम के आयोजन में सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी और लंदन के मेयर केन लिविंग्स्टन ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी।

उसूलों के इन उल्लंघनों की भर्त्सना करने से भी उल्लंघनकताओं को अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि चार्टर के उसूलों का अंतरनिहित तर्क वे फिर भी नहीं समझ पाते। यही कारण है कि फोरम को आत्म-विनाश से रोकने के लिए इस मसले पर व्यापक और गहन विचार-विमर्श की जरूरत समझी गई। परिणामस्वरूप सन् 2003 के फोरम में इस विषय पर एक वर्कशॉप हुआ जिसके पीछे डब्ल्यूएसएफ की चर्चा-सूची की प्रेरणा थी।

चार्टर का अंतरनिहित तर्क समझने के लिए जरूरी है कि फोरम को ताजे इतिहास की रोशनी में देखा जाए। फोरम की खूबियों और उसूलों का ताल्लुक उस क्षण से है जिसका उसका आविर्भाव हुआ था। वह राजनीतिक कार्रवाई की विफलता के कारण उपजी कुंठाओं

और निराशाओं का जमाना था। ये कार्रवाइयाँ उस आर्थिक-राजनीतिक प्रणाली का मुकाबला करने में नाकाम रही थीं जिसने मानवता को परेशानियों में डाल दिया था। फोरम की शुरुआत करने वालों और उनका साथ देने वालों के लिए यह मानने का कोई कारण नहीं था कि पिछली सदी में अपनाई गई राजनीतिक कार्यशैली जारी रखने से कोई फायदा हो सकता है। तो फिर वे उसी पुराने रास्ते पर चलना जारी क्यों रखते?

फोरम ने नए रास्ते आजमाने का प्रस्ताव किया, जो आज अधिक लाभदायक साबित हो रहे हैं। इस बारे में एक शुरुआती समझ तो यह थी कि नव-उदारतावाद के खिलाफ हो रही गोलबंदी में पहले केवल जन-प्रदर्शन ही किए जाते थे जिनमें सिएटल के बाद कई गुना वृद्धि तो हुई, पर यह सिलसिला गतिरोध का शिकार होता जा रहा था और विरोध करने वालों में थकान के चिह्न दिखाई देने लगे थे। जब दावोस के एक प्रति-विचार के रूप में फोरम की प्रस्तावना की गई तो जोर इस बात पर दिया गया कि फोरम को महज विरोध करते रहने के बजाय अपने वैकल्पिक प्रस्तावों के साथ आगे आना चाहिए। उसे गोलबंदी के साथ वैकल्पिक प्रस्तावों और वैकल्पिक प्रस्तावों के साथ गोलबंदी को जोड़ना चाहिए।

इसी कारण से फोरम-प्रक्रिया के विकास के साथ-साथ दो तरह की जरूरतें पैदा हुईं। फोरम की आयोजन पद्धति ने इन्हें पूरा करने की भरसक कोशिश की। इसमें एक माँग तो यह थी कि दुनिया बदलने के लिए अधिक संख्या में नई पहलकदमियों के सूत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। दूसरी माँग यह थी कि फोरम के दौरान और उसके बाद सहभागी संगठन ग्लोबल स्तर पर एक-दूसरे के साथ गठजोड़ करके चलें ताकि उनकी कार्रवाइयों को मजबूती मिल सके। इसी कारण से सन् 2005 के फोरम में कार्रवाई प्रस्तावों की भित्ति तैयार की गई। उसे समापन समारोह का केंद्रीय आयोजन बनाया गया जिसमें अपनी-अपनी कार्ययोजनाओं और रणनीतियों की समस्त विविधता के साथ सभी सहभागियों को अंतिम उद्देश्यों की एकता प्रदर्शित करनी थी। सांगठनिक खामियों की वजह से यह नहीं हो तो नहीं पाया, लेकिन फोरम के दौरान हुई बहसों और गठजोड़ों के नतीजे के तौर पर यह भित्ति कायम रही। फोरम की वेबसाइट पर आगे गठजोड़ बनाने के आधार के रूप में 352 प्रस्ताव जारी किए गए जो सहभागी और गैर-सहभागी दोनों के लिए ही उपलब्ध थे।

'दूसरी दुनिया रचने के लिए कार्रवाई का मानचित्र'

प्रस्तावों की भित्ति के पीछे इरादा यह था कि फोरम में रखे गए सभी प्रस्ताव प्रदर्शित हों और उनके कार्यान्वयन के लिए आपसी गठजोड़ का रास्ता खुले। इंटरनेशनल कौंसिल की उट्रेख्ट बैठक में इसी सिलसिले में एक और प्रस्ताव रखा गया। यह था 'दूसरी दुनिया रचने के लिए

कार्रवाई का मानचित्र' बनाने का प्रस्ताव।

ऐसा मानचित्र बनाने का मकसद था इंटरनेट के एक विशेष कार्यक्रम के जरिए सभी सहभागियों के लिए प्रस्तावों की स्थायी भित्ति उपलब्ध कराना। इस भित्ति में लगातार नई पहलों और कार्रवाइयों के बारे में सूचनाएँ जोड़ी जानी थीं। इस कार्यक्रम के आधार पर इच्छुक लोग अपने पसंदीदा विषयों और प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने या कार्रवाई करने की योजना बना सकते थे। इसके आधार पर दूसरे समूहों से सम्पर्क किया जा सकता था, उन्हें प्रस्तावों पर और गहराई से विचार करने के लिए निमंत्रित किया जा सकता था, उनके साथ मुलाकातें और बैठकें आयोजित की जा सकती थीं, प्रदर्शन या अन्य ठोस कार्रवाइयाँ आयोजित की जा सकती थीं।

समझा जाता है कि इंटरनेट का यह कार्यक्रम फोरम की आयोजना से स्वतंत्र हो कर काम करेगा। लेकिन, फोरम के आयोजनों और उसके बीच एक सूत्र भी रहेगा। आखिर फोरम मेल-मुलाकातों, बेहतर समझदारी और कार्रवाइयों के लिए विशेष अवसर मुहैया कराता है। फोरम की वजह से किसी भी प्रस्तावित कार्रवाई को एकदम बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाने का मौका मिलता है। इस कार्यक्रम के कारण होगा यह कि वर्ल्ड सोशल फोरम खुद को विभिन्न कार्रवाइयों से मुक्त करके तेजी से आगे बढ़ते हुए बड़े पैमाने पर स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और विश्व-स्तरीय नेटवर्क बना पाएगा। इस तरह भूमंडलीय नागरिक समाज और मजबूत होगा और दूसरी दुनिया रचने का मकसद हासिल करने में और कामयाबी मिलेगी।

इंटरनेशनल कौंसिल ने सन् 2006 के वर्ल्ड सोशल फोरम को बहु-केंद्रीय बनाने का जो फैसला किया है, उसके लिए भी यह इंटरनेट कार्यक्रम मुफीद साबित होगा। कुछ आयोजन तो दावोस के समांतर होंगे, और कुछ दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाएँगे। सभी का आधार सहभागिता होगी जो फोरम-प्रक्रिया की खूबी है। चुनौती यह है कि कैसे इन एकाधिक केंद्रों के बीच तालमेल किया जाए ताकि संपूर्ण किसी तरह के बिखराव का शिकार न होने पाए, वरन् अधिक एकता के साथ सन् 2007 में अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड सोशल फोरम की तरफ बढ़े।

'पुरानी दुनिया' बनाम 'दूसरी दुनिया'

वर्ल्ड सोशल फोरम और उसकी प्रक्रिया को कई नजरियों से देखा जाता है। इन्हीं में एक नजरिया उनका है जो उसे एक 'खुले स्पेस' के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि ऊपर वर्णित तनावों की जड़ 'पुरानी दुनिया' और 'दूसरी दुनिया' की कार्यशैलियों के बीच द्वंद्व

में निहित है। चाहे स्थानीय स्तर पर हो, या विश्व स्तर पर, फोरम-प्रक्रिया के आयोजन संबंधी हर बैठक में, हर प्रस्ताव में और हर फैसले में यही तनाव झलकते हुए देखे जा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन कमेटियों के सदस्य खुद को 'दूसरी दुनिया' की रचना करने से कितना भी प्रतिबद्ध कहते रहें। लेकिन, साथ में यह भी कहा जा सकता है कि फोरम की विभिन्न संरचनाओं के भीतर संगठनों व व्यक्तियों के बीच नए किस्म के रिश्ते बन रहे हैं जो स्पर्धा में कम और सहयोग में ज्यादा विश्वास करते हैं। सन् 2006 के बहु-केंद्रीय फोरम की तरफ बढ़ते हुए यह आशाजनक प्रगति हमें दिखाई देने लगी है। प्रस्तावों और कार्यशैली में एक आंदोलन के तौर पर फोरम को देखने की प्रवृत्ति बार-बार उभरती रहती है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि फोरम को एक खुला स्पेस मानने की धारणा और चार्टर के अन्य उसूलों को मिलने वाली मान्यता भी उत्तरोत्तर सुदृढ़ हो रही है।

सन् 2005 के फोरम के बाद कुछ उत्तर अमेरिकी सहभागियों (फोल्ट्स, मूडिलियर और प्रामास, 2005) द्वारा की गई टिप्पणी से इस क्रम-विकास का प्रमाण मिलता है :

> सोशल फोरम को अपने समय की चुनौतियों के एकमात्र जवाब के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। इसे तो जवाबों के एक महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में देखना चाहिए जिसने खास तरह का योगदान किया है। जहाँ तक कार्रवाइयों का, मुहिम चलाने का और अन्य फैसले लेने का सवाल है, भूमंडलव्यापी प्रगतिशील आंदोलन को यह जिम्मेदारी उठानी होगी। सोशल फोरम तो इन सबके उद्भावन स्थल का काम करेगा। जिन्हें कार्रवाई करनी है (इनमें लेखकगण भी शामिल हैं) उन्हें आगे बढ़ कर फोरम का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करते हुए कार्रवाइयों का आयोजन करना चाहिए।

आज तक फोरम जिस तरह एक प्रक्रिया के रूप में चला है, उसी तरह चलता रहेगा या नहीं, यह उसके आयोजकों की दिशा पर निर्भर करता है। दरअसल, हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, वह दुहैरी है। चुनौती का पहला रूप कठिन है। इसके तहत यह गारंटी करना जरूरी है कि फोरम के आयोजनों में और नए उपक्रमों के निर्माण में कहीं ऐसा न हो जाए कि इस पूरी प्रक्रिया पर अतीत की वही गलतियाँ हावी हो जाएँ जिन्हें सुधारने के लिए फोरम प्रस्तावित किया गया था। चुनौती का दूसरा रूप कठिन होने के साथ-साथ माँग करता है कि इसका जवाब देने में किसी भी तरह की देर नुकसानदेह हो सकती है। इसके तहत जितनी जल्दी हो सके, सारी दुनिया में इस चुनौती का विस्तार होने और इसके कदम जमना जरूरी है। इस विस्तार का मतलब यह नहीं होना चाहिए किसी इस या उस राजनीतिक ताकत का समर्थन किया जाए। बल्कि, इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग और संगठन फोरम द्वारा उपलब्ध कराई गई उम्मीद के तले एक जगह आएँ और परिवर्तन की तरफ ले जाने वाली प्रक्रिया में सक्रिय हों।

इरादा यह है कि नेटवर्कों के जरिए दुनिया के ज्यादा से ज्यादा नागरिक अपनी सक्रिय एकजुटता के तहत श्रमिकों और उपभोक्ताओं के रूप में अपनी जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल दूसरी दुनिया बनाने में करें। साथ ही मतदाताओं के रूप में इन नागरिकों से उम्मीद की जा सकती है कि वे ऐसी सरकारें चुनेंगे और उनके कामकाज पर निगाह रखेंगे जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हों, और जनता की सेवा करने वाली हों, न कि पूँजी की।

करिश्माई और योग्य नेताओं के अभिभाकत्व में शीर्ष से प्रस्तावित की जाने वाली राजनीतिक कार्रवाई की शैली अस्वीकार करके वर्ल्ड सोशल फोरम दुनिया में मानवता की पराजय रोकने के लिए निर्णायक भूमिका अदा कर रहा है। अगर वह भी 'पुरानी दुनिया' की सीमाओं में लौट गया तो हमारा सपना टूट जाएगा और हम देखते रह जाएँगे। तब इसका मतलब होगा कि शायद पुराने प्रतिमानों में परिवर्तन का सही समय अभी नहीं आया है।

टिप्पणियाँ

1. चीको व्हिटेकर, बोआवेंचुरा डि सोजा सांतोस और बर्नार्ड कैसेन, *व्हेयर डू वी स्टेंड एंड व्हेयर आर वी गोइंग?*, सेज पब्लिकेशंस की अनुमति से प्रकाशित। सर्वाधिकार : सेंटर फॉर दि स्टडीज ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस एंड सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, लंदन स्कूल ऑव इकॉनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, और सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, यूनिवर्सिटी ऑव केलिफोर्निया, लास एंजेलिस, 2006
2. चार्टर के इस प्रावधान में एक अर्थ यह भी निहित है कि एक फोरम से दूसरे फोरम के बीच स्व-आयोजित गतिविधियों की संख्या बढ़नी चाहिए। आयोजकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ घटनी चाहिए। इसी तर्ज पर सन् 2005 का फोरम पूरी तरह से स्व-आयोजित था।
3. लेख के इस हिस्से के कुछ पैराग्राफ परिशिष्ट-1 में दिए गए लेख से लिए गए हैं। यह लेख फोरम की वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.फोरमसोशलमुंडियाल.ओआरजी.बीआर) पर तीन भाषाओं में उपलब्ध है। एटीटीएसी आंदोलन की वेब साइट पर यही लेख फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित हो चुका है : डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.फ्रांस.एटीटीए.ओआरजी पर संपूर्ण पाठ उपलब्ध। देखें, ईटीईए, स्पेन का प्रकाशन *रिविस्टा डि फोमेंटो सोशल*, अंक-233, खंड-59, जनवरी-मार्च, 2004; देखें, जय सेन, अनिता आनंद, आर्टुरो एस्कोबार, पीटर वाटरमेन (आयोजक) द्वारा संपादित पुस्तक *चेलेंजिंग इम्पायर्स*, विवेको फाउंडेशन, जनवरी, 2004। इसका जर्मन अनुवाद अक्टूबर, 2004 में कार्लडीट्स वेर्लुग, बर्लिन ने प्रकाशित किया है। हाल ही में इसका इतालवी में भी प्रकाशन

हुआ है। ट्रांसफॉर्म नामक संगठन (प्रातिशे कांस्टीटुएंटी, 2005-डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.ट्रांसफॉर्म.इट) ने इसका प्रकाशन किया है ।

4. सन् 2005 के फोरम में ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला और वेनेजुएला के राष्ट्रपति शावेज की मौजूदगी इसी तरह के प्रयासों के रूप में देखी जा सकती है। ये राजनेता जिन संगठनों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने इनकी फोरम में मौजूदगी सुनिश्चत की थी। दूसरी तरफ से राष्ट्रपतियों की मौजूदगी से उन संगठनों को लाभ पहुँच रहा था। अभी यह देखना बाकी है कि इस सबसे फोरम को लाभ हुआ या नुकसान।

संदर्भ

1. डि सोजा सातोस, बी. (2005), *फोरम सोशल मुंडियाल, मेनुअल डि उसो,* साओ पाओ : कोर्टेज एडिटोरा।
2. फिशर, डब्ल्यू. एंड पोनियाह, टी (सं.), *अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबिल : पापुलर आल्टरनेटिव्ज टु ग्लोबलाइजेशन एट दि वर्ल्ड सोशल फोरम,* लंदन और न्यूयार्क, जेड बुक्स।
3. फोल्ट्ज, के., मूडिलियर, एस. और प्रामास, जे (2005), दि फ्यूचर ऑव वर्ल्ड सोशल फोरम प्रोसेस - मोडेस्ट रिफार्म्स नीडिड, जी नेट, 9 फरवरी, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.जीमेग. ओआरजी/कंटेट/शोआर्टीकिल.सीएफएम?सेक्शनआईडी=1&आइटमआईडी=7207 (13 जनवरी, 2006 को देखा)।
4. सेन, जे., अनिता आनंद, ए., एस्कोबार, ए., और वाटरमेन, पी. (सं.), *वर्ल्ड सोशल फोरम : चैलेंजिंग इम्पायर्स,* नई दिल्ली : विवेका फाउंडेशन (जर्मन और स्पेनिश संस्करण भी प्रकाशित)।
5. व्हिटेकर, सी. (2004), 'डब्ल्यूएसएफ एज ओपिन स्पेस', संकलित : जे. सेन वगैरह, उपरोक्त। – (2005) ओ डेसाफियो डू फोरम सोशल मुंडियाल – उम मोडो डे वेर, साओ पाओ : एडिटोरास पेरस्यू अब्रामो इ लोयोला।
6. डब्ल्यूएसएफ (वर्ल्ड सोशल फोरम) (2001), वर्ल्ड सोशल फोरम चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स, 10 जून, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एनवाईसीसोशलफोरम.ओआरजी/एबाउट_डब्ल्यूएसएफ/डब्ल्यूएसएफ_चार्टर।

– डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.फोरमसोशलमुंडियाल.ओआरजी.बीआर – 30 जून, 2005

परिशिष्ट-12

इंटरनेशनल स्टडी डेज़ का मूल्यांकन: इसे जारी रखना क्यों जरूरी है?

सत्तर के दशक के दौरान मैंने 'इंटरनेशनल स्टडी डेज़ फॉर ए सोसाइटी ओवरकमिंग डोमिनेशन' में हिस्सा लिया था। इस प्रोजेक्ट के पीछे ब्राज़ीलियन इपिस्कोपल कांफ्रेंस (सीएनबीबी) का हाथ था और इसके साथ कई अन्य संगठन भी जुड़े हुए थे।[1] दो साल बाद होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग की तैयारी के रूप में चलने वाले इस प्रोजेक्ट में एक ऐसा बंदोबस्त खड़ा करना भी शामिल था जिसके तहत प्रभुत्व और उत्पीड़न के विभिन्न रूपों के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों के बीच मुक्त और क्षैतिज संचार-सूत्र कायम हो सकें। उस जमाने में इंटरनेट जैसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उपलब्ध नहीं था, फिर भी यह प्रोजेक्ट करीब सौ से ज्यादा देशों में कार्यरत समूहों और संगठनों को अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए आपस में जोड़ पाने में सफल रहा। प्रोजेक्ट के पहले चरण के दौरान उसके सहभागियों के बीच वितरित हुई सामग्री 1978 में एक पुस्तक के रूप में चार भाषाओं में एक साथ प्रकाशित हुई।[2]

1968 में हुई मुक्तिकामी उथल-पुथल ने कई देशों को हिला कर रख दिया। यह उस जमाने की बात है जब इन संघर्षों में लगे हुए संगठनों और लोगों को आपस में जोड़ने के गैर-निर्देशात्मक तरीके के रूप में नेटवर्कों के उभार का सिलसिला शुरू ही हुआ था। प्रोजेक्ट ने जिन विचारों और पहलकदमियों के तहत क्षैतिज बंदोबस्त खड़ा किया, उसमें दरअसल वर्ल्ड सोशल फोरम जैसी पहल की आहटें सुनी जा सकती थीं। इस पुस्तक के आठवें परिशिष्ट में दिए गए लेख 'स्थापित व्यवस्था के खिलाफ नागरिकों का विद्रोह' में मैंने 'स्टडी डेज़' और ऐसे ही अन्य ऐतिहासिक अनुभवों का हवाला दिया है।

इन्हीं कारणों से इस पुस्तक में मैं मार्च, 1980 में छपा यह लेख शामिल कर रहा हूँ जो मैंने उस समय लिखा था जब स्टडी डेज़ प्रोजेक्ट अपने तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा था।[3] इस

लेख में प्रोजेक्ट के अनुभव[1] से निकले कुछ पहलुओं को उभारा गया है जिनसे पता चलता है कि वास्तव में मुक्त और क्षैतिज अंत:संबंधों के हालात कैसे बनते हैं और सेवा करने के उद्देश्य से सत्ता का इस्तेमाल और प्रभुता स्थापित करने के लिए सत्ता के इस्तेमाल के बीच क्या फर्क है। मेरे विचार से फोरम से संबंधित सोच-विचार में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को प्रोजेक्ट के अनुभव से निकले इन पहलुओं में रुचि होनी चाहिए।

इंटरनेशनल स्टडी डेज़ प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हुए इसके आयोजक एक बात के लिए मुख्य रूप से चिंतित थे। वे न तो इस प्रोजेक्ट का संस्थानीकरण करना चाहते थे, और न ही उसे एक नए आंदोलन में बदलना चाहते थे। उनके इस आग्रह का एक कारण तो यह हो सकता था कि संस्थानीकरण की प्रक्रिया में निहित गैर-लचीलापन उस किस्म के अनुसंधान के अनुकूल नहीं हो सकता था जो यह प्रोजेक्ट करना चाहता था। संस्थानीकरण में निहित प्रवृत्तियाँ प्रोजेक्ट को उसके मकसद से ही भटका सकती थीं। दूसरी बात यह थी कि प्रोजेक्ट मौजूदा आंदोलनों के बीच सोच-विचार और अनुभवों के आदान-प्रदान का माध्यम बनना चाहता था, इसलिए अगर वह खुद ही आंदोलन बन जाता तो यह काम करना नामुमकिन हो सकता था। प्रभुत्व की संस्कृति हम सब पर हावी रहती है। उसके तहत हर आंदोलन में दूसरे आंदोलनों से प्रतियोगिता करने का रुझान रहता ही है।

लेकिन, प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में पहुँचते ही हमें उसके किसी न किसी प्रकार के संस्थानीकरण के अंदेशे दिखाई देने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि वह एक तरह की स्थिरता ग्रहण करता जा रहा है। दूसरी तरफ, प्रोजेक्ट आंदोलन बनने की तरफ भी जा सकता है। उसके सहभागियों के बीच अंतर-सूत्र इतने गहन होने लगे हैं कि वे एक आंदोलन की भाँति एक समान संदेश के वाहक बन सकते हैं। बहरहाल, इन हालात के बावजूद आयोजकों की शुरुआती चिंताएँ उतनी ही महत्त्वपूर्ण बनी हुई हैं, इसलिए हमारे सामने सवाल यह है कि हम इन दोनों उभरती हुई प्रवृत्तियों पर पार कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

चूँकि प्रोजेक्ट का शुरुआती मकसद यानी प्रभुत्व की संरचनाओं को खिलाफ संघर्ष आज भी उतना ही वैध है, इसलिए इस समस्या का इलाज करने के लिए मेरे ख्याल से उसके मौजूदा रूप का विश्लेषण उसी रोशनी में फिर से किया जाना चाहिए। अर्थात, इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए कि अंत:संचार की जो प्रणाली प्रोजेक्ट ने खड़ी की है, प्रभुत्व की संरचनाओं से पार पाने में कोई उसकी उपयोगिता है या नहीं। इसके बाद ही हमें इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने, इसके विस्तार या इसे चलाते रहने के मुद्दे पर गौर करना चाहिए। हमारे सामने यह साफ होना चाहिए कि अंत:संचार की किसी पद्धति से या किसी ऐसी ही सहयोगी

पद्धति से नहीं, बल्कि उन लोगों की ठोस कार्रवाई से ही प्रभुत्व की संरचनाएँ परास्त हो सकती हैं जिनके लिए उनसे मुक्ति प्राप्त करना सबसे बड़ी जरूरत है। हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर इन सवालों के जवाब हासिल करने के दौरान जरूरी लगा तो हम प्रोजेक्ट रोक देने या उसकी दिशा पूरी तरह बदलने से भी नहीं हिचकेंगे।

अपनी शुरुआत से ही यह प्रोजेक्ट हमारे सामने एक बुनियादी चुनौती पेश करता रहा है : क्या प्रभुत्व का एक रूप परास्त किया जा सकता है, बिना उसकी जगह प्रभुत्व का दूसरा रूप लाए? क्या प्रभुत्व के एक रूप से मुक्ति दूसरे रूप की स्थापना की तरफ नहीं ले जाती? सच्चाई तो यह है कि व्यावहारिक रूप से सभी तरह के मुक्ति संघर्ष इस चुनौती के सामने या तो थक जाते रहे हैं या फिर हारते रहे हैं। इसलिए, प्रोजेक्ट की उपयोगिता की जाँच इसी चुनौती के संदर्भ होनी चाहिए।

इस परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि स्टडी डेज़ प्रोजेक्ट को बहुत उपयोगी भूमिका का निर्वाह करना है। इसे जारी रखना चाहिए। हमें इसके अधिकतम विकास की कोशिश करनी चाहिए। इसके विकास का तर्क ही अपने आप में उन रुझानों के खिलाफ स्थायी अवरोध का काम करेगा जिनसे हम बचना चाहते हैं।

लेकिन, इस तरह के निष्कर्ष के साथ कुछ समस्याएँ भी जुड़ी हुई हैं जिनके कारण यह पूरी तरह गलत भी हो सकता है। हम जानते हैं कि संस्थानों को जीवित रखने के पीछे सबसे बड़ा स्वार्थ उनके उस 'स्टाफ' का होता है जो उनके विकास और देखरेख के लिए सबसे ज्यादा काम करता है। मैं भी प्रोजेक्ट के पेरिस ब्यूरो का सदस्य हूँ और मैंने उसके लिए बड़ी शिद्दत से दिन-रात काम किया है। दरअसल, पेरिस ब्यूरो प्रोजेक्ट का वह एकमात्र हिस्सा है जिसने एक सीमा तक 'पेशेवराना' कार्यक्षमता प्राप्त कर ली है। हो सकता है कि इसीलिए मैंने यह निष्कर्ष निकाला हो। इसलिए, इस जोखिम के प्रति पूरी सतर्कता बरतते हुए मैंने अपना विश्लेषण उन उपलब्धियों के आधार पर किया है जो इस प्रोजेक्ट के विकास की देन हैं। दरअसल, प्रोजेक्ट के बारे में निर्णय करने की चुनौती ही अपने-आप में हमें मजबूर करती है कि हम उसे पूर्णता तक पहुँचाने में ही उसका हल तलाशें। मेरे ख्याल से यह माँग पूरी करने के लिए हमें कामकाज की उन पद्धतियों और नियमों पर गौर करना होगा जो प्रोजेक्ट के सहभागियों द्वारा अपनाई गई हैं।

प्रोजेक्ट की मुख्य उपलब्धियों की चर्चा करने के बाद मैं उसकी उपयोगिता के दो स्तरों का जिक्र करूँगा। परस्पर सहायता के नेटवर्क के रूप में उसकी उपयोगिता और प्रभावी अंत:संचार के लिए 'पुनर्शिक्षा' की प्रक्रिया के रूप में उसकी उपयोगिता।

1. शुरुआती रुझान

शुरू में इस प्रोजेक्ट का काम स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों के मुताबिक एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग आयोजित करने का था। लेकिन, प्रोजेक्ट में निहित चुनौती उसके सहभागियों को एक नए तरह की मीटिंग आयोजित करने की तरफ ले गई। आम तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मीटिंगें शायद ही कभी प्रभुत्व की संरचनाओं से बच पाती हों। कुल मिला कर ऐसी मीटिंगें कुछ 'विशेषज्ञों' का मिलन स्थल बन कर रह जाती हैं। 'मध्यस्थ' के रूप में यही लोग इस तरह की मीटिंगें करने की योग्यताओं से सम्पन्न होते हैं। यही लोग बड़ी हस्तियों के 'क्लबों' के सदस्यों के बीच सूत्र का काम करते हैं ताकि वे एक-दूसरे को समर्थन दे सकें। खास बात यह है कि दुनिया में फैले हुए अन्याय जैसे विषय पर विचार करते हुए भी काम करने का यही तरीका अपनाया जाता है। नतीजा यह निकलता है कि गरीबों और उत्पीड़ितों के बारे में विचारों का खूबसूरत आदान-प्रदान करने के बावजूद ये मीटिंगें गरीबी और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष को खास आगे नहीं बढ़ा पातीं।

मीटिंग की तैयारी करते समय प्रोजेक्ट के सहभागियों ने पहली कोशिश तो यह की कि इस तरह की कार्यशैली से बचा जाए। प्रयास यह किया गया कि मीटिंग में भाग लेने वाले ज्यादातर वे लोग हों जो प्रभुत्व की संरचनाओं से स्वयं उत्पीड़ित हों और प्रभुत्व से मुक्ति उन्हीं के सबसे ज्यादा हित में हो। इसी लिहाज से प्रस्ताव किया गया कि तैयारी की शुरुआत सहभागियों द्वारा खुद अपनी परिस्थिति के विश्लेषण से की जाए। उन संघर्षों का विश्लेषण किया जाए जो वे खुद प्रभुत्व की संरचनाओं से मुक्ति पाने के लिए कर रहे हैं। इसी के साथ तैयारी के लिए दो 'सचिवालयों' का भी गठन किया गया। उन्हें इन अध्ययनों का अनुवाद करके सभी उपलब्ध सहभागियों को भेजने का दायित्व दिया गया। इन प्रयासों का फायदा यह हुआ कि मीटिंग की तैयारी में ही वे आयाम पैदा हो गए जिनके लिए अंतत: मीटिंग आयोजित की जाने वाली थी। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभावित सहभागियों के लिए परस्पर सहायता का एक उपक्रम तैयार हो गया। यह एक ऐसा उपक्रम था जिसमें शिक्षण की एक प्रक्रिया भी शामिल थी जिसके तहत ठोस कार्रवाइयों में लगे हुए लोग अपने कामों, उद्देश्यों और विधियों पर सुनियोचित चिंतन कर सकते थे।

हालाँकि तैयारी के इस काम की पहुँच अर्थात अपनी बात कहने और अनुभवों का आदान-प्रदान करने की सुविधा वास्तव में सर्वाधिक उत्पीड़ित लोगों को बहुत सीमित रूप में मिल पाई, इसके बावजूद यह एक समृद्ध कार्यशैली साबित हुई और प्रोजेक्ट के तहत विकसित हुई अनिवार्य गतिविधियों का मर्म बनती चली गई। अंत:संचार की संभावनाओं की जानकारी होने लगी। प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले संगठन सीएनबीबी पर मीटिंग का

विचार त्याग देने का दबाव भी पड़ा, पर इसके बावजूद प्रोजेक्ट एक खास तरह के प्रभुत्व से मुक्ति के ठोस प्रयास में तब्दील होता चला गया। प्रभुत्व जारी रखने का मुख्य हथियार होता है प्रभुत्व के शिकारों के बीच फूट डाले रखना। प्रोजेक्ट ने इसी फूट को आपस में खुले और प्रत्यक्ष सूत्रों के विकास के जरिए एकता में बदलने का प्रयास चलाया।

इस तरह जो प्रोजेक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग की तैयारी के रूप में शुरू हुआ था, अंत:संचार की प्रणाली में रूपांतरित हो गया। अगर हम चाहते तो एक साल देर से हुई जोआओ पेसोआ की मीटिंग को ही वह अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग मान सकते थे, जिसकी तैयारी के लिए हमने प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। लेकिन, उस समय तक यह मीटिंग नए किस्म के अंत:संचार के लिए गुणात्मक रूप से भिन्न प्रयास का माध्यम बन चुकी थी।

2. अंत:संचार की खोज

प्रोजेक्ट के पहले चरण में 'सचिवालय' ने प्रकाशन के लिए भेजे गए दस्तावेजों को सहभागियों के पास पहुँचाने के केंद्र की तरह काम किया।

सभी तरह के संचार और सामग्री का आदान-प्रदान सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए उपयोगी और महत्त्वपूर्ण साबित हुआ। उससे अलगाव टूटा और नए संपर्क प्रोत्साहित हुए। मिली जानकारियों और ज्ञान के अपने ढंग से इस्तेमाल करने, कार्रवाई, तुलना और चिंतन-मनन उत्प्रेरित होने से एक सामूहिक 'स्मृति' की रचना सुदृढ़ होने की संभावना पैदा हुई। नतीजा यह निकला कि हम प्रोजेक्ट को यही सेवा मुहैया कराने तक सीमित रख सके। प्रोजेक्ट की उपयोगिता प्रमाणित हो गई, भले ही अधिक संसाधनों और अनुभव से लैस ऐसी ही अन्य पहलकदमियों के मुकाबले यह प्रयास आकार में छोटा था। खास बात यह थी इसकी अंतर्निहित चुनौती ने हमें मजबूर किया कि हम एक ऐसी कार्यविधि चुनें जो सामग्री प्रसार के अन्य केंद्रों के मुकाबले भिन्न किस्म की थी। प्रकाशन के लिए भेजे जाने वाले दस्तावेजों का मूल्यांकन करने का अधिकार न तो सचिवालय को था और न ही उन लोगों को था जो समन्यव कर रहे थे। वे न तो उनमें से अपनी मर्जी के मुताबिक कोई दस्तावेज चुन सकते थे, और न ही उन्हें किसी कोटिक्रम में लगा सकते थे। उन्हें हर चीज का उसी क्रम में प्रकाशन करना था जिसमें वह उन्हें प्राप्त हुई थी। सबने मिल-जुल कर यही मानक तैयार किया था। उस सामग्री में न तो कुछ जोड़ा जा सकता था, न ही घटाया जा सकता था। इसी प्रकार प्रकाशित दस्तावेज केवल उन्हीं को भेजे जाने थे, जिन्होंने उनमें खास तौर से दिलचस्पी दिखाई थी। ऐसे हर व्यक्ति को वे दस्तावेज भेजे गए जिन्होंने अपना नाम दिया था, भले ही वे दुनिया के किसी भी कोने में हों और किसी भी क्षेत्र में सक्रिय क्यों न हों।

इन नियमों और प्रोजेक्ट के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र ने उसे एक अतिरिक्त उपयोगिता प्रदान कर दी। प्रोजेक्ट के कारण ऐसी सूचना का प्रसार संभव हो सका जिसके साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई थी और जिसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं थी। इससे क्षेत्रीय, भौगोलिक और कोटिक्रम संबंधी बाधाएँ टूट गईं जिनके कारण ज्ञान और क्रिया में रुकावटें आती थीं। इससे उन परिस्थितियों की जानकारी मुमकिन हो गई जो नियंत्रित किस्म की सूचना प्रणालियों द्वारा छिपा ली जाती हैं। इससे वे मिथक भी खुल कर सामने आ गए जो विकसित और अविकसित देशों के हालात के बीच फर्कों को और रहस्यमय बना देते हैं। दोनों तरह के देशों को समान रूप से तंग करने वाले प्रभुत्व की कार्यप्रणालियाँ और उनके आपसी संबंध भी स्पष्ट हो गए।

ऐसे नियम अपनाने का सबसे बड़ा नतीजा यह निकला कि दस्तावेजों का प्रसार करने और अंत:संचार विकसित करने के बीच का अंतर सामने आ गया। प्रोजेक्ट का काम था भी यही। दरअसल, सामग्री प्रसारित करने वाला हर 'केंद्र' यह चुनने का काम करता था कि उसे क्या प्रकाशित करना है। इसका एक कारण तो यह हो सकता था कि इस काम के लिए उपलब्ध संसाधन हमेशा ही सीमित रहते थे। दूसरा कारण सामग्री प्राप्त करने वालों के सामने यह साबित करने की इच्छा हो सकती थी कि जो प्रकाशित किया जा रहा है वही सर्वाधिक उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है। इसका मतलब यह था कि प्रसारित सामग्री के जरिए दी जा रही जानकारियों पर प्रसारित करने वालों द्वारा एक तरह का नियंत्रण कायम कर लिया जाता था। दूसरी तरफ, अंत:संचार से जुड़े निर्णय केवल उन लोगों के बीच ही हो सकते थे जो आपस में सूत्र कायम करना चाहते हों। या फिर अंत:संचार की आवश्यकता महसूस करने वाले केंद्र और उसकी सेवा की जरूरत महसूस करने वालों के बीच ही यह प्रक्रिया चलती। यानी, अंत:संचार एक ऐसा सिलसिला था जो परस्पर आवश्यकता पर निर्भर था। जरूरत न होने पर वह एकदम खत्म हो सकता था, और जरूरत पड़ने पर और विकसित हो सकता था। किसी न किसी को तो पहलकदमी लेनी ही पड़ती है, इसलिए अंत:संचार की पहल 'केंद्र' लेता जरूर है, पर प्रक्रिया जारी रखने का फैसला केवल उसी पर निर्भर नहीं करता। दरअसल, केंद्र अंत:संचार जारी रखने के लिए उन पर निर्भर हो जाता है जिन्हें वह यह सेवा मुहैया करा रहा है। इसके फलितार्थों का प्रभाव खुद केंद्र के अस्तित्व पर पड़ता है (1)।

कहना न होगा कि प्रकाशित सामग्री का प्रसार करने वाले केंद्रों की अहमियत कम करके नहीं आँकी जा सकती। उन केंद्रों को चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के विचारों और कार्य-दिशाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए ऐसे केंद्रों की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। पर, इस अनुभव के दौरान हमें लगा कि 'अंत:संचार' के लिए साधन और अवसर कितने कम उपलब्ध हैं। हमारे इस एहसास की पुष्टि व्यवहार के दौरान उत्तरोत्तर होती गई। दी गई जानकारियों और प्रसारित सामग्री पर अपना नियंत्रण करने की आदत के खिलाफ हमें निरंतर संघर्ष करना पड़ा (2)। यही था वह प्रयास जिसके कारण हम नई खोजों की दिशा में आगे बढ़ सके। इससे हमें उन परिस्थितियों की शिनाख्त करने का मौका मिला जिनके तहत वांछित और आवश्यक होने पर अंत:संचार वास्तव में प्रभावी बनाया जा सकता था।

3. प्रभावी अंत:संचार की शर्तें

मैं यहाँ प्रभावी और वास्तविक अंत:संचार के लिए आवश्यक आठ शर्तें पेश कर रहा हूँ :

पहली शर्त है **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**। सामग्री के प्रसार पर नियंत्रण के मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही दाँव पर लगी होती है। यहाँ मसला यह है कि क्या सेंसरशिप किसी भी नजरिए से जरूरी समझी जा सकती है? चाहे वांछित और आवश्यक होने पर अंत:संचार प्रभावी बनाने का सवाल हो, या उस प्रक्रिया के सहभागियों का कोई नजरिया हो, सेंसरशिप का औचित्य किसी तरह साबित नहीं किया जा सकता। सेंसरशिप आते ही अंत:संचार खत्म हो जाता है। अंत:संचार सिर्फ संचार में सीमित हो कर उन लोगों का औजार बन जाता जिनके पास संसाधन हैं। दरअसल, अंत:संचार की सीमा केवल एक ही होनी चाहिए, और वह है सभी सहभागियों द्वारा बनाए गए 'खेल के नियमों' का सब लोगों द्वारा पालन करना। जाहिर है कि ये नियम अंत:संचार के उद्देश्यों और उनके लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेंगे (3)।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई ही दूसरी शर्त है **सूचना की स्वतंत्रता**। इसका मतलब है कि सभी सहभागी समान उद्देश्यों के लिए जो सूचना पाना चाहते हैं वह सभी को सुलभ होनी चाहिए। अंत:संचार में किसी किस्म की बाधा न आए, इसके लिए जरूरी है कि समान संघर्ष में लगे हुए सभी लोगों को अपने उद्देश्यों के दायरे में आने वाली हर बात का पता लगते रहना चाहिए। यह एक ऐसी शर्त है जिसका पालन करना हमेशा आसान नहीं होता है (4)।

सत्य की खोज के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की स्वंतत्रता जरूरी है, पर इन दोनों स्वतंत्रताओं का उपभोग **अवसरों की समानता** के साथ ही किया जाना श्रेयस्कर होता है।

चाहे कोई भी मानक अपनाया जाए, प्रभावी अंत:संचार के लिए आवश्यक है कि

उसके सहभागियों के बीच किसी को किसी के ऊपर प्राथमिकता न दी जाए। हर सूचना का मूल्यांकन उसके सार के आधार पर हो, न कि वह किसने दी है के आधार पर। सभी को बोलने और सुनने का समान अधिकार हो, भले ही कोटिक्रम में उसकी कोई भी स्थिति हो, उसकी शिक्षा और अनुभव का कोई भी स्तर हो, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी, हैसियत, नैतिक, बौद्धिक या राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो। वरना होगा यह कि कुछ लोगों को दूसरों के मुकाबले अधिक स्वतंत्रता मिल जाएगी, और बहुत से लोगों की स्वतंत्रता मारी जाएगी।

ये तमाम शर्तें केवल वे लोग ही मान सकते हैं जो **परस्पर आदरभाव** रखते हों और जिनमें **दूसरों के प्रति खुलापन** हो।

हम जो कुछ सुनते हैं, जरूरी नहीं कि उससे सहमत ही हों और वह हमारे अपने सत्य के अनुकूल ही हो। जरूरी नहीं कि वह हमें महत्त्वपूर्ण, अवसरानुकूल या मूल्यवान लगे। हो सकता है कि वह सुन कर हमें क्षोभ भी हो। लेकिन, हमारे मत का आदर हो, इसलिए जरूरी है कि हम दूसरों के मत का भी आदर करें। आखिरकार हर व्यक्ति अलग-अलग तरह के संघर्ष में लगा हुआ है, उसकी गतिविधियों के स्तर और रफ्तार की अपनी स्थिति है। नए विचारों और अनपेक्षित प्रस्तावों की ग्रहणशीलता भी अलग-अलग होती है। ऐसे कई परिप्रेक्ष्य और सरोकार हो सकते हैं जो हमें स्वीकार्य न हों और जिन्हें हम दरकिनार करना चाहते हों। एक बिरादराना संवाद में ऐसी परिस्थितियाँ अक्सर पैदा होती रहती हैं।

इन शर्तों को मानने के लिए जरूरी होगा कि हम दो नई शर्तों पर ध्यान दें : ये हैं आपसी विश्वास और सक्रिय सह-उत्तरदायित्व।

आपसी विश्वास के बिना न तो अवसरों की समानता हो सकती है, न ही परस्पर आदरभाव विकसित हो सकता है। हमें यह मान कर चलना ही होगा कि दूसरा भी हमें अवसरों की समानता देना चाहता है, उसमें भी हमारे प्रति आदरभाव है। वह भी हमारी बातें सुन रहा है। उसे भी हमारे ऊपर विश्वास है। इसका मतलब यह मानना होगा कि एक समान उद्देश्य के लिए हम सब एकताबद्ध हैं, एक-दूसरे पर यकीन करते हैं, एक-दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और एक-दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार हैं (5)।

सक्रिय सह-उत्तरदायित्व के बिना परस्पर विश्वास की संरचनाएँ नहीं बन सकतीं। इसके तहत अंत:संचार की प्रक्रिया समान उद्देश्य के लिए दूसरे को मुहैया कराई गई सेवा की तरह होती है। इस सिलसिले में कहने वाले को सुनने वाले का पूरा ध्यान रखना होगा, और जो कहा जा रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। अत:संचार के साधन सबके लिए समान होने चाहिए। सभी को उनका किफायत और होशियारी से इस्तेमाल करना चाहिए। सभी को मिल-जुल कर उन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

प्रभावी अंत:संचार और समान उद्देश्यों की उपलब्धि के खिलाफ जो भी बात जाए, सभी को मिल कर उसका प्रतिरोध करना चाहिए। इसी तरह सभी को कोशिश करनी चाहिए कि अंत:संचार सुगम बने और इस प्रक्रिया में किसी 'केंद्र' पर निर्भरता न हो, न ही किसी 'केंद्र' को इसमें माध्यम बनाया जाए (6)।

यह मानना उचित नहीं होगा कि प्रभावी अंत:संचार की ये शर्तें कुछ अन्य संभव शर्तों के समूह से चुन ली गई हैं। ये शर्तें तो सामूहिक रूप से काम करने की बुनियादी आवश्यकताओं से निकली हैं। सामूहिक काम तमाम विविधताओं, बहुलताओं और उनके स्वाभाविक द्वंद्वों से मिल कर ही बनता है।

हमें समझना होगा कि दो लोगों का निजी इतिहास समान नहीं होता, न उनका अतीत, न उनका स्वभाव, न अनुभव और न ही उनके जीवन की घटनाएँ समान होती हैं। इसी तरह उनकी योग्यताएँ और क्षमताएँ भी अलग-अलग तरह की होती हैं। यही कारण है कि किसी एक अत्यंत सीमित उद्देश्य के लिए भी एकताबद्ध हुए लोगों के बीच विविधता रहती है। आखिर विविधता मानवीय अस्तित्व की शर्त जो है। इसी मुकाम से द्वंद्वों और टकरावों का जन्म होता है। इन द्वंद्वों का प्रभुत्व और प्रभुता के शिकारों के बीच मौजूद शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोधों से कोई मतलब नहीं होता। ये तो समान उद्देश्यों के लिए एक साथ आए लोगों के बीच न सुलझ सकने लायक मतभेदों की तरह होते हैं।

इसी कारण से प्रभावी अत:संचार के लिए मेरी आखिरी शर्त होगी : **आपसी विजायतीयता के प्रति मान्यता और उससे निकलने वाले द्वंद्वों के साथ जीना सीखने की कोशिश**। इस तरह के द्वंद्वों के हल का एक तरीका तो यह है कि कमतर या कम ताकतवर लोगों को कुचल कर इनका निबटारा कर दिया जाए। लेकिन, इससे तो एकता नष्ट हो जाएगी, शक्तियों की बरबादी होगी, सभी को नुकसान होगा। द्वंद्वों और टकरावों के साथ रहना न सीखने पर न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित होगी, न ही सूचना की स्वतंत्रता। न ही अवसरों की समानता मिलेगी, न ही परस्पर आदर और विश्वास पनपेगा। न खुलापन आएगा और न ही सह-उत्तरदायित्व के आधार पर सक्रियता पैदा होगी (7)।

4. 'सेवा के लिए सत्ता' की ओर

प्रोजेक्ट के सहभागियों के बीच वास्तविक और प्रभावी अत:संचार कायम करने के लिए सत्ता के एक ऐसे रूप का ठोस आधार बनाना जरूरी है जो सत्ता के पारंपरिक इस्तेमाल से अलग तरह का हो। यह रूप है 'सेवा के लिए सत्ता'। इसका मतलब होगा अपनी ताकत का इस तरह इस्तेमाल करना कि खुद की सत्ता कायम रखने या बढ़ाने के बजाए उनकी सत्ता

बढ़े जिनकी सेवा करने का उद्देश्य सहभागियों द्वारा निर्धारित किया गया है।

दरअसल, सीएनबीबी द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही अपनी कार्यशैली में इस तरह के प्रयोग का समावेश किया गया है। हमने लगातार कोशिश की है कि 'संचार की ताकत' का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सत्ता कायम रखने और बढ़ाने के लिए ही न किया जाए, ताकि एक 'अत:संचार प्रणाली' स्थापित हो सके। हम अपनी सत्ता में उन सभी लोगों को स्वाभाविक रूप से साझीदार बनाते रहे हैं जो हमारे 'अत:संचार नेटवर्क' में शामिल होना चाहते हैं।

इसी मुकाम पर हमें दिखता है कि वास्तविक और प्रभावी अत:संचार के जरिए हम और अन्य सभी सहभागी सत्ता की विभिन्न किस्मों का आपस में साझा कर सकते हैं। यह एक ऐसी साझेदारी होगी जिसमें हरेक के अनुभव, ज्ञान, सूचना, भौतिक संसाधनों और क्रियाशीलता की संभावनाओं का महत्त्व होगा। इससे यह भी पता चलता है कि सत्ता के इस प्रकार के उपभोग से हर उस व्यक्ति की सत्ता भी बढ़ती है जो उसका इस प्रकार उपभोग करता है। इसकी वजह यह है कि अलगाव में पड़ी हुई सत्ता का इस्तेमाल न हो कर यह सभी की मिली-जुली सत्ता का उपभोग है जिसमें आवश्यकताओं और संभावनाओं की अनंत विविधताएँ हैं।

सत्ता से निकलने वाली समस्याएँ सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि 'प्रभुत्व के लिए सत्ता' की जगह 'सेवा के लिए सत्ता' का रुझान अपनाया जाए।

'प्रभुत्व के लिए सत्ता' का मतलब है उपलब्ध संसाधनों पर नियंत्रण करने की कोशिश करना। सत्ता का ऐसा उपभोग करने वाला व्यक्ति हमेशा-हमेशा के लिए उन लोगों से लड़ते रहने के लिए अभिशप्त हो जाता है जो उससे नियंत्रण छीनने की कोशिश करते हैं। वह अधिकारों का साधारण बंटवारा करने से भी डरता है। उसे लगता है कि अगर किसी और के हाथ में कोई अधिकार होगा तो वह उसके जरिए उसके साथ होड़ करने लगेगा और मौका मिलते ही उसकी जगह हड़प लेगा। सत्ता का ऐसा उपभोग किसी के साथ किसी भी तरह के अत:संचार की इजाजत नहीं देता। सत्ता के ऐसे उपभोग की दिक्कत यह होती है कि अगर किसी समान उद्देश्य के लिए भी काम किया जा रहा हो, तो भी व्यक्ति अपनी सत्ता कायम रखने और उसकी वृद्धि सुनिश्चित करने को ही प्राथमिकता देता है।

'प्रभुत्व के लिए सत्ता' अनिवार्यत: स्पर्धामूलक होती है। वह सबसे अलग हो कर एक जगह केंद्रित रहने की प्रवृत्ति से ग्रस्त होती है। उसमें दूसरों के प्रति करुणा और आदर नहीं होता। वह एकता की कोशिश नहीं करती, केवल कार्यनीतिक किस्म के फौरी गठजोड़ बनाने में दिलचस्पी रखती है। वह कुचलती है, और अगर जरूरत पड़े तो अपने विरोधियों

को शारीरिक रूप से समाप्त करने की हद तक चल जाती है।

'सेवा के लिए सत्ता' की गति इस प्रवृत्ति से एकदम अलग ढंग से चलती है। प्रभुत्व के लिए सत्ता की स्पर्धामूलक प्रवृत्ति हर जगह संभावित दुश्मन तलाशती है, तो सेवा के लिए सत्ता सहयोग पर आधारित होती है। सत्ता के केंद्रीकरण में वर्चस्व के लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि सेवा के लिए सत्ता के सरोकार विकेंद्रीकरण से जुड़े होते हैं। वह अपना उत्तरदायित्व खुद उठाने वालों पर यकीन करती है। प्रभुत्व के लिए सत्ता परनिर्भरता पैदा करती है, पर सेवा के लिए सत्ता स्व-उत्तरदायित्व और पहलकदमी को बढ़ावा देती है। नियंत्रण की संभावनाएँ प्रभुत्व के लिए सत्ता की संरचनाओं का प्रभाव सीमित कर देती हैं, पर सेवा के लिए सत्ता अपने परिप्रेक्ष्यों को खोलती चली जाती है क्योंकि उसका विश्वास साझेदारी और परस्पर सहायता में होता है।

5. प्रोजेक्ट की उपयोगिता का पहला स्तर

यही है वह परिप्रेक्ष्य जिसमें प्रोजेक्ट की उपयोगिता का पहला स्तर समझा जा सकता है। प्रोजेक्ट की पहली उपयोगिता यह है कि वह प्रभुत्व की संरचनाओं से उत्पीड़ित सभी लोगों में प्रभावी एकता पैदा करता है। इस एकता का आधार है सेवा के लिए सत्ता के उपभोग की प्रवृत्ति जो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, विभिन्न सेक्टरों के बीच भी प्रभावी होती है। यह एकता आपसी विजातीयता को अपनी शक्ति बनाती है, और अभिव्यक्ति, सूचना, समता, विश्वास, आदर, खुलेपन और सह-उत्तरदायित्व की स्वतंत्रता मुहैया कराती है।

इस उपयोगिता की अहमियत उस समय और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि सूचनाओं का हमारा वास्तविक नेटवर्क 'मध्यस्थों' की शिरकत पर ज्यादा निर्भर है, न कि जनता के उन हिस्सों की सहभागिता पर जो वास्तव में प्रभुत्व और उत्पीड़न के शिकार हैं। प्रोजेक्ट की उपयोगिता उस समय प्रमाणित हो जाएगी जब ये 'मध्यस्थ' जोआओ पेसोआ मीटिंग के सहभागियों की एक आकांक्षा की पूर्ति करना अपना प्रमुख लक्ष्य बना लेंगे। अर्थात, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रोजेक्ट द्वारा रचे गए और रचे जा रहे अंत:संचार के नेटवर्क का इस्तेमाल उन लोगों और उन जन-समूहों द्वारा किया जाए जिन्हें प्रभुत्व की संरचनाओं से मुक्ति पाने की सबसे ज्यादा जरूरत है।

अगर प्रोजेक्ट के लक्ष्य के अनुसार परस्पर सहायता और सत्ता के मिले-जुले इस्तेमाल के आधार पर अंत:संचार के नेटवर्क की रचना की गई तो उसके दो असर होंगे : प्रभुत्व से मुक्ति से छटपटाती जनता इस नेटवर्क के इस्तेमाल के जरिए ऐसे सभी 'मध्यस्थों'

से अपना पिंड छुड़ा पाएगी जो मुक्ति की प्रक्रिया को अपनी दिशा में ले जाने, सेंसर, नियंत्रित और निर्देशित करते हुए अंत में उस पर हावी हो जाते हैं और इस तरह मुक्ति के रास्ते में बाधा खड़ी कर देते हैं (8)। दूसरी तरफ, ऐसे 'मध्यस्थ' इस प्रक्रिया के जरिए स्वयं को अहंमन्यता और प्रभुत्व की उन संरचनाओं से मुक्त कर पाएँगे जिनके तहत उनकी बुनियादी शिक्षा-दीक्षा हुई है। शर्त यह है कि वे प्रोजेक्ट में आ कर 'सेवा के लिए सत्ता' के उसूल का पालन करते हुए अंत:संचार के नेटवर्क की स्थापना करें। सत्ता के ऐसे इस्तेमाल के लिए ही प्रोजेक्ट 'मध्यस्थों' का स्वागत करता है। हकीकत में स्थिति यह है कि हम कई देशों में शायद मध्यस्थों के बीच यह चेतना पैदा करने के स्तर से आगे जा कर उत्पीड़ितों के बीच यह चेतना पैदा करने के दौर में पहुँच चुके हैं (9)।

हमारे प्रोजेक्ट ने प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों के सामने विकास की इन संभावनाओं और इसी तरह की अन्य गतिविधियों के रास्ते खोल दिए हैं। इसी प्रक्रिया में प्रभुत्व विरोधी कुछ नई रणनीतियाँ भी निकली हैं। इन रणनीतियों के जरिए हम उस कुटिल चक्र से बच सकते हैं जिसके तहत एक तरह के प्रभुत्व की जगह दूसरे तरह का प्रभुत्व ले लेता रहा है। इसी मुकाम पर हमारा प्रोजेक्ट हमारे सामने एक और बुनियादी चुनौती पेश करता है।

6. प्रभुत्व विरोधी संघर्ष की खाइयाँ-खंदक

सच्चाई तो यह है कि प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष की प्रक्रिया हमें हमेशा एक तरह के जाल में फँ सा देती है।

होता यह है कि प्रभुत्व की संरचनाओं में फँ से होने के कारण हमारी अपनी सत्ता का इस्तेमाल प्रभुत्वशालियों की सेवा में ही होता रहता है। प्रभुत्वशालियों को इससे बड़ा लाभ होता है। अपने इस शोषण से बचने के लिए हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी प्रकार इसे न्यूनतम स्तर पर ले आएँ और प्रभुत्वशालियों से उनकी सेवा के बदले ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास करें। प्रभुत्व के संबंधों के नीचे दबे समाज में प्रभुत्व के लिए सत्ता के इस्तेमाल की प्रक्रिया कुछ है ही ऐसी कि प्रभुत्व का विरोध भी इसी तरह करना पड़ता है। जाहिर है कि इस प्रक्रिया का प्रभुत्व रहित संरचनाओं से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। जहाँ तक सीधे लाभ का सवाल है, सेवा के लिए सत्ता के इस्तेमाल का उसूल तो उसके अनुयायियों के लिए स्वयंसेवी पारस्परिकता का भाव ले कर ही आ सकता है।

दूसरी समस्या यह आती है कि प्रभुत्व से मुक्ति पाने के लिए प्रभुत्वशालियों के हाथ से संसाधन छीनने पड़ते हैं और उन्हें उत्पीड़ितों के हाथ में देने की रणनीति अपनायी जाती

है। सभी मुक्ति संघर्षों की दिशा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सत्ता पर कब्जा करने की होती है। इस रणनीति का सार तत्त्व यह है कि प्रभुत्वशालियों के खिलाफ उन्हीं का हथियार इस्तेमाल करो यानी प्रभुत्व के लिए सत्ता के जिस इस्तेमाल के उसूल पर वे चलते हैं, उसी उसूल से उनके खिलाफ लड़ो।

इस तरह प्रभुत्वशालियों की दुनिया के प्रति हमारे भीतर दोहरा आकर्षण पैदा हो जाता है और हमारे अपने मित्रों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। यही है वह जाल जिसमें प्रभुत्व विरोधी संघर्ष करते-करते हम फँ स जाते हैं। यह जाल हमें बाँट देता है, कमजोर कर देता है। वास्तव में समान उद्देश्यों के बावजूद हम अपने मित्रों के साथ नहीं रहते और वास्तविक व प्रभावी अंत:संचार की शर्त पूरी नहीं कर पाते। चूँकि सेवा के लिए सत्ता का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए प्रभुत्व को पराजित करने के लिए पर्याप्त शक्ति अर्जित नहीं हो पाती। बजाय इसके हम अपने साथियों के बीच प्रभुत्वशालियों जैसी क्षमता ही तलाश करते रह जाते हैं, वही क्षमता प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है।

आज राजनीतिक दायरे में प्रभुत्व विरोधी ताकतों के बीच इन्हीं सब कारणों से एकता स्थापित नहीं हो पा रही है। जिस तरह की सत्ता के खिलाफ हमें अपनी शक्ति सबसे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, हम उसी तरह की सत्ता हासिल करने के लिए आपस में होड़ करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभुत्वशालियों की ही तरह हमारे हाथ में भी वैसी ही भौतिक, प्रौद्योगिकीय और फौजी ताकत आ जाए जिससे मिल कर आधुनिक राजतंत्र बनता है।

जनता के नाम पर सत्ता ग्रहण करने वाले राजनीतिक संगठन अपने ही खिलाफ उन लोगों से भी ज्यादा ताकतवर ढंग से खड़े हो जाते हैं जिनकी सत्ता वे छीनना चाहते हैं। इन संगठनों के भीतर काफी ऊर्जा इसी काम में खर्च हो जाती है कि संगठन पर किसका कब्जा रहेगा। असली दुश्मन निशाने से हट जाता है और एक-दूसरे को नष्ट करते हुए सब-कुछ तबाह हो जाता है। जिन लोगों की सेवा करने का दावा किया जाता है, उनका शोषण जारी रहता है। वे अपनी मुक्ति का हमेशा-हमेशा के लिए इंतजार करते रह जाते हैं। भले ही उन्हें इन संगठनों के भीतरी कलह की कीमत न चुकानी पड़े, पर उत्पीड़ितों का एक औजार के रूप में तो इस्तेमाल तो होता रहता है। उनका दोहन किया जाता है, तोप के चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उन्हें त्रासद नरसंहारों का शिकार होना पड़ता है। प्रभुत्वशालियों को जैसे ही खतरा महसूस होता है, वे जनता को डराने के लिए और भी हिंसक तौर-तरीके इस्तेमाल करने लगते हैं ताकि वे उन लोगों के कहने पर न चलें जो संघर्ष करने का संदेश दे रहे हैं पर जिनमें संघर्ष करने की ताकत नहीं है।

इन राजनीतिक संगठनों की कमजोरी बढ़ती चली जाती है। उनके द्वारा 'एकताबद्ध जनता' का दमन कर दिया जाता है। और, इसकी असली वजह यह होती है कि न तो वे जनता बन पाते हैं, और न ही उनमें एकजुटता होती है। वहाँ तो केवल एक राजनीतिक संगठन होता है जिसका दावा होता है कि वह जनता का नुमाइंदा है, पर जिसकी ऊर्जा भीतरी अपना-अपना वर्चस्व कायम करने के कलह में खर्च होती रहती है। ऐसे संगठनों की जीत की नौबत आम तौर पर केवल तभी आ पाती है, जब प्रभुत्वशालियों की गलतियों की संख्या उन्हें कमजोर करने की सीमा तक बढ़ जाती है। उस समय प्रभुत्व के खिलाफ लड़ रही ताकतों का संक्रमणकालीन गठजोड़ जीत का दावा कर पाता है। लेकिन, इस हालत में भी प्रभुत्व की एक संरचना की जगह दूसरी संरचना ही स्थापित हो पाती है, क्योंकि प्रभुत्व के लिए सत्ता के इस्तेमाल की प्रक्रिया का लाजमी तौर पर यही नतीजा हो सकता है।

7. एक नए तरह के संघर्ष की शर्तें

ऐसा लगता है जब तक प्रभुत्व के सापेक्ष 'शक्तियों का संदर्भ' न लिया जाए, तब तक प्रभुत्वशालियों द्वारा किए जाने वाले दोहन से बचना कठिन है। जहाँ तक उन संसाधनों का सवाल है जिनके जरिए प्रभुत्व की संरचनाएँ प्रभावी होती हैं, उनके संदर्भ में क्या प्रभुत्वशालियों का सामना उन तरीकों से नहीं किया जा सकता जिनका नतीजा आखिर में संघर्ष करने वालों के ही खिलाफ न निकले?

प्रोजेक्ट के दायरे में प्रकाशित साहित्य पर चिंतन-मनन करने के बाद और अंत:संचार की उपलब्धियों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि दो तरीकों से इस प्रकार की संभावनाएँ खुल सकती हैं।

पहले चरण में सत्ता का इस्तेमाल **प्रति-सत्ता** के तौर पर किया जाना चाहिए ताकि संसाधनों पर प्रभुत्वशालियों का कब्जा प्रभावी न रह सके। जैसे कि किसी फैक्ट्री का कामकाज बंद कराना, या फिर किसी झूठ का पर्दाफाश करना। दूसरा चरण **वैकल्पिक-सत्ता** के इस्तेमाल का होना चाहिए। इसका मकसद प्रभुत्वशालियों के ऊपर हमारी निर्भरता खत्म करना होना चाहिए। जैसे कि अपनी कुछ जरूरतों की पूर्ति उन संसाधनों के बिना ही करने की कोशिश करना जिन पर प्रभुत्वशालियों का कब्जा है।

इन दो तरीकों से हम प्रभुत्व के खिलाफ जीत को टिकाऊ चरित्र दे सकते हैं। वैकल्पिक-सत्ता का इस्तेमाल हमें प्रभुत्वशालियों के कब्जे वाले संसाधनों से स्वायत्त कर देगा, और प्रति-सत्ता का इस्तेमाल प्रभुत्वशालियों को पूरी तरह गतिहीन बना देगा। इससे स्पष्ट है कि प्रभुत्वशालियों की सत्ता हस्तगत करने के बजाय किसी 'अन्य' सत्ता की स्थापना अधिक स्थायी होगी।

मुझे यकीन है कि संघर्ष के इस रूप के कारण हम इस 'अन्य' सत्ता का उपभोग प्रभुत्व की सेवा में करने के लिए अभिशप्त नहीं रहेंगे। लेकिन, इस प्रवृत्ति के खिलाफ काम करने वाली गारंटी तो केवल यही हो सकती है कि संघर्ष के सभी सहभागी सेवा के लिए सत्ता के उपभोग के प्रश्न पर एकजुट और संकल्पबद्ध रहें। तभी प्रति-सत्ता और वैकल्पिक-सत्ता की संरचनाएँ पूरी तरह मजबूत हो पाएँगी। संघर्ष की प्रक्रिया ही इस तरह चलानी होगी कि प्रभुत्व के खिलाफ जीत से प्रभुत्वहीन संबंधों का जन्म हो।

स्पष्ट है कि प्रभुत्व के ऊपर प्रभावी जीत दर्ज करने के लिए सत्ता के इन तीनों रूपों, यानी प्रति-सत्ता, वैकल्पिक-सत्ता और सेवा के लिए सत्ता का अनुलंघनीय प्रयोग करना सीखना होगा (10)।

दूसरी तरफ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों सत्ताओं के उपभोग के लिए राजनीतिक कार्रवाई की नई रणनीति की जरूरत होगी। इस रणनीति का मकसद होगा सभी तरह की नेतृत्वकारी पहलकदमियों को कई गुना बढ़ा देना। यह दो स्तरों पर चलेगी : एक तरफ यह सभी समस्याओं के 'वैकल्पिक' हल को बढ़ावा देगी, और दूसरी तरफ जब भी संभव होगा हर स्तर पर और हर कोण से प्रभुत्व की संरचनाओं को गतिहीन करती जाएगी। ये पहलकदमियाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा के लिए सत्ता के उपभोग पर आधारित वास्तविक अंत:संचार के नेटवर्कों के जरिए एकताबद्ध होते हुए स्वयं को व्यक्त करेंगी। ये पहलकदमियाँ विशाल जन-जाँगर को संघर्ष में हर तरह की एकता की तरफ ले जाएँगी। चूँकि उसका हर आयाम लगातार प्रगति करेगा, इसलिए यह एकजुटता एक अत्यंत प्रबल शक्ति में बदलती चली जाएगी।

इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की रणनीति के गर्भ से एक ऐसे सामाजिक आंदोलन का जन्म होगा जो किसी भी तरह के प्रभुत्व की तुलना में अधिक ताकतवर साबित होगा। इस सामाजिक आंदोलन के कई रूप होंगे, यह कई क्षेत्रों में प्रभावी होगा, यह स्व-निर्देशित होगा, विकेंद्रीकृत होगा, वर्चस्व-मुक्त होगा, मुक्त और गतिशील होगा। इसका लगातार विकास होता रहेगा और इसे कुचलना कठिन होगा। इस सामाजिक आंदोलन की आधारभूत ताकत होगी सेवा के लिए सत्ता का उपभोग। यह अल्पसंख्यकों का दमन नहीं करेगा, और आपसी विजातीयता को अपनी ताकत में बदल देगा। यह आंदोलन आगे बढ़े हुए तत्त्वों के जरिए उन लोगों की मदद करवाएगा जो पीछे रह गए हैं या जो ताजा शुरुआत कर रहे हैं। यानी इस आंदोलन के तहत कोई अपनी क्रियाशीलता की सीमाओं में ही कैद नहीं रहेगा। चूँकि इस सामाजिक आंदोलन में समान उद्देश्यों के आस-पास तरह-तरह की

पहलकदमियाँ और एकजुटताएँ गोलबंद होंगी, और उनसे अंत:निर्भरता की जटिल संरचनाएँ निकलेंगी, इसलिए इस आंदोलन को किसी एक 'निर्भूल दिशा' या किसी 'विशेषज्ञ' नेतृत्व की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आंदोलन तो अपने हर मुकाम के लिए तय किए गए उद्देश्यों के मुताबिक एक के बाद एक 'आयोजकों के एक समूह' के जरिए अग्रगति हासिल करता चला जाएगा। प्रत्येक 'आयोजक समूह' अपना काम खत्म करने के बाद भंग कर दिया जाएगा, ताकि दूसरे काम के लिए अनुकूल आयोजक उसका स्थान ले सकें। प्रभावकारिकता के चक्कर में पड़े बिना एक आयोजक समूह कम तजरुबेकार आयोजकों के लिए जगह खाली कर देगा ताकि कुल मिला कर प्रभावकारिता में वृद्धि हो सके। यह एक ऐसा सामाजिक आंदोलन होगा जो प्रभुत्वविहीनता की संस्कृति के लिए ठोस सामाजिक आधार मुहैया कराने में कामयाब होगा।

8. प्रोजेक्ट की सर्वाधिक गहन उपयोगिता

जरा कल्पना कीजिए कि ऐसा सामाजिक आंदोलन किस प्रकार की शक्ति और क्षमताओं से सम्पन्न होगा। इसमें तरह-तरह के अभिव्यक्तिकुशल समूह अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने वाले छोटे-बड़े बंदोबस्तों का इंतजाम करते हुए सक्रिय होंगे। उनमें वह सब कुछ रोकने की क्षमता होगी जो अमानवीय है। उन सबका लक्ष्य होगा काम और जीवन की ऐसी शैली अपनाना जिसका अनिवार्य परिणाम उत्पीड़न और मृत्यु में न निकले, और इसके लिए वे नए-नए रास्ते खोजेंगे, सृजनात्मकता का सहारा लेंगे।

कहना न होगा कि इस प्रकार का सामाजिक आंदोलन खड़ा करना आसान नहीं होगा। उसके लिए राजनीतिक कार्यशैली में गहन तब्दीलियाँ करनी होंगी। समस्या यह है कि मानव इतिहास की शुरुआत से ही हमारी राजनीतिक कार्यशैली पर प्रभुत्व की संरचनाएँ हावी रही है। एक के बाद एक संरचना इतिहास के हर चरण में हमें प्रभुत्व के लिए सत्ता के इस्तेमाल की तरफ ही ले जाती रही है।

बहरहाल, यह भी एक हकीकत है कि सारी दुनिया में आजकल प्रभुत्व के लिए सत्ता के इस्तेमाल का विकल्प तलाशने की मुहिम जैसी चल रही है। ऐसा लगता है कि कहीं कोई भीतरी ताकत है जो हमें इस विकल्प की प्राप्ति के लिए उकसा रही है। हो सकता है कि इस तलाश से आखिर में जो विकल्प हमें प्राप्त हो, वह ऊपर वर्णित रणनीति से एकदम अलग तरह का ही साबित हो। लेकिन, हर नई रणनीति को पुनर्शिक्षा के एक लंबे दौर से गुजरना ही होगा। हालात ऐसे संगीन हो चुके हैं कि पुनर्शिक्षा में कतई देर-दार नहीं की जा सकती। प्रभुत्व के लिए सत्ता के इस्तेमाल का तर्क बहुत तेजी से आत्मनाश की तरफ धकेल रहा है।

एक तरफ पूँजीवाद द्वारा आरोपित वैकासिक-आत्महत्या का गढ्ढा है, और दूसरी तरफ नौकरशाहाना राज्य की बेतहाशा बढ़ती हुई ताकत की खाई है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पुनर्शिक्षा के दौरान हमें मनुष्य और मनुष्य के बीच वास्तविक और प्रभावी अंत:संचार कायम करना सीखना होगा।

पुनर्शिक्षा की इसी प्रक्रिया में हमारे प्रोजक्ट की सर्वाधिक गहरी उपयोगिता छिपी हुई है। साथ में यह प्रोजेक्ट परस्पर सहायता का ठोस नेटवर्क भी तैयार कर सकता है। जोआओ पेसोआ की मीटिंग से प्रमाणित हो गया है कि लिखित अंत:संचार से भी ज्यादा गहरा स्पर्श राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली बैठकों की आपसी मुलाकातें करती हैं, हालाँकि अंत:संचार का यह रूप थोड़ा कठिन भी होता है। ये बैठकें ऐसी होनी चाहिए कि किसी को किसी के आक्रमण से अपनी रक्षा न करनी पड़े, बल्कि हर किसी को अपना हृदय खोलने का अवसर मिले। ये बैठकें अपनी-अपनी ठोस कार्रवाई योजनाएँ बनाने के लिए न हों, बल्कि इनका मकसद अनुभवों और विचारों का आदान-प्रदान करते हुए अंत:संचार कायम करना हो। इन बैठकों के जरिए संघर्षरत शक्तियाँ एक-दूसरे के संसाधनों से जुड़ कर एकजुटता की नई संभावानाओं का संधान करें। जोआओ पेसोआ की बैठक के आधार पर हमने इसी तरह के अंत:संचार की स्थापना का संकल्प किया है।

अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हमारा प्रोजेक्ट एक स्थायी स्कूल में बदल जाएगा। एक ऐसे स्कूल में, जिसमें न कोई गुरु होगा और न ही कोई छात्र, जिसमें प्रोजेक्ट की चुनौतियाँ स्वीकार करने वाली तरह-तरह की ताकतें अपनी हाजिरी देंगी, अपने प्रयोग करेंगी और लगातार अपनी पुनर्रचना करती रहेंगी, हर बार आवश्यकता के अनुसार पहलकदमी ली जाएगी, जो पसंद करेंगे जिम्मेदारी उन्हें ही दी जाएगी, लोग आपस में एक-दूसरे को पुनर्शिक्षित करने की भूमिका निभाएँगे।

यही है वह परिप्रेक्ष्य जिसके तहत हुए विकास से यह प्रोजेक्ट अपनी उपयोगिता बढ़ाता चला जाएगा। अगर इस तरीके से इसके वजूद की निरंतरता कायम हो पाई, तो न इसे अपनी संस्थानीकरण का डर सताएगा, न ही आंदोलन बन जाने का। अगर वैसा अंतर:संचार कायम हो पाया जैसा हम चाहते हैं और अगर वह प्रोजेक्ट के तहत और उसके बाहर भी अधिकतम रूप से विकसित हो पाया, तो हम बिरादराना समाज बनाने की तरफ बढ़ पाएँगे। शर्त यह है कि प्रोजेक्ट के हर सहभागी की मुक्तिकामी कार्रवाई के समांतर अंत:संचार का यह नेटवर्क काम करता रहे, परस्पर सहायता की संरचनाओं को बढ़ावा दिया जाता रहे, तो हम न केवल अपनी जीतों और नाकामियों से सबक सीखेंगे, बल्कि उन फौजी तख्तापलटों, युद्धों और झूठों से भी सबक सीख सकेंगे जिनके जरिए प्रभुत्वशाली अपनी सत्ता कायम

रखते रहे हैं। इस प्रक्रिया में जनता की अच्छी-बुरी जीतों के लाभ संचित होते चले जाएँगे और उनके आधार पर ऐसी प्रभावी जन-एकता खड़ी होगी जिसे हराना नामुमकिन होगा (11)।

टिप्पणियाँ

1. फेडरेशन ऑफ एशियन एपिस्कोपल कांफ्रेंसिज़, यूनाइटिड स्टेट्स नेशनल कांफ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स, कैथोलिक एपिस्कोपल कांफ्रेंस ऑफ कनाडा, फ्रेंच एपिस्कोपल कांफ्रेंस, ब्राज़ील की इक्यूमिनिकल सर्विस कोआर्डीनेशन (सीईएसई) और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने मिल कर इस प्रोजेक्ट को समर्थन दिया था। तीसरी दुनिया के करीब दर्जन भर क्रिश्चियन संगठनों ने इसे वित्तीय सहायता दी थी।
2. पुर्तगीज : *पोर उमा सोशियाडाडे सुपरांडो एज डोमिनासोज़ – 1ª, एटापा डू प्रोजेटो डास जोरनाडास इंटरनेसनल्स,* संकलित : एस्ट्यूडोस डा सीएनबीबी, अंक-19, एडिकोस पॉलिनास, साओ पाओ; फ्रांसीसी : डेस्कीली डी ब्राउर, पेरिस द्वारा; स्पेनिश : लाइबेरिया वाई एडिटोरियल अमेरिकी लेटिना, बोगोटा द्वारा; अंग्रेजी : वैली ऑफसेट, इंक., न्यूयार्क द्वारा।
3. प्रोजेक्ट द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय अंत:संचार प्रक्रिया के सार के रूप में यह 'डिस्कशन टेक्स्ट' स्टडी डेज़ के अंग के तौर पर प्रकाशित हुआ था। इसके साथ 'केस स्टडीज़', 'समरीज़' और 'ओवरआल एप्रोचिज़' का प्रकाशन भी हुआ था।
4. इस पुस्तक का अध्याय-4, खंड-7 देखें। सन् 1980 स्टडी डेज़ प्रोजेक्ट विकेंद्रीकरण के दौर से गुजर रहा था जिसके बाद उसे खत्म कर दिया गया। उसके बाद वर्कर्स पार्टी का गठन हुआ। इसके पीछे सोच यह था कि राजनीतिक सत्ता हासिल की जा सकती है और पारंपरिक राजनीतिक तरीकों से दुनिया बदली जा सकती है।

टिप्पणियाँ

1. जहाँ तक लिखित अंत:संचार का सवाल है प्रसारित सूचना केवल उन लोगों द्वारा प्राप्त और पढ़ी जाएगी जिन्हें अंत:संचार की जरूरत महसूस हो रही है। इस सिलसिले में चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण की माँग भी कुछ निश्चित सीमाओं में दूसरे नंबर पर चली जाती है।
2. प्रोजेक्ट के नये ही नहीं, पुराने सहभागी भी अक्सर पेरिस ब्यूरो को जिस लहजे में पत्र लिखते हैं उसी से पता लगता है कि परंपरानुसार काम करने का यह दबाव किस तरह काम करता है। सहभागी हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनकी सामग्री की उपयोगिता के बारे में फैसला करेंगे। वे पूछते हैं कि क्या यह सामग्री प्रकाशित करना संभव होगा। शुरू में प्रोजेक्ट के संयोजन की आलोचना भी यह कह कर की जाती थी कि हम प्रकाशन लायक सामग्री का चुनाव करना नहीं जानते, और अक्सर गैर-प्रतिनिधित्वमूलक या अस्वीकार्य सामग्री तक प्रकाशित कर दी जाती है। हमें ये सुझाव भी दिए जाते हैं कि हमें सामग्री में निहित सूचनाओं की कमियों की भरपाई करनी चाहिए, हमें उनका संक्षिप्तीकरण करना चाहिए, हमें सामग्री की संपादन करके उसे बेहतर बनाना चाहिए और किसी अच्छी पत्रिका की भाँति उसे एक क्रम प्रदान करना चाहिए। लोगों को यह बात भी अजीब लगती है कि हम इन दस्तावेजों को महत्त्वपूर्ण लोगों को नहीं भेजते, जबकि दिक्कत यह है कि ये कथित रूप से महत्त्वपूर्ण लोगों की अंत:संचार में कोई दिलचस्पी होती ही नहीं। लोगों को यह भी अजीब लगता है कि हम कुछ खास तरह के संघर्षों के लिए एकजुटता बनाने के लिए इस सामग्री का इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा, हमें अक्सर यह जानकारी भारी मात्रा में मिलती रहती है कि सामग्री का प्रसार करने के लिए बने दूसरे केंद्रों में क्या हो रहा है। यह तो हुई हमारे ऊपर पड़ने वाले दबाव की बात। हमारे भीतर से दबाव की ऐसी ही संरचनाएँ निकलती रहती हैं। चूँकि हमें सहभागियों को निर्देश भेजने पड़ते हैं कि वे किस तरह से सामग्री भेजें ताकि वह अंत:संचार प्रणाली के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी साबित हो सके, इसलिए यह खतरा बना रहता है। हमें लगातार खुद को संपादक-प्रबंधक या प्रकाशन के निदेशक बनने से रोकना पड़ता है। इसीलिए हम आवश्यकता से ज्यादा निर्देशात्मक पत्र भी नहीं भेजना चाहते। इसी दबाव के कारण हम अक्सर मानकों का पालन करने के सवाल को बढ़ा-चढ़ा कर देखने लगते हैं, और छोटी-छोटी बातों का मतलब यह निकालने लगते हैं कि कुछ लोग हमारे प्रोजेक्ट में तो दिलचस्पी रखते हैं, पर वे प्रकाशित सामग्री प्राप्त नहीं करना चाहते।
3. हमारे प्रोजेक्ट की प्रकृति न समझ पाने वालों को लगता है कि प्राप्त सामग्री के प्रति हमें तटस्थता की गारंटी करनी चाहिए। ये लोग उस समय भी तटस्थता की माँग करते हैं जब तटस्थता अपने आप में नामुमकिन हो जाती है। यानी जब प्रभुत्व की किसी संरचना से टकराने की नौबत आ जाती है या प्रभुत्वशालियों और उत्पीड़ितों के बीच अंत:संचार के जरिए फैसला करना होता है। हमारी तटस्थता कोई हवा में तैरने वाली तटस्थता नहीं है। वह तो प्रभुत्व का मुकाबला सुगम करने के लिए अपनाई जाने वाली तटस्थता है।
4. अक्सर कार्रवाई संबंधी सक्षमता उपलब्ध करने के लिए हम सावधानी बरतने के नाम पर सूचना के नियंत्रण का रवैया अपना लेते हैं जो दरअसल प्रभुत्व की ही एक संरचना है। यही कारण है कि सूचना की स्वतंत्रता प्रभुत्वशालियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी ज्यादा बगावती विचार की तरह प्रतीत होती है। जो लोग हमारा प्रोजेक्ट अपनी संस्था से ज्यादा नहीं जोड़ना चाहते, उन्हें सूचना की स्वतंत्रता का आग्रह ज्यादा परेशान करता है।
5. हम जिस तरह का अंत:संचार चाहते हैं और प्रभुत्वशालियों और उत्पीड़ितों के शिविरों की कुछ सीमारेखाएँ धुँधली होने के कारण परस्पर विश्वास की माँग पूरी करना थोड़ा कठिन ही होता है। प्रभुत्वशाली अपने शिविर में कुछ उत्पीड़ितों को भी भर्ती कर लेते हैं, खासकर ऐसे उत्पीड़ितों को जिन्हें प्रभुत्व की संरचनाएँ खत्म होने से होने वाले परिवर्तनों से डर लगता है। लेकिन,

उत्पीड़ितों का शिविर इतना विशाल है कि उसके मर्म में परस्पर विश्वास की संरचनाएँ पनप सकती हैं। इस विश्वास के दायरे में वे लोग भी आ जाते हैं जो संघर्ष के जरिए हमारी ओर खिंचते हैं या जो हमारे उसूलों के साथ संगति तो रखते हैं, पर संघर्ष में साथ देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं हो पा रहे हैं।

6. अगर प्रोजेक्ट की उपयोगिता के बारे में हमारी परिकल्पना सही है तो तीसरे चरण में किसी केंद्र पर निर्भर हुए बिना प्रोजेक्ट के सहभागियों को सारी जिम्मेदारियाँ उठाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
7. परस्पर विजातीयता का मसला हमारे लिए खास तौर से चुनौतीपूर्ण है। चूँकि हमारे उद्देश्यों और अंत:संचार के दायरे के कारण विजातीयता हमारी नैसर्गिक स्थिति बन जाती है, इसलिए परस्पर आदर की माँग पूरा करना काफी कठिन हो जाता है। क्या जोआओ पैसोआ की मीटिंग के दौरान हम इस जरूरत और इसके साथ जुड़ी हुई कठिनाइयों के प्रति ज्यादा सजग थे? दरअसल, इस बैठक के लिए हमने अपने प्रोजेक्ट के सभी सहभागियों, उनके अनुभवों, विकल्पों, कामकाज के दायरों और यहाँ तक कि प्रोजेक्ट से उनकी अपेक्षाओं का एक प्रतिनिधि सेम्पल तैयार किया था। दूसरे, इस बैठक में लिखित सामग्री के आधार पर अंत:संचार करने की एकतरफा विधि के बजाय हमने सीधे-सीधे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना की स्वतंत्रता, समता, विश्वास, परस्पर आदर, खुले दिमाग और सक्रिय सह-उत्तरदायित्व के उसूलों पर अमल किया था। इसी बैठक में हमने विजायतीयता और द्वंद्व की अपरिहार्यता को सकारात्मक रूप से लेने का प्रयोग भी किया था। कहना न होगा कि इस बैठक की अपनी अपर्याप्तताएँ थीं, पर इन्हीं तमाम प्रयासों के कारण हम इससे मजबूत हो कर निकले और प्रभुत्व के खिलाफ प्रभावी कदम उठा सके।
8. मेरे विचार से 'मध्यस्थ' वह है जो है तो प्रभुत्वशालियों की दुनिया का व्यक्ति, पर जिसने खुद को उत्पीड़ितों के पक्ष में खड़ा कर लिया है। वह सीधे या घुमा-फिरा कर प्रभुत्व की ग्लोबल प्रणाली से फायदा उठा रहा है। जब अधिक रेडिकल परिवर्तन होते हैं, तो उस पर प्रभुत्व का असर दिखाई देने लगता है। प्रभुत्वशालियों की दुनिया में पैदा होने और पला-बढ़ा होने के कारण मध्यस्थ सेवा के लिए सत्ता के इस्तेमाल के परिप्रेक्ष्य का ज्यादा दिनों तक समर्थन नहीं कर पाता। इसी कारण से वह मुक्ति संघर्ष का नेता बनने का ख्वाब जल्दी ही देखने लगता है, और उसकी इसी प्रवृत्ति से नेतृत्व की होड़ निकलती है। हो सकता है कि उसके इरादे अच्छे होते हों। हो सकता है कि वह अपनी जिस दिशा को निर्भूल मानता है, वही मुक्ति की तरफ ले जाने वाली दिशा हो। लेकिन, इस तरह की तमाम प्रवृत्तियों का नतीजा आखिर में एक प्रभुत्व की जगह दूसरे प्रभुत्व को रखने में निकलता है, और यह भी हो सकता है कि मुक्ति के बावजूद प्रभुत्व की पुरानी संरचनाएँ ही बरकार रह जाएँ।
9. इससे समझा जा सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट ब्राज़ीलियन चर्च की पहलकदमी से क्यों जन्मा। इस चर्च के कई हलकों में सेवा के लिए सत्ता के इस्तेमाल के उसूल पर अमल किया जाता है और उसी आधार पर उत्पीड़ितों के बीच अंत:संचार का नेटवर्क चलाया जाता है। इसका स्पष्ट और ठोस उदाहरण इंडियन मिशनरी कौंसिल (सीआईएमआई) द्वारा इंडियन नेताओं का सम्मेलन करने के लिए दी गई आर्थिक मदद से मिल सकता है।
10. बिना विकल्प के अगर प्रति-सत्ता का इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे प्रभुत्वशालियों को ही फायदा होगा। वे हालात नरम करने के लिए कुछ पीछे हट जाते हैं, और अराजकता फैलने का इंतजार करते हैं ताकि फिर से एक नया प्रभुत्व कायम हो सके। इसी तरह वैकल्पिक-सत्ता का इस्तेमाल अगर अलग-थलग तरीके से किया जाए तो भी प्रभुत्वशालियों को ही लाभ होगा। ऐसे अवसर पर प्रभुत्वशाली वैकल्पिक-सत्ता की गतिविधियों का दोहन अपनी उन जिम्मेदारियों की पूर्ति में कर लेता है जिन पर वह अपने संसाधन खर्च नहीं करना चाहता, और इस प्रकार वह अपनी दिलचस्पी के कामों के लिए संसाधन बचा लेता है। उदाहरण के लिए, वैकल्पिक प्रोद्योगिकी के विकास में प्रभुत्व की संरचनाओं की दिलचस्पी इसीलिए होती है। सेवा के लिए सत्ता के इस्तेमाल का उसूल अगर अलग-थलग तरीके से लागू किया जाए, तो वह सुलह-सफाई का माहौल बना देता है जिसके पीछे प्रभुत्वशालियों और उत्पीड़ितों के बीच के शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोध छिप जाते हैं।
11. अगर इन पृष्ठों में दिए गए विचार उचित हैं, तो इनसे प्रोजेक्ट में शामिल सभी ईसाइयों को सोचने की सामग्री भी मिलती है। चर्च की देन होने के कारण यह प्रोजेक्ट हम ईसाइयों को भी गहन रूप से प्रश्नांकित करता है। क्या ईसा मसीह के कामों और सेवा के लिए सत्ता के इस्तेमाल के बीच कोई संबंध है? क्या प्रेम की शर्तों और प्रभावी अंत:संचार के बीच कोई संबंध है? क्या प्रभुत्व की संरचनाओं से मुक्त संसार की रचना के लिए जरूरी पुनर्शिक्षा और बिरादराना भाव से सम्पन्न दुनिया बनाने के लिए चर्च की भूमिका के बीच कोई संबंध हैं? परस्पर विश्वास और आदर के आधार पर मुलाकातें करते समय हमारे मन में प्रेम की वही भावना रहती है जो ईसाई बिरादरों की तरह आपस में मिलते हुए होती है? इन सवालों के उत्तर इस लेख के दायरे में नहीं आते, इसलिए इन्हें उन सक्षम लोगों के लिए छोड़ देना होगा जो हमारे प्रोजेक्ट को ईश्वर की खोज के परिप्रेक्ष्य में रख कर विश्लेषित कर सकेंगे, उस ईश्वर की खोज के परिप्रेक्ष्य में जो कहीं हमारे भीतर ही रहता है।

मूल पुर्तगीज में मार्च, 1980 को प्रकाशित

फ्रांसिस्को 'चीको' व्हिटेकर फरेरा : एक परिचय

इस पुस्तक के लेखक फ्रांसिस्को 'चीको' व्हिटेकर फरेरा ने पचास के दशक में अपना सार्वजनिक जीवन कैथोलिक चर्च यूथ मूवमेंट के कार्यकर्त्ता के रूप में शुरू किया। वे सारी जिंदगी लोकतंत्र के हक में और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते रहे। चाहे अपने देश ब्राज़ील में रहे हों या निर्वासन में, वे इस रास्ते से कभी नहीं डिगे।

निरंतर विकसित होते हुई वर्ल्ड सोशल फोरम प्रक्रिया की केंद्रीय विभूति और उसकी आयोजन समिति (जो अब उसके अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय में बदल चुकी है) के सदस्य व्हिटेकर का जन्म सन् 1931 में ब्राज़ील में हुआ। सन् 1957 में उन्होंने वास्तुशिल्प और शहरी नियोजन में डिप्लोमा हासिल किया। वास्तुशिल्प विद्यालय से निकलने के बाद वे एसएजीएएमएसी नामक शोध संस्थान की एक अनुसंधान योजना में शामिल हो गए जिसका मकसद साओ पाओ शहर के निवासियों के जीवन स्तर का अध्ययन करना था। इसके बाद उन्होंने सरकार के नियोजन विभाग की शहरी और क्षेत्रीय नियोजन शाखा में काम किया। सन् 1964 में सत्ता पर फौजी कब्जे के समय वे संघीय भूमि सुधार एजेंसी (एसयूपीआरए) के नियोजन संबंधी निदेशक थे। उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और फौजी तानाशाही के विरोध में खड़े हो गए। 1965-66 तक व्हिटेकर ब्राज़ील में नेशनल कांफ्रेंस ऑफ बिशप्स (सीएनबीबी) के नियोजन निदेशक के रूप में काम करते रहे, पर 1966 में फौजी तानाशाहों ने उन्हें ब्राज़ील छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ उन्होंने अगले 15 वर्ष निर्वासन में बिताए।

निर्वासन का शुरुआती दौर उन्होंने फ्रांस में गुजारा जहाँ आरएफईडी में वे तीसरी दुनिया के लिए संस्थान-निर्माण क्षमता का कोर्स पढ़ाते रहे। इसके बाद चीको ने चिली में अलेंदे सरकार के पहले और उसके दौरान चार साल तक संयुक्त राष्ट्र के इकॉनॉमिक कमीशन फॉर लेटिन अमेरिका के लिए काम किया। चिली से फ्रांस लौट कर व्हिटेकर ने कैथोलिक कमेटी अगेंस्ट हंगर एंड फॉर डिवेलपमेंट (सीसीएफडी) के लिए काम किया और

नेशनल कांफ्रेंस ऑफ बिशप्स के प्रोजेक्ट 'इंटरनेशनल स्टडी डेज़ फॉर ए सोसाइटी ओवरकमिंग डोमिनेशंस' में यूनेस्को के सलाहकार और प्रोजेक्ट के सचिवालय-संयोजक के तौर पर कार्यरत रहे।

निर्वासन के बाद ब्राज़ील लौटने पर उन्होंने साओ पाओ के आर्कबिशप कार्डिनल डोम पाउलो एवारिस्टो अर्न्स के सलाहकार की भूमिका निभाई। चीको साओ पाओ एसोसिएशन इन अनएम्पलॉयमेंट सोलिडरिटी के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ब्राज़ीलियन संविधान की रचना में लोकप्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से इस मकसद के लिए पूरे ब्राज़ील में 'प्लेनरीज़' संगठित की गईं जिन्होंने संविधान के मसविदे में 122 संशोधन सुझाए जिन पर एक करोड़ बीस लाख नागरिकों के हस्ताक्षर थे। सन् 1989 से 1996 के बीच चीको दो बार ब्राज़ीलियन वर्कर्स पार्टी के टिकट पर साओ पाओ के स्थानीय पार्षद चुने गए। सन् 1996 में उन्होंने संसदीय राजनीति छोड़ दी और नागरिक समाज के दायरे में काम करने लगे। सीएनबीबी के संगठन ब्राज़ीलियन जस्टिस एंड पीस कमीशन (सीबीजेपी) के कार्यकारी सचिव के रूप में चीको ने बिल ऑफ पापुलर इनीशिएटिव को न केवल कल्पित किया, बल्कि उसे लागू करके भी दिखाया। इस बिल के तहत चुनावी भ्रष्टाचार और वोटों की खरीद-फरोख्त के खिलाफ दस लाख हस्ताक्षर जमा किए गए। सन् 1999 में इसे कांग्रेस की मंजूरी मिली। इसी के बाद से व्हिटेकर चुनावी भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी राष्ट्रीय कमेटी में सीबीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। इस कमेटी में ब्राज़ील के बीस से अधिक महत्त्वपूर्ण नागरिक समाज संगठन सहभागी हैं। इस बिल का ब्राज़ील के सार्वजनिक जीवन पर जबरदस्त असर पड़ा है। इसी के कारण सन् 2000 के बाद से अब तक चार सौ से ज्यादा मेयर, पार्षद और परिषद अधिकारी चुनावी भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण अपने पदों से हाथ धो चुके हैं।

सन् 2006 में राइट लिवलीहुड एवार्ड से सम्मानित चीको व्हिटेकर फरेरा की पत्नी का नाम स्टेला सेटी व्हिटेकर फरेरा है। उनके परिवार में पत्नी के अलावा तीन बेटियाँ, एक बेटा, चार पोते और तीन पोतियाँ हैं।